1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2)　　नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का सत्रहवां दिवस　　(संख्या 12

गुरुवार,

दिनांक 12 जुलाई, 1990

विधान सभा की कार्यवाही म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न। श्री मनीराम।

कंवरसेन लिफ्ट नहर लूणकरणसर

299. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कंवरसेन लिफ्ट नहर लूणकरणसर बीकानेर की क्षमता 568 क्यूसेक पानी की है? क्या इससे सन् 1976 से पानी पीने एवं खेती के लिए छोड़ा गया?

(2) क्या यह सही है कि चौदह वर्ष बाद अप्रेल, 1990 के अन्तिम सप्ताह में से मई, 1990 के अन्तिम सप्ताह में 550 से 568 क्यूसेक पानी सिर्फ डेढ़ महीने ही क्यों छोड़ा गया जबकि इसकी क्षमता 568 क्यूसेक है?

(3) क्या अब सिर्फ 380 क्यूसेक ही पानी दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि फसल बिजाई के समय पानी 550 से 568 क्यूसेक चलाया गया लेकिन फसल पकाई के समय 380 क्यूसेक पानी ही चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पानी के अभाव में फसल नष्ट होने से क्षतिपूर्ति स्वरूप किसानों को फसल का मुआवजा देगी?

इंदिरा गांधी नहर मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी, नहीं। माह अप्रेल के अन्तिम सप्ताह से पानी की उपलब्धता के अनुसार जून, 90 तक जो पानी चलाया गया वह निम्न प्रकार से है :

अन्तिम सप्ताह अप्रेल, 1990 :
350 क्यूसेक्स से 568 क्यूसेक्स

मई, 1990 :
380 क्यूसेक्स से 558 क्यूसेक्स

जून, 1990 :
380 क्यूसेक्स से 568 क्यूसेक्स

(3) जी, नहीं। अभी इस नहर में 447 क्यूसेक्स से 500 क्यूसेक्स पानी

(श्री नत्थीसिंह)

उपलब्धता के अनुसार चलाया जा रहा है। फसल बिजाई के समय 350 से 568 क्यूसेक्स पानी चलाया गया था अब आवश्यकतानुसार पानी दिया जा रहा है।

(4) चूंकि पूरा पानी दिया जा रहा है, इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इनको विभागीय अधिकारियों द्वारा गुमराह किया गया है और जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं वे सही नहीं हैं।

मैं सबसे पहले प्रश्न के खण्ड 2 में जो उत्तर दिया गया है उसमें चलाए गए पानी के अन्तर को आपके सामने रखना चाहता हूं। अप्रेल माह में इसी 350 से 568 क्यूसेक चलाया बताया है उसका 218 क्यूसेक का अन्तर रहा है। इसी तरह से मई में और जून में भी 178 और 188 क्यूसेक का अन्तर रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या इतने अन्तर से चलाए जाने वाले पानी में कोई कृषक नियमित रूप से खेती कर सकेगा और अपनी फसल में पानी देने के लिए वह आश्वस्त रहेगा? क्योंकि वार बन्दी सिस्टम है और एक काश्तकार पूरा पानी ले सकता है तो दूसरा पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने से वंचित रह जाता है। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्योंकि कंवरसैन लिफ्ट पर ए. पी. एम. लग चुके हैं और ए. पी. एम. लगाने के बाद इसमें एफ. एस. एल. मेन्टेन किया गया है। उसका नहर में 8.88 फीट का कायम किया गया है जबकि इसका जलस्तर घटता-बढ़ता रहता है इस वजह से पानी डिस्चार्ज पूरा नहीं होता। क्या मंत्री महोदय इस डिस्चार्ज की नियमितता कायम करने के लिए कोई प्रयास करेंगे?

दूसरा, प्रश्न के खण्ड 3 के उत्तर में जो आवश्यकतानुसार पानी दिया जाना बताया है इससे मंत्री महोदय का क्या तात्पर्य है? क्या आश्यकता का पता लगाया जाता है, क्या काश्तकारों से इस बारे में पूछा गया है? दूसरी इन्होंने पानी उपलब्धता की बात कही है। क्या यह सही है कि कंवरसैन लिफ्ट में एक्स. ई. एन. की डिमांड के अनुसार पानी दिया जाता है या रेगलेशन इन्चार्ज की मर्जी के मुताबिक छोड़ जाता है जबकि हरिके डेम में पानी 5 जून, 90 को पिछले वर्षों की बजाय चार गुना अधिक था। क्या कारण है कि पानी अभी भी नहर की कैपेसिटी के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास जो सूचना है कि हमने सूचना दी है वह गलत है, सही नहीं है। सूचना सही दी गई है आप जो अन्तर बता रहे हैं मैं आपको कुछ तारीखें अप्रेल की बताना चाहता हूँ।

25-4-90 को प्रातः 6.00 बजे 525 क्यूसेक दिया गया, शाम 6 बजे 350 दिया

(श्री नत्थीसिंह)

गया। 26-4-90 को 568 क्यूसेक सुबह दिया गया, 550 शाम को दिया गया। 27-4-90 को 550 सुबह दिया गया, 550 शाम को दिया गया। 29-4-90 को 550 सुबह दिया गया, 550 शाम को दिया गया। 30-4-90 को 550 सुबह दिया गया और 550 शाम को।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 25-4-90 के बाद में पानी निरन्तर ज्यादा दिया गया है। आप भी थे और मैं भी था। उसके बाद स्थिति में सुधार आया है। मैं समझता था आप धन्यवाद दोगे पर नाशुक्र है, धन्यवाद भी नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री डूडी।

श्री नत्थीसिंह : ठहरिए आप। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, अभी समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद में मैं कहना चाहता हूं आपने पिछले अपने सवाल में भी कहा है कि 14½ वर्षों के बाद पहली बार यह पानी छोड़ा गया है। 14 वर्ष तक पानी इतना कभी नहीं दिया गया जितना अबकी बार दिया गया है। हमने एक व्यवस्था की है। पहले यह था 568 तक पानी मिल सकता है लेकिन अभी 568 और फिर दूसरे सप्ताह में 80 क्यूसेक पानी पीने के लिए। हमने व्यवस्था बदली। 380 क्यूसेक पानी निरन्तर मिले ताकि हमें पानी भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी पोंग डेम में पानी था इसलिए 380 की हमने व्यवस्था करने के बाद भी निरन्तर 568 तक पानी दिया है। आप कहते हैं आवश्यकता क्या है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उपलब्धता के अनुसार आप कह रहे हैं आपने यह कहा है कि कब दिया गया है, आपने खुद सवाल पूछा है।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ही विचार करें। आपने कहा है कि फसल पकाई के समय 380 क्यूसेक पानी ही चलाया जा रहा है। कौनसी फसल पक रही है अभी ? फसल मूंगफली की बोई है। ज्वार बोई जा रही है, फसल की पकाई का समय आएगा उस समय पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए यह कहना कि कम दिया जा रहा है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पानी की उपलब्धता है उसके अनुसार किसानों को पानी की कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

श्री मनीराम सियाग : अध्यक्ष महोदय, फसल पकाई वाली बात पर मंत्री महोदय जोर दे रहे हैं। इसका तात्पर्य यह था कि बीजने के बाद, बिजाई के समय इतना अधिक पानी दिया गया और सब सफल बीजा दी गई और उसके बाद पानी आधा कर दिया गया। फसल पकाई तक इतना कम किया जाय। मेरा मतलब पकाई तक था। यह मिसप्रिंट हुआ है "पकाई" शब्द लिखने के बाद "तक" शब्द को छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री डूडी।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, जवाब अपने आप में बतला रहा

Page No. 4

(४)

(श्री लालचन्द डूडी)

है कि पानी 350 और 568 के बीच में छोड़ा गया है। मैं मंत्रीजी को बतलाना चाहूंगा कि जब उस नहर के अन्दर पक्के आउटलेटस लगा गए हैं तो नहर 568 क्यूसेक पर जब चलेगी जितना पानी होगा उस वक्त आउटलेटस के ऊपर कितना पानी उसका डिस्चार्ज होगा और 350 क्यूसेक पर क्या डिस्चार्ज होगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 200-250 क्यूसेक का जो फर्क है, यह आपको इतना मालूम है कि इतने में कितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज और चलती हैं। यह फर्क कोई मालूली फर्क नहीं है। इससे आधी सिंचाई का फर्क है। अगर आपने बिजाई के वक्त में 550 -568 क्यूसेक दिया और पकाई के वक्त दे रहे हैं 350। इसका मतलब उस किसान की जितनी फसल बीजी है, उसकी केवल आधे को ही वो इर्रिगेट कर सकेगा, बाकी आधी फसल का क्या होगा ? इस वास्ते इतना नहीं। इसमें ठीक है पानी कहीं डेम में कम है तो वह अलग बात है लेकिन इतना फर्क करके आपने यह निश्चित कर दिया कि 380 क्यूसेक से कम तो चलेगा ही नहीं और ज्यादा चलेगा इतना। इस डिफरेंस को मंत्रीजी कम कीजिए। ताकि किसान अपनी फसल को अच्छी तरह से वो सके, पूरा लाभ ले सके।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मनीराम जी साहब ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। उनका जो एप्रीहेन्सन हो रहा है कि बिजाई के वक्त हम देंगे। मैंने जून तक के आंकड़े बताए कि जहां 550 और 568 क्यूसेक तक चलाया। जुलाई के 10 दिन के आंकड़े भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ।

1 जुलाई को प्रातः 6 बजे 475 क्यूसेक, शाम को 6 बजे 500 क्यूसेक और 2-7-90 को 500-500, 3-7-90 को 500-500, 6 तक यही स्थिति रही है। 7 तारीख को 450-400 और अब तक 10 तक 450-400 रहा है। इसलिए यह जो डर है कि कम कर दिया, कम नहीं किया, पानी चल रहा है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि यह पानी पहले क्यों चला रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि वह दूसरी बात कहते। 380 क्यूसेक का हमने कहा है, पहले 568 और 80 क्यूसेक पानी पीने के लिए लेते थे। अब हमने 380 का जो कहा है और अब जो पोंग डेम में पानी था, इसलिए पानी ज्यादा है। आपका यह एप्रीहेन्सन कि पानी कम करके दिया जायेगा। यह नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री नत्थीसिंह : अच्छा। यह सदस्यों को भी तो बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के चुनाव

300. **श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) :** क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 5

(श्री सांवरलाल जाट)

(1) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के चुनाव नहीं करवाने के क्या कारण हैं ?

(2) अब यह चुनाव कब तक करवाने का सरकार का विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि चुने हुए प्रतिनिधि न होने से विश्व बैंक से मिलने वाला ऋण या सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी है ?

श्री गोपालसिंह (दुग्ध विकास राज्य मंत्री) : (1) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के चुनाव न कराये जाने के कारण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य में 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. कार्यरत हैं। इनमें से जालोर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का चुनाव हो चुका है तथा शेष के चुनाव आगामी 2-3 माह में करवाये जाने का प्रस्ताव है।

(3) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सांवरलाल जाट : माननीय मंत्री महोदय ने चुनाव नहीं कराने के जो कारण दिये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो दुग्ध व्यवसाय शुरू किया गया था वह अमूल पेटर्न के आधार पर किया गया था, परन्तु इस अफसरशाही की वजह से वह बिलकुल ही यहां असफल रहा है। आज गांवों की समितियों की स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है और जो भी कारण बताये जाते हैं हर साल किसी न किसी बहाने से चुनाव टालने के प्रयास किये जाते हैं। समितियों का जो इन्होंने वर्गीकरण किया है अ, ब, स और द, चौथी केटेगरी में, इन्होंने कारण दिया है साहब कि अ और ब केटेगरी की समितियों की संख्या कम है, इस कारण से चुनाव नहीं करवाये जा सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इसका कारण स्वयं डेयरी प्रशासन नहीं है, जिसने कभी समितियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, समय पर उनकी आडिट नहीं होती है, समय पर उनका सुपरविजन नहीं होता है और इस कारण से जो समितियां हैं उनकी स्थिति खराब है। प्रश्न के तीसरे खण्ड का जो आपने उत्तर दिया है जी, नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ई. एन. टी. डी. सी. से जो सहायता मिलती है, विश्व बैंक से जो सहायता मिलती है वह ई. एन. टी. डी. सी. के माध्यम से मिलती है और क्या आज की तारीख में आपरेशन फ्लड द्वितीय का पैसा दुग्ध उत्पादक संघों को मिल चुका है ? अगर यह नहीं मिला है तो मेरा यह निवेदन है कि यह सारा जवाब केवल अफसरशाही ने घुमा-फिराकर दिया है, केवल अपने को बचने के लिये दिया है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव नहीं होने के कारण इस डेयरी के अन्दर भयंकर घोटाले हुये हैं, जो बेचा जाता है वह प्रेस्क्राइब्ड रेट्स से इन्होंने विलों रेट्स पर यह माल बेचा है। मेरा निवेदन यह है कि चुनाव नहीं होने के कारण का इन्होंने जो अपने स्तर पर उत्तर दिया है, कहीं इनकी मोनोपोली खतम नहीं हो जाय और चुने हुए

(श्री सांवरलाल जाट)

प्रतिनिधि नहीं आ जायें, इस कारण से चुनाव नहीं हुए हैं। क्या यह सही है कि आपरेशन फ्लड का पैसा इस डेयरी को मिला गया है ?

श्री गोपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी की वजह से न तो आडिट हुई और ना चुनाव हुए, यह बात सही नहीं है। अध्यक्षजी, राजस्थान में सभी दुग्ध उत्पादक समितियों की समय-समय पर आडिट हुई है और यह आडिट का ही नतीजा था कि जिसकी रिपोर्ट में यह पाया गया कि सारे राजस्थान में केवल अ, ब श्रेणी की कुल मिलाकर 90 समितियां थीं और इतनी कम संख्या में राजस्थान के 16 संघों में चुनाव होना सम्भव नहीं था यदि यह चुनाव चुनाव के लिए करवा दिये जाते तो केवल मौकरी होती जो उचित नहीं था। इसके लिए लगातार प्रयत्न किये गये और आप जानते हैं, अध्यक्षजी, राजस्थान में 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में लगातार अकाल पड़ा और इस अकाल की स्थिति से यह स्वाभाविक था कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां काम नहीं कर सकीं और मापदण्डों से नीचे रहने से सारी ही समितियां केवल 90 को छोड़कर "ब" श्रेणी में रह गई और तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत जब "स" श्रेणियां भाग नहीं ले पा रही थीं, इसलिए चुनाव सम्भव नहीं हो सका।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब उप-नियमों में संशोधन कर दिया गया है। राजस्थान में सभी "स" श्रेणी, चुनाव में भाग ले सकेंगी और अब आने वाले 1-2 महीनों में सारे राजस्थान में चुनाव करवा दिये जायेंगे। एक प्रश्न माननीय सदस्य ने यह उठाया था कि विश्व बैंक से आपरेशन फ्लड का पैसा आर.सी.डी.एफ. को मिला या नहीं इसकी जानकारी करनी चाहिए है। मैंने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि जी नहीं। विश्व बैंक से आर.सी.डी.एफ. का कोई इस तरह का इकरार नहीं है जिसके अन्तर्गत विश्व बैंक आर.सी.डी.एफ. को कोई पैसा देती। जब इस तरह का इकरार ही नहीं है तो पैसा नहीं देने का या लेप्स होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मनीरामजी।

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न के खण्ड 2 में दिये गये मंत्री महोदय के जवाब के सन्दर्भ में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि संघों के चुनाव 2-3 महीनों में करवा दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी बीकानेर डेयरी बहुत बड़ी है और उसके भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। इसमें पूर्व सरकार ने अपनी मरजी मुताबिक क्षेत्रों का हिसाब-किताब रखकर अपने प्रतिनिधियों को लाने के हिसाब से वार्ड्स बना लिये थे। क्या मंत्री महोदय उन वार्ड्स को भी जो 2-3 महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके पूर्व उनका पुनर्गठन करने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री गोपाल सिंह : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने प्रस्तावित चुनावों में

(श्री गोपाल सिंह)

विभिन्न जिला संघों के चुनाव के सम्बन्ध में वार्ड्स का प्रश्न उठाया है, यह सही है कि जिला संघों के चुनाव के पहले कांस्टीटयुएन्सीज का निर्धारण बहुत पहले हुआ था और बहुत पहले निर्धारण होने से आज जब चुनाव होंगे तो उन कांस्टीटयुएन्सीज का निर्धारण उचित नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी जिलों में प्रस्तावित चुनाव के लिए कांस्टीटयुएन्सीज के पुनर्निर्धारण के लिए, चुनाव के पहले आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। हो गया अब। बहुत अच्छा जवाब आ गया।

श्री राजेन्द्र गहलोत।

राज्य खनिज विकास निगम के लेखों का आडिट

301. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के लेखों का इन्टरनल आडिट जो पूर्व में चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा किया जाता रहा है कब से विभागीय स्तर पर किया जा रहा है? इस परिवर्तन के क्या कारण हैं?

(2) कार्य की महत्ता को देखते हुए क्या विभागीय संगठन सक्षम एवं पूर्ण है एवं क्या यह कार्य विभागीय स्तर पर सन्तोषजनक एवं समयबद्ध हो रहा है?

(3) विभागीय स्तर पर कार्य प्रारम्भ करने के बाद किन-किन बाहरी एजेन्सी को यह कार्य साथ-साथ सौंपा गया और क्यों?

(4) अब तक के अनुभव के परिपेक्ष्य में भविष्य में उक्त महत्वपूर्ण गतिविधि के सम्बन्ध में क्या नीति रहेगी? कार्य विभागीय रूप से करवाया जायेगा, या दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चलेंगी? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या राज्य सरकार के पास अन्य अन्य कोई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में विचाराधीन है?

खनिज राज्य मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) वर्ष 1984-85 व 1985-86 के अतिरिक्त प्रारम्भ से ही इन्टरनल आडिट विभागीय स्तर पर ही कराया जाता रहा है। उपरोक्त 2 वर्षों में बाहर के चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स को यह काम इस आधार पर दिया गया था कि निगम की गतिविधियां कम हो जायेंगी। परन्तु ऐसा नहीं होने पर वर्ष 1986-87 से यह काम पुनः विभागीय स्तर पर होने लगा।

(2) जी, हां। यह कार्य विभागीय स्तर पर और भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

(3) जी, नहीं। इन्टरनल आडिट का कार्य विभागीय स्तर एवं बाहरी एजेन्सियों को साथ-साथ कभी नहीं सौंपा गया है।

(4) निगम के आन्तरिक अंकेक्षण अनुभाग द्वारा की गई इन्टरनल आडिट के अनुभव को मद्दे नजर रखते हुए भविष्य में इन्टरनल आडिट विभागीय स्तर पर ही

(श्री कालूलाल गुर्जर)

कराया जावेगा, क्योंकि इन्टरनल आडिट का कार्य विभागीय स्तर से सरलतापूर्वक एवं मितव्ययी होता है।

(5) जी, नहीं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्षजी, इन्टरनल आडिट द्वारा खनिज निगम का कार्य होने के बाद सारी आडिट की पुनः जांच चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा करायी जानी चाहिए। चूंकि इन्टरनल आडिट के अन्दर जो दोषी पाये जाने वाले अधिकारी होते हैं उनको सहयोगी अधिकारी बचाने का प्रयास करते हैं, केवल खाना-पूर्ति करते हैं इसलिए चार्टेज अकाउन्टेन्ट्स से जांच करायी जानी आवश्यक है।

इन्टरनल आडिट कराने से विभागीय अधिकारियों द्वारा सहयोगी अधिकारियों को बचाने के प्रयास से भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं की अनदेखी की सम्भावना रहती है। इस सम्बन्ध में निगम के राक-फास्फेट के खनिज कार्य के लिए, जिप्सम, स्टील, ग्रे लाइम स्टोन आदि के क्षेत्र के अन्दर अनियमितताएं पायी गई थीं इसलिए चार्टेज अकाउन्टेन्ट्स से आडिट क्यों नहीं करवायी जाय?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनमें एक यह बताया है कि आपने कहा है कि चार्टेड अकाउन्टेन्टस से जांच कराने के लिए विचार यह था कि आपके विभाग की गतिविधियों के अन्दर कमी आ जायेगी परन्तु वह कमी नहीं आयी है, वह कमी क्यों नहीं आई? इसका कारण बतायें, यह पूछा है इसलिये आपकी बात समझ में आ जायेगी।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 2 वर्षों में निगम की गतिविधियां थीं उनमें कुछ हानि हुई थी, हानियां होने के कारण यह तय किया गया था कि कुछ गतिविधियों को कम कर दिया जाय और इसमें यह था कि इन्टरनल आडिट निगम द्वारा करवाई जाय, उसके अन्दर कमी कर दी गई थी। 2 साल बाद में जब वापस कार्य शुरू हुआ कई ईकाइयां जो घाटे में थी वह वापस लाभ में आ गई हैं और टर्न ओवर काफी लम्बा बढ़ गया जो पहले 8 लाख 56 हजार था 1984-85 में वह 1985-86 में 13 करोड़ 61 लाख का हो गया। इस कारण से टर्न ओवर बढ़ जाने के कारण पुनः जो आडिट निगम के द्वारा करवाया जाता था उसकी आवश्यकता पुनः महसूस हुई। इसी कारण से निगम के द्वारा वापस आडिट करवाया गया।

श्री अध्यक्ष : नियमितताओं और अनियमितताओं के बारे में और बता दीजिए?

श्री कालूलाल गुर्जर : आपने यह प्रश्न और पूछा कि चार्टेड अकाउण्टेन्ट की जांच होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह बात समझ में नहीं आई कि आपने चार्टेड अकाउण्टेन्ट्स से आडिट करबाई, आपकी प्राफिट में चली गई तो आपने बन्द कर दी, प्रोफिट में चलती तो और ही अच्छा था।

श्री कालूलाल गुर्जर : इसका कारण यह रहा, अध्यक्ष महोदय, कि जो आडिट विभाग के द्वारा करवाया गया उसमें जो खर्चा आया था उसको कम करने की दृष्टि से प्राइवेट चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स को यह काम सौंपा गया। दो साल उन्होंने जब काम किया उस समय टर्न ओवर कम था इसलिए उनकी जो फीस थी वह कम थी। जब दो साल बाद में टर्न ओवर बढ़ गया तो उस हिसाब से प्राइवेट चार्टेड अकाउन्टेन्ट से करवाते तो उनकी फीस ज्यादा हो जाती थी इसलिए उसको कम करने के लिए पुनः विभाग के द्वारा इसका गठन करके यह काम विभाग के द्वारा ही करवाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दोरा।

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन्टरनल आडिट विभागीय स्तर पर किस सक्षम अधिकारी से करवाई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरप्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह आडिट केवल खर्चे के हिसाब से ही करवाई जाती है कि आपके विभाग में खर्चा कम हो या ज्यादा हो या यह आडिट इसलिए करवाई जाती है कि उसमें कोई अनियमितता है वह सामने आये, हानि क्यों हो रही है इसके कारण सामने आये ? या इण्टरनल आडिट केवल इसलिए करते हैं कि सारी स्थिति सामने नहीं आये और सारे मामले को अन्दर की अन्दर दबा दिया जाये। क्या यह सही है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इण्टरनल आडिट तो आपका कंटीन्यु प्रोसेस है जबकि चार्टेड अकाउन्टेन्ट करता है एनुअल बेसिस पर आडिट। क्या यह सही है कि इण्टरल आडिट होने के बाद भी आपके अकाउण्टेन्ट जनरल के ऑफिस के लोग आते हैं या जो दूसरे एजेन्सीज हैं वह आडिट करती हैं ? क्या यह बात सही है ? कन्फ्यूजन सारा यही है। माननीय मंत्री महोदय बता नहीं पा रहे हैं। मैंने उनका उत्तर सरल कर दिया।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न यह था कि किनके द्वारा आडिट कराया जाता है इसके लिए इण्टरनल आडिट विभाग का प्रतिवर्ष होने वाला विवरण इस प्रकार है। एक तो सहायक प्रबन्धक होता है, दो ग्रुप आफीसर होते हैं और एक वरिष्ठ सहायक होता है। यह चार आदमी ऐसे नियुक्त कर रखे हैं जो आडिट करते हैं। इनके आडिट करने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से आडीटर जनरल की ओर से चार्टेड अकाउन्टेन्ट भेजे जाते हैं जो दुबारा और आडिट करते हैं। तीसरा, आपने यह कहा कि खर्चे के हिसाब से आडिट होता है या हिसाब देखने के लिए। मेरा निवेदन है कि खर्चे के हिसाब से नहीं है बल्कि यह आडिट तो सबकी जांच करने के लिए होता है। परन्तु आडिट किसी अन्य चार्टेड अकाउण्टेन्ट से करवाई जाये या विभागीय दल बनाकर कराई जाये। इसके ऊपर

(श्री कालूलाल गुर्जर)

कितना खर्चा होता है यह तो निगम के देखने का काम है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : इण्टरनल आडिट के नाम पर राजस्थान लिग्नाइट मार्बल प्राइवेट लिमिटेड जो इनकी एक इकाई थी उसकी इण्टरनल आडिट के नाम पर चार्टेड अकाउण्टेन्ट की आडिट नहीं हुई । विदेशों से जो मशीनें लाई गई थी और उसके बाद में वह सस्ते दामों पर बेच दी गई । इसके अन्दर बहुत भयंकर अनियमितताएं और घोटाला हुआ है । इसी तरह जालौर की लिग्नाइट फैक्टरी है उसकी भी आज तक आडिट नहीं हुई है इसकी विभागीय स्तर पर जांच होती रही है । बाहर की जांच नहीं होने के कारण इस संस्था के अन्दर अनियमितताएं बढ़ रही हैं । इस सारे मामले की जांच की जाये । राजस्थान लिग्नाइट मार्बल बिका है, उसकी जो विदेशों से लाई मशीनों की कीमत थी वह एक करोड़ से ज्यादा थी उन्हें 70 लाख के अन्दर बेच दिया गया । उसके साथ लिग्नाइट के ब्लाक थे जो उनके साथ बिकने चाहिए थे उनके साथ नहीं बिके । उनका भी इनको पैसा लैस कर दिया गया । इस तरह से जो अनियमितताएं इस विभाग में हो रही हैं उनको उजागर करने के लिए बाहर से आडिट करवाई जाये । जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, जो विदेशों में मशीनें लाने गये थे, और किस हालत में यह इकाई बिकी है उस सारे मामले की जांच की जाये और उसके बाद वापस बाहर से आडिट करवाई जाये ।

श्री अध्यक्ष : जांच करवा दीजिये सारी जो इन्होंने बताई ।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई लिखित में शिकायत करें तो वैसे हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, एक बात सुनिये । यह लिखित का बार-बार आग्रह करिये आप । यहां सब चीज रेकार्ड में होती है । यह बात मैम्बर को इरीटेड करती हैं । जो बात यहां सदन में कह दी गई है, वह यहां रेकार्ड में आ गई है उस पर आप काग्नीजेन्स ले लीजिए । बाकी जो एक्स्ट्रा होगी वह लिखित में दे देंगे ।

श्री कालूलाल गुर्जर : जांच करवा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

कारागार विभाग में भर्ती में अनियमिततायें

302. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जेल विभाग में विगत पांच वर्षों में भर्ती में अनियमितताओं की शिकायतों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से गठित जांच समिति की रिपोर्ट में किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री जीवराम कटारा) : (1) उक्त समिति ने दिनांक 25.10.88 को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। उक्त जांच में कारागार विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष एवं महानिरीक्षक, कारागार श्री रामानुज शर्मा तत्कालीन उप महानिरीक्षक, कारागार श्री एम. ए. अन्सारी, तत्कालीन उपशासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग श्री एम.एल. गुप्ता तथा तत्कालीन उपशासन सचिव, गृह (जेल) विभाग श्री आर.पी. श्रीवास्तव को दोषी पाया गया है। जांच प्रतिवेदन अभी राज्य सरकार के विचाराधीन होने के कारण भी उक्त रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने में असमर्थता है।

(2) भर्ती सम्बन्धी समस्त प्रकरण में अनियमितता एवं दुराचार के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। अन्वेषण प्रगति पर है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी एक ओ आपने मुझ को रिपोर्ट नहीं दी। जब राज्य सरकार को आप रिपोर्ट दे सकते हैं तो सदन से रिपोर्ट छिपाने की आपकी मंशा क्यों है ? मंत्री महोदय उत्तर दें। नम्बर दो, कि जब प्रथम दृष्टया ही नहीं बल्कि रिकार्ड के अनुसार महानिरीक्षक कारागार और उपमहानिरीक्षक कारागार और दो अन्य, डिप्टी-सेक्रेटरी तक को आपने भ्रष्टाचार में लिप्त पाया है तब आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में देरी क्यों कर रहे हैं ? आपकी मंशा क्या है। नम्बर तीन, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराने की बात आपने और स्वीकार की है। यदि स्वीकार की है, तो इन्हीं लोगों के पदों पर रहते हुए आप निष्पक्ष जांच कैसे करा पायेंगे ? मंत्री महोदय, मुझे इन तीन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, यह बताइये कि न्यायालय में किस विषय पर विचाराधीन है।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन व्यक्तियों के अलावा भी कुछ व्यक्ति इस प्रकरण में सम्मिलित है, उनके विरुद्ध भी ऐसे केस हैं जिन्होंने रिकार्ड में हेराफेरी की है इस वजह से उनके विरुद्ध भी जांच चल रही है। यह सारा रिकार्ड सीज करके भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास में है। इस पर जांच हो रही है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि सदन के पटल पर नहीं रखे और इसे छिपाया जाये। चूंकि जांच पर इससे प्रभाव पड़ने से यहां रखना सम्भव नहीं है। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मंत्री महोदय ने जवाब दिया। क्यों तंग कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह कारागार विभाग के महा-निरीक्षक ने एक आशार्थी का जो चरित्र प्रमाण पत्र था.....

श्री अध्यक्ष : अच्छा इस महानिरीक्षक को हटा देंगे ना आप ?.....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हटा देना चाहिए। आप मुझे आश्वस्त कर दें तो मैं बैठ जाती हूँ। इनको हटाकर आप जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : उजलाजी, यह कोई सवाल नहीं है अब आपका। नेक्स्ट श्री बालचन्द्र आर्यवीर.....(व्यवधान)..... यह प्रश्न कोई महत्वपूर्ण नहीं है हो गया आपका। एक्शन ले लेंगे वह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तत्काल एक्शन होना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष - और भी सवाल आ रहे हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं। यह कोई पब्लिक इन्टेंस्ट में नहीं है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अगला प्रश्न पुकारिये अध्यक्षजी समय जाया हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, 302 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है..... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप उनको हटायेंगे या नहीं हटायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप इसे बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं ? करिये महत्वपूर्ण। श्री फूल चन्दजी बोलिये। बनाइये इसको आप महत्वपूर्ण।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि न्याया-लय की जांच समिति द्वारा जांच करवा दी गयी है। यह जांच हुई है 25-10-88 को। पूरी जांच रिपोर्ट आ गयी है और इसके बाद 88 से इतना लम्बा समय हो गया है। आप यह कह रहे हैं कि भ्रष्टा-चार विभाग के अन्वेषण के बाद ही कार्य-वाही होगी। इस तरह से अगर कार्यवाही में विलम्ब होता रहा तो क्या आप यह नहीं मानते कि भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और विभाग में, जिस प्रकार से यह स्वच्छ प्रशासन लाने की बात है वह किस प्रकार ठप्प हो जायेगी। इसलिए मंत्री महोदय से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि वह विलम्ब के कारणों की जानकारी करवा कर जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करवायें। जितने नाम आये हैं....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल। यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं सबको अलाऊ करूंगा और इसी प्रश्न पर 12 बजा दूंगा। बिराजिये आप। प्लीज सिट डाउन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो पहले चयनित सूची थी उसमें किन-2 के नाम थे और बाद में जो दूसरी सूची आई, हाई कोर्ट के आदेशानुसार आई उसमें किन-किन लोगों के नाम थे, क्या फर्क था? माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नाराज हो गये अध्यक्ष महोदय। मैं नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न बिल्कुल साफ है। एक्शन लेने के लिए उन्होंने कह दिया है। हाई कोर्ट से आ गया है। पर मंजूर कर रहे हैं कि यह सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके बाद आप बार-बार उसी को पूछते रहेंगे। अल्टीमेटली एक ही जवाब आयेगा कि हम एक्शन लेंगे। आप पूछ लें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नाराज हैं अध्यक्ष महोदय। चूंकि मैं आपकी नाराजगी बरदाश्त नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। मैं सदन का समय बचाना चाहता हूं। इम्पोर्टेन्ट सवाल और बाकी पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सदन में कम से कम सात आठ सवाल हो जाएं।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न भी लगे हुए हैं। आधा घन्टा चला गया।

श्री अध्यक्ष : अब सदस्य नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। आई एम हैल्पलेस।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय ने अगर इन दोषी अधिकारियों को हटाने का निश्चय कर रखा है। आज ही हटा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्रीमती उजलाजी आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : इनको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया यह बतायें?

श्री अध्यक्ष : आपको बिना इजाजत खड़ा होकर बोलने की आदत पड़ गयी है तो मेरे पास इलाज नहीं है। मैं सबको मौका दे रहा हूँ, मैं सबको अलाऊ कर रहा हूँ और आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। आपको यदि आगे सवाल नहीं लेना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, आप ही से निवेदन कर रहा था कि यह यह निर्णय आप कर दीजिए प्रश्न के भाग एक में कहा है कि इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख देंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था लेकिन मंत्री महोदय जिस कारण से रिपोर्ट विद हैल्ड करने की चेष्टा कर रहे हैं, रीजन जो उन्होंने दिये हैं वह शफिशियेन्ट नहीं है इस सदन से कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। मैं इसके ऊपर आपका निर्देश चाहता था। इतना ही सिर्फ कह रहा था। चूंकि आपका क्रोध मैं बरदाश्त नहीं कर सका इसलिए बैठ गया।

श्री अध्यक्ष : क्रोध नहीं है। मैंने मंत्रीजी को इसके लिए पिन पोइन्ट पूछा

(श्री अध्यक्ष)

था। न्यायालय में क्या विचाराधीन है ? यदि यह रिपोर्ट और यह मामले न्यायालय में अभी भी विचाराधीन हैं, तो न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद आगे का सवाल उठता है। विचाराधीन क्या है वह तो मंत्रीजी बता दें, कि क्या विचाराधीन है न्यायालय में ? न्यायालय में कोई मुकदमा पैण्डिंग है, कोई रिट पिटिशन है, क्या है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कुछ भी नहीं है उन्होंने जो जांच समिति बनाई थी उसे इन्होंने भ्रष्टाचार विभाग को दे दी। वहां इसको रखा हुआ है वह यह है कि वह जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री हैं क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं प्रभावित हूं।

श्री अध्यक्ष : किससे पूछ कर पूछ रही हैं आप ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे लड़के से दर हजार रुपये मांगे उन्होंने कि एप्लीकेशन जब लूंगा जब दस हजार रुपये देंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री खड़े हैं। माननीय श्रीमती उजलाजी तैश में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शान्ति से आपको मौका दिया गया था, जरूरत पड़ेगी तो फिर मिलेगा। अगर आप तैश में आयेंगी तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा। सुन लीजिए आप। मंत्रीजी बताइये इसके बारे में।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय से जांच समिति जो.....

श्री हीरालाल इन्दौरा : 10 हजार रुपये लिए हैं.....

श्री अध्यक्ष : बोलने नहीं देंगे आप ?

श्री जीवराम कटारा : न्यायालय में जांच नहीं है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में इसकी जांच चल रही है, क्योंकि कुछ अन्य लोग भी इसमें इनवाल्वड हैं।

श्री अध्यक्ष : जांच होने के बाद रिपोर्ट रखेंगे आप ?

श्री जीवराम कटारा : हां, इसकी जांच होने के बाद जांच रिपोर्ट रखी जायेगी और सदस्यों की भावना के अनुरूप जो इस समिति में····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जीवराम कटारा : जो दोषी पाया जायेगा उसको अविलम्ब हटाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट रखी जायेगी ?

श्री जीवराम कटारा : हां।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट आ जायेगी जांच होने के बाद, मैं अब मैं समझाता हूँ कोई प्रश्न बाकी नहीं रह गया है····(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मार्ग दर्शन चाहता हूं। जब अदालत के अन्दर पैण्डिग नहीं है मामला, क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इस सदन से बड़ा है वहां कोई चीज पड़ी हुई है। उसकी प्रति आप सदन की मेज पर नहीं रखना चाहते हैं। सब-जुडिस कोई मामला हो उस मामले में तो डिनाई कर सकती है सरकार। मेरा खाली कन्टेशन यह है कि जान-बूझ करके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उस रिपोर्ट को यहां सरकार नहीं रखना चाह रही है।

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि वह रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को दिखा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट मुझे दिखा दी जायेगी। अब आप सन्तुष्ट हो जाइये······ (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अभी नये-नये आये हैं उनको सब प्रक्रिया का मालूम नहीं होगा लेकिन इसमें आपने फरमाया कि क्या उस अधिकारी को हटा देंगे ? मंत्री महोदय ने कह दिया हां, हटा देंगे। बिना सब तथ्यों की जानकारी लिए अगर इस तरह से हटाते हैं या सस्पेण्ड करते-कराते हैं तो इसके दुष्परिणाम होने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिल गया है कि वह रिपोर्ट मुझे दिखा देंगे और जब जांच पूरी हो जायेगी तो सदन के सामने या मैं जरूरी समझूंगा उसको देखने के बाद भी आ जायेगी···(व्यवधान)···नेक्स्ट आपको भाषण देना है तो दीजिए।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नाराज क्यों हो रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : नाराज नहीं हो रहा हूँ...

श्री लालचन्द डूडी :क्यूं हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सदन का समय है आपका ही समय है, यह मेरा समय नहीं है, आपका समय है यह।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने मंत्री महोदय से पूछा कि एक फलां अधिकारी को हटा देंगे क्या ? मंत्रीजी ने कह दिया हटा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोच रहा था कि आप यह पूछेंगे कि उस जांच में जिन सबको दोषी माना है उन सबको हटा देंगे क्या ? यह पूछने की बात है।

श्री अध्यक्ष : चलिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में बद्रीलाल मीणा की रिट में उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था और इसी में यह जांच कमेटी बनी थी जिसमें मुदालियर जी, पगोरियाजी और गुप्ताजी तीन मैम्बर थे लेकिन जेल सबोर्डिनेट्स सर्विस रूल्स, 1976 के नियम 19 के तहत कमेटी केवल साक्षात्कार लेने और मैरिट लिस्ट बनाकर चेयरमैन को देने का ही काम करती है। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र को 86 से 80 किया गया, महेशचन्द शर्मा और गोविन्दसिंह जिनको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया गया था, इनको दुबारा फिजिकली फिटनेस कोटा से डॉक्टर जैन को बुलाकर दिलवाई। यह चेयरमैन के आदेश से हुई जो कि आज भी आई. जी. बने हुए हैं। यह कमेटी, जिसके खिलाफ जांच की गई इस कमेटी की परिधि में इन श्री रामानुजजी शर्मा को क्यों नहीं लिया गया ? आज भी उच्च न्यायालय में इससे सम्बन्धित तीन मामले विचाराधीन हैं—

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

हीरासिंह वर्सेज स्टेट, अशोकसिंह वर्सेज स्टेट और शिवशंकरसिंह वर्सेज स्टेट। इसके अलावा एक चन्द्रप्रकाश का कन्टेप्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी विचाराधीन है। तो जांच चल रही है, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन इसमें चेयरमैन को शामिल किया जाना चाहिए जिनके इशारे पर सबोर्डिनेट लोगों ने साक्षात्कार किया, जो बोर्ड के मैम्बर थे। केवल उनके खिलाफ जांच करा रहे हैं, जो मुख्य जड़ है जिसके कहने पर यह सारी गड़बड़ हुई उनको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। जब तक वह वहां बने रहेंगे मैं समझता हूँ निष्पक्ष जांच नहीं होगी और सही रिपोर्ट इस सदन के अन्दर नहीं आ पायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भवानी मण्डी में छात्रावास निर्माण

303. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ के भवानी मण्डी कस्बे में छात्रावास भवन के निर्माण हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है? छात्रावास में कितने छात्रों की आवास व्यवस्था रहेगी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास भवन के निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निमाण विभाग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा? नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : (1) झालावाड़ के भवानी मण्डी कस्बे में छात्रावास भवन के निर्माण हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के द्वारा 11·50 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस छात्रावास में 25 छात्रों की आवास व्यवस्था होगी।

(2) उक्त छात्रावास निर्माण हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी विकास निगम द्वारा 3 मार्च, 1990 को अन्तरिम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाने पर निगम द्वारा अन्तिम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े छात्रावास में केवल मात्र 25 छात्रों के लिए ही आवास व्यवस्था रहेगी यह कहां तक उचित है? दूसरा, निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा, क्या इसकी कोई समय सीमा है? तीसरा, क्या छात्रावास निर्माण हेतु कोई जमीन समाज कल्याण विभाग ने ली है या खरीदी है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने किया कि छात्रावास बहुत बड़ा

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

है, मगर छात्र 25 ही क्यों। शुरूआत में 25 छात्र आयेंगे उसके बाद रहने की व्यवस्था जब होगी और छात्र अधिक होंगे तो उनको ले लिया जायेगा। यह तो उचित बात लगती है।

श्री अध्यक्ष : जमीन के बारे में।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : जमीन के लिए भी वहां की पंचायत या नगरपालिका को लिख दिया गया है, उपलब्ध होने पर उसको भी तुरन्त जारी करवा दिया जायेगा। उसका निर्माण तुरन्त शुरू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ... (अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न 304
(कृपया आगे देखिये)

श्री उम्मेद सिंह।

लवण क्षेत्र डीडवाना में अन्त्योदय योजना

305. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लवण स्रोत डीड़वाना में वर्ष 1977 में तत्कालीन जनता सरकार ने एक अन्त्योदय योजना चलाई थी, जिसमें लगभग 750 नमक के क्यारे बनाकर गरीबों को देने का प्रावधान था ? यदि हां, तो क्या यह योजना सफल रही ? यदि नहीं, तो असफलता के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत जिन गरीबों को क्यारे दिये गये थे, उनको जगह दूसरे व्यक्ति नमक बना रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कठोर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना केवल गरीब, बेसहारा, पोड़ित व्यक्तियों के लिए थी ? यदि हां तो अन्य उत्पादकों को क्यारे क्यों आवंटित किये गये जिनके पास पूर्व में ही क्यारे हैं ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक स्टाफ तथा क्षेत्र में अपेक्षित सुविधायें नहीं दी गई ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के लिए खरीदा गया सामान यहां काम में नहीं लिया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) जी हां। वर्ष 1977 में लवण स्रोत डीड़वाना में तत्कालीन जनता सरकार द्वारा अन्त्योदय योजना बनाई गई थी जिसमें 750 नमक के क्यारे गरीबों को देने का प्रावधान था। यह योजना आंशिक रूप से सफल रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत केवल अन्त्योदयी चयनित परिवारों को ही आबंटन किया गया अन्य किसी को विभाग द्वारा आबंटन नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं। स्टाफ एवं सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चूंकि योजना की आंशिक क्रियान्विति हुई थी, अतः क्रय किया गया सामान बेचना स्वाभाविक था।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस समय जो अन्त्योदय में चयनित 750 परिवारों को क्यारे अलाट होने थे, वह सभी को कर दिये गये ? क्या उस समय जिन व्यक्तियों को अलाट नहीं हुए उनको वापिस अलाट करने का इरादा रखते हैं ?

श्री सम्पत सिंह (नगर) : सत्तापक्ष ही पूछता रहेगा सब कुछ, अनर्थ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है वह कुछ सीमा तक ठीक है यह सही है कि पंचायत समिति डीडवाना में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 147 गांवों के अन्दर अन्त्योदय योजना के तहत 603 परिवार चयनित हुए थे और नमक के क्यारे दिये जाने हेतु 426 परिवारों का चयन किया गया था। कमेटी जो आवंटन के लिए बनी थी, उस कमेटी ने 426 परिवारों में से 410 लोगों को आबंटन किया। लेकिन इन 410 परिवारों के बाद भी केवल 272 परिवार ऐसे आये जिन्होंने लीज डीड और एग्रीमेंट वगैरहा किया। इस प्रकार आबंटन केवल 272 परिवारों को ही हो पाया, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि अगर बाकी लोग आयेंगे तो उनको आवंटन किया गया जायेगा। लगातार कोशिश की गई है, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर के अन्दर कहा था कि प्रारम्भ में यह आंशिक रूप से सफल हुई है। सन् 80 तक एक साल तक आबंटन चला लेकिन दुर्भाग्य है कि 80 के बाद आवंटन के प्रयास किये जाने चाहिये थे वह प्रयास नहीं किये गये। आज भी क्यारे तैयार हैं अगर लोग आना चाहें तो उनको आबंटन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हेमराज मीणा। आप पूछ रहे हैं ? पूछिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर), अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि आबंटन एक अलग चीज है, इनको कब्जा दिया गया या नहीं ? और कब्जा दिया गया तो अभी कब्जा मौजूद है या नहीं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, 272 परिवारों को आबंटन के बाद लीज डीड लिखाने के बाद कब्जा दे गया, अभी कब्जा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि साव-धानी के लिये, कि जितने 272 परिवार थे, उनका कोई दुरुपयोग नहीं हो सके मिडिल मेन बीच में नहीं आ जाय इसलिये इन सबके अकाउण्ट बैंक में खोले गये और इनका जो नमक खरीदा जाता है उसका पेमेंट चैक के द्वारा बैंक को ही होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ कि इन क्यारों से निकाले गये नमक की बिक्री का क्या प्रावधान है ? नम्बर दो, क्या यह सही है कि नमक के भाव साल्ट कमिश्नर द्वारा इन क्यारों के लिये फिक्स किये हुये हैं ? अगर हां तो क्या भाव है ? नम्बर तीन, मंत्री महोदय, आप यह भी बताने की कृपा करें कि इन अन्त्योदयी परिवारों के इन क्यारों के नमक के भावों में क्या वढ़ोतरी करने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, एक और। क्या इन क्यारों से नमक पैदा करने वाले लोगों को और जहां बाकी के पट्टेदार हैं उनके नमक पैदा करने की रेट्स अलग-अलग हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न का सवाल है स्वयं माननीय सदस्य ने इसका जवाब दे दिया है। भाव जो तय होते हैं उन्हीं भावों के आधार पर स्टेट एण्टरप्राईज डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नमक को खरीदता है कोई अलग से भाव तय नहीं है। जहां तक आपने जानकारी मांगी है, अध्यक्ष महोदय, वह इस प्रश्न से जुड़ी हुई नहीं है मैं तत्काल कहने की स्थिति में नहीं हूं बाद में आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हेमराज मीणा।

श्री सम्पतराम : अध्यम महोदय, इनके जवाब से ऐसा लगता है कि नमक की कमी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नमक की कोई कमी नहीं है।

भेड़ों को चराई की छूट

306. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) एवं **श्री नन्द किशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रान्त में भेड़ों को भ्रमण द्वारा चराने के कोई नियम या व्यवस्था प्रवृत्त है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या ?

(2) क्या जंगलात में भी भेड़ों के चरने की खुली छूट है ?

(3) यदि नहीं तो भेड़ व ऊंट दोनों प्रकार के जानवरों में आरक्षित वन को होने वाली क्षति के लिये किसकी जिम्मेदारी है ?

(4) क्या भेड़ व ऊंट से होने वाले नुकसान पर सरकार पाबन्दी लायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

भेड़ व ऊन राज्य मंत्री (श्री रमजान खां) : (1) जी हां। भेड़ों के निष्क्रमण पर चराई को नियन्त्रित एवं नियमित करने की व्यवस्था की जाती है।

(2) जी नहीं। केवल उन्हीं वन खण्डों में चलतान की चराई वसूल कर चराई की अनुमति दी जाती है जो आरक्षित या सेन्चुरी नहीं है।

(श्री रमजान खां)

(3) घुमक्कड़ भेड़ पालकों द्वारा आरक्षित वनों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है। इसके अतिरिक्त भेड़ व ऊन विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से भ्रमणशील भेड़ों की चराई को नियन्त्रित एवं नियमित किया जाता है ताकि वे आरक्षित वनों तथा निजी फसलों को कोई क्षति नहीं पहुंचायें।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि किशनगंज शाहबाद में पिछले चार पांच वर्षों से लगातार वहां पर भेड़ें जमा हैं। जंगल की पत्तियां काट-काट कर उनको खिला रहे हैं क्योंकि वहां पर भी भयंकर अकाल है। उसके कारण सारा जंगल नष्ट हो रहा है। क्या मंत्री महोदय उस पर पाबन्दी लगायेंगे? दूसरा, मेरा सवाल है कि भेड़-पालक जहां पर पड़ाव डालते हैं वहां पर सारी फसल को चौपट कर देते हैं और किसानों की खेती बर्बाद कर देते हैं और रात को ही अपने पड़ाव डेरे निकाल कर चले जाते हैं। क्या मंत्री महोदय, इस पर पाबन्दी लगायेंगे? क्योंकि उस इलाके में चारे की बहुत कमी है उस कारण जब भेड़ें चारा नष्ट कर देती है तो वहां के जो पशु हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको चारा लेने को बाहर जाना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय इस पर पाबन्दी लगायेंगे?

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : क्या मंत्री महोदय भेड़ चराने भी जायेंगे?

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई पाबन्दी लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह भेड़ें तो चलती-फिरती रहती हैं। एक जगह कहीं भी जमावड़ा नहीं डालती हैं और आरक्षित वन में तो इनको घुसने भी नहीं दिया जाता है। अब यह भेड़ें अलग-अलग जिलों के लिये अलग-अलग बांटी हुई हैं। इतनी भेड़ें उस जिले में जायेंगी, इतनी भेड़ें उस जिले में जायेंगी। कोटा जिले का कुछ कोटा निर्धारित कर रखा है। इसलिये इन पर पाबन्दी लगाने का सवाल पैदा नहीं होता। यह प्रक्रिया 50 वर्षों से चलती आ रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भरोसीलाल... (व्यवधान)····मैं दक्षिण-पश्चिम राजस्थान का झगड़ा कराना नहीं चाहता।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों और भेड़ पालकों के बीच में झगड़ा होता है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बाहर तब होगा। यहां तय नहीं होगा।

श्री बालचन्द्रजी आर्यवीर बिराजिये। प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट।

श्री बालचन्द आर्यवीर : भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं। यह सारे राजस्थान की समस्या है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठिये आप।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, भेड़ पालकों और किसानों

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

के बीच में कई बार झगड़े हुए हैं और किसान मृत्यु के शिकार हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्यवीर प्लीज सिट डाउन।

हिन्डौन तहसील के सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में रिक्त पद

307. **श्री भरोसीलाल** (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिन्डौन तहसील में कितने सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं ?

(2) उक्त विद्यालयों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में कितने अध्यापक, व्याख्याता एवं प्राचार्य के पद रिक्त हैं ?

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो ये पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) हिण्डौन तहसील में तीन सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं।

(2) उक्त विद्यालयों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विद्यालयवार स्वीकृत पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त विद्यालयों में 10 व्याख्याताओं, एक द्वितीय श्रेणी तथा एक तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद रिक्त हैं। प्राचार्य का पद रिक्त नहीं है। रिक्त पदों का विवरण उक्त सूची में भी अंकित कर दिया गया है।

(4) रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री भरोसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि जो 10 पद रिक्त बताये हैं यह कितने समय से खाली है। दूसरा, ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थी जिससे यह पद खाली रखे गये जो आज तक नहीं भरे गये हैं। तीसरा, जिन अधिकारियों ने यह पद नहीं भरे हैं उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपरोक्त पद पिछले करीब तीन साल से खाली चल रहे है जहां तक प्रश्न है कि किन अधिकारियों ने यह पद नहीं भरे, इसके बारे में निवेदन है कि अधिकारी बदलते रहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि किस अधिकारी ने नहीं भरे हैं। दूसरा, जो आपने प्रश्न किया है, इन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

श्री भरोसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उत्तर दिया है कि यह पद शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जा रही है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि

Page No. 22

(22)

(श्री भरोसीलाल)

यह पद किस तारीख तक भर दिये जायेंगे ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह तो अभी 27 तारीख के मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में भी पढ़ा है, मैंने भी प्रश्न में तीन बार प्रश्नों के उत्तर में यह कहा है कि 30 तारीख तक हम इन पदों को भर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मदन दिलावर । हो गया। डेड बता दी 30 अगस्त तक भर देंगे ।

श्री भरोसी लाल : जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है इतने दिन तक पद नहीं भरे हैं उस विषय में क्या कार्यवाही करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है श्री कल्लाजी बता देंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

अटरू क्षेत्र में अनुसूचित जाति विकास निगम की योजनायें

308. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र अटरू में राजस्थान राज्य सहकारी अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के अधीन कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां तो किस-किस ग्राम पंचायत में क्या-क्या योजनाएं स्वीकृत हैं ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति बहुल उक्त क्षेत्र के निवासियों के हित में, एनीकट, ट्यूबवैल व लिफ्ट सिंचाई योजना में उक्त निगम के अधीन स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : (1) जी हां ।

(2) इस छात्रावास में 33 छात्रों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जाता है ।

(3) जी नहीं ।

(4) छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के प्रस्तावित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही संख्या में वृद्धि करने पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप क्या पढ़ रहे हैं ? प्रश्न संख्या 308 इसमें खण्ड दो ही हैं ।

श्री डूंगरराम पंवार : मंत्रीजी पढ़ रहे हैं खण्ड (3) खण्ड 4····(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय मंत्रीजी को जिन्होंने उनके मूल-प्रश्नों के अलावा गलत जवाब दिये हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूँगा । सवाल आज की तारीख में कई हैं :—

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

निगम के अधीन योजनाएं स्वीकृत हैं, किन्तु निगम की योजनाओं का लक्ष्य विधान सभा क्षेत्र और पंचायतवार निर्धारित नहीं किया जाता। निगम की योजनाओं के लक्ष्य जिलेवार आबंटित किये जाते हैं। जिन्हें जिला ग्रामीण विकास अधिकरण पचायत समिति एवं नगरपालिकाओं में विभाजित करता है। जिला कोटा के ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1990-91 निगम की निम्नांकित योजनाएं चालू हैं—

1. सामूहिक पम्प सैट
2. ब्लास्टिंग । बोरिंग
3. दुकान योजना (ग्रामीण)
4. शिल्पकला
5. हाथकर्घा एवं स्वचलित कर्घे
6. उन्नत कृषि यन्त्र
7. सामूहिक जलोत्थान सिचाई योजना जलधारा।
8. जलधारा
9. प्रशिक्षण कम उत्पादन केन्द्र
10. समग्र एवं समूह आधार पर सम्पूर्ण विकास परियोजना।

(2) विधान सभा क्षेत्र अटरू में अटरू, सांगोद और बारां पंचायत समिति सम्मिलित हैं। इनमें सिचाई से सम्बन्धित सामूहिक पम्प सैट योजना, कुओं का बोरिंग एवं ब्लास्टिंग जलधारा तथा सामूहिक जलोत्थान योजना लागू है। एनीकट और ट्यूब वैल की कोई योजना नहीं है। सिचाई से सम्बन्धित योजनाओं के वर्ष 1990-91 के उपरोक्त तीन पंचायत समितियों के लक्ष्य निम्नानुसार हैं—

योजना का नाम	पंचायत समिति नाम		
	अटरू	सांगोद	बारां
सामूहिक पम्प सैट	5	5	5
ब्लास्टिंग एवं बोरिंग	40	40	40
सामूहिक जलोत्थान	5	5	5
जलधारा	7	—	7

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति निगम की इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिलता है। मंत्रीजी, यह बताने का कष्ट करें कि अटरू पंजायत समिति में कितने-कितने लक्ष्य किस-किस मद में अनुसूचित जाति निगम के तहत स्वीकृत हुए हैं ?

Page No. 24

(24)

(श्री मदन दिलावर)

दूसरा मेरा प्रश्न है मैंने जो एनीकट रूरल लिफ्ट सिंचाई की योजना के बारे में पूछा है, यह महत्वपूर्ण योजना है। यह किसानों का आधार है। इसलिए इसे योजना में क्यों नहीं शामिल किया गया ? इसके क्या कारण रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि सामूहिक पम्प सेट अटरू में 5, ब्लास्टिंग और बौरिंग के 40, सामूहिक जलोत्थान 5 और जलधारा 7।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पांचना बांध से टोडा भीम क्षेत्र की सिंचाई

304. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कहां-कहां पर कौन-कौन सी योजनाएं क्रियाशील हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पांचना बांध से टोडाभीम क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को पानी दिया जा रहा है ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पांचना बांध से लिफ्ट द्वारा नादौती तहसील के ग्रामों को पानी देने के लिए योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में तहसील टोडाभीम में 8 व तहसील नांदौती में 13 बांध बने हुए हैं। वर्ष 1990-91 में केवल अकाल राहत के अन्तर्गत नांदौती तहसील के तीन बांधों-फतेहसागर, रौंसी और गुमानसागर पर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कार्य कराया गया। उपरोक्त 21 बांधों की सूची संलग्न है।

(2) पांचना बांध से टोडाभीम क्षेत्र में अभी पानी नहीं दिया जा रहा है। बांध के स्पिल वे के पूर्ण होने व पूर्ण भराव होने पर टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के 14 ग्रामों में सिंचाई करना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। बांध की भराव क्षमता के अनुरूप प्रवाह द्वारा सिंचाई हेतु भूमि उपलब्ध है। अतः लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नवेली सिंचाई परियोजना

460. **हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 25

(श्री हेमराज मीणा)

(1) कोटा जिले की शाहबाद तहसील क्षेत्र में नवेली सिंचाई परियोजना कब स्वीकृत हुई तथा इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ?

(2) उक्त सिंचाई योजना की प्रस्तावित लागत कितनी थी और यह कार्य कितने समय में पूरा किया जाना था ?

(3) अब तक इस परियोजना में कितनी राशि व्यय की गयी है और क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ?

(4) यह परियोजना कब तक पूरी हो जावेगी और इसमें कुल कितनी निर्माण लागत आवेगी ?

(5) इस परियोजना से कुल कितनी भूमि सिंचित होगी तथा कितने कृषक लाभान्वित होंगे ?

उत्तर

(1) नवेली सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति 18.12.84 को जारी हुई एवं कार्य फरवरी, 85 में प्रारम्भ किया गया।

(2) इस कार्य की अनुमानित लागत 49.04 लाख रुपये थी। इस कार्य को एन. आर. ई. पी. में लिया गया था व पूर्ण करवाये जाने हेतु समय निर्धारित करना सम्भव नहीं था।

(3) मार्च 1989 तक 17.90 लाख रुपये का खर्चा हुआ है जिसमें ट्रेन्च की खुदाई एवं भराई, वाई वाश कटिंग का कार्य और मिट्टी के बांध का कार्य कुछ कराया गया है।

(4) योजना का संशोधित तकमीना बनाने का कार्य प्रगति पर है उसके बन जाने पर संशोधित लागत का पता चलेगा। धनराशि की उपलब्धि पर कार्य का पूरा होना निर्भर करेगा।

(5) इस परियोजना से लगभग 522 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है। गांव बलहारपुर, गैसवां, डिगावनी, रताई-कलां और बिरौली के कृषक लाभान्वित होंगे।

डीग विधान सभा क्षेत्र के राजस्व प्रकरण

461. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व अभियान के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीग में कुल कितने प्रकरण निपटाये गये एवं उनका आधार क्या था ?

(2) उक्त अभियान के तहत कुल कितने केस बकाया थे एवं शेष बकाया केस निपटाने में क्या कठिनाई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व अभियान तो इस अवधि में नहीं चला किन्तु विधान सभा क्षेत्र डीग में राजस्व कार्य पूरा करने का कार्यक्रम राजस्व अधिकारियों ने अवश्य किया

(राजस्व मंत्री)

जिसके (दिनांक 15-5-90 से 19-6-90 तक) अन्तर्गत निम्न प्रकरणों का निपटारा किया गया :

1. नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये 1295
2. आबादी विस्तार के निपटाये गये 211
3. खातेदारी अधिकार दिये गये 5
4. पास बुक वितरण की गई 2266
5. पेन्शन के प्रकरण के कुल मामले निपटाये 91
   (अ) विकलांग 2
   (ब) वृद्धावस्था 62
   (स) विधवा 27
6. ऋण हेतु पत्रावलियां तैयार की गई 617
7. विभाजन स्वीकृत किया गया 5
8. लगान कमी के निपटाये मामले 15
9. अभिलेख निपटाये गये प्रकरण 11
10. राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले 38

इस दौरान मौके पर शिविर में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मौके पर प्राप्त सूचना एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रकरण निपटाये गये है।

(2) उक्त कार्यक्रम प्रारम्भ करते वक्त उत्तर संख्या 1 के अनुसार निपटाये गये प्रकरण शेष थे तथा अभियान के उपरान्त 24 नामान्तरकरणों के प्रकरण उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश होने के कारण शेष है।

विधान सभा सिवाना क्षेत्र में बांध निर्माण

462. श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना) एवं **श्री मनोहरसिंह इन्दा** (शेरगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में देवन्दी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत, मवडी गांव में बांध निर्माण की योजना कब स्वीकृत की गई, और इस योजना पर अब कब कितने रुपये व्यय हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध का निर्माण कार्य विगत चार वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के पीपलून ग्राम में बाँध बनाने के लिए राज्य सरकार ने तेरह लाख रुपये स्वीकृत किये थे ? यदि हां, तो उक्त बांध का कितना कार्य हो चुका है ? क्या सरकार उक्त बांध को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1 व 2) अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है यह बाद में प्रेषित कर दी जावेगी।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी हां, पीलून बांध के बनाने के लिए राज्य सरकार ने 186·5 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की थी। उक्त बांध के आर. डी. 520 से 790 तक मिट्टी के कार्य के अलावा अन्य कार्य पूर्ण करा दिया गया है। कार्य पर परगना अधिकारी बालोतरा द्वारा लगाये गये स्थगन आदेश कारण वर्तमान में बन्द पड़ा है। आदेश को हटाने हेतु कार्यवाही जारी है तथा स्थगन आदेश के हटाने के बाद कार्य का पूर्ण कराना संभव होगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 463

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 464

(स्थगित)

गंगानगर जिले में विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

465. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त है व कितने समय से ?

(2) रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) उपरोक्त रिक्त पदों के कारण कितने छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान पड़ रहा है ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिकशालाओं में 257 पद 88-89 से रिक्त हैं। सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 42 पद रिक्त हैं। पद कब से रिक्त है। का विवरण संलग्न है।

(2) रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) रिक्त कालांशों में पढ़ाई की व्यवस्था की हुई है। अतः पढ़ाई में व्यवधान नहीं पड़ रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 466

(स्थगित)

हाड़ौती में राष्ट्रीय उद्यान

467. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हाड़ौती क्षेत्र में दरा एवं जवाहर सागर बांध के बीच स्थित वन भूमि पर राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या उपरोक्त उद्यान के लिए केन्द्रीय सरकार ने समुचित अर्थ व्यवस्था जुटाने की जिम्मेदारी ली है ?

(3) यदि हां, तो सरकार इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित कर रही है, एवं इसका नोटिफिकेशन जारी करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

Page No. 28

उत्तर

(1) जी हां। दरा एवं जवाहर सागर अभयारण्य को मिला कर राष्ट्रीय उद्यान बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की सूचना एकत्रित कराई जा रही है। इसके पश्चात ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा।

वन विभाग सपोटरा द्वारा करवाये गये कार्य

468. **श्री प्रभूदयाल पटेल** (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सपोटरा क्षेत्र में वर्ष 1988-89 में वन विभाग ने किस-किस जगह पर कितना-कितना कार्य कितनी लागत से करवाये और अब उनकी क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितनी नर्सरी बनाई गई हैं, और उनमें कितना खर्च किया गया है ?

(3) वन विभाग सपोटरा ने वर्ष 1988-89 से आज तक कितनी लकड़ी चोरी के केस पकड़े हैं, और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सपोटरा रेन्ज में वर्ष 1988-89 में वन विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का स्थलवार विवरण मय वर्तमान स्थिति सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सपोटरा रेन्ज में वर्ष 1988-89 में कोई नई विभागीय नर्सरी नहीं बनाई गई है परन्तु चार कृषकों को विकेन्द्रित पौधशालाओं में एक लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिस पर रुपये 28,273/– व्यय हुआ है।

(3) वर्ष 1988-89 व 1989-90 में रेन्ज सपोटरा के अधीनस्थ क्षेत्र से अवैध लकड़ी कटान के 99 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें से 79 प्रकरणों का नियमानुसार सम्मन कर रुपये 10,271/– एवजाना वसूल किया गया। शेष प्रकरणों में कार्यवाही जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

खनिज रायल्टी

469 **श्री हजारी लाल** (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मेजर मिनरल्स पर रायल्टी की दर क्या है ? मिनरलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यह रायल्टी की दर आखिरी बार भारत सरकार द्वारा कब-कब व

Page No. 29

(श्री हजारी लाल)

कितनी-कितनी बढाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विगत वर्षों में रायल्टी की दरों में वृद्धि करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रधान खनिज की दरें सलग्न सूची के अनुसार है ।

(2) भारत सरकार द्वारा वर्तमान में लागू रायल्टी की दरें जो दिनांक 5.5.87 से लागू की हैं । इसके पूर्व की दरें भारत सरकार के नोटिफिकेशन क्रमश: दिनांक 31.3.75 व दिनांक 23.7.81 (प्रतियां संलग्न है) के अनुसार लागू थी ।

(3) नियमानुसार रायल्टी की दरों में वृद्धि तीन वर्ष के बाद ही की जा सकती है । वर्तमान में लागू दरें दिनांक 5.5.87 से लागू हैं जिसको बदलने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन ने भारत सरकार को दि. 24.2.90 को भेजे हैं इसके पश्चात सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा वार्किंग ग्रुप के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया है । उच्चतम स्तर पर भी इस सम्बन्ध में प्रयास जारी हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लालसोट तहसील में राजस्व अभियान

470. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की लालसोट तहसील में मार्च 1985 से दिसम्बर 1989 तक सरकार द्वारा राजस्व अभियान चलाकर किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति को आवंटन या नियमन की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में जिन आवंटियों को भूमि आवंटन या नियमन की गई उसका नामान्तरकरण एवं तरमीम राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं किये जाने एवं आवंटित भूमि विवादग्रस्त होने के कारण आवंटियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो अब तक नामान्तरकरण एवं तरमीम नहीं करने का क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार आवंटन के बाद नामान्तरकरण एवं तरमीम नहीं करने के मामले को गंभीर मानती है ? यदि, हां, तो अब तक तरमीम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की लालसोट तहसील में मार्च 85 से दिसम्बर, 1989 तक की अवधि में आयोजित राजस्व अभियान के अन्तर्गत किये गये भूमि आवंटन/नियमन के सम्बन्ध में ग्रामवार व व्यक्तिवार सूची (परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(राजस्व मंत्री)

(2) 26 आवंटियों के पक्ष में नामांतरकरण नहीं खोले गये हैं क्योंकि 23 आवंटियों के सम्बन्ध में न्यायालयों का स्थगन आदेश है एवं 23 आवंटियों द्वारा स्वेच्छा से भूमि का कब्जा प्राप्त करने से इन्कार कर दिया है। 450 आवंटियों के सम्बन्ध मे तरमीम का कार्य हो चुका है। शेष में तरमीम करना बाकी है, जिसके लिये निर्देश दिये जा चुके हैं एवं कार्य किया जा रहा है।

(3) तरमीम का कार्य पटवारी/निरीक्षक द्वारा सम्पादित किया जाता है। जिन पटवारियों/भू अभिलेख निरीक्षकों ने तरमीम नहीं की है उन्हें तत्काल तरमीम करने के आदेश दे दिये गये हैं एवं तरमीम कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में जो विलम्ब हुआ है उसके बाबत कलक्टर से पूर्ण विवरण प्राप्त करके सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व अपीलेट अथोरिटी के कैम्प

471. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व अपीलेट ऑथोरिटी नं. 2 जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में नागौर जिला मुख्यालय पर राजस्व अपील सुनने हेतु रेवेन्यू बोर्ड द्वारा प्रत्येक माह में 7 दिन नियत हैं ?

(2) यदि उक्त कार्यक्रम निर्धारित है, तो वर्ष 1989 व 1990 में कब-कब राजस्व अपीलेट आथोरिटी द्वारा नागौर शहर में कैम्प लगाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कैम्प में पीठासीन अधिकारी नागौर नहीं आये, इस कारण नागौर क्षेत्र के लोगों को आने जाने में आर्थिक हानि के साथ काफी परेशानी हुई ?

(4) नागौर कैम्प के दौरान वर्ष 1989-90 में कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण हुआ एवं नागौर क्षेत्र से संबन्धित कुल कितने प्रकरणों का जोधपुर शहर में निस्तारण हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्व अपीलेट आथोरिटी जोधपुर (प्रथम) के अधिकार क्षेत्र में जिला नागौर आता है तथा इस न्यायालय का नागौर में कैम्प कोर्ट प्रत्येक माह में दस दिवस लगाने के राजस्व विभाग के आदेश है।

(2) राजस्व अपीलेट आथोरिटी जोधपुर (प्रथम) ने वर्ष 1989–90 में निम्न तिथियों में कैम्प नागौर में सुनवाई की :—

माह जून, 89 में	दि. 8 व 9 जून
माह जुलाई, 89 में	दि. 6 व 7 जुलाई
माह अगस्त, 89 में	दि. 10 व 11 अगस्त
माह सितम्बर, 89 में	दि. 7 व 8 सितम्बर
माह अक्टूबर, 89 में	दि. 6 व 7 अक्टूबर
माह दिसम्बर, 89 में	दि. 7 व 8 दिसम्बर
माह जनवरी, 90 में	दि. 11 व 12 जनवरी
माह मार्च, 90 में	दि. 8 व 9 मार्च

(राजस्व मंत्री)

वर्ष 1889-90 में कुल 16 दिवस कैम्प कोर्ट लगाया गया। माह अप्रैल व मई, 89 मे राजस्व अपील अधिकारी (द्वितीय) के न्यायालय से पत्रावलियां स्थानान्तरण होने के कारण कैम्प कोर्ट नहीं लगाया गया। दोनों पक्षों द्वारा चाहे जाने पर कैम्प कोर्ट स्थापित होने से पूर्व के वादों की सुनवाई मुख्यालय पर ही की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर (प्रथम) को दस दिन नागौर में कैम्प कोर्ट लगाने के निर्देश पुनः दिये गये हैं।

(3) प्रश्न सं. 2 में दिये गये उत्तर से स्पष्ट हैं कि पीठासीन अधिकारी नागौर कैम्प में प्रतिमाह जाते रहे हैं। माह नवम्बर, 89 में लोक सभा चुनाव के कारण तथा माह फरवरी, 90 में पीठासीन अधिकारी के उपार्जित अवकाश पर रहने के कारण नागौर में कैम्प कोर्ट नहीं हुआ।

(4) राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर (प्रथम) के द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान नागौर कैम्प में कुल 93 प्रकरणों का निस्तारण किया। इसी न्यायालय ने नागौर क्षेत्र से सम्बन्धित 381 प्रकरणों का निस्तारण जोधपुर मुख्यालय पर दोनों पक्षों के चाहे जाने पर किया।

निवाई में ए. सी. एम. कोर्ट

472. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक हैडक्वार्टर पर दो सहायक कलक्टर (ए. सी. एम.) कोर्ट हैं, जिसमें से एक के पास केवल निवाई तहसील का ही पूरा कार्य है ?

(2) यदि हां, तो उस ए.सी.एम. कोर्ट को निवाई में ही क्यों नहीं स्थानान्तरित किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां, टोंक मुख्यालय पर दो सहायक कलक्टर के न्यायालय है। सहायक जिलाधीश एवम् कार्यपालक दण्डनायक, टोंक (प्रथम) के पास तहसील निवाई के साथ-साथ अन्य तहसीलों के राजस्व वादों के निस्तारण का कार्य भी है।

(2) सहायक जिलाधीश एवम् कार्यपालक दण्डनायक, टोंक (प्रथम) के कार्यक्षेत्र में तहसील निवाई के अतिरिक्त और भी तहसीलों के राजस्व वादों की सुनवाई होती है, इस कारण इस न्यायालय का मुख्यालय टोंक से बदलकर निवाई करना उपयुक्त नहीं पाया गया।

अतारांकित प्रश्न संख्या 473
(स्थगित)

बारानी भूमि पर लगान माफी

474. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बारानी भूमि पर लगान माफ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(2) बारानी भूमिधारियों को लगान के एवज में क्या कोई और व्यवस्था का प्रस्ताव है ? यदि हां तो क्या ?

उत्तर

(1) पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने भू-राजस्व ग्राम पंचायतों का देने का निर्णय लिया था। इसलिए इस सारे मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(2) उत्तर प्रश्न संख्या 1 में दिया जा चुका है।

डीग में नर्सरी विकास

475. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीग तहसील के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में कितनी नर्सरी खोली गयी एवं वर्तमान में कुल कितनी नर्सरी कार्यरत है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र डीग के ग्रामीण इलाकों में वन विकास कार्यों हेतु सरकार के पास क्या योजना है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) मांडेरा रून्ध स्थित वन विभाग के जंगल से पास के गांवों की कृषि भूमि को जंगली जानवरों से बचाने हेतु अब तक सरकार ने क्या उपाय किये हैं तथा भविष्य में किसानों का कोई नुकसान न हो, इसके लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील डीग में गत पांच वर्षों में दो नई नर्सरियां खोली गई एवं वर्तमान में दो नर्सरियां ही कार्यरत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र डीग के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना, ग्रामीण ईंधन, वृक्षारोपण योजना, परिभाषित वनों का पुनरारोपण आदि योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) मॉडेरा रून्ध में अधिकांशत: वन गाय तथा कुछ नील गायें ही पायी जाती हैं। इन पशुओं द्वारा आस-पास की कृषि भूमि पर नुकसान की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी इस समस्या का अध्ययन करने एवं बचाव के लिए उचित सुझाव वन संरक्षक, भरतपुर से चाहे गये हैं।

टोडाभीम एवं सवाई माधोपुर में वृक्षारोपण

476. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1980-81 से 1989-90 तक किस श्रेणी के कुल कितने वृक्ष लगाये गये ? वर्ष वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो वृक्ष लगाये गये हैं उन के आधे वृक्ष

(श्री रामस्वरूप मीणा)

"यूकलिप्टस" के लगाये गये हैं ? यदि हां तो क्या इस से पर्यावरण व जलस्तर नीचा जाने की समस्या हो गई है ?

(3) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से अब तक कुल कितने वृक्ष किस श्रेणी के किस योजना के नाम से लगाये गये उनमें से कितने जीवित अवस्था में हैं ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में नव सृजित वन मण्डल द्वारा वर्ष 1983-84 से वर्ष 1989-90 तक लगाये गये पौधों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1985 से 1989 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना, कन्दरा सुधार योजना (मैन्युअल) के अन्तर्गत कांटेदार प्रजाति के 316300 पौधे लगाये गये जिनमें से 190340 पौधे जिन्दा हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां

477. **श्री भेरूलाल** (शाहपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितनी कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियां हैं ?

(2) क्या प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां तो सहकारी समितियों के प्रस्तावित चुनाव के पूर्व क्या प्रत्येक पंचायत में समिति खोल दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या 5324 है जिसमें 5262 पेक्स हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रकरण विचाराधीन है ।

नागौर जिले में अध्यापकों के रिक्त पद

478. **श्री मोहन लाल** (परबतसर) एवं **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में राजकीय माध्यमिक स्कूलों व सीनीयर हायर सैकेन्ड्री विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? सूची विद्यालय वार सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No. 34

(34)

(श्री मोहन लाल)

(3) क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गच्छीपुरा व राबडियाद में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है ? यदि हाँ, तो कब से ? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर के माध्यमिक विद्यालयों एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण विद्यालय वार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(3) राजकीय माध्यमिक विद्यालय राबडियाद में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त नहीं है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गच्छीपुरा के प्रधानाध्यापक का पद दिनांक 28-10-89 से रिक्त है। प्रधानाध्यापक के रिक्त पद की पूर्ति शीघ्र ही कर दी जायगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. में पदोन्नतियां

479. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड में किस-किस श्रेणी के कुल कितने पद हैं ? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बैंक में प्रत्येक श्रेणी के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्ति पदस्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पद पर पद स्थापित व्यक्तियों को पदोन्नति के रोस्टर नियमों के तहत उचित पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. में श्रेणीवार पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं। (परिशिष्ट-1)

(2) बैंक में प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के पदस्थापित व्यक्तियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं। (परिशिष्ट–1)

(3) जी हां। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की रोस्टर नियमों के तहत पदोन्नतियां नहीं की जा सकी जिसके निम्नांकित कारण रहे हैं :—

1. पदोन्नतियां सेवा नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठता के आधार पर की गई। सेवा नियमों के अनुसार "इलीजीबिलिटी जोन" में कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति नहीं आने के कारण उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सका।

2. प्रबन्धक वर्ग में अभी तक किसी प्रकार की कोई पदोन्नति नहीं की गई है।

(सहकारिता मंत्री)

वर्तमान में नवनियुक्तियों व पदोन्नतियों पर राज्य सरकार के स्तर से लगाई गई रोक हटने पर ही सेवा नियमों के अन्तर्गत रोस्टर के आधार पर पदोन्नतियों बावत निर्णय लिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

नवगजा पीर दरगाह, बीकानेर की दुकानें

480. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवगजा पीर दरगाह, बीकानेर की जमीन पर कुल कितनी दुकानें बनी हुई हैं ? इन दुकानों का मालिक वक्फ बोर्ड है अथवा अन्य कोई कमेटी ? इन दुकानों का किराया कौन वसूल कर रहा है एवं कहां जमा होता है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुकानों का किराया बाजार दर से बहुत कम वसूल किया जा रहा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दरगाह नवगजा पीर बीकानेर की जमीन पर 8 दुकानात बनी हुई है। यह दुकानें वक्फ है और राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस में निहित है। इन दुकानों का किराया स्थानीय मुसलमानों की एक कमेटी जमा करती है। यह किराया बैंक में जमा होता है। परन्तु पिछले चार साल से किरायेदारान किराया अदालत में जमा करा रहे हैं। क्योंकि किराये की दर कम होने के कारण कमेटी ने किराया लेना बन्द कर दिया है।

(2) जी हां। वक्फ बोर्ड को निर्देश दिये जा रहे हैं कि जहां किराया बहुत कम वसूल किया जा रहा है वहां इसे संशोधित किया जावे अथवा सम्पत्ति से कानूनन बेदखली की कार्यवाही की जावे।

सीमेट्री हेतु आवंटित भूमि

481. **श्री प्रभूराम** (पिंडवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही नगर में ईसाईयों की सीमेट्री हेतु 5 बीघा भूमि जिला कलेक्टर, सरोही ने दि. 17-2-1988 को आवंटित की है ? यदि हां, तो इसके लिये किसके द्वारा किस तिथि को आवेदन किया गया था और सिरोही में ईसाइयों की आबादी कितनी है ?

(2) क्या उनको इस हेतु अधिकार प्राप्त है ?

उत्तर

(1) जी हां। सिरोही नगर में ईसाईयों को सीमेट्री हेतु 5 बीघा भूमि जिला कलेक्टर, सिरोही, द्वारा जरिए आदेश दिनांक 17-2-88 आरक्षित की गई है इसके लिये फरवरी, 1988 में पेस्टर बीक्यू

(राजस्व मंत्री)

मारकोक्स, क्रिश्चियन एसेम्बली सिरोही व फादर एन्थोनी वेटिकिट मार्फत निर्मला सेवाश्रम, अन्खोल पो. झाड, जालौर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे। सिरोही में इसाईयों के करीब 300 परिवार है।

(2) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर आरक्षित करने हेतु सक्षम है।

नीम का थाना खनिज लीज

482. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीम का थाना क्षेत्र में श्री नन्द लाल अग्रवाल के नाम प्रधान खनिज की कहां-कहां पर जितनी लीजें चालू हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की डोलोमाइट खनिज को स्टील प्लांट में नहीं बेचकर मुर्गीदाना के लिए बिक्री की जाती है ? यदि हां, तो इससे बिक्री पर रायल्टी का कितना नुकसान होता है तथा रायल्टी का अपवंचन रोकने के क्या उपाय किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) नीम का थाना क्षेत्र में श्री नन्द लाल अग्रवाल के नाम प्रधान खनिज की चार लीज निम्न प्रकार चालू हैं :—

1. खननपट्टा वास्ते खनिज डोलोमाइट क्षेत्र 32.37 हैक्टेयर निकट ग्राम माचन्डा तहसील नीम का थाना (सीकर) में अवधि 9-11-75 से 8-11-95 तक।

2. खनिज वास्ते खनिज आयरन ओर क्षेत्र 40 हैक्टेयर निकट ग्राम बेतरदा तहसील खेतड़ी (झुंझुनू) में अवधि 11-4-74 से 10-4-94 तक।

3. खननपट्टा वास्ते खनिज आयरन ओर क्षेत्र 107.91 हैक्टेयर निकट ग्राम तोन्दा तहसील खेतड़ी (झुंझुनू) में अवधि 19-12-71 से 18-12-2001 तक।

4. खननपट्टा डोलोमाइट क्षेत्र 32.37 हैक्टेयर निकट ग्राम काली पहाडी तहसील खेतडी (झुंझुनू) 29-9-65 28-9-85 तक स्वीकृत था तथा नवीनीकरण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा चुका है परन्तु कब्जा भारत सरकार के आदेशानुसार पट्टेधारी के पास ही है।

(2) पट्टेधारी से डोलोमाइट के उपयोग के सम्बन्ध में सूचना व प्रमाण पत्र चाहे गये हैं, जिनके प्राप्त होने पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि खनिज का उपयोग मुर्गी दाने के रूप में हुआ है अथवा नहीं। वर्तमान में वर्तमान में पट्टेधारी मिनरल्स कन्शेशन रूल्स, 1960 में डोलोमाइट के लिए निर्धारित दर पर रायल्टी का भुगतान कर रहा है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर रायल्टी का निर्धारण

(खनिज मंत्री)

(असेसमेन्ट) किया जाएगा अतः इस परिस्थिति में रायल्टी के अपवंचन की बात अभी नहीं उठती।

बीसलपुर योजना से प्रभावित कृषकों का पुनर्वास

483. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) **एवं श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीसलपुर बांध के निर्माण से डूब में आने वाले कृषकों के पुनर्वास की राज्य सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या उन्हें वैकल्पिक कृषि भूमि आवंटित कर दी गई है अथवा की जा रही हैं?

(2) यदि नहीं, तो क्यों? क्या इससे उन कृषकों की अत्यधिक कष्टदायक स्थिति बन गई है?

(3) अब सरकार कब तक प्रभावित व्यक्तियों को एवज में कृषि भमि आवंटित कर देगी?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध के निर्माण से डूब में आने वाले कृषकों को पुनर्वास की राज्य सरकार की योजना है, इस सम्बन्ध में अधिकारी स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मानदण्ड निर्धारित कर दिये है जिसकी मंत्रीमंडल की स्वीकृति के लिये कार्यवाही की जा रही है।

इन मानदण्डों के अनुसार कृषक विस्थापियों को टोंक, सवाई माधोपुर बूंदी, अजमेर जिलों के अलावा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र में भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अब तक 99 कृषकों को 567 बीघा भूमि आवंटन की जा चुकी है, इसमें से 193 बीघा 3 बिस्वा जमीन 46 विस्थापितों को टोडारायसिंह में आवंटित की गई थी उसमें से 42 विस्थापितों में जमीन का कब्जा ले लिया है। बाकि के 4 विस्थापितों ने पहले टोडारायसिंह तहसील में भूमि आवंटित करने की सहमति दी थी, परन्तु अब वे देवली तहसील में भूमि का आवंटन चाहते है, इस कारण उन्होंने आवंटित भूमि का कब्जा नहीं लिया है।

53 विस्थापितों को 364 बीघा 9 बिस्वा जमीन देवली तहसील में आवंटित की गई थी, परन्तु चरागाह भूमि को सवाई चक में परिवर्तन करने व इसके आवंटन पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया, इस कारण इन विस्थापितों को भूमि पर कब्जा नहीं दिया जा सका है। स्थगन आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार के राजस्थान टेनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 में संशोधन दिनांक 30-6-90 को कर दिये है जिससे अब चरागाह भूमि को सवाई चक भूमि में परिवर्तित करने में कानूनी रूकावट को दूर किया जा सकेगा।

(सिंचाई मंत्री)

जिलाधीश टोंक ने संशोधित नियमो के अन्तर्गत चरागाह भूमि को सवाई चक में परिवर्तित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिये है, जिन पर कार्यवाही की जा रही है। चरागाह भूमि को सवाई चक में परिवर्तित होने पर विस्थापियों को भूमि का कब्जा व आगे भूमि आवंटित करना संभव हो सकेगा।

(2) परियोजना के निर्माण में से डूब में आने वाले कृषकों को कृषि भूमि आवंटन करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) प्रभावित कृषकों को डूब में आने से पहले उनको कृषि भूमि आवंटन करने-तथा विस्थापियों को बसाने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेगें। बीसलपुर बांध में 1991 की वर्षा ऋतु में पानी संग्रहित करने का कार्यक्रम है, अतएव प्रभावित विस्थापितों को जून, 1991 से पहले कृषि भूमि आवंटित कर व अन्य सुविधायें प्रदान कर अन्यत्र बसाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

सीकर जिले में वृक्षारोपण

484. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन विभाग ने सीकर जिले में पिछले पांच वर्षों में वृक्षारोपण पर कितना व्यय किया ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सीकर जिले में वृक्षारोपण हेतु अन्य जिलों के मुकाबले कम बजट स्वीकृत किया है, जिस कारण जिला पिछड़ गया है ?

(3) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा कागजों पर आंकडे लिखने व वस्तु-स्थिति में काफी अन्तर पाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वृक्षारोपण पद्धति को बदलने का विचार रखती हैं, यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सीकर जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतिकरण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक कुए वाले किसान को अपने आस-पास की भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए अधिकृत करके उचित मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा सीकर जिले में पिछले 5 वर्षों में वृक्षारोपण पर किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। प्रत्येक जिले में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बजट आवंटित किया जाता है।

(3) जी नहीं। कार्य का समय समय पर मूल्यांकन कराया जाकर पद्धति में आवश्यक सुधार किये जाते हैं।

(4) जी हां। परन्तु प्रत्येक कुए वाले किसान को अपने आस-पास की भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिये स्वतन्त्र हैं।

(वन मंत्री)

विभाग द्वारा किसी प्रकार के मुआवजे अनुदान के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राजगढ़ अलवर क्षेत्र के बांध

485. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ (अलवर) क्षेत्र में सिंचाई बांधों की संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि बांधों का तो निर्माण हो गया परन्तु नहरों के अभाव में इनका उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार, नहरों का निर्माण कब-तक कराने का विचार रखती है। यदि नहीं, तो क्यों ? ऐसे बांधों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजगढ़ (अलवर) क्षेत्र में सिंचाई बांधों की कुल संख्या 25 है जिसकी सूची तालिका "अ" में संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। क्योंकि कुल बांधों में से 20 बांध पेटा काश्त के हैं तथा शेष 5 बांधों में नहर बनी हुई है जिसमें सिंचाई का कार्य किया जाता है। ये बांध उपरोक्त सूची में दिखाये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

छबड़ा क्षेत्र में वन विकास की योजनाएं

486. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा छीपाबड़ौद क्षेत्र में वन विभाग ने प्रति वर्ष विगत 5 वर्षों में कितने पेड़-पौधे लगाये ? और वर्ष वार कितना-कितना व्यय हुआ ? उनमें से कितने पेड़ जीवित है, और उन पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय हुई है ?

(2) अब छबड़ा क्षेत्र में वन विकास के लिए क्या-क्या योजनाएँ लागू की जावेगी और कौन-कौन से कार्य इस वर्ष करने हैं ?

उत्तर

(1) छबड़ा, छीपाबडोद क्षेत्र में वन विभाग द्वारा गत 5 वर्षों में प्रति वर्ष लगाये गये पेड़-पौधों की संख्या जीवित पौधों की संख्या एवं व्यय राशि का विवरण सदन के पटल पर रख परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) इस वर्ष इस क्षेत्र में 150 हैक्टर क्षेत्र में 95000 पौधे लगाये जा रहे हैं तथा 310 हैक्टर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जिला बून्दी की माछली नदी का बांध सर्वे

487. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बून्दी की तहसील नैनवां में स्थित सहणा गांव के पास माछली नदी पर बांध बनाये जाने हेतु सर्वे करवाया गया था ?

(2) यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या अब बांध हेतु सर्वे कराये जाने का विचार है ?

(3) उक्त बांध के बनने से कितनी कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाने का कार्यक्रम है ? अब तक उक्त बांध के प्रारम्भ नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1988 में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है योजना के प्राकलन का प्रारूप तैयार किया गया है जो अभी जांच एवं अध्ययन में हैं।

(3) इस योजना से लगभग 796 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हैं। आकंलन की जांच व अध्ययन के बाद उपयोगी पाये जाने पर स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। स्वीकृति के बाद वांच्छित धन राशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

पाली जिले के चिरपटिया बांध का निर्माण कार्य

488. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली जिले का चिरपटिया बांध 1982 में बनकर तैयार हुआ, जो दो माह बाद ही पहली बरसात से भर जाने पर टूट गया ? क्या इस बांध में अनेक तकनीकी खामियां रही व बांध निर्माण में ओटे एवं मोहरी के अलावा सीमेन्ट का उपयोग ही नहीं किया ? क्या इस बांध के टूटने से एक हजार एकड़ भूमि खराब हो गई ?

(2) क्या बांध टूटने की जांच के लिये तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने दिनांक 31-1-1983 को विधान सभा में लिखित उत्तर में जांच कमेटी नियुक्त करने की जानकारी दी थी ? क्या उक्त जांच रिपोर्ट 3 माह में प्रस्तुत करने का भी तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने आदेश दिया था ?

(3) क्या उक्त जांच पूरी हो चुकी है ? यदि नहीं तो क्यों ? सरकार अब जांच कब तक पूर्ण करा देगी तथा चिरपटिया बांध के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा ? यदि जांच पूरी हो चुकी है, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, बांध चिरपटिया माह मई 1982 में पूर्ण हुआ था। यह बांध दिनांक 17-8-82 व 18-8-82 की मध्य रात्रि को अत्यधिक वर्षा (205 मि. मी.) होने के कारण दिनांक 18-8-82 को टूट गया था। यह बांध डिजाइन अनुसार मिट्टी की भराई बनाया गया था। बांध टूटने से नीचे के कुछ क्षेत्र में पानी भर गया था।

(2) जी हां। बांध टूटने की जांच हेतु दिनांक 9-9-82 को एक कमेटी का गठन किया गया था जिसे अपनी रिपोर्ट दिनांक 17-11-82 तक देनी थी।

(3) जी हां, जांच पूर्ण हो चुकी हैं। बांध की पुन: मरम्मत हेतु कुछ विशिष्ठ परिक्षण निदेशक, रूपांकन एवं अनुसंधान के द्वारा आवश्यक बताते गये हैं इनको करने के पश्चात मरम्मत की रूपरेखा बनाने व आवश्यक तखमीना शीघ्र बनाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के अंश संलग्न हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 489

(स्थगित)

टोंक जिले की आरा मशीनों का रजिस्ट्रेशन

490. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने आरा मशीन के रजिस्ट्रेशन के नियम बना रखे हैं? यदि हां, तो टोंक जिले में कितने रजिस्ट्रेशन हुये हैं और अवैध रूप से कितने चालू हैं?

(2) क्या सरकार का अवैध आरा मशीनों के रजिस्ट्रेशन करने का विचार है?

(3) नियम बनाने के बाद 1-4-1990 तक कितनी राजस्व की हानि हुई है और अवैध आरा मशीनों के रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। टोंक जिले में 13 आरा मशीनें विना पंजीकृत हैं तथा 93 आरा मशीनें विना पंजीकरण के चल रही हैं।

(2) जी नहीं।

(3) न्यायालय द्वारा राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना) नियम, 1983 के अन्तर्गत पैनल कार्यवाही पर स्थगन लगा दिये जाने के कारण अवैध रूप से कार्यरत आरा मशीनों का पंजीकरण नहीं हो सका है। इससे राजस्व की कोई विशेष हानि नहीं हुई है। अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

Page No. 42

(42)

भीलवाड़ा जिले के बांध व तालाब

491. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में किन-किन बांधों व तालाबों से कृषि भूमि की सिंचाई होती है ? क्या उक्त तालाबों व बांधों के आधार पर सिंचित क्षेत्र घोषित किया गया है ?

(2) उक्त तालाबों व बांधों का सिंचित क्षेत्र 1980 से लेकर मार्च, 1990 तक कब-कब कितना-कितना बढ़ाया गया व घटाया गया ? पानी की क्षमता के अनुसार क्षेत्र घटाने व बढ़ाने के पीछे क्या कारण रहे ?

(3) क्या सरकारी नीति के अनुसार पानी की क्षमता के आधार पर ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है ? ऐसी स्थिति में क्या पानी की क्षमता आवक की दृष्टि से बढ़ाना नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो किन कारणों से तथा किन नियमों के तहत सिंचित क्षेत्र बढ़ाया गया ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग के अधीनस्थ 400 तालाबों एवं बांधों से कृषि भूमि सिंचित होती है उसको सूची संख्या–1 संलग्न हैं। कमाण्ड क्षेत्र नियमानुसार केवल उन बांधों का घोषित किया जाता है जो 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करते हो। इस प्रकार के कुल 14 बांध हैं। सूची संख्या–2 संलग्न हैं।

(2) वर्ष 1980 से 1990 के मध्य केवल मेजाफीडर परियोजना को छोड़कर किसी भी अन्य परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र घटाया या बढ़ाया नहीं गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना पत्र क्रमांक 19(67)राज/ख/85 दिनांक 21.1.85 द्वारा मेजा बांध कमाण्ड क्षेत्र में संशोधन किया जाकर पूर्व में घोषित 36 गांवों के अतिरिक्त 24 गांवों को और सम्मिलित किया गया। वर्तमान में कमाण्ड घोषित गांवों में कुछ खसरे ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं पहुंचता है उसके डिकमाण्ड किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

(3) यह सही है कि बांध में पानी के भराव की क्षमता के आधार पर ही सिंचित क्षेत्र का अनुमान किया जाता है। उपयोगी भराव क्षमता से वितरण प्रणाली में हो रही हानि को आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कम किये जाने पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होती है एवं उसके अनुसार आवश्यक होने पर कमाण्ड क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामगढ़ मोड़ (जयपुर) स्थित ध्रुव बाल निकेतन

492. श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ध्रुव बाल निकेतन विद्यालय, महावीर कालोनी, पुराना रामगढ़ मोड़ की निदेशक, संस्कृत

Page No. 43

(43)

(श्री टीकमचन्द कान्त)

शिक्षा, जयपुर द्वारा मान्यता दी गई है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(2) उक्त विद्यालय कितने क्षेत्रफल में एवं कितने छात्रों की संख्या के आधार पर चलाया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में ध्वनि प्रसारक यंत्रों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो उक्त यंत्र कितने कमरों में लगे हुए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि विद्यालय के ध्वनि प्रसारक यंत्रों से अध्ययन कराने एवं प्रार्थना कराने से आस-पास के क्षेत्रों में शोर होता है जिसको समय-समय पर प्रशासन को विभिन्न माध्यमों से शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो इन्हें बन्द कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त स्कूल को राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नि द्वारा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मान्यता देने से पूर्व इसकी जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या उक्त विद्यालय को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जांच कर विद्यालय भवन दुरुस्ती का प्रमाण-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो यह विद्यालय उक्त भवन में किस प्रकार चल रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां । ध्रुव बाल निकेतन विद्यालय, जयपुर को राजस्थान शिक्षण संस्थायें अनुदान नियम, 1963 में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है ।

(2) उक्त विद्यालय 300 वर्गगज क्षेत्र फल में स्थित है एवं विद्यालय में गत सत्र 1989-90 में 930 छात्र अध्ययनरत थे ।

(3) विद्यालय में ध्वनि प्रसारक यंत्रों के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती है । केवल सामुहिक प्रार्थना के समय माइक का प्रयोग किया जाता है ।

(4) ध्वनि प्रसारक यंत्रों से अध्ययन कराने सम्बन्धी शिकायत की जांच कराने से पाया गया है कि संस्था के केवल प्रातःकालीन प्रार्थना के समय माइक का प्रयोग किया जाता है, तथा ध्वनि प्रसारक यंत्रों का अध्ययन में प्रयोग नहीं किया जाता है ।

(5) यह विद्यालय ध्रुव बाल निकेतन समिति, जयपुर द्वारा संचालित है, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान जयपुर से पंजीकृत है । समिति द्वारा संचालित विद्यालय को ही मान्यता दी गई है ।

(6) संस्था को वर्ष 1983-84 में मान्यता प्रदान की गई थी, किन्तु तत्समय सार्वजनिक निर्माण विभाग से भवन के

(शिक्षा मंत्री)

सुरक्षित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। अब संस्था को शीघ्र भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

सपोटरा तहसील की सिंचाई योजनायें

493. श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में सपोटरा तहसील में कौन-कौनसी सिंचाई योजनाएं विचाराधीन एवं निर्माणाधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अनुसार अधिकतर अकाल प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल बांधों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त तहसील में सरकार सिंचाई योजनाओं का निर्माण प्रारम्भ कराने तथा अधूरी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(3) सन् 1985 से 31 मई, 1990 तक कौन-कौनसे अकाल व अन्य मद से तालाब निर्माण करवाये गये और उनमें अब तक कितनी-कितनी राशि लग चुकी है ? वर्तमान में क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) सपोटरा तहसील में मरमदा, राहिरबीजंरा बौरून्दा मण्डावरा, खेड़ा और कुड़ावदा योजनायें निर्माणाधीन है। वर्तमान में केवल मरमदा योजना पर कार्य चालू है व शेष पर रुका हुआ है। खोह एवं कालीसिल बांध का आधुनिकीकरण योजनायें विचाराधीन हैं।

(2) जी हां। अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर हैं। विचाराधीन योजनाओं पर स्वीकृति के बाद अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(3) सूचना प्रपत्र अ पर उपलब्ध हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सरपंच सालपुर (अलवर) द्वारा नामान्तरकरण

494. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मण गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरपंच सालपुर (तहसील व जिला) अलवर व मोहनसिंह पटवारी व गोरधनसिंह कम्पाउन्टर वेटनरी तीनों भाइयों ने मिलकर नामांतरकरण नम्बर 62 ग्राम खानपुर जाट पंचायत सालपुर की एक हरिजन विधवा मोती, बेवा मगनू चमार एवं उसके लड़के जगन, यशपाल, विजय भूमि खसरा नं. 25 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 341

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि, मगतू के मरने के बाद दिनांक 6-10-88 को एक अन्य व्यक्ति कूडी पुत्र खैराती साकिन सालपुर जो सरपंच का हाली है, के नाम आधा हिस्सा दर्ज कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि सरपंच सालपुर रघुवीरसिंह ने यह कार्य स्वयं को बचाने के लिए उप सरपंच सालपुर से कराया जब कि मीटिंग में सरपंच रघुवीरसिंह व उसका भाई गोरधनसिंह मौजूद थे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की रिपोर्ट तहसीलदार, अलवर ने माह सितम्बर, 1989 में उप जिलाधीश, अलवर को की है, उस पर क्या कार्यवाही की गई।

(4) क्या यह सही है कि उप सरपंच को नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार कानूनन नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मंगतू के मरणोपरान्त पटवारी हल्का ने मंगतू की विरासत जरिये इन्तकाल नं. 62 वाके ग्राम खानपुर जाट तहसील सालपुर जाट तहसील अलवर का दिनांक 4-8-88 को श्रीमती मोती (मृतक की बेवा), यशपाल विजय (पुत्रान) व राजेन्द्र पुत्र जगना के नाम दर्ज किया है। उप सरपंच ने पहले उक्त वारिसान के नाम इन्तकाल स्वीकृत किया है, उसके उपरान्त उप सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा निम्न आदेश और अंकित किया गया है :—

"कालम नं. 9 ल. 13 में 1/2 कडी पुत्र खैराती का हिस्सा मुताबिक जांच दर्ज किया जावे।"

इस आदेश के नीचे केवल उप सरपंच ग्राम पंचायत, सालपुर ने अपने हस्ताक्षर किये हुए हैं। उप सरपंच द्वारा इस प्रकार दुबारा आदेश कर अनियमित कार्यवाही किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, अलवर के न्यायालय में तहसीलदार, अलवर द्वारा अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जो अभी विचाराधीन हैं।

(2) नामान्तरकरण के पृष्ठ पर तस्दीककर्ताओं ने श्री रघुवीरसिंह, गोरधन सिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं अपितु उप सरपंच हुकमचन्द एवं सदाराम, उदयराम, रहमान मंगतूराम, सर्जनसिंह, भीखाराम एवं बिहारी के हस्ताक्षर तथा श्रीमती भगवती व श्रीमती प्यारी का अंगूठा निशानी है। इस प्रकार मूल इन्तकाल के पृष्ठ भाग पर अंकित हस्ताक्षर के आधार पर श्री रघुवीर सिंह एवं गोरधन सिंह की उपस्थिति के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(3) जी हां। यह सही है कि तहसीलदार, अलवर ने उक्त इन्तकाल नं. 62 ग्राम खानपुर जाट तहसील अलवर के विरुद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपने प्रेषण पत्र क्रमांक 3162 दिनांक 6-10-89 द्वारा प्रेषित की है।

(राजस्व मंत्री)

जिसके आधार पर दिनांक 7-10-89 को अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर न्यायिक प्रक्रिया से विचाराधीन है। वर्तमान में प्रकरण प्रतिवादियों की तलबी हेतु लगा हुआ है जिसमें आगामी तारीख पेशी 9-8-90 नियत है।

(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के अन्तर्गत नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। सरपंच अथवा उप सरपंच को नहीं है।

लोकायुक्त द्वारा यांत्रिक अभियन्ता के विरुद्ध जांच

495. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नौखा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में यांत्रिक अभियन्ता श्री एस. पी. सक्सेना के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा जांच की गई? यदि हां, तो क्या जांच में गम्भीर आरोप 1989 मे सिद्ध हो चुके हैं? यदि हां, तो जांच की प्रतिलिपि मय टिप्पणी सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ गम्भीर आरोप होने के उपरान्त भी अधिकारी को गलत तरीके से पदोन्नति दी गई? यदि हां, तो किस आधार पर पदोन्नति दी गई? क्या पदोन्नित में कार्मिक विभाग की राय ली गई थी? यदि हां, तो उक्त विभाग की राय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ, जबसे ये सर्विस में लगे हैं तब से खरीददारी व अन्य कामों में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप रहे हैं, जिनकी जांच विभाग में लम्बित हैं? यदि हां, तो इनको गम्भीर आरोप होते हुए भी महत्वपूर्ण कार्यों से हटाने की क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री एस. पी. सक्सेना के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया जा चुका है। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) श्री एस. पी. सक्सेना की पदोन्नति विभागीय समिति की सिफारिश के आधार पर सिंचाई विभाग द्वारा 4-1-89 को ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही की जा चुकी थी। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) उक्त अधिकारी के विरुद्ध इस विभाग को पिछले वर्षों में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिस पर जांच की कार्यवाही जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 496

(स्थगित)

तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के सिंचाई स्रोत

497. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में एनीकट, तालाब एवं अन्य सिंचाई स्रोत क्या-क्या एवं कहां-कहां क्रियाशील हैं ? इनसे कितनी-कितनी भूमि सिंचित होती है ?

(2) लिफ्ट योजना कहां-कहां हैं और लिफ्ट द्वारा कितने काश्तकारों को लाभान्वित किया जाता है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त तहसीलों में कितनी एवं कहां-कहां लिफ्ट योजनायें प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार लिफ्ट द्वारा प्रतापगढ़ को जाखम बांध एवं अरनोद को माही बांध का सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य चालू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 6 सिंचाई तालाब निर्मित हैं। इनके नाम व निर्धारित सिंचाई संलग्न सूची में दर्शाई है। अरनोद तहसील का कोई भी तालाब सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है। इन तालाबों की निर्धारित सिंचाई क्षमता 4281 एकड़ है पर सामान्यतया 2900 एकड़ क्षेत्र में भूमि सिंचित होती है ।

(2) सिंचाई विभाग के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र की कोई भी लिफ्ट सिंचाई परियोजना नहीं है ।

(3) इन तहसीलों में सिंचाई विभाग के अधीन कोई भी लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

(4) जी नहीं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

किशनगढ़ हायर सैकण्डरी बालिका विद्यालय की प्राचार्य के विरुद्ध शिकायतें

498. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या सरकार को किशनगढ़ की सीनियर हायर सैकण्डरी बालिका विद्यालय की प्राचार्य के विरुद्ध, अपनाई जा रही वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं की विभिन्न मामलों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या छात्राओं द्वारा प्राचार्य की दमनात्मक अवांछनीय गतिविधियों के सम्बन्ध में पत्र एवं टेलीग्राम द्वारा निदेशक को सूचित किया ? यदि हां, तो छात्राओं को सुरक्षा देने हेतु क्या त्वरित कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) क्या छात्राओं से प्राचार्य के पुत्र द्वारा विद्यालय में जाकर अश्लील हरकतों की जानकारी की गयी ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां तो, कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या प्राचार्य का नाम, इतना सब कुछ उनके विरुद्ध होने पर भी राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु अनुशंसित किया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायतों के आधार पर प्रारम्भिक जांच करवाई जा चुकी है। वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच करवाई जा रही है। जांचोपरान्त तदनुसार आगे कार्यवाही कर दी जायेगी।

(2) जी हां। प्रधानाचार्य को तत्काल विद्यालय से हटा दिया गया था तत्पश्चात दिनांक 31.5.90 के आदेश से स्थानान्तरण कर दिया गया।

(3) जी हां।

(4) जांच करवा ली गई है।

(5) शिकायत प्राप्त होने से पूर्व ही इनका नाम भारत सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु अनुशंषा की जा चुकी थी।

उदयपुर एवं बांसवाड़ा के प्रयोगशाला सहायकों के विचाराधीन मामले

499. **श्री नवनीतलाल निनामा** (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत किन-किन प्रयोगशाला सहायकों के वेतन स्थिरीकरण, अवकाश सेवा विलेख, वेतन भुगतान आदि से सम्बद्ध मामले कब-कब से विचाराधीन हैं ? नाम, विचाराधीन मामला, विचाराधीन रहने की अवधि एवं कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार उक्त मामलों को निपटाने हेतु कब तक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के वेतन स्थिरीकरण, अवकाश सेवा विलेख, वेतन भुगतान आदि से विचाराधीन रहने की अवधि एवं कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया।

(2) प्रकरणों में कमी पूर्ति करवाकर शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

Page No. 49

(४९)

उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा का पृथक् निदेशालय

500. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या राज्य सरकार उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा के लिये अलग से निदेशालय बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या राज्य सरकार वर्तमान में जिला परिषदों के अधीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पुन: शिक्षा विभाग को सौंपने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(2) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

गंगानगर शुगर मिल अटरू

501. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की अटरू स्थित इकाई कब से एवं किन कारणों से बन्द है ?

(2) उक्त इकाई के घाटे में चलने के क्या कारण थे और इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) अटरू डिस्टलरी सितम्बर, 1988 से बन्द है । इस डिस्टलरी में उत्पादन क्षमता कम होने से शोधित प्रासव की उत्पादन लागत रु 6·06 प्रति बल्क लीटर आती थी जबकि अन्य श्रोतों से शोधित प्रासव रु. 3·63 एवं रु. 4·68 प्रति बल्क लीटर में उपलब्ध थी । अटरू डिस्टलरी में शोधित प्रासव की उत्पादन लागत अन्य श्रोतों से उपलब्ध शोधित प्रासव की दर से अधिक होने से अटरू डिस्टलरी में शोधित प्रासव का उत्पादन बन्द किया गया ।

(2) अटरू डिस्टलरी की उत्पादन क्षमता कम होने के कारण उत्पादन लागत अधिक आती है । इसकी तुलना में अन्य राज्यों से शोधित प्रासव सस्ती प्राप्त होने के फलस्वरुप उत्पादन बन्द किया गया । इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है ।

को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के टेन्डर

502. **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा नवम्बर 89 में दूध की पैकिंग हेतु थ्री लेयर एक्सट्रूडेटेड फिल्म की खरीद के लिए टेन्डर आमन्त्रित किये ? यदि हां तो कितने मैट्रीक व कितने मूल्य के फिल्म की आपूर्ति हेतु निविदायें आमन्त्रित की गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री जगजीत सिंह)

(2) उपरोक्त निविदा हेतु कितनी कम्पनियों ने आवेदन किया व उन कम्पनियों के नाम व प्रत्येक कम्पनी की रेट व पूरी मात्रा क्या थी ?

(3) क्या फेडरेशन द्वारा टेन्डर विभाग के मापदण्डों के तहत ही स्वीकृत किये गये ? यदि हां तो मापदण्ड क्या है, व किस कम्पनी के नाम टेन्डर छोड़े गये व क्या रेट थी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या फेडरेशन द्वारा कम्पनियों से नेगोसियेसन किया गया था ? यदि हाँ तो नेगोसियेसन में किन-किन कम्पनियों को आमन्त्रित किया गया व नेगोसियेशन के क्या आधार थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि फेडरेशन द्वारा कम्पनियों से टेन्डर के साथ फिल्म का सैम्पल मांगा गया था ? यदि हां तो टेन्डर खोलने से पूर्व किस टेस्टिंग लेबोरेटरी में सैम्पल टेस्ट कराया गया ? प्रत्येक की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या विभाग के पास स्वयं की कोई लेबोरेटरी है ? यदि हां तो कौन से वर्ष में लगाई गई थी व अब तक इस लेबोरेटरी में कितने सैम्पल की जांच की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या यह सही है कि जो कम्पनियां फेडरेशन को फिल्म सप्लाई कर रही थी उनका सप्लाई का अनुबन्ध जनवरी 1990 तक था ? क्या यह भी सही है कि फेडरेशन द्वारा इन्हीं कम्पनियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बजाय नये टेन्डर खोलने के इन्हीं की फिल्म सप्लाई की अवधि बढ़ा दी गई ? यदि हां तो टेन्डर समाप्ति की अवधि से पूर्व अवधि बढ़ाने के पश्चात् फिल्म सप्लाई की क्या दर थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । 450 मैट्रिक टन पॉलिथिन फिल्म के लिए लगभग 1·6 करोड़ रुपये मूल्य की निविदायें आमन्त्रित की गई थी ।

उपरोक्त निविदा हेतु 18 कम्पनियों ने निविदायें दी । निविदाताओं के नाम व दरों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी हां । निविदा में दिये हुए माप दण्ड का विवरण एवं जिन कम्पनियों के नाम टेण्डर छोडे गये उसकी सूची दर सहित परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(3) जी हां । नेगासियेशन किया गया था । नेगोसियेसन में आमन्त्रित की गयी कम्पनियों के नाम एवं चयन का आधार परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है ।

(4) जी हां । सैम्पलों की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है ।

(5) जी हां । केन्द्रीय गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना फरवरी, 1990 से प्रारम्भ की गयी है । अब तक लगभग 464 विभिन्न सैम्पलों की जांच की जा चुकी हैं । इससे पूर्व जयपुर संयन्त्र में

(दुग्ध विकास मंत्री)

स्थापित लेबोरेटरी में यह जांच कार्य होता था। विवरण परिशिष्ट "ड" पर संलग्न है।

(6) जी हां।

(7) जी नहीं। फेडरेशन को जो कम्पनियां फिल्म सप्लाई कर रही थी उनकी अवधि नहीं बढ़ाई गयी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आनन्दपुरी माही कैनाल के अपूर्ण कार्य

503. **श्री सोमा भाई मीणा** (बागीडोरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्षेत्र बागीडोरा की जो माइनर अधूरी है, क्या राज्य सरकार उन्हें पूरी करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) उक्त क्षेत्र में गत दो वर्षों से जो कार्य बन्द पड़े हैं। उन्हें कब तक सरकार पूरा करने की इच्छा रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार आनन्दपुरी क्षेत्र में जो कार्य बन्द पड़े हैं उन्हें प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) आनन्दपुरी माही कैनाल का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। बागीडोरा क्षेत्र की अधूरी माइनरों की खुदाई एवं पक्के कार्य पूर्ण करने वर्ष 1990-91 के प्रोग्राम में प्रावधान लिए गये हैं व मार्च 1991 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) नहरों पर लाईनिंग के कार्य के अलावा खुदाई एवं पक्के कार्य, जो बन्द पड़े हैं को बजट की उपलब्धता के अनुसार इस वर्ष पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी, हां। बजट की उपलब्धता के अनुसार आनन्दपुरी नहर पर 0 से 16 कि. मी. के बीच खुदाई एवं पक्के कार्य प्रगति पर हैं।

(4) यदि वांछित बजट उपलब्ध होता रहा तो आनन्दपुरी नहर को 1994-95 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

फलौदी लिफ्ट सिचाई योजना

504. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा तहसील फलौदी में कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी ?

(2) उक्त तहसील के किस-किस गांव में कितनी-कितनी भूमि सिंचित होगी ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा तहसील फलौदी में लगभग 48000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है।

(2) फलौदी तहसील के 26 गांवों में सिंचाई प्रस्तावित है परन्तु जब तक सर्वे

Page No. 52

52

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

ऑफ इण्डिया से कन्टूर मैप प्राप्त नहीं हो जाते हैं, सिंचित भूमि का ग्रामवार विवरण देना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

मकराना औद्योगिक क्षेत्र में खान आवंटन

505. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी कितनी खानें हैं, जो खालसा हैं एवं खनिज विभाग के अन्तर्गत हैं ?

(2) क्या जो खानें खनिज विभाग के क्षेत्राधिकार की हैं, एवं अभी बिना किसी आवंटन के हैं, को आवंटित कराने के किन्हीं के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस खान के लिए, किस-किस व्यक्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं, एवं विभाग ने उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की है ?

(3) खान आवंटन की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या यह भी सही है कि खान आवंटन की प्रक्रिया के बिना भी खानों का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व किस-किस को ?

उत्तर

(1) खनिज मार्बल की 24 खानें खालसा में हैं जो विभाग के अन्तर्गत हैं।

(2) रिक्त क्षेत्रों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) खानों का आवंटन अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अध्याय-111 के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1987 में 9 खानों का आवंटन सहायक खनिज अभियन्ता, मकराना द्वारा नियम विरुद्ध किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "स" में प्रेषित है। इस प्रकरण में सम्बन्धित सहायक खनिज अभियन्ता के विरुद्ध विभाग की कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

जिला नागौर के चयनित बेरोजगार

506. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 1989-90 में कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों का चयन किया गया है ? सूची मय नाम ग्राम के सदन की मेज पर रखें।

(2) इन चयनित बेरोजगारों में से किन-किन को कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऋण प्राप्ति से कितने अवशेष रहे हैं ? इनको अब कब तक ऋण उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में 1989-90 के लिए 215 शिक्षित बेरोजगारों का चयन

(उद्योग मंत्री)

किया गया। सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है। लक्ष्य 125 शिक्षित बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत कराने का था। बैंकों ने 31.3.90 तक 125 शिक्षित बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत किया। इन 125 शिक्षित बेरोजगारों में से 5 के प्रार्थना पत्र बाद में तकनीकी कारणों से बैंकों द्वारा निरस्त किये गये।

(2) 120 शिक्षित बेरोजगारों में से 37 को राशि वितरित की गई जिनकी सूचना सूची "क" के स्तम्भ संख्या-8 में दर्शायी जाकर के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) 83 प्रार्थी ऋण प्राप्ति के शेष हैं जिन्हें औपचारिकताएं पूरी करने पर 31 मार्च 1991 तक ऋण राशि वितरित कर दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जोधपुर शहर के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

507. **श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा सत्र 1989-90 में जोधपुर शहर में कितने अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को अन्य स्थानों से प्रतिनियुक्ति पर लाकर पदस्थापित किया गया ?

(2) क्या जोधपुर शहर के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या को देखते हुए यह प्रतिनियुक्तियां जरूरी थीं ?

(3) यदि हां, तो शिक्षा सत्र 1990-91 के लिए छात्र-छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्र में शिक्षक-शिक्षिकाओं के आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शिक्षा सत्र 89-90 में जोधपुर में 32 द्वितीय वेतन श्रृंखला के तथा 21 तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की प्रति नियुक्तियां की गई। सभी प्रति नियुक्तियां समाप्त कर दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्तमान सहकारी कानून में संशोधन

508. **श्री अजय सिंह** (दातारामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सहकारी कानून में भूमि विकास बैंक का सदस्य ही मतदाता बन सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कानून में अविलम्ब संशोधन करके सभी खातेदार काश्तकारों को मतदाता बनाकर सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन की दिशा में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री अजय सिंह)

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य ही मतदाता होता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र को ग्रामीणों में व्यापक अधिकार स्वरूप प्रत्येक ग्रामीण को मतदाता बनाने का संशोधन अविलम्ब कर ग्रामीणों को सहकारिता में व्यापक सहभागी बनाने हेतु मुख्य संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सभी काश्तकारों को मतदाता बनाये जाने सम्बन्धी संशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। वर्तमान में प्रत्येक ग्रामीण को मतदाता बनाने का संशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

राज्य के कारागार कर्मचारी

509. **श्री शांतिलाल** (राजसमन्द): क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिलेवार कारागार विभाग के विभिन्न कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है?

(i) कारापाल (ii) उप कारापाल (iii) सहायक कारापाल (iv) महा मुख्य प्रहरी (v) मुख्य प्रहरी (vi) प्रहरी।

(2) जिलेवार उक्त पद कितने-कितने सृजित हैं तथा कार्यरत कर्मचारी किस-किस जिले का मूल निवासी है तथा प्रत्येक की नियुक्ति की तिथि क्या है?

उत्तर

(1) राजस्थान में जिलेवार कारागार विभाग के विभिन्न कर्मचारियों 1. कारापाल (2) उप कारापाल (3) सहायक कारापाल [4] महा मुख्य प्रहरी [5] मुख्य प्रहरी [6] प्रहरी की संख्या का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिलेवार सृजित उक्त पदों की संख्या तथा कार्यरत कर्मचारियों के निवास के मूल जिले तथा प्रत्येक की नियुक्ति तिथि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "ब", "स", "द", "क", "ख" एवं "ग" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गई।)

"सुलभ इन्टरनेशनल" जयपुर

510. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारी अनुसूचित जाति निगम ने औद्योगिक प्रशिक्षण एवं सफाई कर्मचारी पुनर्वास योजना के तहत "सुलभ इन्टरनेशनल" जयपुर को वर्ष 1989 में कितनी राशि उपलब्ध करवाई?

(2) क्या यह सही है कि "सुलभ इन्टरनेशनल" द्वारा प्रस्तावित योजना को बिना बोर्ड की अनुमति के स्वीकृत कर

Page No. 55

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

लिया गया एवं योजना पेश करके छः दिन के अन्दर बिना किसी जांच के 10 लाख रुपये का सीधा भुगतान कर दिया गया, जो कि सामान्यतः जिला विकास अभिकरण के माध्यम से होता है ?

(3) क्या यह सही है कि "सुलभ इन्टरनेशनल" निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के रिश्तेदार की फर्म है ?

(4) बोर्ड की स्वीकृति के बिना योजना को स्वीकृति कर अपने रिश्तेदारों की फर्म को 20 लाख का अनुचित भुगतान कर जिस प्रबन्ध निदेशक ने अनियमितता की है, उसके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूखे तहारतों को फ्लश तहारतों में बदलने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम में सुलभ इन्टरनेशनल, जयपुर को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में 10·00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी थी।

(2) सफाई कार्य से मुक्त हुए व्यक्तियों को पुनर्वासित करने की योजना का अनुमोदन राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्य मंत्री महोदय से दिनांक 27·7·89 को अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। इस योजना को निगम के संचालक मण्डल ने दिनांक 22·1·90 को अपनी बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम ने सुलभ इन्टरनेशनल को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अनुमोदित योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 14·8·89 को 5·00 लाख रुपये तथा दिनांक 16·8·89 को और 5·00 लाख रुपयों का भुगतान किया है। इस योजना का संचालन निगम के मुख्यालय स्तर पर सीधा ही किया जाता है। अतः जिला विकास अभिकरणों के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया है।

(3) राज्य सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि "सुलभ इन्टरनेशनल निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के किसी रिश्तेदार की फर्म है।

(4) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक ने निगम के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति के पश्चात् ही सुलभ इन्टरनेशनल को 10·00 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। योजना को निगम के संचालक मण्डल ने अपनी अगली प्रथम बैठक में ही अनुमोदित कर दिया है। अतः पूरे प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं हुई है। इसी कारण प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(56)

स्थगित प्रश्न

(26 जून, 1990)

अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को खनन पट्टे

21. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को कौन-कौन से जिलों में कितने-कितने खनन पट्टे दिये गये हैं ?

(2) क्या सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को खनन पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार सवाईमाधोपुर जिले में अन्य जिलों के समान खनन पट्टे अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को विभिन्न जिलों में 5,311 खनन पट्टे एवं क्वारी लाइसेन्स स्वीकृत है जिनकी जिलेवार स्थिति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सवाईमाधोपुर जिले में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को 73 खनन पट्टे (अप्रधान खनिज) के स्वीकृत है जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) सवाई माधोपुर जिले में अन्य जिलों के समान खनन पट्टे अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार दिये जा रहे हैं जैसा कि परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी :—

(1) सर्वश्री ईश्वरलाल सैनी, राजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर जिले में पंजाब के खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा भारी मात्रा में जमीनें व रिहायशी मकानों के खरीदने व अन्य उग्रवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में।

(2) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य विधान सभा की ओर से करौली शहर में पुलिस संरक्षण में पनप रहे सट्टे एवं निजी लाटरी ड्रा जैसे अनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम लालपुरा के

(श्री अध्यक्ष)

चारागाह की सीमांकन नहीं कराने से उत्पन्न विवाद के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री चन्दनमल बैद एवं श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिगम्बर जैन मन्दिर, डीग जिला भरतपुर में 20 जैन मूर्तियों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में।

(5) सर्वश्री रामनारायण वर्मा, श्री परसादीलाल मीणा, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री इन्द्र सिंह पूनिया एवं श्रीमती रमा पायलट सदस्य, विधान सभा की ओर से अकाल राहत कार्यों में किये जा रहे कम भुगतान सम्बन्ध में।

(6) सर्वश्री बुलाकीदास कल्ला, परसादी लाल मीणा, हेतराम बेनीवाल एवं श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चन्देरिया थाना जिला चित्तौड़गढ़ में पंकज श्रीवास्तव की हत्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री हजारी लाल गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा राजस्थान के गांवों में अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से गलता घाटी जयपुर स्थित अलख मठ पर अन्य व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टाडा की धारा 5 को चार जिलों में लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से अविलम्ब जानकारी मांगी जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद व यूनानी औषधालय में वैद्य व हकीम न होने पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। इस विषय पर ये पूर्व में बोल चुके हैं, अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने से असमर्थ हूँ।

(2) श्रीमती रमा पायलट, श्री गोविन्द सिंह, श्री हीरालाल इन्दौरा, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री रामनारायण वर्मा, श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की पंचायत दबलाना में 10 वर्ष की बालिका के साथ हुए बलात्कार के सम्बन्ध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को मैं अस्वीकार करता हूं। इस पर श्रीमती रमा पायलट को 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(3) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर व श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर अन्य पिछड़े वर्ग के समुदाय को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है। पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में गठित मण्डल आयोग ने अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत की है। यह

(श्री अध्यक्ष)

रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर होगा। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार कर सदस्यों को 2 मिनट बोलने की इजाजत देता हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी ब्रांच केनाल का आधुनिकीकरण कर कृषि भूमि के आखिरी छोर को पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रकाश चन्द बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत चिचोड़ा तहसील छबड़ा जिला कोटा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के चयनित कुओं के लिए स्वीकृत अनुदान राशि में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिटी पैलेस, उदयपुर में भीषण बम विस्फोट से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव मुंशीपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर में साझीदार प्रथा समाप्त हो जाने के बावजूद भी काश्तकारों के नाम खातेदार काश्तकार रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में भीमसागर बांध परियोजना में डूब में आये गांवों के निवासियों को मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाली क्षेत्र में बाढ़ से आयी भयंकर तबाही के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति सादुलशहर जिला गंगानगर राजस्थान द्वारा कराये गये अधूरे विकास कार्यों के सम्बन्ध में।

(8) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले की तहसील सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के अपूर्ण पडे बांधों एवं एनीकटों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

(9) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले के काश्तकारों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामकिशोर सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(11) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में पेयजल समस्या का समाधान न होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं को यू. जी. सी. वेतनमान के अन्तर्गत बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(13) श्री अर्जुनदास मदान, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान श्री रामकिशन मीणा पर किये गये कातिलाना हमले के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 1986 के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक हटवाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर स्थित किसान छात्रवास में से पुलिस फोर्स हटवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती रमा पायलट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : लगाया है न आज। आज है न आपका। .... (व्यवधान).... माननीय सदस्य आपके पास वह सूची आ गई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एक सेंसर मोशन था, उसके बारे में आपने क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : हां, मैंने अभी उसमें जानकारी मांगी है। आते ही दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जानकारी का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय यहां बिराज रहे हैं। 7 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : यह मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इजाजत नहीं दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप उसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं। वह जवाब दे रहा हूं। मैं मान्टेस्ट के बारे में इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने उसमें अभी कोई व्यवस्था नहीं दी है। कल मैंने जानकारी के लिए भेजा है, जानकारी आते ही व्यवस्था दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी वहां बैठे हुए हैं। जानकारी क्या करेंगे ? अभी वे बता देंगे न इस बात को 7 तारीख को....

श्री हेतराम बेनीवाल : जिन एक्स. ईएन. के लिए हमने कहा है, वह ऐसा एक्स. ईएन. है जो मंत्री जी का...

श्री अध्यक्ष : हां, हां, जानकारी तो कायदे से मांगनी पड़ेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : किस चीज की जानकारी ? परसों का दिया हुआ है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : परसों का दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, हमने कल भेजा है जानकारी के लिए । अब मुझे तारीख याद नहीं । मेरे पास जानकारी आते ही मैं उस पर व्यवस्था दूंगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित तौर से इस तरह की घटना है ।

श्री अध्यक्ष : फिर वही, मैं आपको घटना पर नहीं बोलने दूंगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, मैं घटना पर नहीं बोलने दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, उसके बारे में बोलिये ।

श्री अध्यक्ष : महत्व मैं समझ गया । आप जो कुछ भी मोशन देते हैं वह सब महत्वपूर्ण हैं । मैं उनमें से किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं मानता । इसीलिये महत्व बताने की जरूरत नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, + + + ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया । अब आप बिराजें । हां, मैं व्यवस्था दूंगा, मैंने व्यवस्था नहीं दी है । मैंने व्यवस्था दी नहीं, मैं व्यवस्था दूंगा और दूंगा उसके बाद जो भी होगा, वह होगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : + + + और आप उसको...

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार से जानकारी की ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो टेलीफोन से भी जानकारी हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, टेलीफोन से नहीं होती । लिखित में आयेगी । मेरे पास लिखित में जानकारी आयेगी । अब यह रास्ते मुझे क्यों बता रहे हो, जानकारी जैसे आती है वैसे आयेगी ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हम आपसे जानकारी की बात नहीं करते, सरकार इसकी जानकारी एक दिन में ले सकती है ।

श्री अध्यक्ष : हां, लेगी तो आ जायेगी ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमें चार रोज हो गये, हम चाहते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है मेरे पास आ चुकी । श्रीमती रमा पायलट । आपको बोलना हो तो बोलिये नहीं तो मैं दूसरा नाम पुकारता हूं । श्रीमती रमा पायलट, बोलना है । श्रीमती रमा पायलट । मैं नाम दूसरा पुकारता हूं । श्रीमती रमा पायलट । श्रीमती रमा पायलट । अपने स्थान से बोलिये ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्री मण्डल के सदस्यों के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र व्यास: : On a point of order.

श्री अध्यक्ष : बाकी लोग बिराजिये। पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा भी पाइन्ट आफ आर्डर है, सर।

श्री अध्यक्ष : विराजें। पाइन्ट आफ आर्डर। आप इनका पाइन्ट आफ आर्डर सुनिये। पाइन्ट आफ आर्डर एक ही होता है There can not be a point of order upon a point of order.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो डेडलाक खड़ा होता है हाउस में उसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सैंसर मोशन के माध्यम से हमने आपके पास रखा नौ तारीख को। उसमें ऐसे फैक्ट्स नहीं हैं कि जिन पर राज्य सरकार से कोई जानकारी करनी पड़ती हो। माननीय मंत्रीजी जिनके खिलाफ यह सैंसर मोशन रखा गया है, अभी सदन में विराजमान हैं। नौ तारीख से लेकर बारह तारीख तक आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे....

श्री अध्यक्ष : 119 में सैंसर मोशन नहीं होता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सैंसर मोशन क्यों नहीं होता ? 120 में क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : खैर आपने रूल 119 में रखा है। 119 इज नोट सैंसर मोशन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, 120 में रखा है, साहब।

श्री अध्यक्ष : 119 के बाद प्रक्रिया 120 की है। आपका जो नोटिस है 119 के अन्तर्गत है। 120 और 121 में उसकी प्रक्रिया बताई गई है। I will have to examine it. उनका जवाब जाने दीजिये। सारी प्रक्रिया उससे है, 120, 121, 122 की होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें क्या जवाब आना है। + + +

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप बोलिये पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोलने का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप तथ्यों पर मत बोलिये, मैंने अलाऊ नहीं किया है। तथ्यों पर जो भी बोलते हैं आप, एक्सपंज किया जाय उसको लिखा नहीं जायगा। आप तथ्यों के अलावा पाइन्ट आफ आर्डर रखिये अपना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक्सपंज कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर करिये।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, + + + अखबारों में छप चुका है, क्या एक्सपंज कर रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई + + + नहीं कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यहां रिकार्ड को मिटा देंगे राजस्थान विधान सभा के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : मैं तथ्यों पर नहीं बोलने दूंगा। (व्यवधान) आप दोनों तय कर लीजिये। पहले कौन बोलेगा। हेमाराम जी, वह पाइन्ट आफ आर्डर कर रहे हैं। तो आप काहे की किताब दिखा रहे हैं मुझे। Let him say. इनको कम्पलीट करने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा था कि आपने एक्सपंज कर दिया यहां, आप अखबार में से भी एक्सपंज करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इस फैक्ट को भी एक्सपंज करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। आपका पाइन्ट आफ आर्डर मैंने सुन लिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात बता दीजिये, आखिरकार मोशन का फैसला, आप रिजेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फील करते हैं कि मोशन आर्डर में नहीं है...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। प्लीज सिट डाउन। हो गया। आपका पाइन्ट आफ आर्डर। सुनिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सीमा निर्धारित होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष । आप रूल्स तो सुनिये। बिराजिये। आपका जो मोशन है वह 119 में है। 119 में लिखा है,

"संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

120. प्रस्ताव की सूचना : प्रस्ताव की की सूचना लिखित रूप में दी जायगी और सचिव को सम्बोधित होगी।

121. प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें : कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिये वह निम्न शर्तें पूरी करेगा अर्थात् :---

(1) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा,

(2) उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होगा,

(3) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निदेश नहीं होगा,

---

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

(4) वह किसी हाल ही में घटित विषय तक निबन्धित रहेगा,

(5) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,

(6) उनमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जायगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो,

(7) उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की सम्भावना हो,

(8) वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो।

122. अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को विनिश्चत करेगा :—अध्यक्ष विनिश्चय करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।"

श्रीमान्जी, मुझे इनका पूरा एग्जामिन करना पड़ेगा। It is not a simple question. हो गया आपका। इसलिये आपका पाइन्ट आफ आर्डर मैं खारिज करता हूँ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कितने दिन लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती रमा पायलट। श्री गोविन्दसिंह गुर्जर। आर्डर प्लीज आर्डर। आर्डर प्लीज। श्री गोविन्दसिंह गुर्जर। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन का समय वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा यही है कि इनको ट्रेनिंग के लिये भेजा जाय। कोई माननीय सदस्य अध्यक्षजी को बाध्य नहीं कर सकता। कोई माननीय सदस्य अपनी कार्यवाही नहीं थोप सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन माननीय सदस्यों को ट्रेनिंग के लिये भेजा जाय।

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : नो पाइन्ट आफ आर्डर। मैंने पाइन्ट आफ आर्डर डिसाइड कर दिया। आर्डर प्लीज। श्रीमती रमा पायलट।

श्री जगमाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती रमा पायलट। आप शुरू करिये। आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वर लाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था तो दे दी,

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

समय का निर्धारण चाहते हैं। समय का निर्धारण कर दीजिये इसमें आप। समय के निर्धारण का तो आपसे निवेदन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार का जवाब आने पर अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मतलब सैशन के बाद आयेगा राज्य सरकार का जवाब।

श्री अध्यक्ष : तीन दिन का समय मैंने राज्य सरकार को दिया है। आपको तीन दिन का बता रहा हूँ। तीन दिन का समय दिया हुआ है।

श्री ईश्वर लाल सैनी : तीन दिन तो हो गये।

श्री अध्यक्ष : मैंने कल भेजा है, तीन दिन नहीं हुए। मैंने कल सरकार का उत्तर मांगने के लिये तीन दिन का समय दिया है। तीन दिन में उनके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। यदि जवाब नहीं आया तो अपनी व्यवस्था दूंगा। (व्यवधान) हां, कह रहा हूँ, व्यवस्था दूंगा। श्रीमती रमा पायलट। (व्यवधान) कृपया बैठिये अब आप। वह शांत हो गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोज पूरा समय बर्बाद करते हैं। आप अपने चेम्बर में बुला कर इन से बात करलें। यह कार्यवाही थोपते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती रमा पायलट। (व्यवधान) आप बैठिये। अब आप खड़े हो गये ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : यह + + + को बन्द कर दें, साहब। पहले + + + था उसको तो पार्लियामेंट भेज दिया अब इस + + + को बन्द कर दीजिये। + + + हर मामले में यह बोलता है इस + + + को बन्द कर दीजिये। पहले भी एक + + + था हमारे पास उसको पार्लियामेंट भेज दिया अब जो + + + है उसको बन्द करा दीजिये आप। पहले + + + को बन्द कर दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह शब्द एक्सपंज किया जाय, इन्होंने + + + कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, + + + सदन से बाहर निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती पायलट। मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती रमा पायलट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री जगमाल सिंह : मेरा इससे सम्बन्धित नहीं है, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक मिनट। आपकी इजाजत से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने काल अटेंशन मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाबत आपको प्रेषित किया था। आज मंडल आयोग पर आपने

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह)

उस स्थगन-प्रस्ताव को जो कांग्रेस की तरफ से आया है खारिज करके उनको बोलने का मौका दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आपको दूंगा मौका। आप बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर दो तीन शब्दों का उच्चारण किया गया। एक ने + + +कहा। दूसरे ने + + + कहा। मैं समझता हूं। इनको प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इनको कार्यवाही से निकाला जाय।

पंचायत मण्डी तहसील हिण्डोली, जिला बूंदी में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में एक पंचायत मण्डी है, उस मण्डी की एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। एक बच्ची जो 10 वर्ष की उम्र की थी मण्डी पंचायत से अपने मामा के यहां बगलाना पंचायत में गई और वहां उसके साथ 30 साल के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया जिससे उस बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई। वह इतने गरीब परिवार से है कि उसके मां-बाप और उसके रिश्तेदार शर्म के मारे उस वाकये को किसी को बताने में असमर्थ हो रहे थे लेकिन इत्तफाक से सरपंच वहां का उनसे मिलता है और हालचाल पूछने पर बच्ची के पिता रो पड़े और उन्होंने बहुत मुश्किल से एक तरफ ले जाकर यह बात बताई। उसकी रिपोर्ट उसी दिन दर्ज कराई गई। दोपहर का वाकया है और रात को साढ़े आठ बजे रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 23.6.90 की यह बात है लेकिन आज तक भी उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बच्ची के गुप्तांगों में इतनी चोट आई है कि उसके मां बाप को खतरा है कि वह अपना वैवाहिक जीवन भी बिता सकेगी या नहीं। इतनी शर्म और लज्जा से मुझे उन ग्रामीणों के सामने यह कह कर आना पड़ा कि मैं इस बात को अवश्य सरकार के ध्यान में लाऊंगी। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि कम से कम ऐसे जघन्य अपराध और ऐसी छोटी बच्चियों की जिन्दगी से खिलवाड़ और वह भी ऐसे गरीब और पिछड़े हुए तबके के लोगों के साथ इस तरह से होते रहे, तो क्या ग्रामीणों को जो सरकार प्रथम कैटेगरी में रखना चाहती है, उन लोगों को कैसे सरकार में विश्वास रहेगा और क्या वह सरकार में विश्वास करते चले जाएंगे? मेरे क्षेत्र में लगातार पिछले महीने से लेकर आज तक इसी तरह के 3-4 अपराध हुए हैं, जिनमें पुलिस ने पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाई है। इसलिए मुझे यह कहते हुए कोई हिचक नहीं, यदि मैं यह कहूं कि आज सरकार भी + + +

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती रमा पायलट)

होती जा रही है। क्योंकि पुलिस का अधिकारी जो सरकार के तहत कर्मचारी है उस कर्मचारी को यदि सरकार और प्रशासन इतना निष्क्रिय और पंगु बना कर रखना चाहती है तो उसको वर्दी पहनने का अधिकार भी यदि सरकार न दे तो अच्छा है। ऐसी छोटी-छोटी बच्चियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ होता है। जो एक तो गरीब, भूखे मरते हैं श्रम करके अपना पेट पालते हैं ऊपर से इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ होती है। यदि किसी अच्छे घराने के, किसी अमीर व्यक्ति की तरफ कोई हाथ भी उठादे, आंख भी उठादे, रास्ते से भी निकल जाय तो मैं समझती हूँ कि सरकार के जितने भी अधिकारी हैं चाहे वह पुलिस में हैं चाहे प्रशासन में हैं उसी वक्त उसके साथ कार्यवाही करते उसको दण्ड देते हैं और हो सकता है कि उस कर्मचारी को भी सरकार निलम्बित करती और उसको नौकरी से बरखास्त कर देती लेकिन आज एक गरीब की आवाज सुनने के लिए सरकार में कोई नहीं बचा। जबकि जिस दिन से सरकार आई है उसी दिन से हाथ पीट-पीट कर, टेबलों पर खूब जोर-जोर से हाथ मार-मार कर सरकार यह कहती है कि हम इस तरह के अन्याय और भ्रष्टाचार जो गरीब तबके के हैं, गांव में रहते हैं और किसान हैं पिछड़े हुए लोग हैं उनकी सरकार है उनके लिए हम यहां आये हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी और अन्य दूसरे मंत्रीगण हैं उन सभी ने गांवों में जाकर यह वायदा किया है कि हम आपके लिए हैं, हम आपको ऊंचा उठाएंगे....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिए। आपको दो मिनट का मैंने समय दिया है।

श्रीमती रमा पायलट : मैं भाषण नहीं दे रही हूँ। अध्यक्ष जी, मैं यह चाहूंगी कि सरकार इस पर वक्तव्य दे कि उसके साथ क्या किया और क्या हो रहा है और क्यों नहीं आज तक उसको गिरफ्तार किया गया? और अगर इसी तरह से होता जाएगा तो क्या मां-बहनों की इज्जतों को यह बचाएंगे? सरकार यह बताए कि इसमें क्या कर रही है और कब वक्तव्य दे रही है? एक बात और कहना चाहती हूँ कि उस लड़की को उसका हरजाना मिलना चाहिए उसको पूरी-पूरी सहायता मिलनी चाहिए और उसको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात कही है। मैं निश्चित रूप से आज ही इसकी जानकारी करूंगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप वक्तव्य दे रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है, आप शाम तक वक्तव्य दिला दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूँ ना कि इस समय तो तत्काल मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरी बात तो सुनिए माननीय गोविन्द सिंह जी, आप जैसे सीनियर आदमी बीच में इस तरह से बोलते हैं। अभी माननीय सदस्या ने जो बात कही है। मैंने अभी अधिकारियों को कहा है कि पूर्ण रूप से जानकारी लाकर मुझे दें। मैं इस सारे मामले को देखूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिसने भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निष्क्रियता दिखाई है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा इसमें कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय गोविन्द सिंह जी, आप अपने एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलेंगे सब का बोलने का प्रावधान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कह दिया इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे? आपको मण्डल आयोग पर बोलना है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था इस पर दो मिनट बोलने दें। मण्डल आयोग पर बाद में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बाद में नहीं। मण्डल आयोग पर बोलें। इसमें मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है, बाकी क्या बचा है? केवल रिपीटीशन होगा। देखिये आज बहुत काम है। नेक्स्ट, श्री रामनारायण वर्मा–295। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप दो लाइन भी नहीं सुनना चाहते।

श्री अध्यक्ष : मैं समय नहीं दूंगा। सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण है माननीय सदस्य। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है कि इस पर उचित कार्यवाही करेंगे, एक्सन लेंगे इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? श्री वर्मा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : कल वक्तव्य दिला दीजिए, अध्यक्ष महोदय।

(समय 12.30 मध्याह्न)

(माननीय श्री यदुनाथसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे बात कर लूंगा। जरूरत होगी तो वक्तव्य भी दे दूंगा। मैं आपसे बात कर लूंगा। आपको सन्तोष नहीं हुआ है। देखिए दो बात हैं....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आज 20 दिन हो गये, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ठहरिये तो सही। क्या कार्यवाही नहीं हुई? आप राजस्थान के गृह मंत्री रहे हैं, मुझे मालूम है, क्या करते थे। आप जाने दें इस बात को। आप ह्यूमन मिजरीज के ऊपर, आप लोगों की पीड़ा पर राजनैतिक रोटियां मत सेको। मुझे भी दुख है अगर इस तरह की बात हुई है... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी, इस + + + को बन्द करो आप।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष जी, इन्हें देखा है, जब गृह मंत्री थे यहां पर बैठे-बैठे इस तरह झांकते रहते थे... (व्यवधान) यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुनते ही कहा कि एक्शन होगा। यह संवेदनशील सरकार है आपकी तरह की + + + सरकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्याक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय द्वारा यह कहा जाना कि हम लोगों की पीड़ा पर राजनीति करते हैं, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। यह बिलकुल आपत्तिजनक है, बहुत आपत्तिजनक है। हम भी वोट लेकर आये हैं। जनता ने हमें समर्थन दिया है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : आपको गरीब से कोई सहानुभूति नहीं है। राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप बोलिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन प्रस्ताव चार-पांच मेम्बर ने दिया है। श्रीमती रमा पायलट बोल चुकी हैं, उसमें हमारा भी नाम है। हम चाहते हैं कि दो-दो मिनट जो स्पीकर साहब ने अलाऊ किया है, हम इतनी सी बात कह रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने.... (व्यवधान)

श्री किशनाराम (श्री डूंगरगढ़) : आप मण्डल आयोग पर बोलिए, इसके लिए आपको अलाऊ किया गया है, आप मण्डल आयोग पर ही बोल सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हां, बोल रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सीनियर सदस्य बोल रहे हैं और बीच में इस तरह से व्यवधान किया जाता है। यदि हम भी इस तरह से शुरू हो जाए तो फिर कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोल पायेगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ क्लैरी फिकेशन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब के बाद में माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दे दी कि इस बाबत सदन में कोई चर्चा नहीं होगी और श्री रामनारायण जी का नाम पुकार लिया, अब आसन की तरफ से इसी तरह की व्यवस्था रही तो मैं समझता हूँ कि सदन की सारी परम्परायें खत्म हो जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल ठीक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं चर्चा नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप इस विषय पर चैम्बर में आकर बात कर लीजिए। आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ दो बातें निवेदन करना चाहता हूँ एक तो सदन के नेता महोदय को यह बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए थी कि लोगों की पीड़ा की राजनीति हम लोग करते हैं जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। सदन में यह श्री महावीर जी के लिए शोभाजनक हो सकता है, सदन के नेता महोदय के लिए यह शोभाजनक नहीं है। वे जितनी जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं हम भी उतनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं। वाकेई जो तकलीफ होती है, उसको हम उठाते है, दूसरा जब.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : तकलीफ होती तो आप एक मिनट में बैठ जाते। महावीरजी के लिए क्या शोभाजनक है ? यह स्वयं जानते हैं महावीरजी। आपको उसकी कहने की जरूरत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय ही बर्बाद कर रहे हैं····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप बैठिये···(व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी : अगर आपको पीड़ा होती तो इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाते, ऐसे ही एक साथ सब खड़े नहीं होते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात कह रहा हूं। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने यह कह दिया कि जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुरोध तो इतना सा ही है कि आप स्टेटमेंट दिलवा दें, आज नहीं दिलवाएं तो कल दिलवा दें। यह गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रेसर से तो नहीं देंगे, आप प्रेसर डाल रहे हैं माननीय सदस्य। माननीय मुख्य मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे जानकारी होने के बाद···(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस पर चर्चा नहीं हो सकती तो साहब एक स्टेटमेंट तो आ जाये। इतना गम्भीर विषय है कि 20 दिन तक एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी एक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूँ कि वह एक वक्तव्य दे दें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : ये सदन का समय खराब कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इस पर चर्चा अलाऊ नहीं की जानी चाहिए···(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने नसीराबाद में क्या किया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्थगन प्रस्ताव पैंडिंग नहीं है, उस पर चर्चा नहीं सकती साहब। इसलिए स्टेटमेंट तो आ जाये आपका। जब इतना गम्भीर विषय है कि 20 दिन तक एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ ···(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नसीराबाद से मैं जीत कर आया हूँ दो हजार वोटों से। मेरे यहां पर क्या हुआ सब लोगों को मालूम है। टोंक में क्या हुआ, आप यह देखियेगा। टोंक में आपने क्या किया ? यह हम लाकर दिखा देंगे। आप देख लेना···

श्री बालचन्द आर्यवीर : आपने कितना भला किया गरीब जनता का...(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद क्या बोलना बाकी रहता है ? इसलिए आप इनको बिठाइये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) : आप तो राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं आपको गरीब जनता का कोई ध्यान नहीं है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्षजी, आप इस + + + को तो बन्द कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन किस प्रकार चले यह किसको तय करना है। क्या हो रहा है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, को तय करना है, आपको नहीं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295, श्री राम नारायणजी।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी नहीं पहुंचने की बजह से काफी हालत खराब है.... (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप बैठिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार है और दिल्ली में जो जनता दल की सरकार है, उनके घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट वायदा था कि हम मण्डल आयोग की रिपोर्ट को सत्ता में आने के बाद लागू करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी था।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : हम राज में नहीं है, अगर होते तो लागू कर देते। मांग नहीं करते, कुछ भी कर देते।

श्री हरि सिंह (महुआ) : आपके कहने का मतलब यह है कि आप लागू नहीं करना चाहते हैं मण्डल आयोग को ?

श्री नत्थी सिंह : भारत सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है, हम कब कहते हैं कि इसको लागू नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : विचार करके ही तो आपने इसको चुनाव घोषणा-पत्र में तय किया है।

एक माननीय सदस्य : आपने चालीस साल में क्या किया ?

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही उससे साफ जाहिर होता है कि मण्डल आयोग की

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के अनुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

रिपोर्ट को वह मजाक में ही उड़ाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इनका भी बता रहा हूं कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी था। मण्डल आयोग ने कब रिपोर्ट दी, उसके बाद में आपने पांच वर्ष तक राज्य किया है उस समय इनको भी ध्यान रखना चाहिए था। यही कह रहा हूं मैं और कोई खास बात नहीं कह रहा हूँ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हम तो अब सत्ता में नहीं, मुख्य मंत्रीजी। हम तो इस मामले में आपके साथ हैं, आप लागू कीजिए। हमारा जो सहयोग चाहिए वह सहयोग हम देने के लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था। मैं अपनी बात कह लूं, इसके पहले मेरे को कोई इन्ट्रप्ट नहीं करें। मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मसले के ऊपर जब सारी पार्टियां एक मत हैं, जो केन्द्र में मंत्री हैं, माननीय श्री पासवान साहब, उन्होंने घोषणा की कि हम दिसम्बर तक इसको लागू कर देंगे। उसके बाद माननीय प्रधान मंत्रीजी की घोषणा हुई, हम इसको अतिशीघ्र फरवरी तक लागू कर देंगे। मुझे अफसोस है कि इन सारे वायदों के बावजूद भी आज तक मण्डल आयोग के बारे में वह जो भेद है व वापस मुख्य मंत्रियों के कोर्ट में फेंक दी गई है। उनके रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है वह लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है, आप लागू करें या नहीं करें आपकी मर्जी है लेकिन इस वायदा खिलाफी के लिए यह जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी 50 प्रतिशत है वह माफ नहीं करेगी। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा होगा, हमको माफ नहीं करेंगे तो, आपके हित में होगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हम तो चाहते हैं कि हमारे हित में हो। आप ऐसे काम करते जाइये। आप सारे ऐसे काम करते जाइये जो जनता के खिलाफ हों और हमारे हित में हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो राजी होना चाहिए था।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर : वह हमारे कहने की जरूरत भी नहीं है वह तो वैसे ही हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, वह तो समय बतायेगा मौका...।

श्री डूंगरराम पंवार : अब हो गये जनता के हितैषी, पहले नहीं थे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह तो केन्द्र की बात हुई। मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान में भी एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हमारी सरकार ने बनाया था और

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

श्री माली राम वर्मा उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया, उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी है आपको। उस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी हैं। आप आरक्षण मत दीजिए जातियों में, लेकिन जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई कार्पोरेशन बना कर, बैंकों की तरह, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण का कार्पोरेशन है, उनके बच्चों की नौकरी देने के लिए सिफारिश की हुई है। जो एजुकेशन इन्स्टीट्यूशन्स हैं, खास तौर से तकनीकी, उनमें भर्ती के लिए कोई बोनस मार्क्स अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को देने जो उस आयोग ने सिफारिश की है, जो राजस्थान का बनाया हुआ है, उसकी बात तो आप मानिये और जो कम्पीटिटिव एक्जामिनेशन्स हैं उनकी तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेज लगाने के लिए जो सिफारिश की की है, उसमें आप कुछ मदद दीजिए, कुछ इस तरह की इन्स्टीट्यूशन्स तैयार कीजिए ताकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो हमारे देश और प्रदेश में पचास प्रतिशत है, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। संविधान में यह बात दी हुई है। मण्डल आयोग बना था तो कोई अहसान नहीं था और उस प्रावधान को लागू करने के लिए मण्डल आयोग ने लिया है। मैं समझता हूँ मुख्य मंत्रीजी, अगर आपकी सरकार संवेदनशील है तो इस मसले को आप मजाक में नहीं लेकर, यह नहीं समझें कि कांग्रेस के किसी आदमी ने इसको उठाया है, जो रिपोर्ट आपके सामने मालीराम वर्मा ने पेश की है, उनकी सिफारिशों को लागू करिये। आपसे सिफारिश केन्द्र सरकार ने मांगी है...

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो मालीराम वर्मा की रिपोर्ट थी वह आपको मिली है या नहीं ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आपको मिल गई है, मेरे को नहीं। मेरे को सूचना है कि आपको दे दी गई। मेरी उनसे बात हुई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस रिपोर्ट के कन्टेन्ट्स आप बता रहे हैं, पढ़ी तो होगी ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हां, यह रिपोर्ट मेरे को उन्होंने बताई है और उन्होंने मुझे कहा भी है कि मैंने इस तरह की दी है। आप चाहें तो वह रिपोर्ट भी आपको पेश कर दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कर देना।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सोर्सेज हमारे भी हैं थोड़े-बहुत, आपके ही नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं-नहीं, आप कर देना। मैं तो यह कह रहा हूँ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप मेहरबानी करके विपक्ष के नेता की तरह बर्ताव न करें। आप सदन के नेता की तरह बर्ताव करें। अपने मुंह से यह नहीं कहें कि गोविन्दसिंह ने क्या किया, फलां सिंह ने क्या किया, हमने किया वह तो हम भुगत लेंगे। अब आप सदन के नेता हैं। यह बहुत

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

महत्वपूर्ण मसला है, मेरे और साथी भी बोलेंगे, उन्होंने भी ध्यान आकर्षण दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, जनता दल के भी हो सकते हैं, हमारे भी हैं। उन सबकी भावनाओं के अनुरूप आप इसमें कुछ पहल लीजिए। मैं समझता हूं—राजस्थान आपको याद करेगा।

एक माननीय सदस्य : यह मुद्दा तो हमारा ही था, आपका नहीं था।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, मैं उनमें तो नहीं जाना चाहता। मैं तो एक प्रश्न सरकार से करना चाहता हूं। भारत सरकार जब मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देगी तो क्या राजस्थान सरकार उसे लागू करने के लिए कदम उठायेगी और उठायेगी तो जिस तरह से भारत सरकार उसको लागू करेगी, उनको सौ फीसदी राजस्थान में लागू करने का मन राजस्थान सरकार का है अथवा नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम नारायण वर्मा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : On a point of order.

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मण्डल आयोग जनता पार्टी ने बैठाया था और माननीय सदस्य ने जो सीधा जवाब पूछा है, क्या राजस्थान सरकार लागू करेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दे देंगे।

श्री हरिसिंह : कब दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें जवाब ही तो देना है, मर्जी आये जब दे देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल दो मिनट बोलने का टाइम दिया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव को आपने रिजेक्ट किया है तो उस पर मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूँगा....

एक माननीय सदस्य : कल्ला जी, आपका तो मण्डल आयोग से कोई मतलब ही नहीं है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बात तो कहने दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूँगा। मण्डल आयोग पर बोल रहे हैं, उसके बाद मेरे को सुन लें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मेरा स्थगन प्रस्ताव है जिसको आपने रिजेक्ट किया है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : सम्पत सिंहजी क्या करना चाहते हैं ?

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मण्डल आयोग पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने की बेजा कोशिश की है, आपको अच्छी तरह से याद है उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कांग्रेस के कुशासन के दौर में जो उन दिनों विपक्ष हुआ करता था—जनता दल

(श्री सम्पत सिंह)

भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टियों ने बहुत जोर देकर माननीय श्री राजीव गांधी के जमाने में, जब वह प्रधान मंत्री थे, अकेले दिल्ली राजधानी में 60 हजार व्यक्तियों ने मण्डल आयोग की पीड़ा को लेकर गिरफ्तारियां दी थीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे लगता है, जिस राष्ट्रीय बहस को छेड़ा था, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, वह आज कांग्रेस के नेताओं को याद आने लगा है....

श्री चन्दनमल बैद : वह अच्छा है।

श्री सम्पत सिंह : यह अच्छा इसलिए है कि "जब रंज दिया वोटों ने, तो खुदा याद आया।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी बात को ही कह रहे हैं और आप ही नाराज हो रहे हैं।

श्री हरिसिंह : आप इसके लिए मना कर रहे हैं कि लागू नहीं होनी चाहिए? आप नाराज हो रहे हैं क्या?

श्री सम्पत सिंह : कोई अहसान नहीं कर रहे। आपकी राज की तरफ नजर है। अब तो ऐसे ही राम-राम रटोगे।

श्री चन्दनमल बैद : यहां भी राम-राम रटने वाले हैं क्या?

श्री सम्पत सिंह : मण्डल आयोग की बैशाखियों पर आप दोबारा राज में आने की सोच रहे हैं। आप हमारे भी पोज को ठंडा कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप खामोश ही रहिये तो हम आयोग की रिपोर्ट पास करा लें और जब मुश्किल से हमारे हाथ में कलम आई है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : राज में जाकर भी राज से दूर बैठे हैं आप तो। बहुत दूर बैठे हैं राज से।

श्री सम्पत सिंह : जो कान में रुई डाल कर बैठे रहा करते थे ...

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपकी हालत तो सांप-छछूंदर जैसी हो रही है।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कुर्सियों की दूरी नाप रहे हैं, हमारे दिल तो एक है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वह श्री देवीलाल जी से पूछ लें कि आपके दिल और बी. जे. पी. के दिल कितने मिले हुए हैं? श्री देवीलाल जी का स्टेटमेंट सुनिये जनाब। अखबार भी पढ़ रहे होंगे आप? चुनौतियां दे रहे हैं वह। मेरे क्षेत्र सीकर में चुनौती दी है कि श्री देवीलालजी में दम हो तो फिर आकर चुनाव लड़ें...

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह इनके दिल मिले हुए हैं। देखिये इनके दिल की हरकत।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह शपथ पूर्वक बयान करते हो कि आपके दिल एक हैं।

Page No. 75

(75)

श्री सम्पत सिह : हम तो कहते ही यह हैं जिसमें शपथ मिली हुई होती है। हम तो एक दिन शपथ लेते हैं...

श्री हरिसिंह : हमें तो बड़ी खुशी कि मण्डल आयोग लागू करवा लीजिए। आपकी चलेगी नहीं, आपके मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंह जी हैं। वह यूं उड़ा देंगे मण्डल आयोग को...

श्री राजेंद्र पारीक : आप मण्डल आयोग किनसे लागू करवाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री सम्पत सिह : यह माननीय श्री भैरोंसिह जी से ही उम्मीद है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर राजस्थान शायद पहल करे सबसे पहले, शामिल करने के लिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको पार्टी भावनाओं से ऊपर उठ कर सोचें। आज आप देश को जातियों में बांटने को चले हैं, आज आप देश को वर्ग में बांटने के लिए चले हैं, आज मजहब की लड़ाई हो रही है। आप रोज-रोज देश की एकता और अखण्डता की बहस करते हैं। मुझे इसलिए पीड़ा है, एक साधारण से कार्यकर्ता को जब इतनी पीड़ा है, जब आप इतनी ऊंचाइयों पर बिराजे हुए हैं, देश और प्रांत के नेता इतनी ऊंचाइयों पर बिराजे हुए हैं, उनका तो इससे सौ गुना ज्यादा चिन्ता है। कहीं पंजाब टूटने के कगार पर खड़ा हुआ है, कहीं कश्मिरतर खड़ा हुआ है, कहीं मिजोरम, कहीं आसाम खड़ा हुआ है। इसलिए इस बात को निश्चित रूप से गम्भीरता से सोचा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई उपदेश नहीं देना चाहता लेकिन अपने मन में शोषित और पीड़ित समाज की पीड़ा है, मैं उसको आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। आज आप पानी के बहाव को रोक सकते हैं लेकिन पानी दूसरी तरफ से निकलना शुरू कर देगा और यह आसार नजर आ रहे हैं। यह अभी जो विपक्ष से मण्डल आयोग शब्द सुनने को मिल रहा है, पहले जब माननीय सदस्य उधर बैठा करते थे, तीन-तीन, चार-चार बार बहस हुई और कितनी सहायता करी आपने और आपकी सरकार ने? इसलिए मुश्किल से आज एक मौसम बना है, वातावरण बना है, मेहरबानी करके उसको पार्टी भावनाओं से ऊपर उठ कर सोचें।

श्री हरिसिह (महुआ) : पिछली सरकार ने यहां पर पिछड़े वर्ग का जो बोर्ड गठित किया था। आपके बजट में एक पैसा उसके लिए मुख्य मंत्री ने निर्धारित नहीं किया है....

श्री सम्पत सिह : उस बोर्ड में कोई पिछड़े वर्ग का... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिह : हम आपसे कह रहे हैं, उस बोर्ड के लिए एक पैसा मुख्य मंत्रीजी ने निर्धारित नहीं किया है। पिछली सरकार ने कुछ किया तो सही। दस कदम आगे तो बढ़ी, आपकी सरकार तो दस कदम पीछे ले गई।

श्री राजेन्द्र पारीक : मण्डल आयोग लागू नहीं होना है। इन लोगों को तो गरीब और पिछड़े लोगों की जानें चाहिए, मण्डल अयोग नहीं।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के नेता ने बहुत दर्द के साथ विपक्ष के माननीय नेताओं को एक सीख देने की कोशिश की...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : हमारे लिए यह पीड़ा का प्रश्न है। चालीस वर्ष बाद में भी जब यह हाथ में तुम्बा लेकर घर-घर मांग रहे हैं, नाई का वही हिसाब है, लखेरे के लिए कुछ नहीं किया गया, गडेरा नहीं पड़ा हुआ है। इतना शोषित वर्ग आज पड़ा हुआ है। यह हमारी पीड़ा का प्रश्न है। आप हमारी जुबान मत रोकिये। कांग्रेस ने कुछ किया था, बोर्ड का गठन किया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : आपने कुछ किया नहीं, दस कदम पीछे ले गये। मैं कहता हूं.... (व्यवधान)...सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो पिछड़े वर्ग का शोषण कर रहे हैं, उनको आज भी शोषित रखना चाह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : महुआ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको 35 साल में यह पीड़ा नहीं हुई, आपको चालीस साल में यह पीड़ा नहीं हुई? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चालीस साल में तो आपको चिन्ता नहीं हुई धोबी और गडेरों की। हमारा नेता, नीयत और नीति, तीनों साफ हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारे तो कई मुख्य मंत्री पिछड़े वर्ग के बने, आपने क्या किया?

श्री जगमालसिंह यादव : एक साल के भीतर-भीतर भारत सरकार इस मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। आपने क्या किया चालीस साल में? आप सीख देते हो, तैश में आने की बात करते हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमने तो राष्ट्रपति के पद तक हरिजनों को और पिछड़े लोगों को बैठाया है, आपने क्या किया? उन लोगों की जान ले ली आपने चार महीने के शासन में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री किशनाराम : जो लोग मण्डल आयोग पर बोल रहे हैं और जिनको कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसे माननीय सदस्यों को पूरा बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य यह बहुत गम्भीर विषय है इस पर देश भर में गम्भीर चर्चा हो रही है। इसको बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए ताकि इसके नतीजे निकलें।

श्री सम्पत सिंह : अभी महुआ से आने वाले माननीय सदस्य और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य व्यंग्य कर रहे थे कांग्रेस ने यह किया और विपक्ष ने यह किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यंग्य को छोड़ें।

श्री सम्पत सिंह : इस देश में अगर आम जनता के लिए कोई कानून बना सकते तो उस पर गम्भीरता से सोचिए इस ढिलाई में मत फँसिये कि आज राज किसका है किसका नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ जिस उत्तर प्रदेश प्रान्त के श्री गोविन्द बल्लभ पंत से लेकर श्री चन्द्रभान गुप्ता जैसे मुख्य मंत्री बनते थे, उस बड़े सूबे में सबसे पहले श्री राम नरेश यादव किसकी सल्तनत में मुख्य मंत्री बने ? सबसे पहले बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्य मंत्री बने और राजस्थान में श्री भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री बने । आपको जनेऊ से छुटकारा किस ने दिलाया ? यह उस वक्त का विपक्ष था, हम जानते हैं आपकी पीड़ा को । बस देश में बाब कट कोई क्रांति नहीं ला सकते हैं, इस देश में इण्टीमेट सेण्ट लगाने वाले कोई क्रांति नहीं ला सकते । यह अमरबेल जो बैठी हुई है ना मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में बहस चली थी और उस बहस के चलते ही माननीय श्री राजीव गांधी के अहम को करारा जवाब मिला था और मण्डल आयोग की हामी जो राजनैतिक पार्टियां थीं, आज राज में आयीं हैं। निश्चित रूप से हम उनसे दृढ़ता से मांग करते हैं और हम जानते हैं कि उनके मन में भी उतनी ही पीड़ा है। वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करें। केन्द्र की तरफ नहीं देखें। मैं राजस्व मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ केन्द्र से न चाहे जो हमको निर्देश मिले हों। मैं चाहता हूं कि आप राजस्थान प्रान्त के परिप्रेक्ष्य में, जहां एक-एक जाति का राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर है उसके परिप्रेक्ष्य में आप गहन अध्ययन करा करके, निश्चित रूप से इसमें पहल करिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में पूरी संसद में, सर्वसम्मति से यह तय किया गया था कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश बिहार आदि तमाम प्रान्तों का विषय है और प्रान्त की सरकारें उसमें पहल करे केन्द्र की सरकार उनके साथ होगी। इसलिए इस समय तो इन्हीं विनम्र शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट की सरकार जल्द से जल्द गहन अध्ययन करवाए, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन कराने के बाद उसके जो नतीजे आयें उनको तुरन्त लागू करें और इस बात की परवाह नहीं करें कि आज इस बात को कांग्रेस के माननीय सदस्य उठाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी तुच्छ राजनैतिक तीरंदाजी से कुछ नहीं होने का, न हमको फायदा होने का न माननीय सदस्यों को फायदा होने का। इस देश की अखण्डता और एकता की वाकई हमको परवाह है तो तमाम छोटे से छोटे तबके से लेकर ऊपर तक के तबके से लेकर ऊपर तक के तबके तक इस देश को वर्ग और जातियों में बांटकर के इस तरह की रिपोर्टस पर एक गहन अध्ययन करके, इस मण्डल आयोग के अलावा और दूसरी भी कोई रिपोर्टस हैं, तो इस देश के हित में, इस प्रान्त के हित में ऐसी रिपोर्टस को शीघ्रता से लागू किया जाय। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार कुछ कह रही है। इसमें कुछ कहना है ? ठीक है। श्रीमती रमा पायलट।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. अभी माननीय सदस्य ने आश्वासन दिया केन्द्रीय सरकार की तरफ से, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सदन को आश्वस्त कर दिया कि केन्द्रीय सरकार इसको लागू करेगी और राज्य सरकार से वह चाहते हैं उसमें हम भी उनके साथ हैं। हम भी राज्य सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि केन्द्र सरकार चाहे कुछ भी निर्देश दे लेकिन यह करें इसमें हम भी यह चाहेंगे कि वाकई इन ओ. बी. सी. क्लासेज का या अन्य पिछड़ी जातियां हैं। और जो भी कोई कारपोरेशन, रिपोर्ट, किसी तरीके से लेकर ऐसी कमेटी दुबारा बैठा दें जैसी पहले इस सम्बन्ध में गठित की गयी थी। इसमें सवाल तीस-चालीस साल या पचास साल का नहीं है। माननीय सदस्य अभी कह रहे कि चालीस सालों में कांग्रेस ने क्या किया अगर सारी बात करते हुए यही कहेंगे कि चालीस साल में कुछ नहीं हुआ, पचास साल में कुछ नहीं हुआ इसका साफ मतलब है कि चालीस साल में कोई काम नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। हमारे परदादा नहीं पढ़ा करते थे तो इसका मतलब यह है कि हम भी अंगूठा टेक रहे हैं। यह बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह का नजरिया हमारी सरकार और माननीय सदस्य रखेंगे तो राज्य की, नगर की, जिले की और देश की उन्नति और विकास कैसे होगा ? जहां तक माननीय सदस्य ने अभी कहा हम वर्गों और जातियों में न बंटे और देश को ऊपर ले जायं, हर वर्ग के दर्जे को ऊपर ले जायं तो यह तो बड़ी मानने वाली बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि माननीय सदस्य भी दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं शायद उनसे सम्बन्ध रखते हैं और उनको कहीं अभी चान्स नहीं मिला कि आप जैसी किसी ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अपने आपको बहुत छोटा कार्य-कर्त्ता मानते हैं। मैं तो समझती हूं कि वह हमारे नेता हैं क्योंकि उस क्षेत्र से जहां से यह आते हैं मेरा भी थोड़ा सम्बन्ध है। मैं उनको नेता की केटेगरी समझती हूँ और उनसे यह आशा करती हूँ कि वह छोटी बातों पर न जायं और अपने जिले पर ही आ जायं। जैसा उन्होंने केन्द्र की तरफ से आश्वस्त किया है वैसे ही वह हमारे सारे रहें अगर हम जायज मांग सरकार से करते हैं तो।

मण्डल आयोग की सिफारिशों को अगर आज तक लागू नहीं किया गया तो इसका यह मतलब नहीं कि उस पर कार्य-वाही नहीं की गयी। हो सकता है कि यह इतना कोम्पलीकेटेड मामला हो इतना बड़ा मामला था कि जिस पर कोई निष्कर्ष निकल कर हमारे सामने नहीं आया। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह मांग करती हूं कि पिछली सरकार ने जो आयोग बनाया था, उसके चेयरमैन के इस्तीफे के बाद उसको खत्म कर दिया गया। मेरी उनसे प्रार्थना है कि दुबारा से उसका गठन करें और सब तरह से विचार करके मण्डल आयोग की रिपोर्ट और दूसरी जो रिपोर्टस हैं, केन्द्र सरकार से व राज्य सरकार के पास जो हैं उनको इकट्ठा करके उस तरफ ध्यान दिया जाय। ऐसे वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें एक समान स्तर पर लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री सम्पत सिंह : आन ए पाईन्ट आफ क्लेरीफिकेशन ।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो आप नेता बन गये ? अब क्या है ?

श्री सम्पत सिंह : मेरा दिमाग 16 आने सही है और मैं कभी ऐसी मक्खनबाजी में आया नहीं करता । मैं माननीय सदस्या से यह निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मालीराम जी वर्मा के इस्तीफा दे देने के बाद हम चाहते हैं कि वह अध्यक्ष पद आपको दे दें ! आप अध्यक्ष इन्हें बना दीजिए हम तैयार हैं । आप अध्यक्ष बन जाइए ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक कविता सुना देता हूँ । अब श्रीमती रमाजी के हाथ में हीरा नहीं आया इसलिए यह कह रही हैं ।

"ऐ दास छकड़ा हाथ में हीरा आया और भर मन मानसून में बोया । बांका बांका फेंक आया और घरमाने रहे गया एक । निगाह पड़ी जद जाणयो तब रोयो माथो टेक । रोयो माथो ढेक पीसा घणा गंवाया और आयो हाथ छंदाम ।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनो—

"सच्चाई छुप नहीं सकती
कभी झूठे उसूलों से,
और खुशबू आ नहीं सकती
कभी कागज के फूलों से ।"

श्री सम्पत सिंह : मैं इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन कर रहा था, वर्ग का जहां तक सवाल है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थान में ओ. बी. सी. बोर्ड बना हुआ है उसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा लग चुका है । हम सिफारिश करेंगे कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य को उसका अध्यक्ष बना दें तो हम भी समझेंगे कि राहत मिलेगी । इनके मन में भी पीड़ा है । इसलिए आप भैरोंसिंह जी से कहकर उनको अध्यक्ष बना दें ।

श्री सम्पत सिंह : हम जाति और वर्ग में बांटकर इस देश में जो करना चाहते हैं उसमें मैंने यह कहा था कि देश के बाहर के जो खतरे हैं उनको मध्य नजर रखते हुए उस हद तक हम आपस में न लड़ें । मैं उस उच्च वर्ग की सहानुभूति को दावत दे रहा हूँ जो पिछड़े वर्ग के लिए होनी चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में....

श्री हरिसिंह : पांच हजार वर्ष से नहीं मिली ।

श्री सम्पत सिंह : मिलेगी । मुझे आप में इतना जज्बा भी दिखायी नहीं देता कि आप 24 घण्टे में करा लें । जब हम लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे तो आप अपने एयर कंडीशन मकानों में घुस जायेंगे । जहां तक सवाल कुर्सी का है मैंने उस संदर्भ में निवेदन किया था कि वाकई ऊंचा आसन है और हम लोग तो चाहे राष्ट्रपति बन जायं अपने आपको कार्यकर्त्ता ही कहेंगे ।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मंत्री) : मण्डल

Page No. 80

(80)

(श्री नत्थीसिंह)

आयोग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मण्डल आयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार विचार कर रही है और मण्डल आयोग पर वह राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श करेगी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : पाइन्ट आफ आॅर्डर। मेरा भी इसमें नाम है। मैं भी बोलना चाहता हूँ।

श्री नत्थी सिंह : मान लिया कि आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। सरकार का सुन लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के स्टेटमेण्ट की कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेण्ट नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सुने तो सही. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना सवाल है भारत सरकार मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करती है तो क्या राज्य सरकार उसको अक्षरत: लागू करने का मन रखती है या नहीं ? केवल इतना सा सवाल है। ज्यादा स्टेटमेन्ट की तो कोई बात नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : सरकार और भारत सरकार इस मण्डल आयोग के सम्बन्ध में समस्त राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर रही है, राजस्थान सरकार से विचार-विमर्श कर रही है, और भारत सरकार जो सबसे विचार-विमर्श करके निर्णय लेगी, उस निर्णय के हम साथ होंगे और आपको बता देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : उसमें किन्तु, परन्तु तो नहीं होगा, उसमें कहीं कोई कांटाफांसी तो नहीं होगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह नया सवाल पैदा हो गया, क्या राजस्थान की सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को यह अपनी तरफ से राय देगी कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय श्री जगमाल सिंह जी।

श्री सम्पतसिंह : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पतसिंह जी आप बोलिये।

श्री सम्पतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय राजस्व मंत्रीजी कह कर बैठ गये। अगर दिल्ली की सरकार ने यह कहा कि राजस्थान की इच्छा पर है कि वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करे या नहीं करे। उस स्थिति में आप क्या करेंगे ?

श्री सम्पतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था....

श्री जगमाल सिंह यादव : आप बताइये, अगर दिल्ली की सरकार ने यह फैसला आप पर छोड़ दिया कि राज्य सरकार चाहे तो लागू करे, उस स्थिति में राज्य सरकार लागू करने की स्थिति में है अथवा नहीं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसका जवाब दे दीजिए।

श्री सम्पतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक ही प्रश्न पूछा था, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। पूरी बहस यह हुई थी कि राजस्थान सरकार कितना जिम्मा लेना चाहती है, अपने ऊपर मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में। मैंने भी यह विनती की थी कि केन्द्रीय सरकार चाहे जो सोच रही हो हमारे प्रान्त में और खास तौर से मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में जो सरकार राजस्थान में विराजी हुई है, वह पूरे देश में पहल करे, खास तौर से उत्तरी भारत में पहल करे, मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करे, केन्द्रीय सरकार का जो भी व्यू पाइण्ट हो, उनसे वह निर्देश लें, कुछ भी लें, लेकिन पहल राजस्थान सरकार करे, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय में चाहता हूँ कि सदन की राय से, सदन में प्रस्ताव लाकर केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दिया जाये कि राजस्थान सरकार और... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए व्यवस्था है। इसमें आप लोग कुछ नहीं करेंगे। सदन विचार करेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : राज्य सरकार अपनी राय बताये कि अगर केन्द्र की सरकार उससे राय मांगती है तो क्या राय देगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। विराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : राजस्व मंत्री जी कह रहे है कि हमारी राय मांगेंगे और उसके बाद फैसला होगा। तो क्या समझते हैं, आपकी अगर राय मांगेंगे तो आप मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के पक्ष में हैं, या खिलाफ हैं ? क्योंकि मुझे एक चिन्ता है, जो कुछ भूमि सुधारों के बारे में आपकी सरकार की राय है, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आपकी इस मामले में राय अलग होगी। भूमि सुधारों के मामले में जो आपके दल की राय है और जो विश्वनाथ प्रतापसिंह जी की राय है, उनकी राय के खिलाफ हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राय दी है। इसका मतलब यह है...

श्री नत्थीसिंह : आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भूमि सुधारों की नीति में मैं भी मौजूद था, मुख्य मंत्रीजी मौजूद थे, हम सब जनता दल, और जितने भी मुख्य मंत्री हैं, और हमारे मुख्यमंत्री की, सबकी सम्मिलित एक ही राय थी और भूमि सुधारों के पक्ष में थी। आप गलतफहमी में हैं। आप गलत कह रहे हैं।

82

श्री हेतराम बेनीवाल : विश्वनाथ प्रतापसिंहजी की राय का विरोध किया है, केन्द्रीय सरकार के अन्दर जो विचार चल रहा था उसका विरोध किया है। मैं साबित कर सकता हूँ इस बात को।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। मामला बड़ा गम्भीर हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री सम्पतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त नहीं। मैं राजस्व मंत्रीजी से दुबारा निवेदन करता हूँ कि वह अपने स्टेटमेण्ट को मेहरबानी करके उस अन्दाज से बयान करें, जिससे हम आश्वस्त हों, पूरा प्रान्त आश्वस्त हो। यह राजस्थान सरकार क्या पहल करेगी, इस पर ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले मैंने उठाया है।

डा. हरीसिंह (महुआ) : वह सरकारी पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : राजस्व मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, पहल करने की बात पर। जो सम्पतसिंह जी ने प्रस्ताव दिया है, कहें। नत्थीसिंह जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री सम्पतसिंह : वह तो अभिजात वर्ग हैं, जो कहेंगे आप अन्दाज लगा लोगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं मेरी पूरी सहानुभूति है कि मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू की जायें। राज्य सरकार मण्डल आयोग के बारे में क्या करने जा रही है। जब यह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार हमसे पूछ रही है तो कम से कम इस मामले को तो सदन में बताने में कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरी चर्चा हो गई। माननीय कल्ला साहब।

श्री रामकरण सिंह : पाइण्ट आफ आर्डर। अभी मैं एक बात का क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। ऐसा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साइन किये हैं, माननीय जगमाल सिंहजी ने उसी समय साइन किये थे। आप कह रहे हैं कि मेरा नाम ही नहीं है, तो यह किसकी भूल हुई है। कम से कम इसकी व्यवस्था तो दे लीजिए।

एक माननीय सदस्य : काल अटेन्शन तो किया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने सौंपा, आप मगाकर देख लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जिनके काल अटेन्शन हैं, स्पीकर साहब ने यह रूलिंग दी है कि जिनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, उनको भी 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये। दो मिनट।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : रामकरण सिंह जी बोलेंगे।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्याक्ष महोदय, बड़ी मेहरवानी हुई कि खोयी हुई चीज आपको उपलब्ध हुई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह से अर्ज करने पर कम से कम आपने मेरा नाम तलाश किया है, इसके लिए बारबार धन्यवाद। अभी मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर दोनो तरफ से माननीय सदस्य अपने-अपने राजनैतिक पैंतरों के हिसाब से श्रेय लेने की कोशिश में थे। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह मण्डल आयोग कोई मामूली चीज नहीं है, यह बात बहुत गम्भीर मसला है। यह वह मसला है कि यदि यह जग गये तो न कांग्रेस को बख्शेंगे, न भारतीय जनता पार्टी को बख्शेंगे, न जनता दल को बख्शेंगे। किसी को नहीं बख्शेंगे। इसलिए माननीय सदस्य साहबान आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आप हर टाइम यह कहा करते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कि हम लोग गरीबों को साथ लाना चाहते हैं, हम हर आदमी को बराबर का दर्जा देना चाहते है। अगर आप बराबर का दर्जा देना चाहते हैं तो सर्वसम्पति से यह सदन आज निर्णय ले, आज निर्णय की घड़ी है, आज हर आदमी बाट देख रहा है, आज हर आदमी यह सोच रहा है कि गरीबों के हिमायती, चाहे वह कांग्रेसी हों, चाहे वह जनता सरकार है, वह कितनी हमारे गरीबों की सहायता कर सकती है। हमारे लिए कितनी हमदर्दी रखती है। मैं इस मसले को साधारण नहीं समझता। मैं इस मसले को इतना गम्भीर मानता हूं कि आज देश की, हर तरह की जो जिम्मेदारी है पचास फीसदी उन गरीबों के ऊपर निर्भर करती है जो मण्डल आयोग में हैं। करीब 80 जातियां इसके अन्दर शामिल हैं। 80 जातियों के शुभचिन्तक यहां बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को एक गम्भीर मसला समझकर इस सदन में निर्णय लें कि इन लोगों का क्या मूड है। मैं कहना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कांग्रेस ने चालीस साल में कुछ भी नहीं किया तो क्या अब आप भी वैसी हीं हालत करने जा रहे हैं? अगर उन्होंने भूल की तो क्या अब आप भी भूल करने जा रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मसले को गम्भीरता से सोचिये। इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेज के नाम से बवण्डर उठेगा। अब उनमें जागृति आयी है, अब वह समझने लगे हैं कि हम किस तरह से अब तक पिसते आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामकरण सिंह : हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। यह बहुत गम्भीर मसला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आप तो उनमें

(श्री रामकरण सिंह)

से हैं जो इन मसलों के बीच में पैदा हुए हैं, इसलिए आप तो स्वतः ही समय देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले टाइम किसानों की बात की थी, आज मैं ओ. बी. सी. के बारे में कहना चाहता हूँ कि मण्डल आयोग का मसला इतना बड़ा मसला है कि न जाने किस ढंग से यह जहाज उबर भी सकता है और डूब भी सकता है। चाहे केन्द्र हो या कोई प्रदेश हो, उनको सोचना पड़ेगा। बिहार वाले सोचेंगे, मध्य प्रदेश वाले सोचेंगे, उत्तर प्रदेश वाले सोचेंगे और आपके राजस्थान वाले सोचेंगे। यह बड़े प्रदेश हैं, इन प्रदेशों को यह सोचना पड़ेगा। मण्डल आयोग यदि लागू नहीं हुआ तो बहुत बड़ी निराशा आयेगी। जो राज्य में बैठे हैं उन्होंने कभी कत्ले-आम की परवाह नहीं की, वह चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो। उन्होंने आंख मींच ली, लेकिन यदि मण्डल आयोग लागू नहीं किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज गांवों में कम से कम 80 फीसदी आदमी इस मण्डल आयोग के अन्तर्गत आते हैं। उनको टीस है, दर्द है। वह चाहते हैं कि हम लोगों को भी स्वतन्त्र भारत में नागरिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिये जायं। विधान में कानून-कायदे से जो चीजें दी हुई हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बात आ गयी आपकी।

श्री रामकरण सिंह : अगर वह हमको नहीं मिलती हैं तो संविधान की दुहाई देने वाली सरकार और माननीय सदस्य इस बारे में क्या जवाब देंगे ? अगर इस समय इसमें कोताही की गयी तो मैं कह सकता हूं कि यह कोताही आगे जाकर एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि दिल की आग को छुपाये क्यों बैठे हो। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि दिल की आग को मत छुपाओ। मण्डल आयोग के लोग जो इसके अन्तर्गत आते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकरण सिंह : वह लोग चुप बैठे हैं। यह अधिकार की बात है। आप अनुशासन को तरजीह देते हो। मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आप जैसे आदमी जो इस दर्द को समझते हैं वही इस प्रकार की बात कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 295, श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामकरण सिंह : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर था, उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सदैव नियमों और परम्पराओं से चलता है। प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात् सदैव आसन द्वारा व्यवस्था दी जाती है ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में, एडजार्नमैण्ट मोशन के बारे में और 295 विशेष चर्चा के बारे में। उसके बारे में माननीय सदस्यों को कोई शिकवा-शिकायत होती है तो उसके बाद वह अपनी बात कहते हैं।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माननीय अध्यक्ष उनकी आपत्तियों का निराकरण करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से यहां पर सदन में ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है और इस परम्परा को तोड़ा जा रहा है। मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव अलख मठ के बारे में रखा था कि वहां करोड़ों की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें, माननीय अध्यक्ष ही...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सुन तो लें, एक मिनट। यह कह रहा हूं कि सरकार जब भी वक्तव्य दे, जानकारी जब भी दे लेकिन उन नाजायज कब्जों को रोकने की कार्यवाही तो करे सरकार। इस लोक महत्व के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तरह दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष : आप खुद कह रहे हैं जानकारी आये। जानकारी आने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : करोड़ों की सम्पत्ति के ऊपर कब्जा हो रहा है, उसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह सरकार भाग रही है, कब जवाब आयेगा, सदन के बीच में आयेगा कि नहीं आयेगा, यही मालूम नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्न काल के बाद जो माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहें उनको दें, फिर आप शून्य काल की कार्यवाही कृपा करके शुरू करें।

श्री उपाध्यक्ष : सुधार करेंगे इसमें। माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बून्दी ब्रान्च कैनाल का आधुनिकीकरण कर पानी पहुँचाने के सम्बन्ध में

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बून्दी जिले में चम्बल की नहरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो टेल के गांव आते हैं—रायथल, भैरेपुरा, बम्बोरी वगैरह, इनमें पानी नहीं पहुंच पाता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 30 वर्ष पुरानी एवं जर्जर अवस्था वाली चम्बल की नहरों में बून्दी ब्रांच कैनाल की सर्वाधिक दयनीय हालत है। वह नहर पहाड़, बरेड़, सलदार चट्टानों, कच्ची मिट्टी, नदियों, नालों आदि में होकर 67 किलोमीटर लम्बाई में पानी पहुंचाती है। इसमें सैकड़ों अनाधिकृत आउटलैट लगे हुए हैं। विशेष मरम्मत कार्य नहीं होने से हर वर्ष क्षतिग्रस्त होती रहती है, जिससे टेल एरिया की पंचायतों लालपुरा, बम्बोरी, रायथल, भैरपुरा, ओझा, रिहाणा, स्यावदा, खटकड़-अजेता, झरवालालापुरा के किसानों का काफी नुकसान होता है, फसलें हर वर्ष सूख जाती हैं और करोड़ों रुपयों की फसलों का राष्ट्रीय नुकसान होता है। इसके अन्तिम छोर के गांव प्रति वर्ष अकालग्रस्त

(श्री रामनारायण वर्मा)

रहते हैं। चम्बल परियोजना क्षेत्र में कैच-मैण्ट के नाम से काफी ज्यादा राशि का दुरुपयोग किया जाता रहा है। किन्तु अब तक भी उक्त बी. बी. सी. को ठीक नहीं किया गया है। इस ब्रांच कैनाल के बायीं तरफ आठ फीट मिट्टी प्रारम्भ से ही नहीं निकाली गयी है। इसके निकालने से आवश्यकतानुसार जल प्रवाह की क्षमता बढ़ायी जा सकती है। बून्दी तहसील के मुख्य क्षेत्र से सिंचित करने वाली इस नहर में बने साइफनों की सफाई एवं उचित मरम्मत नहीं होने से करीब 100 क्यूसेक्स पानी व्यर्थ ही बह जाता है। धनराशि के अभाव का नाम लेकर विभाग पानी के राष्ट्रीय नुकसान की जानबूझकर अनदेखी कर रहा हैं, जबकि बून्दी ब्रांच कैनाल के आधुनिकीकरण का कार्य विभिन्न चरणों में भी किया जा सकता है। स्थिति यह है कि बारहमासी कहलाने वाली इस नहर की अन्तिम छोर की वितरिकाओं में वर्ष भर में केवल 30 दिन भी मुश्किल से पानी पहुंच पाता हैं। यह स्थिति आखिरी हिस्से की अजेता डिस्ट्रीब्यूटरी या अन्य माइनरों की टेल पर बने टेल क्लस्टर के पास पानी पहुंचाने बाबत जो भी गेज अंकित करने हेतु रजिस्टर विभाग के पास हो, उसे देखकर स्पष्ट की जा सकती है। यह मामला सरकार की एवं गरीब किसानों के हितों की अनदेखी की पराकाष्ठा का है। जो इस प्रजातन्त्र में पूर्णत: असहनीय होने से समस्या के निराकरण हेतु सदन की जानकारी में लाया जाना आवश्यक है। अतः इस गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु चम्बल की बूंदी ब्रांच कैनाल के पुनः निर्माण की योजना सरकार द्वारा हाथ में ली जाकर गरीब किसानों के हितों की सुरक्षा करने तथा सरकार को कर्तव्य पालन, कर्तव्य निर्वहन का आदेश प्रदान किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड वही होगा जो आपने पढ़ा है। निवेदन का कोई मतलब नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : इससे सम्बन्धित नहीं है। मेरा स्थगन प्रस्ताव था कि गरीब मजदूरों को आठ-आठ रुपए चुकाये जा रहे हैं जिन्होंने अकाल राहत कामों के अन्तर्गत दिन भर काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग विषय है। माननीय श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो आपके ध्यान में लाना चाह रहा था कि गरीबों की हालत खराब है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था, वहां पेमेन्ट हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा हो तब कर लेना। यह 295 शुरू हो गया। माननीय श्री बैरवा।

श्री रामनारायण वर्मा : उसके सम्बन्ध में भी दिखवाइये, साहब।

ग्राम चिचोड़ा में चयनित कुओं के लिये स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्ध नियमों के नियम 295 के तहत ग्राम पंचायत चिचोड़ा तहसील छबड़ा जिला कोटा में हुए तीन लाख रुपए के घोटाले में लिप्त लोगों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में निवे- करना चाहता हूँ।

प्रकरण के अनुसार जीवन धारा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चिचोड़ा में अनुसूचित जाति, जनजाति चयनित 19 कुएं पास किये गये, जिनमें प्रति कुआं 20,600/- रुपए अनुदान राशि द्वारा देय थी। किन्तु विकास अधिकारी, सरपंच पटवारी एवं जे. ई. एन. द्वारा इस योजना में लगभग 2,98,200/- रुपए का घोटाला किया गया एवं एक भी कुआं नहीं खुदवाया गया। जानकारी मिलने पर पंचायत समिति के प्रधान श्री मानसिंह धनोरिया द्वारा जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, विकास एवं उप जिला कलक्टर को तार एवं पत्र के माध्यम से घोटाले की सूचना दी गयी। पत्रकार राजेन्द्र पाटनी द्वारा इस घोटाले को अखबारों के माध्यम से उजागर किया गया। वहीं नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सेवाराम गेरा, मोहम्मद करीम ने प्रशासन गांवों की ओर कैम्प में उप जिला कलक्टर से मिल कर घोटाले की जाँच की मांग की। जिला कलक्टर द्वारा सचिव, जिला परिषद बी. के. शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, किन्तु वे आज तक इस घोटाले की जांच करने नहीं आये। छबड़ा के उप जिला कलक्टर श्री गजानन्द 9 जून को चिचोड़ा पंचायत मुख्यालय गये और लाभार्थी काश्तकारों के बयान लिये, जो काफी हैरतअंगेज थे। जानकारी के अनुसार रामा मीणा नीमपुर ने बताया कि उसे सरपंच साहब ने तीन बार 3500 रु. करके कुल 10,500/- रुपये दिये और बताया कि तेरे कुल चौदह हजार रुपये पास हुए, जबकि उसके नाम से पन्द्रह हजार का भुगतान उठा लिया। धन्ना कबाड़ी ने बताया कि मुझे सरपंच ने केवल दो बार दो-दो हजार करके केवल कुल चार हजार रुपये दिये, जबकि भुगतान दस हजार रुपये का उठा लिया। बाकी भुगतान के लिए धन्ना ने विकास अधिकारी से कहा तो उन्होंने उसे जे. ई. एन. के पास भिजवा दिया, जहां जे ई. एन. ने उससे दो सादे कागजों में अंगूठा लगाकर कहा कि पैसे सरपंच साहब देंगे। इस प्रकरण में सबसे आश्चर्यजनक पहलू सोमा जाटव का आया जो 16 जनवरी को मर चुका था, किन्तु उसका फर्जी अंगूठा लगाकर पन्द्रह हजार रुपये का भुगतान उठा लिया गया। जबकि मृतक सोमा दस्तख्त करता था। सोमा के खेत में कुआ भी नहीं खुदा। लच्छा एवं किशना सूचना के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। जानकारी के अनुसार दोनों के कुएं नहीं खुदे एवं लच्छा के जमीन ही नहीं है। इनके नाम से भी 30,000/- रुपये का भुगतान उठा लिया। इसी तरह कंजर जाति के बन्ने सिंह, अमृत कंचन, खजानदार, अनरथ, कन्हैया, नरबदिया, अन्तर सिंह, भवानी, पन्ची ने बताया कि हमें सरपंच साहब द्वारा अपनी बाड़ी पर बुला कर दो बार 1500/- 1500/- कुल 3000/- रुपये दिये जबकि इसके प्रति व्यक्ति 20,600/- रुपये का भुगतान उठा लिया गया जिसमें 1000/- 1000/- के

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

इन्दिरा विकास पत्र देना बताया जो भी इन्हें नही दिए गए। आश्चर्य तो यह है कि इनमें से जिन कुओं की एम. बी. जे. ईएन. द्वारा भरकर भुगतान कराया वो पिछले 6 वर्षों के मध्य बने हैं जिनमें अधिकांश पर बैंक लोन है। इनमें से अधिकांश के नाम जमीन नहीं है। इन कुओं की मस्ट्रोल फर्जी भरी बताई जाती है एवं लगभग 1,50,000/- के चूने के पत्थर के बिल भी फर्जी लगाकर रुपये 2,98,200/- रुपये का घोटाला किया। प्रधान श्री मानसिंह धनोरिया एवं नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अबरार अहमद कोटा कलक्टर से मिले और बी. के. शर्मा सचिव जिला परिषद द्वारा जांच नहीं करने एवं उप जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच से अवगत कराते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। कलक्टर महोदय, द्वारा उप जिला कलक्टर छबड़ा से जांचकर पत्रावली मंगाने का वायरलेस द्वारा संदेश कराया जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की नींद हराम हो गई और उन्होंने सोना, लच्छा, किशना के रुपये 45,000/- पंचायत समिति में यह लिखकर वापस जमा करा दिये कि अनुदान राशि में कुआ नहीं खुदने से पड़ौसी से पांति कर उसके खेत में कुआ खुदवा लिया किन्तु उन्होंने अब पानी देने से मना कर दिया अतः इनके पैसे वापस जमा कर दिए जावे। इस पूरे प्रकरण की जांच कर जिलाधीश कोटा ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ 9 जुलाई, 89 को छबड़ा थाने में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई। भा. द. सं. की धारा 467, 468, 471, 409, 420 के अन्तर्गत थी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि कांग्रेस सरकार ने ग्राम पंचायत चिचोड़ा के सरपंच श्री छीतरलाल को दोषी पाये जाने पर निलम्बित किया और भ्रष्टाचार मिटाने वाले मुख्य मंत्री श्री शेखावत साहब ने भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच को सरकार बनते ही बहाल कर इनाम दे दिया।

अतः मेरी सदन में मांग है कि—

(1) उक्त कृषकों को उनका भुगतान कराया जावे।

(2) ग्राम पंचायत चिचोड़ा के सरपंच को पुनः निलम्बित किया जावे।

(3) 9 जुलाई, 89 को थाना छबड़ा में दर्ज रिपोर्ट में चालान किया जावे।

(4) उक्त प्रकरण में लिप्त सभी लोगों को सजा दिलवाने की व्यवस्था कराई जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित)

श्री मदनलाल सैनी।

ग्राम मेशीपुर जिला अलवर में माफीदारी प्रथा समाप्त हो जाने के बाद खातेदार के नाम दर्ज न होना।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व के प्रश्न पर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी और पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

(श्री मदन लाल सैनी)

श्रीमान्, गांव मन्शीपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर कभी माफी का गांव होता था। आजादी के बाद माफीदारी प्रथा समाप्त हो गई और जो काश्तकार उस समय माफीदारी भूमि को काश्त कर रहे थे उन काश्तकारों के नाम रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज हो गए और आज वे काश्त कर रहे हैं। लेकिन गांव मन्शीपुर के किसानों की स्थिति अज्ञानता के कारण थोड़ी भिन्न हो गई। मान्यवर गांव मन्शीपुर में आजादी से पूर्व मुसलमान रहते थे, पाकिस्तान चले जाने के कारण उक्त भूमि माफीदार ने गांव के किसानों को मुआवजा लेकर दे दी। दुर्भाग्य से उन काश्तकारों की जो रेकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं करवा सके, एस. डी. ओ. अलवर ने सन् 1963 में उनसे मुआवजा दिला दिया और उक्त भूमि खातेदारी काश्तकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिए। लेकिन आज तक उन्हें खातेदार काश्तकार रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। माफीदार कुछ समय से जमीन के भाव बढ़ जाने के कारण किसानों से और रुपये प्राप्त करने की नीयत से तंग करने लगा है और भूमि अपनी बताकर कब्जे के कई बार नाजायज प्रयास किये क्योंकि उसे जानकारी थी कि मुआवजा प्राप्त करने पर भी भूमि उनके नाम नहीं हुई है। यह व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति है और एस. डी. ओ. अलवर कार्यालय में रोडर होने के कारण अपने प्रभाव का अनुचित प्रयोग करते हुए भूमि काश्तकारों के नाम नहीं होने दी। काश्तकारों को तो तब पता चला जब उक्त 100 बीघा भूमि दिल्ली की एक करोड़पति पार्टी कोस्टम एक्सपोर्ट प्रा. लि. को बेच दी। उक्त माफीदार श्री शादीलाल वगैरह ने गोचर की 80 बीघा भूमि को इसी पार्टी को पुनः बेच दी है। 40 बीघा भूमि भी माफीदार ने उक्त सेठ अनिल कुमार को बेच दी। इस प्रकार उसकी 80 बीघा, 40 बीघा, 100 बीघा जमीन उक्त गांव की बेच दी जिस प्रकार ग्रामवासियों के मकान, तालाब आदि बने हुए हैं उसको तालाब और मकानों के सहित यह भूमि बेच दी।

जब पार्टी कब्जा करने आयी तब किसानों ने ए. सी. एम. न्यायालय अलवर में खातेदारी काश्तकार घोषित करने क्रयकर्ता सेठ अनिल कुमार की रजिस्ट्री निरस्त करने हेतु और भूमि से बेदखल ना करने के सम्बन्ध में एस. डी. ओ. अलवर के 1963 के निर्णय का हवाला देते हुए एक दावा प्रस्तुत किया। ना जाने क्यों ए. सी. एम. ने न्यायालय के विरुद्ध उक्त भूमि पर एस. डी. एम. के निर्णय की अवहेलना करते हुए रिसीवर 7-6-90 एवं 16-6-90 को नियुक्त किया जबकि गिरदावरी एवं मौके पर खड़ी फसल भूमि पर बने मकान व कुएं जिनमें किसान पीढ़ियों से रह रहे हैं, स्वामित्व सिद्ध करता है। तहसीलदार रामगढ़ के काश्तकारों के नाम एस. डी. ओ. के निर्णय 1963 के अनुसार भूमि का नामान्तकरण काश्तकारों के नाम ना कर उसी भूमि की रजिस्ट्रियां बावजूद शिकायतों के कर दी एवं अब भी कर रहा है।

मान्यवर, ऐसी स्थिति में ए. सी. एम. द्वारा काश्त भूमि की नीलामी आदेश पूर्ण

(श्री मदन लाल सैनी)

रूपेण पक्षपात व दिल्ली की करोड़पति पार्टी कोस्टम एक्सपोर्ट प्रा. लि. की साजिश से किये जा रहे हैं। उसे तुरन्त रोके जाना अति आवश्यक है। यदि ए. सी. एम. को कानून विरुद्ध नीलामी से नहीं रोका गया तो मन्शीपुर ग्राम से 25 सम्बन्धित परिवार इस कार्यवाही का विरोध करेंगे। भूमि व मकानों से बेदखल नहीं होंगे जिसके परिणामस्वरूप माफीदार और दिल्ली का सेठ अनिल कुमार अपने पैसे के प्रभाव से जबरन कब्जा लेने की कोशिश करेंगे। भूमि को नीलाम करवाने की कार्यवाही करेंगे। इस विवाद में पुलिस का तौर-तरीका जो इस सत्र में सुनने में आया है, देखने में आया है यहां पुनः मण्डावरी जैसे काण्ड की पुनरावृत्ति हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी एवं पुलिस अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में समय रहते हुए कार्यवाही करें और तथ्यों की गहराई में जाकर काश्तकारों के साथ न्याय करें। धन्यवाद।

1.30 म. प.

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन। (अनुपस्थित) श्री अमृत लाल परमार।

बाली में भयंकर बाढ़

श्री अमृत लाल परमार (बाली) : नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाली में भयंकर तबाही के बारे में है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाली में सबसे अत्यधिक बरसात हुई है और जिस प्रकार हमारे मंत्री महोदय ने कल जिक्र किया है वास्तव में वो दुःखदायी है। वास्तव में सबसे ज्यादा बरसात राजस्थान में हमारे यहां हुई है।

करीब 5000 मकान कच्चे व पक्के गिर गये हैं, बाली में, फालना में, इन्द्रा कालोनी में, खंडाला में, लुनावा, कोट, गुण्डारा, भीवाड़ा, गुडालारा, बमणिया, गुडलाश, सादलवा, टिप्टी, दांतीवाड़ा, धणी कालना गांव जादीगांव बोया, बाखा, लाठडा, मालारी, बिलिया, पाताबा सेवाड़ी, पादरला बीजापुर, भटून्द, खीमेल सरकार इनकी सहायता कितनी व कब करेगी ?

तालाब टूट गये उनके नाम : बाली का बड़ा तालाब, भीट बाड़ा का तालाब, बीजापुर का तालाब, अविलम्ब ठीक करवाये जाने की जरूरत है।

तालाब जो फूटने वाले हैं : कोटका तालाब, मुण्डाराला तालाब, सेला का तालाब, लुनावला तालाब, इनकी मरम्मत के तुरन्त आदेश दिये जाने की जरूरत है। इनके मरम्मत के आदेश कर अविलम्ब ठीक करवाने की कृपा करें।

बांध फूट गये व फूटने की तैयारी में हैं : सिन्दूख बांध, बाली में दुनालिया का

(श्री अमृतलाल परमार)

एनिकट फूट गये, दातीनाड़ा का बांध फूट सकता है ।

पुलियां और रपट भी टूट गई : भीट वाड़ा की पुलिया टूट गई ।

रोड टूट गई हैं : 1. मुण्डारा भीट वाड़ा रोड, 2. बाली से सुमेरपुर रोड वाया पंखा यह कृषि मण्डी के द्वारा बनाई हुई है अभी दो दिन पहले साण्डेराव पाली में रास्ता बन्द होने के कारण करीब 3 हजार ट्रकें चलीं जिससे पूरे रास्ते टूट चुके हैं अतः इन्हें तुरन्त ठीक करवाया जाये । फालना गांव से खीमेल तक का पूरा रास्ता साफ हो गया है । सड़क के पास 9-9 फीट के खड्डे पड़ गये हैं ।

रपट व पुलिया तोड़ना आवश्यक है : 1. मुण्डारा गांव का छोटा पुलिया-कारण पास की बस्ती साफ हो जायेगी । अभी करीब 8 फीट के खड्डे पास के मकान व दुकानें के पास पड़ चुके हैं । रास्ता बन्द हो चुका है इनके लिये सरकार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करे ।

2. भीट वाड़ा के गांव में घुस रही पुलिया सरपंच की अदूरदर्शिता के कारण व बार-बार मना करने पर भी बनाई गई है जिससे जनता को तकलीफ हो रही है, रास्ता बन्द हो गया । सम्बन्धित सरपंच व अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

मरने वालों की संख्या : प्रोपर बाली में—2, अनुदान राशि शीघ्र दिलवाई जावे ।

करीब 70 मकान गिर गये हैं, तुरन्त सहायता राशि दिलवाई जावे । बाली गांव में छोटी पुलिया दो टूट गई हैं उन्हें भी जल्दी से ठीक करवाया जावे ।

खेत में नदी फिर गई व कुए ढह गये : खीमाराम (खेड़ा) दांतीबाड़ा रास्ता पर है जो पूरा समाप्त हो गया है । जगाराम कुम्हार का अरट और भी ऐसे ऐसे खेत हैं । उनकी सहायता हेतु सरकार जांच करवा कर राशि उपलब्ध करवाय ।

घास की व्यवस्था अविलम्ब की जाय : बरसात में करीब-करीब सभी किसानों की घास पानी में भीग गई है व बर्बाद हो गई उनकी सरकार द्वारा अविलम्ब सहायता दी जावे ।

इलेक्ट्रीसिटी के कारण बहुत से मीटर जल गये है : आज उनसे ही नए मीटर लगाने के लिये 200 रुपये लिये जा रहे हैं अतः उन्हें फ्री मीटर दिये जाने की सरकार व्यवस्था करे ।

जिन गांवों के रास्ते कट गये हैं वहां अक्टूबर में ही पुलियां व सड़क बनाई जाय : भीटवाडा को पुलिया, जादरी की पुलिया, सेव तालाब, लाठाड़ा से मालारी

(श्री अमृतलाल परमार)

तक की रपट, वाली ओपर में तीन पुलिया, ओपर वाली में 3 रपट, बाजीपुर में पुलिया, भदन्द की पुलिया, कोठार का पुलिया; नाना की पुलिया, बीजापुर से जोरिया, कालराडी, कोचलबाग, भीमाना तक रोड पक्के किये जायं, नाजा से भीमान तक की सभी पुलियां बननी चाहिये । इन सारी, जितनी भी पुलियाऐं हैं उनका निर्माण अक्टूबर माह में ही प्रारम्भ किया जाय ।

पानी के पाइप फूट गए/बहकर चले गये

उनको शीघ्रातिशीघ्र लगवाया जाय । जवाहर योजना के तहत बने स्कूल गिर गए हैं । बाढ़ की रोक-थाम के लिये अक्टूबर में ही एनिकट, तालाब, रोड, पुलिया तुरन्त बनवाई जायं ताकि बरसात के पहले तैयार हो सकें । पूर्व सरकार की नीति यह रही है कि जब वर्षा आने की तैयारी होती है तब निर्माण कार्य कराये जाते थे ताकि बाढ़ में बहकर चले जायं व खुले-आम भ्रष्टाचार करने का मौका मिले ।

अत: मेरी मांग है कि सारे अधिकार सरपंच को नहीं देकर गांव के अन्दर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनकी कमेटी बनाकर पैसा वितरित किया जावे ताकि सरपंचों को खुले आम भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिले ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा ।

कृषि उपज मण्डी समिति सादुंलशहर में अधूरे विकास कार्य

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति सादूंलशहर जिला गंगानगर, राजस्थान द्वारा कराये गये अधूरे विकास कार्यों के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

मान्यवर, ग्राम पंचायत खाद्य सजवार पंचायत समिति सादूंलशहर जिला गंगानगर राजस्थान के क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति सादूंलशहर द्वारा इस क्षेत्र के किसानों के लाभ के लिये निम्न निर्माण कार्य करवाया गया था इस निर्माण कार्यों पर कृषि उपज मण्डी समिति का लाखों रुपया खर्च किया गया है, परन्तु इन निर्माण कार्यों का लाभ इस क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल पा रहा है । क्योंकि ये कार्य अधूरे पड़ हैं । इन निर्माण कार्यों को पूरा करवाने के लिये गरीब किसानों की ओर कृषि उपज मण्डी समिति सादूंलशहर, पंचायत समिति सादूंलशहर, जिलाधीश महोदय गंगानगर तथा राजस्थान सरकार को अनेक प्रार्थना-पत्र दिये जाते रहे हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये हैं और गरीब किसानों को कोई न्याय नहीं मिल पाया है । इस प्रार्थना-पत्र द्वारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस न्यायोचित मांग को पूरा कराने के लिये सम्बन्धित अधिकारी एवं विभाग को आदेश देने की कृपा करें ताकि ये अधूरे कार्य शीघ्र पूरे करवाये जाकर गरीब किसानों की कठिनाई दूर की जा सके ।

चक तरूत हजारा बावरियान 8 एस. डी. एस. तहसीलदार सादूंलशहर

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

जिला गंगानगर राजस्थान को डिफेन्स रोड से मिलाने के लिये एक सम्पर्क सड़क चक तख्त हजारा बावरियान से डिफेन्स रोड तक कृषि उपज मण्डी समिति सादूलशहर द्वारा चार लाख रुपये की लागत से बनाई गई थी। लिंक रोड तथा डिफेन्स रोड के बीच सादूलशहर से गंगानगर जाने वाली रेल लाइन पड़ती है। रेल लाइन पर रेलवे क्रासिंग अभी तक नहीं बनाया गया है। इस कारण चक तख्त हजारा तथा पास के अन्य सभी गांवों से आवागमन नहीं हो सकता है और न ही कोई वाहन माल ला और ले जा सकता है। चक तख्त हजारा बावरियान में 95 प्रतिशत हरिजन लोग (बावरी, नायक) निवास करते हैं जिनकी जमीन रेलवे लाइन से पार उत्तर की ओर है। उन गरीब किसानों को प्रतिदिन अपनी बैलगाड़ियों सहित खेत जाना पड़ता है। रेलवे क्रासिंग न होने के कारण समय समय पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रेलवे क्रासिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस गांव के गरीब हरिजनों ने लगभग 11,00 रुपये चन्दा करके डिविजनल मैनेजर उत्तर रेलवे बीकानेर को सर्वे की फीस के रूप में भिजवायें। रेलवे विभाग ने इस स्थान का सर्वे करके यहां रेलवे क्रासिंग की आवश्यकता महसूस की तथा नियमानुसार 20,000/- रुपये रेलवे क्रासिंग की फीस के रूप में जमा कराने पर रेलवे क्रासिंग बनाने की स्वीकृति कृषि उपज मण्डी समिति सादूलशहर को दे दी। इस क्षेत्र के किसानों द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव महोदय से 20 हजार रुपया जमा कराने के लिये कई बार निवेदन किया गया क्योंकि सड़क का निर्माण भी उक्त कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा करवाया गया था परन्तु सचिव महोदय ने यह रकम जमा कराने से साफ इन्कार कर दिया और फरमाया कि यह कार्य मण्डी समिति का नहीं है। इस क्षेत्र के गरीब किसान इतनी अधिक धनराशि एकत्रित करने में असमर्थ हैं और इस कारण उन्हें उपरोक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे लोग थोड़ा बहुत श्रमदान तो अवश्य ही कर सकते हैं परन्तु 20 हजार रुपये देने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में सड़क पर किया गया चार लाख रुपये का खर्च बेकार दिखाई देता है और किसानों की कठिनाई दूर करने का और कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिसके अभाव में पहले भी बहुत सी दुर्घटनाएँ हो चुकी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कार्य कृषि उपज मण्डी समिति के कार्य क्षेत्र में आता है और सचिव महोदय गरीब किसानों को नाजायज तरीके से तंग कर कर रहे हैं। कृषि उपज मण्डी समिति अब इस क्षेत्र के प्रत्येक किसान से हर प्रकार का टैक्स वसूल करती है तो उनका कर्तव्य और उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह इस प्रकार की समस्या का समाधान करे। गरीब किसानों को मण्डी समिति द्वारा राहत न पहुंचाना उनके साथ अन्याय है जिसे दूर करना आवश्यक है।

अतः श्रीमान्जी की सेवा में यह प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि आप उपरोक्त कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें ताकि अधूरा पड़ा यह कार्य पूरा हो

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

सके और गरीब किसानों को राहत मिल सके। आशा है आप शीघ्र ही उचित आदेश देकर गरीब जनता का भला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के बांधों व एनीकटों के निर्माण के सम्बन्ध में

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत पाली जिले की तहसील सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के अपूर्ण पड़े बांधों एवं एनीकटों की स्वीकृति कर निर्माण कराने बाबत निवेदन हैं कि तहसील सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के ग्रामों में न कोई बड़ा बांध, न कोई सिंचाई की बड़ी नहर ही विद्यमान है तथा काश्तकारों के कुओं में पर्याप्त मात्रा में पानी की कमी है तथा सोजत तहसील के अधिकांश ग्रामों विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में गत वर्षों से लगातार अकाल पड़ता रहा है। उक्त क्षेत्रों की कृषि भूमि क्षारयुक्त, बंजर एवं अनुपयोगी होने तथा भूतल में खारा पानी होने से उक्त क्षेत्र में काश्तकार मात्र खरीब की फसल पर निर्भर रहते हैं। वर्षा के निरन्तर अभाव व अकाल के कारण काश्तकारों की हालत चिन्ताजनक बनी रहती है। दुर्भाग्य की बात है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र के विकास एवं काश्तकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु तकनीकी एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार कई बांध एवं एनिकटों के बनने लायक स्थान उपलब्ध होने के पश्चात् भी कभी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। सोजत तहसील के पश्चिमी तरफ पोटलिया बांध जो काफी अर्से पूर्व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो चुका था उसे पुनः आरम्भ नहीं कराया गया। उक्त बांध को आरम्भ कराने से पिछड़े इलाके के काश्तकारों को काफी फायदा होगा। इसी प्रकार तहसील सोजत का घोलीदाता बांध का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस बांध के बनने पर हजारों काश्तकारों को फायदा होगा तथा काश्तकारों के कुओं का जल स्तर बढ़ जाएगा। उक्त बांध बनने से करीबन 106 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। पिछड़े काश्तकारों की आर्थिक स्थिति एवं राज्य की पैदावार में बढ़ोतरी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री से निवेदन करना चाहूँगा कि उक्त बांध के निर्माण की तत्काल स्वीकृति प्रदान करायें तथा इसके साथ ही तहसील सोजत का मण्डला बांध जिसके निर्माण से करीबन 29 हेक्टेअर कृषि भूमि में सिंचाई हो सकेगी तथा रूपावास एनिकट, माड़ावास, गागुडा एनिकट, गुडाबाडी एनिकट, गुड़ामदावता एनिकट, दोसडी एनिकट, जूनाबीच एनिकट, गुडारामसिंह एनिकट अनुमानतः लागत क्रमशः 2.10 लाख रुपए, 1.50 लाख, 2.10 लाख, 1.70 लाख, 1.70 लाख, 1.80 लाख रुपये तथा खुखीवाला एनिकट, बागावास एनिकट एवं पीढर भुतिया एनिकट, धारीयानी नोप जो बहुत ही कम लागत के तथा राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

बहुत ही कम लागत के होने तथा अविलम्ब पूर्ण हो सकते हैं। तथा मारवाड़ जंक्शन तहसील में चिरपटिया बांध जो सन् 1982 में अतिवृष्टि के कारण टूट गया था उक्त बांध के निर्माण हो जाने से करीबन 900 हेक्टेअर कृषि भूमि में सिंचाई होगी तथा उक्त बांध के निर्माण होने से इस क्षेत्र के हजारों काश्तकारों को फायदा होगा। अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उक्त बांध को अविलम्ब निर्माण की स्वीकृति प्रदान करायें ताकि पूर्व में राज्य सरकार के लगे लाखों रुपयों का सही उपयोग होकर काश्तकार लाभान्वित हो सकें।

इसी प्रकार फारोलिया एनिकट, हेमलियावास अनुमानतः लागत 2 लाख रुपये; हमीरवास एनिकट, शेखावास अनुमानतः लागत 1.60 लाख रुपये के कार्यों को स्वीकृति प्रदान कराने से काश्तकारों को फायदा होगा। आस पास के कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा।

इस क्षेत्र के गरीब एवं पिछड़े काश्तकारों को काफी लाभ होगा तथा इनके निर्माण में हजारों बीघा कृषि भूमि सिंचित होगी। राज्य सरकार की पैदावार भी बढ़ेगी तथा काश्तकारों के कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। अतः अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा एवं अविकसित है। लगातार अकाल से इस क्षेत्र के काश्तकारों एवं जनता को कई वर्षों से जूझना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तरह न तो इन्दिरा नहर निकलती है, न माही जैसा बांध है, न गंगा नहर है। यह इलाका अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है तथा यहां की कृषि भूमि क्षारयुक्त है। अतः भौगोलिक दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्षा के पानी को उक्त बांध व एनिकट बना कर रोक दिया गया तो इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी। काश्तकारों की कृषि भूमि में अच्छी पैदावार होगी, काश्तकारों के कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। अतः उक्त बांधों एवं एनिकटों की स्वीकृति प्रदान कर इन्हें आरम्भ कराने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत लाल निनामा।

बांसवाड़ा जिले के काश्तकारों की समस्याओं के सम्बन्ध में

श्री नवनीत लाल निनामा (घाटोल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव है। जिला बांसवाड़ा में माही डेम बना जिसका काम 1965 में प्रारम्भ हुआ था और 1985 में पूर्ण हुआ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : 295 में जब पढ़ा जाता है तो कन्सर्निंग मंत्री विराजमान रहते हैं। मन्त्री का रहना आवश्यक है। सरकार को आप निर्देश दे दीजिए कि ऐसे जो 295 में लगे उस समय कन्सर्निंग मंत्री यहीं विराजमान रहें... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 295 में यह व्यवस्था है कि जो कुछ उनके पास लिखा हुआ है वही पढ़ सकते हैं और उसकी कापी मंत्री के पास रहती है तो अब सुनना क्या है ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : पहले मंत्री नहीं बैठते थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए। इसमें मंत्री को कोई जवाब तो देना ही नहीं है। इसका लिखित जवाब माननीय सदस्यों को प्राप्त हो जाएगा। जो पढ़ा जा रहा है मंत्री महोदय उसको देखेंगे और सरकार यहां मौजूद है।

श्री ईश्वर लाल सैनी : इसके बाद भी सम्बन्धित मंत्री बैठते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब यह आते हैं तो माननीय मंत्री महोदय के पास नोटिस नहीं होता है यह सुबह आपके पास आते हैं उसके बाद की सूचना किसी मंत्री को नहीं होती है।

श्री नवनीत लाल निनामा : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि बांसवाड़ा जिले में माही डेम से प्रभावित काश्तकारों को जो जमीन अलाट की गई है वह भूमि अलाट करने के पहले ही स्थानीय किसानों के कब्जे में थी और कृषक अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए जब जाता है तो उसके पहले मूल निवासी काश्तकार उस जमीन को जोत रहा है जिससे बड़ा भारी विवाद हो गया है इसके बारे में यह मेरा 295 का सुझाव है।

जिला बांसवाड़ा में खेती करते किसानों की अनावश्यक परेशानी को रोकने बाबत राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के नियम 295 के तहत प्रस्ताव। महोदय, निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान का आखरी जिला बांसवाड़ा में माही डेम नाम का एक तालाब का कार्य 1965 से प्रारम्भ किया गया था व उसका कार्य डेम बांधने का 1984-85 के दरमियान पूर्ण किया जा चुका है। उक्त तालाब व (बांध) बांधने से बांसवाड़ा जिला के 112 गांव डूब में आये व कुछ ग्रामीण जनता 112 गावों के अलावा डूब से प्रभावित हुई है।

जो किसान माही डूब के प्रभाव में आ गये हैं उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दे दिया गया है व उन्हीं किसानों को अन्य गांवों में भूमि खेती करने का एलाटमेंट है लेकिन मौके पर माही विस्थापितों द्वारा 10 या 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। यह कि जब जमीन माही प्रभावित किसानों को एलाटमेंट की गई उसके पूर्व ही स्थानीय किसानों द्वारा मौके पर खेती करना शुरू था। वे अब जिला बांसवाड़ा में माही विभाग अधिकारियों की भूल से एक ही आराजी व नम्बर भूमि पर 2 किसानों की लड़ाई प्रारम्भ कर दी गयी है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :

जहां माही विस्थापितों हेतु जमीन एलाटमेंट की गई है वहां मौके पर अधि-

(श्री नवनीत लाल निनामा)

कारियों ने जाकर के माही विभाग कार्यालय में बैठ कर एलाटमेंट कर दिया है।

जहां भी जमीन एलाटमेंट की है वहां पर मूल निवासी किसान नाजायज कब्जा करके खेती करते आ रहे हैं और वर्तमान में भी खेती कर रहे हैं।

जिन ग्राम पंचायतों में जमीन एलाटमेंट की गई हैं उसी भूमि पर पहले से ही अन्य काश्तकारों के मकान कुऐं, बगीचे एवं निजी अन्य सम्पत्ति मौजूद है।

जो जमीन माही प्रभावित किसानों को एलाटमेंट की गई 1981 से 1983 के समय पर मौके पर जिस गांव के किसान खेती करते थे उन किसानों वार्ड पंचों, सरपंचों आदि किसी से जानकारी नहीं ली है तथा गुप्त में जमीन एलाट की गई है। जिन काश्तकारों ने मौके पर नाजायज कब्जा कर जमीन काबिज की है उनके पास पूर्व में खाते में जमीन नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व चारागाह वन विभाग की जमीनों पर काबिज होकर खेती करते हैं। जो जमीनें एलाट की गई हैं उस जमीन पर माही प्रभावित किसानों का 10 वर्ष बाद भी कब्जा नहीं हुआ है व मौके पर जमीन खाली भी नहीं है फिर ये पेपर एलाट पट्टे सरकार ने खारिज क्यों न माने है। माही विस्थापितों को मौके पर खाली पड़ी भूमि को जांच करा दिलाने के आदेश दिया जावे कि बांसवाड़ा जिला में माही व स्थानीय किसानों के बीच चालू कराया गया विवाद तुरन्त बन्द करने के आदेश जारी हो व सेटलमेंट पैमाइश के अभाव में किसानों की परेशानी व खातों के बंटवारे पर राज्य सरकार तुरन्त विचार करे।

इसी आशा के साथ नियम 295 के तहत प्रस्ताव राजस्थान सरकार की सेवा में विचार हेतु प्रस्तुत है। मान्यवर निवेदन इस प्रकार है कि मैं एक खसरा रिकार्ड नक्शा लाया हूँ जो आपकी आज्ञा से टेबिल पर रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री नवनीतलाल निनामा : मंत्री महोदय की जानकारी के लिए जो काश्तकार खेती करते हैं वही नम्बर माही विस्थापित काश्तकारों को अलाट किया है। इन गांवों की खसरा व अलाटमेंट की पर्ची आपकी जानकारी के लिए मैं सदन को टेबिल पर रख रहा हूँ। इस पर विचार किया जाये और जिला बांसवाड़ा में एक जमीन पर दो किसानों की भिडंत कर दी गयी है उसे तुरन्त रोका जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम किशोर सैनी।

बांदीकुई में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर जिले के बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना। महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में उठाना चाहता हूँ।

(श्री रामकिशोर सैनी)

जयपुर जिले के बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है। जिससे वहां की जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है। बसवा एवं बांदीकुई में जो पानी की टंकियां बनी हुई हैं वह वहां की जनसंख्या के हिसाब से कम पड़ती है और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आये दिन नये-नये कनेक्शन दे रहा है। जिससे पानी का संकट अधिक गहराता चला जा रहा है। आये दिन पानी की किल्लत रहती है। इसी तरह से विभिन्न गांवों में भी जैसे अरनियां, गुडलिया व अन्य गांवों में जहां भी नल योजना स्वीकृत है व टंकियां बनी हुई हैं। इसके बावजूद भी वहां पर कोई कनेक्शन व टंकियों पर सार्वजनिक नल नहीं लगाये जा रहे हैं। अधिकारियों से बार-बार कहने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नल योजना के तहत जो लाइनें बिछायी गयी थी वे भी जगह-जगह से टूटी हुई है जिससे पानी रास्ते में ही बेकार बह जाता है। जरूरतमन्द लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। हैण्ड पम्पों की संख्या भी बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में बहुत कम है व जो हैण्ड पम्प है वे भी ज्यादातर खराब पड़े हैं जिससे वहां की जनता में घोर आक्रोश व्याप्त है। बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में जिस ठेकेदार ने हैण्डपम्प लगाये हैं उसने विभाग के अधिकारियों से मिलकर सही मापदण्डों के अनुसार हैण्ड पम्प नहीं लगाये हैं। हैण्ड पम्प एक या दो महीने ही सही चल कर खराब हो जाते हैं बसवा व बांदीकुई में नई टंकिया बनवाने जहां पर नल योजना है वहां पर सार्वजनिक नल व कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र लगाने की व्यवस्था करावें व दोषी ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जावे व उसे आगे से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में हैण्ड पम्प लगाने का ठेका न दिया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

राजस्थान में पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 295 के तहत राजस्थान में पेयजल व्यवस्था पर अब तक एक हजार करोड़ रुपया व्यय हो चुके हैं लेकिन यह व्यवस्था अभी तक नहीं सुधरी। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है तथा हमने पहले से अब तक प्रत्येक ग्राम की पेयजल व्यवस्था पर विचार नहीं किया। ग्रामवार पेयजल व्यवस्था पर विचार नहीं किया किस ग्राम की पेयजल व्यवस्था क्या हो, यहां हैण्ड पम्प लगाने चाहिए, कुआ खोदना चाहिए या मोटर लगानी चाहिए या नल लगा कर वितरण होना चाहिए। तीनों का व्यय भी बड़े गांवों में करीब एक सा ही आता है। एक हैण्ड पम्प की लागत 20 हजार के करीब आती है। यदि ग्राम में 2 या 3 हैण्ड पम्प लगाये जायें तो 50 हजार रुपये, 60 हजार रुपये का खर्चा आता है। कुआ भी इसमें नहीं बन सकता। गांव में कुओं पर मोटर लगा कर पानी भी नहीं दिया जा सकता। अतः सर्वे या जांच करके जो जहां उचित हो वैसी ही योजना बनानी चाहिए। हैण्ड पम्प मरम्मत करने की योजना भी पंचायत समितियों के पास है

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

उसे जलदाय विभाग की जिम्मेदारी में देना चाहिए। पंचायत समितियों से इसे अलग कर देना चाहिए। हमें जहां नल लगाना है वहीं पर नल लगाने चाहिये जहां हैण्ड पम्प लगाने हैं वहां हैण्ड पम्प लगाने चाहिए जहां कुएं बनाना है वहां कुएं बनाने चाहिए। पानी का जल स्तर बढ़े इस पर भी विचार करना चाहिए। सिचाई की तरह ही यहां पर प्रत्येक ग्राम में चाहे छोटा हो या बड़ा हो तालाब होना आवश्यक है। इस तालाब से भूजल का स्तर बढ़ेगा वहीं वहां सिचाई की सुविधा भी बढ़ेगी तथा मवेशी को पानी भी मिलेगा और भूमि का जल स्तर बढ़ने से हैण्ड पम्प भी अधूरे हैं उनसे हमें पानी मिल जायेगा। पानी नदी नालों तालाब में भरने के बाद ही बाहर जायेगा इससे बाढ़ पर भी नियन्त्रण होगा।

पीने का पानी स्वच्छ हो इसकी जांच हमें पहले करनी चाहिए क्योंकि कहावत है कि पानी छानकर पीना चाहिए।

हमारे छबड़ा क्षेत्र में आज भी कई ग्राम प्यासे हैं। बिना सोचे हैण्ड पम्प लगा कर हमने मांग की है जो ठीक नहीं है। छबड़ा नगर में भी अब बड़ी टंकी बननी चाहिए क्योंकि आज से 15 साल पहले की टंकी छोटी हो गयी है शिवजी को टोकरी के नीचे एक टंकी बने जिससे पूरे नगर में भली प्रकार पानी दिया जा सके। छीपा बड़ौद व हरनावदाशाह जी की योजनाओं को सुधारा जाना चाहिए। जिससे गांव में पानी मिल सके।

निवासियां, बढावदा, ऊंचा जहां पानी की बहुत कमी है हैण्ड पम्प भी सफल नहीं हुए हैं वहां आवश्यक है, नल योजना स्वीकृत करनी चाहिए।

चौकी बढ़ावदा पार गाड़िया मेहर जहां 300 फुट तक पानी नहीं है वहां की पांच हजार की आबादी के लिए पार्वती से एक कि. मी. पर नल योजना बननी चाहिए। जेलम, बमोरी, थाहा, गोरधनपुरा एवं कोठडी बड़े-बड़े ग्राम है जिसमें हमें 7-8 हैण्ड पम्प लगाने पड़ेंगे, खर्चा बहुत आता है उसके बजाय वहां नल योजना आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक ग्रामवार सही जांच करके योजना प्राथमिकता के आधार पर पीने के पानी की बनानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मोरदिया।

शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं को यू. जी. सी. के वेतनमान में बरती गई अनियमितता

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं को यू. जी. सी. वेतनमान के अन्तर्गत बरती गई अनियमितताओं के बाबत विशेष उल्लेख।

शिक्षा विभाग योजनाबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्याख्याताओं के साथ पदोन्नति में भेदभाव कर रहा है। शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश संख्या एफ. 2 (8)/शिक्षा/3/84 दिनांक 7 मई, 1987 के अनुसार 273 व्याख्याताओं को

(श्री परसराम मोरदिया)

डिग्री हैड एवं पी. जी. हैड के पद पर पदोन्नत किया गया। इस तरह पदोन्नति में 55 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को लाभ मिला।

परन्तु उक्त आदेशों के तीन वर्ष बाद इस मिलीजुली सरकार ने एक अन्य आदेश क्रमांक एफ/20 शिक्षा 3/87 पार्ट 24 मार्च, 1990 के अनुसार व्याख्याताओं को यू. जी. सी. वेतनमान के अन्तर्गत वरिष्ठ व चयनित श्रृंखला दी गई है। यह वेतनमान 1-1-86 से स्वीकृत किये गये जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्याख्याताओं को नुकसान हुआ है। इस तरह के आदेशों से लगभग 35 पी. जी. हैड्स के व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची ही खत्म होने जा रही है जिसका परिणाम यह होगा उपाध्यक्ष महोदय, कि लगभग एक हजार व्याख्याता अनुसूचित जाति और जनजाति के सवर्ण जाति के अन्य व्याख्याताओं से जूनियर हो जावेंगे और यदि सरकार ने समय रहते उक्त आदेशों में संशोधन नहीं किया तो आने वाले 10 से 15 वर्षों में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी भी व्याख्याता की प्राचार्य के पद पर पदोन्नति नहीं हो सकेगी।

अतः मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस मामले को गम्भीरता से लें और इस विशेष उल्लेख के द्वारा मांग करता हूँ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्याख्याताओं के साथ इस तरह का षडयन्त्र करने वालों के खिलाफ निश्चित तौर से जांच करें और सही जो आदेश 1987 का था उसको लागू करें। इस आदेश को दुरुस्त करें ताकि उन परिवारों के साथ न्याय हो सके। यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र में रामकिशन मीणा पर कातिलाना हमला

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत अविलम्बनीय विशेष उल्लेख का मामला। महोदय, गत विधान सभा चुनाव में छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री श्रीमान् भैरोंसिह जी शेखावत, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, श्री जगमोहनसिंह जी कांग्रेस पार्टी की ओर से, श्री तेजराजसिंह जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे।

मतदान के दिन निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक श्री रामगोपाल बंजारा एवं उसके साथ तीन-चार साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री रामकिशन मीणा पर कातिलाना हमला किया जिससे उसके सिर पर गम्भीर चोटें आई एवं हाथ में फ्रेक्चर हो गया। वह लोग उसे मरणासन्न अवस्था में वहीं पर छोड़कर यह कहते हुए चले गये कि अगर किसी ने भाजपा को वोट दिया तो हम उसे देख लेंगे और ऐसी ही हालत कर देंगे जैसी रामकिशन मीणा की की है। आज भी यह सरपंच खुले आम घूम रहा है जबकि इसके खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज है। छीपबड़ोद, छबटा कोटा

(श्री अर्जुनदास मदान)

एवं जयपुर आदि स्थानों पर इस आदमी को घूमता हुआ देखा जा सकता है। इस सरपंच के आतंक के बारे में भाजपा का प्रतिनिधिमण्डल कई बार कोटा पुलिस प्रशासन से मिला एवं मांग की कि सरपंच एवं उसके साथियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जावे वरना और भी कोई गम्भीर घटना घट सकती है। इन्हीं लोगों ने पूर्व विधायक प्रतापसिंह सिंघवी जो कि श्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के प्रबल समर्थक हैं व चुनाव प्रभारी भी थे, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी है। दुःख का विषय है कि जो व्यक्ति श्रीमान् भैरोंसिंह जी के चुनाव में इतनी बड़ी हरकत कर सकता है—

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसको एक्सपंज करो, व्यक्ति नहीं है उसका नाम पढ़ रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कल एक सेठ का नाम एक्सपंज करवा लिया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष जी ने मन्जूर किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने नोटिस दिया है, स्वीकार किया है। आपको भी कहा था कि नोटिस देकर बोल सकते हो। आप अनावश्यक रूप से बीच-बीच में उठ जाते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह गलत है परम्परा।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं, मान्यवर, आपकी बिना अनुमति के तो बोल नहीं रहा हूं। मैं आपकी अनुमति से ही बोल रहा हूँ।

यह आज भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूमता है और उनके सरकारी निवास में बैठा हुआ देखा जा सकता है। इससे शर्मनाक बात और अधिक क्या हो सकती हैं।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे जन-जन के प्रियनेता श्री भैरोंसिंह जी चुनाव में इस प्रकार की हरकत करने वालों को कानून की प्रक्रिया के अन्तर्गत दण्ड दिया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों पर से रोक हटाने के सम्बन्ध में

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 295 के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 1986 के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर से रोक हटवाने के सन्दर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

मै आपका ध्यान राज्य में नवयुवकों के लिए उत्पन्न कठिनाई की ओर दिलाना चाहती हूं कि जिन्होंने वर्षों कठिन मेहनत करके, हजारों रुपये टाइप सीखने में खर्च करके और उसके पश्चात् आयोग की फीस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देने के बाद 1986 में आयोग द्वारा आयोजित उपरोक्त परीक्षा पास की। उसके पश्चात् इस लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की आयोग ने टाइप की परीक्षा ली। इसमें स्वयं इन बेरोजगार नवयुवकों ने स्वयं की टाइप खरीदी, उसका खर्चा भी बर्दाश्त किया होगा और इस खर्चे के साथ-साथ अपना समय भी बर्बाद किया। उस सबका अनुमान लगाया जा सकता है।

इसके बाद एक लम्बे अन्तराल तक सभी सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगी रही और सत्ता परिवर्तन के बाद आपने सीधी भर्ती पर रोक लगाई थी जो कि एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है क्योंकि आयोग की नियुक्तियां एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष, योग्य उम्मीदवारों का चयन हुआ, यह एक अच्छी शुरूआत हुई एवं आशा बंधी थी कि अब चयन के माध्यम से इनकी नियुक्तियां होगी। इस बार चयन में एक अच्छी शुरूआत थी और इस बैच में जो मेरिट बनी थी वह सभी जिलों की थी। बांसवाड़ा जिले के लिए उसमें 36 उम्मीदवार थे। अन्य जिलों के भी आशार्थी ऐसी सूची में थे।

इसी के फलस्वरूप आयोग ने 7 मार्च, 1990 को इन उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट घोषित की और इनकी चयन प्रक्रिया शुरू की, सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियों के लिए राज्य सचिवालय को इनकी लिस्ट प्रेषित की। न जाने क्यों सरकार ने अचानक सभी नियुक्तियों पर रोक के आदेश जारी कर दिये और इनकी नियुक्तियां असम्भव हो गई।

मान्यवर, अब यह स्थिति उत्पन्न होने वाली है कि आयोग के नियमों के अनुसार घोषित लिस्ट की तारीख के एक वर्ष बाद यह लिस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाती है और इन उम्मीदवारों में से कई तो अपनी आयु सीमा पार करने की वजह से आगे फिर कभी आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने के योग्य ही नहीं रहेंगे। उनके भविष्य के साथ एक अन्धकार का अध्याय जुड़ने वाला होगा।

मेरा निवेदन है, मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि लोक सेवा आयोग की इन नियुक्तियों पर से रोक हटाने के आदेश दें जिससे यह सब आशार्थी लाभ प्राप्त कर सकें जो कि चयन प्रक्रिया के माध्यम से श्रेष्ठ घोषित किये जा चुके हैं। राज्य की सेवाओं में यह अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकेंगे और सेवा नियुक्तियों के माध्यम से अपनी आजीविका भी अर्जित कर सकेंगे। सरकार को वैसे भी अभी जनगणना आदि के क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकता होगी।

अभी अनिश्चितता के कारण उक्त आशार्थियों में भयंकर असंतोष है तथा एक बड़ा तबका इनके परिवारों का जिसमें यह सब लोग हैं असन्तोष व आक्रोष में लिप्त हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार को आप भी मेरी तरफ से कहें, मेरा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सहयोग करें और कहें कि यह रोक हटे जिससे आशार्थियों को मिलने वाली आजीविका का लाभ प्राप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

सीकर छात्रावास से पुलिस फोर्स हटाने के सम्बन्ध में

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 295 के तहत जिस मुद्दे को सठाना चाहता हूं राजस्थान की विधान सभा में 1987 में काफी चर्चित रहा है।

सीकर शहर में एक किसान छात्रावास में पिछले तीन वर्षों से राजस्थान की पुलिस बैठी है। जिले के हजारों लोगों के प्रयत्नों से और धन से निर्मित इस छात्रावास में जिले के किसानों के छात्र रहते थे। यह छात्र मामूली खर्चे पर अपने निवास का प्रबन्ध करके इसमें रहा करते थे। अध्ययन का वातावरण उचित रहता था। केवल किसानों के परिवार से सम्बन्ध होने के कारण इस क्षेत्र के होने वाले जन आन्दोलनों में यह लोग हिस्सा लिया करते थे। उस वक्त की तत्कालीन सरकार जिसमें मंत्री की व्यक्तिगत इनसे नाराजगी थी। उन्होंने पुलिस के साथ षडयन्त्र करके इस छात्रावास में एक टीचर को गिरफ्तार करने के बहाने पुलिस भेजी। गिरफ्तार करते समय पुलिस की और छात्रों में आपस में कहा-सुनी हो गई। इस संघर्ष के बाद एक थानेदार को चोटें पहुंच गई। पुलिस में इस बात का बहाना लेकर 22 अप्रैल, 1987 को उस छात्रावास को घेर लिया और चारों तरफ से फायरिंग करके एक कानाराम नाम का विद्यार्थी उसमें शहीद हुआ। इस शहादत के पश्चात्, सीकर के आसपास के हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। साल भर तक यह आन्दोलन चलता रहा। राज्य सरकार ने इस छात्रावास को अपने कब्जे में ले लिया। गोली काण्ड की जांच और छात्रावास के कब्जे को लेकर विभिन्न स्तरों पर आन्दोलन हुए। शहर में 144 धारा लगाई गई। किसानों पर लाठी चार्ज हुआ। सैकड़ों पागल हुए। प्रान्त व्यापी प्रदर्शन और सीकर में उत्पन्न तनाव के कारण तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने 24 जून, 1987 को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जिसमें विशेष तौर से विपक्षी दलों के नेताओं में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, केदार जी या दूसरे विधान सभा के तत्कालीन सदस्य थे। छात्रावास की कमेटी को सौंपने की गोली काण्ड की न्यायिक जांच करवाने की और शहीद कानाराम के परिवार को मुआवजा दिलाने की बात के बाद यह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया और यह आश्वासन उन नेताओं को दिया गया। आन्दोलन स्थगित होने पर यह घोषणायें पूरी नहीं हुई। कांग्रेस के द्वारा जो घोषणायें की गई थीं वह थोथी असत्य निकली। इसके पश्चात् 21-9-87 को उस समय तत्कालीन विधान सभा के सदस्य कामरेड शोपतसिंह और लेबर किसान नेता जवाहर सिंह भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल में शोपतसिंह जी की हालत जब चिन्ताजनक हुई, उन्हें अस्पताल भेज दिया गया और उस

(श्री हेतराम बेनीवाल)

वक्त उस समय के विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिह शेखावत, श्री केदारनाथ जी शर्मा इत्यादि के दखल देने पर उन्हें पूर्व मुख्य मंत्री जोशी जी ने इस मामले की यथावत जांच करवाने और उनके कानाराम के परिवार को मुग्रावजा देने व छात्रावास को कमेटी को सौंपने का आश्वासान दिया। उस वक्त की सरकार के मुख्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी यह समस्या हल नहीं हुई और आज तक पुलिस उस जगह बैठी है। इतना लाखों रुपया राज्य सरकार का उसमें खर्च हो चुका है। छात्रावास पुलिस के कब्जे में है। आश्वासन दिलाने के बाद भी इस संघर्ष को नैतिक समर्थन देने वाले और विधान सभा में उस समय राज्य सरकार पर दबाव डालने वाले नेता आज इस सदन के नेता हैं, राज्य के मुख्य मंत्री है। सदन के नेता, राज्य के मुख्य मंत्री छात्रावास की इस प्रकार समस्या हल करने की बजाय उन्होंने भी पुलिस बैठा रखी है। सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। किसानों के बच्चे बिना छात्रावास के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राज्य में मुख्य मंत्री अपने पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। इस मामले को हल करना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं उनका आचरण, कथनी और करनी, यह इस बात का सबूत है कि चार महीने गुजरने के बाद भी, जो जोशी जी कहा करते थे मेरी समझ में यह उसी बात का पालन कर रहे हैं। पूरे प्रकरण में यह साक्षी रहे व आन्दोलनकारियों के हित चाहते वाले विशेष तौर से उस क्षेत्र के रहने वाले क्योंकि भैरोंसिह जी शेखावत उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां यह छात्रावास है। इस क्षेत्र के निवासी, मुख्य मंत्री से बहुत पहले ही अपेक्षा रखते थे कि समस्याओं का हल आपस में करेंगे न कि जिस तरह से कांग्रेस राज में आपस में वहां लोगों को लड़ाया, उस तरह से लड़ायेंगे। परन्तु यथास्थिति कायम रखकर निश्चित तौर से यह दूसरी स्थिति पैदा कर रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय को फौरन ही मेरी अपील है कि इस समस्या का हल करना चाहिये। उस गम्भीरता को देखते हुए जो वहां के किसानों और छात्रों में स्थिति पैदा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

जी राजेन्द्र राठौड़।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले अनुपस्थित थे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं अध्यक्ष महोदय के पास गया था। अगर आपकी आज्ञा हो तो। आईंदा ऐसी गलती नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे मतलब सभी से है।

सिटी पैलेस, उदयपुर में बम विस्फोट से 4 व्यक्तियों की मृत्यु

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में सिटी पैलेस परिसर में एक दुर्घटना घटित हुई थी। 5

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मई 1989 को दिन के लगभग 2.15 बजे भीषण विस्फोट हुआ और उसमें चार व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और 24 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों को सार्वजनिक चिकित्सालय में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। इस विस्फोट की आवाज इतनी तीव्र थी कि लगभग 4 किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी और विस्फोट से उठी हुई गर्द आसमान में बहुत समय तक छायी रही तथा काफी दूर तक दिखाई देती रही। यह धमाका महल की एक बन्द कोटड़ी में हुआ और बताते है कि उसमें विस्फोटक सामग्री पुराने समय की पड़ी हुई थी। इस विस्फोट से पुरातत्व संग्राहलय के दो कमरे, पुस्तकालय का हिस्सा तथा भू-प्रबन्ध कार्यालय के तीन कमरे धराशाही हो गये और आसपास के 10-15 मकानों को क्षति पहुंची।

यह दुर्घटना और भी भयंकर रूप ले लेती यदि इसी दिन भू-प्रबन्ध कार्यालय के लगभग 270 व्यक्तियों का एक समूह कार्य से नहीं गया होता और यह संयोग था कि यह विस्फोट लन्च टाइम के आसपास ही हुआ अन्यथा इस भीषण हादसे की कल्पना नहीं की जा सकती। इस विस्फोट में आयुर्वेद के प्रोफेसर एव इतिहासवेता डा. राजेन्द्र प्रकाश भटनागर, पुरातत्व संग्राहलय के पुस्तकालय अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, भू-प्रबन्ध कार्यलिय के दो कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जयपुर से फॉरेन्सिक साइन्स प्रयोगशाला के सहायक निदेशक डा. मानचा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टोली ने जांच की। बताया जाता है कि यह विस्फोट गन पाउडर व डेटोनेटर के कारण हुआ।

समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका–18 मई, 89 पृष्ठ सं. 12) के अनुसार फारेन्सिक साईन्स विशेषज्ञों की रिपोर्ट में कहा गया है कि बारूद पुरातत्व संग्रहालय के ऊपर वाले कमरों में पड़ा हुआ था। ये कमरे राज्य सरकार के विभाग के चार्ज में नहीं हैं और मेवाड़ राजघराने के कब्जे में बताया गया है। अतिरिक्त कलक्टर श्री ए. सी. शर्मा ने भी मामले की जांच की थी। आश्चर्य तो इस बात का है कि आयुर्वेद विभाग के डा. राजेन्द्र प्रकाश भटनागर की पत्नी को जो बेवा है, नौकरी पर नहीं लिया है और पेन्शन केस भी तैयार नहीं हुआ है। न ग्रेच्युटी मिली है और न मुआवजा ही मिला है। यह राज्य प्रशासन, आयुर्वेद विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग की सरासर उपेक्षा है और जो आश्वासन तत्कालीन राज्य मंत्री ने दिया है उसकी पूर्ति न होना बड़ी दुखद स्थिति है। आज एक वर्ष बीतने के बाद भी जनता को यह पता नहीं कि इस दुर्घटना के लिए कौन उत्तरदायी था और किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में मारे गये उनके परिवार की प्रशासन ने क्या मदद की? यह मानव मूल्यों के टूटने की चिन्ता है आखिर राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में कोई न कोई जिम्मेदारी है। उदयपुर की जनता बेचैन है और जनता में इस बिन्दु को लेकर रोष है। अतः यह बताया जावे कि इस हादसे

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

के लिए कौन उत्तरदायी है और सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और मृतकों के आश्रितों के परिवार को क्या मदद की गई ? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ।

श्री भंवर लाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : जिस घटना का वर्णन माननीय सदस्य ने किया है। जहां तक मेरी जानकारी है कि यह महिला भी सर्विस में आना चाहती थी और यह कहती थी कि मुझे कोई गजेटेड पोस्ट दी जाय । नियमों में यह है कि अगर कोई राज्य कर्मचारी सेवारत रहता है और उसकी उसी काल में मृत्यु हो जाय तो उसके आश्रितों को नौकरी दी जाय लेकिन वो उसकी योग्यता है उससे ज्यादा नहीं दे सकते । तो उन्होंने फिर कहा कि मेरे बच्चे को रख लें और उनका बच्चा आज एल. डी. सी. की जगह पर काम कर रहा है मेरी जानकारी के अनुसार ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चूरू शहर में गंदे पानी की निकासी न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी का ध्यान चूरू शहर के अन्दर गन्दे पानी की निकासी नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। आज चूरू शहर के अन्दर नीचे के वार्ड है। वार्ड नम्बर 1, 2, 6, 7, 9, 17, 20, 24, 26, 28 में गन्दे पानी की निकासी का प्रबन्ध नहीं होने के कारण वहां पर गन्दा पानी इकट्ठा रहता है। और वहां के निवासियों का जीवन नारकीय बन गया है। इस बार जो बरसात आई, उस बरसात के कारण गन्दा पानी और बरसात का पानी मिलकर वार्ड में रहने वाले निवासियों के घरों में घुस गया। उसका नतीजा यह है कि 160 मकान गिर गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्दे पानी का निकास हो, उसके लिए मैंने स्थानीय निकास के निदेशक और माननीय मंत्री महोदय से सम्पर्क किया। चूंकि चूरू नगर परिषद की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है कि वह अपने कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह भी नहीं चुका पाती। नगर परिषद मात्र यह कहकर, उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं, अपने कर्त्तव्य से मुक्त हो जाती है और जब माननीय मंत्रीजी का और निदेशक महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान नहीं और उन्होंने भी अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जो बजट आया है, उस बजट में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण में 514 लाख रुपये की सहायता गन्दे पानी की निकासी और पेयजल के लिये मिली। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गन्दे पानी को निकासी में सहायता के लिए वह राशि उपलब्ध हुई है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्यों नहीं इस राशि में से कुछ राशि चूरू में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गन्दे पानी की निकासी के लिए स्वीकृत कर दी जावे। इसके अलावा, गन्दे पानी की निकास के लिए एक योजना 1978 में बनी थी। सत्ता परिवर्तन के साथ लोगों के मन में यह आशा जगी थी कि वे शुद्ध वायु में सांस ले पायेंगे परन्तु वापस सत्ता में परिवर्तन हुआ और योजना धरी की धरी रह गई। वह जो योजना बनी थी, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस योजना पर क्या पुनः कोई विभाग कोई कार्यवाही करने की सोच रहा है? इसके अलावा नगर परिषद, चूरू ने एक प्रस्ताव भेजा है, उनका कहना है अगर राज्य सरकार हुडको, नाबार्ड या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण उपलब्ध करवा देगी तो वे गन्दे पानी की निकासी के लिए योजना बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो इस पूरी योजना को ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ट्रांसफर योजना को क्रियान्वित करवाये या अगर यह सम्भव नहीं हो तो ऋण उपलब्ध करवायें ताकि नगर परिषद कोई काम कर सके।

मैंने पूर्व में भी इस समस्या के बारे में 295 के अन्तर्गत सदन में इस बात को उठाया है। हमारे आवासन मंत्री आश्वासन देने में माहिर है गोल-मोल जवाब दे दिया जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग पूछते हैं विधान सभा में आपने क्या किया और यहां वो ही पुरानी परिपाटी। किसी चीज पर निर्णायक तौर पर जवाब देते नहीं और आवासन मंत्री आश्वासन मंत्री की तरह व्यवहार करें, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह तो गम्भीर समस्या पैदा हुई है और जो नारकीय जीवन जीने के लिए चूरू शहर के लोग मजबूर हैं। कृपया इस समस्या का समाधान कैसे हो क्योंकि यह एक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है कि वे शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों के लिए कम से कम प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करायें। मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि इस गम्भीर समस्या के ऊपर, जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर उठाया है, इसके बारे में मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें और कोई इस तरह का सुझाव दें ताकि चूरू के लोगों को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू शहर की बनावट चारों तरफ से बड़े-बड़े रेत के टीबों से घिरी हुई है और इसका आबादी क्षेत्र सिचाई में है। बरसात के दिनों में गन्दा पानी वर्तमान में लगभग 28-30 स्थानों पर भर जाता है। नगर परिषद ने अधिशाषी अभियन्ता सीवरेज एण्ड ड्रेनेज विभाग, जयपुर से एक ड्रेनेज योजना बनाने के लिए एवं तखमीना तैयार किये जाने के लिए 2680 रुपये की राशि जमा कराई थी और वर्ष 1978 में सीवरेज एण्ड ड्रेनेज विभाग अधिशाषी अभियन्ता, भूमापन खण्ड, जयपुर द्वारा 103 लाख की पानी की निकासी की योजना बनाई गई परन्तु वित्तीय साधन नहीं होने के कारण यह क्रियान्वित नहीं हो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सकी। नगर का अधिकांश गन्दा पानी नगर के उत्तर पश्चिम में स्थित जौहरी सागर में इकट्ठा होता है जहां से पम्प द्वारा नगर से बाहर निकाल दिया जाता है तथा इस समस्या के निराकरण हेतु पुनः कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। वर्तमान में जिन-जिन स्थानों पर गन्दा पानी इकट्टा होता है उसकी निकासी के लिए योजना बनाने के लिए नगर वृत चूरू ने अपने पत्र संख्या 606-608 दिनांक 17-5-90 को अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, चूरू को निवेदन किया है। माननीय विधायक द्वारा इस मामले पर पूर्व में अतारांकित प्रश्न पूछा था और उत्तर दिनांक 29-3-90 को दिया गया है। एडिशनल चीफ इंजीनियर पी. एच. ई. डी. ग्रामीण वृत, जयपुर को दिनांक 25-6-90 को एक पत्र लिखकर यह लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चूरू नगर में ड्रेनेज योजना के प्रस्ताव बनाये जावे। नगर वृत चूरू ने दिनांक 6-7-90 को स्वायत्त शासन विभाग को एक पत्र भेजा है कि नगर परिषद चूरू की आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसलिए चूरू नगर की ड्रेनेज स्कीम पी. एच. ई. डी. से तैयार करवाई जाकर किसी वित्तीय संस्थान से ऋण या वित्तीय अनुदान के द्वारा करवाया जाना उचित रहेगा। इस बारे में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर वृत, चूरू को निर्देश दिये गये हैं कि वे ड्रेनेज योजना पी. एच. ई. डी. से पुनः तैयार करवाने हेतु अपने प्रस्ताव भिजवायें एवं पी. एच. ई. डी. को शीघ्र उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मैं माननीय विधायक महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि यह बात तो सही है कि चूरू जब से इसका निर्माण हुआ होगा, तब तब से ही इस समस्या से ग्रसित है। यह समस्या नई नहीं है। 1978 में जब जनता सरकार आई थी तो इस समस्या पर ध्यान दिया गया था, इसकी योजना बनी थी तथा आपने स्वयं कहा कि किसी वजह से वह पूरी नहीं हुई और सत्ता परिवर्तन के साथ यह स्कीम भी समाप्त हो गई। यह बात भी सही है कि इसमें काफी खर्चा होने वाला है। नगर परिषद की स्थिति एक साथ इतनी नहीं है कि इसको ठीक किया जा सके। आज सुबह हुडको के चैयरमेन जयपुर में आये थे। माननीय मुख्य मंत्री के साथ मेरी उनके साथ बातचीत हुई है। वे ऋण देने के लिए तैयार हैं। बिना ऋण लिये तो इसका समाधान नहीं हो सकता। काफी बड़ी स्कीम है यह। इसलिए मैंने न तो आपको आश्वासन दिया, आपने कह दिया आश्वासन मंत्री। पहले मैंने यह कहा कि पैसों का काम नहीं है। आप भी इस बात को जानते हैं कि थोड़े पैसों से तो यह काम होने वाला नहीं है और केवल चूरू की ही समस्या नहीं है। इस प्रदेश में कई स्थानों पर इस प्रकार की समस्या है और इसके समाधान के लिए बहुत पैसा और समय चाहिये। हम यह कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार का ऋण मिल जाय और उस ऋण के आधार पर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा और आप जब भी मुझसे मिले हैं, तब भी मैंने सहायता करने की कोशिश की है केवल आश्वासन नहीं दिया है और आज भी आप यह चाहते

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं कि मैं आश्वासन दूं तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऋण मिल जायेगा तो काम पूरा करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जो पी. एच. ई. डी. ने अपना बजट पेश किया, उसके अन्दर उन्होंने साफ लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से 514 करोड़ रुपये (मैंने पहले 514 लाख बोल दिये थे गलती से) पेयजल और सीवरेज सिस्टम शहरों में डवलप हो, इसके लिए दिये गये, मैं मानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों के अन्दर गम्भीर समस्या है और आपके पास इतना पैसा है तो क्यों नहीं आप इस फण्ड में से राशि का आवंटन कर काम को कर दें।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने फरमाया एडिशनल चीफ इंजीनियर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा इस गन्दे पानी की निकासी की योजना बनाने के लिए लिखा है तो क्या मैं इसका आशय यह समझूं कि यह योजना पी. एच. ई. डी. अपने हाथ में लेकर गन्दे पानी की निकासी में की गई कोई योजना बनाएगी, कृपया इस बात का बतायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा नहीं है, यह जो योजना बनाने का काम है नगरपालिका में ऐसा कोई विभाग नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो इसकी इतनी बड़ी योजना बना सके। इसलिए हमने उसको योजना बनाने के लिये दिया है बाकी आज जब कहते हैं इतना बजट है, इतना सब कुछ हैं यदि कुछ कहूंगा तो वह आश्वासन के रूप में होगा तो वह मैं देना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। श्री बी. डी. कल्ला।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षकों का शोषण

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान में जो निजी शिक्षण संस्थाएं अनुदान लेती हैं वहां शिक्षकों का जिस प्रकार शोषण हो रहा है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये आपके माध्यम से प्रस्ताव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षित कर दीजिये, उनकी बात सुन लीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले मैं कुछ बोल लेता हूँ, बहुत संक्षेप में बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब एक लाख से अधिक अध्यापक शिक्षा विधेयक के पारित होने के बावजूद भी आज अपनी सेवा सुरक्षा को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि 20 दिसम्बर, 1989 को शिक्षा विधेयक इस सदन में पारित किया लेकिन वह आज भी महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न होने से विचाराधीन वहां पड़ा हुआ है, अब तक सहमति प्राप्त न होने से शिक्षकों का शोषण हो रहा है। राजस्थान में चार प्रकार की शिक्षण संस्थाएं चलती है। कुछ समाजों के नाम से चलती हैं, जैसे अग्रवाल

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज, अलग-अलग वैश्य समाज के द्वारा संचालित संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाएं हैं आदर्श विद्या मंदिर, भारतीय विद्या भवन, दयानन्द सोसायटी, इस तरह की संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाएं यहां पर ऐसी हैं जो हमारे यहां पर धन्ना सेठों के द्वारा चलाई जाती हैं जैसे चमड़िया, बगड़िया वगैरह वगैरह इस तरह की स्कूलें हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा चलाई जाती है जैसे भारतीय विद्या भवन, रूरल इंस्टीट्यूट विद्या भवन उदयपुर, वनस्थली विद्यापीठ। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो गैर अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं जो बिना किसी अनुदान के इस राज्य में चलती हैं। वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, जब मर्जी आये दस साल के नौकर को, दस साल के काम करने वाले अध्यापक को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण से मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति का कहना नहीं माना उसको हटा दिया जाता है। उसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसी तरीके से कई संस्थाओं में हजार रुपये की तनख्वाह जिसको मिलनी चाहिये। हस्ताक्षर कराने के बाद चार सौ रुपये उसको देकर पूरा वेतन नहीं देते। शिक्षा विधेयक लाने का उद्देश्य यह था कि उसको फुल पेमेन्ट मिले, पेमेन्ट अ्‌ क्रास चैक हो। उसकी सर्विस सुरक्षा की गारंटी हो। यह सारे प्रावधान शिक्षा विधेयक में किये गये थे। इसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि कई शिक्षण संस्थाओं के लोग चल और अचल सम्पत्तियों को बिना किसी आधार पर बेच दिया करते थे उसके ऊपर रोक लगाई गई थी, और कई ऐसे उपबंध किये गये थे। बिना किसी कारण से अध्यापक को निकालने के लिये इसमें हाई कोर्ट के जज के माध्यम से सर्विस ट्रिब्यूनल की तरह एक सेवा आयोग बैठाने की बात थी ताकि किसी भी व्यक्ति को अकारण यदि कोई मैनेजमेंट पूर्वाग्रह रख कर हटा देता तो सुनवाई हो और वह व्यक्ति अपनी बात कह सके। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि अभी इन दिनों में श्याम सुन्दर शर्मा, खण्डेलवाल हायर सैकण्डरी स्कूल जयपुर, नारायण सिंह, बगड़िया हायर सैकण्डरी स्कूल, लक्ष्मणगढ़, डाक्टर ए. एस. शेख एल. बी. एस. कालेज जयपुर, मनीष कुमार पाण्डे वनस्थली पीठ, के. सी. शर्मा, उदयगंज कालेज, कानोड़ को हटा दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, यह तो पांच केस मेरे ध्यान में हैं, ऐसे अनेक अध्यापक हैं जिनको वहां की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति ने हटा दिया। वर्षों से यह नौकरी कर रहे थे। अच्छी सेवायें दे रहे थे। अकारण हटाने से आज यह लोग बेरोजगार हो गये हैं। ऐसे राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में और भी मामले आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को बता सकते हैं। एक तो मैं यह चाहता हूँ, पिछले तीन-चार महीने में इनको जो समय मिला है उसमें इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति या मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से कोई सम्पर्क किया और सम्पर्क करके बिल को वहां से सहमति दिलाने की क्या कोई कोशिश की ?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दूसरी बात यह है कि एक अन्य मामले में प्रकाश बनाम राजस्थान, उच्च न्यायालय के फैसले में राज्य सरकार को न्यायालय ने यह कहा था कि सरकारी कर्मचारियों में अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों में आप किसी प्रकार का भी भेद नहीं रखें। इनका मकान किराया, चिकित्सा भत्ता, पेंशन ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट सारी सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले में वैसी की वैसी रखें। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिये भेज दिया उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार ने यह उचित समझा कि इस अपील को हम वापस ले लें। ऐसा आदेश पूर्ववर्ती सरकार ने किया हुआ है। मैं चाहता हूं, इस सम्बन्ध में आपका क्या विचार है, क्या आप इस अपील को वापस लेंगे और इस अपील को वापस लेकर शिक्षकों के मकान किराये की जो समस्या है, चिकित्सा भत्ता अथवा मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिलों का होता है उसके बारे में, लीव एनकेशमेंट के बारे में, पेन्शन और ग्रेचुएटी के बारे में आप क्या विचार रखते है ? यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि प्रदेश के एक लाख से अधिक लोगों को इस शिक्षा विधेयक के पारित होने का लाभ मिले और साथ-साथ यह सुविधाएं हमारे वक्त में विचाराधीन थीं, हमारा देने का मानस था लेकिन चुनाव उस मौके पर आ गया था और सातवीं योजना समाप्त हो रही थी इसलिए हम चाहते थे इसको दिया जाय, यदि चुनाव के वक्त कर देते तो आप कहते चुनावी लाभ आपने लिया है। इसलिये इन योजनाओं को आप शिक्षकों के हित में लागू करें। चिकित्सा भत्ता, मकान किराया, मेडीकल बिलों का रिएम्बर्समेंट तथा पेन्शन ग्रेचुएटी इन सब चीजों को देने के बारे में आपका क्या मानस है, इन सब बातों के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करें। धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों का जो शोषण हमारे प्रदेश में किया जा रहा है-वह समय-समय पर आप जब इधर बैठते थे तब आप भी उठाया करते थे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत जब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें, यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी इस प्रकार की हमारे यहां निजी शिक्षण संस्थाएं हैं जो उनके ध्यान में हैं, जिनको मान्यता नहीं है लेकिन वह चल रही हैं ? जो फीस, चाहे वह मान्यता प्राप्त हैं या नहीं है, उन स्कूलों द्वारा ली जा रही है, क्या उसका कुछ अनुमान माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को है ? अभी थोड़े दिन पहले आपको ध्यान होगा एक समता संस्था ने मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन में उन्होंने बताया था कि करीब 18 करोड़ रुपये शिक्षा शुल्क के नाम से यह शिक्षण संस्थाएं वसूल कर रही हैं, दो करोड़ विकास शुल्क के नाम से कर रही हैं और चार करोड़ टर्म शुल्क के नाम से कर रही हैं, एक करोड़ रुपया प्रवेश शुल्क के नाम से कर रही हैं, दो करोड़ का लाभ

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

ड्रेस व किताबों में कमीशन के नाम से उठा रही हैं, एक करोड़ वाहन सेवा के लाभ से उठा रही हैं और करीब 50 लाख रुपये पिकनिक और ग्रुप फोटो इस तरह की बातें करके विद्यार्थियों से वसूल कर रही हैं। इनके ऊपर आप किस प्रकार अंकुश लगाना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में आप जब बयान दें तो इस सम्बन्ध में भी आप अपनी बात कहें।

मैं यह भी जानना चाहूँगा कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के अलावा जो सैंकड़ों शिक्षण संस्थाएं व्यवसाय के रूप में काम कर रही हैं जो न तो मान्यता प्राप्त हैं और न आपके या हमारे नालेज में लेकिन चल रही हैं लेकिन टी. सी. किसी दूसरी स्कूल की लाकर अपने विद्यार्थियों को आगे दूसरी स्कूलो में भर्ती करा देते हैं और 8वीं तक इस प्रकार की स्कूलें चल रही है तो मैं चाहूँगा कि वह जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं पहली तो राष्ट्रपति जी की सहमति मिलने में क्या बाधा हो रही है। इस सत्र के बाद आप मेहरबानी करके दिल्ली जावें और इसे लेकर आवें और इस दरमियान आप नियमों को बनवा लें ताकि जैसे ही सहमति आये उन नियमों की स्वीकृति लेकर उस कानून को लागू करें जो 1986 से पड़ा हुआ है और 89 में बड़ी मुश्किल से उसको पास किया और अब केवल सहमति के अभाव में पड़ा हुआ है। दूसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील चल रही है उसको वापिस लेने की कोशिश करें ताकि जो सुविधा उन गैर सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वह मिल सके। इन बातों पर प्रकाश डालें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता अगर शिक्षा मंत्री यहां मौजूद होते क्योंकि उनका सम्बन्ध प्राइवेट कालेजेज और स्कूल दोनों से ही है। मुख्य मुद्दा यह है कि जो बिल पास हो गया 30 सितम्बर, 89 को और असेन्ट के लिए पड़ा हुआ है उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे और वह बिल भी उपाध्यक्ष महोदय, काम्प्रोहेन्सिव नहीं है, सभी प्राब्लेम्स को कवर अप नहीं करता है और यह संस्थाएं सरकार भी जानती है कि आज की तारीख में शहरों में कितना व्यवसाय बन गया है। हर गली में लोग स्वयं के स्कूल खोल कर बैठे हैं और तीन प्रकार के स्कूल हैं–एडेड, रिकगनाइज्ड और एफिलिएडेड और कुछ किंडर गार्डन, प्राइवेट स्कूल तो इन तीनों में भी नहीं है। क्या स्टेट का कर्तव्य यह नहीं है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इन स्कूलों में क्या होता है, क्या नहीं होता है इसका पूरा ध्यान रखें। जहां तक एडेड स्कूलों का सवाल है, एड तो भारत सरकार अपने हिसाब से देती है, एक पैमाना होता है लेकिन एड के अनुपात में आपका इन्टरफेरेन्स नहीं होता है। मैनेजमेंट में जो सरकार का रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए वह नहीं होता और नियंत्रण नहीं होता और इसकी वजह से जो एम्पलाइज हैं उन पर डबल मार पड़ती हैं। राज्य सरकार उनकी तकलीफों पर ध्यान नहीं देती। उनकी मर्जी आये तब निकाल दिया जाता है, वर्षों तक टेम्परेरी रहते हैं और उसमें भी उनका दोष नहीं है, सेलेक्शन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कमेटी को कन्वीन ही नहीं करते। अगर करें तब तो वह रेगुलर जो जायेंगे। इसके अलावा जो उनके साथ ज्यादती होती है, राज्य सरकार तो सुनती नहीं है और उधर से हाई कोर्ट भी नहीं सुनता है। हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो वह कहते हैं कि स्टेट की परिभाषा में नहीं आते वह स्कूल और यह खाली एम्पलाइज के साथ ही नहीं विद्यार्थियों के साथ भी होता है तो क्या राज्य सरकार दोनों मकसद से, क्योंकि सीधी बात तो यह है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, मैं नहीं कहता कि सभी अच्छा काम नहीं करती, समाज की सेवा भी करती है, अच्छा काम भी करती है लेकिन यह निश्चित बात है कि इनमें एम्पलाइज का शोषण होता है, खास तौर से शिक्षक वर्ग का होता है। क्योंकि भारतवर्ष में एम. जी. डी. स्कूल जिसे वन आफ दी लीडिंग स्कूल समझा जाता है और सब मानते हैं कि पैसे वालों के बच्चे वहां पढ़ते हैं वहां भी 4 साल से पहले शिक्षकों को आन्दोलन करना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चार क्वालिटीज बताई है चाहे रेलिजन, कास्ट, वालंटरी ओरगेनाइजेशन या चाहे सेठ चलाते हों लेकिन उन सभी के मेनेजमेंट में शिक्षकों का शोषण होता है और मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि हमारी सरकार के हमारे भी कुछ प्रभावशाली लोगों के उस मैनेजमेंट से सम्बन्ध हो सकते हैं इसलिए उस भावना से न लें लेकिन क्योंकि आर. एस. एस. के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चलते हैं, मैं बुराई नहीं करता, अच्छे स्कूल हैं लेकिन शिक्षकों का शोषण तो वहां पर भी होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : नो, नो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल, हण्ड्रेड परसेंट होता है। आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ : आप कैसे कह सकते हैं यह बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक उत्तेजना पैदा करने से नहीं, महत्वपूर्ण बात से विषयान्तर हो रहे हैं वह। वहां पर अच्छी शिक्षा भी दी जाती है और आर. एस. एस. के स्कूलों में इनडाक्ट्रीनेट भी किया जाता है...

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, वह इन स्कूलों के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते। वहां जितना पैसा आता है, अध्यापकों में पूरा समान रूप से बांटते हैं यदि अध्यापकों के लिए ज्यादा पैसा है विद्यार्थियों का तो उन सबको समान रूप ज्यादा मिल जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ : कभी कोई विद्यालय चला कर देखो ऐसे बात करने से थोड़े ही होता है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अभी आर. एस. एस. के स्कूलों की आपको जानकारी नहीं है माननीय सदस्य, पहले जानकारी लो उसके बाद आलोचना करना। बिना

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

आधार के आलोचना करना कोई ठीक बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो आलोचना कर रहा हूं और न यह विषय है....

श्री कालीचरण सराफ : ऐसे स्कूलों में पढ़ाने की सिफारिश आती है आप लोगों की हमारे पास और आप यहां आलोचना कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नहीं है लेकिन जो ग्रान्ट-इन-एड इन स्कूलों को दी जाती हैं वहां पर शिक्षकों का शोषण होता है यह मैं कहना चाहता हूं। आप देखें इतनी सी बात से इतने लोग खड़े हो गये अगर आप नियम बना कर चैक करेंगे कि शिक्षकों का शोषण नहीं हो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ है और अब मुझे विश्वास हो रहा है कि आप कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका बल्क का बल्क आर. एस. एस, स्कूलों में जहां शोषण होता है वह आएगा चपेट में। जब इतना प्रतिरोध आप करते हो। मैं तो मानवीय दृष्टि से कह रहा हूँ। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अभी तो ए बी सी डी भी नहीं जानते हो आर. एस. एस. की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह जानना भी नहीं चाहता। मेरा दिमाग सही सलामत है उसको खराब नहीं करना चाहता हूं + + + वही बहुत है। मैं जानकारी करना भी नहीं चाहता। (व्यवधान)

श्री किशन सोनगरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने + + + बात की यह बड़े एतराज की बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए पड़ा है उसके लिए सरकार प्रयास करे और उसको लागू कराये और फिर अपने स्तर पर पूरे सुझाव लेकर, कमेटी का तो मैं नहीं कहता क्योंकि उसमें भी लम्बा टाइम लग सकता है, मंत्री जी खुद टाइम निकाल कर किस प्रकार से पूरा प्रबन्ध हो सके, टाइम पर सलेक्शन हो सके। टेम्परेरी टीचर्स को गर्मी की छुट्टियों का वेतन, उनका पी. एफ. जमा नहीं कराते दूसरे जो बेनीफिट हैं उनको स्कूल कंट्रीब्यूट नहीं करती और अण्डर पेमेन्ट तो होता ही है इनवेरिएबली। सब स्कूलों में होता है जो प्राइवेट हैं इन्क्लूडिंग अभी आप नाराज हो रहे थे उनमें भी होता है। इसलिए आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं इसका जवाब दें और अगर सम्भव हो तो नियम भी लागू करेंगे,

एक मेरा सुझाव और है कि जो अन-एडेड और अन-रिकोग्नाइज्ड बहुत स्कूलें चल रही हैं क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

राज्य सरकार के विचाराधीन है जिससे वहां ठीक प्रकार से शिक्षण हो सके और कर्मचारियों का शोषण नहीं हो इस प्रकार का कोई आप प्रस्ताव लाना चाहते हैं या किस प्रकार का दखल करना चाहते हैं ? दूसरा, एक मैंने निवेदन किया कि कम से कम वहां जो कर्मचारी हैं उनकी ग्रिवान्सेज को जस्टिसिएबल बनाने के लिए, वह कोर्ट में जा सकें तो अपने आप स्टेट की परिभाषा में संस्था आ जाएगी और अगर आपका पार्टिसियेशन मैनेजमेंट में ज्यादा होगा आपका नियंत्रण अगर स्कूल के मेनेजमेंट में होगा तो स्टेट की परिभाषा में आ जाएगी और हाई कोर्ट इन्टरवीन कर देगा रिट ज्युरिस्डिक्शन में तो राज्य सरकार इन सब पर विचार करके क्या करना चाहती है यह अवगत करावें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र पारीक। आप अपने स्थान पर आकर बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार अपने स्तर पर इस देश के विद्यार्थियों को शिक्षा के सम्पूर्ण साधन सुलभ करवाने में समर्थ नहीं है और इसलिए रिलीजिस इन्स्टटीट्यूशन, अन्य प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं, प्राइवेट हैं, रिकोग्नाईज हैं। वे सब चल रहे हैं। लेकिन इसका मायने यह नहीं हो जाता है कि हम उन शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए उन अध्यापकों को शोषित होने दें। यह तो बात आज सर्वविदित है कि इन शिक्षण संस्थानों में जुड़े हुए जो अध्यापक गण हैं, एक लम्बे अरसे से एक प्रक्रिया है कि उनसे जितने अमाउण्ट पर दस्तखत लिये जाते हैं, वे शिक्षण संस्थायें अनुदानित हैं और यह तय है कि उस अध्यापक को उतना अमाउण्ट मिलना है, जितना एक सरकारी स्कूल के अध्यापक को मिलना है। लेकिन फिर भी चूंकि बेरोजगारी के माहोल में अध्यापक इतना प्रताड़ित है कि हजार रुपये पर साइन करके वह अमाउण्ट चार सौ रुपये का उठाता है। यह बात जगजाहिर भी है। लेकिन चूंकि उसको कोई सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है वह अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक होते हुए भी उनकी मांग करने में सक्षम नहीं है। इसलिए वह शोषित होने को तैयार है। आज जब हम सब तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध है, सरकार भी इस बात का प्रयत्न कर रही है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों में जहां शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां शिक्षा की उचित व्यवस्था करेंगे। तो यह भी निहायत जरूरी हो जाता है कि उन शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए जो कुछ आज शिक्षक को दे रहे हैं, उस शिक्षक की मानसिकता जिस तरह से डवलप हो रही है इस बात का, इस बात से भी सम्बन्ध बन जाता है कि उस संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वह शिक्षक कितनी सही शिक्षा दे पायेगा। क्योंकि शिक्षक स्वयं ही अपने आपको उस शिक्षण संस्थान में असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आप अन्दाजा लगाइए की उस शिक्षक का मानस जो है वह उसे संस्थान की सेवा के प्रति कितना अपनत्व का बनेगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश है कि इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत जो ऐसे लोग हैं, उनके ग्रेच्युटी की,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उनको पेंशन की, लीव एनकेशमेंट की, व्यवस्था करें। साथ ही एक बात और है कि जो मैनेजमेंट शिक्षकों के इस तरह के आन्दोलनात्मक रूख से त्रासित होकर, उन इन्स्टीट्यूशन से अपना हाथ जो खेंच रहा है, आज बहुत सी ऐसी इन्स्टीट्यूशन हैं, जिनमें दो-दो, तीन-तीन, चार-चार महीने से सरकार के हस्तक्षेप से उन शिक्षकों को तनख्वाह दे रही है। तो क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि ऐसे इन्स्टीट्यूशन जिनमें लम्बे से मैनेजमेंट ने अपने आपको विड्रा कर रखा है और ये शिक्षण संस्थान सरकार के भरोसे पर चल रहे हैं। तो क्या उनको अधिग्रहण करके और क्या उनको अपना संरक्षण देगी? ऐसे इन्स्टीट्यूशन का माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, स्वयं भी इन्स्पेक्शन कर चुके है, सीकर में। क्या सरकार ऐसे शिक्षण संस्थानों को, जिनसे मैनेजमेंट विड्रा हो चुका है, वहां के शिक्षकों को जिनका एक लम्बा समय जो है उन संस्थाओं से जुड़ कर के और एक तरह से मैं कहूँ कि बन्धुआ मजदूरों की स्थिति में जो अपना एक लम्बा जीवन गुजार दिया है। आज यदि ये संस्थान बन्द हो जाते हैं तो उनके रोजगार की क्या सुविधा होगी? सरकार इस पर बहुत ही सजग होकर के विचार करें और इस बात का भी प्रयत्न करें। जैसा कि अभी हाईकोर्ट में श्री प्रकाशचन्द बनाम सरकार का जो फैसला हुआ है, उसमें भी हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इन लोगों को समान वेतन, समान सुविधा के हिसाब से ये सारी सुविधायें जो सरकारी संस्थानों में मिल रही हैं, वे इनको भी मिलनी चाहिए। मेरी आपके मार्फत यह गुजारिश है सरकार से कि वह इन बन्धुआ मजदूरों की स्थिति तक पहुंचे हुए इन शिक्षकों पर रहम फरमाए। इनके भविष्य की सुरक्षा की गारन्टी दे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी शिक्षण संस्थाओं में जो कार्यरत लोग हैं, उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार होता रहा है, उनका आर्थिक शोषण होता है या जो कि राजकीय अन्य संस्थानों में सहुलियत कर्मचारियों को मिलती है, उनके मुकाबले में उनको नहीं मिलती है। विशेष तौर से माननीय सदस्य ने जो कॉल अटेंशन का जो प्रस्ताव दिया है, वे जो अनुदानित शिक्षण संस्थायें हैं उनमें कर्मचारियों को मकान किराया, ग्रेच्युटी, पेंशन, शहरी भत्ता आदि ये जो आपने चार-पांच बातें जो दी हैं वे सारी इसमें लिखी हुई हैं। मैं समझता हूं कि जो निजी शिक्षण संस्थायें है, इनमें से कई शिक्षण संस्थायें ऐसी हैं। इसमें हम सब को तो एक लाइन में नहीं कर सकते। लेकिन कई ऐसी हैं, इस बात को हम को स्वीकार करना चाहिए कि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : पेमेंट कम करने के बारे में आपको निश्चित रूप से बहुत विनम्र से प्रार्थना करता हूँ कि सब एक है। सब पेमेंट कम करते है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय श्री भंवरलाल जी जानते हैं कि किस प्रकार किया जाता है, इनको पूरा ध्यान है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : आपको इस बारे में कोई बात कहनी हो तो और किसी का नाम लो. इस संस्था में तो ऐसा नहीं होता है ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपको जानकारी है लेकिन आप सच्च कभी नहीं बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो आपने ही जिम्मेदारी ले रखी है सच्च बोलने की।

श्री हरि कुमार औदिच्य : आज निजी शिक्षण संस्थानों में जो चाहे अनुदानित हो चाहे अनुदानित नहीं हो, उनमें कर्मचारियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इस बात को मैं समझता हूँ कि मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यह वस्तुस्थिति है और इसी का परिणाम है। मैं माननीय सदस्यों को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूँगा कि यह जो 63 में विधेयक बना है, उसके बाद में इनको ख्याल आया है, कि कर्मचारियों की क्या स्थिति हो रही है? खैर कोई बात नहीं ..

श्री राजेन्द्र पारीक : देर आए दुरुस्त आए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : देर आए दुरुस्त आए। इसीलिए यह मेरी मान्यता है, मैं इस बात को पहले स्वीकार कर गया कि यह ज्यादा चर्चा का विषय मेरे ख्याल से बनेगा नहीं, जो भी परिस्थिति है लेकिन आपने चार-पांच केसेंज इसमें लिए हैं। उनके बारे में निवेदन कर दूं और जो दो-चार बात माननीय सदस्यों ने रखी है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं तो मेरे ख्याल से यह पर्याप्त होगा।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था विधेयक, 1986 पर महामहिम राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त इसे यथाशीघ्र राज्य सरकार द्वारा लागू किया जायेगा। शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा कर्मचारियों को सेवा से पृथक, निलम्बित करने सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्थान शिक्षण संस्था अनुदान नियम, 1963 के नियम 4-6 के तहत कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है कि अपनी अपील सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। इस पर गुण अवगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है। राज्य कर्मचारियों की भांति निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, मकान किराया भत्ता आदि अन्य सुविधायें प्राप्त करने के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्री प्रकाश चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है। राज्य सरकार इस मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दिनांक 3.7.89 को राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील दायर की हुई है। अतः फिलहाल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा। माननीय सदस्यों ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में जिन कर्मचारियों के बारे में जिक्र किया है उनके सम्बन्ध में मैं जानकारी देना उचित समझूंगा। जहां तक गैर सरकारी अनु-

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

दानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों में असन्तोष का प्रश्न है, राज्य सरकार इस बारे में जागरूक है और राजकीय स्तर पर किये जाने वाले निर्णयों के आदेश समय-समय पर प्रसारित करती रही है। आपने चार अलग-अलग नाम गिनाये थे। श्री रामगोपाल शर्मा, अध्यापक, अग्रवाल हायर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर। श्री शर्मा को दिनांक 17.5.89 को एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्त किया गया था। परन्तु प्रबन्ध समिति के निर्णय दिनांक 30-5-89 के अनुसार उनकी सेवा में समाप्त कर दी गई। श्री शर्मा इस निर्णय के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत कोई अपील सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर सके। दूसरा–श्री नारायण सिंह, बगड़िया स्कूल, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)। श्री सिंह की नियुक्ति दिनांक 31-7-77 को हुई थी, जिन्हें दिनांक 23-7-89 को निलम्बित कर दिया गया। दिनांक 12-2-80 को सेवा से पृथक कर दिया गया था। अध्यापक द्वारा उप निदेशक, (पुरुष) चूरू को प्रस्तुत अपील के सन्दर्भ में उन्हें बहाल करने हेतु वेतन आदि का भुगतान करने का निर्णय दिया गया था किन्तु विद्यालय द्वारा अभी तक उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की रही है। तीसरा, श्री के. सी. शर्मा, प्रवक्ता, कानोड़ श्री शर्मा की प्रथम नियुक्ति दिनांक 7-9-77 को पूर्णतया अस्थायी रूप से हुई थी। जो दिनांक 31-5-81 तक निरन्तर रही। परन्तु श्री शर्मा का राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता पर चयन न होने के कारण इन्हें दिनांक 31-5-81 को अपरान्ह में सेवा से पृथक कर दिया गया। श्री शर्मा सत्र 89-90 में एस. एस. जी पारीक कालेज, जयपुर में एक जनवरी नब्बे से 29-5-90 तक पूर्णतया अस्थायी प्रवक्ता के पद पर कार्य करते रहे। श्री श्याम सुन्दर शर्मा, खण्डेलवाल वैश्य हायर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर। श्री शर्मा की वरिष्ठ अध्यापक वाणिज्य के पद पर दिनांक 21-8-80 को प्रथम नियुक्ति हुई थी। वह 15-5-82 तक विद्यालय में कार्यरत रहे किन्तु प्रबन्ध समिति ने श्री शर्मा के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगा कर उन्हें सेवा से पृथम कर दिया जिसके विरुद्ध श्री शर्मा ने न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील पर निर्णय के उपरान्त ही वह कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नीतिगत मामलों का जबाव दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हां, मैं बात कर रहा हूँ। आपने दो बातों के ऊपर विशेष जिक्र किया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रकाश चतुर्वेदी बनाम सरकार के लिए आपने अभी फरमाया कि उसकी अपील का फैसला हो जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि प्रकाश चतुर्वेदी बनाम सरकार वह रिट याचिका है जिसमें प्रकाश चतुर्वेदी ने एक पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन की रिट लगाई थी...

श्री हरिकुमार औदिच्य : हां, कर रखी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन करूं आपको कि हाई कोर्ट ने उसके अन्दर कुछ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

डाइरेक्शन्स इश्यू किये है रिट अलाउ करते हुए, गवर्नमेंट के लिए। में यह मानता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब उसमें अपील में गये। मैं व्यक्तिगत रूप से उस बात को, निर्णय को सही नहीं मानता हूँ। कांग्रेस सरकार ने भी पुनर्विचार के बाद इस प्रकार सोचा होगा कि यह ठीक नहीं है, अध्यापकों के हित में यदि वापस लेने का फैसला कर दिया तो यह बड़ा पाइन्टेड प्रश्न था और आग्रह था आपसे कि उस फैसले पर अमल करवाइये। आप भी शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। एक तो अगर वह अपील हम वापस ले लेंगे तो हाई कोर्ट के डाइरेक्शन्स को एक्जीक्यूट कर देंगे। बाकी जितने नीतिगत प्रश्न हैं, उनका आप उत्तर दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूँगा कि आज की परिस्थिति में उस रिट को वापस लेना उचित नहीं रहेगा क्योंकि वह अनुदानित संस्था हैं, राज्य सरकार के ऊपर भी कई प्रकार के उसके आर्थिक भार पड़ सकते हैं। जहां तक उनको सहूलियत देने का प्रश्न है, जो आपने दिक्कतें बताई हैं, यह उनका अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह अधिकार है। प्रेसीडेन्ट को जो विधेयक गया हुआ है उसकी स्वीकृति के बाद मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, एक बात।

दूसरी बात, जो माननीय गोविन्द सिंह साहब ने फरमायी, आपने भी बतायी कि जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरा जवाब आ जाने दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा आग्रह है, आपसे व्यक्तिगत प्रार्थना है कि आपको ब्यूरोक्रेसी ने गलत ब्रीफ किया है। आपको जब भी समय मिले, आप खुद इसकी स्टडी कर लेना। सम्भवत: आप उस अपील को विथड्रा करने के निर्णय पर पहुंच जायें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने किसी प्रकार का प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया है।

दूसरी बात, एक चिन्ता का विषय और आपने कहा है, वह वाकई में चिन्ता विषय है। इस विधेयक के आने के बाद और अभी भी आपने चिन्ता की है कि जो अनएडेड संस्थाएं हैं उनके बारे में सरकार क्या विचार करती है। वास्तव में इस बारे में सरकार विचार कर रही है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह बिल लाये और यह बिल प्रवर समिति को चला गया, प्रवर समिति में जो तीन सदस्य थे, उन्होंने भी सुझाव दिये थे कि इस बिल के अन्दर अनएडेड इन्स्टीट्यूशन्स को भी शामिल किया जाये। माननीय भंवरलाल जी शर्मा, दिग्विजय सिंहजी, घनश्याम तिवाड़ी और मानिकचन्द सुराणा, इन चारों का प्रवर समिति को यह सुझाव था कि अनएडेड इन्स्टीट्यूशन्स को इसमें शामिल किया जाय। लेकिन उस समय आप लोगों ने या जिसने भी नहीं किया हो, कल्लाजी भी उसमें थे, आप तो चेयरमेन थे कल्लाजी,

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

तो उन्होंने इसको नहीं किया। खैर, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा। कल्ला साहब, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कोई कमी रह गयी है, इस प्रकार की जो खामियां हैं उसको भी बाद में पूरा करेंगे और अनएडेड इन्स्टीट्यूशन्स भी किसी प्रकार की ज्यादतियां और जुल्म करने के लिए फ्री छोड़ दिये जायं, इस प्रकार की स्थिति हम प्रदेश में नहीं आने देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल के असेन्ट के लिए क्या कहा ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : वही कह रहा हूं। जहां तक आपने बिल के असेन्ट की बात कही है, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि एक महीने और तेरह दिन, इस पीरियड में मैंने सारी जानकारी लेने के बाद यहां के अधिकारियों को यह कह दिया था कि अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया में जाकर ट्राई करनी चाहिए कि कहां पड़ा हुआ है और यह नजरिया आपका समाप्त होगा। अगर नहीं आया तो मैं खुद दिल्ली जाकर किनसे बात करूंगा, इसके पूरे प्रयास करूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अभी रिप्लाई दिया ऐसा महसूस होता है कि जिस अपील को वापस लेने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लिया था उससे सम्भवतः यह सहमत नहीं हैं और उससे ऐसा लगता है कि मेडिकल बिल्स का भुगतान करने के लिए अथवा मकान किराया भत्ता देने का इनका मानस नहीं है। यदि मानस है तो निश्चित रूप से उस अपील को विथड्रा करनी चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ : आपको कहां से भान हुआ कि यह ऐसा सोच रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको भान नहीं हुआ तो हम क्या करें। मेरे को इसलिए भान हुआ कि अपील वापस लेते हुए हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इन लोगों को यह सारी चीजें उनको देनी पड़ती है और अपील वापस नहीं लेने का मतलब यह है कि यह इसको लम्बा टालना चाहते और टालने के बाद शिक्षकों के साथ जो समानता का व्यवहार होना चाहिए यह समानता का व्यवहार यह करना नहीं चाहते।

दूसरी बात, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स, जिनको एड नहीं मिलती है, इसमें शामिल किया जाय या नहीं किया जाय, इसके बारे में यह कहा कि शिक्षा विभाग में इसके लिए नियम बनाये जायेंगे और यह नियम बनने के बाद यहां टेबल पर ले लिये जायेंगे। आप कब तक यह नियम बना कर कर देंगे ? शिक्षा विधेयक, जो यहां इस विधान सभा ने पारित किया है, उसको जल्दी से जल्दी महामहिम राष्ट्रपतिजी से....

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब आ गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे सम्बन्धित दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। नियम बनाने का काम विभाग का था। आप कब तक नियम बना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कर सदन की मेज पर रखेंगे ? माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर इस बात को जानते हैं हैं कि नियमों के बारे में पूर्व में हम सब लोगों ने उसका अवलोकन भी किया था और हाउस में यह आश्वासन दिया था, जब विधेयक पास हो रहा था उस समय और जिस समय प्रवर समिति चल रही थी उस समय भी कि यहां पर जल्दी से जल्दी नियम बनाकर रखे जायेंगे। जो एक लिस्ट पर शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं उन शिक्षण संस्थाओं को रेगूलेट करने के लिए और उनमें शिक्षकों का शोषण समाप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी आप नियम लेकर आयें ताकि इस शोषण की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना भूल गया था। सोफिया स्कूल के अन्दर भी पहले अन्डर पेमेन्ट होता था, अब वहां बाई चैक पेमेण्ट होता है। अगर आप ट्रेजरी से पेमेन्ट करना शुरू करवा दें तमाम एडेड इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर, अनएडेड में तो आप शायद अभी नहीं करवा पायेंगे, लेकिन एडेड इन्स्टीट्यूशन्स में अगर शिक्षकों को ट्रेजरी से पेमेण्ट करना शुरू कर दें तो यह अन्डर पेमेण्ट रुक जायगा। इसके बारे में शिक्षा मंत्रीजी क्या विचार रखते हैं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : देखिये, मैं आपसे निवेदन कर दूं। आपने चैक से पेमेण्ट वाली और ट्रेजरी से पेमेण्ट वाली बात कही है, आपके जितने इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जो गड़बड़ी करने के आदी हैं, उनके ऊपर आप कितने ही जमादार बैठा दें, वह तो लहरें गिनने वाले जैसे काम करते है वैसे ही काम करेंगे। अभी चैक से पेमेण्ट हो रहा है बराबर। चैक से पेमेण्ट हो रहा है न ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं हो रहा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं तीन संस्थाओं का पदाधिकारी हूं और बराबर चैक काटता हूं हर महीने के अन्दर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा है, उनमें हो रहा होगा। मैं निवेदन करूं आपको कि नाइन्टी पर्सेन्ट एडेड इन्स्टीट्यूशन्स में चैक से पेमेन्ट नहीं होता है। मैं निवेदन चैक का नहीं कर रहा था, मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि ट्रेजरी से अगर आप पेमेण्ट करवाना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से यह अन्डर पेमेण्ट रुक जायगा। इण्डिविजुअल इन्स्टीट्यूशन पर यहां डिबेट करना ठीक नहीं है। यह बीमारी अधिकांश संस्थाओं में व्याप्त है और उसको दूर करने के लिए अलग-अलग तो कर नहीं सकते कि एक्स स्कूल में तो हम ट्रेजरी से करवायेंगे और वाई स्कूल में नहीं करवायेंगे। इसलिए सामान्य नीति अगर सरकार निर्धारित कर दे और सब एडेड संस्थाओं में ट्रेजरी से पेमेण्ट होने लग जाय तो कतई अन्डर पेमेण्ट नहीं होगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो अभिभावक का और विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है, चाहे वह

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

अनएडेड स्कूल हों या एडेड स्कूल हो, शोषण हो रहा है, संविधान के आर्टिकल 45 में दिया हुआ है कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम उसके लिए अभी तक तैयार नहीं हुए तो जो यह व्यावसायिक स्कूल खुले हुए हैं, जो लोगों ने धन्धा बना लिया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल अखबार पढ़ रहा था, बीकानेर में एक विश्वविद्यालय चल रहा है दो कमरों में, आवासन मण्डल है उसके दो कमरों में पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, लाखों रुपये उन लोगों ने बटोर लिये हैं। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ तो आई. पी. सी. में भी काम कर सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कहां चल रहा है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बीकानेर में चल रहा है, आवासन मण्डल की कोई कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड के दो कमरों में वह चल रहा है, आप जानकारी कर लीजिए। इसी तरह...

श्री दिग्विजय सिंह : गलियों में तो नहीं है, मकान में तो ठीक है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : देखिये, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप जितनी भी बातें बता रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड के कमरों में चल रहा है, गली के कमरों में चल रहा है, इस वास्तविकता से मैं इन्कार कहां कर रहा हूँ। लेकिन इसका रास्ता निकालने वाली बात है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। यह तो आई. पी. सी. में ही आ जायेंगे सारे के सारे ..यह तो बिल्कुल फर्जी काम है। यह वह संस्थाएं हैं जो सारे पैसे के लिये, बटोरे और चल दिये। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। यहां महावीर बाल विद्या निकेतन, मानसरोवर में है जो सैकण्डरी तक है। उसमें 50 बच्चे हैं। मैं विद्याजी से कहना चाहूंगा कि 70 हजार रुपए नशाबंदी के लिए इस संस्थान ने ले लिये। आप जानकारी करिये कि वह पैसे कहां गये।

श्रीमती विद्या पाठक : कौन सी संस्था ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : महावीर बाल विद्या निकेतन जो मानसरोवर में चल रहा है उसको 70 हजार रुपये नशाबंदी का प्रचार करने के लिए दिये गये हैं। इस तरह की संस्थाएं जो बोगस हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं, बिल्कुल फर्जी हैं, उन पर तो आप अलग निकालकर आई. पी. सी. के सेक्शन में ही कार्यवाही करें। दो चार को बंद कर दें तो सब ठीक हो जायेंगे। एक तो मेरा यह कहना था।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, जिन्हें हम पब्लिक स्कूल कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं एक ही

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन स्कूलों को हम पब्लिक स्कूल कहते हैं उनमें पब्लिक के बच्चे तो पढ़ते नहीं। उन्हें तो प्राइवेट स्कूल की संज्ञा दीजिए। उन स्कूलों में डोनेशन देने वालों के बच्चे को अलग सीट दी जाती है। जैसे विद्याश्रम चल रहा है, तो इस चीज को रेगूलेट करें। अन्त में हमारा तो निवेदन है कि जो अपील कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में उसको वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति तो जब सहमति देंगे तब देंगे पर इसको वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको वाह-वाही मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष जी, 1984 और 1985 में उस समय के जो मुख्य मंत्री थे हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर, उनसे अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लोग, तेजकरण डंडिया, जो शिक्षाविद हैं, के नेतृत्व में मिले थे तब उनको आश्वासन दिया गया था कि जो भविष्य निधि की राशि 6.25 प्रतिशत कटती है उसको 8.33 प्रतिशत कर देंगे। लेकिन वह नहीं किया गया। उस समय यह भी आश्वासन दिया गया कि जिस तरीके से अन्य बोर्ड्स में पेंशन और ग्रेच्युटी की फेसिलिटी दी गयी है और अब तो लगभग राजस्थान में सभी बोर्ड्स में पेंशन और अन्य फेसिलिटी दे दी है, म्यूनिसिपैलिटी में भी दे दी है, केवल यह अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं उनके ही शिक्षकों को यह नहीं मिली है. जिनके ऊपर न पेंशन है, न ग्रेच्युटी है, न मेडिकल भत्ता है, न हाउस रेण्ट है, यह कुछ भी उनको देने के लिए नहीं है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि शासन का नशा उतर जाने के बाद आज कम से कम उनको इस बात का ध्यान आया। भले ही घड़ियाली आंसू हों, लेकिन कम से कम सम्पूर्ण राजस्थान के लिए तो बह रहे हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ...

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न करिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं यह कहना चाहता हूँ कि 8.33 प्रतिशत जो प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा है उसको आज तक सरकार यह कहकर टालती रही है कि हम विचार कर रहे हैं। सेण्ट्रल प्रोविडेण्ट फण्ड कार्पोरेशन इन संस्थाओं पर जोर देता है कि आप इस पैसे को जमा कराइये लेकिन राजस्थान सरकार ने 8 साल से इस बात के लिए लिख रखा है कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। यदि यह पैसा सेण्ट्रल प्रोविडेण्ट फण्ड कार्पोरेशन में जमा होता है और उस शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उनको बीमे का लाभ होता है। इस 8.33 प्रतिशत प्रोविडेण्ट फण्ड की राशि काटे जाने की वजह से उनको आर्थिक लाभ भी होगा और उनका बीमा भी कवर होगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि म्यूनिसिपैलिटी के जो जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर के स्कूल थे उनके टीचर्स का तो आज भी 8.33 प्रतिशत प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा काटा जा रहा है लेकिन जो राजस्थान सरकार में अनुदानित स्कूल हैं उन

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

की केवल 6.25 प्रतिशत को काटा जा है। इसलिए इन संस्थाओं में भी 8.33 प्रतिशत काटा जाय और इस पैसे को सेण्ट्रल प्रोविडेण्ट फण्ड में जमा कराने के लिए भेजा जाय। केवल इसलिए कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था उनको शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखा हैं। उनके परिवार को भी लाभ मिलने वाला है इसलिए इसको किया जाय।

मैं सरकार का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में अंग्रेजी शराब की दुकानें खली हैं उसी तरीके से अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स की हालत हुई है। मुझे पता नहीं कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूल और शराब की दुकानों में कोई सम्बन्ध है या नहीं लेकिन जितनी शराब की दुकानें खुली हैं उतने ही ज्यादा अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुले है।

श्री सम्पत सिंह : इसमें फर्क हैं। अंग्रेजी वाइन तो बड़ी सस्ती है और अंग्रेजी माध्यम स्कूल बहुत महंगे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा ख्याल है, माननीय सदस्य ने पब्लिक स्कूल की बात कही है। यह पब्लिक स्कूल ब्रिटिश सरकार के जमाने में पब्लिक स्कूल थे तब शायद पब्लिक के लोग पढ़ते थे। अब कौन पढ़ता है ? मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि जो पब्लिक स्कूल्स का नाम बदलने की बात है वह अलग है लेकिन यह जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलते जा रहे हैं वहां अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोग हैं नहीं। ऐसी संस्थाएं लोगों का शोषण करती हैं, इसको रोका जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी आज बहुत महत्वपूर्ण माँग है और 51 लोग बोलने वाले हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : चर्चा नहीं मैं तो सजेशन दे रहा हूं। राज्य सरकार से मेरी अपील है कि ऐसे में जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको बहुत सदाशयता से विचार करें और उसमें बहुत पैसा नहीं लगेगा और इसमें संविधान की जो भावना है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, समान काम के लिए समान पैसा मिलेगा। जिस कांस्टीट्यूशन को आजादी के समय अपनाया है उसकी भी रक्षा होगी और उसका भी मान बढ़ेगा और लोगों के साथ न्याय हो सकेगा। यही कहकर मेरी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मैं मंत्री महोदय की तवज्जोह एक बात को और चाहूँगा। जब मंत्री महोदय सीकर में हिन्दी विद्या भवन, हायर सैकण्डरी का मुआयना करने पधारे थे तो उनको इस बात की पूरी जानकारी थी कि मैनेजमेण्ट लम्बे अर्से से वहाँ नहीं है और सरकार ने चार महीने की शिक्षकों की तनख्वाह की व्यवस्था थी। अब जब वह स्कूल इस स्थिति में पहुंच गया है तो क्या सरकार उसको टेक ओवर करके शिक्षकों को संरक्षण प्रदान करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बजार) : मैं दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो क्या आपको जानकारी है कि जो अनऐडेड संस्था है उनमें एक हजार के वाउचर पर साइन कराते हैं और दो सौ रुपये देते हैं ? तो इनके बारे में सरकार क्या करने की सोच रही है ? दूसरा फीस जो छात्रों से ली जाती है वह इतनी अनाप शनाप ली जाती हैं—सौ रुपए महीना, दो सौ रुपए महीना उसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कुछ करने का विचार रखती है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा में दो तीन प्रश्न आये हैं लेकिन अधिकांश प्रश्न घूम फिर कर वही आये हैं। जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने की बात है, अब उनका दिमाग 6 महीने में 3-7-89 के बाद बदल गया है ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारी सरकार ने वापस लेने का निर्णय किया था।

श्री उपाध्यक्ष : अपने उत्तर में कह दिया मैं इसको देखूंगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : दूसरी बात नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं तो मैं डेढ़ महीने में चालीस वर्ष का कचरा साफ कर लूं यह तो सम्भव नहीं है। मेरी मजबूरी देखिए उसको आप पहचानिए और माननीय मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चैक और ट्रेजरी से पेमेण्ट करने की तो कई संस्थाएं तो चैक से पेमेण्ट कर रही हैं और कई नहीं कर रही होंगी। किसी संस्था को चालीस प्रतिशत ऐड दे रहे हैं, किसी को 60 प्रतिशत ऐड दे रहे हैं। और उसको सारा ही गिरवी रख लो तो सारी वास्तविकता के ऊपर जाना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि अध्यापकों का, शिक्षकों का, जो कार्य कर रहा है, वहां पर उसका शोषण नहीं होना चाहिये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसका पूरा ध्यान रखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा, उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं। अण्डर पेमेण्ट कैसे रोकोगे आप, यह बताओ ना।

श्री कालीचरण सराफ : आप बता सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं सुझाव देने से कहां रोक रहे हैं। सुझाव थे, वह तो दे ही दिये।

श्री दिग्विजय सिंह : आपके सुझाव के अनुसार।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है...(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : ऐसा है कि जो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, मैंने उसे जाकर देखा है। इस प्रकार की राजस्थान में अनेकों संस्थाएं हैं, उसके ऊपर इस प्रकार के फाइनेन्शियल कम्पलीकेशन हैं। अब मैं जो 15-20 जून को देखकर आया हूँ, वह सारी जांच मंगायी है। वहां के मैनेजमेण्ट के जो लोग हैं, वह मेरे से मिले हैं, वहां के जो प्रिंसीपल, अध्यापक हैं, वह मेरे से मिले हैं। अब उस सारे प्रकरण को मैं देख रहा हूं। अगर सरकार को इसको अधिग्रहण करने में कोई विशेष आर्थिक भार नहीं होता है तो उसके ऊपर विचार कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अण्डर पेमेण्ट का आप क्या करोगे। उसकी व्यवस्था आप नहीं ट्रेजरी से कराओगे, कोई बात नही। आपके दिमाग में क्या योजना है जो पेमेण्ट कम करते हैं, दस्तखत कराते हैं टीचर्स। उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास करोगे। आप अगर ट्रेजरी से नहीं करोगे। मैंने तो सुझाव रूप में बताया था, आपको।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप बताओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका मतलब इसको रोकना है या नहीं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हमारा मंतव्य 100 प्रतिशत इसको रोकना है। अगर आप 90 प्रतिशत ऐड दें जो प्रिंसीपल के दस्तख्वत होने के बाद आयेगी, उसके अन्दर भी दे रखा है। इसके अनुसार बाईलाज बनायेंगे। अब आप मुझे इस विधान सभा में कमिट कराकर यहीं कानून चाहो बनाना तो बात अलग है। लेकिन उसके आने के बाद बाईलाज बनायेंगे, उन नियमों के अन्तर्गत जो इस प्रकार के रूल हैं, इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे, आपकी सलाह लेंगे, आपसे बैठकर बात करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके दिमाग में यह स्पष्ट होना चाहिये कि एड का ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाईलोज बनेंगे तो उसके बाद हो जायगा।

एक माननीय सदस्य : इनके बार-बार स्प्रिंग लगी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके दिमाग की भ्रांति को दूर कर रहा हूं। अण्डर पेमेण्ट जो है...

श्री कालीचरण सराफ : हर बार खड़े हो जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये। आप। यह कोई तरीका है। बार-खड़े होने का।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

राजकीय उपक्रम समिति, 1990-91 के प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1990-91 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) राजस्थान स्टेटेटैनरीज लिमिटेड अंकेक्षण प्रतिवेदन (1983-84) से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन, एवं

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (राजस्थान में लागू विद्युत कटौती से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति के 22 वें प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही) से सम्बन्धित द्वितीय प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल सदस्य विधान सभा, याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूँ :—

(1) नगरपालिका क्षेत्र कापरेन जिला बूंदी के ग्राम अडीला में कन्या प्राथमिक विद्यालय खोलने विषयक, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

(2) बूंदी जिले की कापरेन कृषि उपज मण्डी (गौण) का उद्घाटन करने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं होने से व्याप्त असन्तोष के निराकरण हेतु अविलम्ब मण्डी निर्माण कराने विषयक।

(3) केशवरायपाटन क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र की अरणदपुरा मेन ड्रेन पर अडीला गांव से खेतों में लाने वाले, बाड़ों के रास्ते पर पुलिया बनाने विषयक।

(4) बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र के ग्राम जालीजी का बराना से बोरडा काछियान होकर लवान स्टेशन तक सड़क बनाने विषयक, एवं

(5) कापरेन नगरपालिका क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलने विषयक।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुनील कुमार विश्नोई।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूरतगढ़ नगर, जिला श्री गंगानगर की सड़कों, नालियों एवं स्ट्रीट लाईट्स की दुर्व्यवस्था के निराकरण हेतु सड़कों व नालियों का निर्माण एवं प्रकाश की व्यवस्था करवाने विषयक एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

आय-व्ययक (बजट) 1990–91

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों का उपस्थापन

मांग संख्या 27–पेयजल योजना, मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांग संख्या 27।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3 अरब, 9 करोड़, 1 लाख, 49 हजार तक की राशि, इसमें जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 29.

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या–29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 19 27,14,000 (उन्नीस करोड़ सत्ताइस लाख चौंदह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (साचौर) :

1. जालौर जिले के सिलू भाटकी, भवाना को मीठा पानी सुरावा से सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

2. गांव एवं ढाणियों में पाईपों लाईनों द्वारा पेयजल की सप्लाई करने में अनियमितताओं तथा अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

3. बूंदी जिले की रायथल-ऐवरा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

4. हैण्ड पम्पों के संधारण में विभाग की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

5. उदयपुर नगर की बढ़ी हुई जनसंख्या होने से पानी की पाईप लाईनों एवं विसमद से पानी लाने की योजना गासीवाकय योजना को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

6. बीकानेर शहर की जल आपूर्ति हेतु जलाशय का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

7. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के जल वितरण योजना में जहां पानी में फ्लोराइड है वहां डी फ्लोरेडेशन प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

8. भीनमाल में अरबन ऐरिया हेतु स्वीकृति हेतु भेजी गई नव वित्त, आयोग की 48 लाख रुपये की स्कीम को स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

9. भीनमाल शहर को फिल्टर हाऊस एवं डी फ्लोरेडेन प्लांट लगाकर पानी वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. पंचायत समिति भीनमाल के पूनिया खेड़ा बांध (जैरष्ट पंचायत) पर पीने के पानी के स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

11. बाड़मेर जिले की उन्ड कूपलीया योजना के ग्राम कसूम्बला, सरदार सिंह–कसूम्बला दरचेद में पानी उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

12. बाड़मेर जिले के साउथ गिराद सालारिया योजना में ग्राम सुराली की होदी से अनुसूचित जाति की आबादी में पानी नहीं उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

13. बाड़मेर जिले के सेंतराऊ ग्राम में अनुसूचित जाति के बस्ती में पीने के पानी की होदी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. बाड़मेर लिले की साउथ गिराब–चैत्रोडी योजना में अनुसूचित जनजाति के ग्राम बड़ाला में पांच साल पूर्व होदी बनाने के बाद भी पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

15. बाड़मेर जिले की अनुसूचित बस्ती नेगरड़ा-सजनकापार, फकीर की बस्ती गामरी-खानीयानी, उतरवा-डाबड़–बालेवा-रामपुरा में पीने के पानी की होदियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. बाड़मेर जिले की 1980 से पूर्व की स्वीकृति योजना झिन्झनीमाली-देदड़ी-पार व बालेवा रेडाना को अभी तक तकनीकी स्वीकृति न होने से उत्पन्न गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये।

17. बाड़मेर जिले की क्षेत्रीय जलदाय योजना साउथ-गिराव-चैत्रोडी 1986 से से बनी होदियों में अभी तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

18. बाड़मेर लिले के गंगाला ग्राम में ओपन वेल की योजना सही नहीं चलने पर चर्चा के लिये।

19. बाड़मेर जिले के ग्राम रामसर में 10 सार्वजनिक स्थानों पर पानी सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये।

20. बाड़मेर जिले के गडरारोड़ कस्बे में अनुसूचित जाति की बस्ती में जवाहर योजना में बनी होदियों में पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

21. बाड़मेर जिले के हरसानी गांव में अनुसूचित जाति की बस्ती में होदी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री ग्रमीन खां)

22. बाड़मेर जिले के ग्राम हरसानी की ग्रावादी 1981 की जनगणना के ग्रनुसार 6 हजार एक सौ से ग्रधिक होने पर भी घर-घर नल योजना नहीं बनाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. जैसलमेर जिले के ग्राम भिन्भनींपाली में ग्रनुसूचित जाति की बस्ती में होदी बनाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. बाड़मेर जिले की फकीर की बस्ती व पादरिया ग्रनुसूचित जाति की बस्ती में होदी बनाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. बाड़मेर जिले की ग्राम गिराव खडीन योजना में ग्राने वाले ग्राम सुंजाल का पार में पानी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

26. बाड़मेर जिले की गडरा–जैसिदर योजना में ग्रनुसूचित जाति ग्रल्प संख्यकों के ग्राम मखन का पार में पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. बाड़मेर जिले के तहसील मुख्यावास ग्राम शिव की हरीजनों की बस्ती में पीने के पानी के कनेक्शन देने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

28. बाड़मेर जिले की ऊंडू पनाउड़ा व नीवला-सुरा-जायडू नल योजना के छोर के बिन्दुग्रों तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. बाड़मेर जिले की ग्राम रत्तासर व जैसार जैसे बडे गांवों से सम्बन्धित नल योजना का निर्माण कार्य ग्रत्यन्त धीमी गति से चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्रों में विभाग के सहायक ग्रभियन्ता हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त यातायात साधन उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (रैवदर) :

31. सीरोही सनवाड़ा पेयजल की योजना प्रारम्भ करने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

32. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 19 हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को राज्य सेवा में लेने की ग्रावश्वकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

33. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाग्रों के पुरानी हो जाने, पानी का स्तर नीचे चले जाने, कर्मचारियों व ग्रधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाग्रों पर नहीं रहने, समय पर निरीक्षण के ग्रभाव में ग्रौर ग्रामीण पेयजल योजनाएं लम्बी ज्यादा गांवों को जोड़ने वाली बनाने के कारण योजनाएं निरर्थक साबित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

34. करौली शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) :

35. गजरूपसागर पेयजल योजना द्वारा जैसलमेर को पेयजल उपलब्ध कराने तथा गढीसर तालाब को भरने की आवश्यकता पर चचा के लिये ।

श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर) :

36. सवाई माधोपुर के मुख्य जल-स्त्रोत बनास नदी से मानटाऊन क्षेत्र तक पाइप लाईन के पास के स्थित गांवों डूडवी ऊजनोटी, कोसाली, मैनपुरा, सुरवाल, करमोदा, चकनेपुरा में पशुओं के पीने हेतु खेलों में स्थाई जल सम्बन्ध दिये जाते तथा जिस गांव में खेल नहीं है वहां तुरन्त बनाकर जल सम्बन्ध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के ग्राम कोठडी नदी, भारजा नदी, खाटकला, पडाना, ओलवाड़ा, दुब्बी बनास हिंगोनी-निनोणी, उनियाना, जनवाडा कला, बाड़ोलास में लगाये गये सभी हैण्ड पम्पों का जलस्तर नीचे चले जाने के कारण पानी नहीं आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

38. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर एवं गंगापुर के समस्त गांवों तथा शहरों में नकारा व हैण्ड पम्पों की तुरन्त मरम्मत कर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39. नगरपरिषद् क्षेत्र सवाई माधोपुर के गांव ठींगला, आदर्शनगर "बी" में पाइप लाईन डलवाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसीलाल (हिन्डौन) :

40. तहसील हिण्डोन के गांवों में पेय-जल की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

41. तहसील खण्डार के ग्राम बावरे में नल योजना स्वीकृत कर नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

42. राज्य में 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब होने के स्थान पर नये हैण्ड पम्प न लगाने से उत्पन्न समस्या पर चचा के लिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

43. गन्देली सहावा योजना से जुडे गांवों को पेयजल सुलभ करवाने व अन्य गांवों को इस योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. चूरू तहसील में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत जल अभिवृद्धन योजना पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्य न शुरू करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. चूरू तहसील के गांव में भयंकर-पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

46. हैण्ड पम्पों के रख-रखाव के लिये सरकार द्वारा धन उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिन्डौली) :

47. हिन्डौली तहसील के बड़े ग्रामों में ग्रामीण जल प्रदाय तथा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं का सर्वेक्षण एवं स्वीकृति करने हेतु एवं हैण्ड पम्पों की ग्रामीण क्षेत्रों में कमी तथा संधारण व्यवस्था ठीक कर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) :

48. ग्राम खोडा एवं ग्राम ढाणी छील्ला को पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. लूणकरणसर तहसील के ग्राम कालू को नहर के पीने के पानी की योजना से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये।

50. टी. एस. एस. के कुएँ पी. एच. ई. डी. विभाग को सौंपने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. पेयजल योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की संख्या को साथ जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. पेयजल योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र का स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

53. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में विभिन्न गांवों की पेयजल योजना नहीं बनाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. फलासिया, ओगणा, कोल्यारी, तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर की पेयजल योजना अभी तक पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज) :

55. रामगढ़ जलवाड़ा पटानियां (किशनगंज) केलवाड़ा, समरानियां, शाहबाद तक जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नल योजना (पाइप्ड स्कीम) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. किशनगंज, शाहबाद में पेयजल के लिए स्थाई नल योजना (पाइप्ड स्कीम) बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) :

57. ग्राम शामदा पंचायत समिति मुण्डावर जिला अलवर में केवल मोटर ही लगा कर छोड़ दी गई है वहां पर टंकी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बना कर नल योजना चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

58. पेयजल योजना में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

59. भीलवाड़ा जिले और राज्य में पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. भीलवाड़ा में पुर ग्राम व अन्य बस्तियों में पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

61. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र लागू हो लेकिन दिल्ली जितना पानी की सप्लाई नहीं होने पर चर्चा के लिये।

62. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्पों का भारी अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के कस्बा टपूकड़ा, तिजारा, कोर्ट कासिम में पानी की सप्लाई कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भगाना, अताका, तरवास, सिलपटा, उजोला, कान्द्रड़का में पानी सप्लाई समुचित न होने की वजह से अलग-अलग ट्यूब वेल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. पंचायत समिति कोट कासिम (अलवर) के ग्राम नसीपुर, मीरपुर, लाडपुर बूढ़ी बावल में पानी की समस्या को देखते हुए पाताल तोड़ बोरिंग करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खिजूरी बास, लुहादेरा, ककराली, ग्रहण खर, बिछाला व कमालपुर, सलारपुर में पानी की समस्या को देख कर पाताल तोड़ बोरिंग करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (होड़ाभीम) :

67. ढाणियों में भी पीने के पानी की व्यवस्था व कड़वे पानी के स्थान पर मीठे पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. पेयजल हेतु हैण्ड पम्पों के स्थान पर नल योजना चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

69. पंचायत समिति लालसोट में लालपुरा-विहारीपुरा पेयजल योजना के कूप में पानी नहीं होने के कारण जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम डिगो में सामुहिक जल वितरण योजना से ग्राम डिगों की सम्पूर्ण आबादी को पानी उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री परसादीलाल मीणा)

71. पंचायत समिति के ग्राम रामगढ़ पचवारा, पटवा एवं सूरतपुरा में पेयजल के लिये टंकी का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. पंचायत समिति लालसोट के 2000 की आबादी से अधिक के सभी गांवों में सामूहिक जल वितरण योजनायें बना कर जनता को स्थाई तौर पर पीने का पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. नगरपालिका लालसोट में पाइप लाइन के डालने के बाद भी लम्बे समय से अब तक भी डाली गई पाइप लाइन से पानी उपलब्ध नहीं करवाये जाने के संबन्ध में चर्चा के लिये।

74. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम बगड़ी में कोली एवं खटीक मोहल्ले में पानी उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम खेड़ला खुर्द रामसर छावा में पीने के पानी का गम्भीर संकट हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरा में टंकी क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. पंचायत समिति लालसोट में खराब पड़े हैण्ड पम्पों के स्थान पर नवीन हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

78. रायपुर (पाली) तहसील में खोदे गये हैण्ड पम्पों को अविलम्ब चालू करने की व्यवस्था करने तथा सांडिया ग्राम में कंटीनजेंसी स्कीम से स्वीकार तीन हैण्ड पम्पों को शीघ्र लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. भारत सरकार एवं पी. पी. सी. से स्वीकृत पेयजल स्कीम में पाली जिले की रायपुर तहसील के ग्राम नोख, पासनी, नानणा, कोट-किराना, गुड़िया, दीपावास, लवावा, बिराटिया, कलां, झूंठा, पिपालिया, देवली कला, लिलाम्बा, करमावास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्कीमें यथा शीघ्र पूरी नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. पिछले 3 वर्ष से विभाग द्वारा ट्यूब वैल व टंकी बना कर ग्राम कानूजा बमेसिया निर्वाचन क्षेत्र रायपुर (पाली) के लोगों को अब तक नलों से पानी न पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. पिछले आठ-दस वर्षों से निर्मित पेयजल स्कीम मांग व कलासिया (पाली) में भारत सरकार से पिछले 1 वर्ष से स्वीकृत राशि ट्यूब वैल या ओपनवैल खोद कर टंकी को कुएं से जोड़कर पिछले 10 वर्षों से लाखों रुपयों से निर्मित स्कीम से ग्रामीण लोगों को टूंटी से पानी दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरासिंह चौहान)

82. सोजत तहसील के ग्राम बासना, रायरा कला तथा केलवाद में पेयजल की टंकियां बना कर पेयजल व्यवस्था अविलंब शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. पाली जिले के भूंठा गांव की 10-15 वर्षों पुरानी ओवर हैड टेंक को गिराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. चण्डावल नगर तहसील सोजत (पाली) की भारत सरकार से स्वीकृत पूर्ण जल क्षमता की नई टंकी अविलम्ब बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. भारत सरकार से स्वीकृत स्कीम अटपड़ा तहसील सोजत (पाली) में मीठा पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. रायपुर (पाली) निर्वाचन क्षेत्र के गांव सांडिया में तीन इन्च की पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चचा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) :

87. अलवर जिले में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) :

88, टोडारायसिंह क्षेत्र के ग्रामों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नेनवां) :

89. नैनवा शहर में पेयजल संकट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. नैनवा शहर पेयजल योजना के लिये मंजूर शुदा उच्च जलाशय (टंकी) के निर्माण में बरती जा रही विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

91. नई कालोनी वाई पास रोड नैनवा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइप लाइन डाली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. तहसील नैनवा की विभिन्न ग्रामों में चल रही पेयजल योजनाओं की क्षमता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. तलवास जिला बून्दी की पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ करने एवं बढ़ती जा रही विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :

94. केशोरायपाटन क्षेत्र में विभाग द्वारा दूषित जल का समाधान नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) :

95. जिला श्रीगंगानगर की नोहर तथा रावतसर तहसीलों में पेयजल की भारी समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

96. पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्य में एक्स. ई. एन. व ए. ई. एन. द्वारा ठेकेदारों से मिल कर करोड़ों रुपये के घोटाले करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

97. पनिपाल, नारेजा, परसोतमपुरा, पाछोडाला, प्रागपुरा में पाइप लाइन के लिये पाइप की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

98. नांगल पंडितपुरा, गोपालपुरा, खुहाड़ा, कल्याणपुरा कला, टसकोला में पानी की टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. कोटपूतली तहसील में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की पंचायत को कम से कम तीन हैण्ड पम्प अलाट करने की स्वीकृति देने बाबत चर्चा के लिये।

100. नौरंगपुरा, मोलाहेड़ा, बीठलोदा, गोनेडा, पनियाला, टोरडा आदि ग्रामों में पानी सप्लाई हेतु टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. तहसील कोटपूतली में हैण्डपम्प लगाने में की जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

102. खटकड़ तहसील बून्दी को पेयजल योजना (नल योजना) से लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. खराब और खारे पानी की समस्या से ग्रसित बूंदी जिले के गांव रायथल, भीमगंज, अगुत्या, छापरदा, बन्जारों के झौंपड़े, नन्दपुरा, रेगरों का मोहल्ला, आंतरदा, कोरमा के लिए पेयजल योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

104. चूरू तहसील में टी. एस. एस. के कुओं का जलदाय विभाग द्वारा अधिग्रहण करने पर चर्चा के लिये।

105. चूरू तहसील में मिनी मिशन के अन्तर्गत खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले संयंत्र में वाइन वाटर के डिस्पोजल पर व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) :

106. झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत बुड़ानियां के पेयजल कुएं की मोटर लम्बे समय से खराब होने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. जयपुर शहर की चौकड़ी तोपखाना हुजूरी में पानी की अनियमित सप्लाई से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. झुन्झुनू की आदर्श बस्ती

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

खिदरसर की पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत अजाड़ी के सार्वजनिक पेयजल स्रोत (कुएं) की मोटर लम्बे समय से खराब पड़ी होने के कारण हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. झुन्झुनू शहर के खोरा मोहल्ला व मोहल्ला बटवालान तथा श्रीमाली के मोहल्ले जलदाय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की अव्यवस्था से पेयजल सुलभ न होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

111. झुन्झुनू जिले के ग्राम पंचायत इस्लामपुर में स्वीकृति के पश्चात् भी पानी की टंकी का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :

112. ग्रामीण क्षेत्रों श्यामपुरा हाटमाज, राजपुरा आदि ग्रामों को पेयजल सुलभ कराने तथा सीकर शहर में पेयजल के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में नई योजनायें बनाने की की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

113. राजस्थान में पेयजल की समस्या के निराकरण में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र महुआ में अधूरी पड़ी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार विशेषकर फिल्टर प्लान्टस् के निर्माण में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशरायपाटन) :

116. विभाग में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छोटे के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पद प्राथमिकता के आधार पर भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. कापरेन में विद्युत आपूर्ति के अभाव में डीजल पम्प सेट से जल पूर्ति की समस्या को समाधान करने पर चर्चा के लिये।

118. केशोरायपाटन व कापरेन में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. लाखेरी नगरपालिका क्षेत्रों के सभी वार्डो में आवश्यकतानुसार नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No. 138

138

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

120. प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों, विद्यालयों, धार्मिक स्थानों, बस स्टेशनों पर हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. केशोराय पाटन के रड़ी जैथल आदि गांवों की पेयजल आपूर्ति में सुधार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. घाटका वराना ग्राम पंचायत के झापयता ग्राम में हैण्ड पम्प का पानी पीने से मानसिक बीमारियां बढ़ने से उत्पन्न विषम स्थिति से गम्भीर चिन्ता पर चर्चा के लिये।

123. केशोराय पाटन क्षेत्र में दूषित जल से फैल रही मानसिक बीमारियां (पागल) के समाधान हेतु जल की जांच करवाई जाकर उचित समाधान किये जाने पर चर्चा के लिये।

124. विभाग द्वारा केशवराय पाटन ग्रामीण क्षेत्रों के कुओं की मरम्मत करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. केशोराय पाटन के वार्ड नं. 13 में जल संकट का समाधान विभाग द्वारा नहीं किया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. केशोराय पाटन, कापरेन एवं लाखेरी में स्वीकृत शुदा नगरीय क्षेत्रों के हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. लाखेरी की मेज योजना के पानी को फिल्टर प्लान्ट लगाकर शुद्ध जल मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. हैण्ड पम्प सुधार अभियान माह अप्रेल से जून 90 में हुई भारी अनियमितताओं से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

129. केशोराय पाटन के बरूवाड़ा, लवान, झाली जी वराना आदि गांवों के स्वीकृत शुदा ट्यूब वेलों को प्राथमिकता से खुदवाया जाकर समस्या के समाधान करने पर चर्चा के लिये।

130. केशवराय पाटन के रेबारपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल समस्या के समाधान हेतु योजना बनवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. केशवराय पाटन के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के गांवों में एवं मौहल्लों में हैण्ड पम्प नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. कापरेन नगरपालिका क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति हेतु योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. नगरपालिका कापरेन की बस्तियां हांडिया खेड़ा, ढीमली एवं अडीला में नये हैण्ड पम्प योजना बनाई जाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

134. कापरेन नगर की अनुसूचित जाति के वार्डों में नई पाइप लाइन बिछा

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

135. केशोराय पाटन के छांवछ, छीडेंदा, कोड़किया बालाजी, लाखेरी खुर्द, श्रीपुरा, बलदेवपुरा आदि गांवों में अति शीघ्र नये हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

136. घाटका बराना योजना में सुधार करने हेतु उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. घाटका बराना में 40 से 50 मकानों को निजी तौर पर मांगानुसार नल के नये कनेक्शन दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

138. बीकानेर जिले की पेयजल योजना की क्रियान्विति में हो रहे अपव्यय को रोकने सम्बन्धी उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. नोखा तहसील ग्राम बिथरासर में पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

141. नोखा तहसील के ग्राम बन्दाला मे पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. कोलायत तहसील ग्राम दासोड़ी में ग्रामीणों को शुद्ध जल की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

143. कोलायत तहसील के ग्राम भेलू की करीब 600 ढाणियों को शुद्ध जल सप्लाई करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

144. कोलायत के ग्राम खिखनियां के ग्रामीणों को शुद्ध पानी की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

145. कोलायत के ग्राम मियांकोर की ग्रामीण जनता को विभाग द्वारा जल उपलब्ध नहीं कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

146. कोलायत के ग्राम उदर की ग्रामीण जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

147. बीकानेर जिले के हरिजन मोहल्लों में लम्बे समय तक पाईप लाईन बिछाने व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

148. डग पंचायत समिति की हरनावदा पंचायत केन्द्र हेतु पेयजल योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

149. सन् 1990 के जून, जुलाई तथा मई माह में झालावाड़ जिले तथा डग विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये हैण्ड पम्प अभी तक चालू नहीं होने से जन आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

1. श्रीमती उजला अरोड़ा
(जयपुर ग्रामीण) :

2. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :

3. श्री मदन दिलावर (अटरू) :

150. राज्य में कुपोषण एवं दूषित पेयजल का विभाग द्वारा समाधान नहीं करने पर चर्चा के लिये।

151. जयपुर नगर में जल महल क्षेत्र में डी. डी. टी. पाउडर आदि नहीं डाले जाने से बीमारियां फैलने की सम्भावनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

152. सुनेल में पानी की नई टंकी बनाकर जनता को जल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. डग कस्बे में ऊपर के पठारी इलाकों में गरीब लोगों को नई टंकी बनवाई जाकर पीने का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रोजाना, लहुरिया, शिवगढ़ खेड़ा, कुदिया, टेकड़ाछान, गोवड़ा, रनायरा, झीकडिया क्षेत्र के अन्य कई ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

155. डग विधान सभा क्षेत्र के पच-पहाड़ कस्बे में पीने के पानी की नई टंकी का निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल जाट (सहाड़ा) :

156. सहाडा, रायपुर विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा में उत्पन्न पेयजल संकट को दूर करने के कार्य पर चर्चा के लिये।

1. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :

2. श्रीमती उजला अरोड़ा
(जयपुर ग्रामीण) :

157. डीग क्षेत्र के लिये आगरा केनार (उत्तर प्रदेश) से पेयजल शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :

2. श्रीमती उजला अरोड़ा
(जयपुर ग्रामीण) :

158. डीग क्षेत्र के लिये स्वीकृत पानी की टंकी और पाईप लाईन का कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. डीग क्षेत्र के गांवों को मीठा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

160. सिनसिनी में पानी की टंकी की अब तक सफाई नहीं किये जाने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

161. सिनसिनी गांव की अधूरी पाईप लाईन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं होने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

162. डीग क्षेत्र में पानी की टंकियां काफी समय से साफ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय) :

163. दूषित पेयजल वाले भिनाय क्षेत्र के गांवों में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान पर चर्चा के लिये।

164. बीसपुर योजना से अजमेर जिले के गांवों में पेयजल शीघ्र उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. बजट में पेयजल की कुल राशि का 60 प्रतिशत गांवों में खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. बीसलपुर योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध करवाना अभी तक शामिल नहीं होने से ग्रामीण जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (सूरजगढ़) :

167. सूरजगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर जल संकट के स्थाई समाधान हेतु चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

168. चूरू जिले की विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कर्मचारियों की कमी से आ रहे गतिरोध पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :

169. गंधेली साहवा जल प्रदाय योजना की धीमी गति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

170. चूरू जिले को जी. एल. आर. (होज पानी के) पाईपों से नहीं जोड़े जाने पर चर्चा के लिये।

171. गन्धेली साहवा क्षेत्रीय जल-प्रदाय की द्वितीय चरण के धीमी गति से कार्य किये जाने पर चर्चा के लिये।

172. तहसील राजगढ़ (चूरू) में मिनी-मिशन एवं सब-मिशन पेयजल योजनाओं को क्रियान्वयन न होने पर चर्चा के लिये।

173. ग्राम सूरतपुरा, बिसलान, भाकरा, किरताण, लसेड़ी, तहसील राजगढ़ (चूरू) में विभाग द्वारा स्थानीय जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराना बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

174. चूरू जिले में विभाग द्वारा मापदण्ड के अनुसार पूर्ण पेयजल उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

175. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना किरताण तहसील राजगढ़ (चूरू) द्वारा ग्राम बिराणु, खुडानी की ढाणी आदि गांवों में पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिए।

176. तहसील राजगढ़ (चूरू) के हरिजन बस्तियों में टूंटियां लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. राजगढ़ कस्बे को (चूरू) तुरन्त गन्धेली साहुवा योजना से पीने का पानी उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

178. राजगढ़ कस्बे की विभिन्न बस्तियों में पानी की पाईप लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार):

179. जयपुर शहर में विभाग द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पों में से जल स्तर नीचे जाने के कारण अधिकांश हैण्डपम्प अनुपयोगी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

180. जयपुर शहर के पेयजल संकट निवारण हेतु बिसलपुर परियोजना के प्रथम चरण में जयपुर को शामिल करने हेतु चर्चा के लिये।

181. जयपुर शहर में पानी के बिलों में व्यवसायिक दर लागू करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. जयपुर शहर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. जयपुर शहर के मुख्य जलश्रोत रामगढ़ बांध के पूर्णतया सूख जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधा राम (मकराना):

184. मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुण्डाखेड़ी, कल्याणपुरा (गौरावा) को अभी तक किसी भी पेयजल योजना से नहीं जोडे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. मकराना कस्बे में पानी कुचामन सिटी से आने के रास्ते में लीकेज होने व कुचामन जलदाय विभाग के कुए में पानी पूरा नहीं होने से मकराना की स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खारडिया, कालवा, मनाना, कचोलिया, दोखा, रामसिया, नोसरिया में 250 से ज्यादा की आबादी की ढाणियों में पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. मकराना विधान सभा क्षेत्र में गच्छीपुरा, बांका पट्टो जलप्रदाय योजना से मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सरनाबड़ा, नोसरिया, लारड़िया, राणिगांव, मनाणी, मनाना, रायथलिया आदि में पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमंद) :

188. भूजल स्तर गहरा होने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) :

189. टोडारायसिंह ग्रामीण क्षेत्र में जहां पानी में फ्लोराईड की मात्रा ज्यादा है उन क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल सुलभ करवाने पर चर्चा के लिये।

190. अजमेर किशनगढ़, ब्यावर को बिसलपुर परियोजना को पाईप लाईन से रास्ते में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी पेयजल सुलभ कराने पर चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

2. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना):

191. विभाग द्वारा जमवारामगढ़ बन्धे में 14 फुट मिट्टी निकाल कर गहरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

192. कानोता बांध जयपुर को तत्काल पूरा किया जाकर पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

2. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना):

193. सउवा ग्राम झोटवाड़ा पंचायत श्री जयसिंह पुरा खोर के गांव (जयपुर) में बनी टंकी का कनेक्शन जमवारामगढ़ से जयपुर आ रही पाईप लाईन में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. जमवारामगढ़ में बस स्टेण्ड तक पेयजल हेतु पाईप लाईन बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. पेयजल कॉमर्शियल रेट पर उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

2. **श्री राजपाल सिंह शेखावत** (बनीपार्क) :

3. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना):

196. जयपुर नगर में आगामी 10 वर्षों का पेयजल का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

2. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना):

197. जयपुर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु बनास योजना अविलम्ब लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

198. जयपुर जिले में खराब हैण्ड पम्पों को तत्काल ठीक किये जाने तथा यदि बिल्कुल खराब हो गये हो तो उनके स्थान पर तत्काल ही नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1. श्री सोमा भाई मीणा (बागीडोरा):

2. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

199. नाहरपुरा में पेयजल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. पाचवड़ा में जल योजना की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. गोगड़ तलाई में पेयजल योजना की व्यवस्था न होने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

202. पादेडी में पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. सिंघाड़ों का पाडला में हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. दवेला में नल योजना चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. छापा में नल योजना चालू करने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

206. कोटडा पंचायत में पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. बांसवाड़ा जिले में पेयजल व्यवस्था पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न भारी रोष पर चर्चा के लिये।

208. दुकवाड़ा ग्राम तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. आवापुरा में नल योजना की क्रियान्विति नहीं होने से जनता में भारी रोष पर चर्चा के लिये।

210. कड़ाना में बेक वाटर बढ़ने पर लोगों को राहत पहुंचाने की माकूल व्यवस्था नहीं होने से जनता में व्याप्त भारी रोष पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :

211. हैण्ड पम्पों की खुदाई एवं रिपेयरिंग (मरम्मत) हेतु सबडिवीजन अलग बनाकर कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. पाली जिला तहसील सोजत के ग्राम हिंगावास, गागुडा, रेपड़ावास, हापत, रूपवा, विलावास, धिनावास, धाकड़ी, वरियाला, वीरावास, लुण्डावास, अजीतपुरा, धोंगड़वास सडाराम आदि को जवाई नहर भीतडा या आंगेसर से योजना बनाकर मीठा पानी मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. पाली जिला तहसील मारवाड़

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

जंक्शन के ग्राम कण्टालिया से योजना बनाकर ग्राम धूंधला व सोजत रोड़ को पेयजल आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

214. प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामों में ओवर हैड टैंक बनाकर ग्रामों में पाईप लाईन लगाकर घरों में नल कनेक्शन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

215. तहसील मारवाड जंक्शन के ग्राम नरसिंहपुरा के लिए योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

216. तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम दुदोड़ में ओवर हैड टेंक बनाकर जलदाय योजना के तहत घरों में नलों के कनेक्शन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

217. तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम वाली से रिसानिया, कंटालिया से मेलाय, मालपुदिया से वासनीअनंत, वासनी सुरायता तक पाईप लाईन लगाकर जल आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

218. तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम फुलिया से कुशालपुरा तक पाईप लाईन लगाकर पेयजल आपूर्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

219. तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बोरनडी से गुडागरी तक पाइन लाइन लगाकर पेयजल आपूर्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

220. ग्रामीण पेयजल योजना बनाते समय जनसंख्या के साथ पशुओं की संख्या को भी सम्मिलित कर योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद (वैर) :

221. भरतपुर जिले की तहसील वैर में खराब हैण्ड पम्पों की विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

222. जिला बांसवाड़ा के दानपुर ग्राम में नल योजना पर कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नही करने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

223, जिला बांसवाड़ा के ग्राम दानपुर, मजरा, ककाई डूंगरी में पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन नहीं डालने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये ।

224. जिला बांसवाडा के ग्राम ठिकरिया ग्राम पंचायत आवापुरा में हैण्ड पम्प नहीं लगाने पर चर्चा के लिये ।

225, राज्य सरकार द्वारा छापरिया गांव में हैण्ड पम्प नहीं लगाने व पानी की पूरी व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :

226. पाली जिले के तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बोरुड़ी के ट्यूब वैल से गुंडागरी तक पाईप लाईन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये ।

227. पाली जिला तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम माण्डा में बने जी.एल.आर. से अनुसूचित जाति के मौहल्लों में पब्लिक वूथ लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने बावत चर्चा के लिये ।

228 पाली जिले की तहसील सोजत के ग्राम बिलावास, धिनावास, धाकड़ी, रूपावास, रेपड़ावास, बरियाला, वीरावास, हापत, सन्डारडा इत्यादि ग्रामों में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्लांट लगाने बावत चर्चा के लिये ।

229. पेयजल योजना के सर्वे के समय जनगणना पुस्तिका के साथ उस वर्ष की जनसंख्या को तथा पशुधन की संख्या को ध्यान में रखकर योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

230. पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु श्रीनगर, ठुकराई, नन्दवाई, खातीखेड़ा में पेयजल योजना लागू की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

231. चूरू तहसील के ग्राम कोटवाद-ताल, कोटवाद नाथोताल, जौडी, मठौडी, भेरूसर खारिया, शायमपुरा में पेयजल उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये ।

232. चूरू तहसील के ग्राम घन्टेल, पीथीसर, भारीया, कुनसीसर, रामपुरा, चन्देल नगर, खीवासर, चलकोई, जासासर, धोधलिया में व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

233 चूरू शहर के वार्ड नम्बर 1, 5, 8, 17, 21, 25, 29, 30 में उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

234. पीपल्दा क्षेत्र के अयाना, तलाब, विनायका, ठीपरी, बजूलिया कलां खुर्द, निमोला आदि गांवों में पेयजल हेतु नल योजना लागू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

235. पीपल्दा क्षेत्र की मीठोद टी. एस. स्कीम को शीघ्र चालू कराकर पेयजल संकट निवारण करने पर चर्चा के लिये ।

236. कोटा जिले में हैण्ड पम्प सुधार अभियान में प्रयोग की गई सामग्री के डुप्लीकेट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा में लिये ।

237. पीपल्दा क्षेत्र में हैण्ड पम्प सुधार अभियान के बावजूद भी आधे से अधिक हैण्ड पम्प खराब होने पर चर्चा के लिये ।

238. पीपल्दा क्षेत्र के मोहनपुरा कस्बे में पेयजल संकट को दूर करने तथा अंतिम

(श्री हीरालाल आर्य)

छोर पर पानी पहुंचाने तथा हरिजन मोहल्लों में पाईप लाईन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पाईप घोटाले कांड के दोषी अधिकारियों को अभी तक दण्डित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

240. पीपल्दा क्षेत्र के इन्द्रगढ़ नगर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नये ट्यूब वेल से कनेक्शन करने तथा टंकी की मरम्मत किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

241. पीपल्दा क्षेत्र के बमोरी कलां में जनता को खारा पानी उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

242. पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल नगर में निर्मित दूसरी टंकी से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

243. पीपल्दा क्षेत्र के खातोली, गैंता, पीपल्दा कलां में पेयजल पूरे समय में नहीं छोड़ने, प्रेशर कम होने पर चर्चा के लिये।

244. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा कस्बे में पूरे समय पानी नहीं छोड़ने तथा प्रेशर कम होने पर चर्चा के लिये।

245. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा कस्बे में ट्यूब वेल खुदे 6 माह हो जाने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं होने से पेयजल संकट रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

246. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा कस्बे में पम्प हाउस गिर जाने से पेयजल योजना ठप्प हो जाने पर चर्चा के लिये।

247. पीपल्दा क्षेत्र के श्यामपुरा, चेनपुरा, चन्द्राहेड़ी, केकाखेड़ी आदि गांवों में एक-एक हैण्ड पम्प और खोदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

248. पीपल्दा क्षेत्र के कीटपुरा, रघुनाथपुरा, अचलगढ़, शेरगढ़, घटोद, गोठडा-खुर्द, देलोद, गुठला, नयागांव, शिवदानपुरा, जटवाड़ा, गोपालपुरा, रामखेड़ा, कजलिया, कवरपुरा, कीटपुरा, खेड़ली, किशनपुरा, श्रीपुरा, बजूलिया खुर्द आदि गांवों में एक-एक और हैण्ड पम्प खोदे और जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

249. पीपल्दा क्षेत्र के श्रीपुरा, मीठोद, खेड़ली बोरदा, हरिनगर, संग्रामपुरा, नलावता, कीटपुरा, कंवरपुरा में हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

250. प्रान्त में हरिजन मोहल्लों एवं गांवों में प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

251. पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल तथा इन्द्रगढ़ नगर में कनिष्ठ अभियन्ता पद का स्वीकृत होते हुए भी उनके हैड क्वार्टर पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद):

252. बीसलपुर योजना के 5 किलो-

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

मीटर रेडियस में पड़ने वाले सभी गांवों को इस योजना से पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

253. नसीराबाद स्थित सहायक अभियन्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने व आय से अधिक निजी धन एकत्र करने पर चर्चा के लिये।

254. नसीराबाद नगर को सहायक अभियन्ताओं द्वारा पेयजल आवंटित लक्ष्य से कम करने पर चर्चा के लिये।

255. नसीराबाद स्थित सहायक अभियन्ताओं का मुख्यालय पर न रहकर अजमेर रहने पर तथा जन समस्याओं के प्रति बेरुखी, अभद्र एवं अशिष्ट व्यवहार करने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

256. बीसलपुर योजना के एक अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय को अजमेर से नसीराबाद स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

257. नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में खारे पानी के गावों में मीठा पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

258. नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में 1981 की 2,000 की आबादी पर पम्प और टेंक योजना क्रियान्वित कर पेयजल व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

259. काफी कम लम्बाई में खोदे गये हैण्ड पम्पों को गहरा कराने पर चर्चा के लिये।

260. ग्रामीण अंचल में राजस्व गांवों की ढाणियां जो मूल गांव से दूर हैं उनमें पेयजल की कारगर व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

261. पेयजल का स्तर नीचे चले जाने से हैन्ड पम्पों में पानी उपलब्ध न होने से पेयजल की गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये।

262. अजमेर जिले के कुओं में पानी की सतह काफी कम हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

263. बीसलपुर योजना की क्रियान्विति में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के के लिये।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) :

264. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव जेतलीया पंचायत पीपलखूंट में प्रतापगढ़ व जेतलीया सड़क संगम पर हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

265. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव कुण्डला पंचायत जगपुरा में हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

266. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव वलोतों का खेड़ा में हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

267. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव चोडीटामरीया में प्राथमिक विद्यालय भवन के सामने हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

268. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव कुण्डला पंचायत जगपुरा में हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

269. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव ईसरवाला में माही विसला पील किसानों के बांध में बनाई प्राथमिक विद्यालय भवन के सामने हैण्ड पम्प लगाने की चर्चा के लिये।

270. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव बस्सी आग में हैण्ड पम्प लगा कर पेयजल समस्या के निवारण पर चर्चा के लिये।

271. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव पाड़ियापोल, जेतपुरा, वडेता, डूगर, में हैण्ड पम्प लगाने व पेयजल समस्या निवारण पर चर्चा के लिये।

272. गनोड़ा पेयजल योजना से गनोड़ा गांव में पानी बराबर वितरण नहीं होने पर चर्चा के लिये।

273. साटकाटापदा आमिजी ओता, गुन्दीवाली रेड गनोडा तहसील घाटोल को गनोडा को पेयजल स्कीम से जोड़ने की चर्चा के लिये।

274. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव टुंकबाड़ी, कलाउआ पाड़ा में हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर) :

275. तहसील परवतसर जिला नागौर में ग्राम बानवास, पीलवा, भादवा वागोट, जेजीला, मंगलाना, गोमवा, विदीमाप में पी. एण्ड. टी. योजना लागू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

276. तहसील परबतसर में स्वीकृत शुदा क्षेत्रीय योजना रावडियाद से ग्राम धोलिया, मुडोता, पालूडी कडवा, भवानीगांव व निम्बोला गांव के खारे पानी के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

277. स्वीकृत शुदा क्षेत्रीय जलदाय योजना जालमपुरा से ग्राम रिड व सीटावट खेड़ावास को पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

278. तहसील परबतसर मे धारा की ढाणी खीतरपुरा, गोदारा की ढाणी भूणिजा को पेयजल योजना से जुड़ाने पर चर्चा के लिये।

279. ग्राम गेडाकलां तहसील परबतसर मे पशु पेयजल के लिये सार्वजनिक कुऐ पर मोटर पम्प स्थापित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

280. तहसील परवतसर में ग्राम सीटावट खडोवास, राजास, आजवा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये जी. एल. आर. का निर्माण के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

281. बांकापट्टी विशेष योजना गच्छीपुरा में 250 से अधिक जनसंख्या वाली डाणियों पोबेरी डोवडी, सोवलदास, गीठाजों

Page No. 150

(150)

(श्री मोहनलाल)

की ढाणी भैयाखुर्द, भीलांकी ढाणी मोदी चारखा, व लोडिया की ढाणी अलतबा में जी. एल. आर. के निर्माण के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये ।

282. तहसील परबतसर में कुंवाड़ों की ढाणी डोबडीकलां, सोखला व बनीवाला बेरा की ढाणी नान्दोली मेड़तियां में टी. एस. एस. योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

283. तहसील परबतसर में नेतड़ों की ढाणी बाजोली में जी. एल. आर. के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

284. ग्राम बड़ जिला नागौर में आपलिया की ढाणी व श्यामा की ढाणी में जी. एल. आर. के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

285. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना में फैले भ्रष्टाचार और गरीब हरिजनों को पानी की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये ।

286. पेयजल योजना के वर्कचार्ज कर्मचारियों की सुविधाओं, तनख्वाह बढ़ोतरी और रिहायश क्वार्टर देने पर चर्चा के लिये ।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) :

287. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग मेड़ता, नागौर द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

288. सुजानगढ़ क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की पुर्नगठित स्कीम बनाकर पेयजल व्यवस्था में सुधार करने तथा सुजानगढ़ व बीदासर सब डिविजन के अन्तर्गत आने वाली सभी जल प्रयास स्कीमों को 40 से 70 की जनसंख्या के हिसाब से नये सिरे से स्कीम बनाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :

289. ग्राम माडपुरा में चार स्थानों पर ट्यूब वेल के पोइन्ट खुदे हुये है तथा पाईप जमीन में डाला हुआ है इन अधूरे ट्यूब वेलों को पूर्ण किये जाने पर चर्चा के लिये ।

290. ग्राम देऊ के पास खुदे हुये ट्यूब वेल का उपयोग करने पर चर्चा के लिये ।

291 ग्राम करणु में पानी की भारी समस्या के समाधान हेतु ट्यूब वेल लगाकर मीठा पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

292. ग्राम नाखा के पास अकाबास में सौर ऊर्जा से जो बिजली सार्वजनिक ट्यूब वेल को दी है उससे बिजली सही मात्रा में नहीं मिलने से ट्यूब वेल से पानी पर्याप्त नहीं मिलता है पर चर्चा के लिये ।

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

293. गांव बरायल में लाखों रुपये की लागत से तैयार 4 ट्यूब वैल में से 3 का उपयोग नहीं होने तथा बरायथल खुर्द, साटिका कलां, खुर्द खटोड़ा व शिवपुरा में पानी जाने बाबत पर चर्चा के लिये ।

294. पांच ट्यूब वैल तैयार होने पर भी उनका उपयोग नहीं होने तथा ग्राम खिवसर में सार्वजनिक जल आपूर्ति गांव वणगांव वासनी कुम्हारी को पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

295. नागौर शहर में पानी की भारी कमी के कारण नागरिकों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) :

296. सिरोही जिले के शिवगंज नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बनाई गई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उपरोक्त तहसील हेतु आवश्यक पाईप उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

297. बहत्तर लाख की सिरोही नगर की पेयजल योजना को प्रशासनिक मंजूरी दी जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) :

298. अनूपशहर-शोएटाडा स्कीम भादरा से डूंगराना तक लगाये गए घटिया पाईपों के फूट जाने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।

299. करणपुरा-मुंसरी स्कीम को पूरा वाटर न मिलने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।

300. गान्धी बडी, चिड़िया गान्धी, सरदारपुरा वास छोटा बड़ा को मलखेड़ा एच. डब्ल्यू. से पानी सप्लाई करने के पर चर्चा के लिए ।

301. विभाग द्वारा भादरा-भनाई-भानगढ़ लाईन को नियमित करने पर चर्चा के लिये ।

302. निवारणा वाटर वर्क्स को मुख्य अमरसिंह नहर से पानी देने पर चर्चा के लिये ।

303. भनाई से फीड होने वाले गांवों को पूरा पीने का पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

304. भादरा तहसील की आसन मेहरिया योजना पर बने अपर्याप्त रा-वाटर चैनल एवं डिग्गियों के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये ।

305. गन्धेली-साहवा स्कीम द्वारा कमीशन्ड भादरा तहसील के गांव थाडी घोटड़ा मालकसर गांवों को पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

306. भादरा कस्बे में स्थित हरिजन बस्ती के मध्य डूम सागर के गन्दे पानी के निकास की विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाई जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

307. चौहटन विधान सभा क्षेत्र में जिन-जिन गांवों में पानी का स्रोत है उस गांव में दूसरे गांव से पानी नहीं लाया जाकर उसी गांव में ओपन वैल या ट्यूब वैल लगाये जाने बाबत पर चर्चा के लिये।

308. चौहटन विधान सभा क्षेत्र के नवातला, सूजाका, नवां, दीवला, जामवालिया मांदीका नवां में पानी की भीषण समस्या के समाधान करने हेतु पर चर्चा के लिये।

309. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के गांव नेतराड़, बिसारनिया, इसरोल, आटिया, लखवारा में पीने के पानी की भीषण समस्या पर चर्चा के लिये।

310. ग्राम रमजान की गफन में पिछले दस वर्ष से पेयजल योजना बनी है परन्तु कार्य पूरा अभी तक नहीं हुआ इस पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

311. छबड़ा क्षेत्र के बठानदा ऊंचा डोलम चौकी मोतीपुरा छबड़ा हरनावदा शाहडी अन्य ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था कराने बाबत पर चर्चा के लिये।

312. छबड़ा छीपा बडोद ग्रामीण क्षेत्र के खराब हैण्ड पम्प ठीक कराने तथा सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में डीप वेल खुदाने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज) :

313. केलवाड़ा समरानिया में पेयजल के लिए पाइप लाइन की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

314. शाहबाद में पेयजल हेतु पानी के स्रोत को ढूंढकर विभाग द्वारा प्रस्तावित स्कीम को स्वीकृति देने बाबत पर चर्चा के लिये।

315. शाहबाद किशनगंज में अभाव ग्रस्त गांवों में डीप वैल खुदवाने बाबत चर्चा के लिये।

316. हैण्डपम्प की मरम्मत व अबेन्डेड हैण्ड पम्प के स्थान पर दूसरे हैण्ड पम्प लगाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

317. चूरू पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों घेटेल झारीया, जसरासर, जासासर, खीवासर, खण्डवा, बुन्टीया, सहजुसर, इन्द्रपुरा, दूधवाखारा, सिरसला, लाखाऊ, ढाढर, धांधू, सातड़ा, लोहसणा, सहनाली; बीनासा, डेपालिसर के गांवों में आए भंयकर पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़) :

318. जाखम बांध से लीफ्ट द्वारा प्रतापगढ़ नगर को पीने के पानी की सुविधा दिलाने पर चर्चा के लिये।

319. प्रतापगढ़ नगर में अनुसूचित जन जाति बस्ती में 10 हैंण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

320. रायपुर, बड़ीसाखथली, आटीनेरा, कुलथाना, नागदी, असावला गांव में ट्यूब वैल लगाने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री रखबचन्द मीणा)

321. खरौंढ, मनोहरगढ़, पानमोडी, रठाजना, गाघोला में बन्द पड़े ट्यूब वेल चालू कराने बाबत चर्चा के लिये।

322. तहसील अरनोद में धोराजी पठार को सालमगढ़ पेयजल योजना की लाईन से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) :

323. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्वीकृत सभी पेयजल योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवा कर शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

324. ग्राम पंचायत भावी में स्वीकृत योजना में नई टंकी व गांव में पाईप लाईन बिछाने का कार्य शीघ्र चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

325. बिलाड़ा से पड़ासला जाने वाली स्वीकृत पाईप लाईन को शीघ्र शुरू करवा कर गांवों को पीने का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

326. पेयजल योजना-बिलाड़ा में कृषक नगर की स्वीकृत योजना को शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

327. नगर पालिका बिलाड़ा उप क्षेत्र उचियाड़ा की स्वीकृत पेयजल पाईप लाईन को शीघ्र डाल कर जनता को पानी मुहैया करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :

328. विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर टेस्कटिंग ट्यूब वेल खुदवाने की स्वीकृति दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा
(जयपुर ग्रामीण) :

श्री जियालाल बंशीवाला (दौसा) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

329. झोटवाड़ा पंचायत समिति के पंचायत सुमेला आगरा के ग्राम विजयपुरा में पानी की खराबी से सौ बच्चों से भी अधिक के पोलियों का शिकार होने से उक्त गांव के लिए अन्य वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए।

330. पंचायत नायला, राहोरी, रूपवांस, लांगड़ीवास पापड़, सायपुरा मानपुर, कलां बासना, इन्द्रगढ़ व जमवारामगढ़ के गांवों में तथा उक्त पंचायतों के हरीजन मौहल्लों में पेयजल के हैण्डपम्प तत्काल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर से लिए जा रहे जयपुर के पेयजल के कारण उक्त क्षेत्र में पानी की कमी आने से सुमेल व जयसिंहपुरा खोर के गांव व ढाणीयों में पर्याप्त हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

332. जयपुर नगर की शहर चार दीवारी के भीतर गटर लाईनों में से पाईप लाईन अलग न किये जाने से हो रही बिमारियों पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र (आर्यवीर) :

333. जयपुर नगर में स्थित ट्रीटमैन्ट प्लाट को तत्काल शिष्ट किये जाने की आवश्यकता पर बार-बार कहने पर भी कार्य नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

334. जयपुर नगर के उत्तरी क्षेत्र के चार खुले नालों को ट्रीटमेण्ट प्लान्ट से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

335. जयपुर नगर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रीजनल स्कीम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

336. पंचायत समितियों में हैण्डपम्प सुधारने के अधिकार वापिस लेकर विभाग द्वारा ही हैण्डपम्प सुधाराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

337. अनुसूचित जाति/जन जाति के मोहल्लों में पेयजल के प्रबन्ध के लिए अविलम्ब हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

338. जयसिंहपुरा—खोर के पेयजल के कुओं से जयपुर नगर के लिये पानी लिये जाने से शेष सारे कुंए सूख जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

339. विभाग द्वारा जमवारामगढ़ पंचायत समिति में लगाये गये हैंण्डपम्प सुधारने के लिए कुशल मैकेनिकों की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

340. नीम का थाना उपखण्ड में अधूरी पड़ी टंकी योजना शीघ्र पूर्ण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

341. उपखण्ड नीम का थाना क्षेत्र में पाईप व अन्य सामान के अभाव से उत्पन्न बाधा पर चर्चा के लिये।

342. नीम का थाना क्षेत्र में बेकार (सूखे व अपनडेन्ट हैण्डपम्प) हैण्डपम्प के बदले नये नहीं लगाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

343. तहसील घाटोल जिला बांसबाड़ा के गाव सुरपुर में प्राथमिक विद्यालय भवन के सामने हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

344. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के पंचायत सेमलीया के सम्बन्धित गांव कुण्डल डीमोती की सर्वे करा हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

345. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव सीदडी मउन्डी में सर्वे कराकर हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

346. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के पंचायत सेमलीया के गांव सेमलीया में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

नवनीतलाल निनामा (घाटोल)

347. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव रेएदा पंचायत सौडलपुर में सर्वे करा पेयजल समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

348. तहसील घाटोला जिला बांसवाड़ा के गांव ठाकरा में विभाग द्वारा सर्वे करा हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

349. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के पंचायत पृथ्वीपुरा के गांव पृथ्वी में हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

350. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा पंचायत पृथ्वीपुरा के गांव सालोया में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

351. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा पंचायत पृथ्वीपुरा के सम्बन्धित गांव माडवी में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

352. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में पंचायत पृथ्वीपुरा में गांव खडीयाणी में हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

353. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा की पंचायत पृथ्वीपुरा के गांव चमीड़ी में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) :

354. ग्राम पंचायत डाबिच में पेयजल योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

355. थली व बाढ़, बाढ़पुरा व तापड़िया में पेयजल की व्यवस्था हेतु कोई योजना नहीं होने से. उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

356. छापरी, हथेली, समेलिया, भांकरोटग के लिये पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

357. गिरधारी लाल पुरा, शक्कर खावदा चौकिया, रामपुरा के लिए पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

358. कोथुन, सावलिया के लिये पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

359. चोस में पेयजल हेतु टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

360. पचाना, चकवाड़ा, भोलपुरा व सुलताक के लिये पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

361. माधोराजपुरा पेयजल योजना योजना अलग बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

362. रेणवाल पेयजल योजना दो वर्ष से बन्द पड़ी है उसे चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

363. चाकसू पेयजल योजना हेतु नये कूप निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिये।

364. ग्राम पंचायत चान्दमा कलां मान्दी समेलिया हेतु नई पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) :

365. तहसील अकलैस के ग्राम मालता व लास में पानी के कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

366. तहसील अवलेरा के ग्राम मने मनोहरयाना में दूसरी टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

367. तहसील अकलैरा को ग्राम मनोहरयाना में विभाग द्वारा ट्यूब वैल से मैन लाईन डलवाई गई परन्तु ठेकेदार द्वारा एम. वी. भर कर भुगतान किये जाने पर चर्चा के लिये।

368. तहसील अकलैरा के ग्राम घाटोली, जावर में नल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

1. नैनवा नगर में स्थित हरिजन बस्ती की गन्दगी का निवारण न होने पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

2. जयपुर विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी एवं सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी दिये जा रहे अनुदान में औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

3. नगर विकास न्यास द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति नहीं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

4. भीनमाल नगर का विकास भविष्य में सुव्यवस्थित ढंग से योजना बनाकर बसाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

5. बाड़मेर जिले के नगर परिषद क्षेत्र में अम्बेडकर कालोनी में बसने वाले गरीबों का नियमन कराने में राहत नहीं देने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

6. कच्ची बस्तियों के अन्दर समुचित नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

7. हिण्डौन शहर में गन्दे नाले की सफाई नहीं होने पर भी नगर पालिका को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

8. राज्य में बढ़ते हुए अतिक्रमण को रोकने पर भी निगमों, निकायों एवं प्राधिकरणों को दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

9. चूरू शहर में सफाई की नालियों व सड़कों के अभाव पर भी नगर पालिकाओं दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

10. नगरपालिका द्वारा चूरू शहर में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

11. राजस्थान में कच्ची बस्तियों में सुधार के लिये पूरा धन न दिये जाने पर नगर विकास न्यासों व जयपुर विकास प्राधिकरण को भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

12. टाऊन प्लानिंग विभाग द्वारा राजस्थान के विकास की समुचित योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

13. तिजारा नगरपालिका क्षेत्र की कालोनियों में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध न कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

14. तिजारा नगरपालिका क्षेत्र में गन्दे पानी के निकासी न होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

15. तिजारा नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों व रास्तों की हालत खराब होने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

16. जयपुर शहर में तथा जगतपुरा रोड पर मार्च, 1990 के बाद अवैध निर्माण कार्य को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं रोके जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. जयपुर नगर की विद्याधर नगर के सेक्टर 3 व 4 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भू-खण्डों पर आवं-

(श्री परसादी लाल मीणा)

टियों को कब्जा कागजों में ही दिया गया मौके पर नाजायज निर्माण के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण आवंटियों का भविष्य अन्धकार मय हो जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

18. चुरू शहर में वार्ड 1, 2, 9, 17 के मध्य इकट्ठे होने वाले गन्दे पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने पर भी नगरपालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरु) :

19. कोटा नगर में मस्जिदों, कब्रों, मजारों, कब्रिस्तानों के अवैध निर्माण को नहीं रोक पाने पर भी नगर परिषद को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

20. जयपुर में बहुमंजली आवासीय एवं व्यापारिक भवनों के गैर-कानूनी निर्माण को नहीं रोकने पर भी जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

21. बून्दी नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भवनों में एवं भीड़ भरे व्यवसायिक बाजारों में कम्प्रेशर एवं बड़े वर्कशापों की नगरपालिका द्वारा अनुमति देने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

22. नगरपालिका द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं एन. ओ. सी. आदि पर ली जाने वाली भारी फीस से उत्पन्न समस्या का समाधान न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

23. नगरपालिका क्षेत्रों में वर्षों से पूर्ण विकसित आवास कालोनियों के पट्टे न दिये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

24. नगरपालिका क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहनों से लिये जा रहे बहुती कर से उत्पन्न स्थिति पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

25. नगरीय क्षेत्रों में ली जाने वाली चुंगी चोरी को नहीं रोक ने पर भी नगर पालिकाओं/परिषदों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौंखा) :

26. बीकानेर के सुर सागर व शहर के भीतरी भागों में सफाई न होने के कारण फैलती जा रही तरह तरह की बीमारियों पर सरकार द्वारा नियन्त्रण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. राज्य के बड़े-बड़े शहरों में सफाई

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

की माकूल व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय) :

28. गांवों में नालियों आदि की व्यवस्था न होने से उत्पन्न गन्दगी का जनता के स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

29. कापरेन एवं केशवराय पाटन में सफाई व्यवस्था हेतु ट्रैक्टर आदि उपलब्ध नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

30. प्रदेश के अधिकांश नगरों में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु नगर आयोजना विभाग को सक्षम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. नगरपालिका चुनावों से पूर्व, मेहता कमेटी की सिफारिशों पर यथोचित एवं वाजिब सुझावानुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. अंडीला बस्ती नगरपालिका वार्ड नम्बर एक व दो में नालियों एवं खरंजा नहीं होने पर भी नगर पालिका को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

33. केशवराय पाटन के वार्ड नम्बर 4 खेड़ों का मोहल्ला में व्याप्त गंदगी से फैल रही अव्यवस्था पर भी नगरपालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. स्वायत्त शासी संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा न करने एवं बैकलाक नहीं भरने पर उन्हें दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. लाखेरी केशवराय पाटन एवं कापरेन नगरपालिका क्षेत्रों की सड़कों की जीर्ण शीर्ण स्थिति की मरम्मत नहीं कराने पर भी नगरपालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

36. केशवराय पाटन नगर में शमसान घाट तक रास्ता बनवाया जाकर समस्या का समाधान न किये जाने पर भी नगरपालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37. केशवराय पाटन तथा कापरेन नगर में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में व्याप्त गंदगी को दूर न किये जाने पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

38. लाखेरी केशवराय पाटन एवं कापरेन नगर पालिका क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण को नहीं रोकने पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

39. बीकानेर की जय नारायण समक्ष कालोनी व मुरलीधर व्यास कालोनी में सड़कें व नालियों की व्यवस्था नहीं करने पर भी नगर परिषद को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

40. बीकानेर में मुरलीधर व्यास कालोनी में आवंण्टित भूखण्डों को निरस्त करने से उत्पन्न जन असन्तोष पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

41. बीकानेर नगर परिषद क्षेत्र के बाहरी व अन्दरुनी भागों में सड़कें व नालियां नहीं बनाने पर भी परिषद को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) :

42. नगरों के फैलाव से किसानों की उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण करने से किसानों को हो रहे नुकसान पर भी स्थानीय निकायों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

43. नगरों में हो रहे अवैध निर्माण से सामान्य जनजीवन पर पड़ रहे कुप्रभाव पर भी स्थानीय निकायों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

44. नगरों में नालियों एवं सकड़ों की उचित मरम्मत व व्यवस्था न होने पर भी स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरण आदि को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार):

45. जयपुर नगर परिषद क्षेत्र में कार्मशियल काम्पलेक्स निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति देने से पूर्व सुरक्षा को नजर अंदाज करने पर भी परिषद को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

46. जयपुर शहर में जवाहर नगर के बगल से गुजरने वाले बाई पास रोड पर आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु बाई पास अन्यत्र स्थानान्तरित कराने के लिये नगर आयोजना विभाग द्वारा कोई अन्य योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

47. जयपुर शहर में अनाधिकृत निर्माण कार्य को रोकने में असमर्थ रहने पर भी नगर परिषद एवं जे. डी. ए. को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

48. जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों में रहने वाले निवासियों का 1971 व 1981 में सर्वे होने के बाद भी अभी तक नियमित रूप से बसाये नहीं जाने पर भी जे. डी. ए. और नगर परिषद को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

49. जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों को नियमित नहीं करने पर भी जे. डी. ए. को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. जयपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

51. जयपुर शहर के रामगंज बाजार, घाटगेट बाजार, सूरजपोल बाजार में

(श्री कालीचरण सराफ)

सोडियम लाइटे न लगी होने के कारण उत्पन्न असन्तोष पर भी नगर परिषद को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

52. जे. डी. ए. द्वारा मकानों के नक्शे पास करवाने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

53. जयपुर शहर के मास्टर प्लान के व्यवहारिक न होंने के कारण जनता को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

54. जयपुर शहर की जनता कालोनी, सेठी कालोनी में सड़कों की दुर्दशा होने पर भी जे. डी. ए. को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

55. जयपुर शहर जे. डी. ए. द्वारा वैध एवं अवैध निर्माण की अन्धाधन्ध तोड़-फोड़ किये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर भी इसे दिये जा अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

56. जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों पर विकास शल्क की अधिक दर वसूले जाने से व्याप्त असन्तोष पर भी जे. डी. ए. को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) :

57. भादरा नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को रोकने में विफल रहने पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार):

58. नगर आयोजना विभाग का अन्य विभागों में साथ उचित सामंजस्य नहीं होने से जयपुर शहर का विकास अवरुद्ध होने पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमका थाना) :

59. जयपुर ग्रामीण क्षत्र के नगरीय भाग में शंकर नगर के नाले से हो रही क्षति पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उसे पक्का नहीं किये जाने से जनता में असुरक्षा की सम्भावना पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

60. नगरपालिका, जयपुर व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर नगर की समस्त कच्ची बस्तियों में शिविर लगाकर पट्टे नहीं दिये जाने से व्याप्त जन आक्रोष की स्थिति में इन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

61. वर्ष 1990 में हुए आम चुनाव के समय जयपुर में हुए अतिक्रमणों को हटाये न जाने से जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर परिषद की गिरती हुई छवी पर विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका को दिये जाने वाले अनूदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

Page No. 162

(162)

(श्रीमती खजला अरोड़ा)

62. नगर परिषद क्षेत्र जयपुर की सड़कों में भयंकर गढ्ढे व टूटी हुई नालियों की मरम्मत न किये जाने से हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद नगर परिषद को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

63. जयपुर नगर परिषद के द्वारा बिजली की ठीक व्यवस्था नहीं किये जाने पर उनसे यह कार्य लेकर विद्युत विभाग को न दिये जाने की असमर्थता पर भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा**
(जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना)

(3) **श्री राजपाल सिंह शेखावत**
(बनीपार्क) :

(4) **श्री काली चरण सराफ**
(जौहरी बाजार) :

64. जयपुर नगर में सफाई को उचित व्यवस्था न किए जाने पर भी नगर परिषद को दिये जाये वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा**
(जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री जियालाल बंशीवाल** (दौसा)

(3) **श्री काली चरण सराफ**
(जौहरी बाजार) :

65. जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कच्ची बस्तियों में सर्वेधारियों को आवंटन पत्र व कब्जा उपलब्ध न करवाने पर भी जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोडा**
(जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना)

(3) **श्री काली चरण सराफ**
(जौहरी बाजार) :

66. जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवासीय कालोनियों में विकास कार्य न किए जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

67. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जयपुर नगर में मण्डी खटीकान, लक्ष्मीनारायण पुरी, बलदाऊ पुरी, सीतारामपुरी, मण्डी डाकोतारा, रामपुरी, हरिजन बस्ती श्यामपुरी हरिजन बस्ती में सड़कें, नल, बिजली आदि उपलब्ध न कराये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सड़क से ग्राम इन्दरगढ़ तथा ग्राम लांगडीवास से ग्राम रूपा की नांगल तक सड़क न बनाने से आने जाने में जनता को हो रही कठिनाई की स्थिति में भी जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जाने पाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

(2) श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

(3) श्री काली चरण सराफ (जौहरी बाजार) :

69. जयपुर नगर में चार दरवाजे पर स्थिति सकिल के पास प्याऊ या छबील में अवैध मीट की दुकान खोले जाने से जनता में नगर परिषद की गिरती छवि की स्थिति में नगर परिदषों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :

70. नागौर नगर पालिका क्षेत्र में गांधी चौक से दिल्ली दरवाजा जाने वाली वन व सड़क की मरम्मत 30 वर्ष से नहीं होने पर नगरपालिका को भी दिये जाने वाले आ अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

71. नसीराबाद नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी नगरीय सहायता या सुविधा न रहने पर भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

72. सिरोही नगर पालिका द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनाई गई दुकानों को आवंटित न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

73. गरीबों को उजाड़ने व झुग्गी झोपडियों का नियमन नहीं करने पर भी नगर पालिका, नगने परिषद को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

74. स्वायत्त शासन विभाग में विभिन्न स्तरों पर फैल रहे भ्रष्टाचार व अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर) :

75. नगर पालिका परबतसर, जिला नागौर में बाला जी के मंदिर से रंगरान मोहल्ला तक शहर में नाला निर्माण नहीं होने पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. नगर पालिका परबतसर में अस्पताल से स्टेशन तक फुटपाथ का निर्माण नहीं कराने पर भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

77. सुजानगढ़ कस्बे में बने ड्रेनेज नालों के रख रखाव एवं सफाई न कराने पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

Page No. 164

164

श्री मोहन लाल (परबतसर) :

78. नगर पालिका परबतसर में सड़कों व नालियों का निर्माण नहीं कराने पर भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :

79. नागौर शहर स्थित दिल्ली दरवाजे के बाहर पुराने बस स्टेण्ड के पास सड़क व नाले की व्यवस्था नहीं होने से पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

80. नागौर शहर की हनुमान बाग कालोनी में सड़क व नालियों की व्यवस्था नहीं होने से हो रही असुविधा पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

81. नागौर शहर में लोहारपुरा में सड़कें व गन्दा पानी निकालने का नाला नहीं होने से जनता की बढ़ती परेशानी पर भी नगर पालिका को दिये जाने रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

82. नागौर शहर में गांजी खाड़ा, शिववाड़ी, दुलाया, अधेलिया से गन्दा पानी निकालने के लिये सन् 1977 में 13.67 लाख रुपये खर्च होने पर भी समस्या का समाधान नहीं होने पर भी नगर पालिका को दिये जा रहे औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(2) श्री जिया लाल बन्शीवल (दौसा):

(3) श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

83. योजना के विपरीत व्यवसायिक क्षेत्र न होने पर भी गली गली में बन रही दुकानों को न तोड़े जाने से भ्रष्टता से पैसे खा कर बनाये जाने पर भी नगरपालिका, जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

84. जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर परिषद द्वारा नियमों का पालना न करने से विभाग की गिरती छवि पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

85. जयपुर नगर के सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, मरम्मत नहीं करवाये जाने पर भी नगरपालिका एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

86. जयपुर नगर की चार दीवारी के बाहर जोरावरसिंह दरवाजे बाहर ब्रह्मपुरी गेट के बाहर व चार दरवाजे बाहर की बस्तियों में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न किए जाने पर भी जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

87. जयपुर में फुटपाथों को छोटा करने, पेड़ों को काटे जाने व नये पेड़ लगा कर छाया नहीं किये जाने पर भी नगर पालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) श्री जिया लाल बंशीवाल (दौसा)

(2) श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना):

88. चौकडी रामचन्द्र जी व गंगापोल की गंदी नालियों को साफ करके पक्का नहीं बनाये जाने पर भी नगर परिषद को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(2) श्री जिया लाल बंशीवाल (दौसा)

(3) श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना):

89. बड़ी चौपड़ जयपुर से तीर्थ धाम गलता तक विभाजक पट्टी लगाकर मरकरी लाइटें लगाने के आदेश हो जाने पर भी कार्य प्रारम्भ न किए जाने पर भी नगर परिषद् एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

90. कृषि भूमि पर बनी 1142 कालोनियों को स्वीकृत नहीं किये जाने तथा तथा अब तक स्वीकृत कालोनियों में भी नियमन नहीं किये जाने पर भी जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये जाने वाले औचित्य पर चर्चा के लिये।

91. पन्नीगरों के नाले को घोड़ा निकास रोड़ से जल महल तक सफाई नहीं करायें जाने व मरम्मत नहीं कराये जानें पर भी नगर परिषद् को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

92. नगर परिषद जयपुर द्वारा उनके क्षेत्र की सड़कें न बनाये जाने से विभाग की गिरतों छवि पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(2) श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

93. जयपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से विभाग की गिरता: छवि पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 27 व 29 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दन मल वैद (तारा नगर): उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की मांग जो माननीय मन्त्री महोदय ने पेश की है उसमें मुझे कुछ जरूरी बातों का जिक्र करना है। हम सब इस बात को मानते हैं कि हमारे प्रदेश में पेयजल की बहुत बड़ी कमी है। जब हम गर्मी के दिनों में इस विधान सभा में मिले थे तो शायद पहले या दूसरे दिन ही हमने पेयजल की कठिनाइयों को दूर करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी बनायी थी। यह इस बात का द्योतक है कि हम इस बात को मानकर चलते हैं कि पेयजल की इस प्रदेश में बहुत

(श्री चन्दनमल बैद)

बड़ी कठिनाई है। यह कठिनाई क्यों है और कठिनाई बढ़ क्यों गयी है इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। कठिनाई इस वास्ते है कि जमीन के नीचे जो पानी है उसका हमने बहुत एक्सप्लायटेशन किया है, दोहन किया है। इस वास्ते जिस जगह पीने का पानी था उस जगह भी आज पानी की कमी हो गयी है और जहां मीठा पानी था वह पानी खारा हो गया, खराब हो गया। मेरा अनुभव यह है कि जिस गांव में मीठा पानी था उस गांव में ट्यूबवैल या कुआं बनाकर हमने बिजली कनेक्शन उसमें दे दिये। पानी ज्यादा निकलने लग गया और थोड़े दिनों में पानी खारा हो गया। जिस तरीके से सिंचाई का पानी फ्लोर पर है उसके एक्सप्लायटेशन के लिए हमने कुछ नियम बना रखे हैं। यह कि हम उस सिंचाई के लिए सीमित क्षेत्र को ही अनुमति देते हैं, दूसरा हमने यह नियम बना रखा है कि पीने का पानी मुहैया करेंगे बाद में सिंचाई का पानी हम देंगे। रामगढ़ बंधा सिंचाई के लिए बना था, लेकिन जयपुर की आबादी बढ़ने के साथ-साथ और दूसरे कारणों से पानी की जरूरत होती गयी। धीरे-धीरे रामगढ़ बंधे से सिंचाई बन्द हो गई। इसी तरीके से इन्दिरा गांधी नहर भी सिंचाई के लिए बनी है। लेकिन धीरे-धीरे हम उसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पीने का पानी पांच सौ क्यूसेक्स, सात सौ क्यूसेक्स, हजार क्यूसेक्स और आज हम कह रहे हैं कि 1500 क्यूसेक्स पानी उससे हम पीने के लिए देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आप जो सरफेस-वाटर है सिंचाई का जो पानी है उस में हमने रैगुलेशन कर रखा है। यह कर रखा है कि सिंचाई को सीमित रखेंगे। दूसरा यह कर रखा है कि सिंचाई के पहले हम पानी को पीने के लिए उपयोग करें। इस तरीके से हमने अण्डरग्राउण्ड वाटर को रैगुलेट नहीं किया। आज बेतहाशा सिंचाई के कुएं खुदते चले जा रहे हैं, बेतहाशा हम पीने के पानी के लिए टैपिंग कर रहे हैं। हमको यह पता नहीं है कि रेगिस्तानी जिलों में, आज चूरू हो या नागौर, सीकर हो या झूंझुनू, कितनी जगह सिंचाई की जा सकती है अण्डरग्राउण्ड वाटर से ? इस वास्ते मनमर्जी से कुएं खोदे जा रहे हैं, उनमें बिजली लगाकर सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि हम अण्डरग्राउण्ड वाटर का इतना ज्यादा एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं कि एक दिन वह आने वाला है कि जिस तरीके से आज ऊपर रेगिस्तान हैं, जमीन के नीचे भी रेगिस्तान होने वाला है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कि इस बात को मद्देनजर रखकर हमको हमारी नीति बनानी चाहिए। जोधपुर के पास रामपुरा एक गांव है। वहां कुएं, ट्यूबवैल बहुत लगे हुए हैं, उनसे बहुत ज्यादा सिंचाई होती है। लेकिन उसका पानी हमने जोधपुर के लिए लेना शुरू कर दिया। इस कारण उन कुओं का, ट्यूबवैल्स का जो वहां लगे हुए हैं, पानी 50-50, 100-100 फीट नीचे चला गया। इस गम्भीर स्थिति की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। इस तरह का कोई रैगुलेशन बनाना चाहिए कि किस एरिया में सिंचाई

(श्री चन्दनमल बैद)

के कितने कुए बनाने देंगे, कितने नहीं बनाने देंगे और पीने के लिए कितने कुए बनाने देंगे। हमने अगर यह रेगुलेशन नहीं किया तो हम बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हैं, क्योंकि आज जिन इलाकों को हम समझते थे कि मालवा है, पानी की कोई कमी नहीं है वहां भी यह स्थिति पैदा होने लगी है। भरतपुर समझ लीजिए, अलवर समझ लीजिए या जयपुर को ही ले लीजिए। यहां भी पानी नीचे चला गया, इतनी तकलीफ पानी की हो गयी। आज हम जयपुर में कह रहे हैं, मैं खुद अपनी बात कहता हूँ कि मेरे घर में एक कुआं था। उसमें पानी सुख गया और मुझे उससे डेढ़ा गहरा एक ट्यूबबैल खुदवाना पड़ा, तब पानी हुआ। मैं यह कहता हूं कि आज जयपुर में भी यह समस्या पैदा होना शुरू हो गयी है। इस वास्ते कोई रेगुलेशन हम को करना चाहिए। वह रेगुलेशन कोई एक पार्टी नहीं कर सकती, सत्ता पक्ष भी नहीं कर सकता। एक बार कोशिश की थी सन् 1972 में कि इस तरह का एक रेगुलेशन किया जाय, इस तरह की मशीनरी बनायी जाय जो कि पानी का रेगुलेशन करे कि किस एरिया में कितने सिचाई के कुएं रहेंगे, कितने पीने के पानी के कुएं खोदे जायेंगे। लेकिन चूंकि प्रजातन्त्र में इस तरह का कानून बनाना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है, इस वास्ते इस आइडिया को छोड़ना पड़ा। जिस तरह परिवार नियोजन के कारण कांग्रेस को नुकसान सहना पड़ा। बुरी चीज नहीं है परिवार नियोजन। अभी कल ही चर्चा हो रही थी, सब इस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि परिवार नियोजन बहुत अच्छी चीज है, इस बात को करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि इस को कम्पलसरी कर दिया जाना चाहिए। यानी परिवार नियोजन जैसी अच्छी चीज को अपनाने से किसी एक पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, उसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन कुओं का रेगुलेशन करके नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी पार्टी को। लेकिन यह देश के हित में है, प्रदेश के हित में है, जनता के हित में है। इस वास्ते में निवेदन करना चाहता हूँ कि सब पार्टियों को साथ बैठकर कुछ करना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने एक दिन कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी इसके नियम बना दे, इसका प्रारूप ले आये, मैं उसी पर अपनी सहमति प्रकट करूंगा। उस तरह से उनको यह भी कहना चाहिये, अगर सब पार्टियां मिलकर एक ऐसा रेगुलेशन बना लें, सब पार्टियां इस बात का निश्चय कर लें, जो भयंकर संकट हमारे सामने आने वाला है उस संकट से निपटने के लिए हम इस तरह का रेगुलेशन बनायेंगे, कि अण्डर-ग्राउण्ड वाटर का कितना दोहन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं। दूसरी बात इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी के लिए हम जितना ज्यादा सरफेस वाटर लायें उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। दो फायदे होंगे इस से। एक तो यह होगा कि हमारे अण्डरग्राउण्ड वाटर का एक्स-प्लायटेशन कम होगा। दूसरा यह होगा कि सरफेस वाटर से हमारा रिचार्जिंग ठीक होगा। हम नहर बनाकर, नाला बनाकर

(श्री चन्दनमल बैद)

सरफेस वाटर चाहे इन्दिरा गांधी नहर से लायें, चाहे माही से लायें, चाहे चम्बल से लायें, और किसी जगह से लायें, जैसे अभी आप बीसलपुर से पानी ला रहे हैं अजमेर में, ब्यावर में, जब हम वह पानी लायेंगे तो उस पानी के लाने से आस-पास की जगह में भी पानी का रिचार्जिंग होगा।

(3.42 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति पदासीन)

उस रिचार्जिग से हमारा अण्डरग्राउण्ड वाटर बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि पीने का पानी बहुत जरूरी है। एक तरफ अण्डरग्राउण्ड वाटर का एक्सप्लायटेशन कम करें और दूसरी तरफ सरफेस वाटर ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करें, यही दो तरीके हैं जिससे हम पानी की बहुत बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। पानी पहली जरूरत है। इससे बड़ी समस्या दूसरी हो नहीं सकती। इस वास्ते जरूरी है कि इस समस्या से निपटने के लिए हम इन बातों को करें। इसके सामने पैसे का सवाल नहीं आना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि पैसा कितना कहां से आयेगा। पैसा इतना कहां से आयेगा 35 साल में हमने इस चीज को देख लिया। देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो स्कीम्स हमने बनायी थीं, जो योजनायें हमने बनायी थीं उन योजनाओं से उतना लाभ नहीं हुआ जितना हम सोच रहे थे। यह सारी बातें समस्यायें पैदा करने की हैं। सवाल समस्याओं को हल करने का है। हम यह नहीं कह सकते कि यह समस्या आपने उस समय हल क्यों नहीं कर ली। समस्यायें हल करते जाते हैं, नयी समस्यायें पदा हो जाती हैं। किसी गांव में पीने का पानी नहीं था, पीने का पानी लाते हैं तो कीचड़ हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं। ड्रेनेज बनानी पड़ती है। यह कोई कह दे कि आपने पानी मुहैया कराया तो ड्रेनेज क्यों नहीं बना दी। ज्यों-ज्यों समस्यायें आती हैं उनका हल निकलता जाता है। आज हमारे सामने यह समस्या आयी है कि अण्डरग्राउण्ड वाटर कम होता जा रहा है, नीचे चला जाता जा रहा है, उसका रिचार्जिंग उतना नहीं हो रहा जितना हम एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं। इस वास्ते यह जरूरी है कि हम इन सारी बातों से सबक लेकर सरफेस वाटर का ज्यादा से ज्यादा दोहन करें, एक्सप्लायटेशन करें, चाहे वह इन्दिरा गांधी नहर हो, चाहे माही हो, चाहे चम्बल हो, चाहे बीसलपुर हो, कोई भी बड़ी नदी हो, बड़ा तालाब हो। कोई भी ऐसी जगह हो, उसके पानी को हमको दोहन करना चाहिए और दोहन करके पीने के पानी की समस्या का हल करना चाहिए। उसके लिए पैसे की समस्या को हमें एक दफा अलग हटाना चाहिए। यह पहली जरूरत के सामने दूसरी जरूरतें इन्तजार नहीं कर सकतीं? रोटी आप पांच दिन नहीं दें, सात दिन नहीं दें आदमी मरेगा नहीं लेकिन शायद 24 घण्टे से ज्यादा पानी के बिना कोई जिन्दा नहीं रह सकता। यह जरूरी है। जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ वहां की जो स्थिति है उस स्थिति का अन्दाज वे लोग नहीं लगा सकते जो अच्छे क्षेत्र से आ रहे हैं, जिनके यहां पानी सुविधा से उपलब्ध है। अभी भी उस इलाके के अन्दर 10-10 मील, 15-15 मील जाकर पानी

(श्री चन्दनमल वैद)

लाना पड़ता है। इन्तजाम किया गया है, कुएं वहां खोदे गये हैं, बिजली लगायी गयी हैं, लेकिन फिर भी लाना पड़ता है क्योंकि गरमी के दिनों में नीचे का पानी ऐसा खराब हो जाता है कि उसको पी नहीं सकते, पशु भी नहीं पी सकते। इस वास्ते दूर-दूर से जाकर पानी लाना पड़ता है। जिनके पास ऊंट गाड़े हैं, बैल गाड़ियां हैं वह आदमी पानी ला सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, हरिजन है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके पास ऊंट नहीं है, बैल गाड़ियां नहीं हैं वह कैसे लायेंगे उस पानी को। बड़ी मुश्किल से या तो बेगार के नाम पर, इस कण्डिशन पर तुमको हम पानी देंगे कि जब बरसात होगी तो तुमको हमारे खेतों में काम करना पड़ता, या दूसरे तरीके से उन को पानी प्राप्त करना पड़ता है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि इस मामले में पैसे की दिक्कत नहीं आने देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि पानी के मामले में हमको पैसे की दिक्कत बहाना नहीं बनाना चाहिए। इस काम के लिए हर तरीके से कोशिश करें, यह काम हमको करना चाहिए। इस सिलसिल में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरफेस वाटर लाने की योजना को हमने ट्राई किया बीकानेर में, गंधेली-साहवा योजना से चूरू जिले में, जोधपुर में और उसके अच्छे नतीजे आये। गंधेली-साहवा योजना के पहले चरण में 87 गांवों को पानी देने की स्कीम थी। 87 की जगह 160 गांवों को पानी दे दिया गया। ठीक है, पूरा पानी उन गांवों को नहीं मिलता, लेकिन पीने का पानी चाहे दो दिन से चाहे एक दिन से, कम से कम मिल तो जाता है। लोगों को अच्छा पानी मीठा पानी मिलता है। कम मिलने के कारण कई हैं। 87 की जगह 160 गांवों को दे दिया आदमी के साथ पशु को भी आप लगा देंगे तो निश्चित रूप से जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। उसके बाद दूसरा चरण हमने मंजूर किया। दूसरे चरण की तकनीकी और वित्तीय, सारी मजूरियां हो गयीं। आज भी वह काम चल रहा है। मैं यह जरूर चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जो काम चल रहा है उसको तेजी के साथ चलाये जिससे उस इलाके में चूरू जिले के तीन इलाकों-तारा नगर, राजगढ़ और सरदारशहर का संकट दूर हो सके। लेकिन इतनी बात कहकर मैं चुप नहीं रहना चाहता, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पानी को आप सारे चूरू जिले में लाइये, सातों तहसीलों में लाइये। उस पानी को आप सीकर में लाइये, उस पानी को आप झुंझुनू में लाइये, उस पानी को आप नागौर में लाइये। सब जगह उस पानी को लाइये, जिससे अण्डर ग्राउण्ड वाटर का जो दोहन इन जगहों में हो रहा है, कम से कम वह नहीं हो। वहां पानी दिलाने के खैर मैंने आंकड़े तो तैयार नहीं किये हैं, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह सरफेस वाटर लायेंगे तो जो पानी कुओं से निकाल कर आप जनता को देते हैं, सप्लाई करते हैं उससे यह पानी सस्ता पड़ेगा क्योंकि एक तो ज्यादा मात्र में यह होगा, दूसरे, पशुओं

(श्री चन्दनमल बैद)

पशुओं के लिए भी होगा। उससे आपकी वहबूदी बढ़ेगी, पशुओं में दूध बढ़ेगा, पशुओं की जिन्दगी बढ़ेगी और दूसरी चीजें बढ़ेगी। इससे आपको लम्बे रन में जाकर फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस योजना के ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हमने दूसरा चरण शुरू किया है तो कई बाते इस योजना में हमको और बढ़ानी चाहिए, करनी चाहिए। जो यह है कि जो नहर वहां से आ रही है गंधेली से उस नहर को हमको रेज करना है ताकि पानी ज्यादा आ सके। अभी जितना पानी आ रहा है अगर उस नहर को रेज कर देंगे, एक-एक ईट और लगा देंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तो जितना पानी आज आ रहा है उससे दुगुना पानी उसमें आयेगा।

दूसरी बात यह है कि जो साहबा में हमने स्टोर बना रखा है गंधेली से साहबा तक स्टोर बना हुआ है। स्टोर बनने के बाद जो साहबा से दूसरी जगह जो पानी आ रहा है उसके लिए हमें दूसरी पाइप लाइन डालनी चाहिए। आज एक पाइप लाईन डाली हुई है वो 87 गांवों को मद्दे नगर रखकर लगाई गई है। अब 160 गांव और एक कस्बा भी, पशु भी उसमें शामिल है। क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में आदमी पशु को पहले देखता है और दूसरी चीजों को बाद में देखता है। उसके लिए पशु ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर उसके जिले में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, किसी की भैंस मर जाती है तो लोग बैठने के लिए जाते हैं और छोटा बच्चा मर जाता है तो कहते हैं कोई बात नहीं तेरी औरत जिन्दा है न, बच्चा और हो जायेगा। मह एक संस्कृति की बात है। और भैंस मर जाती है तो कहते हैं 5,000/- रुपये कहां से आयेंगे। भैंस मर जाती है तो सारा परिवार मर जाता है और एक बच्चा मर जाता है तो कहते हैं कि अगर पत्नी मौजूद है तो बच्चे तो और हो जाएंगे अगर भैंस मर जाएगी तो 5000/- रुपये कहां आएंगे। तो जहां ऐसी संस्कृति है वहां पहले वे पशु को पानी पिलाते हैं, बाद में खुद पीते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह जो एक सस्कृति है उस कारण और दूसरे कारणों से जो पानी की कमी होती है उस कमी को दूर करने के लिए नहर को रेज करना चाहिए, दूसरी पाइप लाइन डालनी चाहिए और दूसरी हॉर्स पावर की मोटरें लगानी चाहिए जिससे ज्यादा पानी आ सके और दूसरे चरण के साथ-साथ 335 गांवों की जो योजना है उससे 335 गांवों को पूरा-पूरा पानी मिल सके, इसकी कोशिश हमको करनी चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली दफा की तरह से आपने इस दफा गंधेली साहबा योजना के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले दफा 77 में आप शासन में आए थे तो गंधेली साहबा योजना का काम शुरू हो गया था लेकिन आपने उसको ठण्डे बास्ते में कोल्ड स्टोरेज में डालकर रख दिया। लेकिन इस

(श्री चन्दनमल वैद)

बार गंधेली-साहवा योजना की तरफ आपने ध्यान दिया है और जो पैसा उसको मंजूर किया जाना चाहिए वो आपने मंजूर किया है और मुझे पूरी आशा है इस विभाग के साथ मुझे 4 साल तक काम करने का मौका मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस विभाग के इंजीनियर्स में, मिस्त्रियों में, मजदूरों में सेवा की भावना है, समाज-सेवा की भावना है। इस समाज सेवा और सेवा की भावना से इंजीनियर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ करता हूं क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने देखा है। यह मैं नहीं कहता कि इसमें कोई भ्रष्ट इंजीनियर होगा ही नहीं या कोई गलत मजदूर नहीं होगा। हो सकते हैं लेकिन दूसरे विभाग के मुकाबले में यह विभाग ज्यादा समाज सेवा और सेवा भावना के साथ काम करता है यह मुझे अनुभव है। अगर इनकी आप पीठ थपथपाते रहेंगे तो ये घोड़े की तरह भागकर काम करते रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है और मैं समझता हूं कि इस तरह का काम आप जरूर करेंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कुछ हॉर्स पावर की मोटरें और लगा करके और 335 गांवों की जो योजना है उस योजना को आप पूरा कराएंगे। वेस्ट जर्मनी से आपका एक अनुबन्ध होने वाला था वो 353 गांवों में पानी देने के लिए एक योजना का प्रारूप आपके सामने पेश किया था और उनसे आपकी बातचीत चल रही है। मुझे पता नहीं कि वो बातचीत किस स्टेज पर है। लेकिन वो बात अगर जिस स्टेज पर है उसमें झुंझुनूं को पानी देने की बात थी। जब श्री शीशराम जी ओला इस विभाग के मंत्री थे तो शायद पेशर डालकर झुंझुनूं की स्कीम बनायी होगी। अगर बनवाई है तो अच्छी बात है मैं तो खुद चाहता हूं झुंझुनूं में पानी जाय। अगर वो योजना इस स्टेज पर है अगर आपके इण्टरवेन्सन से, आपके गुड विशेज और आपके सद्-प्रयत्नों मे वो योजना मंजूर हो जाती है तो उसको मंजूर कराना चाहिए।

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो सीकर से जीतकर गये हैं उनका भी यह मानस है कि यह पानी सीकर में आना चाहिए। तो उनकी यह इच्छा है तो उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहिए। सीकर में यह पानी इनको लेना चाहिए। सीकर में इस पानी को आप आएंगे तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की कांस्टीट्यू ऐसी रतनगढ़ भी बीच में आ लाएगा तो उनकी मन्शा भी पूरी हो जाएगी, उनको भी खुशी होगी कि यह पीने का पानी है, अच्छा पानी है, रतनगढ़ से होता हुआ सीकर जा रहा है। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं इस तरीके से यह जो योजनायें है और यह इलाका है इस इलाके में सरफेस का वाटर लाने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए और जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर का एक्स-प्लायटेशन है उसको बन्द करने के लिए कोई रेगुलेशन आपको करना चाहिए। तब हम लोगों को सबको मिल बैठकर, चाहे

(श्री चन्दनमल वैद)

कांग्रेस के हों, चाहे बी. जे. पी. के हो, चाहे जनता दल के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे इण्डिपेंडेण्ट लोग हों सब हम मिल करके एक ऐसा वातावरण बनाये कि हमको अण्डर ग्राउण्ड वाटर का एक्स-प्लाइटेशन सीमा तक करना चाहिए, सीमा से बाहर नहीं करना चाहिए, इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जलदाय विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की मैं उसके सम्बन्ध में चन्द बातें निवेदन करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, इस मांग कि जलदाय विभाग के बारे में और इसके साथ जो समस्याएं हमारे प्रान्त में सामने आ खड़ी हुई हैं उसकी गम्भीरता तो इसी से जानी जा सकती है कि नई-नई सरकार बनने के बाद एक से अधिक जनसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ खड़ा करके यह कहना पड़ा है कि मैं पानी कहां से लाऊं ? सभापति महोदय, इससे बड़ी मजबूरी कोई नहीं हो सकती कि राजस्थान के हर क्षेत्र की समस्याओं को जानने वाली शख्शियत और मुख्य मंत्री बनने के बाद एकदम

(3.50 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

से सक्षम हो आने के बाद भी एक निरीह नागरिकों के सामने यह कहना कि इन्द्र भगवान के यहां पानी नहीं है तो मैं अपने प्रान्त में पानी कहां से लाऊं। तो उपाध्यक्ष, "वाक्य किम् दरिद्रता"...

श्री उपाध्यक्ष : मरवा दोगे।

श्री सम्पतसिंह : मरवा न दो हमको पानी दिलवा दो। एण्ड यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। तो उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की इन पंक्तियों के पीछे गहन पीड़ा छुपी हुई है और पीड़ा कोई सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक नहीं है, वैज्ञानिक पीड़ा है। अभी माननीय वैदजी कह रहे थे कि हमने अपने अण्डर ग्राउण्ड वाटर का इतना दोहन कर लिया, निर्दयता से दोहन कर लिया कि आने वाले समय में हम पानी की समस्या से कैसे जूझ पाएंगे इस बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न-चिह्न लग जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके विभाग ने जबसे सार्वजनिक निर्माण विभाग से अलग हुआ है यह विभाग निश्चित रूप से बड़ी-बड़ी उपलब्धियां की हैं। स्वयं माननीय वैदजी 110 किलोमीटर दूर से अपने क्षेत्र में पानी ले गए हैं पीने के लिए। दूसरे जो माननीय मंत्रीगण हुए हैं जितना-जितना उनसे बना है और हमारे एक से एक बेहतरीन इन्जीनियरों की मदद से कर्मचारी, मजदूरों की मदद से चप्पे-चप्पे पर पानी पहुंचाने की बात की है लेकिन फिर भी

(श्री सम्पतसिंह)

समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है और इस बारे में चिन्ता दिन दुगुनी बढ़ रही है कि आगे पानी पीने की हमारी व्यवस्था क्या होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान के लिए भी माननीय वैदजी कह रहे थे कि जो क्षेत्र मालवा समझते थे जो वहां भी पानी की समस्या है और आपको याद होगा जब प्रोब्लम विलेजेज आपने साया किए थे, डिक्लेयर किए थे उसमें सबसे ज्यादा भरतपुर और अलवर के गांव थे ।

एक माननीय सदस्य : धौलपुर भी ।

श्री सम्पत सिंह : धौलपुर के भी गांव थे और आज 2-4-6 फीसदी गांवों को छोड़कर ज्यों की त्यों वो ही फेहरिस्त अटकी हुई है जो प्रोब्लम विलेजेज कहलाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि एक जिले को आप पूरी तरह से लाभान्वित कर देंगे और एक अगर एक भी जिला प्रान्त का समस्या ग्रस्त रह गया पीने के पानी के हिसाब से तो पड़ौस में कोई आदमी निर्मम स्वभाव का हो सकता है कि वो खुद पानी पीले और पड़ौस में बगैर पानी के रह जाए चाहे वो मवेशी हो चाहे इन्सान हो । आपको कोई न कोई निःसंदेह रूप से एक बड़ा प्रोजक्ट बनाकर, चाहे उसमें वेस्ट जर्मनी की सहायता लीजिए चाहे उसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता लीजिए चाहे नाबार्ड की सहायता लीजिए चाहे आप अपने रिसोर्सेज से करीए आपको निःसंदेह रूप से पूरे प्रान्त के हिसाब से, 27 जिलों के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, मास्टर प्लान बनाना चाहिए इसमें एक पल भी आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सन्दर्भ में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पानी जैसी चीज पर भी, जहां एक-एक बूंद पानी के लिये गरमी में खबरें सुनते हैं बाड़मेर में साहब एक कनस्तर, एक पीपा 5 रुपये में मिलता है और जयपुर में जूस का गिलास 3 रुपये का मिलता है । अब इस वर्गीकरण को कौन किस हद तक बर्दाश्त करेगा ? यह हमसे ज्यादा पीड़ा और परवाह आपको होनी चाहिये ।

आपको एक उदाहरण के सहारे से मैं अपनी बात विनंती करना चाहता हूँ, आपने अपनी एक नीति बनाई हुई है कि पश्चिमी राजस्थान में प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी के हिसाब से योजना बनाते हैं और पूर्वी राजस्थान में 40 लीटर के हिसाब से योजनाएँ बनाई जाती हैं । मेरी छोटी-सी समझ से बाहर है यह चीज उपाध्यक्ष महोदय, मवेशी वहां पर भी है, पहले उनके लिये पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मवेशी पश्चिमी राजस्थान में भी है । यह राजनीतिक समीकरण मानव मूल्यों में भी आड़े आ जाते हैं यह हमारी समझ से बाहर की बात है । उपाध्यक्ष महोदय, निःसंदेह रूप से हमारी सरकार से दृढ़ता से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि इन छोटी-छोटी चीजों पर...

श्री अमीन खां : वहां मवेशी एक-एक घर में 2-2 हजार हैं यहां किसी के नहीं होंगे ।

श्री सम्पत सिंह : मैं मानता हूं इस चीज को, प्रति मवेशी भी हो, प्रति व्यक्ति भी होनी चाहिये ।

मैंने शुरू में यह निवेदन किया कि कोई भी सोच हो, हमारा वैज्ञानिक सोच हो, यह नहीं होना चाहिये कि किसी क्षेत्र के नेता आकर आपसे योजना बनवा ले गये, किसी क्षेत्र के इन्जीनियर आकर योजना बनवा ले गए। आप पूरे प्रान्त का नक्शा बिछाइयेगा। आज हैदराबाद की इन्स्टट्यूशन यूं ही हमने पड़ी छोड़ रखी है। कितना रुपया देश का वहां पर लग रहा है। मैं विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करूंगा कि कितनी इन्फर्मेशन हमने वहां से गेदर की हैं अपने पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए। जो इन्स्टीट्यूशन विश्व में अपना नाम कमा चुकी है, कितना खर्चा देश का उस पर हो रहा है? हमारे व्यक्तिगत इन्जीनियर्स जा-जा कर वह पीड़ा बर्दाश्त करते हैं वहां से इन्फार्मेशन ले आये, अपना कोई प्लान बनवाया, कई जन-प्रतिनिधि भी इस बात में लगे हुये है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ यह आरोप लगाना चाहता हूँ हमारी मशीनरी पर, हमारी सरकार पर कि इतनी बड़ी संस्था से हम कोई सूचना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हमारी वैज्ञानिक सोच आगे बढ़े। हम बिलकुल प्रिमिटिव स्टेज के साथ लगे हुये है। यहां ट्यूब बैल करवा लिया, वहां ट्यूब बैल लगा दिया, वहां फैल हो गया तो वहा करवा लिया। ऐसे तो हम किसान पहले से ही करते चले आ रहे थे, 2-2 हजार वर्ष से करते चले आ रहे थे। इसमें तुर्रा लगा रहे हैं अपनी वैज्ञानिक सोच का और इन्फ्रास्ट्रक्चर का, उसका फायदा क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भरतपुर और पूर्वी राजस्थान में खास तौर से एक बड़ी बिडेम्बना है। एक रोज पहले भी मैंने निवेदन किया था कि हमारे यहां ना सिंचाई का, ना पेयजल का कोई प्रोजेक्ट के तरह से हमारी समस्या को नहीं लिया जा रहा है। आज भी एक सिस्टम डेमेज्ड है, भरतपुर में अव्वल तो दुर्भाग्य से वहां पर बरसात नहीं हुई, और यदि और जिलों के साथ-साथ बरसात होती तो एक बूंद पानी, मैं दावे के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर में नहीं रुकता। आप कोई तो योजना बनाइये। बाहर से पानी आ नहीं रहा है, तमाम अन्तर्राज्यीय हमारी समस्याएँ की त्यों खड़ी हुई हैं। अब ओखला में 3210 क्यूसेक्स पानी का फैसला हो गया, न हरियाणा से एक क्यूसेक पानी ले पाये ना उत्तर प्रदेश से एक क्यूसेक पानी ले पाये। भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर सवाई माधोपुर में आज पूरा अण्डर ग्राउण्ड वाटर सेलाइन हो चुका है, वहां पर कहां से पानी आये ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन कर सकता हूँ कि इस मायने में आपको जो भी उपाय करने हैं, एक क्षम बर्बाद किये किय आपको उपाय करने चाहिये। चाहे केन्द्रीय सरकार की मारफत करें चाहे उच्चतम न्यायालय की मारफत

(श्री सम्पतसिंह)

करें लेकिन पानी के बारे में जैसा माननीय श्री बंदजी कह रहे थे. कोई 24 घण्टे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री चन्दनमल बैद : अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दीजिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इशारा ही कर रहा हूं अभी।

श्री सम्पतसिंह : आपकी वैसे भी इशारा करने की उम्र भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, आपकी है। आप मेरे से 8 साल बड़े हैं।

श्री सम्पत सिंह : मेरी तो बात दूसरी है।

श्री केदारनाथ शर्मा : He is still wrong.

श्री सम्पत सिंह : King can never do wrong.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनती कर रहा था कि बरसात के पानी को हमें जगह-जगह स्टोर करना चाहिये। इसके दो फायदे होते हैं—एक तो जहां पानी इकट्ठा रहेगा री-चार्ज सिस्टम बढ़ेगा, सरफेश वॉटर की हमारी योजनाएँ चालू हो जायेंगी और किनारे-किनारे उस पानी से पेड़-पौधे फलेंगे-फूलेंगे, आपका पर्यावरण भी सुधरेगा, आपकी पानी की समस्या भी सुधरेगी और जगह-जगह री-चार्ज सिस्टम से सिंचाई की भी समस्या थोड़ी-बहुत हल हो ही सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां द्रुतगति से पानी खारा होता जा रहा है। पूर्व सरकारें ने भी एक योजना चलाई थी, कितने ही जिप्सम डालें, कितने और उपक्रम किये लेकिन वहां अभी क्षारीय जमीन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। नतीजा यह है कि सरफेश वाटर है वह तो सेलाइन हो गया। आपकी निःसंदेह एक तो दूसरी योजनाओं में द्रुतगति से अपनी सरकार को राजस्थान प्रान्त का हिस्सा तय कराना पड़ेगा और जो अपना हिस्सा है पूर्वी राजस्थान के लिये रामबाण है चम्बल की योजना। सिंचाई के लिये अभी तक कोई अनुबन्ध नहीं हो पाया और ना मध्य-प्रदेश ने, मध्य-प्रदेश ने अनगिनत एनिकट्स, डैम बना लिये हैं और हम अभी सन्न-मौन बैठे हुये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या के हल के लिये 300 करोड़ रुपये के लगभग की आपने योजना अनुमानित की है जो सी. डब्ल्यू. सी. में विचाराधीन है। उस पर ना तो हमारे प्रान्त की सरकार ना हमारे प्रान्त के दूसरे जन-प्रतिनिधि और ना हमारे बड़े-बड़े अधिकारी, जिन्हें दिल्ली में लोबिंग करनी चाहिए और जैसे गुजरात के मुख्य मंत्री आनन-फानन में नर्बदा प्रोजेक्ट के लिये 13 हजार करोड़ रुपये ले गए और उन शख्सियत का भी मुंह बन्द कर दिया जो पर्यावरण विशेषज्ञ

(श्री सम्पतसिंह)

हो सकते हैं तो एक-एक चीज बड़े प्लानिंग तरीके से आपको दिल्ली में प्रेशर डवलप करना चाहिये था और अपनी लोबिंग करनी चाहिये और कम से कम 300 करोड रुपये कोई ज्यादा नहीं होते है जब तक आपके उस पानी की व्यवस्था नहीं होगी पूर्वी राजस्थान में तो पश्चिमी राजस्थान से भी पहले त्राहि-त्राहि होने की समस्या आ खड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बानगी के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि बेतरतीब योजनायें, मेरे नगर कस्बे में कुल 14 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं पानी के, उसकी बगल में सीकरी में 40 लगे हुए हैं, उसकी बगल में कठूमर में 40 लगे हुए हैं। नगर से बहुत बड़ी स्कीम शुरू हुई तसई से, वहां तमाम बैठकों में, जिला स्तर की बैठकों में, एडिशनल चीफ इन्जीनियर की मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में, दूसरे नेतागण की मौजूदगी में यह तय हुआ कि बिजली की समस्या अब अलवर से नहीं होकर नगर से ही कन्ट्रोल होगी। आज दिन तक वह चीज पूरी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि पानी जैसी महती समस्या को हम महज बहस मुबाहिसा से तय कर लेंगे। इसके पीछे निःसंदेह रूप से हमको दृढ़ता से यह कदम उठाना चाहिये, कोई कानूनी आड़, यदि उसमें बड़े से बड़े अधिकारी इसको लग्जरी की तरह से कर रहे हैं। आज उन एस. ई. की क्या हैसियत है जो यह कह गये कि मैं 3 दिन के अन्दर-अन्दर वह कनेक्शन दे देंगे, बिजली के थे वह और कनेक्शन 3 महीने में भी नहीं हुआ। और फिर हम यहां बहस करते हैं 3 अरब रुपये की मांग पास करेंगे और क्या छीजत को रोक पायेंगे ऐसे-जैसे चरित्र के चलते-चलते ?

उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के समुद्र में कुछ आईस वर्ग है कुछ भ्रष्टाचारी भी हैं। यह नहीं कहता हूं कि सब लोग भ्रष्ट हैं लेकिन कुछ आईस वर्ग हैं, उनको आपको कन्ट्रोल करना पड़ेगा। आपने रिग्स मशीन मंगाई 12-14 सब की सब बेकार पड़ी हैं। मेसे पास एक एक्स. ई. एन. की रिपोर्ट है दस्तखतशुदा, उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें उसने कहा है कि रिग्स की कई एसेसरीज और मैन मशीनें काम नहीं कर रही हैं। इतना बड़ा खर्चा आपने कर दिया, एक मशीन आज कार्यरत नहीं है। क्या मायने हुआ हमारा यहां बहस करने का, क्या मायने हुये सरकार के उस पर ध्यान देने के, आपको अपने विशेषज्ञों पर विश्वास करके चलना पड़ेगा और वह अपनी राय भी देंगे दस्तखत शुदा एक्स. ई. एन. यह हिम्मत करता है कि रिग्स बेकार खरीदी गई हैं और बेकार हैं। इस बारे में भी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तिम बात निवेदन करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अलवर, भरतपुर में ट्यूब वैल्स लगे हैं। चालीस-चालीस के. जी. का आपने स्टैण्डर्ड तय किया हुआ है। आपने मौके पर पकडे वहां पर बीस-बीस के. जी. स्टैण्डर्ड के पाइप निकले। + + + और पढ़ा लिखा

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सम्पत सिंह)

सुसज्जित, बेरोजगार इन्जीनियर, नेता, एम. एल. ए., एम. पी. और मिनिस्टर करेगा तो फिर आम आदमी की क्या बिसात है कि वह पानी पी ले और वह भी राजस्थान में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को गम्भीरतम पीड़ा से निवेदन कर रहा हूँ। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो। एक-एक छोर को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। और इस पर आप मुस्तैदी से जल्दी से जल्दी अपनी योजनाओं को पूरा करिए। तब तो पानी की समस्या पर यहां बहस करने के कोई माने हैं। वरना चालीस-बयालीस साल से जैसे और समस्याओं पर यहां बहस होती चली आ रही थी उसी तरह से इस पर भी बहस हो जाएगी और एक न एक दिन ना तो यह जलदाय विभाग रहेगा और यह संसदीय सिस्टम खुद अपने आप में इर्रिलेवेंट हो जाएगा। दुनिया हमारी बहसों पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए इस बात को आप जल्दी से जल्दी तय करिए और अपनी योजनाओं को पूरा करिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो मांगों पर यहां विचार विमर्श हो रहा है। मैं पहले मांग संख्या 29 नगरीय विकास और प्रादेशिक योजना है इस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जब राजस्थान प्रदेश के मुख्य मन्त्री पद की शपथ ली उस समय बड़े जोर-शोर के साथ यह घोषणा की थी कि यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद छेड़ेगी। चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसके खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करने से नहीं हिचकिचाएगी। और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही भी की। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार एक आई. ए. एस. आफीसर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। जयपुर शहर गृह निर्माण सोसायटीज की अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने शिविर भी लगाये। उनके खिलाफ कार्यवाही भी की। परन्तु राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां 1982 में जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना इस आशा और विश्वास के साथ की गई थी कि इसकी स्थापना के बाद जयपुर शहर का समुचित रूप से विकास किया जाएगा। परन्तु आज 8 साल जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद यदि उसके कार्यों का हम विश्लेषण करें तो यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जयपुर विकास प्राधिकरण का नाम जयपुर विनाश प्राधिकरण होता तो ज्यादा उचित होता। आज जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी नक्शे पास करने के नाम पर, अनाधिकृत निर्माण तोड़े जाने के नाम पर, नियमित रूप से बसाने के नाम पर जयपुर की जनता से कम से कम एक लाख रुपया प्रतिदिन रिश्वत के रूप में वसूल करते हैं (व्यवधान) उसमें जो विजिलेन्स का महकमा है उसकी तो बात ही निराली है। वहां एक इन्स्पेक्टर लगता है उस समय भूखा होता है और एक साल के बाद उसका घर का मकान,

(श्री कालीचरण सराफ)

घर की कार, फ्रिज, कलर टी. वी, कूलर सभी प्रकार की व्यवस्था हो जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जे. डी. ए. जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, इस बारे में यह बात भी सही है कि नई सरकार बनने के बाद कुछ सुधार इसमें हुआ है परन्तु अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। उपाध्यक्ष महोदय, 1981 में कांग्रेस की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 20 अगस्त, 1981 तक गृह निर्माण सोसायटीज के जिन लोगों ने भूखण्ड प्राप्त किए हैं, खरीदे हैं उनको रूपान्तरण शुल्क जमा कराकर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। उनके नक्शे पास कर दिए जाएंगे और इस निर्णय की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को दी गई। जयपुर शहर के लोगों ने इस आशा और विश्वास के साथ कि रूपान्तरण शुल्क हम जमा करवा देंगे तो हमारे मकान रेगुलराइज हो जायेंगे, भूखण्ड रेगुलराइज हो जायेंगे, 28 करोड़ रुपया राज्य सरकार के कोष में जमा करवाया और 25 लाख रुपया नक्शे पास करवाने के लिए जे. डी. ए. में जमा करवाया। परन्तु आज क्या स्थिति है कि 1981 में 28 करोड़ जमा आज राज्य सरकार के पास पड़ा है, परन्तु आज कुल एक हजार 91 योजनाओं में 84 हजार, 143 भूखण्ड, जिनके लिए रूपान्तरण शुल्क जमा करवाया गया उनमें से दस वर्षों में केवल 439 योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति दी गई है। पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं दी गई और 52,700 भूखण्ड स्वीकृत किए गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 636 योजनाएं जिनमें 31 हजार, 443 भूखण्ड हैं उनको अस्वीकृत कर दिया गया है। बाकी के बारे में अभी विचार चल रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा आज चाहे कोई भी सरकार हो। चाहे बी. जे. पी. की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, प्रजातन्त्र में इतने अधिक मकान जो बन गए हैं उनको तोड़ा जाना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं यह मांग करना चाहूँगा कि राज्य सरकार इस बारे में गम्भीरता से सोचे और इनको रेगुलराइज करने के लिए कोई भी निर्णय ले। आज जे. डी. ए. के पास जाते हैं यह भूमि अवाप्ति में है, यह सीलिंग में है, यह अल्सर भूमि है। मास्टर प्लान में इसका लैण्ड यूज दूसरा है। कई कारण इस प्रकार से बता दिए जाते हैं। पैसे ऐंठने के अलावा कोई काम नहीं है जे. डी. ए. का। इनको रेगुलराइज नहीं किया किया जाता है। इतना ही नहीं जे. डी. ए. में भूमि अवाप्ति के भी कोई निश्चित नियम नहीं हैं, कोई प्रक्रिया नहीं है। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति चला जाए तो उसकी यदि भूमि अवाप्ति में भी जमीन है तो वह डी-एक्वायर कर ली जाएगी। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, या साधारण व्यक्ति है तो उसकी भूमि को अवाप्त कर लिया जाएगा।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जे. डी. ए. मे टोंक रोड़ जवाहर लाल नेहरू रोड, मालवीया नगर एरिया की जमीन 1969 एवं 1973 में अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की थी। परन्तु उसी एरिया में जय जवान गृह निर्माण सोसायटी, क्योंकि

(श्री कालीचरण सराफ)

इन्कम टैक्स के आफीसर्स की यह सोसायटी थी उसकी भूमि अवाप्ति से मुक्त कर दी गई । चौथी जग जीवन गृह निर्माण सोसायटी, इसकी जमीन भी भूमि अवाप्ति से मुक्त कर दी गई । मोदी हाउसिंग सोसायटी, एक्स जे. डी. ए. के कमिश्नर सतीश कुमार की पत्नी झुमकी देवी इसकी आफिस बेयरर है इसलिए इसकी जमीन को भी भूमि अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया । यह सब कांग्रेस सरकार के कारनामे बता रहा हूं मैं आपको । जनता सरकार के नहीं हैं । विद्युत अभियन्ता गृह निर्माण सोसायटी यह आर. एस. ई. बी. के इन्जीनियर्स की सोसायटी थी इसलिए इसको भी मुक्त कर दिया गया । किसान गृह निर्माण सोसायटी जयपुरिया जी की भूमि, हाई कोर्ट में हार गए जयपुरिया जी परन्तु फिर भी उनकी भूमि को डी-एक्वायर कर दिया गया । एन. के. पटेल, एम. एल. शर्मा यानि कई इस प्रकार के लोग है जिनकी, बाकी सब भूमि तो एक्वायर कर ली गई परन्तु इनकी छोड़ दी गई ।

इस प्रकार सोडाला, सुशीलपुरा, हीरापुरा, गोपालपुरा, रामपुरा रूपा, करतारपुरा, दुर्गापुरा आदि की जमीन 10 अक्टूबर 1979 को नोटिफिकेशन के जरिए यू. आई. टी. एक्ट 1959 की धारा 52 (2) के तहत अवाप्ति के आदेश निकाले गए । परन्तु इसमें भी क्योंकि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी हीरापुरा के आस पास ही रहते हैं उनकी जमीन को भी अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया । श्यामनगर में हमारे शिवचरण जी माथुर रहते हैं इसलिए पूरे श्यामनगर की भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया । बाकी जितनी भी जो भूमि थी (व्यवधान) वह तो सरकार बताएगी । मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ (व्यवधान) यह टाइम मेरा खराब कर रहे हैं फिर जल्दी कहेंगे । इसी प्रकार दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन के पश्चिम में लगभग दो सौ बीघा जमीन, जिसकी कीमत चालीस करोड़ रुपया है, जो कांग्रेस की सरकार थी जो जे. डी. ए. ने अवाप्त कर ली थी, उसको भी डी-एक्वायर कर दिया । इसी प्रकार...

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उन्हें तो कहते हैं कि आप खेती कर लेना ।

श्री कालीचरण सराफ : इसी प्रकार जे. डी. ए. ने...

श्री डूंगरराम पंवार : आपकी सरकार तो टाटा बिड़ला की पूजा करती....

श्री कालीचरण सराफ : इसी प्रकार कांग्रेस की सरकार ने बिड़ला प्लेनिटोरियम जो स्टेच्यू सर्किल के कोने पर है, मास्टर प्लान में इसको अर्द्ध शासकीय भवन के लिये निर्धारित किया गया है । परन्तु चूंकि बिड़ला जी थे, + + + इसलिए क्या किया कि उस जमीन को एक रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज जिन सोसायटीज की यह बात कर रहे हैं डी-एक्वायर

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करने की उसमें तो मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार उन शिकायतियों ने चूंकि उन लोगों को जमीनें बेच दी थी। इसमे बहुत वर्ग को नुकसान होने वाला था...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें जब कह देना।

श्री कालीचरण सराफ : यह निर्णय आपके टाइम में हुआ है प्रद्युम्न सिंह जी। आपने किया है! हां इसलिए तो कह रहा हूँ आपके आका थे बिड़ला जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां जो कुछ किया वह सही किया। मुझे कोई डर नहीं लगता।

श्री डूंगरराम पंवार : आपने तो बड़े-बड़े + + + किये थे।

श्री कालीचरण सराफ : हमारे भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री रामनिवास जी मिर्धा उनके सुपुत्र ने बलदेव प्लाजा बनाया। सारी फाइलों को गायब करके, कागजों को रफा-दफा करके उसको भी रेगुलाइज कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है।

श्री कालीचरण सराफ : सरकार आपकी थी नियमों में परिवर्तन आपने किया। इतना ही नहीं एक अरब रुपये की 24 हजार मीटर जमीन स्टेशन रोड पर अटल वन के नाम से जानी जाती है, कामर्शियल काम्पलेक्टस बनाने के लिए दे दिया गया जे. के. अटल को।

श्री प्रद्युम्न सिंह : साहब वह होटल काम्पलेक्स के लिए दी गयी है। यहां आप फैक्ट्स को ट्विस्ट करके क्यों कह रहे हैं जनाब। I have done it.

श्री उपाध्यक्ष : You have done so many things, फैक्ट्स को आप ठीक कर सकते हैं। आपको अवसर मिलेगा।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए चिन्तित हुये कि यह जे. के. अटल कौन है इनको पता ही नहीं है? पता है परन्तु यह बताना नहीं चाहते। यह राजीव गांधी के रिश्तेदार हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के मामा हैं और कहिए। आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री डूंगरराम पंवार : + + +

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहलवाना चाहता था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं गिनाऊं कि आपने कितने किये...

श्री कालीचरण सराफ : हम कतई नहीं करते। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : यह गरीबों के मसले इतने दिन कहां गये?

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने मंत्रिमण्डल की मोहर लगा-लगा कर किये । 77 से 80 के बीच में आपमें हिम्मत नहीं थी । केबिनेट की मोहर लगवा-लगवा कर किया फर्क इतना है कि हमने इनडिविज्युअल किया ।

श्री कालीचरण सराफ : आप में हिम्मत थी इसलिए एक अरब रुपये की जमीन कोड़ियों के मोल + + + आपने दे दी । और कार्मशियल काम्पलेक्स में उसको कनवर्ट कर दिया । + + + आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बाहर कर दीजिए यह अपने आप अपना दोष निकाल लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जब बोलें जब कह देना । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नियमों में नोटिस देना चाहिए । हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तो आसन से व्यवस्था होती है कि आप नोटिस दीजिए बिना नोटिस के आप नाम नहीं ले सकते हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप मुद्दे की बात पर आइये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री डूंगरराम पंवार : हरि ओम शान्ति शान्ति ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल मैंने बी. जे. पी. के बीकानेर जिले के अध्यक्ष और महासचिव पर आरोप लगाया था. आपने एक्सपंज कर दिया और यह कभी किसी पर कभी किसी पर इनको एक्सपंज कराये आप । आपने इसी आसन से निर्णय दिया था । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चार्ज नहीं लगाया है ।

श्री डूंगरराम पंवार : आप तो दिल थाम के बैठ जाइये । मचलो मत बार-बार ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें ।

श्री डूंगरराम पंवार : इनके सबके कलेजों में ठेस क्यों लग रही है ।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : ...उपाध्यक्ष महोदय, वह भी हाउस में मौजूद थे उनको रिजेक्ट कर दिया । चार्ज थोड़े ही लगाया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तेजना न फैलायें । (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के एक मेम्बर का समय श्री कालीचरण जी को और दिया जाये ।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के अनुसार अपलोपित किया गया ।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभावशाली लोग चाहे वह कोई भी हों उनकी भूमि अगर अवाप्ति में आई तो उसको मुक्त कर दिया, सीलिंग में आई तो उसको मुक्त कर दिया, मास्टर प्लान में लैण्ड यूज दूसरा था तो उसको बदल दिया। परन्तु जो गरीब लोग हैं, एक लाख मकान आज कृषि भूमि पर बने हुये हैं उनके 28 करोड़ रुपये सरकारी कोष में 1981 से जमा हैं आज नौ साल के बाद भी उनकी भूमि का रूपान्तरण नहीं हो रहा। उनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है। जब जे. डी. ए. का इन्स्पेक्टर चाहता है, उसके पास पैसे खतम हो जाते हैं वह पहुंच जाता है कि मिस्टर यह मकान आपने गलत बना रखा है लाओ दो हजार रुपये। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो गल्तियां की परन्तु नई सरकार इस बारे में गम्भीरता से सोचे और कृषि भूमि पर जो मकान बने हुये हैं उनको नियमित करने के बारे में कार्यवाही जल्दी से जल्दी करे।

दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डवलपमेंट चार्जेज की बात मैं कहना चाहूँगा। पिछली सरकार ने 25 रुपये डवलपमेंट चार्जेज था उसको 70 रुपया कर दिया। विरोध हुआ उसके बाद उसको 60 रुपया कर दिया फिर विरोध हुआ चुनाव का समय था 45 रुपये कर दिया। हमारे जो आज मंत्री है भंवरलाल जी शर्मा उन्होंने उस समय जनता से अपील की थी कि नई सरकार आने का इन्तजार कीजिए विकास शुल्क जमा मत करवाईये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो विकास शुल्क 25 रुपये कर दिया जायेगा। आज मैं यह याद दिलाना चाहता हूं।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : यह गलत कह रहे हैं इन्होंने यह कही थी मीटिंग के अन्दर की हम माफ कर देंगे। आप जो इस समय सदन में + + + उस समय मीटिंग में भी + + + कि विकास शुल्क माफ कर देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलें जब बोल देना। ब्रीफ कर दिया इसको। + + +

श्री कालीचरण सराफ : मेरे कहने का मतलब यह था कि माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी... + + +

श्री कालीचरण सराफ : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो विकास शुल्क के बारे में नई सरकार क्या सोचती है इसके बारे निश्चित रूप से घोषणा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मोटे अनुमार जयपुर शहर में चार लाख लोग कच्ची बस्ती में निवास करते हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 48 हजार 606 परिवार जिनका 1971 और 81 में सर्वे हो चुका है इन कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। इनमें से जे. डी. ए. में 142 कच्ची बस्तियां और 42816 सर्वेधारी परिवार रहते हैं और बाकी नगरपरिषद

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कालीचरण सराफ)

में रहते हैं। परन्तु पिछली कांग्रेस की सरकार के कारनामें, 1971 और 1981 में जिनका सर्वे हुआ, उनको भी आज तक भूखण्ड आवंटित नहीं किये गये। 1971 में सर्वे हुआ आज 1990 हो गया बीस साल से कच्ची बस्तियों में रहने वाले नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज न उनके यहां पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न नालियों की सुविधा है, न सड़क की सुविधा है... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि नई सरकार गरीबों की हमदर्द सरकार है इसलिए निश्चित रूप से कच्ची बस्तियों में जो 1971 और 1981 के सर्वेधारी हैं उनको बसाने के बारे में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करे। 9065 परिवार इस प्रकार के हैं जिनका सर्वे तो हो गया परन्तु उनके दावे अस्वीकृत कर दिये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सर्वे की चैकिंग होने के लिए कोई पार्टी जाती है और उस समय यदि कोई परिवार का मुखिया नौकरी के लिए अपने दफ्तर में चला जाता है या गांव चला जाता है, वह मौके पर मिलता नहीं है और दावा अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार के 9065 परिवार जयपुर शहर में हैं। मैं यह भी मांग करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि 1971 और 1981 के जो सर्वेधारी हैं उनमें जिनके दावे अस्वीकृत हो गये जिनकी संख्या 9065 है उनके दावों की सुनवाई पुनः की जाय और जांच के आधार पर जो वास्तविक रूप से कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं उनके बारे में विकास की कार्यवाही करे।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो बोलना चालू हुआ है। यह कितना डिस्टर्बेन्स कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 51 मेम्बर हैं।

श्री उपाध्यक्ष । वह काट लिया समय डिस्टर्बेन्स का।

श्री कालीचरण सराफ : तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेव जी जोशी ने जो घोषणा की थी कि 1985 की वोटर लिस्ट के आधार पर सर्वे करवाया जायगा। 1985 में घोषणा हो गई परन्तु आज तक वह सर्वे पार्टी कहां है सर्वे कहां हो रहा है, पता नहीं। अब मैं नई सरकार से कहना चाहूंगा कि अभी चुनाव के समय 1990 की वोटर लिस्ट तैयार हो गई और डाक्यूमेण्ट्री प्रूफ हमारे पास हैं इसलिए 1985 की वोटर लिस्ट के आधार पर नहीं, 1989-90 की जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट है उसके आधार पर यदि सर्वे की घोषणा सरकार करे तो निश्चित रूप से यह गरीबों के हित में होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी के अन्त तक जयपुर शहर की जनसंख्या चालीस लाख हो जायगी। यदि इसी प्रकार से जनसंख्या का दबाव जयपुर शहर पर रहा तो चाहे हम कोई भी विकास की योजनायें बनायें वह धरी की धरी रह जायगी और इम्प्लीमेन्ट नहीं हो पायेगी। जनसंख्या का दबाव शहर पर कम करने के लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा, आपके

(श्री कालीचरण सराफ)

माध्यम से सरकार को, कि जिस प्रकार बम्बई शहर के आसपास जितने भी कस्बे थे उनको उपनगरों में विकसित किया गया। उसी प्रकार यदि जयपुर के आसपास जो कस्बे हैं, जमवारामगढ़, बस्सी, सांगानेर, शिवदासपुरा, कानोता।

श्री चन्दनमल बैद : चौमूं।

श्री कालीचरण सराफ : चौमूं, बगरू। इनको यदि सैटेलाइट टाउन्स में विकसित किया जाय, जहां हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल हों, कॉलेज की जगह कॉलेज हों, शॉपिंग सेन्टर हों, पार्क हों और जयपुर शहर से वह बस सूबा से जुड़े तो जनसंख्या का दबाव निश्चित रूप से जयपुर में कम किया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जयपुर शहर की सीवर लाइन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज आधा जयपुर शहर इस प्रकार का है, काफी कॉलोनीज ऐसी हैं जहां कि सीवरेज लाइन नहीं है। वहां सोकपिट बने हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सोकपिट के कारण क्योंकि सारा मल-मूत्र जमीन के अन्दर जाता है और वहीं पर हमारा अण्डरग्राउण्ड वाटर है, सारा जल प्रदूषित हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा, 1977 में विश्व बैंक से इस प्रकार का एग्रीमेन्ट भी हुआ था, बीच में फिर यह दूसरी सरकार आ गई। कम से कम इस बात की प्राथमिकता के आधार पर सरकार सोचे और सीवरेज लाइन की व्यवस्था पूरे शहर में हो, इस बारे में मुकम्मिल व्यवस्था करे।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे. डी. ए. कई नई कॉलोनियों का निर्माण कर रही है। वैशाली नगर, त्रिवेणी, विद्याधर नगर, पंचवटी आदि-आदि। नई कोलीनियां बनायें इसमें मेरा विरोध नहीं है, बननी भी चाहिए। परन्तु जे. डी. ए. ने कभी जो पुरानी कॉलोनीज बनी हुई हैं उसके बारे में भी विश्लेषण किया। जनता कालोनी बने 23 साल हो गये, जब जनता कालोनी बनी उस समय जो सड़क थी वही सड़क आज है। उसकी कभी रिपेयर भी नहीं हुई। जगह-जगह कालोनी में खड्डे बने हुए हैं, सेठी कालोनी, की स्थिति देख लो राजापार्क देख लो सिंधी कालोनी हर जगह यही स्थिति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अपेक्षा करूंगा कि अपने जवाब के समय वह सड़कों के बारे में क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में निश्चित रूप से बतायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : बस, समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनट और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर परिषद में कई गांव भी आते हैं। गैटोर, डांगोली आदि कई ऐसे गांव हैं। गैटोर दो किलोमीटर होते हुए भी आज सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ललितजी ने कल यहां

(श्री कालीचरण सराफ)

घोषणा की थी कि 1500 की आबादी वाला गांव सड़क से जोड़ा जायगा। गैटोर की पापुलेशन मेरे ख्याल से ढाई-तीन हजार है परन्तु क्यों वह नगर परिषद क्षेत्र में है इसलिए अभी तक वह सड़क से नहीं जुड़ा, इस ओर भी सरकार निश्चित रूप से ध्यान देगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनके दो हो गये। इन्होंने दो का टाइम ले लिया। अब हमारा नम्बर आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपका ही आ रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप यह न करें। आसन से हमें यह अपेक्षा है कि आसन पर बैठने के बाद आपका भाव और आपका व्यवहार दोनों निष्पक्ष रहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : धीरे-धीरे होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम यह मानकर चलें कि अभी आप नहीं सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप निश्चित रहें खूब बोलेंगे।

श्री जीतमल जैन : आज के इस युग में बढ़ती हुई आबादी के साथ नगरों के विकास के साथ यह बात आवश्यक है कि शहरों का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो और वहां के रहने वाले नागरिकों को जो आवश्यक सुविधायें हैं वह उनके माध्यम से मिल सकें। इसीलिए राजस्थान के अन्दर नगर सुधार न्यासों की स्थापना हुई। जयपुर के अन्दर जे. डी. ए. की स्थापना और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की स्थापना इसलिए की गई थी कि शहरों का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो सके। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह दोनों विभाग अपना कर्तव्य पालन करने में पीछे रहे हैं। आज सारे राजस्थान की चर्चा करना न मेरे लिए उपयुक्त होगा, हम समाचारपत्रों में जोधपुर में जे. डी. ए. की अनियमितताओं के बारे में माननीय कालीचरणजी कर रहे थे, शायद माननीया उजला अरोड़ा भी करेंगी। मैं अपनी बात अलवर तक ही सीमित रखना चाहूंगा। नगर नियोजन विभाग की ओर से अलवर का मास्टर प्लान बनने हेतु 9-3-73 को और राजस्थान के सी. टी. पी. को यह काम सौंपा गया कि अलवर का मास्टर प्लान बनाया जाय। इसके बाद सलाहकार के लिए, हमारे न्यास में एक्ट की धारा 3(2) के अन्तर्गत एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया जिसको इस बात का अधिकार दिया गया मास्टर प्लान टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट तैयार करे जिस पर अपने विचार और सुझाव रख सके। इस हेतु इस सलाहकार समिति के अन्दर कई नाम हैं अगर आप चाहें तो मैं उनकी चर्चा कर सकता हूं। इसके अन्दर उस सलाहकार समिति ने, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की ओर से मास्टर प्लान बना। उसको

(श्री जीतमल जैन)

स्वीकार करते समय उन्होंने दो प्रस्ताव अपनी ओर से रखें। एक प्रस्ताव यह रखा कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र से लेकर जो अलवर का पुराना शहर है उसके बीच का जो इलाका है जो ग्रीन बैल्ट है उसको आवासीय उपयोग के लिये रखा जाये। उसका शहरीकरण किया जाये, दूसरा तिजारा रोड के ऊपर उत्तर के ओर जेल का तिराहा है उसके आगे उस स्थान को रोका जाये उसके आगे शहरीकरण नहीं किया जाय। इन दोनों बातों को सी. टी. पी. ने स्वीकार किया और उसके अनुसार 1983 में अपना मास्टर प्लान का प्रारूप तय किया। जब यह प्रारूप तैयार हो गया, आपत्तियां मांगी गई, जनता से सुझाव मांगे गये। जो कुछ सुझाव और आपत्तियां आई उनके ऊपर इस एडवाईजरी कमेटी से कभी खुले रूप में विचार-विमर्श नहीं किया गया वहां के टाऊन प्लानिंग के डी. पी. के. सी. मित्रा ने अपने तरीके से 1983 से लेकर 1990 तक, जिनको उन्हें अधिकार नहीं था, मास्टर प्लान में फेर बदल करके सारे अलवर के नक्शे को बिगाड़ने का काम किया है। जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र से लेकर और पुराने शहर के बीच की जगह जो आवासीय शहरीकरण के लिये रखी गई थी उस जमीन के अन्दर उन्होंने आवासीय के स्थान पर नर्सरी, डेयरी आदि के लिये अपने ही स्तर के ऊपर उसको परिवर्तित कर दिया। तिजारा रोड के ऊपर जहां ग्रीन बैल्ट के ऊपर हम चाहते थे कि शहर का विकास नहीं हो, उन्होंने अपने ही स्तर पर ग्रीन बैल्ट को आवासीय, औद्योगिक, शैक्षणिक कामों के लिये पट्टे जारी कर दिये और अनुज्ञापत्र जारी कर दिये। उन्होंने इतना ही नहीं किया, सहकारी समितियों को बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के, उन्होंने जो नक्शे आदि पेश किये उनके आधार पर जो जमीनें दूसरे कामों के लिये आरक्षित थीं, व्यवसायिक केन्द्र, सरकारी कार्यालयों का प्रस्तावित भू-भाग था, उनको आवासीय योजना में परिवर्तित कर दिया। ऐसा करने का उनको अधिकार नहीं था। 1-10-88 का राज्य सरकार का एक पत्र है जिसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्यसेवा, नियमावली के नियम 21 व 22 के अनुसार इस विषय पर प्रसारित समस्त आदेशों का उल्लघंन करते हुए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि नगरीय विकास एवं आवासन के कार्य संचालन के मामले में अधिकारियों के द्वारा आदेश के दिनों में दिखाये गये निम्न निर्णय के अनुसार विभाग निपटाये जायेंगे। इस मास्टर प्लान में जो कुछ भी परिवर्तन करने हैं वह अन्तिम बात सरकार के स्तर पर तय होनी चाहिये लेकिन के. सी. मित्रा अपने स्तर पर परिवर्तन करते रहे। इसी प्रकार से भू-राजस्व नियम 1956 के अन्तर्गत किसी भी शहर में एक जगह औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है तो दूसरा औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये राज्य सरकार से मन्जूरी लेनी पड़ती है, भूमि रूपान्तरण के लिये आवश्यक है। लेकिन उन्होंने इस बात की भी चिन्ता न करके इसका भी उलंघन किया उनका न जाने किस प्रकार से गृह निर्माण सहकारी समितियों से गठ-बन्धन था, या उनके हित थे उन्होंने फ्रन्ड्स हाउसिंग सोसायटी का ले आउट प्लान स्वीकृत किया। न्यास के नियमों के अनुसार 60 प्रतिशत जमीन पर

(श्री जीतमल जैन)

मकान बनने चाहिये, 40 प्रतिशत जमीन सुविधाओं के लिये छोड़ी जानी चाहिये। लेकिन उन्होंने वह ले आउट प्लान मन्जूर करते समय 70 प्रतिशत जमीन आवसीय स्थान के लिये और 30 प्रतिशत जमीन सुविधा हेतु रख दी यानि दस-दस प्रतिशत दोनों में कम करके नियमों का उल्लंघन किया। इसी प्रकार से किसान गृह निर्माण समिति को स्वीकृति देकर, दयानन्द नगर की योजना का हिस्सा है उसमें पब्लिक वेलफेयर के लिये जो सुविधायें रखी गई थीं, उसमें 85 दुकानों की स्वीकृति उन्होंने दी और 15 भूखण्ड उस कालोनी में आज भी ऐसे हैं जिनमें जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति उन्होंने पैदा की है। जवाहर नगर गृह निर्माण सहकारी समितियों का एक स्कैण्डल है 16 एकड़ भूमि के अन्दर ले आउट प्लान उन्होंने एप्रूव किया और उसमें डिस्ट्रिक्ट सेन्टर का लोभ कर दिया और वह आवासीय कालोनी के अन्दर बदल दिया। इस प्रकार जो भी मास्टर प्लान बना था उसमें राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना अपने ही स्तर पर यह फेर-बदल करके नियमों का उलंघन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे सरकार से कहना है कि इस सारे मामले की जांच करवाई जाये और के. सी. मित्रा ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है अगर यह दोषी है तो उनको दण्ड दिलवाये जाने की व्यवस्था की जाये। उन्होंने सारा जिस प्रकार से अलवर का मास्टर प्लान बिगाड़ा है वह वास्तव में सारी दुखद स्थिति है।

जिस प्रकार माननीय कालीचरण जी ने जे. डी. ए. के बारे में कह रहे थे मैं नगर विकास न्यास के बारे में कहना चाहूँगा कि वह नगर सुधार न्यास न होकर नगर विनाश न्यास है। योजनाबद्ध तरीके से आज जिस प्रकार से हमारे शहरों का नियोजन होना चाहिये, शहरों का विकास होना चाहिये, वहां पर हमारा नगर विकास न्यास बीसवीं सदी में नये स्लम बनाने की प्रक्रिया के अन्दर जा रहा है। इस दृष्टि से मेरे विधान सभा प्रश्न के उत्तर में जो सूचना मिली दयानगर, ईस्ट वेस्ट ब्लाक के आऊट प्लान तैयार ही नहीं करवाये गये। योजनायें बन गई लेकिन उनके ले आऊट प्लान तैयार नहीं करवाये गये। कहां सड़क बनेगी, कहां भूखण्ड बनेंगे, इतना ही नहीं इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत वहां पर अनापत्ति एन ओ. सी. जारी करके योजनाओं को बिल्कुल विकृत कर दिया गया है। आज वहां पर अनाधिकृत निर्माण हो गये हैं जिसके परिणामस्वरूप यह सारी योजनायें खटाई में पड़ गई हैं और नये स्लम दयानन्द नगर में बनने की तैयारी हो रही है। जब कॉलोनियां बनती हैं उनका विकास तब होगा जब आप उनमें सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मालवीय नगर हो, दयानन्द नगर हो, चाहे रंजीत नगर हो सब के अन्दर सड़कों की, सुविधा कुछ स्तर तक हुई है बाकी पानी और बिजली की व्यवस्था आज तक नहीं हुई। न्यास के कानून के अन्तर्गत एक बार प्लाट अगर आपको आवंटित हो जाता है तो दो साल में आपको भवन निर्माण करना पड़ता है लेकिन आज तीन,

(श्री जीतमल जैन)

चार और पांच साल गये लेकिन वहां पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है इसलिये विकास कार्य रुका पड़ा है। अनाधिकृत निर्माण निरन्तर होते जा रहे हैं जिनको रोकना अब शायद न्यास के बस का नहीं है और यह स्लम बीसवीं सदी में अलवर के अन्दर बन जायेंगे....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। ट्रेनिंग ग्राउण्ड की एक बड़ी विडम्बना है जिसके लिये अभी मैंने दो दिन पहले 295 के अन्तर्गत मामला उठाया था। मैं उस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा। ट्रेनिंग ग्राऊंड शहर की आबादी से इतना दूर होना चाहिये कि आने वाले समय के अन्दर 20-25 साल तक उसके आसपास आबादी न हो। अलवर शहर निरन्तर बढ़ता जा रहा है जो पुराना ट्रेनिंग ग्राउण्ड था उसके चारों ओर आबादी होने के कारण वहां से हटाना आवश्यक था। नये ट्रेनिंग ग्राउण्ड का जब चयन किया गया तो हमारे पहले शिवाजी नगर, दयानंद कॉलोनी के आसपास वह ट्रेनिंग ग्राउण्ड रखा गया। आने वाले तीन-चार साल बाद जब वहां विकास हो जायेगा, आबादी बढ़ जायेगी प्रदूषण की स्थिति बड़ी खराब होगी और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज एक वर्ष हो गया है यू. आई. टी. के अधिकारियों से इन ट्रेनिंग ग्राउण्ड के बारे में बात करते-करते कि ट्रेनिंग ग्राउण्ड कहां जायेगा, यहां से शिफ्ट किया जाए। इस बात से सब मेरे तर्क से सहमत हैं...लेकिन एक साल के बाद भी आज तक यह निर्णय नहीं हो सका कि ट्रेनिंग ग्राउण्ड कहां पर जायेगा ताकि आने वाले समय में लोगों के स्वास्थ्य पर और वहां पर रहने वाले नागरिकों पर और बनने वाली बस्तियों के ऊपर और जो नागरिक वहां निवास करेंगे उन पर किस प्रकार का, उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का विपरीत असर नहीं पड़े....

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : और कई प्रकार की अनियमिततायें हैं। आप जानते हैं कि ये रिहायशी भूखण्ड न्यास द्वारा आवंटित होते हैं। 10 साल पहले तक उनके नाम में परिवर्तन नहीं हो सकता लेकिन अलवर न्यास में सैकड़ों प्लाट 10 साल से पूर्व और रिश्वत खाकर और इस प्रकार से लोगों के नाम बदले हैं क्योंकि कोई सीमा नहीं है। यह इन्ल्वायरी का विषय है। यह फ्राड की बात है कि 10 साल पहले उन्होंने नाम दिये हैं लोगों के।

श्री उपाध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें।

श्री जीतमल जैन : दो मिनट और। वहां किसी भवन निर्माण के लिए और स्वीकृति लेने जाते हैं और महीने-महीने और दो-दो महीने तक नहीं मिलती है लेकिन अधिकारियों का कहीं किसी प्रकार से इसमें हित साधन होता है तो बड़ी अजीब स्थिति है। सेण्ट एन्सलम नाम का स्कूल इसमें एक कृषि भूमि खरीदकर और

(श्री जीतमल जैन)

इसका रूपान्तरण कराकर और वहाँ स्कूल बनाना चाहता था। आप आश्चर्य करेंगे कि उनको एन. ओ. सी. मिले बगैर और सारी फोर्मलिटिज पूरी हुए बगैर वहाँ पर परमिशन दे दी गई और उनका नक्शा पास कर दिया गया जबकि आम आदमी को 6·6 महीने तक इस प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं होती हैं। इसमें शर्त यह लगा देते हैं आपको जब तक एन. ओ. सी. [illegible]त नहीं होगी, तब तक आप इस पर निर्माण कार्य नहीं शुरूकर सकते। एक बार आपको नक्शा पास कर दिया, मानचित्र पास कर दिया फिर किसको किस बात की चिन्ता हो गई कि सब बातों की चिन्ता करें और इस प्रकार से वो स्कूल बन गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री जीतमल जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से सरकार से कि अलवर नगर विकास न्यास और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट दोनों की विस्तृत रूप से इन्क्वायरी करें और निश्चित रूप से इस प्रकार के होने वाले गलत तरीके से जिस प्रकार से शहर का विकास अवरुद्ध हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

"रहिमन पानी राखिये,
बिन पानी सब सून,
पानी बिना न ऊबरे,
मोती, मानस, चून",

जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ भी नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार की, जिसकी कथनी और करनी में अन्तर है, उसका सबूत इसी के द्वारा प्रस्तुत जलदाय विभाग की विवरणिका के हवाले से ही देना शुरू करता हूँ। जिसमें पेज 12 पर उन्होंने 81·84 करोड़ रुपये की योजना लागू करने की बात की है जिसमें से 42 करोड़ रुपये ये गांवों में खर्च करेंगे जो 51·3 प्रतिशत बैठता है। बजट में और अन्य वक्तव्यों में मंत्रीगण हमेशा इस बात को उद्घोष करते हैं कि हम अपनी योजनाओं का 60 प्रतिशत हिस्सा गांवों पर खर्च करेंगे। अब इन्हीं के आंकड़ों से इसकी पोल खुलती है। कि गांवों को और गांवों के लोगों को यह लुभावने नारे दे रहे हैं और गांवों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जहां एक गांवों में पीने के पानी पहुंचाने का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, 32000 से अधिक गांवों में पीने का पानी पहुंच चुका है लेकिन फिर से नये गांव समस्या ग्रस्त क्यों बन जाते हैं? इसकी गहराई में अगर हम जाकर देखें तो योजनाओं में कहीं न कहीं विभागीय स्तर पर गलतियां रही हैं और इसमें पशुओं की संख्या को सम्मिलित नहीं करने से कई जगह इस प्रकार की कठिनाई आई है जिसके कारण जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या का हल कर दिया गया है, वहां फिर से वे गांव समस्या ग्रस्त हो गये राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से 5-6 समस्याएं हैं, एक तो राजस्थान में भूमिगत जल स्रोत कितने हैं, हमने अभी तक इनका दोहन नहीं किया है और इन पर वैज्ञानिक तरीके से पैसा नहीं लगाया

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

है। राजस्थान के इतने बड़े भूभाग में जो मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नम्बर का बहुत बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में कितना जल भूमि के नीचे है और इसका कितना आदर्श तम उपयोग और आप्टीमम यूटिलाइजेशन अपन कर रहे हैं। दूसरी बात हमारे पानी में कहीं लोहा मिला हुआ है, कहीं क्लोरा-इड है, कहीं नारु की समस्या है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इनको राष्ट्रीय मिशन में सम्मिलित किया गया था लेकिन इस दिशा में जो किया गया था, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जहां तक इस वर्ष इन्होंने 1400 गांवों को पेयजल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का कहा मैं चाहता हूं मंत्री महोदय गांवों में पशुधन संख्या को इसमें सम्मिलित करके योजना बनानी चाहिये ताकि अगले वर्ष यह दिक्कत नहीं आये और ये इन 1400 गांवों में से 800 गांव फिर समस्या ग्रस्त बन जाय। इसके साथ जो विवरणिका इन्होंने दी है, उसमें बिसलपुर को छोड़कर जोधपुर शहर को और जोधपुर के शहर के 158 गांवों को आज पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए लगभग 29.17 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन इन्होंने केवल मात्र साढ़े सात करोड़ रुपये की राशि है अब तक यानी 73·97 करोड़ रुपये की धनराशि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, क्या ये 10 वर्षों में इन योजनाओं को पूरा करना चाहेंगे। जोधपुर शहर को और 158 गांवों को पेयजल आने वाले 2-3 वर्षों में प्राप्त होने वाला था, उसको इस मंथर गति से इस योजना को पूरा करेंगे तो ये 10 साल में भी योजना पूरी होगी नहीं मासी-वाकल योजना के लिए भी बहुत कम राशि इन्होंने रखी है। जय समन्द के योजना के लिए भी इन्होंने 1·75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। इसी प्रकार से बीकानेर शहर के लिए इन्होंने, मैं समझता हूं कि इस विवरपिका को पढ़ने से ऐसा लगता है कि बीकानेर तो कोई शहर मैं ही नहीं। आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व आइडा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत योजना बीकानेर शहर से इन्दिरा गांधी नहर को पानी देने के लिए बनाई गई और उसके जलाशय खुदाई हो चुकी थी लेकिन जलाशय की खुदाई के बाद आज तक वहां निर्माण कार्य नहीं हुआ। पिछले दिनों में जब एक प्रश्न की रिप्लाई में जल-दाय मंत्री ने कहा कि ठेकेदार की गलती के कारण, ठेकेदार बीकानेर का था, ठेके-दार को आप सींखचों में बन्द क्यों नहीं कर देते और जो अधिकारी बीकानेर में पेयजल योजनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एक-डेढ़ करोड़ की योजना को साढ़े पांच करोड़ तक पहुंचा दिया, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कौन रोक रहा है ?

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : आप रोक रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूँगा कि क्या यह सही है कि बीकानेर में पिछले दिनों 15 कुएं सूख गये, 45 कुएं काम कर रहे हैं ? विश्व बैंक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को जलदाय विभाग ने यह आश्वासन दे रखा है कि हम 80 प्रतिशत पानी आइडा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से देंगे और 20 प्रतिशत पानी कुओं से लेंगे लेकिन आज तक 90 लाख गैलन पानी एक दिन भी बीकानेर में इन्दिरा गांधी नहर से नहीं मिला है और यदि मिला है, मान लीजिये 2-4 दिन तो समक्ष लीजिये, कोई मंत्रीजी का कभी दौरा हो गया तब मिला हो अन्यथा यह समझिये 6 महीने तक लगातार नहर बन्द रहती है। कभी बिजली नहीं होती, कभी नहर की बारी नहीं होती तो कुल मिलाकर औसतन पानी 50 लाख गैलन से अधिक कभी नहीं मिला है। यह निश्चित रूप से पेच्चुअल स्थिति है। मैं जलदाय विभाग से पता करके आया हूं इस लिये उपाध्यक्ष महोदय, जिस योजना को हमने बनाया था विश्व बैंक की सहायता से और उस योजना की पूर्ति और क्रियान्वयन न होने से बीकानेर के लोग बड़े चिन्तित हैं कि कुओं की यही स्थिति रही तो आने वाले समय में बीकानेर शहर में पेयजल संकट उत्पन्न हो जायेगा और आने वाले समय में माकूल व्यवस्था करने के लिये जो जलाशय खुदे हुये हैं, उसकी लाइनिंग का काम निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी करवाया जाना चाहिये नहीं तो इस सम्बन्ध में कठिनाई जलदाय विभाग को होगी, नागरिकों को होगी, और मंत्रीजी आपको तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा होगी क्योंकि आप जल के बारे में सबसे ज्यादा चिन्तित रहते हैं। इसके साथ ही लूनकरणसर क्षेत्र की उरमूल डेयरी ट्रस्ट ने लगभग ढाई करोड़ रुपये की लागत से डिग्गियां बनाई। जलदाय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने बीकानेर में मीटिंग ली, उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जल्दी से जल्दी ढाई करोड़ रुपये का विनियोग इस योजना पर हुआ है। इस योजना को आप जल्दी से जल्दी जलदाय विभाग की योजनाओं में सम्मिलित करें और डिग्गियों को प्रभावी उपयोग में लें नहीं तो डिग्गियां क्यों बनाई गई? और डिग्गियां बनाई गई तो उसको पेयजल योजनाओं से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? ढाई करोड़ रुपये का अपव्यय जो हो रहा है, वह रोका जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की यह सरकार बड़ी मददगार है लेकिन हम मददगार जब मानेंगे जब खास तौर से वे जिले जो मरुस्थलीय जिले हैं और जहां पर पानी पांच सौ फीट से ज्यादा गहरा है वहां पर किसानों द्वारा पेयजल के लिये, सिंचाई के लिये जो कुएं खोदे जाते हैं उनमें फ्लैट रेट जो है, एक तरीके से कहना चाहिये दस हार्स पावर तक फ्लैट रेट है उसको बढ़ाना चाहिये। जलदाय विभाग को इसमें किसानों की मदद करनी चाहिये।

इसके साथ-साथ किसानों को समय-समय पर यह बताना भी चाहिये कि वह कहां-कहां कुएं खोदे तो उन्हें भूमिगत स्रोतों से पानी मिल सकता है। एक विडम्बना और है कि जलदाय विभाग में जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं जैसे बढ़ई, सुनार, लुहार, जुलाहे, रंगाई-सफाई का काम करने वाले लोग, जांच से सम्बन्धित लोग जिनके बारे में आपने बजट में भी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कुछ प्रावधान किया है, मैं जानना चाहता हूं कि इनसे आप व्यवसायिक दर क्यों ले रहे हैं ? यह अपने घर में दुकान किराये पर ले नहीं सकते, उन्हीं लोगों से व्यवसायिक दर वसूल की जाती है। सरकारी नौकरी आज जानते हैं मिलती नहीं, जो घर पर बेचारा चार सौ पांच सौ रुपये कमाता है उससे व्यवसायिक दर वसूल की जाती है। इसमें यह प्रावधान करना चाहिये, अब यह जब रिप्लाई देंगे तब यह कहेंगे पहले से प्रावधान था। तो यह चीजें नहीं करके जो चीजें ध्यान में आती हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें आप जो इनकम टैक्स देता है हाथ का कारीगर उससे आप व्यवसायिक दर लीजिये लेकिन जो टैक्स नहीं देता उससे व्यवसायिक दर नहीं लेकर सामान्य दर ली जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, दस मिनट में तो कोई आदमी कुछ आदमी कुछ बोल नहीं सकता और अभी तो एक विभाग पूरा बाकी है। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको स्वयं को मालूम है, 51 मेम्बर हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो पांच मिनट भी नहीं बोला हूँ। पौने पांच बजे शुरू हुआ हूँ, पांच मिनट हुए हैं। मैं पांच सात मिनट और लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, व्यवधान के लिये क्षमा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल योजना और मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के ऊपर विचार और पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 27 और 29 पर विचार

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एरिड जोन और सेमी एरिड जोन के लिये जो कुण्ड योजना प्रारम्भ की गई थी वह गांवों के लिए बहुत उपयोगी और प्रभावी सिद्ध हुई है। इन योजनाओं को डी पी. ए. पी. के अन्तर्गत जो शुरू की गई थी, सूखा सम्भावित क्षेत्र में, सामूहिक स्तर पर जारी रखना चाहिये। कजरी ने, सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने वैज्ञानिक तरीके से बरसात के पानी को इकट्ठा रखने के बारे में जो डिजाइन दिये हैं वह किसानों तक अधिक से अधिक पहुंचाने चाहिये ताकि किसान बरसात के पानी को अपने खेतों और गांवों में इकट्ठका करके रख सकें।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जहां तक नगर आयोजना विभाग का सवाल है, मैं सुझाव के रूप में अपनी बात कहूंगा। माननीय मंत्रीजी, आप नगर-पालिकाओं के चुनाव के बारे में कह रहे थे जुलाई में करा देंगे, अब लगता है आपकी तैयारी नहीं है। नगरपालिकाओं के चुनाव आप कब तक करा देंगे ?

नगर आयोजना का प्रश्न है जहां जयपुर ले लो, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जहां क्रिकेट का मैदान बनना चाहिये जयपुर में, वहां आज मकान बन रहे हैं। जहां चिकित्सालय बनना चाहिये, स्कूल बनना चाहिये वहां मकान बन रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या हैं? कारण यह है कि हमारा चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर विकास न्यास हो नगरपालिका हो...

एक **माननीय सदस्य** : आपकी गलती से ही बने हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : देखिये, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया आपके वक्त में, मेहरबानी करके विराजिये आप।

कोई प्लानिंग है ही नहीं। नगर विकास न्यास, आवासन मन्डल, नगरपालिकायें यह सारे मिल कर यह लक्ष्य निर्धारित करें कि हम हर वर्ष कम से कम एक लाख लोगों, जो भूमिहीन हैं, को प्लाट आवंटित करेंगे, मकान आवंटित करेंगे। एक तरफ यह स्वायत्तशासी संस्थाएं भूमि का आवंटन नहीं कर रही हैं, मकान नहीं बना रही हैं या बना रही हैं तो कम बना पा रही हैं जिसके कारण से डेड लाक क्रिकेट हो रहा है और कुछ ऐसे माफिया इकट्ठे हो गये हैं जो अलग-अलग तरीके से भूमि को बेच रहे हैं, भूमि का विक्रय कर रहे हैं, सरकारी जमीन का विक्रय हो रहा है। मैंने पिछले दिनों में ओल्ड रेजीडेंसी का जिक्र किया था जो लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की सम्पत्ति है, सम्पत्ति सरकारी जमीन थी उसको सीलिंग से मुक्ति देकर कुछ लोगों ने हड़प लिया है। ऐसे अवैध कब्जों के ऊपर आपको तुरन्त रोक लगानी चाहिये। आज मैंने शून्यकाल में अलख मठ का जिक्र किया था वह सम्पत्ति जो लगभग सौ बीघा है इस सौ बीघा जमीन पर तुरन्त प्रभाव से आपको नाजायज कब्जा जो हो रहा है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिये।

साथ ही मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, जयपुर का जब ढाई सौवां वर्ष मनाया गया था और बीकानेर का पांच सौवां वर्ष मनाया गया था तो उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्रियों ने बीस-बीस लाख रुपये जयपुर और बीकानेर को दिये थे। आज जयपुर का पैसा जयपुर विकास प्राधिकरण के पास है क्योंकि पहले नगर विकास न्यास को दिया वह जयपुर विकास प्राधिकरण में मर्ज हो गया तो उसके पास सुरक्षित है। बीकानेर को बीस लाख में से 6 लाख तो दे दिये लेकिन 14 लाख रुपये की फाइल पर आपने यह मना कर दिया कि रंगमंच की बीकानेर में कोई आवश्यकता नहीं है। सारा राजस्थान जानता है कि बीकानेर के रंगकर्मी, बीकानेर के लोक कलाकार सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं दुनिया में जितने भी फेस्टीवल हुए हैं उनमें बीकानेर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के लोग जा रहे हैं। लेकिन वहां रंगमंच का निर्माण आपने रोक दिया है। मैं समझता हूं यह बीकानेर के नागरिकों के साथ आपने घोर अन्याय किया है और वायदा खिलाफी की है। सरकारें प्रजातन्त्र में बदली जाती हैं लेकिन सरकार के वायदे बदले नहीं जाते हैं। आप राजनैतिक भेदभाव की बात करते हैं, यह नमूने आपको मैंने बता दिये हैं। हम तो रंगमंच आप मंजूरी देंगे तो भी बना लेंगे और नहीं भी देंगे तो बीकानेर के नागरिक चाहेंगे तो उसको बनायेंगे। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार ने...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप देखिये, 46 मैम्बर बाकी हैं, इस तरह तो आठ घंटे चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं एक्सप्रेस मेल से बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्याय में एक्स आफिशियो मैम्बर सारे राजस्थान में हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जन प्रतिनिधियों को आपने क्यों नहीं नामिनेट किया और कब तक आप नामिनेट करने का विचार रखते हैं?

इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूँ कि चुंगी दरों में समानता के मुद्दे आपने स्वयं सदन में उठाये थे। आप चुंगी दरों की समानता को कब तक पूरे राजस्थान में लागू कर देंगे? हमारी नगरपालिकाओं की स्थिति तो इतनी दयनीय है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो मनोरंजन कर वसूल किया जाता था उसका एक निश्चित हिस्सा नगरपालिकाओं को मिलता था लेकिन अभी पिछले दिनों से यह हिस्सा नगरपालिकाओं को नहीं मिल रहा मिल रहा है, मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा जोर माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर पूरे दवाव के साथ लगाये ताकि नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक दो लाइनें मैं आवासन मंडल के बारे में बोलना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : फिर कब तक कार्यवाही चलेगी? सुबह चार बजे तक?

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, 60 सैकण्ड।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आवासन मंडल चैक से भुगतान नहीं लेता। हजारों लोगों ने आवासन मंडल से मकान आवंटित कराये हुए हैं उनको चैक से भुगतान करने की सुविधा देनी चाहिए। कितनी बकाया है यह आवासन मण्डल को पता नहीं। आवासन मण्डल को चाहिए कि वह अपनी बकाया जल्दी से जल्दी वसूल करे और लोगों को मकान बना कर दे। जोधपुर में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आज 5-5 साल से वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। उन लोगों के मकान जल्दी से जल्दी बनने चाहिए। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र राठोड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था पहले। दाढ़ी का या बिना दाढ़ी का मामला हो, तो वह बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो मेरे सपनों में भी आते हैं, ऐसी क्या बात है।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर की पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में अपने सुझाव निवेदन करूंगा। जोधपुर में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान के लिए सन् 1984 में जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कार्य चल रहा है। उस लिफ्ट कैनाल का 1984 में शिलान्यास हुआ फिर 1985 में और फिर 1986 में हुआ। उसके बाद पिछली सरकार ने उसको राजनैनिक हथियार बना लिया था। जोधपुर लिफ्ट का कार्य शीघ्र पूरा हो इसके लिए यह योजना 103 करोड़ की बनी थी। समय के विलम्ब के कारण और महंगाई के कारण अब यह 143 करोड़ की हो चुकी है। इसके लिए जलदाय मंत्री जी ने पिछले सत्र में घोषणा की थी कि इस वर्ष इस पर 45.6 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, लेकिन अब इस पर मात्र 7 करोड़ रुपये रखे गये हैं। जोधपुर में पेयजल के स्थाई समाधान के लिए इसके बजट में वृद्धि की जाय और इसको गम्भीरता से लिया जाय यह मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

दूसरा, वहां जल वितरण व्यवस्था पुराने समय से चल रही है। पाइप फट चुके हैं और फिल्टर प्लान्ट की क्षमता भी बहुत कम है, जिसके कारण शहर के विभिन्न ऊंचाई में आये हुए क्षेत्रों में पानी पूरा नहीं पहुंचता कम दबाव होने के कारण।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र पढ़ना अलाऊ नहीं है हाउस में।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जब यह फिल्टर प्लान्ट बना था तो जोधपुर का क्षेत्रफल 3 कि. मी. था जो अब 12 कि. मी. हो गया है, इसलिये एक और फिल्टर प्लान्ट बाल समन्द और लालसागर पर लगाया जाय जिससे वहां के ऊंचाई के क्षेत्रों को लाभ मिल सके। क्योंकि पुरानी झील है, उसमें अथाह पानी आ सकता है। जब जोधपुर लिफ्ट कैनाल का पानी आयेगा तो वह बालसमन्द और लालसागर में हो डाला जाय जिससे मन्डोर, महा मन्दिर और पावटा क्षेत्रों में पानी शुद्ध किया जा सके। आज जो फिल्टर प्लान्ट लगा हुआ है उसकी क्षमता कम होने के कारण 70% लोगों को अशुद्ध पानी दिया जा रहा है जिसके कारण वहां अनेकों बीमारियां फैल रही हैं।

एक मेरा निवेदन है कि जोधपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, ऊबड़-खाबड़ और नीचा क्षेत्र होने के कारण, पुराने सिस्टम से जो पाइप लाइन बिछी हुई है, उसस सब

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

जगह पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जोधपुर में पांच टेंक और बनाये जायं और उनके माध्यम से पानी दिया जाय। जसवन्त धड़ा, सरदारपुरा क्षेत्र, बाईजी का तालाब, राइका बाग में टेंक बना कर उनके माध्यम से पानी वितरण किया जाय।

जोधपुर में पाइप लाइन पुरानी होने के कारण वह सड़ भी चुकी है। माननीय मन्त्रीजी जोधपुर आये थे तो इन्होंने घोषणा की थी 30 लाख रुपये इस पाइप लाइन की चेंज करने के लिए दिये जायेंगे। इस पाइप लाइन से पानी का रिसाव और गन्दा पानी मिक्स होने के कारण वहां पोलिया जैसे महारोग फैले और फिर फैलने की आशंका है। इसलिए इसी वर्ष इस पाइप लाइन को बदला जाय।

भीषण गर्मी में कम मात्रा में पानी होने के कारण वहां के अधिकारियों ने जिस मेहनत के साथ जनता को पानी का वितरण किया, जिससे वहां की जनता को पानी की कमी महसूस नहीं हुई इसके लिए मुख्यमंत्री जी और दूसरे मंत्रियों का आभार प्रकट करता हूँ।

जोधपुर की सांवरेज लाइन के लिए चार खण्डों में स्वीकृति मिल चुकी है और महामन्डी क्षेत्र की स्वीकृति कई बार मिल चुकी है लेकिन उसकी फाइनेंसियल स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। यह कार्य भी बजट में प्रावधान रखकर इसी वर्ष शुरू किया जाय।

जोधपुर के विकास के लिए निवेदन है कि वहां नगर परिषद और नगर विकास न्यास दो एजेन्सियां है। नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि उसके पास सफाई के लिए एक झाडू नहीं है। चुंगी का रिसाव इस तरह से हो रहा है जिसके कारण जितना पैसा मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है। पुराने अधिकारियों के बारे में अनेकों शिकायतें दी जा चुकी है। उनके खिलाफ लम्बे समय से चल रही जांच राजनीति के कारण रुकी हुई है। उन जांचों को खुलवा कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। नगर, परिषद एक केस सुप्रीम कोर्ट में हार गई जिसके कारण दो करोड़ की हानि होने वाली है। जिस अधिकारी की लापरवाही के कारण यह केस सुप्रीम कोर्ट में हार गये उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। जोधपुर में सहायक विधि अधिकारी ने चार वर्षों में बहुत से केस लगाये थे उनकी पैरवी सही ढंग से न करके और पार्टियों से मिल कर नगर परिषद को हानि पहुंचा रहे हैं।

जोधपुर नगर सुधार न्यास के बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें अनेकों अनियमितताओं की जांच हो चुकी है और लोकायुक्त महोदय को भी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर इस न्यास की जांच की जाय।

जो भूमि के रूपानान्तरण हुए हैं उसमें 52 लाख गज कृषि भूमि रूपानान्तरण का शुल्क राज्य सरकार में जमा हुआ है, उसमें अनियमितायें बरती गई हैं जिसके कारण जोधपुर में भावसीय समस्या बन गई है।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

जिन अधिकारियों ने भूमि स्थान्तरण गलत तरीके से किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अभी हाल ही में 10 दिन पूर्व देवनगर में भूमि स्थान्तरण के पट्टे बन चुके थे, उसके बाद नगर सुधार न्यास ने उन मकानों को गिराया, तोड़ा। मेरा निवेदन है कि उनके पट्टे पहले रद्द किये जाने चाहिये, बाद में उनको तोड़ा जाना चाहिये था। इस प्रकार की जिन अधिकारियों ने कार्यवाही की उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए और जांच करवानी चाहिए जिससे आगे गलत अतिक्रमण नहीं हो।

एक मेरा निवेदन है कि नगर परिषद क्षेत्र में बहुत से आ चुके हैं। सोलह गांव 1962 में नगर परिषद क्षेत्र में आ गये उनका अब तक निर्णय नहीं हुआ है। जो कृषि भूमि के बाडे और खेत थे उनमें मकान बन चुके उनका निर्णय 1962 से लेकर आज तक नहीं हुआ है, इसलिए नगर नियोजन मंत्री जी इस पर विचार करें और इसको भी तय करें।

एक निवेदन और करना चाहूँगा कि नगर परिषद और न्यास में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच की जाय और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तुरन्त की जाय। नगर सुधार न्यास में एक बार प्लाट अलाट करने के बाद दूसरी बार फिर अलाट कर दिये गये। ऐसे मामले नगर परिषद और नगर सुधार न्यास में बहुत से हुये हैं, उनको तुरन्त उठाया जाय और उनमें कार्यवाही की जाय।
जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर... (अनुपस्थिति) श्री अब्दुल हादी।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से अपने इलाके की पानी की मुतल्लिक जो तकलीफात है, कुछ आपको सुझाव देना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि सरकार ने करोड़ों रुपये पानी पर खर्च किये। मगर हमारे इलाके में गलत स्कीम बनाने से अवाम को कोई फायदा नहीं मिला। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं एक स्कीम, जिसका नाम बुरान का तला है। उसमें 12 गांव हैं। बुरान का तला, पूंजासर, एहसान का तला, डेम्बा, सिहार. सालारिया, सांवा, तालसर, जालीला, सैयद का तला, अब्दुल रहीम का तला, रबासर। हमारा इलाका रेतिला है, उसमें काफी धोरे वगैराह है। पाइप लाइन के जरिये इन गांवों को पानी से जोड़ा गया है लेकिन इलाके में काफी धोरे होने की वजह से कई ऐसे गांव हैं, जिनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है। जैसे सिहार गांव, उसमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है। जैसे सैयद मोलनवी का तला है, उसमें भी आज तक पानी नहीं पहुंचा है। अब्दुल रहीम का तला है उसमें भी आज तक पानी नहीं पहुंचा है। मैंने कांग्रेस के जमाने में माननीय मंत्रियों से भी कहा, अफसरों से भी कहा कि आप जिस इलाके में पानी की मात्रा काफी है वहां पाइप लाइन के जरिये पैसों का सत्यानाश क्यों करते हो। हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारा आज जमाना आया तो मैंने अफसरों से बात की तो उन्होंने कुछ मेरी बात मानी। मेरा यह सुझाव था कि

(श्री अब्दुल हादी)

जिस इलाके में पानी मीठा है, पानी की मात्रा काफी है, वहां पर पाइपलाइन की क्या जरूरत है। हमारे यहां पर बैल खुदे हुये है, उन बेलों के अन्दर सिर्फ दो पाईप जो है बोरिंग किये और मशीन लगवा दो पानी खूब है, पानी की कोई कमी नहीं है। तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो इलाका है वह दो तरह से बंटा हुआ है। कुछ इलाका ऐसा है जिसमें पानी बेहद है और पानी हथाहथ है, जिसकी कोई कमी नहीं है, उस इलाके के अन्दर आप पाइपलाइन के जरिये खामोश पैसा क्यों खर्च कर रहे है? लाखों रुपया बरबाद कर दिया और पाईप लाईन से उस इलाके को जोड़ा है और पानी जाता ही नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जहां पर पानी मीठा है, जहां पानी की कोई कमी नहीं है, वहां पर गांव में बिजली भी आ गई है, उन गांवों के अन्दर आप बजाय ट्यूबबैल के ओपनबेल लगाना शुरू कीजिये। जब कि ट्यूबबेल पर तीन-चार लाख रुपया खर्चा होता है। हमारे यहां पर ओपनबेल बनाये, जिस पर कुछ व्यय चालीस-पचास हजार रुपया होगा। एक लाख में एक गांव को पानी आराम से दे सकते हैं। पर हमें कोई पूछता ही नहीं, हमारी कोई राय मांगता ही नहीं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि अफसरों को इस तरह से पाबन्द करें कि वहां के लोकल एम. एल. ए. जो जन प्रतिनिधि है, उन लोगों से राय पूछे कि आपके यहां पर पानी किस तरह से मिल सकता है। मेरी यह गुजारिश है कि जहां पर भी पानी मीठा है, जहां पानी की मात्रा ज्यादा है, वहां पर आप ओपनबेल करवाइये जिससे लोगों को पानी मिल सके।

दूसरा मैं अर्ज यह करना चाहता था कि हमारा इलाका ऐसा है, उसका नाम है नबातला कुम्भारों का टीबा इस स्कीम में 21 गांव है। नगतला जैत, लिडियाला, सोभाला जैत, आरबीकी गफ्त, सादुल की गफ्त, तमाची की गफ्त, रमकान की गफ्त रासबानी, हेजम का तला, केलनोर, लखे का तला, भीलों का तला, राठौड़ों का तला, कुम्हारों का टीबा, भीलों का तला, उदसियार, भोजारिया, जैसार, रतासर, भाड़ा गुल मोहम्मद। इन गांवों में पानी खारा है और पानी की मात्रा कम ही है। और यह 65 किलोमीटर लम्बी स्कीम है। पानी खारा है, उस इलाके में पानी बाई पलाइन से पहुंचाने के सिवाये और कोई चारा नहीं है। यहां पर पाइप लाइन बहुत जरूरी है। मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस इलाके में पानी खारा है, लोगों को बडी परेशानियां है। इस स्कीम को शुरू किये हुए छः-सात साल हो गये। अभी तक यह स्कीम अधूरी है। मेहरबानी करके इस स्कीम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये। ताकि जिस इलाके में पानी खारा है उस इलाके के लोगों को राहत मिले। आप जो पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को खुदा के वास्ते फिजूल खर्च मत कीजिए। पैसों को इस तरह से खर्च करो ताकि लोगों के काम आये। हमारे जो मिनिस्टर साहब है वे बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक इंसान हैं। मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि आप

(श्री अब्दुल हादी)

बाड़मेर का दौरा भी करेंगे, इस इलाके को भी देखेंगे। उससे आपको मालूम होगा कि वाकई उन लोगों की कितनी तकलीफें है।

तीसरा अर्ज में यह करना चाहता था कि हमारे इलाके में कुछ ऐसे गांव है, जिनकी आबादी पांच, छः हजार है और गांव ढाणियों में बिखरा हुआ है। मिसाल के तौर बानलौर गांव है, बिसारणियां गांव है, नेत्राड़ गांव है, धाराशर गांव है, जिनकी आबादी पांच हजार से ज्यादा है। अब वहां के गांव पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस मील के फासलों में बिखरे हुए है। अब आपने एक जगह ट्यूबवैल लगा दिया। आपको में यह बताना चाहता हूँ कि 15-20 मीलों से आकर के आदमी पानी कैसे ले जायेगा ? इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि जिन गांवों की आबादी ज्यादा है, पांच हजार छः हजार है, उसके अन्दर गांव का क्षेत्रफल करीबन बीसो मील का है उन गांवों में से कम से कम चार-पांच जगह ऐसी है जिनकी आबादी एक हजार की है, उन लोगों को भी पानी का फायदा मिलना चाहिये। और खास तौर से मैं यह चाहता हूं कि जिन-जिन इलाकों में पानी बिलकुल खारा है, उन इलाकों में आप पाइप के जरिये पानी पहुंचाये। ज्यादा मैं वक्त नहीं लेता, वक्त की कमी है और कई माननीय सदस्य बोलने वाले है। मुझे उम्मीदें हैं कि माननीय मंत्री महोदय, हमारी इस इलतजा पर गौर फरमायेंगे। हमें जो प्यासे है उनको जरूर पानी पिलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकांत शर्मा।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 व 29 का समर्थन करते हुए पहले जलदाय विभाग के बारे में कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहूँगा। जलदाय विभाग पिछले दस वर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय दशक मना रहा है। ये दशक और ये वर्ष मनाने की एक इस प्रकार की परिपाटी बन गई है, मैं इसका बहुत विरोधी हूं, क्योंकि हमारे देश के अन्दर केवल यह दिखावे मात्र के दशक और ये वर्ष मनाए जाते हैं। यह हमने पश्चिम से नकल की है। परन्तु पश्चिम में ये दशक और यह वर्ष मनाये जाते हैं; तो वे बाकायदा एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्रियान्वित की सारी की सारी डिटेल बनाते हैं। और वे समय-समय पर उसका सर्वेक्षण करते हैं उसका मानिटीरिंग करते हैं परन्तु यहां पर केवल मात्र कागजों के अन्दर ही दशक मनाये जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस दशक के अन्दर बताया गया था कि तीस परसेन्ट जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको चालीस लीटर पानी प्रति व्यक्ति दिया जायेगा। परन्तु विश्वास कीजिए कि गांवों के अन्दर चार लीटर भी पेयजल नहीं मिल रहा है। कहां चालीस लीटर ? वैसे तो सत्तरह लीटर बताया है ज्यादा से ज्यादा, परन्तु चार लीटर भी नहीं दिया जा रहा है। प्रगति विवरण के अन्दर कहा है कि हम शत-प्रतिशत इनकी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। जनता के अन्दर सरकार के प्रति विश्वास पहले ही बहुत कम है, परन्तु अब और गिर गया। यदि कोई बात कही

(श्री रमाकांत शर्मा)

जाती है, जो लक्ष्य रख जाते हैं, उसके बारे में विभाग को विचार करना चाहिए, देखना चाहिये और उसके बाद ही बात करनी चाहिये कि क्या हम यह प्राप्ति कर सकते है या करेंगे या नहीं करेंगे ? माननीय गांवों के अन्दर एक मोटर पम्प लगाया हुआ है, उसको चलाने के लिए वहां पर कोई जुनियर इंजीनियर नहीं है, कोई फौरमेन नहीं है । डेलीवेजेज के आदमी लगे लगे हुए है, जूनियर इंजीनियर बीस किलो मोटर दूर रहता है । असिस्टेंट इन्जीनियर सो किलोमीटर दूर रहता है । और कभी-कभी मोटर जल जाती है, तो पांच-पांच दिन तक पानी नहीं आता । पन्द्रह मिनट कुल मिलाकर पानी देते हैं । इसलिए थ्योरिटिकली यह सम्भव नहीं है कि चालीस लीटर प्रति व्यक्ति की जो नल योजना गांवों में लगाई गई है, वहां पर कहीं पर भी वह दे सके । गांवों में जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, उन हैन्ड पम्पों से चालीस लीटर प्रति व्यक्ति दे रहे होंगे, यह इनकी कल्पना मात्र है । इन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि 34968 गांवों में से 32525 गांवों के अन्दर यह सारी की सारी पानी की समस्या सुलझा सके है । अलवर में तो केवल मात्र 78 गांव है, इनके हिसाब से तो शायद साल, छह महीने में 78 भी पूरे हो जायेंगे । इसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर 1800-1900 बचे, 1800-1900 पुरे कर देंगे । तो इनके विचार से ग्रामीण जनता की सारी की सारी जल समस्या समाप्त हो गई । हैण्ड पम्पों का रख-रखाव करते नहीं हैं । पहले भी रख रखाव में कभी सफल हुए ही नहीं । पंचायत समितियों के पास में है, पता नहीं पंचायत समितियों से फिर विभाग के पास आयेगा या नहीं आयेगा । परन्तु अभी इन्होंने एक अभियान की बात कही थी । यहां पर पिछले सत्र में माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि यह अभियान 15 अप्रैल से चालू हो जायेगा । हम तो थानागाजी के अन्दर आसमान की तरफ नजरें लगाये रहे, वह अभियान न 15 अप्रैल से चला, न आज चला, न उन्होंने कभी चलाने की मंशा दिखाई । तो रख-रखाव इनको करना नहीं है । और सारी की सारी गांव की समस्या सोल्व कर दी । यदि ऐसा हो गया है तो कम से कम इतना बड़ा अमला है-- एडशिनल चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन पोस्टों को तो समाप्त कर दें जिससे सरकार का जो काफी व्यय हो रहा है वह व्यय तो समाप्त हो जाये, मितव्ययता तो हो जाये । परन्तु सच बात तो यह है कि जो भी यह बताते हैं कि 32525 गांवों के अन्दर हैण्ड पम्प लगा दिये हैं और सारी की सारी समस्या सोल्व कर दी है-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं है । गांवों में जितने भी हैण्ड पम्प लगे हैं वह दो-चार साल चलेंगे, मुझे पता नहीं । तीन-तीन हजार की जनसंख्या के गांव, जिनमें आठ या दस हैण्ड पम्प लगने थे, कहीं पर भी तीन या चार से ज्यादा नहीं लगाये । थानागाजी की स्थिति तो यह है । मैं माननीय मंत्री महोदय के पास गया था और मैंने उनसे निवेदन किया, उनको गांवों के नाम बतायें, उन गांवों के अन्दर एक भी हैण्डपम्प अभी तक नहीं लगा है । थानागाजी की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से एक हजार हैण्ड पम्प लगने

(श्री रमाकांत शर्मा)

चाहिए लेकिन होंगे दो सौ, ढाई सौ। उनमें से सौ, डेढ़ सौ बड़ी मुश्किल से काम कर रहे होंगे। यह इस तरह की आज सारी की सारी स्थिति है। मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माननीय मंत्री महोदय की वैसे तो बहुत-बहुत सराहना करना चाहूंगा और मैं मेरी तरफ से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब-जब भी मैं इनके पास गया, इन्होंने एक प्रकार से मन की भावना के साथ कहा कि थानागाजी के अन्दर बहुत परेशानी है, यह सारी की सारी ठीक होनी चाहिए। इन्होंने एडीशनल चीफ इंजीनियर को बुलाया, एडीशनल चीफ इंजीनियर ने कहा कि कल मशीनें लग जायेंगी। परन्तु वह 'कल' कभी आया नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : आयेगा भी नहीं।

श्री रमाकान्त शर्मा : और जब इन्होंने कहा कि नहीं किया है, तो एक दरख्वास्त दे दीजिए, दरख्वास्त दे दी मैंने, दरख्वास्त के बाद बुलाया गया....

श्री हेतराम बेनीवाल : उसके लिए कल नहीं आयेगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय मंत्रीजी ने यह कहा, कोई बात नहीं। दरख्वास्त को छोड़ियेगा, अब आगे कर देंगे। दुबारा बुलाया, तिबारा बुलाया, चार बार बुलाया परन्तु जिस प्रकार से पत्थर की मूर्ति से कोई बात कही जाती है उसी प्रकार से हुआ। मैं माननीय मंत्रीजी से अर्ज कर रहा हूं कि आप तो बीस-बीस घंटे काम कर रहे हैं, आपके मन के अन्दर बहुत व्यथा है पानी की सारी की सारी समस्या के लिए, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, परन्तु जिस प्रकार के विभाग के अन्दर अधिकारी हैं हैं यदि वह अधिकारी आपकी बात को उसी तरीके से आगे नहीं लेकर जायेंगे तो ग्रामीण जल समस्या जिस प्रकार से इस जून के अन्दर हमने महसूस की है, अगले जून के अन्दर और भी ज्यादा भारी परेशानी आने वाली है। 2200 करोड़ रुपये हैण्ड पम्पों में खर्च कर दिये अभी तक। परन्तु जैसा मैंने बताया, उसके अन्दर समस्या का एक का समाधान नहीं हुआ है। मेरा तो निवेदन होगा कि जो कुछ आप हैण्ड पम्प चला रहे हैं, कहीं पर इमरजेन्सी हो तो लगा दीजिए परन्तु आपका केन्द्र बिन्दु होना चाहिए, गांवों के अन्दर नल से पानी देने की जो योजना है, उस प्रकार की योजना। उन्हीं योजनाओं पर आपको ज्यादा धनराशि का प्रावधान करना चाहिए और उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए।

एक बात मैं हैण्ड पम्पों के बारे में और निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र के अन्दर तो किसी भी गांव के अन्दर जनसंख्या के आधार पर जितने लगने चाहिए उतने लगे ही नहीं। जितने लगे भी हैं उनमें से आधे खराब पड़े हुए हैं। परन्तु आपने कहा है कि ढाणियों के अन्दर, जहां पर चालीस घर रहते हैं वहां पर हैण्ड पम्प देंगे, वहां भी नहीं लगे हैं। परन्तु जो बीस या तीस घर की ढाणियां है उनका क्या होगा? क्या उनकी भी कोई योजना है?

(श्री रमाकान्त शर्मा)

या अगले दस-बीस वर्ष तक वह पीने के पानी से मरहूम रहेंगी ? मैं समझता हूँ कि हवा के बाद सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है। उस पानी के बारे में इस प्रकार की योजना बना देंगे कि ढाई सौ पर लगा देंगे और चालीस घरों की जो ढाणियां हैं उनमें लगा देंगे परन्तु पैंतीस या तीस घरों की जो ढाणियां हैं उनके बारे में सोचेंगे नहीं। आधे से ज्यादा जनता, मुझे पता नहीं सारे राजस्थान में क्या स्थिति है, मेरे थानागाजी के अन्दर तो बीस-बीस, तीस-तीस घरों की ढाणियों के अन्दर रहती है। यदि यह सारी की सारी जनता पानी से मरहूम रहेगी तो आप क्या करने वाले हैं ? जरा इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजियेगा। उन हैण्ड पम्पों का, जिनके अन्दर बताया गया कि हमने 130 या 250 फीट खोदे हैं आज वह सारे के सारे सूख गये हैं क्योंकि वह खोदे ही 60-70 फीट गये थे। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने एक रोज कहा था कि देख कर, नाप कर आप अच्छी तरह बता दीजियेगा, हम बहुत सख्त कार्यवाही करेंगे। पर मैं तो आपको यहां पर निवेदन कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में जितने भी लगे हैं; जितने सूखे हैं वह सारे के सारे नाप कर देख लीजिए....

श्री रामनारायण वर्मा : आप बड़ाई कर रहे हैं या...

श्री रमाकान्त शर्मा : सुनिये। तो वह सारे के सारे इस तरह से सूखे हैं क्योंकि वह कम खोदे गये थे।

श्री डूंगरराम पंवार : आप भी ऐसा ही करते थे।

श्री रमाकान्त शर्मा : इन हैण्ड पम्पों का, जो सूखे पड़े हुए हैं, यह कहते हैं कि जल स्तर नीचे चला गया इसलिए सूखे हैं। वह जल स्तर नीचे जाने की वजह से नहीं सूखे हैं परन्तु उनकी खुदाई कम की गई है इस वजह से वह सूखे हैं। उसके बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ इसके बारे में विचार कीजिए।

दो-चार दिन पहले यह प्रश्न आया था कि रामगढ़ के अन्दर पानी नहीं आ रहा है और जयपुर की जो जल की परेशानी है वह सारी की सारी सामने आने वाली है। उसके बारे में आप विचार करें। मैं जयपुर के अन्दर पिछले चालीस वर्षों से रह रहा हूं। जयपुर की पानी की समस्या से मैं भी पीड़ित हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर की समस्या जरूर सुलझाइये, परन्तु गांवों की कीमत पर नहीं। यदि जयपुर के अन्दर आज 12-13 लाख आदमी रहते हैं, उनके लिए पानी की समस्या है तो यहां एनीकट बन रहे है और एनीकट से जल स्तर बढ़ा है और गांवों की पेयजल समस्या का समाधान हुआ है।

यदि आपने इस एनीकट की योजना के बारे में आगे इस प्रकार की बात सोची कि एनीकट नहीं बनने चाहिए, तो सारे के सारे गांव पीने के पानी से मरहूम हो जायेंगे और उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जायेगी। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई भी नाला हो, चाहे कोई भी नदी हो, कहीं न कहीं आगे

(श्री रमाकान्त शर्मा)

चल कर उस पर कहीं न कहीं, कोई न कोई बांध बना हुआ है और यदि इन बांधों के बारे में आपने अभी से सोचना शुरू किया तो सारे का सारा ग्रामीण क्षेत्र सूख जायेगा और पानी की बहुत परेशानी हो जायेगी। इसलिए इस एनीकट के बारे में मैं पुरजोर शब्दों में कहूँगा कि गांव-गांव में एक-एक एनीकट बनना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि एक गांव के अन्दर एक एनीकट तो अत्यन्त आवश्यक है। खास तौर से पेयजल समस्या के अन्दर....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैंने तो बोलना शुरू ही किया है, अभी खत्म करता हूं।

मैं दूसरा यह निवेदन कर रहा हूँ कि जो नल से पानी देने की समस्या है, उन गांवों की भी स्थिति यह है। एक जोधपुरा गांव है वहां पर टैंक और पाइप वाटर की स्कीम है, वहां कुए में पम्प लगा हुआ है, पाइप लगी हुई है परन्तु उसके बाद आगे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पिपलाई गांव के अन्दर दो वर्ष से ट्यूब वैल बना था, बिजली की लाईन वहां चली गई थी, आगे उसके बारे में कोई सोच-विचार नहीं किया गया। मैं सदन का समय बरबाद नहीं करूंगा। मेरे पास तो बहुत लम्बी लिस्ट है इसलिए उसके बारे में दो उदाहरण देकर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो वाटर पाइप गांवों के अन्दर है इसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाये।

क्योंकि समय कम है इसलिए मैं मांग संख्या 29 के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। चाहे वह जयपुर विनाश प्राधिकरण हो, चाहे वह अलवर विनाश प्राधिकरण हो, समस्या सारी की सारी जगह एक ही है कि जो हमारे टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स हैं इन्होंने राजस्थान के विकास के अन्दर एक प्रकार का ऐसा रोड़ा लगा रखा है कि इन्होंने कभी विकास की बात को बढ़ने ही नहीं दिया। मैं कई दफा इन लोगों के ऑफिस में गया हूं। मैंने तो कभी डिप्टी चीफ टाउन प्लानर को, असिसटेन्ट चीफ टाउन प्लानर को, चीफ टाउन प्लानर को ड्राइंग बोर्ड पर देखा ही नहीं। जो और अधिकारी हैं वह तो उसी प्रकार के अधिकारी हैं, वह क्या टाउन प्लानिंग करते होंगे, क्या बात करते होंगे? वह तो केवल मात्र रूटिन में, जिस प्रकार से दूसरे अधिकारी काम करते हैं उसी प्रकार से काम करते हैं। इसी का परिणाम है कि दस-दस वर्ष लग जाते हैं। छोटे-छोटे गांवों का, छोटे-छोटे शहरों का मास्टर प्लान बनाने में।

अलवर के मास्टर प्लान के बारे में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यहां जिक्र किया था, मैं आपसे इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि एक केपीटल रीजन योजना थी और वह केपीटल रीजन योजना इसलिए थी कि दिल्ली के अन्दर बहुत ज्यादा आबादी नहीं बढ़े। और अलवर, तिजारा, बहरोड़ जिस क्षेत्र में आते हैं वहां पर वह आबादी रह सके। वहां पर बिल्कुल अच्छी तरह से मास्टर प्लान बनाना चाहिए। आज कितने साल

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हो गये इस केपीटल रीजन योजना को बने हुए, 15 वर्ष से अधिक हो गये पर इस 15 वर्षों में इस शहर का मास्टर प्लान तक नहीं बना। नतीजा यह है कि वहां से जितनी धनराशि आनी चाहिए वह नहीं आयी और आ भी नहीं सकती है क्योंकि आपके पास कोई योजना नहीं है, आपके मास्टर प्लान नहीं है और जो प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत पैसा आता है वह बड़े हैपहैजर्ड तरीके से खर्च हो रहा है। तो जब तक आपका मास्टर प्लान बनेगा तब तक आप करोड़ों रुपये हैपहैजर्ड तरीके से खराब कर देंगे और जो अच्छी प्रकार से इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए प्रयास होने चाहिए, लोग दिल्ली न जाकर यहां पर बसने चाहिए वह नहीं बस सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बस एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि विस्तार और विकास दोनों में एक बड़ा अन्तर है। हमारा जे. डी. ए. जहां विकास पर ध्यान न देकर विस्तार पर ध्यान दे रहा है। जयपुर कितना बढ़ जाना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली को चिन्ता है कि दिल्ली ज्यादा न बढ़ जाय उसी प्रकार जयपुर को यह चिन्ता करनी चाहिए कि जयपुर ज्यादा न बढ़ जाये। इसलिए जयपुर के आसपास के गांव हैं उनको बढ़ाना चाहिए सारा रुपया है यह आसपास के इन गांवों पर खर्च करिए। गांवों में सुविधा पहुंचाइये जिससे गांवों के अन्दर लोग रहें और अननेसेसरी जयपुर के अन्दर ज्यादा वृद्धि नहीं हो। परन्तु जे.डी. ए. के कभी इस पर नहीं सोचने के कारण इतनी सारी गन्दी बस्तियां, कच्ची बस्तियां, यह जो हमारी नीतियां हैं उसके परिणाम स्वरूप ही बढ़ रही हैं। क्योंकि यह न तो नक्शे पास करती है न जमीन अलॉट करती है। जो मकान बन गये हैं, अवैध बन गये हैं उनको तोड़ने की बात है वह भी नहीं करती है। तो एक प्रकार से जो हम विकास की बात करते हैं वह कहीं नहीं होता है। जयपुर शहर के किसी आदमी से पूछ लीजिए तो वह यही कहेगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण का क्या काम है? नक्शे पास करना और वह भी नहीं करता है या जमीन अलाट करने का काम है वह भी नहीं करता है। इनको यह सोचना चाहिए कि हम विकास किस प्रकार करें, हम ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार सुविधा दें। कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कहीं सड़कों पर डिवाइडर बना दिये जाते हैं। आज गलत बना दिये तो कल तोड़े जा रहे हैं। इसके बारे में मास्टर प्लान बनाकर विकास पर ध्यान दें, विस्तार पर नहीं। पृथ्वीराज नगर योजना की बात है। 15 किलोमीटर दूर तक आज आपने पट्टे लगा रखे हैं जयपुर नगर संकुलन सीमा। उस जगह के लिए न तो आपके पास पैसा है, न प्लानिंग है और छोटे-छोटे जो गांव वहां बसे हुए हैं उनको न तो पंचायत का लाभ मिल रहा है और न जे. डी. ए. का लाभ मिल रहा है न उनकी जमीन आप एक्वायर कर रहे हो और उस क्षेत्र को पिछड़ा बना रखा है। मेरा निवेदन इतना ही है कि इसके बारे में ध्यान दिया जाय।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतनी विसंगतियों के बाद आप मांग का समर्थन कर रहे हैं, आपको तो विरोध करना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो पुराने कारनामे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : यह तो सुझाव हैं पहले जो आपने कर दिये उसके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय नष्ट न करें। श्री इन्द्रसिंह पूनिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र और जिले से चुनकर आया हूँ वह विधान सभा क्षेत्र पीने के पानी के मामले में इतना पिछड़ा है कि न सतह पर पानी है न नीचे पानी है। चूरू जिले में 1981 की जनगणना के हिसाब से 855 गांव हैं लेकिन 1.4.90 तक 68 गांवों को अलाभान्वित बताया है। जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने बताया, कागजों में कुछ भी बतायें लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति है वह तो हम से छिपी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से निवेदन चाहूंगा कि जो 68 गांव है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर पंचायत समिति राजगढ़ के गांव बाकी हैं। आप सोचिए जिस विधान सभा क्षेत्र में इतने गांव पीने के पानी से अलाभान्वित हैं उस तहसील के प्राणी, मवेशियों का क्या होगा ? हमारे क्षेत्र में इतना भयंकर खारा पानी है कि उस पानी को आप जीभ पर रख लें तो आपकी जीभ कट जायेगी। हम छोटे-छोटे टांकों में पानी इकट्ठा करते है और भगवान की मेहरबानी हो गयी तो टांकों में पानी इकट्ठा हो जाता है वर्ना 10-10 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। गंधेली-साहवा योजना बनायी गयी थी इन्दिरा गांधी नगर से पीने के पानी की। तत्कालीन पी. एच. ई. डी. मंत्री माननीय चन्दनमलजी ने उसको बनाया था लेकिन उन्होंने तारानगर तहसील के लिए उसको बनाया था। हम ने भी उन से निवेदन किया कि इस योजना में राजगढ़ तहसील, सरदारशहर, चूरू को शामिल कीजिए और उस योजना को आगे बढ़ाकर उसमें राजगढ़, तारानगर के कुछ गांव जो चूरू के पास है, सरदारशहर, नोहर के गांव भी शामिल कीजिए।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो गंधेली साहवा योजना फर्स्ट फेज थी उसमें सिर्फ तारानगर तहसील के 87 गांवों को शामिल किया था। फिर हमने विधान सभा के पिछले सत्रों में बार-बार उस योजना के एक्सटेंशन के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया और मैंने आग्रह किया कि कि उस गंधेली-साहवा योजना को मंजूरी दी जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंधेली साहवा योजना के सैकण्ड फेज की वित्तीय स्वीकृति 3.5.88 को जारी हुई थी और उसकी तकनीकी स्वीकृति 15.7.89 को दी गयी। मैं मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस योजना को 1977 में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था कम से कम आप एक बहुत ईमानदार और संवेदनशील मंत्री हैं कृपया उसको पूरा बजट दें। मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरी आपसे बात हुई है। कृपया उसको इतना बजट दें

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

जिससे कि आने वाले डेढ़ दो साल में राजगढ़ तहसील के बचे हुए 68 गांवों को पानी दे सकें तो आप धन्यवाद के पात्र होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि गंधेली-साहवा योजना से अकेले राजगढ़ तहसील के गांवों को ही पानी नहीं मिलेगा उससे चूरू तहसील के गांवों को भी पानी मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे जानकारी मिली है कि आपने इसके लिए वित्तीय साधन अलाट कराये हैं आपने यह भी आश्वासन दिया है कि इसमें वित्त की कमी नहीं आने दी जायेगी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इसको अन्यथा न लें मैं आपको अपनत्व से कह रहा हूँ। वहां से आप अच्छे-अच्छे अधिकारियों को मत हटाइये। हमारे यहां अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को आप अपनी साइड में खींच लेते हैं और हम उन अधिकारियों की सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। हम यह नहीं कहते कि आने वाले अधिकारी खराब हैं लेकिन उस योजना को प्रगति देने वाले अधिकारियों को हटा रहे हैं वहां से। एक्स. ई. एन., एस. ई., जे. ई. एन. को तुरन्त हटा रहे हैं। उससे पीने के पानी की भयंकर समस्या खड़ी हो जायेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले अधिकारी अच्छे नही हैं लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि हमने उनको बड़ी कोशिशों से लगाया था। एक एक्स. ई. एन. हैं देवीसिंह जी जिनको हम पिछले साल ही लाए थे लेकिन अभी तुरन्त प्रभाव से वे उनको आप ले गये। मैंने आपसे भी निवेदन किया था और आपने मुझे आश्वासन भी दिया था कि आप और बता दीजिए। मैं इतनी ही मांग करता हूँ कि आप किसी को भेजिये पर योजना को आप ज्यादा धन दिलाइए और गति दिलवाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने चार्ज सम्भाल लिया है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय मंत्री जी को अब मैं हमारी जो लोकल समस्यायें हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 88-89 में लगभग 1 करोड़ 2 लाख की लागत की मेरे यहां क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मंजूर हुई। जिसमें 6 गांवों को पीलिया, बघेला, इन्नासर, नांगला छोटी इनमें प्लांट तो लगा दिये गये हैं लेकिन माननीय मंत्रीजी, अभी तक वह चालू नहीं हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप विभाग को निर्देश जारी करें कि इतनी कीमत के आो. रो. प्लाण्ट जब लग गये हैं तो उनको चालू करायें ताकि जनता को पानी मिले। इसी प्रकार मिनी मिशन में भी पांच क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मंजूर की गयी थीं लेकिन जब हमने जानकारी चाही कि इन पर काम चालू क्यों नहीं किया गया तो यह बताया कि एप्रूवल के लिए भारत सरकार के पास जायेगा। तो मैं मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि चालीस लीटर वाली योजना है हमारे यहां तो वही चालू करवा दीजिए 70 की तो आप करते रहिए। इस योजना में नवा भोंसली, भम्भीन की एक योजना थी। इसी प्रकार से लीलावती, बैरासर, बलबंत खेड़ी, इसी प्रकार रावतसर, कुंजला एक योजना

(श्री इन्द्रसिंह पूनियां)

थी जो भारत सरकार से बड़े अथक प्रयत्नों से हमने पास करायी थी। लेकिन माननीय मंत्री जी, अभी तक इनका काम शुरू नहीं हुआ है।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

5 मिनट और, साहब। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन योजनाओं को चालू करवायें। इसी प्रकार से मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा। चूरू जिले में मेरे क्षेत्र में ही नहीं, चूरू जिले में डी. डी. पी. और एन. आर. ई. पी. में जो जी.एल. आर्स बनाये गये थे, माननीय मंत्रीजी डेढ़-डेढ़ साल, दो-दो साल हो गये, उनको पाइप लाइनों से विभाग द्वारा अभी तक नहीं जोड़ा गया है, तो यह बहुत ही गंभीर मसला है, इसलिए मेरा आपको यह सुझाव है कि आप विभाग को निर्देश जारी करें कि इन जी. एल. आर्स. को जोड़ा जाये। इसी प्रकार से माननीय मंत्रीजी, मैं आपको एक बात बताऊं। 16-6-90 को मैंने एस. सी. चूरू को एक डी. ओ. लैटर लिखा कि ग्राम सूरतपुरा, गिसलान, भाकरा, किरताण, लेसड़ी आदि के जो लोकल कुएं विभाग ने चालू किये थे, वह बन्द कर दिये गये हैं, कृपया आप उनको चालू कीजिए। माननीय मंत्रीजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह कुएं आज तक भी बन्द पड़े हैं और हमने जिलाधीश को भी लैटर लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। आप जरा सोचिये एक महीने से ऊपर होने को आया, 10 गांवों के कुएं बन्द पड़े हैं, इन गांवों के आदमियों की क्या हालत होगी। वहां के कर्मचारी नहीं है, जब पता लगाया गया, तो उन्होंने हमें यह बताया कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। माननीय मंत्रीजी, वन कर्मचारी नहीं हैं, तो कुएं कैसे चालू होंगे, इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को जब हमने इनफॉर्मेशन दे दी और डी. ओ. लैटर लिखा, उसके बावजूद भी कुएं चालू नहीं किये तो आप उन पर एक्शन लीजिए। कहीं ऐसा हादसा न हो जाये कि ग्रामवासी उमड़ पड़े और गोली और लाठी भी चल जाये। एक-एक महीने से कुएं बन्द पड़े हैं। अगर यह बात असत्य हो तो मैं सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैंने जिलाधीश को लैटर लिखा, मैंने कलक्टर को लैटर लिखा, मैंने एस. पी. को लैटर लिखा, इस प्रकार से अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी सवा-सवा महीने तक कुएं नहीं चलते हैं। सोचिये क्या हालत होगी, उन लोगों की।

एक माननीय सदस्य : फिर ऐसी गलती मत करना।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसी प्रकार से माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजगढ़ कस्बे में ओवर हैड टैंक जिनका हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप कुछ राशि दीजिए ताकि राजगढ़ कस्बे को भी पानी उपलब्ध हो। इसी प्रकार से आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, चूरू जिले में जितने भी स्रोत, स्थानीय स्रोत चालू किये गये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर स्रोत, आप निरीक्षण करवा लीजिए, बन्द पड़े हैं,

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

कर्मचारियों के अभाव में बन्द पड़े हैं। क्योंकि हम जब अधिकारियों से बात करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप बजट में प्रावधान कीजिए, ताकि कर्मचारी मिलें.....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य। श्री अजय सिंह।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : जब आधा घण्टा लोग बोले। 5 मिनट तो दीजिए। 5 मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट और।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : नहीं 2 मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : 2 मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, एक मिनट में समाप्त करिये आप।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो कुंए, या योजना बन्द पड़ी है, आप उनको कर्मचारियों के अभाव में बन्द मत करवाइये। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि बजट में आप ऐसा प्रावधान कीजिए, आप अपने विभाग को ऐसे निर्देश दीजिए, कि जो आदमी हैं, उनको लगाया जाये। अभी एक महीने पहले जो आदमी लिये गये थे, उनको हटा दिया गया। मैंने कहा, आपने क्यों हटा दिया, उन्होंने मुझे जवाब दिया हमारे पास बजट नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब उनके पास बजट था ही नहीं, तो उन्होंने लिये ही क्यों? अगर लगाये हैं तो पीने के पानी की योजनाओं में से महत्वपूर्ण कार्यों की योजनाओं में कर्मचारियों को नहीं हटाना चाहिये एक मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन और है। माननीय मंत्रीजी चूरू जिले में आप कहीं भी पता लगाइये, जो कुएं, स्थानीय स्रोत चल रहे हैं, उनकी मोटरें जल जाने के बाद में 10-10, 15-15 दिनों तक मोटरें बदली नहीं जाती, क्योंकि विभाग में यह प्रावधान नहीं है। 50 प्रतिशत मोटरें स्टेण्डबाई होनी चाहिये, ताकि एक मोटर जल जाये तो दूसरी मोटर लगायी जाये। लेकिन चूरू जिले के एस. ई. आफिस से हमने पता लगाया, उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। हमारे पास एक मोटर भी स्पेयर नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है 50 प्रतिशत मोटरें नहीं दे सकते, कम से कम 25 प्रतिशत मोटरें स्टेण्डबाई होनी चाहिये। एक मोटर मिल जाये तो एक कुआ चल जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बस चर्चा समाप्त। माननीय श्री अजयसिंह जी।

श्री अजयसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मांग संख्या 27 में पेयजल के सम्बन्ध में मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने बजट में भी, बजट पर चर्चा के दौरान भी एक बात कही थी कि राजस्थान में अकाल की समस्या सबसे गम्भीर समस्या है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में पीने के पानी की समस्या बहुत गम्भीर है। आज भी 30-40 गांव ऐसे हैं, जिनमें खारा पानी है, या पानी बहुत गहरा है और बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जिनमें जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। आज से ढाई तीन महीने पहले भारत के उप प्रधानमन्त्री चौधरी देवीलाल जी सीकर जिले के दो दिवसीय दौरे पर गये थे। उन्होंने 10, 15 ऐसे गांवों में अचानक जाकर देखा और गांव में ठहरे थे। उस दौरान गांव के लोगों ने कई समस्यायें उनके समक्ष रखी थी और उन्होंने राजस्थान सरकार के अधिकारियों की एक मीटिंग सीकर में ली थी और उन्हें यह निर्देश दिये थे कि पानी की समस्या आने वाली गर्मी में जहाँ पर इस तरह की गंभीर समस्या है, खारा पानी है, यहां पानी गहरा है, पानी का जल स्तर नीचे चला गया है, वहां पर पानी का प्रबन्ध कीजिए। सरकार के कर्मचारियों ने इसके बारे में कहा था कि आर्थिक समस्या हमारे सामने है और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से विशेष तौर पर सीकर जिले के लिए 97 लाख रुपये भिजवाये थे, जिससे छोटी, छोटी समस्यायें जो कुए से टंकी तक पाइप जोड़ने की थी, या बिजली की मोटर की थी या बिजली वगैरह की थी, ऐसी छोटी-छोटी समस्याओं के बारे में वह पैसा दिया गया था, ताकि उनका समाधान हो सके। लोगों को पीने का पानी मिल सके। अभी मैंने एक सप्ताह पहले पी. एच. ई. डी. के एक्स. ई. एन साहब से इस बात का पता लगाया कि जो पैसा आया, ढाई महीने पहले केन्द्रीय सरकार की तरफ से आपके यहां आ गया था, उसमें से कितना पैसा आपने लगाकर के लोगों को इस मामले में राहत दी है। तो एक्स. ई. एन. साहब का यह जवाब था कि वह पैसा हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते और उसके लिए हमने स्कीम्स बना कर सरकार के पास भेजी हैं। जब वह स्कीम अप्रूव होकर आयेगी, तब हम वह पैसा खर्च कर पायेंगे, वह पैसा इसलिए भेजा गया था कि तत्काल लोगों को फायदा मिल सके। आज भी उन गांवों में जहां पर चौधरी देवीलालजी गये थे और जिन गांवों के बारे में उन्होंने वह पैसा दिया और उनके बारे में यह कहकर गये थे। अधिकारियों की मीटिंग में कि इनको पीने का पानी तुरन्त दिया जाय, इनका समाधान किया जाय, परन्तु खण्डेला क्षेत्र के नहरों की ढाणी और निमेड़ा व दांतारामगढ़ के राजपुरा, धुलेपुरा इत्यादि गांव आज भी उसी समस्या से घिरे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, ढाई-तीन महीने का अरसा तो गुजर गया, लेकिन उन गांवों में अब पीने के पानी की समस्या का समाधान करें। इसके अलावा बहुत से और गांव है जिनमें पानी खारा है या जल स्तर काफी नीचे चला गया है। बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जिनमें पानी भी है, ट्यूबवैल भी लगे हुए हैं, टंकियां भी बनी हुई है परन्तु उनको ट्यूबवैल से,

(श्री अजय सिंह)

टंकियों से जोड़ा नहीं गया। बार बार अधिकारियों को कहा तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि हमारे पास पाइप नहीं हैं, हमारे पास बिजली की मोटर नहीं हैं, हमारे पास फलां चीज नहीं है। मैं मंत्री महोदय, से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस तरह के मामलों को जरा सीरियसली लेकर उनका समाधान करवायें। इस तरह के गांव हैं : पुनियाणा, ग्वालड़ी, गुमानपुरा, बेणियों का बास, नयाबास, बूढ़ियों की ढाणी, चकमिठाई, डांसरोली, जीणवास और माण्डोली। सीकर जिले में और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जल स्तर काफी नीचे चला गया है। उन गांवों में कुओं को या ट्यूबवेल्स को या हैण्ड पम्प्स को और गहरा करवाने के लिए सरकार तुरन्त आदेश दे ताकि वहां पेयजल की समस्या न रहे। ऐसी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा। सीकर जिले में दो ऐसे पाइण्ट हैं जहां पर अथाह पानी है। अगर उन दो जगहों से पानी निकालकर बाकी जगह सप्लाई किया जाय तो कम से कम सौ-डेढ़ सौ गांवों में उस जगह से पानी पहुंचाया जा सकता है। सीतालाब और दांदिया, जिनके बारे में राज्य सरकार ने विस्तार से जांच करवायी है, परीक्षण करवाया है। राज्य सरकार को अधिकारियों ने इस तरह की रिपोर्ट भेजी है कि यहां पर अथाह पानी है, इससे बहुत सारे इलाके की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि इस तरह का जमीन से नीचे जो बहुत सारा पानी है उसको निकालकर लोगों को फायदा पहुंचायें ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। मेरे चुनाव क्षेत्र में दो-तीन ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पर बड़े-बडे मेले लगते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, देश के कोने-कोने से वहां पर लोग पहुंचाते हैं। परन्तु वहां पर पीने के पानी की बड़ी गम्भीर समस्या है। जीणमाता एक ऐसी जगह है जहां पर जमीन में पानी भी बहुत है। जब भी किसी से बात की जाती है, किसी अधिकारी को कहा जाता है तो उसका यही जवाब होता है कि पाइप नहीं हैं हमारे पास या फलां चीज नहीं है। किसी भी छोटी-मोटी चीज के लिए इस तरह से अड़चन अड़ाकर लोगों को परेशान किया जाता है। जीण माता एक ऐसी जगह है जहां पर साल में दो मेले भरते हैं, लाखों लोग वहां इकट्ठे होते हैं और देश के कोने-कोने से लोग वहां आते हैं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसी जगह का ध्यान रखकर समस्या का तुरन्त समाधान किया जाय। इसी तरह से दस वर्ष पूर्व जब वहां की जनसंख्या 18 हजार थी, एक योजना बनायी गयी थी। आज वहां की जनसंख्या....

(5.55 सायं)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

बढ़कर 30 हजार हो गयी है, परन्तु उसी योजना के तहत लोगों को पानी दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उसका विस्तार करके लोगों की समस्या का समाधान किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपके माध्यम से

(श्री अजय सिंह)

निवेदन करूंगा कि इस तरह की जीवनोपयोगी चीजों की ओर मंत्री महोदय पूरी तौर पर ध्यान दें। आशा करता हूं कि इस समस्या का समाधान करवायेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मुझे पहले बता दें कि मुझे कितना समय देंगे ? घड़ी देख लें।

श्री सभापति : दस मिनट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली बार जब मास्टर प्लान बना तो उसमें कई चीजें देखी नहीं गयीं। अभी फिर मास्टर प्लान बनने वाला है। इसमें सभी परिप्रेक्ष्य को देखकर बनाने का विचार होना चाहिये, जिससे फिर बन जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आये। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे यहां एक बहुत बड़ी सन्तोष सागर कालोनी है। सिर्फ एक ही उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि उसमें वहां बागीचा दिखाया गया था, जब कि वह आबादी कालोनी थी। ऐसा कोई मेज पर बैठकर मास्टर प्लान न बने। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आमेर, सांगानेर और जमवारामगढ़ जैसे बड़े कस्बों से लोगों को शहर की ओर न आना पड़े इसके लिये सेटेलाइट टाउन बनाने के लिए योजना बननी चाहिए, यह मेरा आपसे कहना है। हमने नगरीय विकास के बारे में काफी कुछ सोचा लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। आवासन मण्डल ने सांगानेर में कुछ कस्बों की जमीन लेकर वहां आवासीय कालोनी बनाने का निश्चय किया। मकान बन गये हैं। पिछली सरकार उन मकानों को आवंटित नहीं कर पायी। जो मकान बन गये हैं, कालोनी बन गयी है उनको जिन-जिन के आवेदन हैं उनको दिया जाना चाहिये। जो ऋण लेकर आये हैं वह उतरेगा और जिनके मकान हैं उन्हें सुविधा होगी। जब मकान बन ही गये हैं तो उन्हें पड़े रखना, न देना कदापि उचित नहीं है। इसकी ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। मेरे यहां वन बिहार कालोनी है। उस वन बिहार कालोनी में जिन्होंने आवेदन किये उनको नहीं दिये। जो उसमें घुस गये उन्होंने उसमें रहने वाले, जिनके नाम वह आवंटित थे, लोगों को मारपीट कर बाहर निकाल दिया और उनको दूसरों के नाम अलाट कर दिया। मंत्री महोदय देखें। इस वन बिहार कालोनी में कहीं ऐसा न हो कि वहां आपाधापी, खून खच्चर हो जाय। पिछली सरकार ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं इसमें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मालवीय नगर अभी थोड़े दिन पहले बना, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां की सड़कें टूट गयीं, कोई भी पार्क विकसित नहीं किया गया। यह आपको देखना है। पिछली सरकार तो जो काम छोड़ गयी वह छोड़ गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पार्कों का विकास हो, सड़कें ठीक बनें, लाइटें ठीक रहे आने-जाने के रास्ते हों। आप देखें, उन मकानों में कई मकान तो ऐसे हैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जिनको अभी जो दो-तीन दिन बरसात आयी उसमें नजर लग गयी। उसने इन मकानों को छुआ दिया। बड़ी परेशानी है।

(6·00 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष, पदासीन)

एक बात और कहना चाहूंगी। न मालूम क्या सोचकर इन कालोनीज में जो गटर लाइन है....

उस गटर लाइन को इस नागतलाई के नालों में डाल दिया गया और इसी तरह नगर वाली भी वहां पर नाले में डाल दी गई। इसके मल निकास के बारे में योजना नहीं बनी और जो जो हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज के घटक वहां थे उनको इन नालों में डाला गया। दिक्कत यह है कि वहां पानी के कुएं हैं जिनसे जल सप्लाई होता है उन जगह से तत्काल रुप से उस मल के निस्तारण को बन्द कराकर उसकी कोई योजना बनाकर काम करें। यह मेरा निवेदन है।

मैं कहना चाहूँगी कि हमारे वहां कच्ची बस्तियों के मामले में 1971 से पहले से एक आम बात चली आई है। 1971 वालों को अभी तक बाकायदा नहीं बसाया गया। 1981 वालों को नहीं बसाया गया, 1985 वालों को नहीं बसाया गया। 5 बार कांग्रेस की सरकार ने उनके लिये फार्म बांटे। फार्मों के रुपये दिये लेकिन वो बेचारे भटकते रहे। समुचित विकास एक भी कालोनी ऐसी नहीं है जिसके लिए मैं कह दूं कि उसका समुचित विकास कर दिया गया है। आज शिविर लगाये जो वहां रहते हैं उन लोगों को मकान के पट्टे तत्काल रुप से दिलाएं। किसी के जन्म दिवस पर जैसे शिवचरणजी माथुर जो यहां पर नहीं हैं उनके 59वें साल गिरह पर 59 पट्टे दे दिये। इससे क्या होने वाला है ? मेरा निवेदन है सारे ताम-झाम हमारे यहां किये भी नहीं जाते, हम करेंगे भी नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इन सबको देखें....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मुझे 10 मिनट का टाइम दिया गया है। अभी 10 मिनट ही नहीं हुए हैं। मैं देख रही हूँ घड़ी को और घड़ी को देखकर बोल रही हूँ। नहीं, मैं 10 मिनट के बीच में घण्टी नहीं बजनी चाहिये। (व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगी कि श्यामपुरी हरिजन कालोनी है। रामपुरी के लिए जबाब आया क्योंकि वह सर्वेड बस्ती नहीं है अतः पट्टे नहीं देंगे। मैं समझती हूं जे. डी. ए. ने ऐसा अनुत्तरदायित्वपूर्ण जबाब दिया, इसको आप देखेंगे। मण्डी खटीकान में लगी हुई लक्ष्मीनारायणपुरी, मण्डी खटीकान यह एक विस्तार की योजना है वहां होना चाहिये। जब जयपुर बसा उस समय का मण्डी खटीकन, डाकोतान और रामपुरी कालोनी है। मैं समझती हूँ। यह उत्तर कदापि उचित नहीं है। इस तरह से आप कच्ची बस्ती जो 337 है उनके विकास की योजना बनाये। जे. डी. ए. के बारे में मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहना चाहूँगी कि जे. डी. ए. को भंगकर देना चाहिए। इसके रहने की कोई उपयोगिता नहीं। जिस तरह से जब से जे. डी. ए. बना है, जयपुर की छवि बिगड़ी है लोगों ने पैसे बनाये हैं अगर आप वहां के कर्मचारी, अधिकारियों के पैसों की जांच करें तो आपको अन्दाज होगा कि उन्होंने शहर को लूटा है, खराब किया है और काम नहीं किया है। मैं निवेदन करूंगी कि नगर निगम बनाने में क्या दिक्कत है? नगर निगम बनाना चाहिये। राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी में नगर निगम नहीं है। आप चुनाव कराने जा रहे हैं, आप नगर निगम के चुनाव कराएं और जो कृषि भूमि में बस्तियां बनी हुई हैं, उनका आप विकास करें। बन तो गई उनमें रुपये की बात हमने कही कि उनका विकास शुल्क लिया जाना चाहिए। नियमन के पैसे 1982 में जमा हुए उनका ब्याज लगा लीजिये। उस ब्याज में से 25 रुपया प्रति वर्ग गज काटकर बाकी वहां के विकास में लगाकर आप उन बस्तियों का विकास करें तो मैं समझती हूँ 40000 आदमियों को राहत मिलेगी जो रोज जूते चटकाते हुए जे. डी. ए. के चक्कर काटते हैं और राहत उनको नहीं मिलती।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन-इन क्षेत्रों में इन लोगों ने, इन सोसाइटी वालों ने जो पार्क की जमीन थी वो बेच दी, सड़कों की जमीन बेच दी, स्कूल, अस्पताल की जमीन बेच दी। अगर हमने विलम्ब किया तो यह बात सच है कि बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। मैं निवेदन करना चाहूंगी पानी के बारे में।

श्री अध्यक्ष : 2 मिनट बचे हैं आपके।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां मुझे मालूम है। अपना अन्तिम क्षण याद आता है...

श्री अध्यक्ष : और 41 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो एक क्षण लिया है। मेरा उसको आप काउण्ट नहीं करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूँगी जमुआरामगढ़ के पानी के बारे में मैंने मार्च में प्रश्न रखा था। उत्तर यह दिया कि समुचित पानी दे रहे हैं जबकि समुचित पानी नहीं है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आते ही जयपुर में 200 हैण्ड पम्प की घोषणा करके गली-गली में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन यह नाकाफी है। मेरे ही इलाकों में मैंने जब लिस्ट बनाई तो 1980 की लिस्ट अनायास बन गई और 20 की लिस्ट और आ गई। गांवों में भी पानी की बहुत सख्त जरूरत है। जयसिंहपुरा खुर्द, भानपुर कलां नायला और राहोली ऐसे गांव हैं जिनमें पानी नहीं है, आप योजना बनायें। बड़ी उदारता पूर्वक जमुआरामगढ़ का पानी, ढूंढ नदी से कुओं का पानी, जयसिंहपुरा खुर्द से पानी आपको लेने दे रही हूँ जबकि बांडी वालों ने आपको घुसने नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि बीसलपुर योजना के बगैर हमारी....

श्री अध्यक्ष : विराजिए । बाबूलाल खांडा ।

प्लीज सिट डाउन ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बीसलपुर योजना को लागू कीजिए जिससे पानी की पूर्ति हो ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप । श्री बाबूलाल खांडा ।

श्री बाबूलाल खांडा (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, जलदाय और इसके निवारण के सम्बन्ध में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन कुछ मेरे निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ की प्यासी जनता की पीड़ा की अनुभूति भी है और अनुभव भी है । मेरी इस पीड़ा को हमारे माननीय मंत्री जी ने माना है । मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ लेकिन अभी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है । मैं तो यों कहूँगा कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की । चुनाव के बाद में जब मैं गांवों में गया तो मुझे लगा कि मेरा क्षेत्र पानी के मामले में बड़ा दुर्भाग्यशाली है । मैंने गांवों की सूची बनाई । 108 गांवों में मेरे सूरतगढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या है जिनमें 51 गांवों में गंम्भीर समस्या है । मैंने सभी अधिकारियों को जो सूची मैं आपको दिखा रहा हूं दी है । जिलाधीश महोदय को मैंने यह दी है लेकिन देखिये उन्होंने मेरी इस सूची को इस कारण से नकारा कि मेरे अन्त में सिग्नेचर छूट गये भूल से । विधायक ने साइन करके मुझे नहीं दी तो उन्होंने टोकरी में डाल दी इसे यहां बड़े अधिकारीगण बैठे हुए है । मैं सभी अधिकारियों से मिला हूँ, सूची दी है । मेरे कुछ ऐसे गांव थे जहां गम्भीर संकट था । 50-50 लोग मेरे यहां आए कि आप यहां क्या कर रहे हो । (व्यवधान) तो हमारे चीफ इंजीनियर ने तो शक्ल-सूरत से मुझे देखा कि विधायक ही नहीं है तो पहले तो मिलने का ही समय नहीं दिया । मैंने कहा कि मैं विधायक हूं, आइडेन्डी कार्ड अभी मेरे पास है नहीं । फिर एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब से मिला (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : मजाक का विषय नहीं है ।

श्री बाबूलाल खांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक बेरला गांव है । उस गांव की मोटर चुरा ली गई । अब मोटर चुराने के बाद में आप अनुभव कर सकते हैं । कि गांव पानी कैसे पियेगा । बेरला गांव का पानी बड़ा खराब है । गर्मियों में हैजा भी फैलने की सम्भावना थी । मैंने इनसे निवेदन किया कि मोटर रेस्टोर करें । नहीं हुई, फर्ट गांव में धोकलकावास से पानी आता है । 4-5 महीने से मशीन कुए में गिरी हुई है । मैंने अधिकारियों से निवेदन किया कि इसको निकालें और रेस्टोर करें, पानी चालू करें ताकि फर्ट गांव प्यासा नहीं मरे । पर कोई ध्यान नहीं दिया । जिलाधीश महोदय का तो मैंने बताया था कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी । मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया । कोई गलत काम नहीं किया । जनता के काम नहीं होंगे तो मैं लड़ूंगा । तो मैंने उस तरह की उग्रवादी लड़ाई शुरू नहीं की, पूर्णतया अहिंसक और सत्याग्रह जैसा कार्य मैंने शुरू

(श्री बाबूलाल खांडा)

किया। अब जिलाधीश और उच्चाधिकारियों को पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि यह इसने क्या कर दिया, इसको असत्य करार दिया जाय। फिर खुद जिलाधीश महोदय ने अधिकारियों से कहा कि आप रिपोर्ट लाओ और यह सिद्ध करो कि यह असत्य है, 108 गांवों की सूची दी है यह असत्य है। खेतड़ी के एस. डी. एम. ने 10-15 सरपंचों से साइन करवा कर, साइन भी उन सरपंचों से करवाये जहां गम्भीर संकट है उनके साइन करवाये और यह कोशिश की गई कि हम इससे दब जायेंगे। लोग आने लगे बसों में भर भर कर, 100-100 लोग गिरफ्तारी देने लगे तब पता चला कि मामला गम्भीर है। यह तो अकेला अन्दर बैठ गया है फिर यह क्यों आने लगे हैं। अब देखिये किसी भी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मेरी सच्चाई दबी नहीं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो हमारे बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर भेजा कि भाई, हम मान लेंगे सब मांगें—उनमें एक हमारे परम आदरणीय श्री देवीसिंहजी भाटी थे, जिनसे मेरा पुराना सम्बन्ध है और दूसरे हमारे युवा साथी श्री राजेन्द्रसिंह जी राठोड़। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं यह अनशन समाप्त कर दीजिये। श्री भाटी साहब ने तो मेरे यहां विशाल भीड़ में कहा कि मैं सूरतगढ़ क्षेत्र को गोद लेता हूं, सारे कार्य में करवाऊंगा। यह भी उन्होंने कहा। अब देखिये फिर उसके बाद कार्यवाही क्या होती है लीपापोती हुई, एक ड्रामा किया गया और वह क्या किया गया मैं अर्ज करता हूं। 10-15 ऊंट गाड़े उमा की ढाणी में जिनमें बहुत कम लीटर पानी आता है भेज दिये, घाड़ौत में भेज दिये। अब देखिये इनकी कितनी संवेदनहीनता है, कितने संवेदनहीन बन गये हैं कुए की खेली में पानी के गाड़े डाल गये जहां कुत्ते छलांग मारकर तैरते थे, मरो और पीओ। हुकमा की ढाणी में, कोपर प्रोजेक्ट के पास जो कुआ था, जिसमें एसिड मिली हुई थी, उसकी टंकी भर कर भेज दी गई। गांव के लोग मुझसे मिले कि बच्चों के दस्त हो गये हैं और दूध फट रहा है, यह क्या गड़बड़ हो गई। आपकी भूख-हड़ताल से उल्टा कैसे हो गया मामला, हम तो समझते थे कि भूख-हड़ताल से अच्छा होगा पर यह उल्टा कैसे हो गया ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मिनट लूंगा साहब। बीच में व्यवधान हो गया। प्लीज एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप मीठा बहुत बोलते हैं, मैं तो सुनना चाहता हूं लेकिन समय की पाबन्दी है।

श्री बाबूलाल खांडा : सर, एक मिनट लूंगा। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : जिलाधीश नहीं, जिला कलक्टर कहो, कोई भगवान थोड़े ही हैं ये। जैसे–द्वारकाधीश। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल खांडा : फिर ड्रामा क्या किया गया–हैंण्ड पम्प खुदवाये। मैं अर्ज

(श्री बाबूलाल खांडा)

करना चाहता हूं कि एक मशीन सिघाना में आई दूसरे दिन भाग गई। लोगों ने कहा कि क्या इसके पंख लगे हुये थे, रात को दर्शन हुए थे और सुबह कहां गायब हो गई। मेरा पड़ौस के क्षेत्रों से कोई विरोध नहीं है उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन भूख-हड़ताल मैं करूं और खेतड़ी में हैण्ड पम्प खुदे यह क्या मजाक हुआ? इस तरह की सारी चीजें हैं यह मेरी भूख-हड़ताल का परिणाम है।

दूसरा सुझाव देना चाहूंगा हमारे यहां खेतड़ी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रोज-गार का भी बड़ा साधन है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारा दुर्भाग्य यह है कि 80 प्रतिशत जो लोग हैं वह बाहर के हैं केवल 20 प्रतिशत हमारे हैं। और इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे क्षेत्र का सारा पानी खारा हो गया, खेती बिगड़ गई, इसकी लाख गैलन पानी की रोज की रिक्वायरमैण्ट है, जमीन के अन्दर का पानी पूरा इसने खींच लिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को चलाना है तो इसके लिये पानी की व्यवस्था हो, कोई नहर लाई जाय। पहले मैंने सुना था कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास हुआ था, हरियाणा से जवाहर नगर से पानी लाने के लिये लेकिन वह योजना ठप्प पड़ गई। इसलिये मेरी यह मांग है कि कोई नहर जब तक नहीं आवेगी मेरे क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होगा या फिर इस प्रोजेक्ट को बन्द करना होगा, हार्ड रॉक एरिया है उसमें लीपापोती से काम नहीं चलेगा। बालोठ गांव में मेरी भूख हड़ताल के बाद में नल-कूप लाने के लिये मशीन गई, जे. ई. एन. जो हाइड्रोलोजिस्ट नहीं है, जबर्दस्ती उसने गांव वालों को पाइन्ट दे दिया जहां पहले ही खारा पानी था। 2-3 लाख रुपये सर-कार के खर्च हो गये। मैंने माननीय मंत्रीजी को रात को फोन पर बतलाया कि मेरे यहां गांव से पानी की बोतल आई है आप कहें तो रात को भिजवा दूं। तो उन्होंने कहा कि रात को नहीं सुबह भिजवा देना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह बोतल पानी की थी या और...

श्री बाबूलाल खांडा : यह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वैसी चीज नहीं थी उससे भी भयानक चीज थी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मिनट। उसके लिये मैंने कहा कि उस जे. ई. एन. को सस्पैण्ड करिये जिसने सरकार को इतनी हानि पहुंचाई है। उसका स्थानान्तरण कर दिया गया लेकिन आज भी हमारे परम माननीय जिलाधीश चीफ इंजीनियर को और बड़े अधिकारियों को टेलीफोन कर रहे हैं कि इसका स्थानान्तरण कैंसिल करिये। जिसने ढाई-तीन लाख रुपये की सरकार को हानि पहुंचाई। अब देखिये यह सारी चीजें हैं। (व्यवधान) नहीं भाटीजी तो पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो मेरी पीड़ा बता रहा हूं।

मेरा निवेदन यह है कि जो दुबारा मेरे बालोठ गांव में मशीन लाकर पाइन्ट

(श्री बाबूलाल खांडा)

खुदवाया जा रहा है, हार्ड रॉक ग्रा गई है, क्योंकि ग्राज ही मेरे पास गांव वाले ग्राये हैं ग्रौर उन्होंने कहा है कि 100-50 फीट खोद दिया गया है ग्रौर वह जा रहे हैं पानी ही नहीं मिलेगा इससे तो हम गांव वालों को। मेरा निवेदन है कि इन ग्रधिकारियों के पास बालोठ में जो दुबारा वोर किया जा रहा है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कितना फीट किया गया ग्रौर पानी कितना डिस्चार्ज हुग्रा, पानी कैसे निकलेगा, पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ग्रौर यही कारण है कि यह जगह-जगह ग्रसफल रहते हैं ग्रौर खर्चा लगता रहता है। इस प्रकार की बहुत सारी मेरे क्षेत्र की प्राब्लम्स हैं इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी मेरे प्रति सहानुभूति हुई है ग्रौर मेरे प्रति जो सहानुभूति हुई है उसे ग्रौर गहराई से ले जायं ताकि मेरे क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान हो। ग्रापने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष :श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 ग्रौर 29 पर चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या इस राजस्थान के लिये एक भयंकर समस्या बन गई है ग्रौर इतनी भयंकर समस्या बन गई है जो कभी बांध बनाते थे वह 100 पर्सेन्ट वाटर सिंचाई के लिये काम में ग्राता था, परन्तु ग्राज स्थिति यह हो गई है कि वह पर्सेन्टेज बढ़ते-बढ़ते 100 पर्सेन्ट वाटर पेयजल के लिये दिया जा रहा है। फिर भी पेयजल की समस्या हल नहीं हो पा रही है। यह बात नहीं है कि राजस्थान सरकार ने पेयजल की समस्या पर ध्यान नहीं दिया है या उसके निवारण के लिये उपाय नहीं किये हों। लेकिन, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से रकम इस योजना के ग्रन्तर्गत खर्च की जाती रही है, हर साल बढ़ती रही है लेकिन उसका परिणाम नहीं ग्राया। मैं समझता हूं कि जो ग्रधिकारी लोग इस काम में लगे हुये हैं वह इसके लिये दोषी हैं। उनके यह बात मन में नहीं रह गई है कि लोगों को पानी की सप्लाई करनी है या नहीं, सुविधाएं मुहैया करानी हैं या नहीं, उनके सामने यह बात ग्रा गई है कि हमें ग्रांकड़े पूरे करके देने हैं। ग्रपने रिश्तेदार, ठेकेदारों के घर भरने हैं, उनका फायदा करना है। ग्राज यह व्यवस्था इस पेयजल योजना में ग्राकर रह गई है।

ग्रभी पिछली गर्मियों में राजस्थान सरकार ने कन्टेनजेन्सी राशि दी थी, कुछ जिलों में हैण्ड पम्प खोदे जायं। पंचायत समितियों में मीटिंग्स हुई थीं, हम लोग भी मीटिंग्स में गए थे, हमारे जिले की तो मैं जानता हूं हर पंचायत समिति में 14-14 हैण्ड पम्प सैंक्शन हुए थे लेकिन ग्राज बारिश हो गई, महीने गर्मियों के गुजर गये ग्राज तक वह हैण्ड पम्प नहीं खुदे हैं। एक मंत्री महोदय, ग्राप जानकारी कर लीजिये, ग्रापके बडे-बड़े ग्राफिसर्स बैठे हैं, फाइल मंगवा लीजिये ग्रौर रेकार्ड देख लीजिये कौन-कौन से स्थान हैं, कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं ग्रौर ग्राप एक टीम बना-

(श्री जुबेर खां)

कर उनका निरीक्षण करवा लीजिये कम से कम 20-25 प्रतिशत ऐसी टंकियां गांव में मिलेंगी जो केवल कागजों में खाना-पूर्ति के लिये है। एल. एस. आर. की टंकी बना रखी है, हैण्ड पम्प बना रखे हैं लेकिन वह मौके पर नहीं मिलेंगे यह जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप चाहें तो गांवों के नाम और सब कुछ आपको नोट करा सकता हूं। मैं ऐसे जिला अधिकारियों के बीच में बैठता हूं उनके यहां देखा है, एक्स. ई. एन. श्री पी. एल. बुगालिया से सम्बन्धित मामले के दस्तावेज मैंने आपको दे दिये हैं और आपने कहा है कि मैं जानकारी करवाऊंगा। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता है कि इनकी अनियमितताओं और गम्भीर घोटालों के आरोप लगाये हैं। अगर आपने उनके खिलाफ जांच करवा कर कार्यवाही नहीं नहीं की तो मैं इस सदन के माध्यम से उस पर चर्चा करवाऊंगा और अध्यक्षजी के भी नोटिस में बात लाना चाहूँगा। जब तक आप ऐसे अधिकारियों को बचायेंगे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप जो पैसा भेजते हैं गरीब जनता के लिये, पानी मुहैया कराने के लिये, आज गांव में स्थिति यह है कि औरतें डेढ़-डेढ़, दो-दो किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाती हैं और आप जो पैसा जनता के लिये भेजते हैं वह पैसा उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे जितने भी दोषी चाहे अधिकारी हो चाहे राजनीतिज्ञ हो, उनके खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो आप कुछ कर पायेंगे वर्ना कुछ होने वाला नहीं है और ना कुछ कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी कुछ पेयजल योजनायें हैं दो दो साल से टंकी बनी पड़ी हैं उनके बोरिंग हुए हैं, बिजली की लाइन खींची हुई हैं लेकिन वहां से पाइप लाइनों से उन गांवों को नहीं जोड़ा जा रहा है, कस्बों को नहीं जोड़ा जा रहा है। इससे किसका नुकसान हो रहा है, इससे सरकार का नकसान हो रहा है। जब दो-दो साल बाद उन बोरों में दुबारा से मशीन चलाने की कोशिश की जाती है उनमें मिट्टी आ जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अलवर जिले के गोविन्दगढ़ कस्बे में आगरा गांव में एक स्कीम है। जहां दो-दो हैण्ड पम्प बोरिंग किए गए हैं। आज दो साल बाद जब चलाने की स्थिति आई तो उनमें से मिट्टी आने लग गई। इन्जीनियर कहते हैं कि कम्प्रेशन मशीन लेकर आयेंगे। उनकी मशीन आने से पहले बारिश आ जाती है क्योंकि पानी की वजह से कीचड़ भर जाता है, गांवों के रास्ते खराब हो जाते हैं, मशीनें जा नहीं पाती।

ऐसे मैंने आपको उदाहरण दिए हैं उस दस्तावेज में कि जहां आपकी मशीनें मौजूद हैं, वहां प्राइवेट ठेकेदारों से दुगुने पैसे देकर हैण्ड पम्प खुदवाए गए। और तो और आर. एस. ई. बी. का डिपार्टमेंट जब लाइनें खींचता है उससे दुगुनी, तिगुनी कीमत प्राइवेट लोगों से बिजली की लाइनें खिचवाई जाती है। इसके ऊपर आपको

(श्री जुबेर खां)

ध्यान देना होगा। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में आप नोट कर लीजिए, रामगढ़, अलावदा, पिपरोली, तालेडा, सलालपुर, सोमड़ी तमाम वह गांव हैं जहां दो-दो साल पहले नलकूप लगाकर बिजली की लाइनें लग रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मोटरें फीट हुई पड़ी हैं लेकिन पाइप लाइन नहीं जोड़कर गांवों को पानी नहीं दिया जा रहा है। आप इसको भी नोट कीजिए।

एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं। जो हैण्ड पम्प सरकार ने लगवाए हैं। तमाम गांवों में खूब हैण्ड पम्प लगवाए हुए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भी लगे हैं, हरिजन बस्तियों में भी लगे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा कि कितने हैण्ड पम्प आज चल रहे हैं। आप लोगों ने महावीर जी के यहां एक वक्तव्य दिया था कि 15 अप्रेल तक तमाम हैण्ड पम्प ठीक हो जायेंगे। आज आपके सदस्यों से ही पूछ लीजिए। उनके क्षेत्रों में कितने-कितने हैण्ड पम्प ठीक हुए। अगर आप कोई वक्तव्य देते हैं तो उस पर अमल कराइये। वरना आपसे ऊपर के मंत्री और मुख्य मन्त्री भी कोई बात कहेंगे और वह बात पूरी नहीं होगी तो जनता का नेता और अधिकारियों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। यही बात आप कहिए मन्त्री जी, जो आप कर सकते हैं। आज आधे से ज्यादा हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। सरकारी पैसा चाक होकर पड़ा है। इसकी आप व्यवस्था कीजिए। आगे आने वाले समय में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा समय मिलेगा। जो कन्टेन्जेंसी जरूरत पड़ रही है इमरजेंसी नहीं पड़ेगी पानी के मामले में आप तमाम हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था करें ताकि आगे आने वाले सालों में इसका उपयोग किया जा सके।

मैं मन्त्री जी एक बात और कहना चाहूंगा। यू. आई. टी. के सम्बन्ध में, जे. डी. ए. के सम्बन्ध में आज जो अतिक्रमण हो रहा है इसे कोई और नहीं करवाते हैं। इसे यू. आई. टी. और जे. डी. ए. के जो इन्सपेक्टर और अधिकारी हैं वहीं करवाते हैं। पन्द्रह साल तक उनकी आंख के नीचे कमीशन से लेकर मकान और दुकानें बनाते रहे और 15 साल बाद आपकी सरकार चेतती है कि इन अतिक्रमणों को हटाओ और 15-15 साल से बने मकानों और दुकानों को तोड़ जाते हैं और वही लोग तोड़ते हैं जो पैसे लेकर बनवाते हैं। मेरा इसमें एक सुझाव है अगर आपको अतिक्रमण रोकना है तो आपको यह जिम्मेदारी निर्धारित करना पड़ेगी। चाहे इन्सपेक्टर लेबल पर करिये चाहे किसी भी अधिकारी लेबल पर कि उसके एरिये में अगर कोई अतिक्रमण हुए, 6 महीने या साल भर की सीमा निर्धारित कर दीजिए और मीटिंग लीजिए कि इस दौरान में कहीं अतिक्रमण हुआ या नहीं। अगर वहां अतिक्रमण होता है तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए। मैं कहता हूं अतिक्रमण रुक जाएगा। मेरा आपको यह सुझाव है।

(श्री जुबेर खां)

क्योंकि आज होता यह है कि अतिक्रमण हो जाते हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती इसलिए लगातार होते

(समय-समाप्ति-सूचकघण्टी)

चले जा रहे हैं। मैं एक बात और निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दस मिनिट हो गए आपको। तीन मिनिट आपको एक्स्ट्रा दे दिए। ऐसा है एक मिनिट और बोलें आप।

श्री जुबेर खां : हम पहले यही सोच रहे थे कि हमारा जब भी नम्बर आता है आप आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज आपको भी जानकारी है जब आप विपक्ष में थे तो आपके बड़े बड़े स्टेटमेंट हम पढ़ते थे। जे. डी. ए. में जो आवासीय कालोनियां हैं जैसे विद्याधर नगर वगैराह हैं, लोगों से पैसे ले लिए हैं, जमीन आवंटित कर दी है लेकिन आज तक कब्जे नही दिए गए हैं। वहां डिस्प्यूट। प्राइवेट लोगों ने कब्जे कर रखे हैं आप इसकी भी व्यवस्था कीजिए कि नियमानुसार जो आप लोगों ने आवंटन किए हैं और लोगों ने पैसे जमा करा दिए हैं और उनको कब्जा नहीं मिल रहा तो कब्जा दिलाना सरकार का काम है, आपका काम है आप उनको कब्जा दिलाइये।

आदरणीय मंत्रीजी, मैं तो अन्त में वही निवेदन करूंगा कि भैरोंसिंह जी ने कहा था कि जे. डी. ए. का अगर मुझे इन्चार्ज बना दें तो मैं 100 करोड़ों रुपए की सरकार को आमदनी करा सकता है। आज जे. डी. ए. तो क्या पूरे राजस्थान का मालिक आपको बना दिया गया है जनता ने। आज जनता और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो खोखले नारे आप यहां पर बैठकर दिया करते थे उनको कम से कम दस प्रतिशत तो लागू कर दीजिए। अगर दस प्रतिशत भी आप लागू कर देंगे तो आपके 90 प्रतिशत को लोग भूल जायेंगे। लेकिन आज दुःख की बात यह है कि जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज है। उसमें कोई फर्क नहीं आया है। आपके माननीय सदस्य चाहे कितना ही राजनैतिक भाषण दे लें कि चालीस साल में यह किया और आपके लोगों ने क्या किया यह सब जनता सुनने को तैयार नहीं है। जनता आपसे परिणाम चाहती है। अगर आप परिणाम देने में सक्षम हैं, परिणाम दीजिए। हर बात को इससे डाइल्यूट मत कर दीजिए कि चालीस साल में क्या हुआ है। जनता ने आपको चुना है, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। आज हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि विपक्ष में बैठकर आपने जो बातें कही थी उनको पूरा करेंगे। अभी तक क्योंकि नई सरकार बन रही है, हम भी इस हक में नहीं हैं कि बहुत ज्यादा आरोप लगायें। लेकिन अगली बार जब सत्र चलेगा हम भी जागरूक होकर बैठे हैं अगर कहीं देखा आपने वायदा खिलाफी की, आपने सदन में जो घोषणाएं की वह पूरी नहीं हुई तो फिर हम आपके सामने डटकर मुकाबला करेंगे। यही मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार ।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बाली विधान सभा क्षेत्र के पानी के लिए जिक्र करूंगा । बाली के अन्दर जो पानी की पाइप लाइन बिछाई जाती है और बिछाने के बाद जो गड़-बड़ होती है वह मैं आपको बताऊंगा मंत्री महोदय नोट करें । जो पानी की लाइन बिछाते है उसी पानी की लाइन से जो नल लाते हैं और नल लाने की जो प्रक्रिया है, होना तो यह चाहिये नल ऊपर से पाइप देना चाहिये और हमारे वहां पर नल का कनेक्शन नीचे से देते हैं उससे पानी आगे तक जाता है ऊपर से लेते हैं उनको पानी बहुत कम जाता है । होता क्या है पानी आगे जाता रहता है और आगे जो मकान आते हैं वहां पानी जाता ही नहीं है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है और पैसे खाकर काम करते हैं । इसका कारण यह है कि वास्तव में जो कनेक्शन होना चाहिये वह इस ढंग से होना चाहिये कि ऊंचे से पानी आने के बाद उसका छेद रहता है बड़ा और उसमें पानी बहुत ज्यादा जाता है । इसको रोका जाये ।

श्री अध्यक्ष : आप नीचे ऊपर समझा दीजये ।

श्री अमृतलाल परमार : पाइप लाइन नीचे से पानी बहता है उससे पानी अधिक मात्रा में जाता है । जो लेबल होता है पानी का वह नीचे ही होमें हैं ।यह प्रेक्टिकल है । इसी प्रकार लो नल लगे हैं डाइरेक्ट मोटरें लगी हुई हैं उन मोटरों को रोका जाये । क्योंकि नल का पानी वह मोटर खींच लेती हैं । इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है । उन मोटरों को रोका जावे इसमें आफिसर लोगों की नीयत खराब है । उसमें भी वह पैसा खाते हैं । बरसात के अन्दर अभी बहुत-सी पानी की लाइनें बह गई जब वहां पानी की समस्या होगी और बरसात होने को सम्भावना होगी तब ठीक करेंगे । साल-साल भर लोग रोते रहेंगे ।

इसी प्रकार से पानी के अन्दर जो दवाई डालते हैं उन दवाइयों को भी कितनी मात्रा में डालना चाहिये, कितनी मात्रा में नहीं डालना चाहिये जिससे लोग काफी बीमार पड़ते हैं । इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिये ।

लोगों ने घर के बाहर पानी की टंकियां बना ली है । जिस मकान का लेवल दलान में नीचे टंकिया बनी हुई है जिसके कारण आगे पानी जाता नहीं है । इसके अन्दर भी भ्रष्टाचार की बू आती है । ऐसी टंकियों को अविलम्ब बन्द किया जावे । जो घर के बाहर टांके के टांके बने हुए हैं और पानी जाता नहीं है और इसी प्रकार जो हैण्ड पम्प लगाते हैं । हैण्ड पम्प लगाने के समय गांव के एरिया पूरा क्षेत्र उन लोगों को मना कर देते हैं कि यहां खारा पानी है और आफिसरों की मिली भगत से क्या करते हैं जहां खारा पानी निकलता है वहीं वह हैण्ड पम्प बनाते हैं । पानी की समस्या बनी हुई है वहां कोई सुनाई करने वाला नहीं है । जब आफिसर्स को कहते हैं वहां हैण्ड पम्प लगाये जावें तो कहते है हमारी मोटर जाती नहीं है, हमारी गाड़ियां जाती नहीं है । इसके लिए जिम्मेदार कौन है । आज वहां गिरासिया, भेड़ पानी के लिए

(श्री अमृतलाल परमार)

तरस रहे हैं उसका भी इलाज होना चाहिये। हमारे बाली के अन्दर खालणा कस्बा है वहां की आम समस्या पानी की है। जब पानी हमारे बाली क्षेत्र से जाता है, बाली पीता है, जोधपुर पीता है और सारी नदियां बाली क्षेत्र में है तो बाली के अन्दर सांडरा नगर में जो नहर बहती है क्यों नहीं लिफ्ट योजना से बाली और सांडरा को पानी दिया जाये। जिससे पानी के बहाव की समस्या हल हो जाये अर्थात जब गर्मी के दिन आते हैं तो बाली और सांडरा कस्बा पूरा पानी के कारण तरसता है तो लिफ्ट नहर द्वारा योजना बना कर बाली और फालना को पानी दिया जावे। अभी भी बहुत से गांव ऐसे है जहां पानी की टंकिया नहीं। सेवाड़ी गांव है और छोटे-छोटे गांव है वहां पर पानी की टंकिया नहीं है। वहां पानी की टंकिया बनायी जाये।

एक आपको उदाहरण पेश करता हूँ सेवाड़ी गांव के अन्दर साल भर से वहां मोटर ली हुई है। कहते हैं ट्यूब वैल के अन्दर मोटर फंसी हुई है। हम कई बार कह चुके हैं मोटर को निकालकर नई मोटर नई लगायी जाये। अभी साल भर से कोई मोटर लगी नहीं है। वह पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है। अभी भी कई गांव ऐसे है जहां पर पानी की सख्त आवश्यकता है और जब पानी के लिए कहते हैं सौ-सौ बार कहने के बाद भी उसमें जितना पानी चाहिए जितने हैण्ड पम्प लगने चाहिये वह लगते नहीं है। पूरा बाली का एरिया पानी के कारण तकलीफ में है। एक बात यह है कि जब पानी नहीं मिलता साल-साल भर से नल बन्द है 6-6 महीने से नल बन्द है और वहां पैसे की वसूली करते हैं। जब पानी नहीं देते हैं तो पैसे क्यों लेते हैं। यह आम समस्या है। पानी देते नहीं है पैसे लेते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार को कि जब पानी नहीं देते हैं तो मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये। वह जो कन्जूमर है उनसे पैसे नहीं लिये जाये। मैं यही कहना चाहता हूं हमारा बाली क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पानी के लिए विचार करना चाहिये ताकि वहां पानी आसानी से पी सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो इन्द्र भगवान को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान में बरसात अच्छी हो गयी। पिछले चार पांच साल से लगातार वर्षा नहीं होने के कारण से पानी के जितने स्रोत थे या पेयजल विभाग द्वारा जहां-जहां भी अपनी स्कीम बनायी गयी वह स्रोत छटते गये। लेकिन अब इस बार अच्छी बारिश हुई है इससे ऐसा लगा है कि पेयजल विभाग भी आने वाले वर्षों के लिये जब भी इस प्रकार का सुखा और अकाल की स्थिति, उस समय आसानी से इसको मीट आउट कर सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं पेयजल विभाग और माननीय पेयजल मंत्री जी से करना चाहता हूं। सन् 1985 से लेकर पिछले वर्ष तक जो प्रगति विवरण मिलता था उसमें हमेशा गांवों के आंकड़े

(श्री हीरासिंह चौहान)

बढ़ा-चढ़ा कर देते हैं और समस्याग्रस्त वहां बता देते हैं। पिछले कई वर्षों में इस पेय-जल समस्या के लिए एक हजार करोड़ रुपया खर्च करके भी जिस तरह हमको जितनी प्रगति करनी चाहिए उतनी हम नहीं कर सके लेकिन केन्द्रीय सरकार से हम आशा करते हैं कि इस पेयजल समस्या को बड़े गम्भीर तौर से लेकर जहां-जहां पेयजल समस्या होती है, ज्यों ही गर्मी के दिन आते हैं फागुन का महिना निकलता है और पूरे विभाग को, सबको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उसको मीट आउट करने के लिए पहले से ही प्रोजेक्ट तैयार कर लेना चाहिये जिससे इन दिनों में जिस समय पानी की सख्त जरूरत रहती है। सर्दी और बरसात में तो पानी पीने के लिये भी कम चाहिये लेकिन गर्मी में चारों तरफ इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। स्नान के लिये चाहिये, कपड़ों के लिये चाहिये, मवेशियों के पीने के लिये चाहिये और पानी के जो साधन हैं वह कम हो जाते हैं। उनका अभी से ज्यादा विकास किया जाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कुछ नीति गत बातें कहूंगा हमने जो पेयजल योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई है और शहरी क्षेत्रों में बना रखी है। गांवों में एक पनघट योजना लागू कर रखी है जिस गांव की आबादी पांच हजार से कम है, वहां पनघट योजना है। चाहे गांव अच्छा है गांव में लोग नल लेने के लिए तैयार है। यह पुरानी सरकार की बनाई हुई एक योजना है जिसमें ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है जिस योजना के तहत आप शहरों में नलों से पानी देते हैं। जी. एल. आर. के द्वारा देते हैं। गांवों में पानी देते हैं जिसको पनघट बोलते हैं। गांव वालों के घरों में अगर नल दिये जावें तो ग्रामीण जनता भी आपकी बनी हुई यह योजना है उसको कम्पनसेट कर सकते हैं। दीर्घकाल में उसके पैसों का भुगतान हो जाता है इस समय मुख्य रूप से योजना बनाते समय जो ओवर हैड टंक बनाते हैं उसमें एक लीटर पर आपको एक रुपया खर्च आता है जब कि जी. एल. आर बनाने में एक लीटर पर 70 पैसे खर्च आता है लेकिन इस 30 पैसे के अन्तर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया आपके विभाग ने कि कोई भी गांव वाले मांग करते हैं नल नहीं देते हैं। कई पनघट पर हमारी महिलायें, माताये, बहनें बरसों पनघटों पर जाती थी। इसी प्रकार अब भी जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, यह जो दोहरी नीति है शहरों के लिये अलग योजना और गांवों में रहने वाले लोगों के लिये अलग योजना। इस योजना को तत्काल बन्द कीजिये और जहां जहां चार या पांच हजार के बीच में लोग रहते हैं इसमें इस नीति को बदल के ओवर हैड टेंक बना करके यदि ओवर हैड टेंक नहीं बने तो अन्य कोई व्यवस्था करें। मेरे क्षेत्र में एक बोयल गांव है। इस ओवर हैड टेंक के बहाने टंकी नहीं बनने दी वहां पर तीन साल तक। हम कोई गांव वाले पानी नहीं लेंगे पनघट से लायेंगे। इसी प्रकार बहुत सारी जगह टंकी बनाने में लोग रुकावट डाल रहे हैं

(श्री हीरासिंह चौहान)

यह नीतिगत प्रश्न है उसमें बहुत जल्दी ही मैं कहना चाहता हूं, मैं आशा करता हूं कि इस योजना को आप बदलें। मैं मंत्री महोदय पिछले दिनों में तीन और चार इन्च के पाइपों की पूरे राजस्थान में किल्लत रही।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री से सीधे नहीं कहें।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपसे ही कह रहा हूं। सारी सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं पिछले दिनों तीन और चार इन्च के जो पाइप लाइन्स थी सब जगह पूरे राजस्थान में उनकी कमी पायी गयी मैं ऐसा सोचता हूँ पिछली विधान सभा में एक कमेटी बनी थी और पाइप कांड हुआ था और उस कांड के बहाने जितने भी अधिकारी लोग हैं न पाइप खरीदते हैं और पाइप है तो सप्लाई नहीं करते हैं इसलिये मेरा निवेदन है तीन और चार इंच के पाइप नहीं मिलने से बहुत सारी लाइनें नहीं जोड़ी जा रही है। इसे बहुत गम्भीरता से आप इसकी देख-रेख कीजिये। तीन और चार इंच के पाइप का आर्डर देने के बाद भी पाइप, जिस भी कम्पनी का आर्डर देते हैं सप्लाई नहीं हुए हैं। मुझे मालूम है, एक मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता है, जोधपुर और जयपुर दोनों से मैं लगातार सम्पर्क करता रहा। हमारे अधीक्षण अभियन्ता पाली है उनसे सम्पर्क करता रहा। पिछले चार महिनों में तीन और चार इंच पाइप लाइने नहीं मिली इसलिये इसके बारे में आप गम्भीर चिन्तन कीजिये। कहीं भ्रष्टाचार की बदबू आती है और हमारे जन प्रतिनिधि ऐसा महसूस करते हैं तो उसकी भी जांच होती है लेकिन जांच का मतलब यह नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो जायें कि हमको संशय में डाल दें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले को आप बहुत ज्यादा गम्भीरता से लें और क्यों परचेजिंग में गड़बड़ी होती है पहले जो हुई उस गड़बड़ी का बहाना अब नहीं लिया जाना चाहिये। इस समस्या को दूर करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह गांवों में जो हैण्ड पम्प लगे हुये हैं मैं चाहता हूँ हैण्ड पम्प का केवल एक अलग डिवीजन बने, अलग ब्रांच बने। सबसे पहले तो आप पूर्व सरकार ने जितने हैण्ड पम्प की स्कीम थी वह पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को सौंप दी। हैण्ड पम्प एक ऐसी मशीन है खुला है, कोई देख भाल करने वाला नहीं है मन आवे वह खींचता है और पानी निकालता रहता है और मशीन के इन्स्ट्रमेन्ट्स इतने कमजोर हैं कि महीने दो महीने में खराब हो जाते हैं। मैंने जानकारी ली। इन्स्ट्रमेन्ट्स इतने कमजोर हैं कि महीने दो महीने में खराब हो जाते हैं। मैंने जानकारी ली। इन्स्ट्रमेन्ट्स आपकी कम्पनी बनाती है अपने राजस्थान में रहे हैं। इन इन्स्ट्रमेन्ट्स को इतना मजबूत बनाइये, उनकी मामूली चोटों से कहीं कील निकल जाती है पानी आना बन्द हो जाता है। हैण्ड पम्प के जरिये कई गांवों को जैसा आप कह रहे हैं हमने लाभान्वित किया है, उनको पानी दिया है तो इस मशीन को मजबूत

(श्री हीरासिंह चौहान)

बनाइये। ताकि इनके साथ खिलवाड़ नहीं हो। नहीं तो होता क्या है हम जहां-जहां भी जाते हैं, गांव में हैण्डपम्प लगाते हैं, दूसरे दिन हैण्डपम्प खराब मिलता है। जहां भी जावें इस प्रकार की बीमारी है। मैं आपसे आशा करता हूं कि हैण्डपम्प का अलग डिविजन बनाकर किया जाये। इस हैण्डपम्प के रख-रखाव को पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को दिया है। मैंने पहले भी गत सत्र में कहा था कि हैण्डपम्प का काम जो पंचायत समिति में दे रखा है तुरन्त विभाग को दिया जाय। जब तक विभाग को नहीं देंगे तब तक हैण्डपम्पों की यही स्थिति रहेगी। पिछले जून में आपने एक अभियान चलाया था कि जहां हैण्ड पम्प खराब हैं उनको ठीक किया जायगा। हमारे अधिकारियों ने केवल रिकार्ड बताने के लिये ठीक बता दिया। लेकिन वास्तव में वह ठीक नहीं किये गये हैं। हैण्डपम्पों खुदाई में भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। मशीनें होती हैं ठेकेदारों की, हैण्डपम्प की खुदाई होनी चाहिये दो सौ फुट, डेढ़ सौ फुट खोदकर वह ठेकेदार. जो आफिसर होता है उसको दो सौ फुट बता देता है। इसलिये जहां भी हैण्ड पम्प खुदे उसको मैजरमेन्ट करने के लिये सरपंच को वेरीफाई करना बहुत जरूरी कर दें। उनका नाप होना चाहिये। सरपंच को कुछ नहीं मिलेगा। सरपच बड़ा जिम्मेदार पद है। और कहां से इसका पेमेन्ट होता है, कहां से पेमेन्ट रुकता है,

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। मेरे एरिया सम्बन्धी....

श्री अध्यक्ष : 41 आदमी बोलने वाले हैं, यदि आप दस मिनट लेंगे तो इसमें लगेंगे सात घण्टा, सात घण्टे का मतलब होता है रात की दो बजे बैठने की इच्छा हो तो दस मिनट लीजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : आपकी वार्निंग मिली है, जिनके लिये मैं यहां आया हूं, मेरे क्षेत्र की बात तो कहने दो। केवल दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने समय का ध्यान नहीं रखा। क्षमा करेंगे। आपकी सरकार है, मंत्रीजी से मिल लें।

श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पेयजल की बहुत भारी समस्या है। उसी कड़ी से राजस्थान में जितने जिले हैं उनमें से चूरू जिला सबसे ज्यादा समस्या ग्रस्त है। चूरू जिला जहां पर सुजानगढ़, जहां से माननीय अध्यक्ष आते हैं रतनगढ़, और डूंगरगढ़ यह तीन तहसील विशेष तौर से ऐसी हैं जिनके अन्दर वहां के लोकल सोर्स नहीं हैं। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। सुजानगढ़ शहर के लिये जल प्रदाय योजना सन् 1966 में बनी थी। 1966 के बाद अभी तक उस जल प्रदाय योजना का पुनर्गठन नहीं किया गया है। सुजानगढ़ के अन्दर नागौर जिले के लाडनूं कस्बे और लाडनूं तहसील से पानी आता है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि लाडनूं और

(श्री भंवरलाल)

सुजानगढ़ के बीच में दो गांव ऐसे हैं खानपुर और भियानी। खानपुर और भियानी रायजिंग लैण्ड से उन दो गांवों को पानी दिया जा रहा है। विभाग के नियमानुसार जो भी राइजिंग लैण्ड हो और इतने बड़े शहर के लिये जहाँ की आबादी करीब साठ और पैंसठ हजार के आस पास हो; उस शहर के लिये जो राईजिंग लेण्ड से पानी आता है उनमें से दो गांवों को टेप करके पानी दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उन दो गांवों को जो लाडनूं तहसील के गांव हैं, उनके लिए अलग स्कीम बनाकर अलग से पानी की व्यवस्था की जाय। ताकि पानी का दुरुपयोग रुके और पानी का जो प्रेशर नहीं बनता है वह पानी का प्रेशर बढ़ सके।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि सुजानगढ़ के अन्दर जो पानी लाडनूं से आता है उसमें सफेदनुमा पत्थर जमता है। 1966 में जो पाइप लाइनें बिछाई गई थी वह पाइप लाइने जो 6 इंच की थी वह दो या तीन इंच की हो चुकी हैं। पानी का प्रेशर कम हो चुका है इसलिये सुजानगढ़ शहर की जितनी भी पाइप लाइन है उनको बदला जाना बहुत जरूरी है। दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के अन्दर जो सफेद पत्थर जमता है उसकी जांच और परीक्षण होना बहुत जरूरी है। सुजानगढ़ की 65 हजार की आबादी के लोग ऐसे पानी को पीयें जिसमें सफेद पत्थर जमता हो, ऐसी स्थिति के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी को कोई फिल्टर स्कीम-....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका नाम फ्लोराइड है।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : फ्लोराइड नहीं, केल्सियम सीलिकेट है जिसके कारण यह सफेद पत्थर जमता है इसकी आप सर्वे कराकर, इसका परीक्षण करायें और सारी स्कीम का पुनर्गठन करके नये सिरे से पाइप लाइन डाली जाने की कार्यवाही करायें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सुजानगढ़ तहसील और अध्यक्ष महोदय, आप जहां से आते हैं, वहां की तीन स्कीमें सीकर जिले से बनी हुई हैं। इसलिये आपके क्षेत्र की भी विराडिया किराणियों स्कीम है। दूसरी स्कीम सेठों की ढाणी है, तीसरी स्कीम मंगल लूणा है। जहां से हमारे रतनगढ़ और सुजानगढ़ के करीबन साठ-सत्तर गांवों को पानी मिलता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह स्कीम 1979 और 1980 में बनी थी। जब यह स्कीम बनाई गई थी उस समय को लेकर आज तक उनका पुनर्गठन नहीं किया गया है। जिस प्रकार से माननीय सदस्य कह रहे थे, कई जिले ऐसे हैं जिनको फोर्टी की आबादी से सेवन्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है। मगर हमारी स्कीम को अभी तक सेवन्टी की जनसंख्या के हिसाब से नहीं बनाया गया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो स्कीम हैं इनको पुनर्गठन करके चाहे राजस्थान सरकार से चाहे भारत सरकार से, किसी भी स्कीम में लेकर इनका पुनर्गठन करावें, दूसरा और 1980 के बाद जितने भी पम्प सेट हैं वह बदले नहीं गये हैं। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया कि चूरू जिले के अन्दर विशेष तौर से

(श्री भंवरलाल)

हमारे गांवों के अन्दर जो पेयजल योजनायें बनी हुई हैं वहां पर स्टेण्ड-बाई पम्प सेट, बूस्टर या समर लेखक से कोई व्यवस्था नहीं है। अगर गांवों के अन्दर एक पम्प-सेट खराब हो गया, दस-पन्द्रह दिन तक वह बंधता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आपको कम से कम 25 पर्सेन्ट पम्पसेट या मोटरें उन योजनाओं के अन्दर व्यवस्था करनी चाहिये ताकि गांव के लोग प्यासे नहीं मरे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एक निवेदन और चाहूंगा कि आज से एक साल पहले सुजानगढ़ और रतनगढ़ के लिये एक सेण्टर की टीम आई थी, उस टीम ने हमारे गांवों का दौरा किया था और दौरा करने के बाद कई गांवों को हार्ड-कोर विलेज घोषित किया था जिसमें आपकी तहसील के सरवासर वगैरह गांव भी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कैसी अजीब स्कीमें बनाई गई हैं कि राजियासर खारा नाम का एक गांव है मेरे क्षेत्र में। वहां से माननीय अध्यक्ष महोदय का गांव है सरबासर उस गांव को रानियासर से पानी दिया जा रहा है। जिस गांव का नाम ही खारा हो उस गांव से पानी दिया जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सदन की उच्च कुर्सी पर विराजमान हैं। आप माननीय मन्त्री महोदय को इस बात के लिये निर्देश देंगे कि ऐसे हार्डकोर विलेज जो, सर्वे टीम ने भी जिनको हार्डकोर विलेज घोषित किया है उन गांवों में जल्दी से जल्दी व्यवस्था कराके, चाहे पानी पडियारा से लाना पड़े चाहे पानी दूसरी जगह से लाना पड़े, पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन मैं पानी के सम्बन्ध में विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस समय अध्यक्ष चुने गये थे उस समय रतनगढ़, सुजानगढ़ और डूंगरगढ़ जिस सब-डिविजन से आप आते हैं वहां के लोगों में एक हर्ष की लहर फैली थी और आज भी हर्ष है। आप भी सुजानगढ़ गये थे, आपको लोगों ने कहा था कि आप निश्चित तौर से...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं, सदन में सबसे कम बोलने वाला मेरी पार्टी में हूं, आपके क्षेत्र की बात कहता हूं आप अपने हिस्से का दस मिनट मुझे दे दीजिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह जो सर्वे टीम आई थी उसके आधार पर आप स्कीम बनाकर सिद्धमुख और गंधेली योजना जो माननीय वैदजी, और इन्द्रसिंह जी, राजगढ़ और तारानगर सब डिवीज़न की बात कर रहे थे, मैं अपने दोनों के डिवीजन की बात कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी, इसकी आपको योजना बनानी पड़ेगी। आप इसकी योजना नहीं बनायेंगे तो रतनगढ़, डूंगरगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, चूरू इन तहसीलों के गांवों को पानी मिलना बहुत मुश्किल होगा, यह मेरा विशेष तौर से निवेदन है कि आप इन्दिरा गांधी नहर का पानी इन तहसीलों के लिए मुहैया कराने की व्यवस्था करावें।

(श्री भंवरलाल)

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे जिले के अन्दर टी. एस. एस. स्कीम है। माननीय सदस्यों द्वारा पिछले कई वर्षों द्वारा इस बात के लिए लगातार प्रयत्न किया गया है, लेकिन टी. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत पड़ौस का गांव जो जल प्रदाय योजना में आ गया उस गांव को पानी फ्री मिलता है और टी. एस.ए. स्कीम में अगर कोई आ गया तो उस गांव के लोगों को पानी का पैसा देना पड़ता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अब नहीं देना पड़ता है।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : यह विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विरोधाभास को भी आप मिटायेंगे। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां सेठों की ढाणी एक स्कीम है 12 गांव उसके अन्दर आते है। उनकी 40 किलोमीटर लाईन है उसके बीच में खुड़ी नाम का गांव है। वहां पर अगर सी. डब्ल्यू. आर. अगर बना दिया जायं तो पानी आगे बढ़ सकता है आगे पानी बूस्टिंग किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो मंगलाणा की स्कीम है उसमें भी सेन्टर में एक चारिया नाम का गांव है उसमें अगर सी. डब्ल्यू. आर. बना दिया जाये तो निश्चित रूप से पानी की व्यवस्था हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट और लूंगा। दूसरी मांग, जो नगर पालिकाओं से सम्बन्धित है उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ नगर के अन्दर पानी के कनेक्शन देने के लिये, जब आप सुजानगढ़ पधारे थे आपको हजारों लोगों ने निवेदन किया था, नगर पालिका के द्वारा एन. ओ. सी. की आवश्यकता होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगर पालिका सुजानगढ़ द्वारा आबादी की जमीन पर जो चालीस चालीस साल से बसे हुए है, सौ-सौ साल से बसे हुए है लेकिन उनके पास पट्टे नहीं हैं। पट्टे नहीं होने की वजह से उन लोगों एन. ओ. सी. नहीं दिया जाता है। अब तक एन. ओ. सी. नहीं दिया जाता है पानी और बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता। मैं सदन के मार्फत आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सुजानगढ़ की, रतनगढ़ की, छापर की, बिदासर की जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या का समाधान आप अपने स्तर पर कराने की कृपा करेंगे। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि सुजानगढ़, रतनगढ़ या बड़े शहर जिन की आबादी 50 हजार से ऊपर हो गई है वहां पर पिछले चार साल से डी. डी. टी. का छिड़काव नहीं हो रहा है। चिकित्सा विभाग वालों से जब बात करते हैं तो वह कहते हैं कि 50 हजार से ऊपर की आबादी वाले शहरों में डी. डी. टी. का छिड़काव नहीं करते हैं। नगर पालिका के पास इस तरह के कोई उपकरण, साधन नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ में वर्तमान में पानी इतना बरसा बहुत ज्यादा बरस गया है। यह तिगारीनुमा बसा हुआ है। जिसमें पानी इकट्ठा हो गया। ऐसी स्थिति के अन्दर वहां मच्छरों की भरमार हो गई है डी.डी.टी. छिड़काव के लिये आप व्यवस्था करवायेंगे जो पानी भर गया है उसके लिये

(श्री भंवरलाल)

ड्रेनेज डिपार्टमेंट से नालों की सफाई और मरम्मत की व्यवस्था करायेगें। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल।

श्री शांतिलाल (राजसमंद) : माननीय अध्यक्ष जी, आज जन स्वास्थ अभियान्त्रिकी विभाग की मांगों के बारे में चर्चा में अपने आपको शरीक करता हूं और शरीक करने के साथ-साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा और साथ ही कुछ मांग भी।

पेयजल का संकट वैसे तो पूरे राजस्थान में है राजस्थान के सभी हिस्सों में संकट के हिसाब से मामूली डिग्रीज का अन्तर हो सकता है कहीं संकट कम हो सकता है कहीं ज्यादा। लेकिन सरकार की आम धारणा यह है कि पश्चिमी राजस्थान में पेयजल का संकट सबसे अधिक है। हो सकता है वह रेगिस्तान और रेतीला स्थान होने के कारण सरकार इस प्रकार की धारणा बना लेती है और वहां के पेयजल के संकट के निवारण के लिये सरकार अपने स्तर पर सभी तरह के प्रयास कर उनका निपटारा करती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पेयजल का संकट दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी कम नहीं है वहां पर भूमिगत जल स्तर काफी नीचे जा चुका है लोगों को पीने का पानी प्राप्त करने के लिये 3, 4, 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। कुएं खोदें तो उसमें पानी नहीं आता है। हैण्ड पम्प सूख जाते हैं। नये हैण्ड पम्प खोदने पर उनमें पानी आता नहीं है। मैं आपका ध्यान अभी डेढ़ महीना पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र भूंमदा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जहां पर जलदाय विभाग द्वारा एक ट्यूब वैल खोदा गया। 500 फिट से ज्यादा गहरा करने पर भी एक बूंद पानी नहीं आया। वहां के कुएं को गहरा कराया गया लेकिन कुएं की स्थिति भी यही रही। तो श्रीमान मेरे कहने का आशय यह है कि लोगों को पेयजल की भारी दिक्कत हो रही है। मैं आपका ध्यान मेरे कुछ पंचायत मुख्यालयों की ओर भी दिलाना चाहूँगा। कुछ पंचायत मुख्यालयों जिनकी जनसंख्या 5 हजार या इससे अधिक होते हुए भी वहां कोई पेयजल योजना नहीं है। जिसके कारण वहां के लोगों को काफी दूर-दूर जाना पड़ता है। इनमें से मुख्य है बानेडिया, चौकड़ी, जीतावास, बीनोल, पड़ाखली, सुन्दरचां, पीपलडा एवं सापोल। मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय मंत्री जी इसके बारे में ध्यान दें। जनसंख्या के आधार पर भी और पंचायत मुख्यालय होने के नाते भी ताकि वहां के लोगों को पेयजल सुलभ हो सके।

इसके साथ ही मेरे यहां कुछ अरबन एरियाज में भी पेयजल संकट है। इसके बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कांकरोली जहां मेरे विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय है। बीस साल पहले पेयजल योजना बनी थी उस समय वहां की जनसंख्या मात्र 15 हजार थी। 15 हजार की जनसंख्या की जलपूर्ति के हिसाब से वह योजना बनी थी। आज बीस साल

(श्री शांतिलाल)

बाद वहाँ की जनसंख्या मैं समझता हूँ कि चार गुना से भी ज्यादा अधिक हो गई है। मालफस के जनसंख्या का सिद्धान्त भी यहां टूट गया है उसके सिद्धान्त के अनुसार तो 25 साल में दुगुनी होती है लेकिन यहां बीस साल में चार गुनी हो गई है। इसका कारण हमारे वहां के लोग नहीं है। वहां खनिज विभाग की दृष्टि से औद्योगिकरण हुआ है। प्रदेश के अन्य स्थानों से लोग वहां व्यवसाय के लिये आये हैं। हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों से भी लोग वहां आये हुए हैं। जे. के. टायर फैक्ट्री के कारण भी वहां की जनसंख्या बढ़ी है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 20 हजार लोगों के लिये पेयजल योजना बनी हैं उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी जनसंख्या है लगभग 80 हजार से ज्यादा है उसके हिसाब से वहां पेयजल योजना नई बनाई जाये। जो पुराने नल बिछे हुए हैं वह सड़ चुके हैं और जो टंकी बनी हुई है वह पर्याप्त पानी नहीं दे पा रही है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुवारिया की ओर दिलाना चाहूंगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां जल तो है लेकिन टंकी नहीं होने जल तो है लेकिन टंकी नहीं होने के कारण जब तक बिजली चलेगी विद्युत प्रवाह होगा तभी तक उनकी जल प्रवाह हो पायेगा। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि कुआरिया के लिये एक टंकी बनवाये जाने के लिये माननीय मंत्री महोदय विचार करें और वहां की जनता दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकिशन जी। पण्डित जी आप कितना समय लेगें ? ताकि मैं घण्टी नहीं बजाऊं।

(7.00 सांय)

श्री रामकिशन (भरतपुर) : थोड़ा ही समय लूंगा, दस पन्द्रह मिनट। अध्यक्ष महोदय, मुझे बिस्तार से कहने के लिये इस लिये जरूरत नहीं है क्योंकि सारा राजस्थान और सरकार इस बात को जानती है कि पानी की समस्या गम्भीर है। लेकिन मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा कि गम्भीर समस्या का हल क्या है ? यहां सुझाव भी दिये गये। मैं उन सुझावों को दोहराऊंगा नहीं। मैं एक तो निवेदन यह करना चाहूँगा कि जब तक हम पानी के खर्च को कम नहीं करेगें तब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपने देखा है पानी का संकट दो साल पहले इथोपिया में सहारा के क्षेत्र में आया था। सारी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सीज ने अनाज तो पहुंचा दिया लेकिन पानी के वगैर वहां 12, 13 लाख लोग मर गये। अब यह हालत करीब-करीब हमारे देश की बनती चली जा रही है। तो मैं एक निवेदन यह करना चाहूँगा कि सरकार इस मामले पर सोचे कि पानी की खपत को कम कैसे करें। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है। लेकिन एक मुद्दा प्रमुख है कि हम पानी के खर्च को कम कैसे करें। अगर हमने अभी ध्यान नहीं रखा जिस तरह का

(श्री रामकिशन)

मौसम है, जिस तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है और जिस तरह के फोरकास्ट हो रहे हैं उस समय हम बहुत बड़े संकट में फंस जायें। एक निवेदन तो मुझे सरकार से यह करना है।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है वैसे अन्य माननीय सदस्य बता चुके हैं कि आपने सूची दे दी कि हमने 22 हजार गांवों की समस्या का समाधान हैण्ड पम्प लगाकर कर दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना चाहूँगा हो सकता है कि इन 22 हजार हैण्डपम्पों में से कुछ हैण्ड पम्प काम कर रहे हों लेकिन हमारे जिले का हाल तो यह है कि आप मेरे साथ चलिये, और जगह तो छोड़ दीजिये, मेरे गांव में चलिये जहां 8 हैण्ड पम्प लग रहे हैं एक भी काम नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से तो समस्या का समाधान हो गया और नतीजा कुछ निकला नहीं। तो धीरे धीरे सरकार को सोचना चाहिये मैं न दोष की बात कर रहा हूं न जाति की बात कर रहा हूँ लेकिन सोचना चाहिये कि हैण्ड पम्प स्कीम आम तौर पर सफल नहीं हो रही हैं इसलिये भविष्य के लिये अभी से इसका आल्टरनेटिव सोचें और रीजनल स्कीम या दूसरी तरफ हमें बढ़ना चाहिये... अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन और करना है। कल माननीय मंत्री महोदय श्री ललित किशोरजी ने एक चर्चा की थी कि पूर्वी राजस्थान सब मामलों में पिछड़ रहा है। अगर हम जैसे लोग जब यह चर्चा करते हैं तो हम पर यह आरोप लगता है कि हम किसी क्षेत्रीय भावना से ग्रसित हैं लेकिन असलियत है अध्यक्ष महोदय. आप भरतपुर की लिस्ट देखिये, अन्य सब जिलों में शत प्रतिशत गांवों में पानी पहुंच गया लेकिन भरतपुर के गांवों में पानी नहीं पहुंचा। सड़कों की आप लम्बाई देखिये तो कल की लिस्ट में आप देखना कि डामर की सड़क राजस्थान में सबसे कम भरतपुर जिले में है। तो व्हीकल हमारे यहां ज्यादा, राजस्व हम ज्यादा दें आबादी हमारी ज्यादा, सारा मामला ज्यादा तो आखिर कब तक इस बात से पीड़ित होते रहेंगे कि हमारे लोगों को पानी नहीं मिले, हमारे लोगों को सड़क नहीं मिले, हमारे लोगों को उद्योग नहीं मिले, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिले। इस पर गम्भीरता से सरकार को सोचना चाहिये और अगर यह सोचे तो रीजनल अनबैलेन्स जब दिन रात पैदा हो जाता है, एक दूसरे तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं, मैं एक चेतावनी के रूप में इस बात को निवेदन करना चाहूँगा।

एक निवेदन मुझे करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारे भरतपुर शहर में जैसा आम तौर पर देखा जाता है कि इस शहर की योजना बनी, उस समय शहर की आबादी थी 30000, अब हो गई है दो लाख के आसपास। मैंने भंवरलाल जी से कई बार चर्चा की या बातचीत की तो वह कहते हैं कि हमारी मजबूरी है हम शहरों के लिए कुछ कर सकते। अब आबादी तो बढ़ रही है, आबादी कैसे रोकें, नहीं बढ़नी चाहिये, यह अलग मुद्दा है। लेकिन दो लाख जहां हो गई वहां पर आप मकान नहीं दे सकते, आप रोजगार नहीं

(श्री रामकिशन)

दे सकते लेकिन जो सरकार पानी नहीं दे सकती वह तो सरकार कहलाने लायक सरकार रहेगी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा गांवों का ख्याल हम निश्चित तौर पर रखे लेकिन शहरों में इस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसका प्रावधान भी हमें साथ-साथ करते चले जाना चाहिये। आज शहर के आसपास 26 बस्तियां बन गई। क्यों बन गई, किसने बनने दी ? मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। अक्सर यह हो जाता है बनवायेंगे नहीं तो तोड़ेंगे नहीं। मैं इस राय में हूं कि जो बड़े लोगों ने मकान बनाये हैं पहले उनको तोड़ो। अगर किसी अफसर ने बनाये हैं, अगर किसी सेठ ने बनाये हैं तो इन मकानों को तोड़ दे तो गरीब आदमी कभी बनाने की कोशिश नहीं करेगा लेकिन होता उल्टा है। जो आदमी बनाता है मकान, उसकी बगल में बना लेते हैं गरीब और फिर यह बहस चल जाती है कि अब तोड़ नहीं सकते क्योंकि बन गये। अगर यही क्रम आपका जारी रहा तो इन प्लान और योजनाओं का मतलब क्या रह जायेगा ? मैं निवेदन करना चाहूँगा इन मामलों में सरकार को सख्त होना चाहिये। यह नहीं है कि तोड़ते ही चले जावो। लेकिन बड़े-बड़े लोग जो अतिक्रमण करते हैं, घेरते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं और उसके बाद तर्क दिये जाते हैं। और हर चुनाव में यह उम्मीद करते हैं अगले चुनाव में अब की बार रेगुलाइज हो जायेगा, दूसरे का दूसरी बार हो जायेगा और यह क्रम रुकने वाला नहीं है। इतनी बात तो मुझे कहनी है पानी के सम्बन्ध में।

मैं एक बात अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है कि मैं मानता हूं कि राजस्थान में निर्माण में इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन एक दूसरी बात आपको सोचना चाहिये कि भ्रष्टाचार में भी इनका कितना बड़ा है। कभी इसकी तरफ भी ध्यान जाता है और अब तो यह मानकर चलते कमीशन हैं कि हम कमीशन वाली बात की तो चर्चा करना ही बेकार हो गया है, कमीशन तो हिस्से की चीज बन चुका है। उसमें जब कोई चर्चा होती है तो कहते हैं कमीशन तो है ही तो कम से कम एक निवेदन तो आपको कर दूं कि जब बाढ़ आ जाय जब सूखा पड़ जाता है तो हमारे विधायक भी एक-एक महीने की तनख्वाह देते है। हालांकि एक महीने की तनख्वाह से कोई बाढ़ की समस्या नहीं सुलझती है। तो उन इंजीनियर्स से यह कहो कि जब तक पानी का संकट है तब कमीशन में 5 प्रतिशत कम कर दो यह तो आप कह ही सकते है। आप यह कह दो, कम से कम 5 प्रतिशत तो कम करवाओ। आप सोचते हैं दसों अरब रुपया खर्च कर दिया लेकिन मौके पर जाकर देखो तो क्या खर्च हुआ है। मैं आपसे निबेदन करना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में जब तक आप सख्ती नहीं बरतेंगे, धन आता रहेगा, आपको वित्त कमीशन ने मदद दी, 8वें कमीशन में मदद दी, 9वें ने दी। आप पैसा लेते रहेंगे लेकिन पैसों का ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपका खुद का जयपुर शहर

(श्री रामकिशन)

है, आप वहां के प्रतिनिधि है। आप गर्मियों में पानी लाना चाहते हैं। एक करोड़ का पाइप खरीदकर पटक दिया। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बांडी नदी से पानी लाना है। अगर वहां पर ट्यूबवैल नहीं बन रहा था तो इसकी जांच तो आपको पहले करानी ही चाहिये थी। आपसे मेरा मतलब है विभाग के अधिकारियों को। अब आप यह तर्क देकर कह दें कि हमें गांव वाले पानी नहीं लेने देते हैं। तो यह तो कोई तर्क हुआ नहीं। इतनी बड़ी योजना बनाई, एक करोड़ के आपने पाइप खरीद लिये, पाइप वे पड़े हुए हैं। कमीशन मिल गया, सरकार के लोगों का जो होना था, हो गया और आपको गर्मियों में पानी नहीं मिला और वह सारा मामला गड़बड़ हो गया। इस प्रकार से आपने कुछ दिन पहले 10 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। आपने पाइप डलवा दिये। फिल्टर बन गया और आपकी स्कीम बेकार पड़ी है रामगढ़ के नाम पर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि बिस्तार तो करो, सेवायें तो दो लेकिन कम से कम यह गरीब मतदाता को, गरीब गांव वालों को जो पैसा है उसका सदुपयोग कहीं न कहीं हो जाना चाहिये अगर वह नहीं होता है तो मैं यह समझता हूँ कितना ही पैसा दे दो, इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा हमारी कुछ समस्यायें हैं। मैंने जैसा आपको निवेदन किया इन 40 सालों को आप देखें, भरतपुर में प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेन्ट सबसे कम हुआ है। जब बाढ़ आयी थी उस समय केवल एक बार प्रति व्यक्ति के हिसाब से भरतपुर जिला ज्यादा बढ़ गया था। आप देखिये रिकार्ड 40 साल में कभी भी भरतपुर में कोई योजना नहीं बनी। न पानी की, न सड़क की, न उद्योग की। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा इतना यहां पानी है नहीं, कहीं से पानी आ नहीं सकता।

हमारे पास केवल पानी चम्बल में हैं और वह चम्बल हमारी नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश उस पर बांध बना रहा। मैंने सिंचाई के बारे में जिक्र किया था। मेहरबानी करके जो हमारी पेयजल के लिए चम्बल की योजना बनी है, उसको आप स्वीकृत कराने की कोशिश करें। अगर वह भी हमारे हाथ से निकल गयी तो भरतपुर को कहीं से भी पानी नहीं दे सकेंगे। इसलिए एक तो चम्बल की योजना के लिए आप इसे गम्भीरता से ले और यह मानकर चलिये कि अगर आपने यह नहीं बनवाया तो सबसे ज्यादा विनाश भरतपुर का होगा। यह ठीक है जैसलमेर का भी उतना ही बाड़मेर का महत्व है लेकिन प्रति किलोमीटर सबसे ज्यादा आबादी भरतपुर में है, राजस्थान के अन्दर तो वहां विनाश ही बहुत व्यापक हो जायेगा। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके इस चम्बल के मामलों पर आप आज निश्चित जवाब दें। बीमा कम्पनियों से पैसा मिलता है। इन योजनाओं के लिये पैसा तो आ ही सकता है और दिल्ली में अगर कोई आपकी लाबी है, अगर कोशिश करें तो इन योजनाओं को स्वीकार कराने में कोई दिक्कत नहीं

(श्री रामकिशन)

पड़ती। लेकिन जरूरत है संवेदनशीलता की, जरूरत है उनका पीछा करने की।

दूसरा निवेदन यह है कि हमें उत्तर प्रदेश से पानी लेना है, उत्तर प्रदेश से खास तौर से डीग के इलोकों में कामां के इलाके में। आप उन इलोकों में गये भी है, सभायें भी कर आये हैं, आपने देखा है उन इलाकों की हालत क्या है। अब पानी है, उत्तर प्रदेश की सरकार पानी देना चाहती है लेकिन आप दो-ढाई करोड़ रुपया जमा नहीं कर रहे हैं तो पानी आपको मिल नहीं रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा मेहरबानी करके भरतपुर जिले की इन बातों पर अच्छी तरह ध्यान दें और आपके विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, मैं पाइप घोटालें की बात नहीं करूंगा इतना बड़ा घोटाला हो गया और सरकार लन गई पवित्र लोगों की और यह एलान कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मिटायेंगे। उस मामले में क्या हुआ ? पी. ए. सी. की रिपोर्ट आ गई, किसकी जिम्मेदारी है, उसकी आपको जानकारी है लेकिन उसमें बड़े लोग हैं, इसलिए हाथ नहीं डाल सकते। आप पकड़ेंगे किसी इंजीनियर को, आप पकड़ेंगे किसी ओवरसीयर को, आप पकड़ेंगे किसी पटवारी को। केवल एक बड़ा आई. ए. एस. पकड़ा गया है, अकेले का मन नहीं लगेगा, वहां पर 15-20 को तो पहुंचाये। एक जगह रहेंगें तो 15-20 की तबियत भी लगी रहेगी। क्योंकि इनको क्लब का शौक है। खेलने का शौक है। जेल में भी खेलते रहेंगे लेकिन पकड़ो तो सही किसी को। अब जब एक-दो को पकड़ लिया और प्रचार कर दिया कि भ्रष्टाचार समाप्त किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप निश्चित बतायें कि पाइप कांड में जो दोषी थे, उनके बारे में क्या कर रहे हैं ? अगर जो इंजीनियर रिटायर्ड हो गये हैं तो दूसरे लोग तो जिम्मेदार हैं, आपकी रिपोर्ट आपके पास है। तो मैं आपसे लम्बी बात नहीं करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बाँध दिया था, आपने बड़ी कृपा की आपने मुझे पूछ लिया। मैं शहरों के बारे में आपसे एक बात कहूँगा। यह समस्या साधारण नहीं है। टोकियों से लेकर होनोलला तक यह एक शहरी कर की बहुत बड़ी प्रवृत्ति बन गई है। आप ऐशिया के देशों को देखे, अफ्रीका के सब देशों को देखें, सारे लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इसका कल मुझे एक बडा माकूल जवाब मिला था। एक डाक्टर मेरे पास आया। में बाई दी वे किसी को कहता नहीं। मैं तो आजकल ज्यादा कहता नहीं सो मैंने कहा आप गाँव में क्यों नहीं जाते हो। मेरी समझ में आ गई। आप जानते हैं गाँव के लोग, पार्लियामेण्ट में बैठने वाले। अब यह तय करना चाहिये कि अगर हम शहरों में शहरी करण को रोकना चाहते हैं तो यह बड़े अफसर और राजनेता, इनके ठिकाने भी गावों में बनने चाहिये। नहीं तो यह आबादी रुकने वाली नही। सब लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा जयपुर बढ़ रहा है, कोटा बढ़ रहा है, बीकानेर बढ़ रहा है, भरतपुर बढ़ रहा है। प्रवृत्ति इस तरह की व्यापक है कि सारे लोग गांवों में से शहरों की तरफ आ रहे है। आबादी बढ़ रही है वह अलग बात है लेकिन शहरीकरण हो रहा है एक दूसरी

(श्री रामकिशन)

चीज है। क्या इस देश में यह सम्भव नहीं क्या इस पर विचार नहीं किया जा सकता कि अब शहरों में रहने के लिए, यह कांस्टीट्यूशन जरूर बाधक हो सकता है, लेकिन हमें शायद कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करके शहरों में रहने के लिये परमिट प्रथा जारी कर देनी चाहिये। जैसे चीन ने की थी। चीन ने परमिट लगा दिया था, कोई लोग ज्यादा आ नहीं सकते थे। उन्होंने गांवों में सुविधा दी गांवों का विकास किया लेकिन साथ-साथ सख्ती भी बरती। अब आज जयपुर बहुत बढ़ा गया है। मैनेजमेंट नहीं हो सकता। दिल्ली का मैनेजमेंट नहीं हो सकता, बम्बई का मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इसलिये इस सम्बन्ध में भी हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये।

मैं निवेदन एक करना चाहूंगा, तीनों चारों साथ-साथ जुड़ी हुई हैं। परिवार नियोजन नहीं। जितना पानी मिलेगा, जितनी सुविधायें मिलेंगी। पश्चिमी राजस्थान के लोग यहां बहुत बैठे हुए हैं, यह हर दिन बड़े तर्क देते हैं कि हमारे यहां पानी की बड़ी कमी है। पर भाई, पानी की खपत भी तो बढ़ गई है। मैं देखता हूं, चन्दनमलजी चले गये, जब मैं और यह पहले विधान सभा में आये थे तो एक टाइम नहाते थे, अब तो श्रीमानजी तीन-तीन टाइम नहाने लग गये। चन्दनमलजी जैसे लोग नहा रहे हैं तो आप समझो जब हम खपत बढ़ाते जा रहे हैं, खर्च बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे धुले धुलाये आते हैं हर दिन, बुढ़ापा आ गया बुढ़ापा पूरा, मेरा बुढ़ापा, पर इन पर रौनक तो देखो। मैं निवेदन करना करना चाहता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : पंडितजी, केवल नहा कर ही नहीं, कपड़े भी दिन में दो-दो बार धोते हैं।

श्री रामकिशन : दो बार धोते हैं और इनकी पत्नी तीन बार धोती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो 15 दिन तक वही पहने रहना। आप कपड़े मत धुलवाना, 15 दिन तक पहने रहना।

श्री रामकिशन : अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि महिलाओं की आज्ञा को तो टाल नहीं सकता कोई।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कई सुझाव हैं। पानी के खपत के हमारे शौचालय हैं, हमारे पेशाबघर हैं, आप जानते हो कितना पानी कूंजम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता ऐसा मत करो, लेकिन जब वैज्ञानिक युग है, हमारे पास तरह तरह के साधन हैं तो हमें नई तकनीक डबलप करनी चाहिये। यह संकट मुझे ऐसा लगता है एशिया में व्यापक होने वाला है प्रदूषण की वजह से। इसलिये मेहरबानी करके चूंकि आपने समय बांधा, मैंने तैयारी तो बहुत की थी जापान वापान के हिसाब भी देख रखा था। मैं आपसे मोटे में यह कहना चाहता हूं जापान को छोड़ो, इण्डोनेशिया को छोड़ो, मेरे भरतपुर

(श्री रामकिशन)

में चम्बल का पानी और चार क्यूसेक जमुना का पानी इस पर आपको जबाब देना पड़ेगा अन्यथा हमें सोचना पड़ेगा कि राजस्थान में हम लोगों के साथ यह निरन्तर जो अन्याय हो रहा है इसके प्रतिकार का क्या तरीका अपनाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (व्यवधान)।

माननीय सदस्य, आपस में बात मत करिये। आर्डर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जोधपुर शहर की पानी की समस्या तो भगवान की कृपा से काफी कुछ समाप्त हो गई पर फिर भी....

श्री सम्पत सिंह : पहले इन से तय करा दें चम्बल से हमको पानी ले जाने देंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलते रहिये, समय जा रहा है। बोलिये आप। माननीय सदस्य कृपया बातें नहीं।

श्री नत्थी सिंह : चम्बल हमारी है, हमारे हिस्से को कौन रोकेगा।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : फिर भी जोधपुर के अन्दर कुछ शहर के अन्दर ऐसी अव्यवस्था है कि पुरानी पाइप लाइनों को ठीक कराने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपकी मार्फत इस सदन और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि शहर के अन्दर ज्यादा से ज्यादा धनराशि स्वीकृत करें ताकि पुरानी पाइप लाइनें चेन्ज हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर बोल सकती हूँ।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर शहर में जल वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु पुरानी पाइप लाइन बदलने हेतु रुपये 50 लाख तुरन्त स्वीकृत करावें। जोधपुर शहर के कई क्षेत्र में सीवरेज लाइन नहीं लगाई गई है उनको लगाने हेतु शीघ्र सर्वे करवा कर योजना बनवा कर स्वीकृति दिलवाई जावे। जोधपुर शहर को सीवरेज मास्टर प्लान के तहत चार भागों में बांटा गया है जिसमें सिर्फ एक जोन का कार्य ही हाथ में लिया गया था उसे भी शीघ्र पूरा कराया जावे तथा बचे हुए तीन जोनों का कार्य भी पूरा कराया जाय। जोधपुर शहर के जल वितरण प्रणाली के सुधार हेतु नई पाइप लाइनों को लगाने के साथ-साथ अन्तिम छोर के क्षेत्रों की पानी की सप्लाई सुधारने हेतु जसवन्त थड़ा, बाईजी का तालाब, भीखा प्याऊ एवं सरदारपुरा क्षेत्र तथा पावटा क्षेत्र में नई टंकिया बनाई जावे तभी पूरे दबाव के साथ क्षेत्रों को पानी मिल सकेगा। जोधपुर में दो जुलाई से छह जुलाई तक अत्यधिक वर्षा के कारण जोधपुर जलप्रदाय योजना के श्रोत पम्पिग स्टेशनों इत्यादि को बहुत

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

अधिक मात्रा में क्षति पहुंची है। खास तौर पर जवाई से कुड़ी तक आने वाली नहर, कुड़ी से तख्त सागर तक की नहर व पम्पिंग स्टेशनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इन सभी को दुरुस्त कर वापस काम में लेने हेतु लगभग एक करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है जिसे तुरन्त दिलवाया जावे ताकि आने वाले समय में जोधपुर में जल संकट न हो। सुरसागर क्षेत्र के जल समस्या के निवारण हेतु वर्ष 1989-90 रुपये 33 लाख की योजना स्वीकृत की गई थी लेकिन उस पर धन राशि नहीं मिलने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अतः शीघ्र ही धन-राशि दिलवाई जावे ताकि कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चार महीने तक और पिछले साल का अनुमान लगाया जावे तो जोधपुर के अन्दर पानी का इतना भारी संकट रहा फिर भी मैं जलदाय विभाग और उसके अधिकारियों की इस बात के लिये सराहना करती हूं कि इन चार महीनों के अन्दर इस भारी संकट के बावजूद भी अधिकारियों ने जोधपुर शहर के लिये पानी की उचित व्यवस्था की थी। इसलिये मैं उन अधिकारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी को तो धन्यवाद दे दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं दे रही हूं, मंत्रीजी को भी दे रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जलदाय विभाग के मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जोधपुर आकर सब अधिकारियों को इस तरीके से कहा कि जोधपुर प्यासा नहीं रहना चाहिये। मगर मेरे को एक बात का थोड़ा-सा अफसोस है कि जोधपुर शहर के अन्दर मेरे क्षेत्र के अन्दर हैण्ड पम्प की कुछ असुविधा रही। हैण्ड पम्प खोदने में जोधपुर शहर के अन्दर का भाग पीछे रहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे को बोलने दीजिये, साहब, देखिये जोधपुर की बड़ी भारी प्राब्लम है मैं उसके ऊपर जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष : आपने धन्यवाद देकर अपना काम बना लिया, अब इसमें क्या कहना है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं जोधपुर शहर की नगर परिषद् की और जोधपुर में जो मास्टर प्लान बना था उसकी ओर आना चाहती हूं। जोधपुर का मास्टर प्लान 1971 से 76 तक था स्वीकृत हुआ है। उसके बाद मास्टर प्लान में दर्शाई गई योजनाओं के बारे में 19 वर्षों में कार्यवाही नहीं की गई थी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, के मार्फत यह बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार ने मास्टर प्लान बनाया था, जब भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार आई थी तब इस मास्टर प्लान को स्वीकृति दी थी। मगर आज की तारीख तक उस मास्टर प्लान को कोई कामयाबी नहीं

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

मिली, न उस मास्टर प्लान का कार्य सिद्ध हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगर परिषद की ओर जाना चाहती हूं। जोधपुर की नगर परिषद् का इतना बेहाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी से जोधपुर सड़ रहा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और जोधपुर नगर परिषद् की हालत बिल्कुल दयनीय है। अभी वहां रीजनल कमिश्नर साहब ने मीटिंग की थी तो प्रशासक महोदय ने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा कि मैं कोई भी कार्य कराने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तनखा देने के अलावा पैसा नहीं है। आज वहां इतनी भारी वर्षा होने से सड़कें इतनी अवरुद्ध हुई हैं कि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती। अगर कोई डिलीवरी केस हो तो हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर की सड़कों के लिए अधिक से अधिक धनराशि स्वीकार करें तो जोधपुर का कुछ सुधार होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को बोलने दें, मैं कभी-कभी तो बोलती हूँ फिर भी रोकते हो, मेरे को आधा घण्टा और दीजिए।

श्री सम्पत सिंह : आप तो एक हाथ में बेलन ले लो।

श्री अध्यक्ष : आप तो धन्यवाद ही धन्यवाद दे रही है तो हो गया बस।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर के बारे में बताना चाहती हूं। वहां एक बाईजी का तालाब है वहां नहरें इस तरीके से भरी हुई है और कच्ची बस्तियों को इतनी असुविधा हो रही है हालांकि यह पूर्व कांग्रेस सरकार की देन की वजह से है अपनी सरकार की तरह करेगी या इस नहर को साफ कराएगी और कच्ची बस्तियों की सुरक्षा करेगी।

अध्यक्ष महोदय, वहां की नगर परिषद् की मैं दो दफे मेम्बर रह चुकी हूं मेरे को वहां की हालत मालूम है, हालांकि वह पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है अपन को यहां आये चार महीने ही हुए हैं। वहां पर पहले वाला स्टाफ ही अभी तक मौजूद है और कोई तरक्की नहीं की है क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है "बाढ़ ही खेत को खाती है" तो यह पूर्व कांग्रेस सरकार की देन की वजह से इन्होंने आज तक नगर परिषद् में सुधार की बात नहीं की, न इसकी कोई बिल्डिंग बनी है। इन्होंने यह काम जरूर किया कि अपने बंगले बनवाये मगर जनता के हित की कोई बात नहीं की। मेरे को बहुत अफसोस होता है और बड़ा दुःख होता है कि मेरे सामने विराजमान माननीय सदस्य किस तरह से बोलते हैं, + + +

श्री अध्यक्ष : अब आप विषयान्तर हो रही हैं। श्री अमीन खां।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप मेरे को बोलने दीजिए, जोधपुर शहर की बता रही हूं क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : अब आप जोधपुर शहर को छोड़ कर सामने वालों पर आ गई है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल की मांग पर निवेदन करना चाहता हूँ। पश्चिमी राजस्थान इस मामले में सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त है। पूर्वी राजस्थान और उधर के इलाकों में रहने वालों को भी शिकायत वाजिब है, चाहे सड़कें हों, चाहे अकाल राहत कार्य या जलदाय योजना में प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की व्यवस्था रेगिस्तानी इलाके में की गई है जहां पानी की कमी नहीं है। हम भी इसी राजस्थान के और इसी देश के लोग हैं। जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कृषि परपज से, बिजली और अन्य जितने भी विकास कार्य हैं उनका हमारे यहां बहुत कम प्रतिशत है। कई माननीय सदस्य इस सदन में बैठने वाले इस बात को नहीं मानेंगे लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर इलाकों से कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज की तारीख में दो-दो हजार भेड़-बकरियां, सौ-सौ ऊंट और 2-2, 3-3 सौ गायें हैं इतने मवेशी का परिवार बाकी जिले में चाहे सर्वे करवा लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा वहां के लोगों का मेन धन्धा कृषि का नहीं है, मवेशी का है और यदि यह पशु नहीं होते तो वहां के लोगों का जिन्दा रहना भी मुश्किल होता। अब जहां तक पानी का सवाल है एक इन्सान को कितना पानी चाहिए और ऊंट, भेड़-बकरी, गाय को कितना पानी चाहिये इस हिसाब से 70 लीटर पानी की व्यवस्था इंजीनीयरों ने, एडवाइजर्स भारत सरकार के आर्थिक योजनाओं के तहत किया है और बहुत सोच विचार किया है। वह भी अपने मवेशी की तादाद को देखते हुए अपर्याप्त है। तो इस रेगिस्तान को पीने के पानी की समस्या का खात्मा करने के लिए इन्दिरा गांधी कैनाल को पूरे रेगिस्तान में जब तक नहीं फैलाया जाएगा तब तक चाहे इंजीनियरों या सत्ता पक्ष या विपक्ष वालों को दोष देते रहो, यह दोष धरा रह जाएगा और जमीन के नीचे का पानी सूख जाएगा। योजनाएं सारी आपकी फेल होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन्दिरा गांधी कैनाल को गडरा रोड़ तक हर सूरत में चाहे राजस्थान सरकार का पैसा या भारत सरकार का पैसा लाओ और मैं तो यहां तक कहता हूं कि रिजर्व बैंक से फर्जी नोट भी छपाएं तो कोई गुनाह नहीं, इस कैनाल को पूरा करो तभी सब का समाधान हो पाएगा।

एक माननीय सदस्य : यही किया आपने।

श्री अमीन खां : इससे फायदा ही होगा अच्छे काम के लिए कोई जोखिम का काम करना कोई शर्म की बात नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : नकली नोट छापने से देश के पैसे का कुछ मिलेगा ही नहीं। मुद्रा-स्फीति जिस में आई थी उसकी हालत क्या हो गई थी ?

श्री अमीन खां : यह सब कुछ होता है, कानून कायदे की बात अलग है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह एलान है कि बजट का 60 प्रतिशत ग्रामीण इलाके में खर्च किया जाय। मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूं लेकिन इस साल 42 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 39 करोड़ शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं के लिए बजट रखा है जबकि शहरी आबादी 20 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी 80 प्रतिशत राज्य की है। अब आप विद्वान लोग अन्दाजा लगाइये कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना आया। जब 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में हकीकत में देना चाहेंगे तो आपको 65 करोड़ से ऊपर पैसा देना पड़ेगा और शहरी क्षेत्र में 16 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगा तब उस वायदे के अनुकूल होगा, अन्यथा वायदे के अनुसार नहीं है। अब रहा सवाल, किसी आदमी ने बुराई की है तो वह अपनी करतूतों से भुगतेगा आप अपनी भलाई के कदमों पर आगे बढ़ो, बुराई की है उसको बुराई मिलेगी। जैसे सरकार ने खुद ने माना है कि मार्च, 1990 तक 32,500 गांव कमीशन हो चुके। यदि गांव फर्जी हैं तो आप क्यों मानते हो। यह 32 हजार गांव कमीशन हुए ही नहीं, यह मानलो और सरकार बता रही है 2443 गांव अन-कमीशन्ड हैं तो इसका अर्थ यह तो मानना पड़ेगा कि 32 हजार गांवों को पहले कमीशन किया जा चुका है और 2443 गांव बाकी बचे है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में जैसा चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं भी वही बात कहता हूँ एक गांव 100 कि. मी. में है और विश्व का सबसे बड़ा गांव कुण्डरा है जो 900 वर्ग मील में एक गांव फैला हुआ है उस गांव में अगर एक जगह आपने पानी का पाइंट दे दिया तो कायदे कानून से तो वह गांव कमीशन्ड है लेकिन कुछ गांवों की आबादी 85 जगह बसी हुई है कदीमी बस्तियां हैं उनके लिए सरकार ने अलग-अलग रेवेन्यू ग्राम घोषित किये बाड़मेर जिले में 1981 की आबादी के अनुसार 853 गांव थे लेकिन आज उस जिले के 1465 गांव हो गये हैं। मंत्री महोदय, पचास गांवों का काम इस जिले में होता है लेकिन बात तो गांवों को रेवेन्यू घोषित किया गया है, उनमें आपको कमीशन करना है। उन गांवों की योजना बनानी चाहिए और उसको 60 परसेंन्ट ग्रामीण बजट आप देंगे तो इनकी योजना बनानी पड़ेगी। उन योजनाओं में मिनिमम नीड प्रोग्राम से पैसा लेना चाहिए, नहीं तो उसका पैसा भारत सरकार से लेना चाहिए। उन गांवों में जब तक आप कमीशन नहीं करते हैं तो ग्रामीण आदमियों को लाभ नहीं मिलता। रात-दिन लोग पीने की पानी की वजह से अपनी मजदूरी मेहनत करने बाहर जाने से भी महरूम रह जाते हैं। जिससे कई तरह की समस्यायें खड़ी होती हैं। मेरा यह निवेदन है मंत्री महोदय कि पिछले कई सालों में एक बहुत ही अच्छा काम हुआ था कि डी.डी.पी. में ट्यूबवैल खुदवाये गये, जिसमें कुछ पानी नमकीन निकला था, पानी इंसान के पीने के लिए नहीं मिला, लेकिन उन ट्यूबवैलों भेड़, बकरी, गाय, ऊंट वाले इलाकों को

(श्री अमीन खां)

काफी लाभ मिला। अब विभाग से मैंने ऐसा सुना है कि डी. डी. पी. में ट्यूबवैल के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। टांकों के पैसे देंगे, और किसी स्कीम में तो दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान की डी. डी. पी. में ट्यूबवैल बनाना यहां के इन्सान की अहमियत के लिए बहुत जरूरी है डी. डी. पी. के ट्यूबवैल खुदवाने चाहिए और ट्यूबवैल से पशुपालकों को काफी मदद मिली हुई है। मैं इतनी ही बात करके अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल की मांगों पर चर्चा हो रही है। यह बात सही है कि राजस्थान में अन्न से भी ज्यादा पानी का संकट है और सारा राजस्थान पानी की समस्या से घिरा हुआ है। यह बात भी सही है कि पिछले चालीस साल में एक हजार करोड़ से भी ज्यादा रुपये पेयजल पर खर्च किये गये और जैसा पूर्व सरकार ने अपने आंकड़े बताये थे कि बत्तीस हजार गांवों को पेयजल की समस्या से लाभान्वित कर दिया है। लेकिन यह सच है कि आज भी उन बत्तीस हजार गांवों में अगर पानी की समस्या की जानकारी ली जाए तो वहां समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह बात सही है कि नई सरकार ने तीन महीने के अन्दर इस प्रयास को तत्परता के साथ में इस काम को हाथ में लिया है और यह बात भी सही है कि उस समस्या को हल करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने अपनी सूझबूझ से ऐसे अनेकों परिचय दिये इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। पानी की जिस प्रकार की समस्या है इसको हर तरह से हल करने का प्रयास किया। इस बात के लिए मैं राजस्थान के चीफ इंजीनियर महोदय, एडिशनल चीफ इंजीनियर महोदय, को भी धन्यवाद दूंगा कि उनमें भी एक बड़ी सूझ थी। इन्होंने अपनी सूझ से उन समस्याग्रस्त जगहों को देखा। उनके अधिकारी, उनके इंजीनियर सब गांव-गांव में गये और यह कहना बहुत गलत है कि केवल मात्र भ्रष्टाचार की बात करके ही उनका मनोबल डाउन करें। आप देहात के क्षेत्रों में देखिए। मैं मेरे क्षेत्र की बात बता सकता हूँ कि ये इंजीनियर्स गांवों में भी गये हैं और जहां हैण्ड पम्प खराब थे, जहां उनको गहरा करना था और जहां-जहां उनको नये लगाने की बात थी बड़ी तत्परता के साथ काम हुआ है और यही कारण है कि दो महीने में बीस करोड़ से भी ज्यादा खर्चा करके इस सरकार ने यह परिचय दिया है। यह बात बिलकुल सच है कि पानी की समस्या है लेकिन उसको हल किया जा सकता है और यह भी मानना होगा कि केवल अधिकारियों की कमजोरी या उनकी बुराई करने से ही पानी की समस्या के हल कि बात कहे, यह भी बात सही नहीं है। इस पानी की समस्या के लिए केवल सरकार और तंत्र को ही दोषी नहीं माना जा सकता है। इसके साथ प्रकृति भी जुड़ी हुई है। जब तक भयंकर बारिश नहीं होगी तब तक पानी जमीन के अन्दर, नीचे स्तर तक, आज हम देहात के कई क्षेत्रों में देखते

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

हैं कि चार-चार सौ फुट गहरे हैण्ड पम्प खोदने के बावजूद भी पानी की एक बूंद नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय को दूंगा। आप उन जगहों की जांच करें जहां पर पानी चार सौ फुट गहरा है। यहां हैण्ड पम्प बार-बार खुदवाने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। जो डार्कजोन एरिया घोषित हो गया है या जहां पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, वहां हैण्ड पम्प के बजाय पुरानी टी. एस. एस. योजना ऐसी जगहों को चूज कर के जहां पानी का स्तर नीचे है वहां योजना चालू करवाये। टी. एस. एस. योजना बहुत बढ़िया योजना थी लेकिन इसके लिए यह मानना गलत होगा कि यह काम पंचायतों को दे दिया गया इसलिए पंचायतों के पास न तो कोई साधन था न कोई कर्मचारी थे इसलिए यह टी. एस. एस. योजना फैल हो गई। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस टी. एस. एस. योजना को वे दुबारा गांवों में चालू करेंगे जहां हैण्ड पम्प योजना सक्सेस नहीं हो रही, सफल नहीं हो रही है और यह काम जलदाय विभाग को सौंपा जाए। जलदाय विभाग के सारे कर्मचारी उस काम को सम्भालेंगे। आज अभी माननीय सदस्य बता रहे थे पनघट योजना, ऐसा करके उस छोटे-छोटे गांवों में भी टी. एस. एस. योजना लागू करके जिस गांव में जब दस हैण्ड पम्प लगाते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च होता है उससे भी आधे खर्चे में इस योजना को चालू किया जा सकता है। जिससे पानी की समस्या हल हो सकती है। मैं अपना एक सुझाव और दूंगा कि गांवों के आंकड़े देखकर ही इनको लाभान्वित घोषित किया जाता है, यह भी एक अन्याय है। इन गांवों के साथ बहुत सारी ढाणियां जुड़ी होती है। बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं। ढाणियों में पानी की भयंकर समस्या है। दुर्भाग्य है कि ग्रामीणों और देहात के क्षेत्रों में आज सरकार यह कहकर के दूर हो जाती है कि साहब, यह राजस्व गांव नहीं है। आप शहर की तुलना कीजिए। शहर की अगर कोई कॉलोनी बाहर जाकर बसती है तो सरकार वहां पानी की लाइन डालती है, वहां बिजली देती है, वहां सब सुविधाएं देते हैं। आज गांवों की जो ढाणियां हैं वे गांवों की कालोनियां हैं। अगर गांवों की ढाणियों को पानी की सुविधा से वंचित कर के या उनको सुविधा मुहैया करवाने के लिए यह कह कर टाला जाता है कि वे राजस्व गांव नहीं है तो यह भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसके साथ-साथ पेयजल की जो हैण्ड पम्प की योजना है उसमें भी हम जो सामान वगैरह देते हैं वह बहुत खराब हो जाता है। इसलिए उन सामान की जांच करवा कर के अच्छा सामान दिलवाया जाए और उन सुविधाओं को जो कि हैण्ड पम्पों को गहरा करने पर जल्दी खराब मालूम होती है, उनको ठीक करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाए और नई सरकार जो कि इस काम को हाथ में ले रही है। आज हम गांव के कुओं को देखते हैं तो माननीय सदस्य इधर से अभी बहुत ही जोरदार शब्दों में कह रहे थे, आज अगर गांव के कुओं की हालत देखी जाए

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

तो पूर्व सरकार ने कीचड़ से भरे हुए कुंएं इस सरकार को सम्भलवाये हैं। इसलिए काफी समय तो उनका कीचड़ साफ करने के लिए लगेगा। इसलिए जब तक हम समस्या की तह तक नहीं जायेंगे यह कह कर हम बुराई करते रहे कि अधिकारी भ्रष्ट हैं तो हम सब लोगों का यह भी दायित्व है कि हम उनके साथ सहयोग करें। गांवों में अगर माननीय सदस्य अधिकारियों का, इंजीनियरों का इनका सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का हल होगा और यह कह कर आंकड़ देते रहे कि अधिकारी भ्रष्ट या इनमें यह है या इनमें भ्रष्टाचार की बू आती है तो इससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। इसलिए मैं इस मांग के साथ पुनः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनकी सूझबूझ से इस कार्य को अपने हाथों में सम्भाल रहे हैं, वे पानी की समस्या की तह तक जाने की योजना बना रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामप्रताप जी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में जलदाय विभाग की जितनी स्कीमें आज तक सरकार द्वारा बनाई गई, उसके निर्माण कार्य में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक-एक गांवों में जाकर मैंने खुद देखा है कि हर जगह पर पीली ईंट लगी हुई है, एक नम्बर ईट नहीं है। कच्ची ईंट पूरी पक्की नहीं है। और सीमेंट की जगह मिट्टी वाला गारा लगा हुआ है। अगर सीमेंट लगी भी है तो जैसे एक कट्टा सीमेंट लगनी चाहिए थी वहां पर उसका चौथा हिस्सा ही लगा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी ऐसी स्कीम नहीं है, जहां ईंटें सही तरीके से लगाई गई हैं। कहीं पर डिग्गी टूटी पड़ी है कहीं पर चैनल नहीं बना हुआ है, तो कहीं पर तो फिल्टर वाटर वर्क्स के चालू भी नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ, जब हम स्वच्छ जल ही सप्लाई नहीं कर सकते और जितना उस स्कीम पर पैसा खर्च होना चाहिए था, वह हो गया। तो पैसा खर्च होने के बावजूद आज तक वे फिल्टर चालू क्यों नहीं किए गए। उनमें क्या दिक्कत है ? कुल मिलाकर के मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितना भी निर्माण कार्य रहा है, उस सब की जांच होनी चाहिए। इसके लिए मेरा लिखित में भी पहले दिया हुआ है। जलदाय विभाग की तरह से जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनमें भी बहुत बड़ा घपला है। सरकार जितने पैसे में हैण्ड पम्प लगाती है उससे आधे पैसे में, मैं मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूं, मैं खुद लगाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ा भारी घपला है। इसके अलावा जितनी भी स्कीम अधूरी पड़ी हैं, जब हम गांव में जाते हैं तो लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारे गांव के अन्दर पाइप नहीं है

(श्री रामप्रताप कासनिया)

और इधर एक्स. ईएन. साहब के पास जाकर हम कहते हैं कि फलां गांव में पाइप नहीं है तो एक ही जबाब मिलता है कि इस गांव का सारे का सारा पैसा खर्च हो गया। गांवों के अन्दर स्कीम अधूरी पड़ी है और पैसा खर्च पहले ही हो गया। इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये और उचित निर्णय लिया जाये। इसके अलावा कम से कम 40 वाटर वर्क्स ऐसे हैं जिनमें डिग्गियां बनी हुई हैं और चैनल बने हुए हैं परन्तु पिछले चार-पांच सालों से वह चालू नहीं किये जा रहे हैं। उनमें क्या अड़चन है? सिर्फ एक ही बहाना बनाते हैं कि पैसा नहीं है। जिस स्कीम के अन्दर निर्माण कार्य शुरू हो गया उसका पैसा तो मंजूर हुआ है। इसके अलावा एक घपला और है। एक ही गांव में अलग-अलग चकों के नाम से पैसा मंजूर करके अमुक गांव का पैसा कहीं दूसरे कस्बे में खर्च कर दिया और कस्बे का पैसा गांव के अन्दर खर्च कर दिया। मेरा जो गांव है जाखड़ावाली, उसके अन्दर चार बार पैसा मंजूर हुआ है। एक तो 3-पी. एस. एम., 12-जे. डब्ल्यू. डी. और 12-एस. पी. टी. के नाम से। एक ही गांव में अलग-अलग चकों के नाम से चार बार पैसा मंजूर हुआ है और उस गांव का वाटर वर्क्स पिछले दस सालों से बना हुआ है, उसका चैनल भी पूरा नहीं बना हुआ है। वह पैसा, जो जाखड़ावाली के नाम से मंजूर हुआ था वह पीलीबंगा मण्डी में क्वार्टर बनाने पर खर्च कर दिया। मेरा मंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से अवश्य करवायें तो बहुत भारी मात्रा में इसमें घपला मिलेगा और यह बात मैं बिलकुल सही रूप से कहता हूं, कोई बनावटी बात नहीं है। गांव में जब हम जाते हैं तो औरतें, बच्चे और बूढ़े एक ही बात कहते हैं कि अब तो राज बदल गया, कम से कम पीने के लिए पानी तो स्वच्छ दे दो। पाइप लाइन के अन्दर एक-एक किलो की मच्छियां चली जाती हैं। फिल्टर चालू नहीं होने के कारण उसमें कचरा, घास, तरह-तरह के भयंकर बीमारी फैलाने वाले कीड़े पाइप लाइन के जरिये घरों में चले जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और नियम बना रखा है कि पांच हजार की आबादी से कम आबादी वाले गाँव में हम कनेक्शन नहीं देंगे। सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? जिस गांव में जो व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहे, वह सरकार को पैसा देता है, कोई मुफ्त में कनेक्शन नहीं लेता है। उल्टे एक तो सरकार को आमदनी होती है और ऊपर से कहते हैं कि कनेक्शन हम पांच हजार की आबादी से कम आबादी वाले गांव में नहीं देंगे। यह नियम लागू नहीं रहना चाहिए, इसको हटा दिया जाये। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से कनेक्शन लेना चाहे, उसको कनेक्शन मिलना चाहिए। इससे उल्टे सरकार को इन्कम वाली बात है, कोई घाटे वाली बात नहीं है। मैं पुनः मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाइये। अध्यक्ष महोदय ने जो मुझे टाइम दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लालचन्द डूडी।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यहां म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दो-एक बातें कह देना चाहता हूं। आज उनकी डिमाण्ड के ऊपर बहस भी है और हम डिमाण्ड को पास भी करेंगे, उसका समर्थन भी करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं। अभी कल आपने मेरे असेम्बली क्वेश्चन के जवाब में दिया था कि अकेले भादरा में सफाई कर्मचारियों के आठ लाख रुपये बकाया हैं, कर शाखा के कर्मचारियों के साढ़े पांच लाख रुपये बकाया हैं और दूसरे कर्मचारियों के डेढ़ लाख रुपये बकाया हैं। इस तरह से भादरा के टोटल कर्मचारियों के 15 लाख रुपये बकाया हैं। आपने इस दफा बहुत सुन्दर तरीके से इस बात को भी स्वीकार किया कि सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के कारण कार्य करना भी बन्द कर दिया है। यह भी आपने स्वीकार किया है। अब अन्दाजा लगा लें कि कस्बे के अन्दर अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो उस कस्बे की क्या हालत होगी। अब किनके जिम्मे था, जो लोग बड़े भारी हरिजनों के हितैषी हुआ करते थे, मेरे ख्याल से तो सफाई कर्मचारी हरिजनों के अलावा कोई नहीं है। यह पैसा मार्च, 90 तक बकाया है। इस हरिजन हितैषी सरकार ने जो कारनामे किये हैं, उन हरिजनों के साथ जो किया है, आप मेहरबानी करके उन हरिजनों की तरफ थोड़ा ध्यान दें और उनको यह पैसा दिलवायें। गरीब आदमी इतने दिन तक बिना तनख्वाह काम नहीं कर सकते, उनके बच्चों को साधन दें। एक तो यह करें।

दूसरा, मैं जो आपको बता रहा हूं, यह बात मैं स्वीकार करता हूँ कि भादरा की मण्डी हरियाणा के पास होने की वजह से माल ज्यादा बाजार में नहीं आता और हरियाणा की तरफ चला जाता है जिससे टैक्स की वसूली कम होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं कि भादरा अकेली ऐसी मण्डी उस सारे एरिया की है जिसके अन्दर इमारती लकड़ी के ऊपर भी अगर सही हिसाब से टैक्स लिया जाय तो उससे काफी आमदनी हो सकती है। आज इमारती लकड़ी का भाव क्या है? वहां आपने पचास पैसे क्विंटल के हिसाब से टैक्स लगा रखा है। यह टैक्स नहीं है, यह तो यों ही फालतू की सी बात है। जिस तरह से लोहे की कीमतें बढ़ गई और टैक्स आपका वही वेट के ऊपर, इसी तरह से पत्थर की कीमतें बढ़ गई और टैक्स आपका उसी तरह वेट से ऊपर, इन चीजों का टैक्स आप पर्सेन्टेज के हिसाब से कर दीजिए ताकि म्यूनिसिपैलिटी को आमदनी हो और उन कर्मचारियों को कुछ मिल सके। एक बड़ा ताज्जुब कर रखा है आपने। कपड़े के ऊपर आपने सारी दूसरी जगह वेट पर टैक्स लगा रखा है और केवल मात्र भादरा में पर्सेन्टेज के हिसाब से टैक्स लगा रखा है, उसकी वजह से कपड़े के सारे टैक्स की की चोरी होती है। अगर इसको भी आप वेट के हिसाब से कर दें, करना भी चाहिए, तो और ज्यादा उचित होगा।

तीसरी बात, एक महिला बाल कल्याण केन्द्र का मामला वहां पड़ा है और वह जगह शहर के कस्बे के बिल्कुल बीच में है। जगह म्यूनिसिपैलिटी की है, सब अदालतों में और अन्य जगहों में म्यूनिसिपैलिटी के

(श्री लालचन्द डूडी)

पक्ष में फैसला हुआ है लेकिन जो सम्बन्धित पार्टी है उसने उलझा कर, घोंचा लगा कर हाई कोर्ट में डाल दिया और हाई कोर्ट में पता नहीं कब से पड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने सरकारी वकील के द्वारा, अन्य किसी वकील के द्वारा या अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा एक्सपेडाइट कीजिए ताकि वह उस केस को जल्दी करवा दें। इससे एक तो वह गंदगी हटे और दूसरे आपकी म्यूनिसिपैलिटी को कम से कम एक-डेढ़ करोड़ की आमदनी हो जाये।

चौथी बात—वहां जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं उनको भी हटाये जाने की व्यवस्था कीजिए। यह तो मैंने म्यूनिसिपैलिटी के बारे में कहा है।

अब पीने के पानी वाली बात है। अब बरसात हो गई और उससे कुछ रिलीफ मिली है। इस वास्ते रोज की हमें तकलीफ होती थी और कपड़ा फड़ाई होती थी उससे जो गुस्सा आता था वह तो नहीं है। लेकिन तथ्य तो ज्यों के त्यों हैं। उसमें आपको सुधार करना होगा। इस तथ्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो पाइप घटिया किस्म के किसी भी वक्त में खरीदे गये हों और जो पूरा प्रेशर नहीं दे सकते, चौथाई प्रेशर में ही फट जाते हैं उन पाइपों को तो आपको बदलना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वह इंजीनियर जाकर कह देगा कि अब वह मेथड ट्राई कर लो, एक साल वह दुख देगा। दूसरा कहेगा कि यह नहीं, यह मेथड ट्राई कर लो। तीसरा इंजीनियर जाकर कहेगा, यह नहीं साहब, यह मेथड ट्राई कर लो। इसमें पूरा एक साल लग जाता है। दूसरा कहेंगे यह कर लो। यूं कर कर के मैंने देख लिया है। विशेष तौर से भादरा में 12 इन्च की पाइप लाइन है और जिसके ऊपर सूरतवाली अनूप शहर स्कीम के 16-17 गांव हैं, डूंगराना डूंगासर स्कीम के कुछ गांव हैं। उस पाइप लाइन के ऊपर वहां के कर्मचारी, वहां के लोकल अधिकारी चाहे कोई रहा हो। उनको पिछले तीन साल से मेहनत करते हुए जैसा मैंने देखा है, मजदूरों को देखा है, उसके बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि उस लाइन पर कितनी ही मेहनत कर लें वह लाइन कामयाब नहीं होगी। इस वास्ते उस पाइप लाइन को तो आपको बदलना पड़ेगा। नोहर तहसील में भी ऐसे कुछ गांवों में वही पाइप लगे हुए हैं थोड़ा सा प्रेशर बनते ही पाइप फट जाते हैं। आपको पता है कितना नुकसान होता है। एक तरफ तो हम नहर से पानी लेते हैं और सिंचाई का जो पानी है, उस पानी को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ पीने के लिए पानी नहीं मिलता है तो इस मामले को सुधारना होगा, पाइप बदलने होंगे। पाइप बदलने के बाद और जो व्यवस्थाएँ हैं उनके अन्दर कोई लम्बा चौड़ा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसमें केवल यह है कि आपका सिस्टम है उसको आपको बदलना पड़ेगा।

इसी तरह से फील्ड में काम करने वाले आफिसर हैं, ए. ईएन. हैं या जे. ईएन. हैं उनको सब जगह घूमना पड़ता है। टीबों में जाना पड़ता है, कीचड़ में, गर्मी में उनको जाना होता है और कोई

(श्री लालचन्द डूडी)

साधन नहीं है। कुछ दे रखा है तो बाबा आदम के जमाने की डीजल वाली जीप दे रखी है जो थोड़ी दूर चलकर बन्द हो जाती है और जयपुर शहर में जहां पर उसको केवल सेनेटरी देखनी होती है, बीकानेर के अन्दर एक्स. ईएन. को केवल घूमना होता है वहां पर मोटर साइकिल से भी काम चल सकता है। उसको तो दे रखी है जिप्सी और वह आदमी जिसको चारों तरफ घूमना पड़ता है, सामान लेकर भी घूमना पड़ता है। उसको साधन नहीं दे रखें हैं तो साधन बढ़ाइये और जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसको बढ़िया साधन दीजिए। दूसरी बात आपने क्या कर रखी है। अभी एक बात आयी थी गंधेली साहवा स्कीम की एक साल के बाद तकनीकी स्वीकृति दी। क्यों साहब एक साल बाद क्यों? ज्योंही प्रशासनिक स्वीकृति हो जाती है तुरन्त बाद उसकी तकनीकी स्वीकृति क्यों नहीं मिलती है। एक साल के बाद दुगनी तो रेट्स हो जाती है। दिक्कत क्या है? चीफ इंजीनियर, एक्स. ईएन., बीकानेर या जयपुर में बैठे कहेंगे लाओ स्कीम बना कर लाओ। वह स्कीम बनाकर जयपुर आता है और जयपुर आकर जब दिखाता है तो कहते हैं इसमें यह कमी रह गयी दुबारा बनाकर लाओ वह फिर भागकर जाता है और लाता है और छोड़कर जाता है कि अच्छा हम देखेंगे। आप इस तरीके को बदलिए। तकनीकी स्वीकृति जिस स्कीम के लिए हो सम्बन्धित उच्च अधिकारी उस क्षेत्र में जाय और वहां बैठकर उस स्कीम को देखें और जो कमी हो वहीं निकालकर तुरन्त वहां से सेंक्शन कराकर भेजे ताकि देरी न हो और इस बहाने से हैड क्वार्टर में बैठे अधिकारियों का सुपरविजन भी हो।

एक बात और बता दूं हम मंत्रीजी के पास जाते हैं हमें ठीक रेस्पांस मिलता है, हम चीफ इंजीनियर के पास जाते हैं हमें ठीक रेस्पोंस मिलता है हम एस. पी., कमिश्नर, कलक्टर के पास जाते हैं हमें ठीक रेस्पोंस मिलता है पर आपका जो यह पानी वाला है, खोलने वाला और बन्द करने वाला इससे भगवान बचाए। उस हैल्पर के पास कोई जा नहीं सकता उसके लिए आपको कोई बात करनी होगी। शिकायत आयी कि पाइप फटते हैं, क्यों फटते हैं? हमें जवाब मिला कि किसान फोड़ देते हैं। मैंने कहा कितने किसानों के खिलाफ केस पकड़वाये? मैंने पूछा आपके पास कितने आदमी हैं? हैल्पर आदि कितने हैं? 156 आदमी हैं। तो एक हैल्पर के पीछे 2 किलोमीटर आता है वह उस दो किलोमीटर पाइप लाइन को वाच नहीं कर सकता है? मैंने उन से लिस्ट मांगी इस डिवीजन के अन्दर कितने वर्कर काम कर रहे हैं। उनकी मुझे बड़ी मुश्किलों के बाद लिस्ट मिली क्योंकि काफी हाजरियां इसमें गलत रहती हैं और वह लोग कहीं दूसरी जगह काम करते हैं। आप इनके जितने हैल्पर जिसने सब डिवीजन में लगा रखे हैं उसकी लिस्ट उस पंचायत समिति के प्रधान को या बी. डी. ओ. को दे दीजिए और उनकी ड्यूटी कौन सी पंचायत में है वह बता दीजिए ताकि वह देखें कि यह लोग काम कर रहे हैं या किसी अफसर के यहां काम कर रहे हैं। इसको आप करिए।

(श्री लालचन्द डूडी)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(7.55 रात्रि)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

एक अन्य सबसे बड़ी समस्या आ रही है और विशेष रूप से सीकर और झुंझुनूं के एरिया में उसके बारे में निवेदन है सभापति महोदय, कि आपको क्रोप पैटर्न बदलना होगा। अगर आप क्रोप पैटर्न नहीं बदलकर यों ही काश्त करते रहे और जितना पानी जमीन से ले रहे हैं वह री-चार्ज नहीं हो रहा तो वह समाप्त हो जायेगा। यह तो इस दफा बरसात हो गयी जिससे कुछ फर्क पड़ गया। इसलिये आपको ध्यान देना होगा कि आप ऐसी फसल बोयें कि पानी जमीन के अन्दर से कम से कम बाहर निकल सके और फसल पूरी हो जाय।

बाकी मेरे इलाके की जो समस्याएं हैं उसके तो मैंने कट मोशन दे दिये हैं मुझे उम्मीद है उनको आप देख लेंगे। क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं देंगे पर दो बातें और कहनी थीं। एक तो आप पाइपों के बीच में जो रबर की ज्वाइंट लगाते हैं वह अगर पानी लगातार फलों में रहे तो कोई दिक्कत नहीं पर एक बार चार पांच दिन के लिये पानी बन्द हो जाता है तो उसको दीमक खा जाती है। इसके लिये इंजीनियर लोग कोई रास्ता निकालें।

दूसरी बात है जी. एल. आर. की, सभापति महोदय, मैं तो इनको कहते-कहते थक गया। सरकार को पता नहीं हमारी सेहत की क्या परवाह है। वह कहते हैं हमें तुम्हारी सेहत की बहुत परवाह है हम तुम्हें ऐसा पानी देंगे जिससे तुम बीमार नहीं हो। हम कहते हैं आप देखो तो सही बीमार तो हम देख लेंगे। हमारे पुराने बुजुर्ग इस पानी को पीते-पीते चले गये वहीं कुछ नहीं हुआ। अब हमारे कुछ नहीं होगा। जी. एल आर. जिस तरह की बना रखी है वह एक गांव की एक दिन की सिटी लायक है। तीन दिन बिजली नहीं आयेगी तो तीन दिन पानी कहां से आयेगा? अगर आपको जी. एल. आर. बनानी है, आपको हमारी सेहत की तकलीफ है तो आप एक काम कर सकते हैं आप जमीन के अन्दर बना दीजिये। उसमें पानी डलवा दीजिये उसको ढकवा दीजिये और उसके अन्दर यह पांच सौ, चार सौ रुपये का जो हैण्ड पम्प आता है यह लगा दीजिये। इससे आपका पानी वेस्ट नहीं जायेगा आपका पानी गन्दा नहीं होगा और आज जैसी आम आदमी की आदत हो गयी है उसके अनुसार जी एल. आर. पर कहीं टूटी नहीं होगी। अगर कहीं टूंटी है तो उनको कोई बन्द नहीं करता है। यह हमारी साइकोलोजी हो गयी, उसको कोई बन्द नहीं करता है, अगर टूंटी लगी है तो उसको उखाड़ लेते हैं और वह पानी लीक होकर सारा निकल जाता है और गंदगी हो जाती है तो आप इसको जमीन के अन्दर करके हैण्ड पम्प लगा दें ताकि पानी वेस्ट न हो और जहां पाइप पूरी कैपेसिटी को नहीं पकड़ सकते हैं वहां तो पाइप बदलने पड़ेंगे। इसको मैंने देख लिया है। डिपार्टमेण्ट के लोग नहीं कहेंगे। क्योंकि गलती किसी ने भी की हो लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता कि किसी का नाम आये इसलिए

(श्री लालचन्द डूडी)

वे अधिक सामने स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यह सब जानते हैं कि यह पालन चलेंगे नहीं। इसलिए इन के मुंह से मत कहलवाइये हम कहते हैं हमारी मान लो और इनको बदलकर ठीक करवाइये। तकनीकी स्वीकृतियां हैं उसको समाप्त करें, मौके पर जाकर ही तकनीकी स्वीकृतियां हों। ए. ई एन. जे. ई एन. कागज लेकर बीकानेर, जोधपुर न जाये वह व्यवस्था तो करनी होगी। आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, एक बात तो निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई। दोनों पक्ष के सदस्य महानुभवों ने जो अपनी वार्ता में यह बात कही है कि आज का जलदाय विभाग का प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, यह सिद्ध हो चुका है।

अनेक माननीय सदस्य : हैं।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह बात मैं कोई विपक्ष का सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उधर जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कई सदस्य महानुभाव हैं, उनके दिल की जो पीड़ा है, वह इस बात की अभिव्यक्ति है। सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपनी जनता को शुद्ध जल शुद्ध वायु मुहैय्या करवाये। परन्तु आज का दिन शुद्ध जल और शुद्ध वायु के लिये ही एक तरह से तय है। सरकार में बैठे हुए अधिकारीगण इस बात को इस रूप में न लें। न तो आलोचना के रूप में लें। लेकिन वह अपने दिल को टटोलें कि जिस जगह पर इनकी नियुक्ति हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अधिकारियों को सम्बोधित नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य आपको यदि यह भ्रम है कि मैं आपके व्यवधानों से बैठ जाऊंगा तो यह गलत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, मैं तो आपको प्रेरित कर रहा हूँ। मैं तो केवल आपको नियमों की जानकारी दे रहा हूं कि अधिकारियों को सम्बोधित नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : नियमों को आप ताक में रख दीजिये और जनता के हितों की बात कीजिये। 40 साल से नियमों को देखते आ रहे हैं। बदल डालिये ऐसे नियमों को जो हमारे राहत देने में बाधा बनते हैं। ऐसे + + + नियमों को बदलना होगा।

सभापति महोदय, इन्सान जिस धरती पर जाकर काम करता है, उस धरती का अन्न, जल खाकर वह काम करता है तो उसके नाते उसका यह दायित्व होना चाहिये कि उसके प्रति वह संवेदनशील हो। वहां की जनता के दुख दर्द में वह अपनी भागीदारी समझे, अपना दायित्व समझे।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लेकिन पूर्ण रूप से एक अनुत्तरदायित्व का व्यवहार जो दिख रहा है, यह स्पष्ट ही इस बात का संकेत है कि उन्हें वास्ता केवल अपने राजनैतिक संरक्षण का है। जनप्रतिनिधि के प्रति, जनता के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं है। मैं सीकर क्षेत्र से हूं, तो मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं सीकर की समस्याओं के बारे में भी आपको जानकारी दूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तक किसके लिए बोल रहे थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर में 1969 में करीब 18 लाख रुपये की लागत से जल की जो योजना बनी थी, वह अनुमानतः 60 हजार की जनसंख्या के हिसाब से बनी थी। उसके बाद 1970 में करीब 7 लाख 44 हजार की दुबारा एक योजना बनी, उसको करीब अनुमानतः 70 हजार की जनसंख्या के आधार पर तय किया गया था। सभापति महोदय, लक्ष्मनगढ़, फतेहपुर लोसल इन छोटी-छोटी जगहों पर जो स्कीम बनी थी, वह रिवाइज हो चुकी है, रिआगनाइज हो चुकी है। लेकिन सीकर जिसकी जनसंख्या आज। लाख 50 हजार से भी ऊपर हो चुकी है, उसमें 1969 में डाले हुए वही दो इंची पाइप और तीन इंची पाइप पड़े हुए हैं। इसलिए जो अधिकतर जगहों पर लीकेज हो चुके हैं, जो गन्दे नालों से होकर गुजर रहे हैं, जिनसे सीकर की जनता प्रदूषित जल पीने को बाध्य हो रही है। वहां के जो अधिकारी जी विराजमान हैं, उनसे जाकर बार-बार सम्पर्क करने के बावजूद भी मेरा यह दावा है, मेरा यह चैलेन्ज है, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को कि वह स्वयं मौका फरमायें। यदि उन्हें इन सारी जगहों पर, जो मैं यह बात बता रहा था कि आज सीकर की जनता प्रदूषित जल, जो हमारे माननीय सदस्य औरों ने कहा है कि घरों में पानी में कीड़े आते हैं, इसकी व्यवस्था कौन करेगा। अधिकारी के पास जब हम जाते हैं तो हमें स्कीम्स दिखाई जाती है कि 1 करोड़ 40 लाख की स्कीम बना दी, 2 करोड़ की स्कीम बना दी। और अभी हाल ही में 2 93 करोड़ की एक स्कीम बना दी, जो करीब 89 में यह स्कीम बनी थी, जिसके नम्बर 13794 24-11-1989 को चीफ इंजीनियर महोदय के पास में यह स्कीम पैंडिंग पड़ी हुई है। हमने वहां के एक्स. ई. एन. महोदय से भी इसके बारे में चर्चा की। लेकिन सभापति महोदय आपको इस बात को सुनकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने जिस दिन यह स्कीम चीफ इंजीनियर साहब को भिजवायी, उसके बाद में उनकी तरफ से कोई परस्यूएशन नहीं था। उनकी तरफ से इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं की, महज इसलिए नहीं की थी। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे सुनकर दुःख हुआ यदि मैं मेरे विभाग को इस कार्यवाही के बारे में बार-बार आग्रह करूंगा, बार-बार जाकर मैं यदि इस स्कीम्स के बारे में पर्टिक्यूलर स्कीम के बारे में यदि कहूंगा तो यह स्कीम रिजेक्ट हो जायेगी। सभापति महोदय, एक्स. ई. एन. की ड्यूटी शहर में इस बात के लिये है कि वह वहां की जनता की पानी की सुख सुविधा का ध्यान रखे, तो उसका यह दायित्व भी बनता है कि वह इस स्कीम

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के बारे में परस्यूएशन करते, लेकिन उन्हें यह डर है कि कहीं, स्कीम रिजेक्ट हो गयी, स्कीम भले ही रिजेक्ट होती, लेकिन उनको इस बात का भी डर था कि आप अपने अधिकारी के प्रति इस प्रकार से मुंह जोरी करने के लिए क्यों गये। सभापति महोदय, हम जब जनता के बीच में जाते हैं जनता के दुःख दर्द और तकलीफ की जब बात सुनते हैं, खास तौर से पानी जैसी समस्या के लिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र श्यामगढ़ नामक गांव में जब मैं गया, तो वहां की औरतें रो पड़ी और यह कहने लगी कि बेटा हम तो अपने गांव में बेटी के व्यवहार तक से वंचित हो रहे हैं, महज इस पानी की समस्या के लिये। मैं वहां के एक्स. ई एन. साहब से मिला, वहां के कलक्टर साहब से मिला। लेकिन देखिये जब कान्स्टिट्यूंसी प्लान में वहां के श्यामगढ़ में ट्यूब-वैल सेंक्शन हुआ। लेकिन बड़े लम्बे समय के बाद वहां पर मशीन पड़ी रही राजनैतिक के नाते। आज भी मैं समझता हूं कि वह मशीन अपने कार्य की पूरी प्रगति पर नहीं है। भगोरा गांव में कान्स्टिट्यूएन्सी प्लान में 4 हैंड पम्प सेंक्शन किये लेकिन उनकी स्वीकृति निरस्त हो जायेगी। हैंड पम्प आज भी अपनी जगह पर लावारिस पड़े हुए हैं। क्योंकि इनको वहां पर हैण्ड पम्प लगाना ही नहीं है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं इस बात की जानकारी चाहूंगा कि जनवरी, 1990 से फरवरी, 1990 तक सीकर मे कितने पाइप आपने अपने विभाग में भिजवाये। वह पाइप किस-किस योजना के तहत कौन-कौन से वार्डों में लगाये ? उन पाइपों की उन योजनाओं की क्या तकनीकी और प्रमासनिक स्वीकृति ली गयी थी। यदि आज आपके पास में है तो आप सदन के पटल पर रख दें। (व्यवधान) सवाल पटल पर रखने का नहीं है सवाल उस अव्यवस्था का है जो आज सरकार में व्याप्त है। सभापति महोदय, एक तो यह व्यवधान और दूसरा आज दो-दो विषय पर डिमाण्डस हैं। मैंने पूर्व में 26.6 को माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये 131 में मैंने इनको सूचना दी थी, जिसके बारे में मुझे आज तक बोलने का मौका नहीं दिया गया।

श्री सभापति : सूची बहुत लम्बी है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : सूची बहुत लम्बी है, निश्चित रूप से है, लेकिन मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आपसी वार्ता में समय खराब हो रहा है, इतने में मैं दो बात बोल लेता। माननीय सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से जन प्रतिनिधि चुनकर आता है उसके दिल में अपने लोगों के प्रति दर्द होता है। उस दर्द की अभिव्यक्ति का एकमात्र मंच यही है। हम बात करते हैं यह सोचा कर कि माननीय मंत्री महोदय और सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण उस बात को इस रूप में लेंगे कि यह वार्ता कोई व्यक्तिगत आक्षेप की नहीं बल्कि जनता के प्रति दर्द की भावना है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, हालात आज इस दर तक पहुंच गये हैं, हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं; जैसी कि सदन में चर्चा हुई कि पानी की मांग करने के लिये आये हुए ग्रामीणों पर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

गोलियां तक बरसायी गयी। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर पानी की मांग करने जाऊं तो क्या गोलियां बरसायी जायेंगी। सदन में आप बात करने नहीं देते, यहां जाकर बात करेंगे गोलियां बरसायी जायेंगी। फिर मैं अपने क्षेत्र की जनता की जायज डिमाण्ड्स को रखने के लिए कहां जाऊंगा ? कौन सा वह क्षेत्र है जहां जाकर मुझे पानी के लिए कहना पड़ेगा ? माननीय सभापति महोदय, मेरा हक बनता है कि मैं अपनी बात को पुरजोर शब्दों में माननीय मंत्री महोदय के पास आपकी मार्फत पहुंचाऊं।

श्री सभापति : पुरजोर शब्दों में हो गयी। आ गयी मंत्री जी के पास।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब दूसरी बात आती है नगर परिषद की। सीकर की नगर परिषद आज अव्यवस्थाओं का शिकार है। सभापति महोदय, यह बड़ा ही चिन्ता का विषय है। अधिक बात तो आप बोलने नहीं देंगे क्योंकि बार-बार आपका हाथ घण्टी पर जा रहा है। लेकिन मैं कुछ अव्यवस्थाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सीकर नगर परिषद आज ऐसी माली हालत से गुजर रही है कि वह अपने यहां काम करने वाले हरिजन भाइयों को समय पर तनख्वाह चुकाने की स्थिति में भी नहीं है। उसके बावजूद अफसोस है, सख्त अफसोस है कि वहां पर ट्रांसफर हुए राजस्व अधिकारी को दुबारा लगा दिया, जब कि एक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति पूर्व में हो चुकी थी। राजस्व अधिकारी की पहले तो वहां एक पोस्ट थी, लेकिन एक अधिकारी की नियुक्ति वहां पर और की दी गयी है सैकण्ड आर. ओ. के रूप में। माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन-सी परिस्थितियां बन गयी थीं जिनके चलते आपको सीकर नगर परिषद में दो-दो आर. ओ. की व्यवस्था करनी पड़ी, जब कि आपको पता है कि सीकर नगर परिषद की रेवेन्यू इतनी ज्यादा नहीं है कि वहां पर दो-दो रेवेन्यू अफसर लगाये जायं ? माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या के हिसाब से यह बड़ा गम्भीर मसला है कि सीकर की छोटी-सी नगर परिषद में आपने प्रशासन नाम से जो व्यवस्था कर रखी है वह उस नगर परिषद पर + + + एक बोझ है। मैं मांग करता हूं आपकी मार्फत इस सदन से कि सीकर की नगर परिषद से प्रशासक को हटाया जाय और वैकल्पिक व्यवस्था हो. पूर्व में ए. डी. एम. साहब की मार्फत जो व्यवस्था चलती थी वही व्यवस्था की जाय। यदि आपने इस वजह से बचे हुए पैसे को सीकर के विकास के लिए खर्च करने की बात की तो सीकर में विकास की बात होगी। मात्र तीन लाख रुपये सीकर के विकास की बात करने के लिए लगाये गये हैं वह भी इस शर्त के साथ कि यदि भूमि विक्रय से पैसों की आमदनी होती है तो सीकर में सड़कों और नालियों का विकास होगा। ऐसे हालात में जहां नगर परिषद को भूमि विक्रय से तीन लाख रुपये पैदा करने हैं, आपने इतना बड़ा वित्तीय भार डाल दिया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट, एक्स. ई. एन., ए. ईएन. जिसका ट्रांसफर हो गया था और उसके बदले में जे. ई. एन. काम करता रहा लेकिन आपके विभाग ने ए. ई. एन. तो भिजवाया नहीं। जब जे. ई. एन से ही काम चल रहा है तो वहां पर ए. ई. एन. की पोस्ट की क्या जरूरत थी। ए. ई. एन. शायद 4-5 रोज पहले आपने भिजवाया जिस दिन भिजवाया उसके साथ दो-दो जे. ई. एन. और एक सुपरवाइजर और भिजवा दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 15 मिनट हो गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, आप सीकर की बात नहीं बोलने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं न बोलने दें। मैं अपने अधिकारों के लिये लड़ना जानता हूं, लड़ता रहूंगा। + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : एम. आई. रोड पर आपकी पांच बत्ती माननीय मंत्री महोदय, स्वयं आपने महसूस किया होगा वहां से गुजरते हुए। आप एक क्षण के लिए सांस बन्द करते हैं। इसलिये कि वहां सांस लेने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। सीकर तो एक छोटी-सी जगह है, वहां तो यह व्यवस्था खैर हो ही नहीं सकती। इस गुलाबी नगरी जयपुर में स्थिति है नगर परिषद की कौन जिम्मेदार है इसके लिये ?

एक माननीय सदस्य : आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं निश्चित रूप से जिम्मेदार हूँ इस बात का। यदि यह सरकार इतनी नाकारा हो चुकी है कि मुझे दायित्व लेना पड़ेगा, तो मैं फिर भी तैयार हूं। क्योंकि इस नाकारा सरकार से मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं है कि यह अपने कार्यक्रमों को अन्जाम दे पायेगी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन, मंत्री महोदय, आप तो संवेदनशील हैं। आपके बारे में बड़े-बड़े चर्चे हमने सुने हैं कि आप अपने हकों की लड़ाई लड़ने में पहले भी माहिर थे। इसे आप मेरा हक नहीं राजस्थान की जनता का हक समझें। समय रहते आप इन दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, यह मेरी आप से मांग है।

श्री डूंगरराम पंवार : जमादार नहीं होता। जिम्मेदार कहते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, बात बड़ी छोटी-सी है। यह बात सुनकर कई सदस्य महानुभावों ने सदन

+ + + अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

में बड़ी खुशी मनायी होगी कि क्या छोटी-सी बात के लिए कहा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन छोटी-सी बात जीवन की दैनिक आवश्यकताओं में से है।

श्री सभापति : आपकी बात आ गयी, मंत्री महोदय ने आपकी बात को ग्रहण कर लिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय तक बात पहुंचायी है, उम्मीद है कि सीकर की जनता को पीने की सुविधा मुहैया करायेंगे। 2.93 करोड़ की स्कीम को कब तक लागू करने का सोच रहे हैं, पूरी, अधूरी, चौथाई या चौथाई से भी कम ? कुछ तो दिलवाइयें पानी के लिए। देवीलाल जी ने 90 लाख रुपयें आपको सीकर की जनता के पानी के लिये मुहैया कराये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज तक इस बात का पता नहीं है कि उस 90 लाख रुपये का क्या हुआ। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि वह 90 लाख सीकर की जनता की पेयजल की समस्या के लिए आप कब मुहैया करवा रहे हैं ? मंत्री महोदय, आशा है आप बहुत जल्दी सीकर की जनता की इन समस्याओं को समझते हुए किसी व्यक्तिगत अहम् के चलते नहीं वरन् समस्याओं को समझते हुए इनके निस्तारण का कोई उपाय करेंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, जन कल्याणकारी राज्य को पहली आवश्यकता प्रदेश के अन्दर स्वच्छ, मीठा एवं पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेयजल के मामले में 40 प्रतिशत अधिक धनराशि का प्रावधान रखा। ग्रामीण क्षेत्र के लिये पिछले वर्ष 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया था जब कि इस वर्ष 42 करोड़ का प्रावधान रखा गया। शहरी क्षेत्र के अन्दर पिछले वर्ष 29.8 करोड़ का प्रावधान था कि इस वर्ष 39.8 करोड़ का प्रावधान रखा गया। कुछ पेयजल योजना के मामले में 81.8 करोड़ का प्रावधान रखा गया। राजस्थान में ढाई साल के जनता पार्टी शासन के अलावा चालीस साल तक कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस के शासन काल में पेयजल की योजनाओं के नाम पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये। पेयजल की योजनाओं के अन्दर कांग्रेस शासन में नाना प्रकार के घपले और घोटाले हुए। परिणाम यह हुआ कि आज ग्रामीण, गांव की मातृ शक्ति को एक-दो किलोमीटर तक सिर-

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पर घड़ा रखकर पानी लाने के लिये दूर दराज स्थानों तक जाना पड़ता है। गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों एवं ग्राम लोगों को ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी लेकर अन्य स्थानों पर पेयजल के लिए जाना पड़ता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासन में पेयजल में जो घपला हुआ, जो घोटाला हुआ, राज्य सरकार का चाहे कितना बड़े से बड़ा अधिकारी हो या चीफ इंजीनियर हो या अन्य अधिकारी हो, वह उस घोटाले के अन्दर दोषी है तो उसको प्रताड़ित किया जाय, दण्डित किया जाय, यह मैं मांग करता हूं। सन् 1987-88 में इसी सदन के अन्दर पाइप घोटाले में मांग उठी थी और जन लेखा समिति ने अपनी 556 पेज की रिपोर्ट के आधार पर कुछ अधिकारियों को करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में दोषी पाया था। मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या तीन करोड़ की पूंजी वाली भीलवाड़ा की कम्पनी श्री पाइप्स को फायदा पहुंचाया गया, जिससे राज्य सरकार को तीन करोड़ साठ लाख रुपए का नुकसान हुआ? 1982 से 1987 के बीच में 13 करोड़ 13 लाख का दस लाख मीटर जी. आई. पाइप खरीदा गया, जबकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी? क्या ई. आर. डब्ल्यू. पाइप की जरूरत थी जिसके दाम 115 रुपए प्रति मीटर थे, जब कि जी. आइ. पाइप 150 रुपए प्रति मीटर से खरीदा गया और राज्य सरकार को 350 करोड़ का नुकसान हुआ? मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी भी लेना चाहूँगा कि लाल कोठी, जयपुर में जहां ट्यूब वैल था उसको ध्वस्त करके किसी अधिकारी ने वहां पर अपना भवन बना लिया, क्या यह बात सही है? मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा। अगर इस पाइप घोटाले के अन्दर, इस पेयजल के मामले में कोई कितना ही बड़े से बड़ा अधिकारी दोषी हो उस अधिकारी को दण्डित किया जाय। यह करोड़ों रुपयों का घोटाला जिन अधिकारियों ने और जिन व्यक्तियों ने किया अगर यह करोड़ों रुपए का पैसा गांव के जरूरतमंद लोगों की पेयजल समस्या के काम में लगता तो समस्या ग्रस्त गांवों की पेयजल समस्या का निदान हो सकता था।

अन्त में मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से अपनी तरफ से कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूँगा। हैण्ड पम्प के मामले में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हैण्ड पम्प के लिए अलग से सब डिवीजन बनाया जाय ताकि पेयजल योजना के बारे में ए. ईएन. अलग ध्यान रखे और सब डिवीजन के हैण्ड पम्प के गांव के अन्दर, शहर के अन्दर बार-बार हैण्ड पम्प खराब रहते हैं और ए. ईएन. जिसको पेयजल योजना के बारे में ध्यान देना पड़ता है, हैण्ड पम्प के बारे में देखरेख करनी पड़ती है तो वह एक आदमी सक्षम नहीं है। इसलिए उसका अलग से सब डिवीजन बनाया जाय।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे गांव के अन्दर कोई जनगणना होती है और 1981 की जनगणना के आधार पर गांव के अन्दर पेयजल की कोई योजना बनाई जाती है जबकि जनगणना, सेंसस 1981 की है और वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 81 के से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जो सेंसस पुस्तिका है उसके आधार पर उस गांव की जब पेयजल योजना बनती है उस वक्त वहां की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाए और उस गांव के पशुधन को और उनके पशुओं की संख्या को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाय। तो आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का सही रूप में कार्य हो सके अन्यथा पूर्व में जो योजनाएं बनी हैं कई गांवों के अन्दर जी. एस. एस. स्कीम है, जी.एल.आर. टैंक है उसकी पर्याप्तता कम होने के कारण वह स्कीम फैल हो चुकी है।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम, से मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर 4 गांव या 5 गांव के बीच में एक ऐसी योजना बनाई जाए ओवरहैड टैंक बनाए जाए ताकि उस ग्राम पंचायत के जितने भी गांव हैं उन गांवों को नल योजना द्वारा घरों में कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाए। मैं अन्त में माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा इलाका है और उस सोजत विधान सभा क्षेत्र का पश्चिमी इलाका क्षारयुक्त है। इस क्षेत्र में आज 40 और 42 साल पश्चात् इस कांग्रेस के कुशासन के कारण, गलत नीतियों के कारण आज मेरे क्षेत्र के अधिकांश गांवों में खारा पानी नसीब हो रहा है जो फ्लोराइडयुक्त है। मैंने पूर्व विधान सभा के अन्दर प्रश्न पूछा था उसमें माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आया था कि वास्तव में बिलावास, रेपड़ावास, हापत, बरियावाला बिरावास, घांगड़वास और अन्य अनेक गांव है जहां फ्लोराइड युक्त पानी दिया जाता है। इससे नाना प्रकार की बीमारियां होती है, विशेषज्ञों की भी ऐसी राय है कि ऐसा पानी निरन्तर पीने से कुबड़ापन और नारू की बीमारी हो जाती है।

इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र में 42 साल तक जिस गांव के लोगों को, ग्रामीणों को खारा पानी पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था की हुई थी उसके बारे में आप ध्यान देकर मीठे पानी की व्यवस्था के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाई जाय जो जवाई नहर पर हो और वह स्कीम बनाकर इन गांवों को मीठा पानी सुलभ कराया जाए। और सोजत नगर के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि सोजत नगर के अन्दर भी 30-35 हजार की जनसंख्या है वहां पर भी खारा पानी सुलभ हो रहा है। इसलिए मंत्री महोदय, आपसे मैं आशा करता हूँ और अपेक्षा करता हूं कि जवाई नहर के द्वारा एक करोड़ की स्कीम राज्य सरकार की बनी हुई है और कुछ किलोमीटर तक पाइप

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

और विछाने बाकी हैं। तो तत्काल इस स्कीम को लागू कर नगर को मीठा पानी सुलभ कराने की व्यवस्था की जाय, धन्यवाद।

श्री सभापति माननीय प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में गत 4-5 वर्षों की अनावृष्टि के परिणामस्वरूप जिस गम्भीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में जबकि यह समस्या चरम सीमा पर थी राजस्थान सरकार ने पूर्ण गम्भीरता और संवेदनशीलता से लेकर मंत्रिमण्डलीय समिति बनाकर जिस सूझ-बूझ का परिचय दिया और माननीय मंत्री महोदय ने जिस ईमानदारी, निष्ठा और लगन से इस विषम परिस्थिति में जनता को राहत पहुंचाई, निःसंदेह वह इसके लिए बधाई के पात्र है।

पेयजल का संकट गम्भीर है। यह जो व्यवस्था हुई है, मैं यह नहीं कहता कि सही व्यवस्था थी परन्तु जिस परिस्थिति में इस जनता को, पशुधन को राहत दी है वह वास्तव में प्रशंसनीय थी। जन स्रोत जल का स्तर नीचे जा रहा है परन्तु चूंकि मंत्री महोदय ने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया और प्रकृति ने शताब्दियों के रेकार्ड तोड़े तो मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले समय में भूजल स्तर भी ऊंचा आएगा और निःसंदेह हमारे तालाबों में, बांधों में कुछ पानी हुआ उससे कुछ राहत मिलेगी।

सबसे गंभीर समस्या है सम्पूर्ण राजस्थान चाहे आप पूर्व का ले लीजिए, चाहे पश्चिम का ले लिजिए, चाहे राजस्थान का हृदय अजमेर ले लीजिये चाहे इधर शेखावाटी एरिया ले लीजिए। कहीं पानी खारा है, कहीं पानी नहीं है। यह गम्भीर चुनौती है और इस चुनौती के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो पानी के रिसोर्सेज है वह सीमित हैं। हमें पानी को मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना होगा। शहर के अन्दर हम यह सीमा नहीं बांधते कि 20 लीटर चाहिए, 40 लीटर चाहिए और गांवों के लिए हमने कह दिया कि वहां 40 लीटर चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में पशु हैं उनके पीने के लिए भी पानी चाहिए, इसलिए 70 लीटर होगा। यह एक न्यायसंगत बात नहीं है। शहर के अन्दर जैसे माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य बता रहे थे कि हर जगह से पानी का दुरुपयोग होता है। बाथरूम में ले लीजिए यूरिनल्स में ले लीजिए। सफाई करने के लिए 5-5, 10-10 लीटर पानी जाता है तो निःसंदेह हमें किसी न किसी प्रकार से अनुसंधान करके शहरों के अन्दर होने वाले इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकना होगा।

मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि लगभग 81 करोड़ रुपये का पेयजल का बजट और चूंकि हमारी सरकार की मंशा 60 पर्सेन्ट रकम गांवों के अन्दर खर्च करने की है। तो माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप पहल कीजिए और पेय-

Page No. 258

258

(श्री सांवरलाल जाट)

जल की रकम में से 60 पर्सेन्ट रकम गांवों के लिए खर्च कीजिए तो निश्चित रूप से गांव वालों को लगेगा कि वास्तव में वह हमारे प्रति संवेदनशील है।

मैं मुख्य रूप से अजमेर की समस्या के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बीसलपुर की योजना शुरू की गई और हमारी सरकार का इरादा है मार्च, 1991 तक अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पानी दे दिया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि फिल्टर प्लांट की सेंक्शन और टेंडर अभी तक नहीं निकाले। मेरा अनुमान है और तकनीकी लोगों का भी अनुमान है कि लगभग 2 साल इसको बनने में लगेंगे। इसी प्रकार जो मैकेनेकिल पम्पिंग सेट, इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंटस् के टेण्डर्स है उनके ऊपर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 1988 से लगातार अब तक यह सेक्रेटेरिएट के अन्दर इन्तजार कर रही है? तो माननीय मंत्री महोदय, कहीं ऐसा न हो कि 5 साल का पीरियड इसके बनने में लग जाए। मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूँ कि जो भी बड़ी योजनाएं बनती हैं चाहे वह पेयजल के लिए बनती हैं शहरों के अन्दर पानी देने के लिए पहले सोचा जाता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं जहां से यह पाइप लाइन गुजरती है! हमारे सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जहां का पानी दूषित है, खारा है। लोग कुबड़े होते हैं किसी को टी. बी. होती है और हालत यह है कि लोग सगाई तक नहीं करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होती है कि उस गांव के अन्दर सम्बन्ध करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं।

तो माननीय मंत्री जी आप कहां से उनको पानी उपलब्ध कराएंगे। जब बीसलपुर का पानी उनके करीब होकर जा रहा है। निश्चित रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों को पानी दीजिए। आपने जो इसमें रखा है कि इतना पानी अजमेर को मिलेगा, इतना ब्यावर को, इतना किशनगढ़ को, इतना नसीराबाद को, इतना केकड़ी को और इतना सरवाड़ को, क्योंकि गांव वाले उजड़े हैं बान्ध से बनने के कारण। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों को सम्मिलित किया जावे और विशेष रूप से ऐसे गांवों को सम्मिलित किया जाय जहां पर कि पानी दूषित है, बीमारियां होती हैं।

इसी प्रकार पनघट योजना गांवों के लिये शुरू की गई है। गांव वालों को घरों में कनेक्शन नहीं देते हैं यह मैं असित सरकार के बारे में कह सकता हूँ, उनकी यह चाल थी कि गांव वालों को कोई राहत नहीं मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गाँव वाले रात-दिन काम करते हैं उनको घरों में पानी दिया जाय, उनके लिये बहुत बड़ी सुविधा होगी, वह अतिरिक्त समय खेती में लगायेंगे। इस प्रकार की योजनायें शुरू की जाय जिससे गाँव के लोग देश के लिये काम करें। वह अपने लिये नहीं करते हैं, समाज के लिये काम करते हैं। निश्चित रूप से मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस पर गौर फरमायेंगे।

(श्री सांवरलाल जाट)

क्योंकि नगरपालिका अजमेर के ये गांव कभी जिनकी हालत यह है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि भांवता से अजमेर पानी जाता है कम से कम आप इतना तो कीजिए जो पानी भांवता जाता है उसमें से पानी उपलब्ध करा सकें। चूंकि आप जनता के हित में विश्वास रखते हैं और निःसंदेह मैं यह आशा करता हूं कि जो-जो सुझाव देंगे आप उनको उपयुक्त मानकर उन पर अमल करेंगे।

(8·30 रात्रि)

आपकी सूझ-बूझ के कारण ही विशेष राहत मिली है परन्तु कुछ कमियां अधिकारियों के स्तर पर हुई हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है जिसकी ओर मैं निवेदन करना चाहता हूँ। पोलापाली मत रखिये। आप या तो अपने विभाग को मशीनें रखिये या निजी मशीनों से काम करवायें। हालत यह है कि अधिकारी लोग जान-बूझकर उनको खड़ी कर देते हैं, गैरेज के ऊपर, वर्कशाप के ऊपर निजी मशीनों से हम अगर निजी रूप से हैण्ड पम्प खुदवाते हैं तो कीमत आधी हो जाती है और यदि सरकारी स्तर पर काम करवाया जाय तो दुगुनी रेट लगती है। इसलिये या तो अपने स्तर पर काम करवायें सरकारी मशीनों से या आप निजी मशीनों से काम करवायें। जिससे कम से कम यह शंका, लगभग सभी लोगों को शंका वास्तव में होती है या नहीं, परन्तु चूंकि रेट के अन्दर अन्तर नजर आता है तो निश्चित रूप से शंका हो जाती है। या तो आप मशीनें पर्याप्त संख्या में रखें नहीं वो आप डिस्पोज आफ कर दीजिये, पर्याप्त संख्या में मशीनें खरीद कर उनकी पूर्व कैपेसिटी के अनुसार वह काम करें। इसके बारे में आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर वह अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं करती है तो इसके क्या कारण रहे हैं कि अगर एक दिन ठीक होने पर हैण्ड पम्प खुद गई, दूसरे दिन हैण्ड पम्प खुदा नहीं आप तीसरे दिन फिर गैरेज में पहुंच जाती है। ऐसी समस्यायें हमारे सामने आई हैं।

इसी प्रकार से हैण्ड पम्प के अन्दर कुछ जगहों पर प्लेट फार्म्स बनते हैं सीमेन्ट तक में गड़बड़ हो जाती है लोग जाते हैं वापस टूट जाते हैं दूसरे दिन तक। कम से कम इसके ऊपर भी आप थोड़ा-सा गौर फरमायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय सभापति महोदय, कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : सूची लम्बी बहुत है। आप समाप्त करें।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिले के अन्दर पानी कैसा है इसके लिये प्रयोगशाला होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले प्रयोगशालायें स्थानान्तरित कर दी गई हैं। अब जिला स्तर पर जांच

(श्री सांवरलाल जाट)

की सुविधा नहीं हो तो कैसा पानी लोग पी रहे हैं कैसा नहीं पी रहे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मेरा आपसे यह निवेदन करना है कि मैं कुछ गांवों के नाम आपको बताना चाहता हूं जहां पर जांच भी हुई है जो पहले 40 साल में नहीं हुई। मैं आपकी इस बारे में तारीफ करना चाहूँगा कि आपके राज में पहली बार राजपुरा, मदनपुरा, दौलतपुरा, सौंथली गांवों में पानी की जांच हुई है। पानी में क्लोराइड और फ्लोराइड की मात्रा है जिसके कारण कूबड़ापन और टी. बी. होती है, तो निश्चित रूप से इसके बारे में व्यवस्था करवायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी प्रकार मैं नगरीय विकास के बारे में.. कुछ थोड़ा सा, 2 मिनट में समाप्त करता हूँ, साहब।

निरन्तर नगर में बढ़ते जा रहे हैं कोई व्यवस्थित इनकी स्थिति नहीं है। सोसाइटीज प्लाट काट सकती हैं मगर किसान प्लाट नहीं काट सकता है। किसान को सोसाइटी वाले 6 महीने में साल भर में पैसा देते हैं प्लाट्स कट जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रकार के अधिकार किसान को दे दिये जायं, नक्शा आप जे. डी. ए. से एप्रूव करवायेंगे और सोसाइटीज भी यही करती है तो कम से कम एजेन्टगिरी, एजेन्ट लोग पैसा कमाते हैं यह पैसा तो इसमें खतम हो और किसान जिनकी उपजाऊ जमीन उजड़ जाती है उनको भी कुछ कमाने का मौका मिले।

मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि अजमेर राजस्थान का हृदय है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की जगह है वहां पर पुष्कर है, ख्वाजा साहब हैं, लाखों पर्यटक देश-विदेश से वहां पर आते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे कम से कम यह वायदा तो चाहता हूँ कि अजमेर जिले के लिये, अजमेर के गांवों के लिये आप पानी की ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे विदेशों से आने वाले लोग यह इम्प्रेशन लेकर जायं कि हमें कम से कम पानी तो मिला। चूंकि आज हालत हमारी यह है कि अजमेर में जवाब नहीं दे सकते हैं, 24 घण्टों में 72 घण्टे में पानी आता है।

इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्री हजारीलाल जी।

श्री हजारीलाल गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि खेतड़ी क्षेत्र में जलदाय योजना पर लाखों रुपया लगने के बाद भी पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे खेतड़ी में एक ग्राम है बूरका जो 6 किलोमीटर टीले के नीचे कुआ है पी. एच. ई. डी. ने आज से ठीक 6 साल पहले एक लाख 30 हजार रुपये आर, एस. ई. बी. में जमा करवाये, वहां बिजली पहुंच गई किन्तु गांव में आज तक टंकी नहीं बनी

(श्री हजारीलाल गुर्जर)

और न गांव में पानी पहुंचना शुरू हुआ है। बड़े खेद की बात तो यह है कि मंत्री महोदय पिछली सरकार भी यही कहती थी और आज की सरकार भी यही कहती है कि 32,000 गांवों में पानी दे दिया है, उन 32,000 गांवों में यह बूरका गांव भी है। आप जांच करवा लीजिए। वहां पर नहीं पहुंचा यह तो कोई खास बात नहीं है पर सबसे बड़ी खेद की बात यह है कि सरकार यह कहती है कि यहां पर पानी पहुंच गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के कई गांव ऐसे हैं—पपुरना, ल्योंदा, दूदवा, शीमला, मुकुन्दपुरा, किशनपुरा, दलौता, ठाठवाड़ी, डोसो, देवता, मोडको, तालाब, कालीट, दबाई, प्रतापपुरा गाडराटा आदि इन गांवों में आबादी के हिसाब से पानी बहुत कम आता है और विभाग, माननीय सभापति महोदय, यह कहता है कि गांवों में पानी की आपूर्ति कर दी गई है।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय पपुराना गांव 25 किलोमीटर के वर्गाकार में बसा हुआ है। इस गांव में आजादी के टाइम में 360 ढाणियां थीं आज तो हो सकता है कि इस गांव में 500 ढाणियां हों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की तीन हजार की आबादी है। और पपुराना प्रोपर छोटा-सा कस्बा है, डेढ़ हजार आबादी है, सरकारी रिपोर्ट यह कहती है कि पपुराना गांव में पानी पहुंच गया है। इस प्रकार से 28500 आबादी पानी से वंचित है। सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री खाण्डा साहब कह रहे थे कि खेतड़ी में हैण्ट पम्प चले गये। मैं इस बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में विधान सभा में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि खेतड़ी में कितने हैण्ड पम्प हैं? बड़े दुःख की बात है कि सरकार ने 492 हैण्ड पम्प बताये और उनमें से 450 हैण्ड पम्प चालू बताये। मैं आज भी मंत्री महोदय आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि 452 की जगह 51 हैण्ड पम्प लगे हैं उनमें भी 20 हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं, 30 हैण्ड पम्प चालू हैं बाकी सब हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। इस तरह विभाग गलत खबर आपके पास देता रहेगा तो पिछली सरकार और इस सरकार में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि आंकड़ों में और कागजों में यह दिखाया जाता रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले के जो हैण्ड पम्प, 10 साल पहले जो 100-125 फीट के ट्यूब वैल्स और हैण्ड पम्प खोदे गये थे। जिनमें पानी भी खूब आता था। बाकी इसकी जिम्मेदारी खेतड़ी प्रोजेक्ट की है जिसके कारण से पानी नीचे चला गया। दूसरा खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में ताम्बे को फिल्टर्ड करते हैं, उसमें तेजाब का मसाला डालते हैं, वहां पर नदी बहती है करीब 15 किलो मीटर तक वहां पर पानी का केवल 50 फीट हो गया है जिससे काश्तकारों के कुओं में नहीं निकलता है और जमीन भी खराब होती है, आदमी और पशु बीमार होते हैं। 15-20 किलोमीटर के एरिया के अन्दर में न तो सरकार द्वारा कोई पानी की व्यवस्था है और ना ही

(श्री हजारीलाल गुर्जर)

कम्पनी द्वारा कोई पानी की व्यवस्था की गई है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं खेतड़ी क्षेत्र में कम से कम 15 पाताल तोड़ कुवें किये जायें ताकि जिससे स्थायी व्यवस्था हो सके। अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि पानी के लिये बहुत बड़ी स्कीम बनाई जाय और पानी दूर से लाया जाय: मैं हूं कि पानी दूर से लाया जाय। वर्तमान में यह स्थिति आ गई है कि खेतड़ी क्षेत्र में पानी की तुरन्त व्यवस्था नहीं की गई तो वहां की जनता पलायन कर सकती है और सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। बवाई गांव के अन्दर पूर्व में पाताल तोड़ कुआं बनाया गया था, इस तरह की स्कीम हुई है। पानी वहां पर खूब टूटता है। इसी तरह की स्कीम कांकरिया गांव हुई है। आज खेतड़ी प्रापर में कम से कम ऐसे हजारों लाखों लीटर रोजाना पहुंचता है। इस तरह की स्कीम अगर वहां प्रारम्भ करें तो मैं सोचता हूं कि पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (अनुपस्थित)...माननीय श्री नवनीतलाल नीनामा (अनुपस्थित)।

माननीय श्री डूंगरराम पंवार।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 29 नगरीय विकास पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक तकनीकी राय ऐसी देना चाहता हूं जिससे चूरू जिले की पेयजल की समस्या कभी रहेगी नहीं। आज तक इस तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। हमारे यहां दो सप्लाई प्वाइण्ट है एक गंधेली साहवा और दूसरी धनासर। लेकिन इन पेयजल योजनाओं का सम्बन्ध ऐसी नहरों से है जो स्थाई रूप से चलती नहीं है। छोटी वितरिका है, माइनर है, सब माइनर है जो मिट्टी से भरती रहती है और इनकी बारा बंदी भी होती रहती है। इससे पेयजल की पूर्ति नहीं होती। बाकी सवाल यह है कि जो विभाग की कार्य-क्षमता है, कार्य कुशलता है। उसमें कई तकनीकी कमियों से लाइनें टूट जाती हैं। या उनको संभाला नहीं जाता, लीकेज होती है। तो उसमें एक तो यह है कि क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता। तो मेरा एक यह सुझाव है कि उस क्वालिटी के कन्ट्रोल के लिये एक विभाग बनाया जाये। वह परख करके ही स्वीकृति दे तब ही उन पाइपों को खरीदा जाये ऐसे ही नहीं कि टेण्डर भर दिये कमीशन तय कर लिया और फिर वह टूटते रहे। पाइप लाइन भी तीन फुट से गहरी जाती है। उसकी मोटाई जितने डायमीटर की वह बनती है उसके ऊपर तीन फुट गहराई उसके अलावा होनी चाहिये। लेकिन पाइप लाइन ऊपर ही डाली गई है। वह टूटे नहीं तो कहां जायेगी। ऊपर दबाब है ही नहीं। यह भी कमी है। मैं सुझाव यह देना चाहता हूँ कि राजस्थान मेन केनाल या तो इस स्कीम को रोड़ क्रोसिंग ब्रिज जो है हनुमानगढ़ रावसर रोड़ का, मेन कैनाल से सरदार शहर रोड़ के साथ-साथ जो सरकार की पहले मंशा थी वह स्कीम बता

श्री डूंगरराम पंवार)

रहा हूं 36 इंच पाइप यानि तीन फुट की पाइप लाइन अण्डर ग्राउण्ड यह सरकार शहर रोड़ के साथ-साथ 15-15 किलो मीटर के गांवों को पानी देती हुई चूरू तक थी उस स्कीम को सरकार ने नहीं बनाया। गंधेली साहवा बना दी. ठीक है वह साहवा तारानगर तक तो पर्याप्त है लेकिन इधर चूरू,-सरदार शहर इसके बीच में आने वाले गांव मालेरी और चूरू तक सारे गांव कवर हो सकते हैं। लेकिन यह पानी से इतना महरूम रह गये। जो घनासर स्कीम बनाई गई थी आज तक मेन्टेन नहीं हो सकी, चालू तक नहीं हो सकी, करोड़ों रुपये खर्च हो गये लेकिन आज तक भी पानी नहीं पहुंचा। इसलिये मेरा सुझाव है कि राजस्थान मेन कैनाल से ही उसका सम्बन्ध कर दिया जाये रेग्युलर बहती है, कभी बन्द होती नहीं, कभी पानी की कमी आयेगी नहीं। और अगर यहां से पानी नहीं ले सके तो दूसरे गांवों को जोड़ो लख-वाली हैड रिंग से नीचे डाउन स्ट्रीम आर. डी. 140 यानि सी. एल. डी. डिस्ट्रीब्यूट्री के ऊपर से पाइप लाइन निकाली जाये। तो यह बांगासर होती हुई दूसरे गांवों में पूरब-सर से मिलादी जाए तो पूरबसर से फिर फिर सरदार शहर रोड़ के साथ-साथ पल्लू और सरदार शहर के बीच में आने वाले गांव जो 15-15 किलोमीटर के गांव, आगे दूसरे गांव जहां पम्पिंग स्टेशन बनाते हुए उसको चूरू तक पहुंचाई जाये, चूरू ही नहीं रतनगढ़ तक पहुंचा सकते हो। रतनगढ़ तक पानी की कमी नहीं आयेगी। लेकिन ऐसी नहरों से सम्बन्ध किया ही ही नहीं आज तक। ऐसी नहरों से जल का सम्बन्ध है, कनेक्शन है, आउट लेट लगे हुए हैं रेगुलर वह चलती नहीं है, बूंदी के अन्दर तो काश्तकार अपने-अपने आउटलेट खोल लेते हैं। पानी डिग्गियों में जमा नहीं होता। इसलिये मेरा यह सुझाव है राजस्थान मैन कैनाल से इसका कनेक्शन कर दिया जाये। सारे चूरू जिले में पानी की पूर्ति हो जायेगी पानी की कमी रह जाये मेरी जिम्मेदारी है। हमारे मंत्री अनुभवी और विद्वान हैं। वह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इसलिये इस पर गौर किया जाये।

अब बात रही नगर विकास की। तो नगरों में आवासीय योजना न बनाने से लोग बड़े परेशान हैं। जिन लोगों के कब्जे हैं उनका आज तक नियमन नहीं हुआ। जिन्होंने चौथाई रकम भरा रखी हैं, नगर पालिकाओं में अभियान चलाया था लेकिन आज तक भी उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। लोग कब्जे कर-कर के बेच रहे हैं। जैसे निजी जायदाद है। आपको गंगा-नगर जिले का हाल बताऊं, सारी मण्डियों में मण्डी विकास समिति कायम कर रखी है। विकास समिति क्या काम करती है कि जिस काम के लिये उसको उजाड़ रही है। जैसे कि किसी ने खेत का रख-वाला वेतन पर रखा हो। रखवाला माली के सामने खेत उजाड़ रहा है और खेत उजाड़ने का उससे पैसा वसूल कर रहा है। दिये उसके आगे और पम्पिंग स्टेशन बनाते मण्डी विकास समिति का इतना बड़ा स्टाफ जिसमें तहसीलदार भी है, ए. डी. एम. भी है तकनीकी अधिकारी भी है। लेकिन रात दिन कब्जे हो रहे हैं और लोग कब्जे करके पचास-पचास हजार रुपये में बेच रहे हैं

(श्री डूगरराम पंवार).

लेकिन उस मण्डी विकास समिति के कोष में एक पैसा भी नहीं आ रहा है। वह भूखी बैठी है। तो ऐसी मण्डी विकास समिति से क्या फायदा। वह मण्डी विकास समिति मण्डी विकास समिति हो गई है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि मण्डी विकास समिति के पास तो मण्डी यार्ड ही रहना चाहिए उसके अलावा उनका कहीं नियन्त्रण नहीं है। रात और दिन कब्जे होते जा रहे हैं। जैसे रायसर का आपको जिक्र करूं, रावसर के मास्टर प्लान में आवासीय भू-खण्डों के लिये 2540 बीघा जमीन थी यह मै रिकार्ड की बात कर रहा हूँ अनुमान नहीं है, 2540 बीघा के सारी मालिक बने बैठे हैं मण्डी विकास समिति और वहां नगर पालिका है वह भूखी बैठी है जिसके पास पैसा नहीं। लोग बेचते जा रहे हैं पचास-पचास हजार के। ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई धन्धा नहीं, कब्जे कर कर के बेचते जा रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, जीप चल रही है, नगर पालिका नंगी पड़ी है। क्योंकि मालिक तो विकास समिति सारे रकब की बन गई. नियन्त्रण उनका कहीं है नहीं। इसलिए मण्डी यार्ड के अलावा मण्डी विकास समितियों के पास कोई रकबा नहीं रहना चाहिये। नगर पालिका के पास रहना चाहिये ताकि वह जरूरत मन्द लोगों को पट्टे दे और वह पैसा नगरपालिका में आये जिससे कस्बों और नगरों का विकास हो।

इसी तरह से बड़े नगरों का है। जैसे बड़े नगर हैं उनमें भी यही समस्या हैं। अतिक्रमण हैं वह रोके जायें। वह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पालिसी का दोष है। तत्कालीन सरकार ने किसी को प्लाट तो दिये ही नहीं। टाऊन प्लानिंग वाले नक्शे ही बनाते रहे। पन्द्रह साल तक जब प्लान नहीं बनकर आया तो जिसके पास घर जमीन नहीं है वह सड़क पर बिस्तर लेकर बैठ जाये क्या? उसका इन्तजार करेगा उन्होंने उल्टे सीधे कब्जे कर लिए सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। आज उन बस्तियों में सड़कें और पाइप लाइन देने के लिए कोई लाइन ही नहीं है। इसलिए जो गरीब लोग कब्जे कर चुके हैं और कई सालों के हैं उनका आधार वर्ष मानकर उन लोगों के कब्जे नियमित किये जाये। वह पैसा नगरपालिका में आयेगा, नगरपरिषद में आयेगा, उससे विकास होगा। बाकी जो विभाग की अनियमिततायें हैं यह तो जैसा मालिक हो ऐसा नौकर हो सकता है। जो पहले सरकार थी ऐसे ही नौकर थे। जब मालिक का ही रोब नहीं है तो नौकर परवाह क्यों करेगा। अब हम विश्वास करते हैं कि प्रशासनिक ढांचे को भी सुधारा जाये और उन पर नजर रखी जाये। समय-समय पर चैकिंग होती रहे। जैसे पाइप लाइनें हैं जिन पर हैल्पर हैं वह कम मात्रा में हैं अगर हैं तो वह किसी अफसर का निजी काम करते होंगे। उसकी सूचना सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान और बी. डी. ओ. को होनी चाहिये कितने कर्मचारी हैं, कहां कहां ड्यूटी है उनको समय-समय पर चैक किया जा सके वह मौके पर हैं या नहीं है।

इसलिए मेरा यह सुझाव है कि चूरू

(श्री डूंगरराम पंवार)

जिले की सारी योजनायें राजस्थान मेन केनाल से जोड़ दी जाये। कभी पानी की कमी नहीं आयेगी सारी समस्या दूर हो जायेगी। आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि राजस्थान में पेयजल का बड़ा भारी संकट है और इस गर्मी के मौसम में कम पानी से ज्यादा जरूरतमन्द लोगों को किस तरीके से प्रबन्ध करके पानी की कमी को दूर किया जाये। हमारे जलदाय मन्त्री जी ने बहुत अच्छी ढंग से पानी की शिद्दत को, पानी की कमी के बावजूद सीमित साधन और सीमित पानी के बावजूद लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम किया मैं उसकी सराहना करते हुये उनको बधाई देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, पानी की स्थिति राजस्थान में ऐसी है और आम आदमी के लिये ऐसी इच्छा होती है, एक शायर ने कहा है :

तश्नगी के भी मकामात है क्या-क्या यानि,

कभी दरिया नहीं काफी कभी कतरा है बहुत।

अगर गर्मी के मौसम में उनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाये तो उसमें तो वह अपना काम चला लेते हैं। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व जलदाय मंत्री जी मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे या मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जलदाय मंत्री थे। तो मेरे क्षेत्र में उन्होंने व्यापक स्तर पर पेयजल पहुंचाने का काम कांग्रेस के शासन काल में किया है। राजस्थान में और कहीं पानी पहुंचा हो या न पहुंचा हो लेकिन झुंझुनूं क्षेत्र में तो उन्होंने चाहे ऐसे ही टंकियों के उद्घाटन के पत्थर लगाये हो चाहे और दूसरी योजनाओं की स्वीकृति दी हो लेकिन शायद ही कोई गांव ऐसा बचेगा, जिस गांव में जायेंगे तो आपको गांव में घुसते ही पहले शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थर लगे हुये मिलेंगे। मेरे क्षेत्र में 23 पानी की टंकियां ऐसी बनी हुई है जो टंकियां तो बन गई लेकिन आज तक उनमें पानी का कनेक्शन नहीं हो पाया। सरकार का लाखों रुपया करोड़ों रुपया बरबाद किया गया और मैं माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह टंकी बनाने की जो योजना है वह व्यवहारिक नहीं है जब टंकी की स्वीकृति होती है उस वक्त गांव की आबादी पांच हजार होती है। चार पांच साल जाकर उसका डिजाइन पास करवाने, मंजूरी होने, वर्क आर्डर निकलने, काम प्रारम्भ होने और कार्य समापन होने और उसके बाद उद्घाटन होने तक उस गांव की आबादी बढ़ कर डेढ़ गुनी और दुगुनी हो जाती है। और वह टंकी पर्याप्त मात्रा में गांव को पानी मुहैया नहीं करा पाती।

(8.35)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आज भी जिन गांवों में पानी की टंकियां बनी हुई है उन गांवों में पानी की शिकायत लोग करते हैं इस टंकी से हमको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री जी को कि टंकियों की योजना को समाप्त किया जाना चाहिये। आज भी मैं आपको बताऊं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक कस्बा इस्लामपुरा में आज से ढाई वर्ष पूर्व की टंकी स्वीकृत हुई है लेकिन उसकी ड्राइंग और डिजाइन पास न होने के कारण आज भी उसका काम रुका पड़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों की तरफ दिलाना चाहूँगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव हजाड़ी, भुकाना, बड्न्दा और खिदरसर में आज भी स्थिति यह है कि पानी का कुआ भी मौजूद हैं, पानी की पाइप लाइन भी मौजूद है लेकिन कुओं में लगी हुई मोटर खराब पड़ी है पिछले काफी समय से उसकी जगह मोटर रिप्लेस नहीं की गयी, दूसरी मोटर नहीं दी गयी, न उसको सही करवाया गया लोगों को आज भी पीने के पानी की दिक्कत है, जैसे तैसे करके मैं तो कहना चाहूंगा। कि इन्द्र देवता की कृपा हो गयी कुछ हमारे कर्म अच्छे थे कि वारिश पर्याप्त मात्रा में हो गयी। गांव के लोगों को इससे राहत मिली है। लेकिन आने वाले साल में उनको पेयजल का संकट नहीं हो और मैं माननीय मंत्रीजी को यह भी कहना चाहूंगा माननीय उपध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, चूंकि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ मेरे क्षेत्र से पहले आने वाले सदस्य जलदाय मंत्री थे उन्होंने जिस मात्रा में वहां जिस तरीके से पर्याप्त प्रबन्ध पेयजल के लिये, अब हमारी सरकार बनने और धपलत रहेगी तो लोग यह कहेंगे कि पहले ज्यादा पानी मिलता था इनके आने के बाद कम मिला है। इस लिए मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करूंगा कि इनको उस क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्पों का जहां तक सवाल है हमारे जिले में हैण्ड पम्प की व्यवस्था बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। हैण्ड पम्प उन स्थानों पर चल सकते हैं जहां पानी का लेबल काफी ऊंचा है। हमारे यहां हैण्ड पम्प खराब तो कम होते हैं हम चाहे एक्स. ई. एन., जे. ई. एन. और ए. ई. एन. को दोष दे दें लेकिन जहां पानी का स्तर नीचे चला जाता है या पानी समाप्त हो जाता है। तो वहां हैण्ड पम्प, और इन्जीनियर क्या करेंगे इसलिये वहां पर पाताल तोड़ कूएं बना कर या दूसरी किसी व्यवस्था से उन लोगों को पानी पहुंचाने का काम करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की सबसे गम्भीर बात यह है जिस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव गोविन्दपुरा, लांबा, मालेराऊ. नारनोप, बदनगढ़, चलाना, बुढ़ाना ऐसे गांव है उस गांव के आदमियों को आप दूर से देखकर पहचान सकते हैं। कि यह उन गांवों में से किसी गांव के लोग होंगे। वहां का पानी इतना खराब है कि उसमें इतनी कमी है कि वहां के लोगों के दांत झड़ जाते हैं वहां के गांव के आदमी को दूर से देख कर ही आपको पता चलेगा उसके दांत बिल्कुल बारीक रह जाते हैं पानी के कारण झड़ते जाते हैं।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

केन्द्र सरकार की टोली भी अध्ययन करके गयी है। चिकित्सकों की टोली भी वहां गयी है। उसका सर्वे भी हुआ है लेकिन आज तक कोई उपचार उन लोगों को नहीं मिल पाया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों को पानी पहुंचाने के लिये कोई दूसरे साधन सुलभ कराने चाहिये। जहां तक नगरीय विकास का सवाल है मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्तशासन मंत्री महोदय का ध्यान दिलना चाहूंगा कि झुंझुनूं शहर में आज भी कई सड़कें इस तरह की है जिनके बनने के बाद उनकी मरम्मत का काम कागजों में जरूर किया गया है लेकिन व्यवहारिक रूप से, नीतिगत रूप से उनकी मरम्मत तक नहीं कराई गई। एक सड़क रोड़ नम्बर तीन को क्रोस करती हुई जो बगदल जाती है उस सड़क की स्थिति यह है कि म्यूनिसिपेलिटी कहती है कि यह सड़क हमारी नहीं है, पी. डबल्यू. डी. कहती है कि यह सड़क हमारी नहीं है। मैं जानना चाहूंगा इस सदन में कि आखिर उस सड़क का मालिक कौन है? उस सड़क का मालिक कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान जयपुर के तोपखाना हुजुरी की तरफ भी दिलाना चाहूँगा। चौकड़ी तोपखाना हुजुरी जयपुर की बहुत पुरानी बसी हुई चौकड़ी है। जिसकी बहुत घनी आबादी है आज भी उस बाल जी की कोठी के रास्ते की स्थिति माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह है कि स्कूटर से अगर कोई भी कितना भी तीस मारका हो, अच्छा चलाने वाला आदमी हो उस सड़क पर अगर चला जाये तो मैं आप कहे जो उसको इनाम देने के लिए तैयार हूं। पूरी सड़क रुकी हुई है। महावतों का मोहल्ला है। कुछ महावत रहते हैं उन्होंने हाथी पाल रखे हैं, हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है खाता भी ज्यादा है, हंगता भी ज्यादा है। उसकी सारी लीद को मेन सड़क पर डाल दिया जाता है और वह सडक रुकी हुई हैं। उन लोगों ने म्यूनिसिपेलिटी के सफाई निरीक्षकों से एडजेस्टमेंट बिठा रखा हैं यह उनको पैसा दे देते हैं। आज तक उनके खिलाफ चालान नहीं किया गया हैं। और वह पूरी मेन रोड़ ब्लोक पड़ी हुआ है। इसकी भी कोई व्यवस्था करनी चाहिये लेकिन वह सड़क। 1955 में बनी थी, 1955 से लेकर आज तक सड़क की मरम्मत का काम नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूँगा कि कृपया उस पर ध्यान दें। मैं एक बार पुनः इस गर्मी के मौसम में पानी सुलभ कराने और अच्छे तरीके से काम करने के लिए मंत्रीजी को,धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की इसलामपुरा, हजाड़ी और बुकाना की जो टंकी पहले से स्वीकृत है उन टंकियों को तो बनवा दे और बाकी दूसरी जगह के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढ कर पानी का प्रबन्ध करें। आज भी स्थिति माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है और मैं मानता हूं सही भी है। मैने इस बात की जानकारी भी की है कि चार इंच का पाइप कहीं भी उपलब्ध नहीं था। मैने एक्स. ई. एन. साहब से बात की उन्होंने कहा कि आप पता कर लो अगर बाजार में भी उपलब्ध हो तो हम लगवाने के लिए तैयार है। मै सम्माननीय मंत्रीजी को सुझाव दूंगा कि

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सीमेंट के पाइप बनवाने का एक कारखाना जलदाय विभाग के अन्दर ही लगवा ले ताकि पाइपों की दिक्कत तो नहीं हो और पाइप के नाम से बहानेबाजी नहीं हो। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम प्रसाद।

श्री रामप्रसाद लड्डा (बैर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का भरतपुर जिले की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भरतपुर की हालत बहुत खराब है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले की स्थिति क्यों खराब हुई वह आपको भी मालूम है क्योंकि हमारे बाण गंगा और गम्भीरी नदी दोनों बन्द हो चुकी है और जो करौली में पांचने का बांध बना है उससे हमारे जो गम्भीरी नदी थी उसमें पानी आता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि इस साल भी हमारे भरतपुर में अभी वर्षा नहीं हुई है, गांवों में हालत खराब है, किसानों के जो कुएं हैं वे बिल्कुल सुख चुके हैं, कीचड़ भी नहीं है उन कुओं में, किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैंने कई दफा कलक्टर महोदय से निवेदन किया और कहा कि किसी भी तरह से पानी भिजवाया जाय। एक-दो दिन तो टैंकरों से पानी भिजवाया गया, फिर उसको बन्द कर दिया गया। माननीय मन्त्री महोदय खुद भरतपुर गये थे और उन्होंने हमारे क्षेत्रों का दौरा किया। मन्त्री महोदय ने मेरे को बुलवाया भी था लेकिन अधिकारीगण ने नहीं बुलाया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे किसानों के जो मवेशी हैं उनके सामने बड़ा संकट है। आज की तारीख में मवेशी के लिए पानी पीने के लिए नहीं है। इन्सान को पानी नहीं है, मवेशी को पानी नहीं है। आज की स्थिति में एक बात मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आपने मेरे क्षेत्र में आठ बोर करवाये, उनको कब तक चालू करवा रहे हैं? इसके लिए, मन्त्री महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं आपसे मिला और मिलने के बाद आपने मेरे क्षेत्र बैर में आठ बोर करवाये हैं अब उनको कब तक चालू करवायेंगे और चालू करवाकर पेयजल की समस्या को हल करवायेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हैण्ड पम्पों का जहां तक सवाल है मेरा और आपका क्षेत्र लगा हुआ है। हैण्ड पम्प के लिए एक अभियान चलाया गया था कि उनको ठीक करवायेंगे। मेरे क्षेत्र में बयाना और बैर राकी एरिया है, तमाम पहाड़ी एरिया है। नदबई का एरिया है और आपके क्षेत्र में भी देख लीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिन-व-दिन पानी खारा होता जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है और किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। मन्त्री महोदय वैसे तो बहुत होशियार हैं, बहुत लग्न से काम कर रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में, बयाना सब-डिवीजन में चार तहसीलें-बयाना, नदबई, रूपवास और बैर, इनमें मन्त्री महोदय, दुबारा से ट्यूर करें और किसी अधिकारी को भेजें। किसी गांव में एक हैण्डपम्प ठीक करा दिया, किसी गांव में दो हैण्डपम्प ठीक करा दिये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मैंने मेरे क्षेत्र का ट्यूर किया, आपसे ही लगा हुआ क्षेत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां के जाटवों में गया, वहां के हरिजनों में गया। वहां की क्या स्थिति थी कि कुओं में पानी सूख चुका था, हैण्ड-पम्प ठीक नहीं हो पाये। वहां पर नौजवान बच्चे कुओं में से मिट्टी निकाल रहे थे, वहां पर मेरा घेराव किया गया। यह स्थिति है, पानी की हमारे सामने यह समस्या है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से मिला, मेरे वैर कस्बे में हरिजनों ने हैण्डपम्प सैंक्शन करवाया, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती में आज तक हैण्डपम्प नहीं लगने दिया। मैं दो बार कलेक्टर महोदय से भी मिला। आज की तारीख में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पहाड़ों पर बसे हुए गांव हैं। पण्डित रामकिशनजी का पूरा क्षेत्र देखा हुआ है। जहाज गांव पहाड़ पर बसा हुआ है, आपने भी देखा होगा, शायद आपको ध्यान हो। वह इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है। कि वहां से औरतें नीचे पानी भरने के लिए आती हैं। पानी की समस्या बहुत गम्भीर है। मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया, वहां एक बोर करवाया हुआ है, उस स्कीम को कब तक लागू करवा रहे हो। ऐसी स्थिति में आप बोलोनी गांव को देख लीजिये, आप गूजरखेमी को देख लीजिये, वहां हालत बहुत खराब है। सारे कुएं सूख चुके हैं, कुओं में पानी नहीं है, हैण्ड पम्प जो लगाये गये, कोई तीस फुट पर लग रहा है, कोई चालीस फुट पर लग रहा है। जल स्तर नीचे चला गया, हैण्डपम्प बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं। आज की स्थिति में कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मन्त्री महोदय, कब तक जनता को बचाने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे? हमारे क्षेत्र में आज तक वर्षा नहीं हुई है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को आप देखें कि नदवई में वर्षा नहीं हुई है, रूपवास में वर्षा नहीं हुई है, बयाने में वर्षा नहीं हुई है...वैर में वर्षा नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जनता को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए .. (व्यवधान) आप कहलाना ही चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित तौर से यह समस्या हल हो जाती। तब माननीय मन्त्री महोदय, हमारे जिले में बरसात भी होती—

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भरतपुर में वर्षा नहीं हुई है, अलवर क्षेत्र में भी वर्षा नहीं हुई है। मन्त्री महोदय, मन्त्री बनकर हंस रहे हैं। इस बात को देखना चाहिए कि जनता से आप वायदा करके आये हैं। किसानों के लिए पानी की समस्या है, उसको हल कब तक करायेंगे? किसानों पर यह आफत आ रही है और मन्त्री महोदय हंस रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : रामप्रसादजी लड्ढा को हवन पर बिठायेंगे तभी वर्षा होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह कह तो गये, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, जब माननीय मन्त्री महोदय इधर बैठते थे रोजाना किसानों की बात करते थे। आज मन्त्री महोदय, उधर बैठते हैं तो एक भी लफ्ज किसानों, गरीबों, और मजदूरों के लिए नहीं कहा है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने एक भी दिन किसानों की बात नहीं कही, एक भी दिन गरीबों की बात नहीं कही, एक भी दिन मजदूरों की बात नहीं कहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो मिनट और लूंगा नगरपालिकाओं में बयाना, वैर और भुसावर तीन ,नगरपालिकायें हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं मन्त्री महोदय से मिला। मन्त्री महोदय ने डाइरेक्टर साहब को टेलीफोन भी किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हरिजनों की हड़ताल आज आठ-नौ महीने से चल रही है। मैं कहना चाहूँगा कि डाइरेक्टर साहब को एक महीने तनख्वाह नहीं मिले तो उनके बच्चों की क्या हालत होगी ? मन्त्री महोदय को एक महीना तनख्वाह नहीं मिले तो उनके बच्चों की क्या हालत होगी ? हमको एक महीना तनख्वाह नहीं मिले तो हमारे बच्चों की क्या हालत होगी ? हरिजनों को नौ-नौ महीने की तनख्वाह नहीं मिले, बड़े ताज्जुब की बात है। चार महीना इस सरकार को बने हो गये, डाइरेक्टर साहब से मैं चार दफा मिल लिया, अब तक पैसा नहीं भेजा है। मैं जाता हूँ मेरे सामने औरत और मर्द दोनों ही खड़े हो जाते हैं वैर में। वैर की यह स्थिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कभी भी यह सोच नहीं सकता। गावों में इन्होंने जाना बन्द कर दिया है। पीने के पानी की हालत इतनी खराब है कि मैं भरतपुर जिले में सब जगह जाता हूं लेकिन दो महीने से बिल्कुल जाना बन्द कर दिया, जाता हूँ लोग कपड़े पकड़ते हैं, कहते हैं एम. एल. ए. साहब, आप पानी लाइये, आप तो ऐसे काम करवाने वाले विधायक हो। पानी कहां से लाऊं ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कुर्ता भी फटा हुआ है। गांव वालों ने कुर्ता भी फाड़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसानों को बचाने के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप जरा ठहरिये। आपको बाद में टाइम दूंगा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आपने तीन बार कह दिया, इसके बाद, इसके बाद ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहूँगा जो बोलिये। लास्ट नहीं बीच में बुलाऊंगा ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : इनके बाद ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर ही नहीं आता है । भरतपुर का आ जाता है, सवाई माधोपुर का रह जाता है । आप भरतपुर भरतपुर ही ध्यान रख रहे हैं, हमारा भी ध्यान रखो हम भी आपके पड़ोसी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरे हाथ में तो है नहीं ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पेयजल व्यवस्था पर बहुत ज्यादा व्यवस्था हो चुकी है । मैं पेयजल व्यवस्था पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिये एक ठोस योजना बननी चाहिये । जहां हैण्ड पम्प लगना चाहिये वहां हैण्ड पम्प, जहां पनघट योजना लगे वहां पनघट, जहां पर कुआं खुदे वहां पर कुआ, उसको बिल्कुल सर्वे कराकर उसी हिसाब से कि जहां जिसकी आवश्यकता है वही बनना चाहिये । तो ही गांव की पेयजल व्यवस्था जल्दी ठीक हो सकती है । बड़े नगरपरिषद और नगरपालिकाओं की बात बहुत कही । मैं अब आप से छोटी नगरपालिकाओं के विषय में थोड़ी बात कहना चाहता हूं । बड़े-बड़े नगरों में अधिक आबादी होने से जिस तरह से अभी जयपुर के लिये बता रहे थे, कि बहुत बड़ी व्यवस्था हो जायेगी । वैसे छोटी नगर पालिकाओं में भी जब नगरपालिका बने उसके पहले वहां पर कई सुधार की बातें जो आवश्यक हैं सोच लेनी चाहिये । नगर में नगरपालिकाओं के चुनाव, सबसे पहली बात है, समय पर होने चाहिये । दूसरी बात नगरपालिकाओं में सफाई की व्यवस्था की है । उसमें कितने कर्मचारी चाहिये उस हिसाब से नगर के लिये सफाई इतनी जरूरी चीज है कि अगर तीन दिन सफाई नहीं हो तो गन्दगी छा जाती है । उसी प्रकार से नाले और नालियों की सफाई भी निश्चित समय पर होनी चाहिये । उसकी देखरेख करने के लिये ऊपर के अधिकारी, केवल उसी नगर पालिका के नहीं, स्वायत्त शासन के अधिकारी बार-बार देखते रहें कि वहां सफाई भी होती है कि नहीं, कितने कर्मचारी हैं, कितने कम हैं, कितनों को तनख्वाह नहीं मिली, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये । दूसरी बात, अनाधिकृत जो बस्तियां बस जाती हैं उनको पहले से यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि बस्तियां बसेंगी । गरीबों के लिये पहले से ही नगर पालिकाओं में ऊपर से प्लान होना चाहिये कि हम हर साल दो सौ को या चार सौ को, जैसी नगरपालिका है उस हिसाब से प्लाट देवें, निश्चित दर पर देवें, इस साइज के देवें । मैं अपनी नगरपालिका की बताता हूँ । आज से तीन साल पहले करीब 500 व्यक्तियों ने किसी ने 500 किसी ने 1000 रुपये जमा करवा रखे हैं लेकिन अभी तक एक को भी प्लाट नहीं दिया गया है । मास्टर प्लान के अनुसार बताते हैं लेकिन आदमी दो साल तक कहां इन्तजार करेगा ?

(272)

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

उसे अनाधिकृत बस्ती निश्चित बसानी पड़ेगी । बड़े-बड़े नगरों में जो दबाब बनते जा रहे हैं ऐसी छोटी नगरपालिकाओं में कई आफिस पहुंच जाने चाहिये । हाउसिंग की योजनायें बड़े-बड़े शहरों में हैं उनको छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में भी पहुंचना चाहिये ताकि वहां पर गरीबों को भी मकान मिल सकें । और बड़े-बड़े नगरों की आबादी का दबाव भी कम हो । कई छोटे-छोटे उद्योग, स्टेट हाई स्कूल प्राथमिक हैल्थ सेन्टर और दूसरी ऐसी सुविधायें ऐसे पांच हजार से ऊपर वाली आबादी के गांवों में पहुंचाने चाहिये ताकि रहने की सुविधा भी बने । वहां पर शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, आवास की व्यवस्था हो तो क्यों नहीं आदमी वहां पर पहुंचेगा ? यह सारी बातें योजना के हिसाब से बनानी चाहिये ।

मैं छबड़ा नगरपालिका की एक बात और बताता हूँ । वहां पर एक पहाड़ी से बरसात के समय में पानी पूरे बाजार की सड़क पर बहता है । उससे इतनी मिट्टी आती है कि पूरे चार महीने तक उसको रोज फेंको और यदि रोज नहीं फेंको तो कीचड़ में ही चलो । चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है । उससे कई बार तो कई आदमी वहां पर चलते हैं फिसल कर गिर जाते हैं । पहले 1980 में इसको ठीक करने की योजना बनी थी किन्तु बाद में कुछ नहीं हुआ । मेरा निवेदन है कि उसको ठीक करने की योजना बनानी चाहिये ।

वैसे ही पेयजल की व्यवस्था भी छोटी नगरपालिकाओं में हिसाब से बननी चाहिये मैं छबड़ा और छीपाबड़ोद की बात कर रहा हूं । वहां पर पहले से जब आधी आबादी थी तब योजना बनी थी । अब उसी हिसाब से आगे के दस साल की सोच कर या 20 साल की सोच कर ही योजना बनानी चाहिये ताकि आगे जाकर वह छोटी न पड़े और जो पैसा लगता है वह बेकार नहीं जाये । नगरपालिकाओं में पहले से ही सब्जी मण्डी, खेल के मैदान, उद्योग आदि के लिये मास्टर प्लान के अनुसार जगह को छोड़कर उसकी बाउण्डरी कर देनी चाहिये ताकि अनाधिकृत कब्जा न न हो । नहीं तो बाद में लोग परेशान होते है ।

इसी तरह से मैं चुंगी की दर के बारे में निवेदन करता हूँ कि चुंगी की दर सारे राजस्थान में एक होनी चाहिये । हमारी नगरपालिका में एक रुपया सैंकड़ा दर है । एक पोस्त की बोरी पर एम. पी. में कोई नहीं, हमारे यहां 50-60 रुपये लगते हैं । चोरी होती है और चुंगी की सारी दर मारी जाती है । उसी प्रकार से गांव का किसान चुंगी देता है । छोटी नगरपालिकाओं में किसान चुंगी देता है पर अधिकतर नगरपालिकाएं उसके लिये कुछ नहीं कर पातीं । मेरा निवेदन है कि जो करदाता है उसके लिये भी हमें कुछ करना चाहिये । चुंगी उसने लाखों रुपये दी और उसके प्रति हम एक पैसा भी नहीं लगायें ? किसान के लिये पेयजल की व्यवस्था नगरपालिका मण्डी के आस-पास करें । चुंगी से जो आय होती है उसका 25 प्रतिशत पैसा गांवों की सड़कों की ओर लगाना

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

चाहिये। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल (अनुपस्थित)

श्री मनीराम।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मांग संख्या 27 पेयजल योजना पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में दो तरह की योजनायें हैं-पहली इन्दिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है और दूसरी बेल्ट जिसमें ट्यूबवैल खुदे हुए हैं मीठे पानी की बेल्ट है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से जो नहर से जुड़ी हुई योजना है पहले उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में छतरगढ़ के पास कोकरी स्कीम बनी हुई है उसमें काफी गांव हुए हैं। लेकिन उसकी टेल पर किलेरिया और आलोदा दो गांव हैं जो आज तक पानी से वंचित रहे और न ही उन गांवों में पानी पहुंचने की कोई और व्यवस्था है। इस पर सिर्फ खर्चा कर दिया गया लेकिन गांव वालों को आज तक पानी नहीं दिया गया। जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, ढ़ाई करोड़ की लागत से फारेस्ट वालों ने जो डिग्गियाँ बनाई हैं उनको भी पी. एच. ई. डी. वालों ने आज तक नहीं जोड़ा है। उन डिग्गियों की बाबत आज यही कहा जाता रहा है कि जो खारे पानी के कुएं हैं उनका पानी डालने से वह पानी पोर्टेबल नहीं रहता इसलिये हम ओपन डिग्गियों में नहीं डालते। मेरा निवेदन है कि काठों में पानी डाला जा रहा है जो पी. एच. ई. डी. की स्कीम से जुड़े हुए हैं जब उनमें पोर्टेबल रहता है तो डिग्गियों में क्यों नहीं रखता? इसलिये इसका सदुपयोग होना चाहिये और उन डिग्गियों को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ गांवों का और भी जिक्र करना चाहता हूं आज तक पानी नियमित रूप से नहीं पहुंचा है। एक बहुत बड़ा गांव जो कस्बे का रूप है जैतपुर, जिसमें लोग प्यास से मर रहे हैं। दूसरा मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कालू ग्राम एक कस्बे का रूप है, 15000 जिसकी आबादी है। माननीय अध्यक्ष महोदय भी उस एरिये में पधारे हुए थे। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि आपका गांव इन्दिरा गांधी कंवरसेन नहर के मीठे पानी से जोड़ा जायेगा। वह स्कीम लगभग 80 रुपये की सरकार को बनाकर भेजी हुई है। तुरन्त स्वीकार करावें।

मैं एक बात विशेष तौर से अशुद्ध पेयजल की योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे लूणकरणसर कस्बे में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां 3 सिस्टम फिल्टर के हैं। जो दो मैंने आंखों से देखें हैं, अभी चालू नहीं हुए हैं और एक फिल्टर सिस्टम चालू है। उसमें पूछने पर पता चला कि अगर हम शुद्ध

(श्री मनीराम सियाग)

पेयजल करेंगे तो इससे सिर्फ 2 घण्टे ही पानी सप्लाई किया जा सकता है। और पूरे दिन सप्लाई कच्चे पेयजल की की जा रही है। और वहां जो रिजरवायर बना हुआ है वह भी ऊपर से टूटा-फूटा हुआ है। उसके अन्दर भी कबूतर के पंख और बीट भरी हुई है और बहुत ही अशुद्ध पानी लूनकरणसर को सप्लाई हो रहा है। मैंने इस बाबत पहले एक तारांकित प्रश्न भी किया था। संयोगवश उस पर बहस नहीं हो सकी थी, जवाब जरूर आया था लेकिन वह जवाब भी अधिकारियों ने बिल्कुल मन-गढ़न्त और असत्य दिया था। उस बाबत मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं मंत्री महोदय से इस और भी निवेदन करना चाहता हूं कि मोखमपुरा में एक स्कीम बनी हुई है जिसमें बिगनेश पंचायत और बडेर जुड़ी हुई हैं। वे भी पानी से पिछले वर्ष वंचित रही हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय को आगाह करना चाहूंगा कि अभी तक मेरे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सभी गांवों में वर्षा नहीं हुई है और इसी तरह की प्यास की स्थिति बनी हुई है। पीने का पानी शुद्ध पेयजल के हिसाब से उपलब्ध होना चाहिए। अर्जुनसर में लाखों रुपयों की लागत से एक डिग्गी बनी हुई है जिसमें पानी फिल्टर का सिस्टम भी है लेकिन आज तक नहीं हुआ है और सरकार के पैसे इसमें लगे पड़े हैं। दूसरा महाजन जो फिल्टर बना हुआ है वह भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से सभी जगह कच्चा पानी अशुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है।

महोदय, मैं अन्त में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों की बात तो दूर, मैं जहां अभी निवास कर रहा हूं विधायक पुरी में जिसकी आज मंत्री महोदय को शिकायत भी कर चुका हूं। हमारे गांव से आने वाले लोगों का भी मनोबल गिरा है कि जब यहां जयपुर में ही पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है तो गांवों में ये क्या दे पायेंगे। विधायकपुरी में रामगढ़ बांध से पानी सप्लाई होता है। वो इस वर्ष सूख गया था और वहां से पूरी मात्रा में पानी नहीं प्राप्त होता। अतः महोदय से निवेदन है कि वहां एक ट्यूबवैल तो कम से कम खुदवा दिया जाये ताकि आने वाले लोगों को यह तो आभास तो कि यहां तो पर्याप्त पानी मिल रहा है। इस बाबत मेरे ख्याल से काफी विधायकों को काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं इतना ही कहकर उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ) अनुपस्थित पहले जिनका नाम है, उनका हो जाने दो। श्री प्रकाश चन्द बैरवा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : पहले तो मैं जलदाय मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जलदाय मंत्री बनने के बाद जयपुर की तरफ आंख मींच करके देखा ही नहीं। जब भी जलदाय मंत्री राजस्थान में जिस जिले का बनता है

(श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा)

तो कम से कम अपने जिले का तो ख्याल रखता है । लेकिन मंत्रीजी ने जयपुर और जयपुर जिले का कोई ध्यान नहीं रखा । चुनावों के बाद इन्होंने बहुत-बहुत लम्बे वायदे किये थे कि हम जयपुर में हमारी सरकार बनते ही जयपुर की पानी की सारी समस्या खत्म कर देंगे लेकिन जयपुर के मामले में मंत्रीजी ने एक नया पैसा भी बजट में नहीं रखा । मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब बिसलपुर योजना बनी थी जब जयपुर को भी पानी की योजना से जोड़ने का प्रावधान था लेकिन अब जब काम चल रहा है, तो जयपुर का नामो निशान मिट गया और वह सारा का सारा पानी अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, सरवाड़ और केकड़ी की तरफ मुड़ गया । राजस्थान की राजधानी जयपुर है । यहां की आबादी 15 लाख से ऊपर है । इसके बावजूद जयपुर के लिये एक नये पैसे की कोई योजना उन्होंने नहीं रखी । मुझे बड़ा दुख है । अभी भी माननीय सदस्य बता रहे थे, हमारे पंचायत मंत्रीजी मेरे फ्लेट के ऊपर रहते हैं, कि नौकर नीचे से बाल्टी भर कर ले जाता है तब मंत्रीजी नहाते हैं । बड़े अफसोस की बात है । खर्राजी रहते हैं वहां पर । तो मैं यह कह रहा था कि जोधपुर जहां 5-6 लाख की आबादी है, इसके लिये इन्दिरा गांधी नहर से 103 करोड़ की योजना बनी है, जयसमन्द ये उदयपुर के लिए 16.16 करोड़ की योजना बनी हुई है और अजमेर ब्यावर और इन सबके लिये इस साल के बजट के अन्दर करीब 10-12 करोड़ रुपये उन्होंने रखे हैं लेकिन जयपुर के लिये इन्होंने एक पैसे का प्रावधान इसमें नहीं रखा है । जयपुर की करीब 80 साल पुरानी रामगढ़ झील से केवल परकोटे को पानी मिलता है । वो भी इस वर्ष तो पूरी सूख गई और जयपुर के नागरिक परेशान हुए । बजट बनाते वक्त इनको कम से कम जयपुर का तो ख्याल रखना चाहिये था क्योंकि जयपुर के अन्दर सारे बी. आई. पी., सारे आई. ए. एस. अफसर, सारे अधिकारी लोग रहते हैं । यह जयपुर राजस्थान की राजधानी है तो कम से कम जयपुर का ख्याल इनको अवश्य रखना चाहिये था । मेरा अब निवेदन है कि बजट पास करने से पहले जयपुर की योजना किसी भी तरीके से इसमें जोड़ें मेरा तो यह निवेदन है कि जयपुर की जब 15 लाख की आबादी आज सन् 1990 में है तो अगले 20 वर्षों की योजना बनाकर के कोटा से चम्बल की नदी से जयपुर के लिये पानी लाया जाना चाहिये क्योंकि जयपुर के आस-पास में कोई बड़ा बांध नहीं है, कोई नदी नहीं है जो बारह महीने बहती हो । मध्य प्रदेश में इन्दौर में 150 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी से पानी की योजना बना करके इन्दौर को पानी सप्लाई किया गया है तो क्या 200 किलोमीटर से चम्बल से पानी लाकर जयपुर को नहीं दिया जा सकता ? इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे बीसलपुर से जो कि पहले योजना में था चाहे कोटा में चम्बल नदी से योजना बना करके जयपुर में पानी की व्यवस्था करवाई जावे । रामगढ़ का पानी अस्थाई है । उसमें कभी पानी बरसात से आता है, कोई स्थायी नदी बहती नहीं इसलिये जयपुर के बारे में विशेष ख्याल रखें ।

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

अब मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र फागी की बात कहना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र में फागी एवं चाकसू में दो जलप्रदाय योजनाएं फागी और चाकसू में बनी हुई हैं। फागी की जो योजना बनी थी करीब 28 लाख की, उसमें 13 किलोमीटर दूर रामचन्द्रपुरा गांव से फागी को पानी दिया जा रहा है। वहां चार कुएं बने हुए हैं। दो कुएं वहां सूख गये, एक कुएं में पानी है और एक कुआं जो माधोराजपुरा के लिए स्कीम बनी थी, उसमें से पानी मिल रहा है। जो भी घन्टा आधा घण्टा के लिये पानी आता है। 10-15 हजार की आबादी फागी की है और 10 हजार की आबादी माधोराजपुरा की है। पूरी की पूरी योजना में कभी तो 2-2 व 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है तो कभी पानी की लाइन टूट जाती है और 2-2 व 3+3 दिन तक पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन था कि माधोराजपुरा और फागी दोनों की अलग-अलग योजना बनाई जावे। वहां सर चानगा कलां के पास में नया गांव है जहां पानी का अपार भण्डार है। वहां से योजना बना करके माधोराजपुरा को अलग लाइन से जोड़ा जावे और फागी को अलग लाइन से जोड़ा जावे सभी हमारे फागी और माधोराजपुरा कि समस्या खत्म हो सकती है। अभी जलदाय विभाग वालों ने रामचन्दुआ कुएं का एक बोरिंग करवाया था। नदी के अन्दर था यह कुआं। यह मालूम था कि यहां पर पानी हो सकता है। पहले मीठा पानी था लेकिन बोर कराते ही वो खारा हो गया। बड़ा अफसोस है। 10-10 हजार और 15-15 हजार आबादी के गांव भी लाखों रुपयों की योजनाओं से जुड़े हुये हैं और मामूली से पैसों से अगर 4 किलोमीटर दूर नया गांव के अन्दर कुएं बना करके इस योजना से जोड़ दिया जावे तो पानी कि समस्या खत्म हो सकती है। दो कुओं का पानी तो सूख गया है और दो कुओं का अभी डिपार्टमेंट ने बोरिंग कराया है। इससे थोड़ी समस्या हल हुई है, लेकिन मैं यह मानता हूं वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि वह काफी पुरानी स्कीम है और जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। इसलिये और कोई दूसरी योजना या ओवर हैड टैंक बना करके चाकसू को और पानी दिया जावे। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, हमारे रेनवाल के पास में दो साल से पानी की एक स्कीम बन्द पड़ी है। दो साल से वहां कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। न तो वहां से कर्मचारियों को हटाया, न रेनवाल कस्बे को पानी दे रहे हैं। रेनवाल कस्बे के पास में पानी का स्रोत मानपुर गेट में है, वहां सर्वे करवाया जाकर रेनवाल स्कीम जो बन्द पड़ी है उसको चालू कराया जावे। इसी प्रकार से पूर्व सरकार ने योजनाएं तो कई स्वीकृत कर दी लेकिन अब तक वह चालू नहीं हो पा रही हैं। जैसे फागी में माधोराजपुरा, लदाना, निम्बेडा, मेंडवास, गोंडी कई ऐसे गांव हैं जहां ओवर हैड टैंक बनाने के लिये पैसा स्वीकृत है, लेकिन आज तक वहां पर ओवर हैड टैंक नहीं बन रहे। गवर्नमेंट के लाखों रुपये कुओं पे बिजली की मोटरों में कनेक्शन में खर्च हो गये लेकिन आज केवल एक नल लगा करके पांच-पांच हजार की आबादी के गांवों को

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

कह दिया गया कि हमने जल की पूर्ति कर दी। मेरा सदन से निवेदन है कि इन पांचों-छहों गांवों की जहां स्कीम बनी पड़ी है, ओवर हैड टैंक स्वीकृत हैं वहां पर पानी के टैंक जल्दी से जल्दी बनाने की व्यवस्था कराई जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, इतना ही नहीं फागी और चाकसू जयपुर जिले में अकाल से सर्वाधिक पीड़ित तहसीलें हैं। अकेले फागी और चाकसू के 418 गांव अकाल से पीड़ित हैं, पानी की भयंकर समस्या है। तो मेरा एक निवेदन है कि पंचायत स्तर पर पंचायत वाइज गांव की पानी की समस्या हल करने के लिये ओवर हैड टैंक बना कर गावों में पानी सप्लाई किया जावे। सारे गांव बिल्कुल सूखे और ड्राई हैं। इसलिये वहां पर अब तक दूर से पानी लाया जाकर कोई स्कीम नहीं बनाई जावेगी तब तक इस हैण्ड पम्प लगाने से समस्या दूर नहीं हो सकती क्योंकि दो-दो तीन-तीन सौ फीट पर भी पानी है नहीं, मेरा निवेदन है कि जहां भी पानी का स्रोत उपलब्ध हो, पानी की योजना बना करके गांवों को सप्लाई किया जावे। मेरा एक निवेदन और था....

श्री उपाध्यक्ष : बस माननीय सदस्य। मैं दस मिनट से ज्यादा अलाउ नहीं करूंगा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : एक मिनट। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाकसू एक नगर पालिका पड़ती है। वहां जो प्रशासक ए. सी. एम. को लगा रखा है वह दो महीने से बीमार हैं। कभी दफ्तर जाते नहीं, मेडिकल पर हैं या किसी और दूसरी छुट्टी पर हैं, मुझे इसका पता नहीं लेकिन सारे विकास के काम रुके हुए हैं। सारी नालियां फूटी पड़ी हैं, पूरे कस्बे में कोई लाइट नहीं है, गरीबों को जो पट्टे दिये जाने थे एक पट्टा नहीं दिया और महिने में धड़ाधड़ इतने नाजायज कब्जे हुए हैं कि जो जमीन मौके की थी, जो कीमती जमीन थी सारी पर प्रभावशाली लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने कब्जा कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनगोपाल कोगटा। माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : जबकि गरीब हरिजनों ने वहां पर अप्लाई कर रखा है पट्टों के लिये लेकिन आज तक भी गरीब को पट्टा नहीं दिया और प्रभावशाली लोगों ने जमीन हड़प रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : इसलिये मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ए. सी- एस. को जो प्रशासक लगा रखा है उसको हटा करके तहसीलदार को प्रशासक का चार्ज दिलाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : एक मिनट,

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

साहब। चाकसू नगरपालिका के ए. सी. एम. जो प्रशासक हैं उनको हटा करके तहसीलदार को चार्ज दिलाया जावे वहां का कार्यक्रम सही ढंग से चलाया जा सके। मेरे को जो आपने समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन गोपाल।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में जलदाय विभाग की जो सारे राजस्थान की समस्या है पानी की बड़े संघर्ष से इसको पूरा किया। पिछले तीन महीने पानी का जो पूरे राजस्थान में संकट था उसके लिये जितना सम्भव हो सका, प्रयत्न किया। साथ ही पी. एच. ई. डी. के सभी अधिकारियों ने जो सहयोग दिया और माननीय मंत्री महोदय ने गांव गांव, शहर-शहर जहां-जहां के समाचार मिले जाकर खुद व्यक्तिगत रूप से फैसले करके पानी की समस्या में जितना इन्ट्रेस्ट लिया उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। वारिश के बाद अगली मई-जून कैसे निकलेंगे उसकी प्लानिंग बनने लगती है पिछली सरकार ने सितम्बर के बजाय दिसम्बर में भी प्लान नहीं बनाया, दिसम्बर छोड़ मार्च तक कोई प्लान नहीं बनाया कि कि मई, जून जुलाई कैसे निकलेगा, ऐसी स्थिति में छोड़ कर गई। पर माननीय मंत्री महोदय ने जो साहस दिखाया इसके लिये भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। मेरा यह सुझाव है कि आने वाली गर्मी के लिये अभी से सितम्बर से प्लान बने और दिसम्बर तक वह कार्यरूप में परिणत हो जाय जिससे मई, जून, जुलाई में जो पानी की समस्या हो वह दूर हो जाय।

मैं मेरे क्षेत्र के लिये बात करता हूँ। मसूदा विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय मसूदा है और पंचायत समिति हैडक्वार्टर भी है। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां सात दिन में एक बार एक घंटा पानी मिलता है। पिछले चालीस साल से कांग्रेस के एम. एल, ए. रहे है, मंत्री रहे हैं पर दुर्भाग्य यह है कि सत्ता में रहने के बाद भी मसूदा क्षेत्र आज भी पानी के लिये तरस रहा है। पिछले तीन महीने में अकाल राहत के तहत टैंकर लगाने से चार दिन में, तीन दिन में पानी पहुंच पाया दूर से लाकर, लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं है। मेरा इतना आग्रह है कि पंचायत से वह स्कीम पी. एच. ई. डी. में लेकर स्वीकार की जाय और मसूदा विधान सभा क्षेत्र का जो मुख्यालय है उसमें पानी की सुविधा दी जाय। मेरे क्षेत्र विजयनगर में सन् 1985 में पानी की स्कीम लगी थी उस टाइम चार सौ कनेक्शन की स्कीम थी पर आज करीबन दो हजार से भी ऊपर वहां कनेक्शन हैं। परन्तु पानी की पाइप लाइन और टंकी वही की वही है जिससे 90 घण्टे में पानी मिलता है एक-एक कालोनी में। माननीय भैरोंसिहजी की सरकार आने के बाद अधिकारियों ने और मंत्री महोदय ने कुछ सुविधाएं जुटाई और मई-जून में 48 घण्टे पानी दे पाये हमें, लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं है। मेरा इसमें आग्रह है कि जो कालोनीज नई बसी हैं चार-पांच शास्त्री

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

नगर है, बजरंग कालोनी है, इन्दिरा कालोनी है और रामनगर कालोनी है, उसमें पाइप लाइन बिछाने की सुविधा की जाय और पानी संग्रह करने और कैपेसिटी बढ़ाने के लिये टंकी की स्वीकृति प्रदान की जाय। मेरा क्षेत्र ब्यावर के चारों ओर फैला हुआ है और ब्यावर की समस्या बहुत विकट है। नित्य चार-पांच लाख गैलन पानी हमारे आसपास के गांवों से टैंकर द्वारा लिया जाता है पर उन गांवों की स्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पानी बहुत गहरा चला गया, कुएं सूखने लगे हैं। मेरा यह आग्रह है अगर पानी लिया जाय शहर के लिये भी, तो वहां के निवासियों के लिये भी पानी की व्यवस्था की जाय। वहां ट्यूबवैल लगाये जायं, हैण्ड पम्प खुदवाये जाय, नहीं तो एरिया बहुत ड्राई हो जायगा। ब्यावर के लिये पांच लाख गैलन पानी रोज इन ग्रामीण क्षेत्रों से जाता है। उनका पानी का स्तर बहुत नीचे गिरा है। तो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। कहीं-कहीं तो किसी गांव में दो किलोमीटर दूर पानी है, पहाड़ी क्षेत्र में न कोई हैण्डपम्प है, न पानी की कोई व्यवस्था है। मेरा यह आग्रह है कि मसूदा क्षेत्र में अभी भी करीब 165 गांव ऐसे बचे हैं छोटे-मोटे जिनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। न कुआं है और न हैण्ड पम्प है। इस ओर भी, मेरा आग्रह है, आप ध्यान दें और सुविधाएं जुटाएं। इस सब समस्याओं का एक ही इलाज है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को भी बीसलपुरा योजना में जोड़ा जाय। जैसे ही बीसलपुर योजना शुरू हो, यह जो बनास की योजना अभी चल रही है अजमेर के लिये, वह भी होगी तो केकड़ी से टर्न करके विजयनगर, मसूदा भिनाय, बांदनवाड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कुछ सुविधा जुटाने के लिये योजना स्वीकार की जाय, क्योंकि सरकार ने यह तय किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे और बजट का भी 60 पर्सेण्ट खर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। तो मैं यह शुरुआत पानी से ही करने के लिये आग्रह करूंगा सरकार से कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी सुलभ कराया जाय। कुछ गांवों में पानी इस प्रकार का है कि जिसके पीने से बच्चों की हडडी वगैरह टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है, क्लोराइड ज्यादा है। उन क्षेत्रों को स्वच्छ पानी देने के लिए यह योजना स्वीकार की जाय।

अन्त में एक बात और कहूंगा कि जो हैण्डपम्प है, यह एक्चुअल में हैण्डपम्प नहीं राजनैतिक पम्प हैं। जिस जगह हैण्डपम्प लगाये गये, महीने-दो महीने में लगाने के बाद यह खराब हो जाते हैं और वापस कोई सुनवाई नहीं होती है। आज भी अधिकांश हैण्डपम्प सभी क्षेत्रों में खराब हैं। मेरे क्षेत्र का तो मैं अनुभव बताता हूँ कि ठीक करो और पांच-सात-दस दिन में वापस खराब हो जाते हैं। इसमें मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक हैण्डपम्प पर नम्बर लगा दिये जाय तो विभाग को भी पर्टिकुलर नम्बर की सूचना दी जा सकेगी। जो टीम आती है वह स्थान का पता नहीं होने की वजह से वापिस लौट जाती थी, वह उसे ठीक भी कर सकेगी। एक मेरा सुझाव और है कि वहां के सरपंच को

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

अधिकार दिया जाय कि जब तक यह टीम हैण्डपम्प ठीक करके न जाय तब तक वह वैरीफाई न करे और उसकी स्वीकृति से ही वह टीम उस गांव से बाहर निकले। उस स्थिति में जबकि एक गांव में जितने हैण्डपम्प हैं, सब खराब ही हों तो बड़ी समस्या हो जाती है। मेरा आग्रह है कि पंचायत से हटा कर हैण्डपम्प पी. एच. ई. डी. को ठीक करने की व्यवस्था के लिए दिये जावें तो ठीक होगा। इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण चौधरी।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो चर्चा का विषय रहा और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्या के अलावा राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था के बारे में अपने-अपने सुझाव दिये उस कड़ी में मैं भी एक कड़ी जोड़ना चाहता हूँ। अभी मौजूदा समय में पेयजल की व्यवस्था की जो टी. एस. एस. है यह ग्राम पंचायतों के अधीन है और हैण्डपम्प की स्कीम भी ग्राम पंचायतों के अधीन है। ग्राम पंचायतों के पास न तो पूरा स्टाफ है और न धन है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जितनी भी टी. एस. एस. हैं वे तत्काल बन्द करके विभाग को दे दी जाय ताकि विभाग वाले उन पर रेगुलर आदमी रखें और पानी की सप्लाई चालू रहे। हैण्डपम्प के बारे में माननीय सदस्यों ने जो यह सुझाव दिया था उसका भी मैं समर्थन करता हूँ।

दूसरा मैं मेरे नागौर जिले के बारे में 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। यहां पानी सप्लाई का एक मात्र स्रोत कुएं हैं, कुछ तो ओपन हैं और कुछ ट्यूब वैल हैं। इसमें मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नागौर जिले में, विशेषकर मेरे मेड़ता और डेगाना क्षेत्र में 65 और 70 मीटर के नीचे बहुत ही हार्ड सरफेस का पत्थर है। आपकी सरकार की मशीनरी और प्राइवेट वाले जो ट्यूब वैल खोदते हैं उनकी मशीनों से वहां ट्यूब वैल नहीं फूटता है। आज जितने भी सरकार के ट्यूब वैल हैं सब सूख गये हैं, पानी बहुत गहरा चला चला गया है। इस बारे में मैंने पहले भी सदन में और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी व्यक्तिगत निवेदन किया था। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि भारत सरकार के भूगर्भ विभाग की जो बहुत ताकतवर मशीनें हैं उनसे यह पता लगवा लिया जाय कि यह पत्थर कितना गहरा है, टूट सकता है या नहीं। अगर यह सफल हो जाती है आपकी टैस्ट ट्यूब वैल वाली स्कीम, तो उससे दो फायदे हो जाते हैं। एक तो आपकी पेयजल की समस्या सारी हल हो जाएगी, वह कुएं जलदाय विभाग को दे दिये जाएंगे और सारी सप्लाई आपकी रैगुलर हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सारे किसानों को मालूम हो जाएगा कि कितना गहरा पानी है, टूटता है या नहीं टूटता है। अगर वह कामयाब होते हैं तो सारे किसान देखा-देखी ट्यूब वैल खुदवा करके खेत को हरा-भरा कर सकते हैं और देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। यह एक इमीजिएट रिलीफ देने का रास्ता है। बाकी नागौर जिले के लिए दीर्घकालीन

(श्री रामकरण चौधरी)

योजना के लिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, कि नागौर जिले में अगर आप कहीं से भी पानी लाकर परमानेंट स्कीम बनाना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं। एक तो इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट से पूरे नागौर जिले को पानी पहुंचाया जाय और दूसरा मेरा सुझाव है कि जो गंगा का फ्लड का पानी है उसका सर्वे हो चुका है। उसमें यह रिपोर्ट आई है कि आपके नावां तहसील के करीब 40 गांवों को सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकता है। इसलिए इन दोनों स्कीमों में से, या तो इन्दिरा गांधी नहर या गंगा के फ्लड के पानी की एक स्कीम बना कर भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए भिजवावें इस जिले में यदि इसी प्रकार वर्षा की गति रही तो आगे आने वाले समय में पूरा नागौर जिला प्यासा मर सकता है। ट्यूब-वैल तो आज भी करीब 150 मीटर गहरे हो गये हैं। इसलिए यह बहुत बड़ी योजनाएं, जो आपके ध्यान में हैं, बनाने के लिए मेरा निवेदन है।

एक बात मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूँ। मैं करीब-करीब मानता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में सभी तरह के आरोप हैं। आज मेरे क्षेत्र के बारे में इसी विभाग के एक्स. ईएन. के बारे में जो रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मेरे ख्याल से उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। जिस अधिकारी के बारे में उन्होंने आरोप लगाये हैं, मैं समझता हूं, न तो वे उस अधिकारी को जानते हैं, न उसके कार्यों का ही उनको पता है। मैं समझता हूँ कि गलत तथ्य रखने से पहले सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक से भी बात करें। पी.एल. मुगालिया हमारे एक्स. ईएन. हैं, इस आदमी के लिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, माननीय सदस्य कहते हैं कि इनके खिलाफ कई अनियमितताएं हैं, इसके लिए सरकार ने जांच करवाई है। माननीय मुख्य मंत्री जी खुद ने अभी जांच करवाई है. सब आरोप निराधार हैं। अगर सही काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप इस प्रकार आरोप लगाते हैं तो कोई अधिकारी आगे आकर के कोई काम नहीं करेगा। हमारे यहां इस अधिकारी के आने से पहले डिपार्टमेंट की हालत इतनी खराब थी कि वहां का फोर्थ क्लास का आदमी वहां के एस. ई. को नहीं गांठता था। आपको मालूम है, 1986 में हमारे यहां एस. ई. आये थे, उनको मेड़ता सिटी में उन लोगों ने नंगा करके उनकी फोटो खींची थी। इस आदमी ने आने के बाद सारे डिपार्टमेंट को रेगुलर ढंग से काम में लिया, जो आज सही चल रहा है। इसने वहां ढाणी-ढाणी और गांव-गांव गर्मी के सीजन में रेगुलर पानी दिया। तो मेरा निवेदन यह है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाये तो सारे तथ्यों की जानकारी करके लगाये। मेरे नागौर जिले के लिए, मेड़ते के लिए, डेगाना के लिए तत्कालीन आपको जो योजना बताई है, टैस्ट ट्यूब वैल हर पांच किलोमीटर पर खुदवाये जायं, इसके दूहरे फायदे होंगे और दीर्घकालीन योजना बनाकर इन्दिरा गांधी नहर या गंगा के फ्लड का पानी मंगा कर सप्लाई किया जाय।

(श्री रामकरण चौधरी)

इतना कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरधाराम।

(अनुपस्थित)

श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत काम किया, काम की बात नहीं है मेरे पास पूरे प्रूफ हैं फाइल है..

श्री रामकरण चौधरी : जांच हो चुकी है इसकी। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जलदाय विभाग के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हमारा बजट बताता है कि पिछले 40 वर्ष में हमने करीब एक हजार करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च किये हैं। इस साल स्थिति ऐसी थी कि बड़ी मुश्किल से हमने बरसात तक का समय लिया। हालत यह है। सभी क्षेत्रों के माननीय सदस्य बिराजमान हैं। किसी गांव में और किसी नगर में चले जाओ, कोई राजस्थान नहर वगैरह के स्थाई स्रोत से जुड़े हुए हैं उनकी तो बात कहता नहीं बाकी हर गांव, शहर, कस्बे में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मैं तो मारवाड़ का रहने वाला हूं, 40 साल पहले पानी की कठिनाई जरूर थी लेकिन सुबह के वक्त सब कुओं के हौज भरे होते थे। खूब पानी होता था, घर में भी पानी होता था। अब आपको कहीं पानी नजर नहीं आएगा। जो इस साल तकलीफ थी, बरसात होने से अस्थाई तौर से कुछ राहत मिली है लेकिन मैं आपको निवेदन कर देता हूं कि आपने अगर यही नीति रखी तो अगले चार-पांच साल में अपनी ऐसी स्थिति बनेगी कि देश उजड़ने पर आ जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमने बॉरोड टेक्नॉलोजी के आधार पर काम किया, केवल भूजल को हमारी योजनाओं का आधार बना दिया। सिवाय नलकूपों के हमने कोई पेयजल के स्रोत निर्मित किए नहीं। केवल जो सिंचाई बांध थे, उनसे जरूरत पड़ी तब पानी ले लिया। जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे हमारा क्या होगा? यह स्थिति आपके चार-पांच साल में सामने आ जायेगी। मैं आपसे एक बात के लिए निवेदन कर देना चाहता हूँ कि पेयजल की समस्या का अन्तिम हल यह है कि वर्षा के पानी को हम एकत्र करके रखें, चाहे भूमि के सतह के ऊपर, और आजकल तो इस तरह की विधियां आ गई हैं कि जैसे इस साल बाढ़ आई और खूब पानी था तो उसको भूमिगत करने की भी टेक्नॉलोजी हासिल है। लेकिन हमने इसकी तरफ विचार किया नहीं। हमारी जो नीति रही है वह इतनी दोषपूर्ण रही है, जोधपुर की पेयजल की समस्या को ही आप ले लीजिए। जोधपुर आज से पचास साल पूर्व अपने आसपास के क्षेत्र से अपनी जल पूर्ति करता था। छिनवे के अकाल के अन्दर पानी की कमी आई तो पाली के पास हेमावास से पानी लिया। 1959 के अन्दर वहां से भी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कमी आ गई तो जवांई से एक सौ दस मील से पानी लिया। इसमें भी पानी की कमी आ गई तो हमने साही नदी से इसको जोड़ा। तो भी पानी की पूर्ति नहीं हुई तो पाल करके एक क्षेत्र है जहां पर भूगर्भ में पानी है, वहां नलकूप निर्मित किए। उससे से भी पूरा नहीं पड़ा तो रामपुरा और मथाणियां वहां पर भूजल उपलब्ध था, वहां नलकूपों से हमने पानी लिया। उससे भी पूरा नहीं पड़ा तो दो साल पहले हमने बोरूंदा और रणसी गांव वगैरह से पानी लिया। मेरे कहने का आशय यह है कि एक जोधपुर को पेयजल देने के लिए हमने पशु पालन और सिचाई के जितने जल स्रोत थे, वे सब हमने उजाड़ दिए। आसपास सब जगह करीब-करीब यही हुआ है और आगे भी यह होने जा रहा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जब वर्षा के जल की बात करते हैं तो सीधा-सा यह कहते हैं कि साहब, बरसात तो होती नहीं है फिर स्थाई स्रोत कैसे बनेगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो जल मिलता है वह सब का सब खारा है मीठा जल केवल जल वर्षा से प्राप्त होता है और जिस जल का हम उपयोग कर रहे है वह सब का सब चाहे भूमि के अन्दर है या सतह के ऊपर है सब वर्षा का जल है। हमारे पुरखों ने जिसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते है, जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नमूने निर्मित किये थे उन सबको हमने उजाड़ दिया। बड़े दुःख की बात है कि आजादी के बाद में जब हमने नई पेयजल की योजनाएं बनाई, पेयजल हेतु हमने एक तालाब का निर्माण नहीं किया है और अरबों की लागत के जो शताब्दियों से हमारे पुरखों ने जल स्रोत बनाये थे, वे सब के सब हमने उजाड़ दिए हैं। तीन-चार साल में फिर हमको एज यू वर हो करके प्रारम्भ में पहली शताब्दी में हमारे पुरखों ने जल स्रोतों का निर्माण शुरू किया था उस तरह से हमको निर्माण शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए, यह नहीं है कि हमारे यहां पर बड़े-बड़े बांध ही होने चाहिए। वर्षा के जल स्रोत को एकत्रित करने के लिए, एक व्यक्ति जो टांका बनाता है, वह टांका बनाईये। समूह है तो सामूहिक टांका बनाइये। तालाब जब थोड़ी आबादी थी और अब तीन गुना आबादी बढ़ गई है तो उस तालाब की क्षमता तीन गुना कीजिए। अगर उनके ऊपर कहीं अतिक्रमण हो गए हैं तो उन को हटाइए। नहरें टूट गई उन सब की दुबारा मरम्मत कीजिए।

मैंने कुछ दिन पूर्व कहा था जितने पुराने तालाब थे राजस्थान के अन्दर, उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है? वह प्रश्न अभी तक आपके विभागों में चक्कर काट रहा है। क्यों? निर्माण के लिए एक पैसा खर्च नहीं होता और पैसा खर्च नहीं होता है तो इसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, उसका पता नहीं है। कैसी यह हालत है? मेरे कहने का आशय यह है कि केवल वर्षा के जल के द्वारा ही आप कर सकते है, अभी हमारी 90 प्रतिशत जल योजनाएं हैं वे नलकूपों पर आधारित है। आप जैसा हमारे पुरखे किया करते थे वैसा कीजिये।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दस महीने पेयजल का स्रोत होता था तालाब और जब गर्मियों में समाप्त हो जाता तो दो महीने कुओं का पानी काम में लेते थे। नलकूप और भूगर्भ का पानी, यह मैं नहीं कहता कि सब जगह ही यही पद्धति अपनाई जाए। जैसी स्थिति हो उसके अनुसार करें। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आधार पानी के तालाब हमारे होने चाहिए। आज इस पानी के बारे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह जल स्वच्छ नहीं होता। आजादी के चालीस वर्ष बाद में जब इन्जीनियरिंग, साइन्स इतनी बढ़ गई है कि फिल्टर हाउसेज जल स्वच्छ करने को बना देते हैं, लेकिन कोई विधि नहीं है इस विभाग के पास में कि ग्रामीण तालाब के जल को किस तरह से स्वच्छ किया जाए। वह स्वच्छ नहीं करने से आप स्रोत ढूंढ रहे हैं, दूर-दूर से पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण एक और बनने जा रहा है नगरों के अन्दर तो मलमूत्र को बहाने के लिए पानी का उपयोग, क्योंकि हमने भी दूसरों की नकल कर ली, यह पद्धति अपनाली। होना तो यह चाहिए था कि मलमूत्र के लिए भी हमको इस तरह की मशीनरी ईजाद करनी चाहिए थी कि हम उसको एकत्र कर सकें और उसका खाद बना सकें। एक बच्चा पेशाब करने जाता है तो वह पन्द्रह लीटर पानी बरबाद करता है। यह काम चलने का नहीं है यह मैं आपको बताता हूं। मल-मूत्र को हम किस तरह से डिस्पोज ऑफ करें, इसकी भी विधियां आप बैठकर निका-लिए। इनके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च हो तो भी यह सस्ता पड़ेगा। जब तक हम इस बुनियाद बात की ओर नहीं जाऐंगे, तब तक पेयजल समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला है। मुझे हंसी आती है ब्यावर कस्बे के लिए आपने कितनी कोशिश की, कहां-कहां से पानी लाने की ? निमाज से पानी लाए, कभी बरांठिया से लाए, कभी सेंदड़ा से लाए। सब जगह के कुए आपने उजाड़ दिए। ब्यावर के पास कितने पहाड़ है ? एक पहाड़ का पानी आप रोक करके एक तालाब पचास-साठ लाख रुपये में बना देते तो सब कुओं में पानी हो जाता और ब्यावर रात-दिन पानी में डूबा रहता। लेकिन इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया। यह बहुत ही गलत नीति है। इसके नतीजे आगे भुगतने पड़ेंगे। अब भी आप एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति अपना टांका बनाना चाहता है, उसको 75 परसेन्ट तक मदद दीजिए। सामुहिक टांकों के लिए मदद दीजिए। जितना पुराना तालाब है ढाई गुणा हमारी आबादी बढ़ गई तो ढाई गुणा उसका क्षेत्रफल है, आजकल तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आखिर पहाड़ों से क्या फायदा है ? पहाड़ पक्के होते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी ऊपर से बह करके आता है। आज तो हम केचमेंट ऐरियाज को गांवों के लिए तो पक्का तक कर सकते हैं। कितना पानी बरसता है इसका अन्दाजा नहीं लगाते। जिस क्षेत्र के अन्दर औसत 8 इन्च वर्षा होती है तो एक एकड़ के क्षेत्र में साल भर में दो लाख गैलन पानी पड़ता है। साठ बाई साठ फीट का एक प्लाट है, उस पर 25000 गैलन पानी साल में पड़ता है। पुराने जितने भी पक्के मकान थे, उनके साथ हमेशा टांका होता

285

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

था। यह आधुनिक युग की बात नहीं है न्यू फाउण्डलैंड के अन्दर यह समस्या आई थी, जो उनकी सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि जो मकान बनायेगा वह साथ में अपने यहां टांका भी बनायेगा। अपने यहां पर भी टांका बनाने चाहिये थे। राजस्थान नहर सभी को दिख रही है, अब सभी चाहते हैं कि राजस्थान नहर का पानी को जगह-जगह नालों से बांट लिया जाये तो खायेंगे क्या। जब खेती के सभी ठिकाने आपने उजाड़ दिये तो खायेंगे क्या? पानी यहीं पर बरसता है। इस सदन के प्रांगण का जितना क्षेत्रफल है, उसके अन्दर 25,000 गैलन पानी साल भर में बरसता है, उसको एकत्र करने में आपने कई हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं, इसमें कितना खर्चा होगा। ज्यादा नहीं होगा और होगा तो भी यह एक प्रोसेस है, इसको चलाते रहिये। ताकि कभी पानी की कमी नहीं आये। सिर्फ 20 प्रतिशत पानी आप भूगर्भ पर आधारित कीजिये बाकी जो है वह सब आप वाटर हार्वेस्टिंग करके कीजिएगा। यही मेरा निवेदन है।

(10:00 रात्रि)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बालचन्द आर्यवीर (अनुपस्थित)।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं। माननीय श्री गोपीराम चौधरी (अनुपस्थित) माननीय श्री मदन लाल सैनी।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : मान्यवर उपाध्यक्षजी, एक हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी पानी की समस्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखने की बात यह है कि इतने रुपये खर्च होने के बाद आज भी प्रदेश के गाँव में, ढाणी में, शहर में, बाजार में, सब जगह पानी की जो चिन्ता की जा रही है इसका क्या कारण है? पीछे के चालीस वर्षों की योजनाओं पर यदि हम विचार करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि योजनायें अपूर्ण थीं, व्यवहारिक नहीं थीं। जो भी योजनायें बनी, जैसी भी बनी, यदि जैसी बनी थी वैसी ही क्रियान्वित भी कर दी जाती तो भी शायद आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा में इतनी चिन्ता करने की बात नहीं होती। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पूरी क्रियान्वित हो गई होती तो पानी जल्दी खत्म हो जाता। दो साल पहले होगा। नहीं तो क्या होगा कि पूरा पानी निकल नहीं रहा है अभी।

श्री मदनलाल सैनी : मुझे लगता है कि पीछे जिनका चालीस वर्ष तक शासन रहा उनकी हालत यही थी। एक लड़की को कहा कि क्यों, फसल कैसी है? उसने कहा कि यदि हमारे नर में अनाज हो गया तो मुझे लकड़ी लाने जाना पड़ेगा इसलिए मेरे बाप के यहा अनाज नहीं होना चाहिये। कांग्रेस की भी यही हालत रही कि जनता को सुख मिलना नहीं चाहिये। कल किसने

286

(श्री मदनलाल सैनी)

देखा तो व्यवस्था कीजिये। लोंग रन की बात सोचना तो ठीक है लेकिन यहीं कर लेते। माननीय श्री बिश्नोई साहब जैसे विद्वान, जिनका अनुभव है वह जरा इस प्रकार की चर्चा, आज यहा विधानसभा में कर रहे हैं, अपने उन सहयोगियों के साथ करते-उनसे अपनी बात मनवाते तो मैं समझता हूं...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा है कि यह तो कुएं में भांग पड़ी हुई थी ऊपर तक। पच्चीस साल से मैं यह कह रहा हूँ और आप जब तक नहीं बदलेंगे, आपकी हमारे से भी बदतर हालत होने वाली है। यह और बता देता हूं।

श्री मदनलाल सैनी : मुझे लगता है श्री बिश्नोईजी, भांग पड़ी हुई तो नहीं होगी, जब योजनाएं बनी होंगी शायद उस समय दूसरे ही पेय के रूप में बनी होंगी, वह पेय भांग नहीं रहा होगा। उस पेय के परिप्रेक्ष्य में बनने वाली योजनाओं की यही हालत होती है।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यान हैण्ड पम्प योजना की ओर ले जाना चाहता हूँ। ग्राम पंचायतों को हमने हैण्डपम्प योजना दे रखी है। मुझे लगता है कि यह अव्यवहारिक योजना है। आज प्रांत में जो हैण्डपम्प दो-तीन बार खराब होते हैं उनको ठीक करवाने की जिम्मेदारी पी. एच. ई. डी. की होती है, उन पर बाकी खर्चे की भी जिम्मेदारी पी. एच. ई. डी. की होती है, उनके रखरखाव के लिये पंचायतों को हम कुछ और पैसा भी देते हैं, वह राशि 22 करोड़ रुपये होती है। वह राशि पी. एच. ई. डी. के बजट में से ही देनी पड़ती है सो इससे पी. एच. ई. डी. को फायदा क्या है? स्वयं ही इनकी व्यवस्था करेगी। पंचायतें फिर भी व्यवस्था नहीं कर पाती, उनके पास कोई टेक्नीकल स्टाफ नहीं होता, एक्सपर्ट्स लोग नहीं होते और पैसा जब पी. एच. ई. डी. के ही बजट में से खर्च करना पड़ता है तो कुछ और पैसा मिला कर यह व्यवस्था पूर्णरूप से हमको ही करनी चाहिये। कई बार विशेष अभियान के माध्यम से भी जो हम हैण्ड पम्पों को ठीक करते हैं, इस प्रकार से सारा खर्चा पी. एच. ई. डी. का होता है।

मान्यवर, आज जो टी. एस. एस. की योजना हमारी बन रही है इस योजना में भी आज हम देखते हैं कि बिजली का महीने का पैसा हम पे करते हैं, डिमाण्ड नोटिस का पैसा हम पे करते हैं और कई बार मोटर जल जाती है तो पी. एच. ई. डी. उसको ठीक करवाता है, फिर पंचायतों को यह देने के पीछे तुक क्या है? यह बात समझ में नहीं आती। जब मासिक पैसा हमको जमा कराना है, कई बार/मोटर बधवानी भी हमको पड़ती है तो फिर पी. एच. ई. डी. का पैसा खर्च करने का उपयोग क्या है? यह बात समझ में नहीं आती। इसी प्रकार हमारी टी. एस. एस. योजना का क्राइटेरिया आबादी के आधार पर बना है। 1977 की आबादी के आधार पर बनाया हुआ क्राइटेरिया है। आज आबादी बदल गई, ग्राम बदल गये, मोहल्ले बदल गये, नई आबादी बस गई।

(श्री मदनलाल सैनी)

उस हिसाब से आबादी के परिप्रेक्ष्य में इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

हमारे यहां इस प्रकार की योजनाएं बनी, यदि वह पूरी हो जाती तो आज यह समस्या हमारे सामने नहीं आती। इन्दिरा गांधी नहर की योजना कितना पैसा लगा, सुरसा के मुंह की तरह से बनकर यह योजना खड़ी है। कई करोड़ रुपये उसमें खर्च हो गये। बनास की योजना भी यही है, जोधपुर-फलौदी को पानी देने की यह योजना आज अधूरी पड़ी है। किशनगढ़, अजमेर और ब्यावर भी आज पानी के अभाव में तरस रहे है। यह सब अपूर्ण योजनायें थी। मानसीवाकल का कई बार उद्घाटन हुआ, योजना चलने की बातचीत हुई। आज उसके सम्बन्ध में 11 करोड़ रुपया बेकार पड़ा हुआ है। आठ करोड़ रुपये का खरीदा हुआ पाइप भी न जमीन में है, हो सकता है. जब फिजीकल वेरी फिकेशन हो तो वह आठ करोड़ रुपये का पाइप भी हमको ठीक जगह पर नहीं मिले। इस प्रकार की स्थिति आज उस योजना के पीछे रही है। यह सारी योजनाएं कहीं वेस्टेड इन्टरेस्ट के कारण से, राजनीतिक कारण से, आर्थिक कारणों से बनाई गई। देश की जनता की बहुत बड़ी राशि इसमें खर्च हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि रामगढ़ के बांध में जो पानी आज तक आता रहा, उस पानी के कैचमेन्ट एरिया में जो एनीकट बनाये गये हैं उनके कारण से सब जगह तालाबों में चादर चल गई, बंधे फूट रहे हैं, यह खबर आई है इस बाढ़ में और जयपुर में पानी इतना आया, जितना नागरिकों के लिये तीन दिन के लिये पर्याप्त नहीं। रामगढ़ का बांध काफी मात्रा में भर जाना चाहिये, इस विषय में मैं पूछना चाहूंगा कि जयपुर के लोगों को पानी कहां से पिलायेंगे ? आप अपने जवाब में यह भी उत्तर देंगे तो अच्छा होगा कि जयपुर के लोगों को, इस बांध की एनीकट्स के कारण जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए, आप किस प्रकार से पानी पिला सकेंगे ?

एक विषय और आया, पिछली विधान सभा में पड़े जोरों से गुंजा। पुरानी सरकार पाइप घोटाला काण्ड, सारी व्यवस्थाएं चली। उसमें कई लोग इन्वाल्व हुए। कुछ इंजीनियर्स के गले में घंटी डाल दी गई, कुछ लोग बच गये। यह जो इंजीनियर्स वर्सेज आई. ए. एस. आफिसर्स के बीच झगड़ा हुआ, जो दोषी थे उन लोगों को इसमें इन्वोल्व किया गया। लेकिन कुछ और दोषी थे जिसमें उनके नाम आये पी. ए. सी. कमेटी की सत्रहवीं रिपोर्ट में वर्णन है इस बात की, जांच हुई है, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? यदि घपले चलते रहे और उनकी जांच नहीं हुई अपराधियों को दण्ड देने का भय नहीं लगा तो इस प्रकार के अपराधियों को, घोटालों को हम रोक नहीं सकेंगे। केवल इसलिए यह रिपोर्ट दबाई जा रही है कि इसमें सी. एस. का नाम आ रहा है। दोषी वह भी कहीं है, इस प्रकार की चर्चा आ रही है। और दोषी होने वालों में कई बड़े-बड़े लोग हैं। वी. एल. शर्मा भी है, वी. एस. शर्मा

(श्री मदनलाल सैनी)

भी है, शायद और भी बड़े अधिकारियों के नाम हैं जो आज यहां बैठे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिले में हिन्दुस्तान का एक बड़ा प्रोजेक्ट-कापर प्रोजेक्ट काम करता है। उसके कारण से गांवों में पानी नहीं मिल रहा है। केमीकल प्रोसेस के कारण से पानी नीचे खराब हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य. अब समाप्त करें।

श्री मदनलाल सैनी : एक मिनट का समय लूंगा। उसके बाद आपको घंटी बजाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। बढ़ती हुई आबादी के कारण से आज कर्मचारियों में जो स्थिति बनी है, इन सारी व्यवस्थाओं को करने की चिन्ता कौन कर रहा है? दो वर्ष वाले को अर्द्धस्थाई करना चाहिये था, दस वर्ष वाले को स्थाई करना चाहिये था. उसकी चिन्ता नहीं है। गांव और शहर का भेद डालकर कर्मचारी-कर्मचारी के बीच में, उनकी वेतन विसंगतियों, उनकी सुख-सुविधाओं में अन्तर खड़ा किया जा रहा है। यह अन्तर समाप्त किया जाना चाहिये।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि उदयपुरवाटी क्षेत्र का जो रेतीला क्षेत्र है वहां की जो पंचायतें हैं उनमें आसलसर, हुकुमपुरा, सिरणवार, पोसागा, भोड़की टोंक-छिलरी, इन्द्रपुरा, रघनाथपुरा यह जो क्षेत्र है, इन में हैण्ड पम्प की जरूरत है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पानी नीचा नहीं है इसलिये उनके लिये विशेष तौर से व्यवस्था करायें। 16 गांवों के लिए जो पानी की टंकी मंजूर हुई हैं उन्हें तुरन्त लागू किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री मदनलाल सैनी : पुराना शहर होने के कारण सीवरेज लाइन की व्यवस्था अलग से वहां होनी चाहिये और 50 लाख की व्यवस्था बस स्टेण्ड के निर्माण की दृष्टि से होनी चाहिये। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री नवनीतलाल नीनामा : श्रीमान् लगातार। हमारी उपेक्षा हो रही है। अभी बीच में मेरा नाम था। उदयपुर डिवीजन चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाडाड़ा की तरफ से आज जब से बजट पर चर्चा चालू हुई है। किसी को बोलने का मौका मिला है, न बोला है न बोलने दिया है। आज भी मेरा नाम था पर मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया है इसलिए मैं यहां से वाक आउट करता हूँ। यहां से जाता हूँ।

(माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन किया गया।)

श्री रतनाराम चौधरी : इसके बाद मेरे को बोलने का मौका दिया जाय। दो मिनट बोलूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत बोलने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न हैं। एक माननीय सदस्य अपनी मर्जी से बाहर जा रहे थे और उन को जबरदस्ती यहां रोका गया। इस पर व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री दिग्विजय सिंह : आपको क्या आपत्ति है ?

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे काफी देर से दोनों तरफ से सुनने का मौका मिला है और जो कुछ मैंने सुना है इधर के सदस्य जब बोले यह जरूर है कि मंत्रीजी की तारीफ की और यह कहा कि मंत्री जी बड़े अच्छे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते हैं। लेकिन है सब गड़बड़, भ्रष्टाचार है, सारी व्यवस्था खराब है। मुझे दो शब्द नगर आयोजना विभाग जिसके मंत्रीजी प्रभारी हैं, के बारे में कहने हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे जितने बड़े-बड़े नगर हैं और जिस राजधानी में असेम्बली में बैठे हैं, उसकी भूमि पर जो आस-पास की भूमि है उसकी खुद की भूमि बड़े-बड़े लोगों ने नाजायज कब्जे किये हैं और उन्होंने करोड़ों रुपये कमाये हैं और आज भी कमा रहे हैं। हम ने चाहे इससे पहले की सरकार ने अरबन सीलिंग लागू करके इन से जमीन लेने की कोशिश की या आज की सरकार उनकी जांच करके कोशिश कर रही है लेने की पर इन सारी बातों में यह कामयाब होगी या नहीं। बड़े-बड़े लोग हैं उसमें सेठ साहूँकार, बड़े राजा महाराजा, असरदार रावल ठाकर सब ये उनसे लेने में सफल नहीं हुए उसका एक ही कारण है कि राज-नीति में बैठे हुए लोग हैं हमेशा उनकी मदद कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूंगा कि इस विधान सभा से थोड़ी ही दूरी पर जो हमारी राजस्थान कैनाल का दफ्तर है उसके सामने की जमीन जो अमरुदों के बाग के नाम से मशहूर थी और राजस्थान की सरकार ने उस जमीन को अवाप्त किया महाराजा से उस जमीन को ले लिया महाराजा उस वक्त से पहले हमेशा कांग्रेस विरोध में थे और उस दवाब के कारण कांग्रेस में शामिल हुए। श्री शिवचरण जी माथुर ने उनको इस बात की छूट दी कि उस भूमि को किसी तरह से काबू में करने के लिए एक सोसायटी के नाम से बेच दे। सोसायटी के नाम से बेचकर उस जमीन को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस की शरण ली श्री शिवचरण माथुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन पर हाथ रखा और वह बचे रहे। पर सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश साल-छह महीने बाद श्री जोशीजी आ गये और उन्होंने फिर इन्क्वायरी करायी और इन्क्वायरी कराकर महाराजा श्री भवानी सिंह को नोटिस दिया। उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया और भूमि का मामला दुबारा शुरू हुआ। यहां उस समय जो आज सत्ता पक्ष में हैं वह विरोध पक्ष में थे तब विधान सभा में सवाल उठा था। उसके

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बाद श्री जोशीजी के ऊपर एक गुरु बैठा था। मैं यह सबसे बड़ी बात इस विधान सभा में कहूँगा कि आज जो हमारे सामने मुख्यमंत्री हैं वह एक बात बड़ी छाती ठोक-कर कहते हैं मैं इस विधान सभा का नेता हूँ। मैं ऊपर के इशारे से काम नहीं करूंगा राजस्थान की विधान सभा मे मेरा बहुमत है उन सदस्य की सलाह से काम करूंगा। आज वक्त है, बतावें वह किस के इशारे पर काम करेंगे ? श्री हरिदेव जोशी जी चाहते थे कि किसी भी कीमत पर महा-राजा के सामने सौदेबाजी करके उस करोड़ों रुपये की जमीन न दी जाय। पर उस वक्त चुनाव थे। चुनाव के दिन श्री राजीव गांधीजी पधारे। उन्होंने सौदेबाजी की और सरकार को मजबूर करके महा-राजा को जमीन सौंप दी। उस महाराजा के पास आज करोड़ों रुपये की जमीन राज-स्थान के लोगों की है, जयपुर के नागरियों की है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ हमारे स्वायत्तशासन मंत्रीजी बैठे हैं, सोना खरा है यह मै मानता हूं, पर सोना कसौटी के बाद खरा होता हैं। यह मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार यह समझती है कि हम जांच करायेंगे इन नारों से राजस्थान की जनता को विश्वास नहीं होगा। अगर हिम्मत है, इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पर ऐसे घोटालों में दखल करके देकर एक्शन लेने होंगे तब हम समझेंगे कि कदम उठाये हैं और कुछ हिम्मत की है।

आप छोटे-मोटे लोगों को लेकर फिरते हैं। किसी मीने को पकड़ लिया और सबको बताते फिरते हैं उस मछली को। पर सारे + + + राजस्थान में ऐसे खुले फिरते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस सरकार की इच्छा शक्ति तो तब मालूम होगी जब राजस्थान कैनाल के सामने जो अमरुदों के बाग की जमीन है उसकी जो करोड़ों की जमीन पड़ी है उस पर राज्य सरकार कब्जा करेगी और करोड़ों रुपये अपने खजाने में लायेगी।

दूसरी बात यह कहनी है कि मैं ऐसे जिले का रहने वाला हूँ जिस जिले में आपके जिले जैसी समस्या नहीं है। हमारे यहां पानी की समस्या नीचे से प्राप्त करने की नहीं है। नदी का बहुत पानी है पीने के पानी समस्या नहीं है। पीने के पानी के लिए करोड़ों रुपये राजस्थान की सरकार खर्च किये हैं। एक निवेदन आवश्यक करना चाहूंगा कि हमारे यहां का पानी जो खेतों में इस्तेमाल होने वाला है वह 60-70 क्यूसेक पानी वाटर वर्क्स को दिया जाता है। खेती में उसको इस्तेमाल नहीं करते है और उनको देते है। हम पानी इस्तेमाल करते हैं ट्रेडीशनल सोर्सेज हैं, कच्ची पक्की डिग्गियां हैं उन में भी इस पानी को इस्ते-माल करते हैं। में आपसे अर्ज करूं तीन महीने पहले इरिगेशन डिपार्टमेंण्ट ने निर्देश निकाले हैं मंत्री महोदय भी बैठे हैं, जितनी पुरानी डिग्गियां हैं उन सब का पानी समाप्त कर दिया जाय और कैनाल से पानी नहीं लिया जाय। एक सोर्स से पानी मिल रहा है तो दूसरे से नहीं लें। मेरे जिले के टोटल चक लगभग 1600–1700 गांव हैं। सारे गांवों के लोग कलेक्टर और एस. ई., सबके पास

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दरख्वास्त लेकर गये कि हमारी पुरानी डिग्गियों को, हमारे ट्रेडीशनल सोर्सेज को न मिटाये। इनसे जो पानी आता है वह रुक जायेगा।

इसका मतलब यह है कि आपने जो इन + + + को हमारे यहां छोड़कर....

(10·20 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

करोड़ों रुपये खर्च किये, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। डिग्गियां आधी कच्ची पड़ी हैं, टैंक्स पूरे बनाये नहीं गये हैं। सोर्सेज इतने कम हैं कि हमारे यहां गर्मी के वक्त में अगर केनाल का पानी ट्रेडीशनल डिग्गियों में न जाये तो सारा गंगानगर जिला प्यासा मर जाये। इसलिये मुझे यह निवेदन करना है कि यदि हम वकाई चाहते हैं कि गंगानगर जिले में पानी मिले तो यह न करें। क्यों कि 60 क्यूसेक पानी का मतलब है कम से कम 30-35 हजार एकड़ जमीन पर फसल होना। हम 30-35 हजार एकड़ खेती को बरबाद कर रहे हैं इसलिए निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पानी डबल इस्तेमाल नहीं होगा एक सोर्स से होगा और वह तभी हो सकता है जब आप पी. एच. ई. डी. में इस तरह की व्यवस्था बनायें कि वह पूरा पानी सप्लाई करके गांवों को दे सकें। दूसरी मुझे एक बात और कहनी है। मेरे भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि एस. ई. बड़े अच्छे हैं, नमस्कार करते हैं, मिनिस्टर भी बड़े अच्छे हैं, नमस्कार करते हैं। जो बेलदार हैं, जो पानी छोड़ता है, वहां, वह खराब हैं, वह बड़ी गड़बड़ी करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी मैं एक निवेदन करूं, आपसे। क्या हालत है उसकी। 16 रुपये देते हो आप। एक दिन की उसकी तनख्वाह, 16 रुपये है, और यह लेते हैं एक दिन में ढाई सौ रुपये।

एक माननीय सदस्य : 22 रुपये।

श्री हेतराम बेनीवाल : 22 होंगे तो महाराज। अभी नोटिस निकाला है, पहुंचा नहीं होगा। एक महीने बाद पहुंचेगा। जब 22 हो जायेगा तो गुड़ 9 रुपये हो जायेगा। वह वहीं जायेगा, जहां जाना है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिसको 16 रुपये देते हो, आप। उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं गांव के अन्दर। उसके क्वार्टर देखे हैं मैंने। एक एस. ई. की कोठी है, जिसमें 15-15 कमरे, चौबारे और 3-3 लैट्रिन फ्लेश वाली, और उस गरीब के पास एक आठ बाई आठ का, एक कमरा बना हुआ है। जो क्वार्टर्स बनाये हैं, आपने। बड़ी शर्म आती है। मैं खुद उनमें गया। जिनमें बकरी नहीं रह सकती, उसमें इन्सान रहता है। आठ बाई आठ का एक कमरा, उसके लिये लेट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं कोई उसका परकोटा नही अकेला इस तरह की परिस्थितियों में जो कर्मचारी रहते हैं, निश्चित तौर से वाटर वर्क्स सही ढंग से काम करे तो नीचे से सुविधा भी देनी होंगी। जो उसकी रखवाली करता है....

+ + + शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष : अब आपका एक मिनट और एक सैकिण्ड का पैमाना बहुत बड़ा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं जिसके लिए आया हूँ, कोई नहीं बोला। अध्यक्ष महोदय, इस गरीब कर्मचारी के लिये, जो वाटर वर्क्स को चलाता है पूरा रात दिन रहकर, सर्दी और गर्मी में, उसके लिये कोई एक शब्द नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : आप पन्द्रह मिनट से बोल रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हम उनसे सेवायें लेना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि रात को हमारा वाटर वर्क्स काम करे, अगर हम चाहते हैं कि वाटर वर्क्स की नालियां सही तरह से चलें, तो इसका मतलब यह है कि उनकी तरफ भी ध्यान दें। वह आज डेली वेजेज पर काम करते है, 30-30 साल से और काम ही नहीं करते, आधे तो अफसरों के यहां काम करते हैं। एक-एक एस. ई. और एक्स. ई. एन के पास 5-5, 10-10 वर्क चार्ज के श्रमिक काम करते हैं, यह व्यवस्था तभी सुधरेगी जब हम उनकी सर्विस की कण्डीशन को चेन्ज करें, उनको पूरी-पूरी तनख्वाहें दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नवनीत लाल नीनामा।

श्री नवनीत लाल नीनामा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, जिसके लिये आपको धन्यवाद है। आपका आदेश मेरे लिए शिरोधार्य है, लेकिन मैं आज बोलने में असमर्थ हूँ, मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री गुलाम मुस्तफा खान।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सदस्य बात के धनी हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं। नीनामा जी, क्या नाराजगी से नहीं बोल रहे है क्या ?

श्री गुलाम मुस्तफा खान : हां नाराजगी के कारण नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर दो मिनट बोलो, आप। दो मिनट बोलो। आप बैठिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा : कल-परसों जब भी आपका हुक्म होगा, बोलता रहूँगा, लेकिन आज नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं। गुलाल मुस्तफा खान।

श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सबसे पहले मैं मंत्रीजी को जो अभी यहां पर नहीं हैं, धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नयी परिपाटी चलाई। सब विधायकों से यह पूछा कि आपके यहां

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

पर क्या-क्या समस्यायें हैं। उसके बारे में पत्र आया है। मेरे पास जरूर आया है। उन्होंने सुझाव मांगे हैं, यह परिपाटी सिर्फ हमारी सरकार ने पहली बार चलाई है, उसके लिये मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नागौर के बारे में एक समस्या रख रहा हूँ, पिछले 3 वर्ष से हमारे क्षेत्र के अन्दर राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत 19 नलकूप बने हुए हैं, खींवसर वगैरह के अन्दर जो दो साल से तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद से वह योजना बन्द पड़ी है। मैं निवेदन करता हूं कि वह जो पाइप लाइन उसमें जोड़ानी बाकी रह गई, उसे जोड़ दी जावे, तो मेरे क्षेत्र का कम से कम आधा विकास पानी के लिये हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप यदि 5-5 मिनट बोलें, तो मैं सबको बुला दूंगा। जो बच गये हैं, उनको बुला दूंगा। टाइम तक कर लीजिये। टाइम 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। बोलिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मंत्रीजी पधार गये हैं, इसलिये मैं वापस आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूं कि आपने हमारे से सुझाव मांगकर के हमें जो नया रास्ता दिया है, वह पहले की सरकार ने नहीं दिया था।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पहले आप थे ही नहीं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि हैण्ड पम्प और पावर पम्प लगाने के लिए जो क्षमता है, रिग्स जो लगी हुई हैं यह सारे राजस्थान के 94 हैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि वार्षिक क्षमता जो रिग्स की है वह 6 हजार 780 हैण्डपम्प की और 650 पावर पम्प की है, लेकिन वर्ष 1989-90 के अन्दर 50 प्रतिशत से ज्यादा क्षमता से काम नहीं हुआ है। इसका दूसरा तात्पर्य मेरा यह है कि एक जो रिग हैं, वह करीब 50-60 लाख रुपये की आती है, एक दूसरी कम्पनी की रिग 70 लाख की आती है। इस प्रकार से करीब 30 करोड़ रुपये का अपव्यय किया गया है। क्योंकि 50 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ, इतनी रिग क्यों खरीदी गई ? इसलिये मैं कहता हूँ कि मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें।

श्री सम्पतसिंह : आप अच्छी-अच्छी बातें करो।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : एक निवेदन मेरा मांग संख्या 29 के लिए है। नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर, नागौर शहर में जो पुराने तालाब थे अब उनको गन्दे तालाब को काम में लिया जा रहा है गन्दा पानी उनमें जमा हो रहा है, जिस पर 78-79 में करीब 13 लाख रुपये खर्च किये गये थे और उसमें सीवरेज लाइन बनायी गई थी, वह सीवरेज लाइन दो साल से ज्यादा काम नहीं कर सकी और पिछले 8, 14 साल से बन्द पड़ी है। इसके अन्दर जो पाइप लगाये गये थे, वह इतने छोटे थे उनका ढाई मीटर, एक मीटर डेढ़ मीटर से ज्यादा नहीं था, वह रेत वगैरह से भर चुके हैं, उनको निकालने का पी. एच. ई. डी. के पास कोई साधन तक नहीं है हो रहा

(श्री गुलाम मुस्तुफा खां)

है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंता हूँ कि उस योजना को पूरा किया जाये। किसी भी तरीके से, साइन्टिफिक तरीके से, साइन्टिफिक तरीके से उसे वापस चालू किया जाये।

एक नया विषय और छोड़ दिया गया है, आज पूरे सदन के अन्दर। वह यह है कि यू. आई. टी. के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यू. आई. टी. एक्ट के अन्दर जो यू. आई. टी. लीज जो 99 ईयर्स की प्लाट्स दी गई है, प्रत्येक शहर के अंदर शहरों के अन्दर रहने की समस्या है। गरीब आदमी कोई प्लाटस नहीं खरीद सकता है। लीज तो 99 ईयर्स की दी गई है, उसमें 90 प्रतिशत लोग ऐसे कब्जे किए हुए हैं, जिनको लीज नहीं दी गई है और जो कि यू. आई. टी. एक्ट के अन्दर अपराध है। फिर भी किसी यू. आई. टी. अधिकारी ने आज तक पूरे राजस्थान के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की, उन्होंने वापस एक्ट के तहत लेना चाहिये था। इसलिए में निवेदन करूंगा कि इस समस्या को मिटाने के लिए लीज के अन्दर जो अनआथोराइज्ड आक्यूपेशन है, उसको हटाया जाये। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री मांगीलाल मेघवाल। अभी 9 और हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी की परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट की मांग संख्या 27 जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग और मांग 29 पर अपने विचार कोई पालिसी मैटर सम्बन्धी तो बात करूंगा नहीं, मैं तो मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन नगरपालिका क्षेत्र हैं, जिनमें एक लाखेरी 35 हजार का कस्बा है। सन् 1977 में जनता राज के समय वहां की जलदाय योजना बनी, दुःख का विषय है कि उसकी आज दिन तक कोई क्रियान्विति नहीं हो पायी, आज समस्या यथावत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि पास ही मेज नदी पर एक योजना बनाकर पानी सप्लाई का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। पिछली आठवीं विधान सभा में सदन के पटल पर मैंने उस पानी का नमूना रखा था। आज भी गंदला और रेतयुक्त पानी आता है। विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि फिल्टर प्लान्ट लगाकर उस पानी का शुद्धिकरण किया जाय ताकि लोगों को दूषित पानी पीने को नहीं मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, घाट का बराना में पम्प सेट के माध्यम से पानी सप्लाई हो रहा है। केवल डीजल के अभाव में वहां के लोगों को पानी से वंचित किया जा रहा है। जब वहां जाकर बात करते हैं तो ड्राम में थोड़ा-सा डीजल लाते हैं और कहते हैं कि पूरा है। कर्मचारी जानबूझकर उस समस्या को यथावत बनाये रख रहे हैं। मेरी मांग है कि उस समस्या का समाधान किया जाय। घाट का बराना एक ऐसा

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

गांव है जिसमें 50-60 आदमी कनेक्शन लेना चाह रहे हैं । उनको जानबूझकर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । मेरी मांग है कि 50-60 परिवारों को कनेक्शन दिया जाय । सरकार को भी आय होगी और उनकी समस्या का भी समाधान होगा । सम्माननीय, आज के इस भौतिक युग में रंगरपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसा है जहां भयंकर दूषित पानी है । अभी मई के अन्तिम सप्ताह में उस पानी से सैंकड़ों लोग भयंकर रूप से बीमार हुए । इनको विशेष अभियान के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी गयीं । इस तरह एक हादसा होते-होते बचा ईश्वर की कृपा से । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरी मांग है कि सम्पूर्ण राजस्थान में पंचायत मुख्यालय, विद्यालय, पंचायत समिति आफिस, धार्मिक स्थान, आम रास्तों और बस स्टैण्ड पर प्राथमिकता के आधार पर हैण्ड पम्पस लगाकर पानी की सुविधा दी जाय । अब आपने घण्टी बजा दी तो अन्त में एक बात कहूंगा । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है कि जवांई बांध के निर्माण के समय, माननीय राजवंशी जो उस समय एक्स. ई.एन. थे वहां, उनके सामने एक व्यक्ति मर गया उसमें । आज दिन तक उसके जवान बच्चे को रोजगार नहीं दिया जा रहा है । अभी-अभी मुझे जानकारी दी गयी है कि वह बच्चा मिला भी है । इस लम्बे अन्तराल में कई लोगों को वर्कचार्ज पर लगाया गया और उनको परमानेण्ट कर दिया गया । पर दुर्भाग्य से इस बच्चे को आज भी कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है । मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करता हूं कि इस पीड़ित बच्चे को शीघ्र राज्य सेवा में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, हो गया आपका ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : शीघ्र राज्य सेवा में लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बैठिये आप ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : बैठ रहा हूँ, साहब ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं डिबेट क्लोज कर दूंगा । बैठिये । श्री दिलसुख राय ।

श्री दिलसुख राय चौधरी (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आज मांग संख्या 27 और मांग संख्या 29 पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं भी मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूँ । गांव में जब टी. ए. एस. चालू करवाते तो क्या करते हैं कि कुओं का डिमान्ड नोट आर. एस. ई. बी. में जमा करवा लेते हैं, लेकिन बारह-बारह महीने, डेढ़-डेढ़ साल तक कुओं पर फिटिंग नहीं करते हैं । मेरा तो यह निवेदन है कि गांव वालों को फिटिंग का जो सामान देते है, मान लीजिए 20 हजार या 18 हजार रुपए का, उसमें 20 पर्सेन्ट काटकर पंचायत के सरपंच को दे दिये जायं, जिससे डिपार्टमैण्ट का भ्रष्टाचार कम हो और गांव वालों को सुविधा जल्दी मुहैया हो ।

(श्री दिलसुख राय चौधरी)

दूसरी बात यह है कि हमारे सीकर जिले में सांगरिया गांव, घुरा का बास गांव में इन्होने गये डेढ़-दो साल पहले डिमाण्ड नोट जारी करवा दिया। अब तक उस कुएं पर सामान नहीं दिया है इन्होंने। दूसरी बात यह है कि 2-3-4 साल पहले कुओं का बिल जमा करवाते थे, लेकिन 12 महीने से कुओं के बिल बाकी पड़े हैं। इनको जाकर कहते हैं, तो कहते हैं कि हमें पहले कहा ही नहीं। मेरा आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनको ऐसा आदेश दें। पहले सरपंच की जिम्मेदारी होती थी कि बिल जमा करवाये। वाटर वर्क्स के कर्मचारियों की ड्यूटी होती है। यह गांव में जाते हैं या नहीं जाते हैं, आप इनको लाग बुक उठाकर देख लीजिए। महीने में एक जे. ईएन. का 10-15 दिन का ट्यूर मिल जायेगा, ए. ईएन. का महीने में 15 दिन का ट्यूर मिल जायेगा, जबकि किसी भी गांव में नहीं जाते हैं। वहां रीजनल स्कीम्स की हालत यह है कि पम्प चालू करने के लिए ड्यूटी पर आदमी छोड़ा हुआ है। मन की मर्जी हो तो कभी तो पानी चालू कर देता है, कभी नहीं करता है। इसलिए आपसे निवेदन यह है कि जो व्यवस्था हो रही हैं उसमें कुछ सुधार करवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है उसमें मैं भी मेरी ओर से शार्ट में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसे शहरों में कोई मोहल्ला बन जाता है, कोई कालोनी बन जाती है तो वहां कोई पाबन्दी नहीं। पाइप लाइन खींचकर उनको पानी का कनेक्शन दे दिया जाता है। किन्तु गांवो में टंकी बन जाती है, ढाणी बन जाती है तो भी कोई पाइप लाइन खींचने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं यह तो ढाणी है। ढाणी में भी तो 20-25 घर बसे होते हैं। गांवों में आज लोग रहते नहीं हैं, तब ढाणियों में बसे हुए हैं। उनको छोटी से छोटी पाइप लाइन खींचकर पानी से लाभान्वित किया जाय। मान्यवर, मैं उस जिले से आ रहा हूं पश्चिमी राजस्थान के, जहां बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। अबकी बार बाढ़ से पीड़ित हैं। पहले तो पानी ने मांग कर रहे थे. अब को बार बाढ़ ने तबाही मचा दी है, लाखों-करोड़ों की हानि हुई है। मेरा सुझाव है कि गांव में पानी की टंकी के पास जहां कोई स्कूल है—प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, जहां 50-100 फीट की पाइप लाइन चाहिए। मान्यवर, यह अनिवार्य कर दीजिए कि बच्चों के लिए स्कूलों में पाइप लाइन के द्वारा कनेक्शन दिये जायं, छोटे से छोटा आधा इंच का कनेक्शन दिया जाय ताकि बच्चों को पीने पीने की सुविधा मिल जाय। ऐसे ही गांव में कोई मन्दिर है, धार्मिक स्थान है वहां भी। इन दो जगहों के लिए, श्रीमान मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अनिवार्य कर दीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक पानी की टूटी लगवा दें।

श्री अध्यक्ष : विराजें लगवा देंगे । मंत्रीजी, जरूर स्कूल और मन्दिर का ध्यान रखें ।

श्री रतनाराम चौधरी : धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद । आपकी आज्ञा का पालन करते हुए बैठ जाता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरीश झामनानी ।

श्री हरीश झामनानी : (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना और मांग संख्या 29 का मैं समर्थन करता हूं । राजस्थान में पानी का स्तर दिन प्रतिदिन कम होता गया है । उस पर भी वर्तमान सरकार और माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार माकूल व्यवस्था करके योजनाबद्ध करके से पूरे राजस्थान को पानी उपलब्ध कराया उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ । उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने प्रमाणिकता से वचनबद्ध होकर काम करके, जैसी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सदन में घोषणा की थी कि चाहे सीमित साधन हों लेकिन राजस्थान के किसी व्यक्ति को पानी से वंचित नहीं होने देंगे, ठीक उसी प्रकार से किया । इसलिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । यह बात सत्य है कि आजादी के 42 साल बाद भी अजमेर नगर की स्थिति यह है कि पिछली सरकार की जो रीति-नीति रही है उसके कारण आज भी अजमेर की एक लाख से अधिक जनसंख्या पाइप लाइन में पानी नहीं पीकर कुओं या हैण्ड पम्पस से ही पानी पी रही है । वर्तमान में योजना बनी है उसमें उस क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था पाइप लाइन द्वारा हो, यह मेरा निवेदन है । नीचे मैं उन कालोनीज की लिस्ट बता रहा हूँ, कृपया ध्यान दें : कंजर बस्ती, हरिजन बस्ती, यू. आई. टी. कालोनी, गोविन्द नगर, न्यू गोविन्द नगर, धानाका बस्ती, भजन गंज, गौतम नगर, मीणा कालोनी, गुर्जर बस्ती, छोटी नागफणी, बड़ी नागफणी संजय कालोनी और दयानन्द कालोनी । ऐसी-ऐसी अनेक कालोनियां हैं जहां पर इस प्रकार के पानी की व्यवस्था नहीं है । सरकार...

श्री अध्यक्ष : श्री मिश्रीलाल ।

श्री हरीश झामनानी : साहब बात तो पूरी करने दीजिए । 10 मिनट के लिए... मेरा रहा हुआ नहीं है, साहब । कुछ सुझाव तो सुनिए । अध्यक्ष महोदय, मेरे सुझाव हैं 2-4 । बीसलपुर योजना के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : श्री मिश्रीलाल जी हैं क्या ? बोलेंगे नहीं ?

श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि...

श्री हरीश झामनानी : एक मिनट के लिए । बीसलपुर योजना के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण विषय को शांतिपूर्वक सुना जाए, व्यवधान बीच में पैदा न किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो पानी की समस्या के बारे में आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको नोट भी करेंगे। जिला सवाईमाधोपुर जहां कि पानी की सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। (व्यवधान)...आज भी हमारे साथ इन्द्र भगवान ने भी भेदभाव किया है। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जहां बाढ़ आ रही है लेकिन पूर्वी राजस्थान के जिले सवाई माधोपुर में आज भी पानी बहुत कम बरसा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो योजनाएं हैं उनको आप इसी आधार पर प्राथमिकता दें जिस प्रकार कि सूखा पड़ता है। इसलिए मेरे जिले की और मेरे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी परियोजना है वह है पातरा परियोजना। जिस पर सरकार का.......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिस पर सरकार की 21 करोड़ रुपये की लागत लग चुकी है। गंभीर नदी को रोक करके बांध बनाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी बांध आपने बना दिया, 21 करोड़ रुपये का आपने व्यय कर दिये। क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि इसका पानी कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है। 6 लाख रुपये का मुआवजा आपने किसानों को नहर निकालने के लिए दे दिये। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक उसकी नहर नहीं निकली। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप तुरन्त इस बांध के अन्दर जो पानी इकट्ठा किया गया है उस पानी को उस क्षेत्र की जनता के लिए नहर निकाल कर दिया जाए ताकि वह पानी उस क्षेत्र में जाय जिस क्षेत्र के अन्दर बरसात के अलावा पानी का कोई दूसरा साधन नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के नादौती में जहां पर पानी के हैण्ड पम्प बनाये गए हैं, योजनाएं बनाई गयी है लेकिन यहां हमेशा कड़वा पानी निकलता है। उस क्षेत्र में आप पाचना बांध की नहरें ले जा करके इस समस्या को हल करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से इन्तजार कर रहा हूँ। अब भी मुझे 5 मिनट का टाइम नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : वह आपसे तेज बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट का टाइम मुझे और दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिकारीगण इसमें सही कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मेरे क्षेत्र के अन्दर जिस ए. ई. एन. ने विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार

(श्री रामस्वरूप मीणा)

फैलाया है, चार्टशीट उसके खिलाफ लगी है उसके खिलाफ भी आप कार्यवाही करेंगे। इस योजना के लिए आप हमें पैसा देंगे और पानी की समस्या का समाधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श हो रहा है। पी. एच. ई. डी. बनने से पहले और हिन्दुस्तान को आजादी मिलने से राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की जो पुरानी हमारे व्यवस्थाएं थीं। हमारी उन पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के कारण आज राजस्थान की हालात दिनों-दिन बिगडता जा रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिश्नोई साहब ने कहा कि पुराने जमाने में यह विभाग नहीं था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप तो मारवाड़ के उस इलाके से आते हैं पुराने समय को तलाइयों से पानी इकटठा करके सदियों तक इस प्रदेश का इंसान जिन्दा रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त करने के कारण यह कमी आई। इसके बाद पीने का पानी है उसके बारे में मंत्री महोदय को अच्छी तरह पता है कि कमी हुई है। अध्यक्ष महोदय, कमी क्यों हुई है ? इसके लिए न राज दोषी है, न समाज दोषी है। लगातार ग्यारह-ग्यारह साल तक जो भयंकर अकाल पड़े है। उनके कारण से 11 साल के बच्चे ने ऊपर से पानी की बूंद नहीं देखी, जैसलमेर, बाड़मेर और मारवाड़ के इलाकों में, 11 साल का बच्चा समझदार होता है लेकिन जब बरसात देखी तो कहा कि मा ऊपर से कोई पानी फेंक रहा है। अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से हमारी धरती का पानी है वह काफी गहराई तक नीचे चला गया है। इस बात का खतरा है कि राज्य के यही हालात रहे तो पीने के पानी की भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी। राज्य सरकार ने समय रहते दिमाग से काम नहीं लिया तो स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी।

इसलिये मैं मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूँ खास तौर से बीकानेर, नागौर और चूरू मैं राजस्थान के अन्य भागों में आपको नहीं ले जाऊंगा, अध्यक्ष महोदय, वहां पानी की हालात क्या हैं, स्थिति क्या है इसका आपको पता है। कई जगह धरती के नीचे पानी है ही नहीं। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां आपको अच्छी तरह से पता है वहां टांकों में बरसात का पानी इकट्ठा करके इन्सान अपना गुजारा करते हैं। नागौर का एक ऐसा इलाका है जिसे कुबड़ा इलाका कहते हैं। वहां का पानी पीकर आदमी कुबड़ा हो जाता है। दांत पीले हो जाते हैं और तरह-तरह की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं थोड़े से ही सुझाव दूंगा। मैं आपको घण्टी बजाने का भी समय नहीं दूंगा।

राजस्थान केनाल, से पीने के पानी के लिए नागौर के लिए जो लिफ्ट योजना थी। पता नहीं भूतपूर्व सरकार ने उसको बिदडा कर लिया और कागजों को दफना कर छोड़ दिया पर फिर भी मंत्रीजी मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि लिफ्ट की

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

को बजाय नागौर, बीकानेर जिले के, खासतौर से नोखा, नागौर चूरू के गांवों में लिफ्ट का छोड़ दीजिये। 12 इंच या उससे अधिक लोहे के पाइप डालकर यदि आप पीने का पानी इस युग में नहीं दे सकते तो हम लोगों को इन्सानियत के नाते इस राज की कुर्सी पर बैठने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल से आप पाइप के जरिए से पीने के पानी का इन्तजाम करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन राज के दिमाग में यह बात नहीं है। हमारी सारी पी. एच. ई. डी. की स्कीमें बिजली पर निर्भर करती है। यदि किसी बदमाश आदमी की भांखड़ा के उस पाइप पर नीयत खराब हो जाती है तो आप राजस्थान को सम्भालने की हैसियत में नहीं जा रहेंगे। भगवान करे ऐसी स्थिति नहीं हो लेकिन इंसान को जिसके हाथ में राज है उसको बुरी से बुरी बात सोचनी चाहिये।

इसलिये मंत्री महोदय मैं चाहूँगा कि बड़े-बड़े जो गांव है, ऐसा उनके लिए बनाया जाय कि जहां डीजल की बड़ी स्कीम होनी चाहिए। कभी भी आपातकाल में ऐसी स्थिति आ सकती है, अध्यक्ष महोदय, तो हम डीजल से हमारी स्कीमों को चालू कर सकते हैं, बिजली के भरोसे हमको नहीं रहना चाहिये। एक टी. एस. एस. स्कीम आपके यहां भी है और राज्य में भी है। पंचायत राज मंत्री महोदय उसको नहीं चला सकते हैं। पड़ौसी गांव में विभाग चलाता है, कुआ अगर खराब है तो आपका डिपार्टमेंट का आदमी जायेगा, मशीन ठीक करायेगा। लेकिन पंचायत का कुआ खराब हो गया तो गांव वाले उसको नहीं चला सकते। इसलिए मंत्री महोदय पंचायत समितियों की मीटिंगों में मैंने सुना है कि अबकी बार नये मंत्री आये हैं और इस स्कीम को विभाग लेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज आप इस सम्बन्ध में कोई घोषणा करेंगे कि राज्य में इनी-गिनी मामूली स्कीमें हैं इनको आप अपने हाथ में लेकर चलायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा....

श्री अध्यक्ष : अब आप घंटी बजाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसलिये जो मेरे सुझाव हैं, अध्यक्ष महोदय, आगे जब कभी मौका मिलेगा तब मेरे सुझाव देऊंगा। लेकिन आपकी आज्ञा से सिर्फ एक मिनट जरूर लेऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी मंत्री महोदय को नोट करना चाहिये। वह भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर है, ट्यूब बैल खोदने का, जहां हमारा डिपार्टमैंट ट्यूब बैल खोदता है वहां साढ़े तीन लाख-ढाई लाख रुपये लगते हैं और इस ट्यूब बैल खोदने वाली एजेन्सी का बेलेन्स है, गुजरात की प्राइवेट एजेन्सी है, मेरे इलाके में ट्यूब बैल खोद रहे हैं, करीब 45 ट्यूब बैल खोदे हैं। उनका खर्चा मंत्री महोदय आप ताज्जुब करेंगे 20 हजार रुपये है। आपका ट्यूबवैल खोदने वाला डिपार्ट-

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मैंट साढ़े तीन लाख रुपये खर्च करता है और खोदने के लिये मंत्री जी करीब 2 महीने-ढाई महीने लगते और आपको चुनौती देने वाली एजेन्सी 20 हजार रुपये और 8 घण्टे में खोद कर चली जाती है। अगर आपकी मेरी बात पर विश्वास हैं तो चलिये नोखा के सालूण्डा-चितांणा गांव में।

अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब करेंगे, कहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप। जहां दो महीने में ट्यूबवैल खोद सकते और कीमत साढ़े तीन लाख और वह 20 हजार रुपये में ट्यूबवैल खोद रहे है और सिर्फ 8 घण्टे में। यह चेलेन्ज हैं आज के विज्ञान के युग को, चेलेन्ज है आपके विभाग को और चेलेन्ज है आपके नये युग के अधिकारियों को। इस और चेलेन्ज है आपके नये के अधिकारियों को। इस ओर आप ध्यान दीजिये। इस भ्रष्टाचार को तत्काल बन्द करें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, पास बोलिये। आप क्यों रहें? (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, पीछे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गया है। अगर यह 20 हजार रुपये वाली बात गप्प है तो मैं सदन से....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, बिलकुल सही बात है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : 400 ट्यूब वैल खुदवाये हमने, क्या गप्प है?

श्री अध्यक्ष : मालूम है मुझे हां श्री हरीसिंहजी आप बोलिये।

श्री हरीसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय वैसे बोलने से पहले आपकी घण्टी बजने से से ज्यादा भयभीत हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या बजाऊं पहले!

श्री हरिसिंह : नहीं, यह औपचारिकता मात्र है, आपने मेरे को इजाजत दो है। अनादिकाल से राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, अनादिकाल से। आज से नहीं है। उस राजस्थान में जिसकी जलवायु से पूरे हिन्दुस्तान को मानसून समुन्द्र से पैदा होता है और पूरे हिन्दुस्तान को पानी मिलता है। लेकिन राजस्थान को पानी नहीं मिलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह : वैसे अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि हमारे पूर्वजों ने, राजस्थान वीर प्रसूता भूमि है और यहां के राजा-महाराजाओं ने....

श्री अध्यक्ष : आप नींद लेकर आई है इसलिए फ्रेश है।

श्री हरिसिंह : इतने युद्ध लड़े हैं तलवार की ताकत पर कि पूरा का पूरा राज-

(श्री हरिसिंह)

स्थान का पानी उसे तलवार पर चढ़ा दिया गया औलाद तो प्यासी ही मरेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपने निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर का जमवा-रामगढ़, भरतपुर का बारेठा और अलवर का उमरेन का बांध यह बेसिकली सिंचाई की योजनायें थी और इन सिंचाई की योजनाओं से किसान के खेत को पानी मिलता था। मैं तो यह नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस को दोष मत दो, मैं खुद कह रहा हूँ कि अन्याय किया था किसान के साथ में। किसान के खेत का पानी काटकर तीनों शहरों को पिला दिया। न शहरों को पानी मिला और न किसान के खेतों को पानी मिला। समय रहते यहां पानी की व्यवस्था नहीं करवा सके: सबसे ज्यादा दुर्गति वहां हुई जहां कल तक बन्धु बारेठी की नहीं किसान के खेत को पानी दे रही थीं और उसकी भी भरतपुर खींचकर ले गये। अच्छा होता सरकार समय पर जमुना से पानी लाने की बात करती और भरतपुर को पानी पिलाती। अब यह कांग्रेस के राज्य में हुआ। आप इससे क्यों चिन्तित हो रहे हैं? मैं खुद कह रहा हूं, कितनी बार कहलवायेंगे आप। आप इनको कहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री आजाद साहब आप क्यों टाइम बढ़ा रहे हैं। मैं कम कर रहा हूं आप बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री हरिसिंह : मैं अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा हू। मैं राज को दोष नहीं दे रहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपसे जरूर कर रहा हूँ कि बड़ा सन्तोष मिला था मुख्य मंत्रीजी के शासन सम्भालते ही और उन्होंने यह कहा था कि पीने के पानी की व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जायेगी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि आप पंचायत समिति की मीटिंग बुलवाइये। सब सरपंचों को, जिले की मीटिंग बुलाई गई, जिले के अधिकारी पहुंचे, पी. एच. ई. डी. के अधिकारी पहुंचे 5 हैण्ड पम्प, 30-40 पंचायत समिति के बीच में 5 हैण्ड पम्प। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार की आंखों का पानी उतर गया तो वह पीने का पानी कहां से पिलायेगी? सरकार की आंखों में पानी नहीं है। 5 हैण्ड पम्प लेकर सरकार एक पंचायत समिति में पहुंचती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चौपड़ाजी, प्लीज।

एक माननीय सदस्य : वह सरकार चली गई जिसका पानी उत्तर गया था।

श्री हरिसिंह : यह सरकारी रिकार्ड की ही बात कर रहा हूं...

एक माननीय सदस्य : यह आपके 40 साल के राज में हुआ है जो आपको आज बोलना पड़ रहा है। यह नहीं चलेगा ऐसे।

श्री अध्यक्ष : आप अब समाप्त करिये ।

श्री हरिसिंह : बस साहब समाप्त कर दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं सवाई माधोपुर, कोटा और धोलपुर तीनों की सीमा से 12 मासी पानी बहने वाली नदी जा रही है चम्बल, जितना पानी कोटा पर रोकना था वह रोक लिया सिंचाई के लिए उसके बाद में यह पानी जमुना में वेस्ट क्यों जा रहा है ? हम अपना हक तो नहीं ले सके लेकिन चम्बल के पानी अगर हम पीने के लिये मुहैया करवा दें तो इन तीनों जिलों की पीने के पानी की समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा । अभी भी समय है मंत्री महोदय, इस समस्या का स्थाई हल अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो चम्बल के पानी को इन तीनों जिलों को पिला दो । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री भामनानी आप क्या बोल रहे थे ? बोलिए अब आप ।

श्री हरीश भामनानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटा सा सुझाव देना था । अजमेर की जो पेयजल समस्या है, वर्तमान समय में 48 घण्टे में पानी आता है, कभी-कभी बिजली के जाने से या पाइप लाइन लीकेज हो जाने की वजह से 72 घण्टे या इससे भी अधिक घण्टे में पानी आता है । उसके सम्बन्ध में सरकार बीसलपुर योजना के द्वारा अजमेर को तुरन्त पानी देने की व्यवस्था कर रही है । उसके सम्बन्ध में आने वाली कुछ दिक्कतों को और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

बीसलपुर योजना को क्रियान्वित करने के लिए कुछ कमेटियां बनी हुई हैं, फाइनेन्शियल कमेटी, टेक्निकल कमेटी, पर्चेज कमेटी एक पी. पी. सी. कमेटी जिसके चेयरमैन मंत्रीजी है, मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव यह है कि इस कमेटी में सब अधिकारियों के समन्वय से एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जिसकी हर मास में अजमेर में एक मीटिंग हो, जिसमें जनप्रतिनिधि भी साथ में हो ताकि जो छोटी-छोटी समस्यायें हैं उनका तुरन्त वहां बैठ कर के निदान किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष : बस माननीय मंत्रीजी ।

माननीय मंत्रीजी एक निवेदन है मेरा अच्छा हो आप बजट पर जो घोषणायें हैं आपकी वह आप करें और ऐसी कोई बात नहीं करें कि जिससे लोग प्रवोक हों और यह मामला लम्बा हो जाय ।

(11.00 रात्रि)

मांग संख्या 27 व 29 का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश मेरे दिमाग में पहले से ही था । आज यह चर्चा हुई है । वास्तव में बह बड़ी गम्भीर और राजनीतिक स्तर से ऊंचे उठकर हुई है । वह बहुत ही उपयोगी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं । साथ ही मैं इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले तीन महीनों में राज्य सरकार ने,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विभाग ने और अधिकारियों ने जो कार्य किया उसकी आपने सराहना की उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

वास्तव में यह जो संकट का समय था, उसको जो पार कर पाये उसमें केवल सरकारी पक्ष के विधायकों का ही सहयोग नहीं है जो माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे हैं उनका भी सहयोग और मार्ग दर्शन मुझे मिला है उसके लिये मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं और भविष्य में भी आशा करता हूं कि जल समस्या राजस्थान में जिस प्रकार की है और जैसी चिन्ता आपने व्यक्त की है वह बहुत आसानी से दूर होने वाली नहीं है। उसके लिये भी मुझे माननीय सदस्यों का सहयोग सदा अपेक्षित है। मैंने कुछ दिन पूर्व ही आप सब की सेवा में एक पत्र लिखा है और उस पत्र में मैंने यह निवेदन किया है कि आगे आने वाले समय में राजस्थान में जल संकट से निपटने के लिये कुछ सुझाव दीजिए। उसका मैंने वर्गीकरण किया है। प्रथम वह जो योजनायें किसी भी कारण से अधूरी रही हैं उनको पूरा किया जाय। दूसरे क्रम पर वह होगी जिनकी स्वीकृतियां या तो हो गई हैं या स्वीकृति के लिये वह पड़ी हुई हैं। तीसरा कोई अन्य सुझाव होगा यह यदि आप मुझे देंगे तो उस पर विचार करने के बाद जैसे आपने मुझे निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश की एक योजना बनाकर आगे आने वाले समय में हम इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। मेरा यह भी विचार है कि इस विधान सभा के बाद प्रत्येक जिले के सम्माननीय विधायकों को एक साथ बुलाकर उनसे परामर्श कर उस जिले में होने वाले, चलने वाले कार्यक्रमों को, योजनाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा। मैं इस बात को मानता हूं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय भी रहने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई बुलाता ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप ही बुलाते हो लोगों को साहब।

मेरा यह मानना है कि राजस्थान में जिस प्रकार का पेयजल का संकट है वह सबके सहयोग के बिना, जब तक सारे माननीय सदस्य जनता और की जब तक इसमें भागीदारी नहीं होगी, इस समस्या का समाधान सरकार केवल अपने लेवल पर भली भांति नहीं कर सकती। यह मेरी मान्यता है और इसीलिए मैं आप सबको आमन्त्रित करता हूँ कि आपके बहुमूल्य सुझाव और सहयोग हमेशा मुझे मिलते रहे। जैसा मैंने निवेदन किया कुछ दिनों बाद ही, इस सत्र के बाद जिलेवाइज ऐसी बैठक करके आपके सुझावों के आधार पर यह काम करने का विचार मैं रखता हूं।

जयपुर के लिए एक माननीय सदस्य, मुझे अभी अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि मैं ऐसी बात नहीं कहूं जिससे आप उत्तेजित हों बाकी आपके अल्प ज्ञान पर मैं कुछ कहता हूं...(व्यवधान) माननीय सदस्यों ने एक बात की बड़ी चिन्ता व्यक्त की कि जहां पानी नहीं है वह तो अलग चिन्ता है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और जहां पानी है और जिसके पीने मात्र से वहां का व्यक्ति, वहां का नौजवान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होता है। वह बीमारी भी ऐसी होती है कि या तो दांत चले जाते हैं या उसके शरीर में कुबड़ापन आता है। मैं यह मानता हूँ कि राज्य सरकार का यह पहला दायित्व है कि इस प्रकार के रोगों से उन लोगों को बचाने के लिए, हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि राजस्थान के खजाने पर अगर सबसे पहला किसी का हक है तो वह गरीब का है। यह जो गरीब जिस पानी को पीकर बीमारी के शिकार होते हैं, सबसे पहली वरीयता हमारे इस विभाग में, इस बजट में मैं उसी को देऊंगा जहां इस प्रकार के पानी की व्यवस्था है। यह राजस्थान सरकार की प्रथम वरीयता होगी।

इसके साथ ही एक दूसरी समस्या जो है 1981 की जनगणना के बाद जो गांव उस समय 1881 की जनगणना में दिखा दिए गए थे, वह नार्म्स के आधार पर विभाग वही काम करता है। लेकिन 1981 के बाद जो गांव बन गए हैं, गणना में तो नहीं है लेकिन जो रेवेन्यू विलेज की स्थिति में आ गए हैं, विभाग का और सरकार का वह दायित्व होगा दूसरे चरण में, दूसरी जो वरीयता होगी यह उन गांवों को, उन स्थानों को होगी जो 1981 की जनगणना में गांव नहीं थे लेकिन आज गांव हो गए हैं।

तीसरी समस्या यह बताई कि जहां यह व्यवस्थाएं हैं जहां हमारी मोटर से काम चलता है, यह मोटर खराब हो जाती है, ठीक करने के लिए एक मिस्त्री होता है। कई जगह तो मैंने पता किया कि वह व्यक्ति उस मशीन को लेकर बड़े जिलों में जाते हैं और जिले में भी वह ठीक करने का काम नहीं होता तो वह और दूसरी जगह काम करवाते हैं। वह मोटर खोलकर जब उस स्थान पर ले जाता है ले जाने के बाद फिर दूसरे स्थान पर जाता है, फिर वह काम करने वाला मिस्त्री जब उसको समय मिले तब करता है इतनी तत्परता नहीं दिखाता। इतने लम्बे अन्तराल में उस मोटर के जलने के कारण, खराबी के कारण जो यातना उन व्यक्तियों को मिलती है, वहां के नागरिकों को मिलती है यह भी एक बड़ी कष्ट की बात है। मैंने यह विचार किया है कि इस काम के लिए मोबाइल वाहन हों। उन मोबाइल वाहनों में मिस्त्री और ठीक करने का सामान हो वह लगातार रहे। जिस किसी स्थान की खबर मिले कि वहां इस तरह की मोटर खराब हो गई है या जल गई है तो तुरन्त वह उस वाहन से वहां जाकर वहीं उसी स्थान पर ही ठीक करे ताकि उसमें लगने वाले समय के कारण लोगों को जो कष्ट होता है उस कष्ट से उनको बचाया जा सके।

साथ ही कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जैसा माननीय श्री चन्दनमल जी बैद ने कहा, बहुत बड़े अनुभव की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूँ कि जो जमीन के अन्दर पानी है उसका दोहन बहुत अधिक हो चुका है और यदि यह चलता रहा तो आगे आने वाले समय में पेयजल का संकट बहुत भयंकर हो सकता है। इसलिए जो फ्लो वाटर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है, जहां से भी लाया जा सकता है उसको लाया जाए। यह सरकार की कोशिश होगी। उन योजनाओं पर अधिक ध्यान देंगे जिनसे फ्लो वाटर के द्वारा हम अपने प्रदेश को पानी पिला सकें। उसमें जिन योजनाओं का आपने वर्णन किया है वह सबके ध्यान में हैं, उन पर भी प्राथमिकता के आधार पर, गति के आधार पर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

मेरा यह भी सुझाव होगा, मैं जनता से यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिए हैं कि पानी आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं। जब पानी बचाएगें नहीं, अनावश्यक रूप से मितव्ययता अगर नहीं करेंगे तो ही पानी का संकट रहेगा। कई बार आपका अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है कि जब वास बेसिन पर मन्जन करने भी खड़े होते हैं तो हम टेप को खोल देते हैं और जब तक मन्जन चलता है तब तक वह पानी बहता रहता है। इस वजह से भी पानी का बड़ा अपव्यय होता है उसको रोकने के लिए भी मैं आपसे अपील करता हूँ और मेरे विभाग के लोगों ने सुझाव भी दिए हैं कि जो आपका फ्लश है, जो ऊपर टंकी है उसमें उसको एक बार यदि आप खींचते हैं तो अनावश्यक रूप से बहुत मात्रा में पानी चला जाता है उसमें जो प्लास्टिक की थैली होती है अगर दो किलो की थैली पानी की भरकर उसमें रख दिया जाए उस टेंक में अगर पांच लीटर की क्षमता है तो दो लीटर या तीन लीटर की अगर थैली रही उसमें भरी हुई तो दो लीटर से ज्यादा पानी नहीं आएगा। जब कभी आप उसको फ्लश करेंगे तो जितना पानी आवश्यक है उतना ही काम में आ सकेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं जिन जिन के यहां ऐसी व्यवस्था हो, कुछ लोगों के तो ऐसे टेप खोलने का ही है. उसमें तो व्यक्ति शायद ज्यादा पानी खर्च नहीं करता लेकिन जो उससे फ्लश करता है टंकी से उसमें ऐसी कोई व्यवस्था हो तो उसकी जो केपेसिटी है वह पूरी न भरकर जितनी आवश्यकता है उतना भरा जाए। तो यह मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं और जनता से भी निवेदन करूंगा कि पानी को जितना बचाया जाए, बचाने की कोशिश करके बचाया जाए।

साथ ही जो लोग उद्यान लगाते हैं या फिल्टर वाटर को काम में लेते है जो पीने के योग्य पानी है उसका उपयोग अपने उद्यान सींचने में करते हैं परिणामस्वरूप हमको पीने का पानी कम मिलता है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह उनके घर का जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर के आधार पर अपने लॉन को सींचे। और जो पेयजल है उसकी उपलब्धता बनाए रखे और उसकी मितव्ययता करें।

श्री सम्पत सिंह : उद्यान में तो ड्रीप की भी बड़ी अच्छी उपयोगिता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वह भी है लेकिन जो गन्दा पानी है, स्नानघर का पानी है वह भी उसमें जा सकता है।

वैसे माननीय सदस्यों ने बहुत ही अमूल्य सुझाव मुझे दिए है उनका अगर मैं एक-एक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

का वर्णन करूंगा तो मैं समझता हूं उसका कोई लाभ नहीं होगा। मैं बोलने के लिए उस समय खड़ा हुआ हूं जब अधिकांश सदस्यों का मन घर की तरफ जाने को होगा। जैसे माननीय श्री चन्दनमल जी बैद हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी तो शायद यह इच्छा नहीं होगी कि वह घर देर से जाय। और अधिक कुछ कहने को भी नहीं है अब कुछ करने को है। जो आपने सुझाव दिए हैं वह बहुत बहुमूल्य है कि उनको सरकार किस हद तक पूरा कर सकती है (व्यवधान) आप यहां बैठे रहेंगे यह तो आपका उपकार है लेकिन मुझे करना ही है अब तो। जो आपने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर जैसा मैंने निवेदन किया कि इस विधान सभा के सत्र के बाद एक बार फिर आपके साथ जिलेवार बैठ-कर इन योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो धन उपलब्ध है, जो साधन अपने पास है वह भी आपके पास रहेंगे, जो काम हमको करना है वह भी रहेगा, जो समस्याएं हैं वह भी रहेगी। यह पूरे प्रदेश की समस्या है। यह किसी दल या राज्य की अकेले की समस्या नहीं है। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि यह माननीय सदस्यों को मिलकर के जनता का सहयोग और आप लोगों का मार्गदर्शन यह जब तक नहीं मिलेगा, तब तक इन समस्याओं का समाधान कठिन होगा। इसलिए मैंने जैसा निवेदन किया कि जो सुझाव आपने मुझे दिए हैं वह सब मेरे पास अंकित हैं और अगर यहां मेरे लिखने से रह गए हैं तो वह यहां विधान सभा की कार्यवाही में भी हैं, उन सबका अध्ययन करके और फिर आपसे मिलकर आगे की योजना बनाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का सहयोग आपने इस समय किया उसी आधार पर निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। पिछले दिनों में विभाग ने जो कार्य किये हैं उनका थोड़ा विवरण मैं आपके सामने करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : आपने इसमें प्राथमिकता थोड़ी देने के लिए फरमाया था और मैंने यह निवेदन किया था कि सार्वजनिक स्कूल और मन्दिर हैं वहां नल की व्यवस्था के लिए....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने अभी पूरा नहीं किया है। आप फरमायें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप दीर्घ-कालीन योजना के बारे में फरमाइये आपकी इस योजना से अपन निश्चित रूप से डूब जायेंगे। वर्तमान समस्या के लिए आपको दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन जो अपन ने योजनाएं बनाई हैं उनसे पानी नहीं मिलेगा। आप दीर्घकालीन योजनाएं बनाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि आपने जो सुझाव दिया है यह जो वर्षा का पानी है उसे बरसात के पानी का यदि हमने उपयोग नहीं किया, उसको रिटेन नहीं किया तो केवल यह जो योजनाएं हैं उनके आधार पर जो आज स्थिति बनी है उससे दुष्कर होगी। वह मेरे दिमाग में है। आपने बड़ी कृपा करके मुझे लिखकर सुझाव भी दिये हैं। मैं उन पर बिल्कुल निश्चित रूप से विचार करूंगा और आपसे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और परामर्श करने के बाद उनको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है वह मैं निश्चित रूप से करने की कोशिश करूंगा। मै सहमत हूँ आपकी इस बात से कि जब तक बरसात के पानी को हम रूल्टीवेट नहीं कर पायेंगे, स्टोर नहीं कर पायेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपसे फिर परामर्श करके, आपका मार्गदर्शन ले करके इसके ऊपर विचार करूंगा कि इनको किस तरह से हम क्रियान्वित कर सकते हैं। जो विभाग ने पिछले दिनों में काम किया है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : योजना के लिए मंत्री महोदय कुछ कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : राजस्थान में टोटल हैण्ड पम्प है उनकी संख्या है एक लाख चौदह हजार छः सौ साठ। जब अभियान किया हमने माननीय सदस्यों ने कहा था कि 15 अप्रेल तक उनको ठीक करने का वायदा किया था। जिस समय पहले मैंने यह वायदा किया था उस वक्त यह जानकारी नहीं थी कि हैण्ड पम्प्स की हालत इतनी खराब है कि हम इनको 15 अप्रेल तक पूरा नहीं कर पायेंगे हम यह समझते थे कि जो सरकार पिछली रही होगी उसने इनको ठीक-ठाक करके रखा होगा। इतनी बड़ी संख्या में हैण्ड पम्प खराब होंगे यह कल्पना नहीं थी। यह भी सही है कि पहले हैण्ड पम्प्स की मरम्मत पंचायत समितियों के पास थी उसको विभाग में लाया गया तो कुछ तो समय लगता ही है। कुछ समय लगने के बाद भी जो काम किया है आप उसकी प्रशंसा करे, या न करें, यह श्री परसादी लाल जी आपके मर्जी की बात है। एप्रिशियेट करे जो कुछ हमने प्रयत्न किया है वह मैं रखना चाहता हूं आपके सामने। मैं नहीं कहता कि हमने सारे ही काम कर दिये, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं निवेदन कर रहा हूँ एक लाख चौदह हजार छः सौ साठ...

श्री हेतराम बेनीवाल : ठीक कितने हो गये?

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें से जो खराब हैण्ड पम्प थे उनकी हमने मरम्मत करी है छत्तीस हजार नौ सौ इक्यासी। (व्यवधान) कागजों में भी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री महोदय इसकी जांच करवायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बिलकुल तैयार हूं। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों के सामने आपकी शंका पहले रख दी है। विधान सभा में जब उत्तर दूंगा तो माननीय सदस्य इसको चेलेन्ज करेंगे तो क्या मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं चेलेन्ज को स्वीकार करूं। उन्होंने कहा कि आप बड़ी निश्चितता से स्वीकार कर लीजिए। आपको जो सन्देह होता है उसका मैं कारण बताता हूँ सारे हैण्ड पम्प काम नहीं करते और ठीक भी नहीं हो सकते। कुछ हैण्ड पम्प ऐसे होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं, जो मृतक हो जाते हैं कभी उनमें सांस आ ही नहीं सकती। कुछ एबंडन हो जाते हैं अब जो एबंडन हैण्ड पम्प है या जो ड्राई हो गये उनको जब कभी देखते हैं और वह जब काम नहीं करते तो उनसे कल्पना यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बनती है कि सारे हैण्ड पम्प तो ठीक नहीं हुये। उनकी संख्या भी कम नहीं है उनकी संख्या 12 हजार 5 सौ 63 है। अब मैं मान सकता हूं इस बात की कि सारे हैण्ड पम्प्स ठीक करने की आप बात करते हैं। आप सबको कल्पना होगी कि हैण्ड पम्प ऐसी चीज है कि आप गांव में गये 10 में से 2 हैण्ड पम्प खराब है, उनको ठीक करके अगर आप अगले गांव में जायेंगे तो पिछला हैण्ड पम्प खराब न हो इसकी कोई गारन्टी नहीं है। उसमें अगर छोटी सी भी खराबी हो गयी, जो हो जाती है हो जाती है इसका पहले कोई अलार्म नहीं होता, उसका कोई संकेत नहीं होता। इसलिए वह शंका हो सकती है। यह भी मैं मान सकता हूं हालांकि मेरे अधिकारियों ने कह दिया इस चेलेन्ज को स्वीकार कर लें तो भी मैं मान सकता हूं। आखिर मनुष्य ही जाता है उसमें काम हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में काम किया। हमने यह तय किया था कि ओल्ड ट्यूब वैल जो काम नहीं कर रहे थे उनको हम कमीशन करेंगे, चूंकि हमने 250 का टारगेट दिया था वह 250 के 250 हमने कमीशन कर दिये। नये ट्यूब वैल्स की संख्या हमने तय की थी 203, उनमें से 181 हमने खाद दिये और 137 हमने कमीशन कर दिये। माननीय सदस्य वैर से आने वाले हैं कह रहे थे कि मेरे यहां खुद तो गये लेकिन कमीशन नहीं हुये तो इसमें थोड़ा अन्तर होता है...

श्री राजेन्द्र पारीक : कब तक होंगे ? विभाग का इतना बड़ा खर्चा इन पर हो गया...

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मेरी बात समझिये। कमीशन का मतलब यह होता है कि पहले खोदा जाता है फिर फिट होता है फिर कमीशन का मतलब चालू जब वह होता है। उसमें समय लगता है। (व्यवधान) यह वह कमीशन नहीं है यहां कमीशन का मतलब है चालू करना। श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया जी कह रहे थे कि आठ घंटे में चालू करे हैं और बीस हजार में वह लग जाता है। मैं स्वागत करता हूं आपका और अभी विधान सभा जब आज ही समाप्त हो उसके बाद मैं आपको निमन्त्रण देता हूं कि ऐसी कोई मशीन है या ऐसा कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर यह आप करवा देंगे तो अगली बार जब विधान सभा में आयेंगे तो आपका चुनरी का साफा पहना कर स्वागत और करूंगा। जो हैण्ड पम्प्स नये हमने लगाये थे उनका 4.779 का टारगेट था उनमें से जून, 90 तक की मेरे पास खबर है उनमें से 4,375 हैण्ड पम्प्स हमने खोद दिये हैं और 3,663 हमने कमीशन कर दिये है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल है।

श्री भंवरलाल शर्मा : Mr. Vyas, let me complete. I am here to answer you. कोई मैं आगे बोलूंगा तो और सवाल खड़े होंगे। कोई दिक्कत नहीं है और सवाल पूछिये। बात साफ करिये कोई छुपाने की बात नहीं है। जहां हैण्ड पम्प्स नहीं हो सकते थे ओपन कुएं थे, गहरे नहीं थे उनको गहरा करने का काम भी विभाग ने लिया था और 129 ऐसे कुएं थे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जिनको हमने गहरा किया था। विभाग की 30 जून तक की मेरे पास रिपोर्ट है....

श्री हीरालाल इन्दौरा : मार्च के बाद की है क्या ? आप क्या करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : 6 महीने नहीं हुये। आगे भगवान भी कर रहा है ना। हम क्या करेंगे। मिल जुल कर काम करेंगे और क्या करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पानी आवे लोगों को आराम मिल जाये, ऐसी योजना हो जिससे प्रदेश का भला हो और क्या करेंगे यही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे को एक सवाल पूछना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक साथ ही पूछ लेना। आपकी तो श्री व्यासजी याद-दाश्त अच्छी है। इतनी देर भूलोगे थोड़े ही आप।

हाउसिंग बोर्ड के लिए आपको जगह जगह यह शिकायत मिलती है कि मकान ठीक नहीं है, अच्छे नहीं बने। मैं यह नहीं कहना चाहता कि कब बने थे और क्या थे। जिस राज में बन गये और बाद में क्या करते हैं, जो हुआ तो लेकिन मैंने यह विचार किया है, अब तक व्यवस्था यह थी कि...

श्री सम्पत सिंह : रहने वाले कौनसे अच्छे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मकान बनने के बाद लाटरी खुलती थी, पूरे मकान बनने बाद लाटरी खोलते थे उसके बाद जिसकी लाटरी में जो मकान आता था वह उसको मिलता था। मैंने यह विचार किया है कि जब मकान शुरू होवे तभी लाटरी खोल देंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कुल कितने की लाटरी खोलेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : शर्तें वहीं रहेगी मकान हाउसिंग बोर्ड बनायेगा लेकिन उस व्यक्ति को यह पता रहेगा कि एक तो मुझे प्लाट यह मिल गया दूसरा वह जो बनेगा उसमें वह अपनी देख-रेख कर सकता है, सुझाव दे सकता है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। अगर हाउसिंग बोर्ड की स्कीम है कि सीमेंट लगानी है और आप चिप्स चाहते हैं तो आप चिप्स का खर्चा कर दीजिए हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। उसमें बाकी सब चीजें समान रहेगी। उसमें कभी-कभी एक दिक्कत आ सकती है कि ठेकेदार और जो अलाटी हैं उनके बीच में विवाद हो सकता है उसके लिए मैंने यह विचार किया है कि तीन लोगों की, जो बहुत निष्पक्ष और बड़े ईमानदार लोग जो होंगे ईमानदार एक समिति बना देंगे। जिस ठेकेदार को, जिस व्यक्ति को शिकायत है वह उस ठेकेदार से बात नहीं करेगा और उन तीन व्यक्तियों को जा कर शिकायत करेगा कि मेरे मकान में जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से, ठीक नहीं बन रहा है, घटिया मकान बन रहा है। वह जांच करेंगे और जाँच करने के बाद यह, यह समझते हैं कि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

शिकायत ठीक है तो ठेकेदार को ठीक करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : हम जैसों को क्या लाभ होगा, श्री कालीचरणजी जैसे मौज मारेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी बताता हूँ उसका भी ईलाज। अगर ठेकेदार की बात को सही मानी जायगी तो अलाटी को कहेंगे कि तुम्हारी शिकायत ठीक नहीं है और वह अन्तिम होगी। इस हिसाब से मेरा ऐसा विश्वास है कि इस योजना के अन्तर्गत, हालांकि अभी प्रारम्भिक स्टेज में है इसको करना चाहेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है कि इसको करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह जो शिकायत है कि आपने हाथ मारा दीवार टूट गई, फूंक मारी और किवाड़ गिर गया, यह स्थिति नहीं रहेगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह स्कीम प्रभावशाली लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचायेगी या गरीब का इसमें ज्यादा शोषण होगा?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका यह सोच हो सकता है। अगर यह लगा तो वापस बन्द कर देंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लगा तो वापस बन्द कर देंगे। अभी ट्राई करने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह जो नाराज हो जाते हैं, इस तरह के सुझाव देने के बाद ठेकेदारजी का कुछ होगा या नहीं होगा, मकान लेने वाला आदमी मकान लेने की जिन्दगी में उम्मीद ही छोड़ दे।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों, वह क्यों नहीं होगा?

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपकी जो योजना है यह कोई लाभप्रद नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा विश्वास है कि यह ठीक होगा। लेकिन अगर लगा बाद में, और आपकी जो शंका है, भगवान न करे यह पूरी हो, तो वापस कर देंगे। एक बार ट्राई तो करने दीजिये। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कम से कम मुझे तो लगता है कि जो भ्रष्टाचार का एलिमेन्ट है, आज क्या होता है कि इन्जिनियर तो मकान बनवाता है, उसकी देख-रेख में मकान बनता है, अन्त में उनके कम्पलीशन के बाद उसका सर्टिफिकेट भी वही देता है कि अच्छा बन गया है। यह तो कम से कम नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बने हुए मकान जो हमें दे रखे हैं मानसरोवर वगैरह में उनका भी कुछ करोगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं समझता हूं जो नये मकान बनेंगे, उनके मिलान के लिए पुराने मकान रहने दीजिये ताकि कम्पेयर कर सकें। यानि नये मकान जो बनेंगे तो पुराने मकान के मुकाबले के लिए पुराने रहने दीजिये, पुराने ऐसे होते हैं तो नये ऐसे होते हैं। थोड़े दिन उनको रहने दीजिये। बाकी मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि माननीय सदस्यों ने सुझाव

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिया है कि जयपुर शहर या शहरों की तरफ लोगों का आकर्षण अधिक है। लोग अधिकतर नगरों में आकर बसना चाहते हैं, व्यवसाय करते हैं, सेवा करते हैं। यह भी उनकी इच्छा होती है कि जयपुर शहर में मकान बनायें, यहां रहें। जैसा आप लोगों ने सुझाव दिया कि जयपुर के आसपास या बड़े शहरों के आसपास, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस किलोमीटर पर हम बस्तियां बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने की योजना बना रहे हैं। उसमें एक बात मैं और सोचता हूं कि वहां छोटी जमीन अगर वहां के मजदूर को, छोटी आय वर्ग के जो छप्पर में रहता है उसको यदि जमीन देकर मकान बनाने का काम उसी को दे दिया, हमने नहीं बनाया तो मेरे ख्याल से वह सस्ता पड़ेगा। उसका पुराना मकान है, उसमें ईंट है, दरवाजा है, छप्पर है जो भी बचा हुआ सामान होगा वह लाकर उसमें लगा सकता है। लगाने के कारण उस पर होने वाला खर्चा, प्रशासनिक व्यय जो लगता है उससे वह बच जायेगा और वह गरीब उस मकान में रह सकेगा। बाकी शहर के मकानों में हाउसिंग बोर्ड का चाहे कोई मकान हो, गरीब आदमी न तो उस मकान को खरीद सकता है। न वह रह सकता है, यदि वह और मदद चाहेगा तो हम उसको और आर्थिक सहायता देंगे और उस गरीब के मकान को बनाने की कोशिश करेंगे। ताकि यह मजदूर शहर में नहीं आवे और वहीं अपने आराम से रहे और जो छप्पर में जिन्दगी बिता रहा है वह कभी पक्के मकान में आ सकता है।

आपने यह भी शिकायत की और सही भी है कि जिसने हाउसिंग बोर्ड का मकान ले लिया उसको आज मालूम नहीं कि पेमेन्ट कितना हुआ और कितना बाकी है। मैंने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक दो महीने में हमारी कोशिश यह होगी कि घर बैठे आपको पता लग जायगा कि आपका कितना पैसा जमा है, कितना और देना है यह जो परेशानी है आपकी वह खत्म हो जायगी। कई बार तो बैंक में जमा हो जाता है, हाउसिंग बोर्ड के खातों में जमा नहीं होता। जो आप फीस जमा कराने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपका इतना पैसा है ही नहीं। कई बातें करते हैं तो हम अब आपको घर बैठे हिसाब.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप लोगों ने किताब दे रखी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : किताब तो दे रखी है, पर्ची और दे देंगे कि इतना हिसाब है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपका जवाब सन्तोषजनक है, आप अपनी मांग मन्जूर करा लीजिये। ईमानदारी की बात है।

श्री सम्पत सिंह : अन्तर्राज्यीय ट्रीटी के बारे में तो बोलो।

श्री भंवरलाल शर्मा : बोल रहा हूं, एक सैकिण्ड। Let me complet. अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग शहरों में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बाग-बगीचों की जगह है, पार्क बने हुए हैं। वह जे. डी. ए. के भी हैं, हाउसिंग बोर्ड के भी हैं। हमने यह तय किया है कि इन पार्क को न तो हाउसिंग बोर्ड ठीक से मेन्टेन कर पा रहा है और न जे. डी ए. कर पा रहा है, हमने तय किया है कि जो उस मोहल्ले में कुछ संस्थाएं उस तरफ रहने वाली हैं वह अगर उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी ले लेगी तो वह बाग हम उनको सुपुर्द कर देंगे, मेन्टेन करने के लिए। उनमें आने वाला खर्चा भी हम बरदाश्त कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : यह संस्थाएं कब्जा कर लेंगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब्जा क्या करेंगी? मकान तो बनाने देंगे नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : बाद में कर लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : बाद में क्या कब्जा करेंगे? और अगर मान लीजिये एकाध आदमी ऐसा निकला तो नहीं करने देंगे कब्जा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ऐसी संस्थाओं के सुपुर्द राज मत कर देना किसी को ऐसी निरीहता दिखा करके।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह न उनको करेंगे, न आपको करेंगे, आप चिन्ता मत करो। जो कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों में सब लोग एक साथ बैठ सकें, मिल सकें ऐसा कोई स्थान नहीं होता है। हमने एक कम्युनिटी हॉल बनाने की योजना बनाई है। जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों में जे. डी. ए. और हाउसिंग बोर्ड दोनों मिलकर एक-एक कम्युनिटी हॉल बनायेगी जिसमें गरीब लोग मजदूर लोग अपना समय बिता सकें, खेल-कूद कर सकें, अखबार पढ़ सकें, आदि-आदि कुछ मनोरंजन कर सकें। यह कुछ व्यवस्थाएं की है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा एक सुझाव नहीं आया।

कई माननीय सदस्य : मांगें पास कराओ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है। अब मेरी मांग पास करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27—पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये, 309,01,49,000/- (तीन अरब नौ करोड़, एक लाख, उनचास हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29–नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये, 19,27,14,000/– (उन्नीस करोड़, सत्ताइस लाख, चौदह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गई।

सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 1990 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.28 बजे शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 1990 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 300 की सूची

जिला दुग्ध संघों के चुनाव न करवाये जाने के कारण :

1. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव विलम्ब से होने के कारण जो दिसम्बर, 1988 व जनवरी, 1989 में हुये, जिला संघों के चुनाव सम्पन्न न हो सकें।

2. जिला संघों का चुनाव कार्यक्रम 30-1-1989 को जारी किया गया। उपनियम संख्या 20 (2) के तहत विगत आडिट में (अ) अथवा (ब) श्रेणी में वर्गीकृत समितियां ही चुनाव में भाग लेने योग्य थी, जिनकी संख्या नगण्य होने के कारण पूरे संचालक मण्डल का चुनाव सम्भव नहीं था इस कारण "स" श्रेणी में वर्गीकृत समितियों को भी चुनाव में भाग लेने की संभावना पर विचार करने हेतु राज्य सरकार को दिनांक 20-2-1989 को चुनाव स्थगित करने पड़े। "स" श्रेणी की समितियों को भी भाग लेने सम्बन्धी संशोधन उपनियम संख्या 20 (2) में वर्ष 1989 के लिये दिनांक 8-8-1989 को पंजीकृत किया गया। इसके साथ ही आदर्श उपनियमों में दुग्ध आन्दोलन अधिक प्रभावी बनाने के लिये एवं संचालक मण्डल का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित करने के लिये अन्य संशोधन भी पंजीकृत किये गये।

3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20-2-89 के चुनाव स्थगन सम्बन्धी आदेश को पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की एक सदस्य समिति आदर्श चन्द्रेला वेरा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी तथा उक्त स्थगन आदेश को 11-4-1989 को रद्द करवा दिया। इस निर्णय के पालनार्थ पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के चुनाव 13-7-89 को करवाये गये, परन्तु नौ स्थानों में से एक ही स्थान पर चुनाव सम्पन्न हो सका। राजस्थान उच्च न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल रिट पीटिशन फाइल की गई परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे दिनांक 9-11-89 को अस्वीकार कर दिया इसी प्रकार जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की

एक सदस्य समिति ने भी 20-2-89 के आदेश को चुनौती देकर उसे 12-12-1989 को रद्द करवा दिया गया। न्यायालय सम्बन्धी निर्णयों की वजह से संघों के चुनाव में विलम्ब हुआ।

4. दिनांक 8-8-89 को पुनः "स" श्रेणी की समितियों को सम्मिलित करते हुये चुनाव करवाने के निर्देश दिये गये, परन्तु पालियामेन्ट के चुनावों के कारण चुनाव स्थगित रखें गये उसके पश्चात् दिनांक 2-12-89 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से दिनांक 13-12-89 को पुनः चुनाव स्थगित कर दिये गये।

5. विधानसभा के चुनावों के सम्पन्न होने के पश्चात् पुनः दिनांक 21-4-90 को चुनाव करवाने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया। परन्तु "स" श्रेणी की समितियों के भाग लेने सम्बन्धी संशोधन प्रभावहीन हो जाने के कारण व "अ" अथवा "ब" श्रेणी की समितियों की स्थिति में सुधार न होने के कारण पुनः उपनियमों में दिनांक 18-6-90 को संशोधन किया गया ताकि पूरे संचालक मण्डल का चुनाव सम्पन्न हो सकें।

परिशिष्ट–2

सारांकित प्रश्न संख्या 307 की सूची

हिण्डौन तहसील के सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद					रिक्त पद				
		प्रधानाचार्य	उप प्रधानाचार्य	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रधानाचार्य	उप प्रधानाचार्य	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	रा. सी. उ. मा. वि., हिण्डौन	1	1	38	34	5	—	—	2	1	—
2.	रा. सी. उ. मा. वि., रतन जिला	1	1	17	09	9	—	—	6	—	1
3.	रा. सी. उ. मा. वि., श्री महावीरजी	1	1	17	12	8	—	—	2	—	—
		3	3	72	55	22	—	—	10	1	1

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पांचला, कांटिया और बिरलोका प्लान्टेशन (नागौर)

309. **श्री मोहन लाल बाल्पाल** (जायल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन डिवीजन नागौर में वर्ष 1982 में स्थापित पांचला, कांटिया और बिरलोका प्लान्टेशन नवम्बर 1986 की पौध गणना में क्रमशः 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत पौधे ही जीवित पाये गये जबकि जून, 1987 की पौध गणना में क्रमशः 70 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 63 प्रतिशत पौधे जीवित पाये गये ? यदि हां, तो उक्त दोनों बार की पौध गणना में कौनसी सूचना सही है और कौनसी गलत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों प्लान्टेशनों की नवम्बर, 1987 की पौध गणना में पुनः क्रमशः 8.8, 3.7, और 3.2 प्रतिशत पौधे जीवित पाये गये हैं ?

(3) यदि हां, तो नवम्बर 1986, जून, 1987 व नवम्बर, 1987 की पौध गणना किन-किन अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा की गई और गलत गणना करने में कौन दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त गणना के आधार पर उक्त प्लान्टेशन पूर्णतः असफल रहे है ? यदि हां, तो अब तक इनके निर्माण व संधारण पर वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई है ?

(5) उक्त प्लान्टेशन का किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) उक्त तीनों प्लान्टेशन की नवम्बर, 1987 में असफलता की रिपोर्ट आने पर डी. एफ. ओ. नागौर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां नवम्बर, 86 में की गई पौध गणना वास्तविकता के अधिक निकट है।

(2) जी हां।

(3) नवम्बर, 86 की गणना रिपोर्ट श्री केशरसिंह प्रभारी रेंज नागौर, जून, 87 की गणना श्री हनुवन्तसिंह राठौड़, क्षेत्रीय, नागौर तथा नवम्बर, 87 की गणना श्री हरिसिंह सहायक वन संरक्षक, द्वारा की गई थी। गलत गणना के संबंध

(वन मंत्री)

में उपवन संरक्षक, नागौर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) उक्त प्लान्टेशनों का निरीक्षण जिन जिन अधिकारियों द्वारा किया गया है उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) उक्त तीनों प्लान्टेशनों को नवम्बर, 87 में गणना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपवन संरक्षक, नागौर द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया।

320

वृक्षारोपण पर वर्ष वार व्यय

वर्ष	पंचला वृक्षारोपण	कांटिया वृक्षारोपक्ष	बिरलोका वृक्षारोप ण
1981–82 (अग्रिम कार्य)	12,512,50	14,206,01	11,220,95
1982–83 (वृक्षारोपण कार्य)	11,613.60	12,513.36	11,892.99
1983–84 (—,,—)	11,481.27	11,100,14	11,800,00
1984–85 (—,,—)	5,616.00	5,502.65	5,601.00
1985–86 (—,,—)	2,944.90	3,834.90	2,955.90
योग :	44,168.27	47,157.06	43,470.75

मार्च, 86 के पश्चात कोई राशि व्यय नहीं की गई है ।

पांचला, काटिया एवं बिरलोका प्लान्टेशन का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की सूची :—

दिनांक	निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम	निरीक्षण टिप्पणी
1	2	3
16.2.85	एम. एल. दायमा उप वन संरक्षक	प्रातः 8 बजे नागौर से रवाना होकर खीयसर होता हुआ शीप प्लांट आंकला, काटिया, बिरलोका का घूम कर अवलोकन किया। इस क्षेत्र में काले हिरणों की अच्छी कासी जनसंख्या हैं।
	—,,—	प्रातः 8 बजे रवाना होकर भेड़ व उन आंकला, काटिया, बिरलोका पांचला का निरीक्षण किया।
24.9.82	श्री राहुल कुमार उप वन संरक्षक	भाखरोद, आंकला, काटिया, पांचला बिरलोका प्लान्टेशनों का निरीक्षण किया।
20.11.82	—,,—	आंकला, काटिया, पांचला, बिरलोका प्लान्टेशनों का निरीक्षण किया।
7.10.84	श्री हनुवन्त सिंह राठोड़ क्षेत्रीय वन अधिकारी नागौर	भेड़ व जन क्षेत्र काटियां, व पांचला का निरीक्षण किया। रिप्लोसमेन्ट में लगाये गये पौधे वर्षा की कमी व पानी की कमी से कुछ मुरझाना शुरू हो गये है किन्तु बजट के अभाव में अभी पानी नहीं पिला जा सकता व अन्य पौधे कमजोर हैं।

1	2	3
19.1.84	श्री शिवनारायण कच्छावा क्षेत्रीय वन अधिकारी	भेड़ व ऊन वृक्षारोपण आंकला, पांचला का निरीक्षण किया । भेड़ व ऊन को तारबन्दी टूटी पाई गई व वृक्षारोपण में पौधों का जीवित प्रतिशत भ बहुत कम हैं ।
27.2.86	—,,—	बस द्वारा रवाना होकर काटिया पांचला, बिरलोका भेड़ व ऊन वृक्षारोपण का निरीक्षण किया ।
7.11.87	श्री हरिसिह, सहायक वन संरक्षक	प्रातः 8 बजे आर. जे. एस. 3982 से नागौर से चलकर बिरलोका, पांचला; काटिया प्लान्टेशनों में पौधों की गणना कार्य किया रोटलीस के पौधे जो 1982 में लगाये गये पूरी तरह चराई आदि से नष्ट हो गये है । खीवसर पौध शाला का निरीक्षण किया बेडस में थेलियों में जो पौधे है उनमें वृद्धि अच्छी नहीं हैं नर्सरी क्षेत्र का फेन्सिग के सहारे और खुले क्षेत्र में जो पौधे लगाये गये है । अच्छे चल रहे है । शाम 6 बजे नागौर आकर रुका ।

Page No. 323

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 जून, 1990)

हिण्डौन तहसील के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को भू-आवंटन

86. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) हिण्डौन तहसील में वर्ष 1975 से अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किन-किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई उनमें से किन किन व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया । सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) हिण्डौन तहसील में वर्ष 1975 से अब तक अनुसूचित जाति के 1264 व्यक्तियों को 5856 बीघा व अनुसूचित जनजाति के 220 व्यक्तियों को 550 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटित की गई । सूची (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई उन सभी को कब्जे दिये जा चुके हैं । सूची (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रख दी गई ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

सहारण पल्स एवं बोर्ड पर भूमि की बकाया

310. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) अलवर जिला स्थित "सहारण पल्स एवं बोर्ड" नामक उद्योग पर भूमि का कब से कितना रुपया बकाया है ?

(2) उक्त उद्योग को किस दर से कितनी भूमि अलाट की गई थी ?

(3) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि उक्त उद्योग आवासीय एवं व्यापारिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि को बेच रहा ?

(4) उक्त उद्योग कब से बन्द है ?

(5) उक्त उद्योग पर किस-किस संस्था का कितना-कितना रुपया कब से बकाया है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मैसर्स सहारण पल्स एवं बोर्ड प्रा. लि. पर दिनांक 15.10.78 से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम का कुल 4,51,500/- रुपये बकाया है ।

(2) मैसर्स सहारण पल्स एवं बोर्ड प्रा. लि. को निगम द्वारा दिनांक 28.12.75 को 28800 वर्ग मीटर भूमि उद्योग स्था-

324

(उद्योग मंत्री)

पित करने हेतु रुपये 5/- प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित की गई थी।

(3) उद्यमी द्वारा आवासीय एवं व्यापारिक प्रयोजनार्थ भूमि बेचने की कोई जानकारी नहीं है।

(4) यह इकाई सन् 1983 में बन्द हुई एवं पुनः कुछ समय चलने के उपरांत जनवरी, 87 से बन्द है।

(5) उक्त उद्योग पर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम का 4,51,500/- रुपये दिनांक 15.10.78 तथा राजस्थान वित्त निगम का 111·61 लाख रुपये दिनांक 12.7.76 से बकाया है।

(दिनांक 29 जून, 1990)

रानीवाड़ा तहसील कार्यालय

92. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा तहसील कार्यालय रानीवाड़ा कस्बे, बस व रेल्वे स्टेशन से काफी दूर होने से आम आदमी को आवागमन में काफी कठिनाई होती है / यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में तहसील कार्यालय को उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

(2) उक्त कार्यालय में भू-राजस्व अधिनियम धारा 91 के तहत कितने वाद विचारधीन ? गत राजस्व अभियान के दौरान कितने वादों का निपटारा कर दिया गया ?

(3) उक्त कार्यालय में शेष किस प्रकार के वाद किन-किन धाराओं के अन्तर्गत वर्तमान में विचारधीन है ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा तहसील कार्यालय रानीवाड़ा कस्बे, बस व रेल्वे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर पर है। अतः आवागमन में विशेष कठिनाई होना प्रतीत नहीं होता है। तहसील कार्यालय का भवन राजकीय भवन है।

(2) राजस्व अभियान के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के कुल 50 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा दिनांक 31-5-90 को धारा 91 के कुल 24 प्रकरण विचाराधीन रहे।

(3) आर. एल. आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत 374 प्रकरण विचाराधीन है। यह प्रकरण पंचायत समितियों द्वारा अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण वसूली से सम्बन्धित हैं।

हिण्डोली क्षेत्र के गांवों में शिक्षा सुविधायें

311. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा कितने ग्रामों को प्रदान कर दी गई है ?

(2) कितने ग्राम वांछित आबादी रखने के बावजूद भी इस सुविधा से वंचित हैं व क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के ग्रामों में विद्यालयों की सुविधा निम्नानुसार है :

प्राथमिक विद्यालय	132
उच्च प्राथमिक विद्यालय	23
माध्यमिक विद्यालय	10

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के अन्तर्गत वांछित न्यूनतम 250 की जनसंख्या के 14 गांव है जहां प्राथमिक विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। इसी क्षेत्र के अन्तर्गत वांछित न्यूनतम जनसंख्या आदि के अनुसार 13 ऐसे गांव है जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं माध्यमिक विद्यालयों को वांछित पूरी सुविधा उपलब्ध हैं।

फसली ऋण

312. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988, 1989, 1990 में सहकारी विभाग द्वारा फसली ऋण बिल्कुल बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या चालू वर्ष में जिन जिलों में भयंकर अकाल है उन जिलों में किसानों को किसी प्रकार ऋण कृषि हेतु दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? किसानों को एक फसली ऋण के लिए, स्वीकृत की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस समय जिन जिलों में अकाल है उन जिले के किसानों से बकाया वसूली मय कुर्की के की जा रही है ? यदि हां, तो 1989 व 1990 में किन-किन जिलों में कितने किसानों से वसूली की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। जिलेवार, फसलवार स्वीकृत धनराशि का विवरण सदन को मेज पर रख दिया है। परिशिष्ट "अ"

(3) जी, नहीं। अभावग्रस्त गांवों में पूर्व में दिये गये अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है। 1989 व 1990 में की गई नगद वसूली का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गई है (परिशिष्ट 'ब')

326

तारांकित प्रश्न संख्या 312 की सूची

(रु. लाखों में)

क्रमांक	नाम जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	ऋण वितरण रबी 89-90 (1-10-89 से 31-3-90)	ऋण वितरण (खरीफ 1990 (1-4-90 से 29-6-90)
1	2	3	4
1.	अजमेर	—	43.95
2.	अलवर	230.00	194.70
3.	बाड़मेर	111.00	190.00
4.	बाँसवाडा	75.00	25.00
5.	भरतपुर धौलपुर	50.00	65.00
6.	भीलवाड़ा	108.00	160.00
7.	बीकानेर	4.60	4.80
8.	बून्दी	70.00	110.00
9.	चूरू	20.00	15.00
10.	चित्तौड़गढ़	90.00	24.00
11.	डूंगरपुर	—	15.00
12.	गंगानगर	1209.00	347.00
13.	जयपुर	174.00	255.55
14.	जैसलमेर	24.85	51.50
15.	जालौर	50.00	41.50
16.	झालावाड़	101.00	52.00
17.	जोधपुर	39.00	35.00
18.	कोटा	340.50	188.60

1	2	3	4
19.	नागौर	40.50	42.00
20.	पाली	37.00	160.80
21.	सवाईमाधोपुर	217.00	65.05
22.	सीकर	235.00	60.00
23.	सिरोही	25.00	10.00
24.	टोंक	65.00	80.00
25.	उदयपुर	100.00	112.00
26.	झुन्झुनू	34.85	7.15
	योग :	3471.30	2355.60

तारांकित प्रश्न संख्या 312 की सूची

(रु. लाखों में)

क्रमांक	नाम जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	नकद वसूली वर्ष 1988-89 (1-7-88 से 30-6-89)	नकद वसूली वर्ष 1989-90 (1-7-89 से 22-6-90)
1.	अजमेर	164.40	20.19
2.	अलवर	745.73	157.56
3.	बाड़मेर	294.51	338.14
4.	बांसवाड़ा	141.37	37.30
5.	भरतपुर धौलपुर	443.24	111.60
6.	भीलवाड़ा	568.97	86.60

328

1	2	3	4
7.	बीकानेर	183.22	11.62
8.	बून्दी	214.56	101.85
9.	चूरू	338.65	7·10
10.	चित्तौड़गढ़	522·06	106.78
11.	डूंगरपुर	53·16	5.12
12.	गंगानगर	1930.14	922.61
13	जयपुर	937.92	50.96
14.	जैसलमेर	44.94	2.95
15	जालोर	200.70	49.59
16.	झालावाड़	556.99	20.86
17.	जोधपुर	305.33	33.00
18.	कोटा	684.73	288.33
19.	नागौर	448.54	21.43
20.	पाली	558.31	19.34
21.	सवाईमाधोपुर	573.95	32.77
22.	सीकर	717.63	64.74
23.	सिरोही	80.24	6.94
24.	टोंक	100.83	28.56
25.	उदयपुर	332.71	82.28
26.	झुन्झुनू	326.04	1·67
	योग :–	11480.98	2388.45

उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र में भू-आवंटन

313. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की तहसील खेरवाड़ा, कोटड़ा, झाडोल, धरियावद और सलूम्बर आदि तहसीलों में काफी लोग वर्षों से वन विभाग की जमीन पर काबिज है ? यदि हां, तो कब से और कितने परिवार प्रत्येक तहसील में बसे हुए हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त काबिज लोगों को जिनके मकान बने हुए हैं और जिन्होंने कुएं आदि खोदकर जमीन को काबिल काश्त बनाली है ऐसे परिवारों के नाम सरकार भूमि आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वन भूमि पर विभिन्न अवधि में काबिज परिवारों की संख्या की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं। इनमें से अधिकांश कब्जे 8-10 वर्ष पूर्व के हैं।

(2) 1-1-71 से पूर्व के काबिज व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित वन भूमि का नियमन किये जाने की राज्य सरकार की नीति हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर ही नियमित करना सम्भव होगा।

सूची भाग–1

वन भूमि पर काबिज परिवारों की तहसीलवार संख्या

क्र. सं.	तहसील	काबिज परिवारों की संख्या
1.	सलूम्बर	71
2.	कोटडा	447
3.	खेरवाड़ा	176
4.	झाड़ोल	258
5.	धरियावद	1739
	योग :–	2592

बाप-जोधपुर में छात्रावास भवन

314. **पूनमचन्द विश्नोई** (फलोदी) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील फलोदी, जिला जोधपुर के कस्बा बाप में विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये एक छात्रावास चलाया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो इसमें कितने छात्रों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जाता है ?

(3) क्या इस छात्रावास हेतु भवन बना हुआ है ?

(4) क्या सरकार छात्रों की संख्या में वृद्धि करने एवं उपयुक्त भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस छात्रावास में 35 छात्रों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जाता है।

(3) जी, नहीं।

(4) छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही संख्या में वृद्धि करने पर विचार किया जा सकेगा। छात्रावास भवन का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आरम्भ करवाया गया था। यह भवन अभी अपूर्ण है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पूर्ण कराया जाना संभव हो सकेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 315

(स्थगित)

कृष्णा मिल ब्यावर

316. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार कृष्णा मिल-ब्यावर को स्वयं या किसी उद्यमी के सहयोग से संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) उक्त मिल के संचालन हेतु अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा कृष्णा मिल ब्यावर को निजी उद्यमी के सहयोग से संचालित करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मिल के पुर्नसंस्थापन/पुर्नचालन का मामला बी. आई. एफ. आर. की अपीलेट आथोरिटी के विचाराधीन है। अपीलेट अथोरिटी द्वारा किये जाने वाले अन्तिम निर्णय पर ही इसका पुर्नचालन निर्भर करेगा।

(2) मैसर्स कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर के पुर्नचालन हेतु श्रमिकों द्वारा रिपोर्ट तैयार करने में सहायता देने के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क

(उद्योग मंत्री)

नियुक्ति की गई तथा बी. आई. एफ. आर. द्वारा पारित कम्पनी के अवसायन आदेश के विरुद्ध श्रमिक संगठनों से अपीलेट अथोरिटी में अपील दायर करवाकर स्थगन आदेश प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान की गई। उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप ही अपीलेट अथोरिटी द्वारा आई डी. बी. आई. को श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत पुनर्संस्थापन पैकेज का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

आसीन्द तहसील में सेटलमेंट

317. **श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील में गत हुए सेटलमेन्ट में जनता की अनियमितताओं से भारी असन्तोष की शिकायतें सरकार को मिली हैं ? यदि, हां, तो कितनी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सेटलमेन्ट में लगान कायम करने तथा किस्म भूमि इन्द्राज में कोई मानदण्ड हैं ? यदि हां, तो क्या आसीन्द तहसील में उस आधार पर भूमि की किस्म तथा लगान का निर्धारण हुआ है ?

(3) आसीन्द तहसील में सेटलमेन्ट से पूर्व में कितना लगान (राजस्व) कायम था और अब कितना लगान (राजस्व) कायम हुआ अथवा प्रस्तावित है ?

(4) बन्दोवस्त के पूर्व किस-किस किस्म की कितनी जमीन तहसील आसीन्द में थी और नये बन्दोवस्त के कारण कितनी-कितनी जमीन किस-किस किस्म की निर्धारित की गयी ? दोनों के तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि भूमि की किस्म परिवर्तन तथा शहर कामयाबी के विरुद्ध सैकड़ों किसानों के एतराज आने पर परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो क्या उसी स्थिति के हजारों किसान जानकारी के अभाव में प्रभावित रह गये हैं ?

(6) क्या सरकार इसकी पूर्ण जांच करा पुनः व्यापक रूप से प्रसारण कर एतराज मांगेगी अथवा इसकी विस्तृत जांच करा शेष रहे उसी श्रेणी के काश्तकार एवं भूमि की किस्म को एवं शहर को परिवर्तन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां। तत्कालीन क्षेत्रीय सांसद, विधायक, जिला कलक्टर एवं कृषकों द्वारा प्रेषित शिकायतें व उजरदारियां प्राप्त हुई हैं। जिनका नियमानुसार निस्तारण किया गया है।

(2) हां। लगान निर्धारण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, एवं राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे अभिलेख तथा बन्दोबस्त)

(राजस्व मंत्री)

(सरकारी) नियम-1957 के नियम 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तथा राजस्थान भू-राजस्व (भू-प्रबन्ध कार्यवाहियां) (राजस्व मण्डल) नियम 1957 के नियम 3, 4, 5, 6 एवं 7 बने हैं जिनका पालन करते हुए लगान निर्धारण करने की परिपूर्ण एवं विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है।

भूमि वर्गीकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-150 एवं राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे, अभिलेख तथा बन्दोबस्त) नियम, 1957 के नियम 30 (ख), 32, 33, 39 तथा विभागीय निर्देश पुस्तिका "हिदायत खानापूरी" के फार्म नं. 7, 7क, 8 व 8क की पूर्ति के अनुदेशों व सैटलमेन्ट इन्सट्रक्शन्स, 1957 का पालन करते हुए भूमि वर्गीकरण किया जाता है।

तहसील आसीन्द में भी उक्त सभी अधिनियमों/नियमों तथा निर्देशों का पालन करते हुए भूमि वर्गीकरण किया गया है।

(3) गत भू-प्रबन्ध में 4, 38, 596.69 रुपया निर्धारित हुआ था। वर्तमान भू-प्रबन्ध में 9,84,220.51 रुपये निर्धारित हुआ है। इस भू-प्रबन्ध में मुख्यतः 25 प्रतिशत के लगभग ही लगान दरों में वृद्धि की गई है। सम्पूर्ण तहसील के लगान की बढ़ोतरी का दूसरा मुख्य कारण यह है कि भूमि की किस्में चाही व नहरी से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

(4) गत बन्दोबस्त में तहसील आसीन्द के ग्रामों में कुल 406 लगान दरें लागू की गई थी, जो वर्तमान नियमों के विपरीत एवं अव्यावहारिक थी। वर्तमान बन्दोबस्त में लगभग समान दरों वाले ग्रामों को एक ही कर निर्धारण समूह में रखा जाकर तीन समूह बनाये गये हैं। प्रत्येक समूह में मात्र 23 भूमि वर्ग रखे गये हैं। प्रत्येक समूह की उत्पादन क्षमता, भौतिक स्थिति, पानी की उपलब्धता परिवहन व सचार माध्यमों आदि तथ्यों का ध्यान रखते हुए अलग-अलग लगान दरें रखी गई है। गत 406 भूमि वर्गों को समायोजित किया गया है। समायोजन सारणी संलग्न है। भूमि वर्गवार आंकड़ों का स्टेटमेन्ट भी संलग्न है।

(5) हां। लगान कम करने तथा भूमि वर्ग परिवर्तन किये जाने बाबत 44 पंचायत क्षेत्रों के 204 ग्रामों की मात्र 930 उजरदारियां प्राप्त हुई हैं। सभी का निस्तारण कर दिया गया है जिसके कारण कृषकों को राहत मिली है।

यह गलत है कि उसी स्थिति के हजारों किसान जानकारी के अभाव में प्रभावित रह गये हैं क्योंकि प्रथमतः लगान दरों का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र दि. 24-3-88 में कराया गया, साथ ही प्रकाशनार्थ भेजी गई सामग्री की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा/गुलाबपुरा तहसीलदार-आसीन्द को सम्बन्धित पटवारियों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में चस्पा करने हेतु तथा विकास अधिकारी आसीन्द को प्रत्येक ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रचारार्थ प्रेषित की गई

(राजस्व मंत्री)

है। लगान दरों बाबत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विधिवत सुनवाई कर भू-प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा ने निर्णय दिया है। द्वितीय राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–164 के अन्तर्गत तैयार लगानी पर्चों के वितरण कार्यक्रम को भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा ने प्रचार प्रसार हेतु ग्राम स्तर तक सभी सम्भव माध्यमों से भिजवाया है। तृतीय कर्मचारियों की हड़ताल हो जाने के कारण 2 माह बाद पुनः कार्यक्रम बना कर सभी माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया गया है। चतुर्थ–राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 166 के अनुसार पर्चा लगान विवरण के बाद लगान (भूमि वर्ग) बाबत सुनवाई की अवधि मात्र 30 दिन हैं, किन्तु राज्य सरकार ने उक्त अवधि को 30 जून, 1989 तक बढ़ाने की स्वीकृति देकर किसानों को सुनवाई का पूर्ण मौका दिया है।

(6) राज्य सरकार द्वारा तहसील आसीन्द का भू-प्रबन्ध कार्य बन्द करने हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ. 13(13) राज/ग्रुप–1/90 दिनांक 9-5-90 प्रसारित कर दी है, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है। शेष प्रकरणों पर निर्णय राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

मण्डलगढ़ तहसील के ऊपर माल क्षेत्र में अवैध खनन

318. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में ऊपर माल क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों व सहकारी संस्थाओं द्वारा अतिक्रमण कर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है ?

(2) अवैध खनन व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई ? किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये ? किन-किन को पकड़ा गया ?

(3) अतिक्रमण के अतिरिक्त कृषि व गैर कृषि निजी भूमि में कहां-कहां खनन कार्य जारी है ? क्या यह नियमों की अवहेलना नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस सन्दर्भ में कौन-कौन सी नई नीति तय कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अवैध खनन कार्यों का तत्स्थलीय निरीक्षण व जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ तहसील में ऊपर माल क्षेत्र में किसी भी सहकारी संस्था द्वारा अतिक्रमण कर अवैध

334

(खनिज मंत्री

खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। बिजौलिया खण्ड में खनिज सैण्डस्टोन के वर्ष 1990–91 में अनाधिकृत खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अवैध खनन व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एम. एम. सी. आर., 1986 के नियमों के अन्तर्गत खनिज की कीमत वसूली की गई। पुलिस थाना बिजौलिया में 7 मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई। वर्ष 1990-91 में कुल 63 मामले अनाधिकृत खनन के बनाये गये। जिनमें से 49 मामलों में खनिज की कीमत रायल्टी की बारह गुणा राशि पैनल्टी के रूप में वसूल किये गये। वर्ष 1990-91 में रुपये 1,38,818/– को खनिज की कीमत के रूप में 12 से गुणा पैनल्टी की राशि वसूल की गई।

(3) बिजौलिया खण्ड में कृषि व गैर कृषि भूमि में ग्राम गोविन्दपुरा, नला-कामाताजी, भैरूपुरा, चम्पापुर, गुढ़ा, केसरपुरा, जलेरी आदि स्थानों पर अवैध खनन कार्य के मामले बनाये गये, कार्यवाही की गई एवं अवैध खनन रुकवाया गया। अवैध खनन की कार्यवाही अपने आप में ही नियमों की अवहेलना है। वर्तमान में खातेदारी भूमि में क्वारी लाइसेन्स नहीं देने की नीति है।

(4) अवैध खनन कार्यों की रोकथाम हेतु विभाग पूर्णतया सजग हैं एवं अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध समय-समय पर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में अवैध खनन नहीं हो रहा है, जो हुआ उसके लिए कार्यवाही की गई है।

प्रश्न के भाग 3 की सूची

क्र. सं.	अनाधिकृत खननकर्त्ता का नाम	अवैध खनन का स्थान	दिनांक पंचनामा	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	शम्भूसिंह	गुढा	26-3-90	3120/- जमा
2.	छीतरलाल	नलाकामाताजी	5-4-90	3120/- जमा
3.	जीतमल	,,	6-4-90	3120/- जमा
4.	कालू	भाटखरला	9-4-90	1660/- जमा
5.	होमा	गुढा	9-4-90	3220/- जमा
6.	लालदास	केसरपुरा	27-4-90	3220/- जमा
7.	लालदास	केसरपुरा	8-4-90	1560/- जमा
8.	नन्दलाल	केसरपुरा	8-4-90	3220/- जमा
9.	शंकरलाल	केसरपुरा	8-4-90	3220/- जमा
10.	नाथूलाल	चम्पापुर	11-4-90	3120/- जमा
11.	छीतरलाल	गोविन्दपुरा	11-4-90	3120/- जमा
12.	मोहनलाल	गोविन्दपुरा	11-4-90	2540/- जमा
13.	छीतरलाल	नलाकामाताजी	11-4-90	3120/- जमा
14.	कालूराम	उदयपुरिया	6-4-90	3120/- जमा

1	2	3	4	5
15.	नखा/लखा	काठवड़ा	19-4-90	3120/- जमा
16.	नन्दकिशोर	केसरपुरा	10-4-90	1660/- जमा
17.	जीतमल	बेरीसाल	24-4-90	3220/- जमा
18.	मोहन	,,	24-4-90	2440/- जमा
19.	लालदास	केसरपुरा	1-5-90	1660/- जमा
20.	राजकुमार	नलाकामाताजी	1-5-90	3220/- जमा
21.	मदनलाल	,,	1-5-90	2855/- जमा
22.	जीतमल	गुढा	4-5-90	3120/- जमा
23.	किशोर कुमार	नलाकामाताजी	2-5-90	नोटिस दिया रु. 2699/-
24.	नग्गा	काटवड़ा	5-5-90	3120/- जमा 3220/- की वसूली कार्यवाही जारी
25.	शंकरसिंह	गुढा	1-5-90	3120/- जमा
26.	अहमद	बाण्याकातालाव	9-5-90	नोटिस दिया 2180/-
27.	शंकरलाल	,,	9-5-90	,, रु. 3220/-
28.	गोरू	चम्पापुर	11-5-90	नोटिस जारी रु. 6340/-
29.	दिनेश	गुढा	16-5-90	3120/- जमा
30.	रोडू	कास्यां	16-5-90	3120/- जमा

1	2	3	4	5
31.	गफूर	बाण्याकातालाब	16-5-90	3120/- जमा
32.	गफूर	,,	16-5-90	3120/- जमा
33.	भवानीलाल	केसरपुरा	18-5-90	1660/- जमा
34.	जीवा	जलेरी—2	3-5-90	1000/- जमा
35.	अशोक	,,	12-5-90	1500/- जमा 3280/- की वसूली की कार्यवाही जारी
36.	कन्हैयालाल	जलेरी—2	12-5-90	1000/- जमा 5340/- की वसूली कार्यवाही जारी
37.	जोधा	,,	10.5.90	11332/- का नोटिस जारी
38.	देवीलाल	जलेरी—3	10-4-90	12580/- ,,
39.	छीतरलाल	चम्पापुर	26-5-90	1560/- जमा
40.	मदनलाल	नलाकामाताजी	23-5-90	3120/- जमा
41.	ताराचन्द	उदपुरिया	29-5-90	2340/- जमा
42.	लालू	नलाकामाताजी	30-5-90	3120/- जमा
43.	रोड़ू	चम्पापुर	18-5-90	3120/- जमा
44.	हरसिंग	चम्पापुर	18-5-90	3120/- जमा
45.	कालू	उदपुरिया	1-6-90	1183/- जमा

1	2	3	4	5
46.	गुलाबसिंह	सतकुडिया	7-6-90	568/- जमा
47.	मिठूसिंह	कास्यां	24-5-90	3220/- जमा
48.	मांगीलाल	चम्पापुर	11-6-90	3120/- जमा
49.	गोपाल	सुखपुरा	12-6-90	4680/- जमा
50.	भैरू/मांगू आदि	भैरूपुरा	12-6-90	एफ. आई. आर. दर्ज
51.	डूंगाराम, कंवरलाल	गुढा नदी	12-6-90	,, ,,
52.	शम्भूकुमार, सीताराम	गुढा	,,	,, ,,
53.	शशि प्रकाश	भाटखरला	,,	,, ,,
54.	मुकेश	जलेरी—2	,,	,, ,,
55.	भगवती प्रसाद	जलेरी—2	,,	,, ,,
56.	रामसिंह	केसरपुरा	13-6-90	,, ,,
57.	बद्रीलाल	गोपालपुरा	15-6-90	10360/- जमा
58.	श्यामा	चम्पापुर	16-6-90	3120/- जमा
59.	हरसिंग	चम्पापुर	16-6-90	6240/- जमा
60.	मांगीलाल	बेरीसाल	22-6-90	3620/- जमा
61.	गोपाल	उदपुरिया	,,	1192/- जमा
62.	शंकर	जलेरी—4	23-6-90	2440/- जमा
63.	नरेन्द्र	बेरीसाल	23-6-90	2340/- जमा

ह0/—
खनि अभियन्ता
बिजौलिया (राज.)

लालसोट क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

319. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लालसोट के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सत्र के प्रारम्भिक दिनों में अध्यापक नहीं लगाने के कारण विद्यालयों में रिक्त पद होने से छात्रों के अध्ययन में कठिनाई हो रही है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त सभी पदों को शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले भरने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के एवं अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस कठिनाई के निराकरण के लिए पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है ।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

तहसील लालसोट के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद			कार्यरत पद				रिक्त पद	
		प्र. अ.	द्वि. श्रे.	तृ. श्रे.	प्र. अ.	द्वि. श्रे.	तृ. श्रे.	प्र. अ.	द्वि. श्रे.	तृ. श्रे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रा. मा. वि., दौलतपुरा	1	7	4	—	6	4	1	1	—
2.	रा. मा. वि., संवास	1	5	4	—	5	4	1	1	—
3.	रा. मा. वि., बिलोना कलां	1	6	4	1	5	2	—	1	2
4.	रा. मा. वि., खेडला खुर्द	1	3	1	—	2	1	1	1	—
5.	रा. मा. वि., सोनड़	1	5	5	1	4	5	—	1	—
6.	रा. मा. वि., राहुवास	1	7	4	1	7	2	—	—	2
7.	रा. मा. वि., कलावास	1	6	7	—	5	6	1	1	1
8.	रा. मा. वि , निर्झरना	1	3	1	1	2	—	—	1	1
9.	रा. मा. वि., सूरतपुरा	1	3	1	1	2	—	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	रा. मा. वि., मण्डावरी	1	9	7	—	9	7	1	—	—
11.	रा. मा. वि., महारिया	1	3	1	—	3	1	1	—	—
12.	रा. बा. मा. वि., लालसोट	1	5	3	1	4	3	—	1	—
13.	रा.बा.मा.वि., मण्डावरी	1	6	8	—	5	8	1	1	—
		13	69	50	6	59	43	7	10	7

342

सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक

320. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सवाई माधोपुर में कितने व्यक्ति किस-किस पद पर कार्यरत हैं, मय नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बैंक में शाखा सचिव, सुपरवाइजर व कार्यवाहक सुपरवाइजरों के पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की शाखा सचिव सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति कर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सवाई माधोपुर में कुल 57 व्यक्ति विभिन्न पदों पर कार्यरत है, जिनका पदवार नामवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–क)।

(2) जी हां। बैंक में शाखा सचिव/सुपरवाइजर के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति माह अप्रेल 1980 में की गई थी। उस समय अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई पात्र कर्मचारी "इलीजिबिलिटी" जोन में पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं था। वर्ष 80 के पश्चात् किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति नहीं की गई है।

(3) जी, हां। बैंक स्तर की रिक्तियां को चयन समिति के माध्यम से रोस्टर प्रणाली के आधार पर रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के नामों पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट–क

बैंक में कार्यरत स्टाफ की सूची

क्र.सं.	नाम पद	नाम कर्मचारी व जाति
1	2	3
1.	सचिव (1)	श्री चन्द्रभान पाण्डेय, ब्राह्मण
2.	सहायक सचिव (1)	श्री रमेशचन्द्र जैन
3.	क. लेखापाल (1)	श्री एस. एस. राजावत (राजपुत)
4.	शाखा सचिव (6)	श्री जीतमल जैन
5.	श्री पी. पी. जिन्दल वैश्य (महाजन)	6. श्री ओमप्रकाश त्रिवेदी (ब्राह्मण)
7.	श्री कमलाप्रसाद शर्मा (ब्राह्मण)	8. श्री पी. डी. मीना
9.	श्री श्यामलाल शर्मा (ब्राह्मण)	
10.	सुपरवाईजर (10)	श्री दुर्गालाल पालीहाल (ब्राह्मण)
11.	श्री बाबूलाल गौतम	12. श्री दिनेशचन्द्र जैन
13.	श्री मोहनलाल शर्मा (ब्राह्मण)	14. श्री मदनमोहन शर्मा (ब्राह्मण)
15.	श्री नाथूलाल शर्मा (ब्राह्मण) प्रथम	16. श्री नाथूलाल शर्मा (ब्राह्मण) द्वितीय
17.	श्री तुलाराम वर्मा (एस. टी.)	18. श्री रामलाल गुलाटी (एस. टी.)
19.	श्री शिवकल्याण परिहार (माली)	
20.	लिपिक (20)	श्री नरपतसिंह राजपूत
21.	श्री रमेशचन्द गौतम (ब्राह्मण)	22. श्री हरिदत्त शर्मा (ब्राह्मण)
23.	श्री बाबूलाल सोनी (सुनार)	24. श्री हेमचन्द जैन
25.	श्री दलयालदत्त शर्मा (ब्राह्मण)	26. श्री महेन्द्रकुमार जैन
27.	श्री घासीलाल खंगार (एस.सी.)	28. श्री बत्तीलाल मीना
29.	श्री हरिशंकर कुमावत (कुमार)	30. श्री दिनेशचन्द गुप्ता वैश्य
31.	श्री मदनलाल कौशिक (ब्राह्मण)	32. श्री रामबाबू शर्मा (ब्राह्मण)
33.	श्री विरेन्द्रप्रसाद शर्मा (ब्राह्मण)	34. श्री हरकचन्द जैन महाजन
35.	श्री नन्दकिशोर रेगर (एस. सी.)	36. श्री जहीरद्दीन अंसारी मुसलमान
37.	श्री पी. पी. पाठक (ब्राह्मण)	38. श्री चिरंजीलाल मीना
39.	लिपिक	श्री लटूरमल मीना

344

1	2	3
40.	वाहन चालक (2)	श्री राधेश्याम शर्मा (ब्रा.)
41.	श्री भगवानसहाय शर्मा (ब्रा.)	
42.	च. श्रे. क. (10)	श्री शंकरसिंह राजावत (राजपूत)
43.	श्री शोभाराम सिन्धी	
44.	श्री हरिनारायण मीना	45. श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा (ब्रा.)
46.	श्री छीत्तरमल सैन (नाई)	47. श्री रामचन्द सैनी (माली)
48.	श्री प्रभुलाल कोली (एस. सी.)	49. श्री रामकुमार शर्मा (ब्रा.)
50.	श्री भंवरलाल मीना	51. श्री रमाकांत सैन (नाई)
52.	भूमि मूल्यांकन अधि. (3)	श्री रामावतार शर्मा (ब्रा.)
53.	श्री राधेश्याम शर्मा (ब्रा.)	54. श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता (वैश्य)
55.	वरिष्ठ लिपिक	श्री राधेश्याम मथुरिया (वैश्य)
56.	कनिष्ठ लिपिक	श्री पी. डी. बैरवा (एस. सी.)
57.	वाहन चालक	श्री गिरजिप्रसाद साहू

तारांकित प्रश्न संख्या 321 (स्थगित)

सादूल, करणी जी एवं अमरसिंह ब्रांचों में मोघे

322. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सादूल ब्रांच, करनी सिंह ब्रांच व अमरसिंह ब्रांच में कुल कितने मोघे पक्की ब्रांचों में लगे हुए हैं इन मोघों को लगाने के लिए सक्षम अधिकारी कौन हैं और किसने स्वीकृति दी ?

(2) क्या भाखरा व गंग कनाल क्षेत्र में रोटेशनल मोघे लगे हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या इससे पानी की चोरी नहीं होती ? इनको किन अधिकारियों ने स्वीकृति प्रदान की ? क्या वे ऐसा करने में सक्षम थे ?

(3) क्या सादूल ब्रांच व अमरसिंह ब्रांच में भी रोटेशनल मोघे लगे हुए हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या इसमें दोषी कौन है ?

(4) क्या सरकार को विदित है कि इस तरह का आरोप राजस्थान पत्रिका के दैनिक संस्करण दि. 16-5-1990 के अंक में प्रकाशित हुआ है ? इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) करनी सिंह ब्रांच में कोई भी सीधे मोघे नहीं हैं। सादूल ब्रांच में मोघों की संख्या 6 व अमरसिंह ब्रांच में 29 है। इन मोघों को लगाने के लिए सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता है तथा तदानुसार स्वीकृति सहित मोघे लगे हैं।

(2) गंग कैनाल में कोई रोटेशनल मोघे नहीं हैं। भाखडा प्रणाली में कुल 19 रोटेशनल मोघे लगे हुए है इनमें पानी की चोरी नहीं होती हैं। इनकी स्वीकृति समय समय पर तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रदान की गई है जो ऐसा करने में सक्षम हैं।

(3) सादूल ब्रांच व अमरसिंह ब्रांच प्रणाली में आरम्भ से ही ऐसे मोघे लगे हुए है जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है अतः इनमें कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं।

(4) राजस्थान पत्रिका दैनिक संस्करण दिनांक 16-5-90 के पृष्ठ संख्या 3 में अंकित रिश्वत सम्बन्धी आरोप निराधार हैं। क्योंकि 6 एम. ओ. डी. के रोटेशनल मोघे में वर्तमान जलस्तर के अनुसार अधिकृत जल निस्तारण से ज्यादा निस्तारण बन्द करने के लिए काश्तकारों द्वारा हटाई गई मोघे की शोकेट को वापस लगा दिया गया था जिसके कारण इस चक के काश्तकारों को उनके अधिकृत निस्तारण से ज्यादा मिलने वाला लाभ समाप्त हो गया है इसलिए काश्तकारों द्वारा जो यह आरोप लगाया गया था वह निराधार व बे-बुनियाद है।

कोटा के बन्द लघु उद्योग

323. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 5 वर्षों में कोटा में लघु उद्योगों के निमित्त कितने प्लाट आवंटित किये गये। उनमें से कितने उद्योग लगे और वर्तमान में कितने उद्योग चालू हालत में हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार कोटा के बन्द उद्योगों को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में किसी नीति का निर्धारण कर चुकी है या कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति कब तक होगी ?

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों में कोटा लघु उद्योगों के निमित्त कुल 298 प्लाट राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम के माध्यम से आवंटित किये गये हैं इनमें से 36 उद्योग लगे हैं एवं 55 प्लाट निर्माणाधीन है। वर्तमान में 32 उद्योग चालू हालत में हैं।

(2) कोटा में ही नहीं अपितु राज्य में बन्द उद्योगों को पुनः चालू कराने के लिए राज्य सरकार एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयास किये जाते हैं। प्रक्रिया की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

बझेरा ग्राम (बैर) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

324. **श्री राम प्रसाद** (बैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की तहसील बैर ग्राम पंचायत बझेरा कलां में 197 बीघा चरागाह जमीन है ?

(2) उक्त जमीन पर किन-किन लोगों ने कितने समय से कब्जा कर रखा है और क्यों ?

(3) क्या सरकार चरागाह जमीन से कब्जा हटवाकर अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि जिला भरतपुर की तहसील बैर की ग्राम पंचायत बझेरा कलां में कुल चरागाह भूमि 548 बीघा है।

(2) उपरोक्त उपलब्ध चरागाह भूमि में से केवल ग्राम बझेरा कला की 104 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया। इसमें से 94 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर सवर्ण जाति के 8

(राजस्व मंत्री)

व्यक्तियों एवं 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर अनुसूचित जाति के 6 व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है। सवर्ण जाति के दो व्यक्तियों द्वारा सम्वत् 2037 से 40 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रखा है इन्हें राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण बेदखल नहीं किया गया है।

(3) शेष सभी व्यक्तियों को बेदखल किया जा चुका है। जिन जिन लोगों का जब से कब्जा है उसकी सूची "परिशिष्ट–क" सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार चरागाह जमीन से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है परन्तु चरागाह भूमि के आवंटन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

जिला भरतपुर तहसील वैर की ग्राम पंचायत बझेरा कला की चारागाह भूमि पर हुये अतिक्रमण के अतिक्रमियों की सूची

क. सं.	अतिक्रमियों के नाम व पूर्ण पता	अतिक्रमित भूमि		कब्जा कब से है सम्वत	कब्जा लगातार रहने के कारण	विशेष विवरण
		ख. नं.	रकबा बीघा में			
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पूरण पुत्र बालू जाति धाकड़ सा. बझेरा कलां	846	10 बीघा	2046	बेदखल/4-10-89	
2.	पूरन पुत्र बालू, तूहीराम पुत्र भागीरथ	846	4 बीघा			
	जाति धाकड साकिन बझेरा कलां	843	3 बीघा 5 बिस्वा	2044 व 2046	बेदखल/4-10-89	
3.	रामसिंह पुत्र सुक्का जाति धाकड़ सा. बझेरा कलां	958	1 बीघा	2046	बेदखल/12-9-89	
4.	मनोहरी पुत्र जवाली जाति धाकड ,, ,,	953	3 बीघा	2046	बेदखल/12-9-89	
5.	गंगाराम पुत्र रामपाल जाति ,, ,, ,,	838	2 बीघा	2046	बेदखल/12-9-89	
6.	बाबू पुत्र रामसिंह ,, ,, ,,	862	1 बीघा 3 बिस्वा	2046	बेदखल/28-9-89	
		863	1 बीघा 9 बिस्वा			
		881	1 बीघा 4 बिस्वा			

1	2	3	4	5	6	7
		882	0-17 विस्वा			
		884	2 बीघा 14 विस्वा			
		885	1 बीघा 7 विस्वा			
		886	0-18 विस्वा			
		936	10 बीघा			
		957	3 बीघा 3 विस्वा			
		958	8 बीघा 3 विस्वा			
		योग :	30 बीघा 18 विस्वा			
7.	खेमी पुत्र लट्टे जाति कोली नि. वैर	923	1 बीघा 08 विस्वा	2046	बेदखल/12-9-89	
8.	जेली पुत्र तेजा जाति कोली नि. वैर	924	0-10 विस्वा	2046	बेदखल/20-9-89	
9.	किशोरी पुत्र गुल्ली जाति कोली नि. वैर					
10.	रेवती पुत्र तेजा जाति कोली नि. वैर	927	3 बीघा 16 विस्वा	2046	बेदखल/12-9-89	
11.	मूलचन्द्र पुत्र गोपाली कोली नि. वैर	925	2 बीघा 1 विस्वा	2046	बेदखल/17-1-90	
12.	हरीराम पुत्र दुल्ली कोली सा. वैर	926	2 बीघा 2 विस्वा			

1	2	3	4	5	6	7
13.	श्री रतन व	832	2 बीघा	2037 से लगातार	तहसील से अतिक्रमी को	
14.	श्री जोहरी पिसरान प्रभू जाति धाकड	833	3 बीघा 8 बिस्वा		बेदखल कर दिया गया था	
	निवासी बझेरा कलां	838	4 बीघा 8 बिस्वा		लेकिन न्यायालय राजस्व	
		839	1 बीघा 15 बिस्वा		अपील अधिकारी भरत-	
		837	4 बीघा 8 बिस्वा		पुरसे स्थगन आदेश होने	
		861	4 बीघा		के कारण।	
		851	4 बीघा 4 बिस्वा			
		852	1 बीघा 19 बिस्वा			
		850	3 बीघा 16 बिस्वा			
		844	3 बीघा 3 बिस्वा			
		855	1 बीघा 14 बिस्वा			
		849	5 बीघा 19 बिस्वा			
		योग :	40 बीघा 14 बिस्वा			

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 304 की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	भराव क्षमता (एम. सी. एफ. टी. में)	सिचाई क्षमता (एकड़ों में)
1	2	3	4
1.	अन्नतपुरा	13.76	106
2.	न्यू टेन्क मेहसबा	188.25	1490
3.	ओल्ड टेन्क मेहसवा	35.00	296
4.	राजोली	33.60	500
5.	वौल	71.69	419
6.	मोहनपुरा	141.90	1120
7.	विसन समन	408.00	4072
8.	भुन्की	71.50	718
		योग : 963.70	8721

तहसील नादौती के बांधों की सूची

1.	तालुका	10.00	728
2.	सिंगोलाव	30.00	185
3.	फतेहसागर	128.70	612
4.	रामसागर	16.00	202
5.	न्यू टेन्क केम्न	28.00	160
6.	कुन्डु मेरा	—	364

352

1	2	3	4
7.	कण्ड बिलाई	10.433	107
8.	भूतका	4.10	65
9.	होदायली	61.72	315
10.	रोसी	51.70	300
11.	गुमान सागर	27.10	250
12.	जादोलाव	17.00	60
13.	रायसैन	18.00	50
		योग : 402.75	3398

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 465 की सूची

गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त एवं कब से रिक्त है का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद			रिक्त पद			कब से रिक्त है
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	दिनांक व माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा. सी. उ. मा. वि., डाबड़ी	8	6	6	5	1	—	3/90, 10/89, 9/89,9/89 10/89 एवं 9/89
2.	,, छानीबड़ी	26	5	6	6	—	—	2/89, 2/89, 2/88, 3/89 7/89, एवं 9/89
3.	,, नीनाण	11	6	4	1	—	2	9/89, 9/89 एवं 4/90
4.	,, उतरादावास	11	3	2	5	1	—	2/89, 2/88, 2/89, 10/89 10/89 एवं 3/89
5.	,, फूंफाना	11	6	4	3	—	—	7/89, 7/89, 7/89
6.	,, मीर्जावाली मेर	14	8	2	5	—	—	5/87, 5/87, 9/88, 8/89,8/89
	,, मालारामपुरा	11	2	4	1	—	2	7/89, 10/89, 10/89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	रा.सी.ऊ.मा.वि. लालगढ़ जवान	12	7	5	3	—	—	6/89, 8/89, 2/90
9.	,, गणेशगढ़	8	5	2	1	—	—	9/89
10.	,, मीर्जावाला	11	3	3	2	—	—	3/90, 4/90
11.	,, तामकोट	6	3	1	1	—	—	6/89
12.	,, चक 3 ग्रो	7	3	4	2	—	—	10/88, 7/89
13.	,, मुकलावा	7	4	4	—	—	2	3/90
		143	61	47	35	2	5	

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 468 की सूची

सपोटरा रेंज में वर्ष 1988 89 वृक्षारोपण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम रेंज	वर्ष	कार्यस्थल का नाम	लागत	लगाये गये पौधों की सं.	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सपोटरा	1988-89	इनायती (वृक्षारोपण)	156800.00	110000	आंशिक रूप से सफल; पुनः वृक्षारोपण कराया जा रहा है।
2.	,, ,,	,,	रावतपुर (वृक्षारोपण)	84400.00	55000	,, ,, ,,
3.	,, ,,	,,	कोण्डरी (वृक्षारोपण)	110000.00	55000	संतोषजनक
4.	,, ,,	,,	खिरखिड़ी (वृक्षारोपण)	51700.00	33000	,,
5.	,, ,,	,,	करई घाटी (वृक्षारोपण)	190000.00	40000	,,
6.	,, ,,	,,	करणपुर (वृक्षारोपण)	79350.00	20000	,,

1	2	3	4	5	6	7
7.	सपोटरा	1988-89	गैरई प्रथम (वृक्षारोपण)	370200.00	40000	आंशिक रूप से सफल पुनः वृक्षारोपण कराया जा रहा है।
8.	,, ,,	,,	शेखपुरा (वृक्षारोपण)	316700.00	40000	,, ,, ,,
9.	,, ,,	,,	एकट (वृक्षारोपण)	333400.00	40000	,, ,, ,,
10.	,, ,,	,,	गेरई (चारागाह वृक्षारोपण)	195800.00	10000	,, ,, ,,
11.	,, ,,	,,	हाडौती प्रथम (वृक्षारोपण)	192500.00	10000	संतोषजनक

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 476 की सूची

सवाई माधोपुर जिले में छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाये गये वृक्षों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लगाये गये वृक्षों की संख्या	श्रेणी
1983-84	0.64 लाख	अधिकांश पौधे कांटेदार प्रजातियां जैसे देशी बबूल, विलायती बबुल, कुमटा, खेर, धोक आदि के लगाये गये। शेष पौधे शीशम, यूक्लिप्टस, आम. जामुन, चुरेल, अरडू, नीम, अमलतास, कैसिया स्यामिया, कनेर, कचनार, बरगद, पीपल करंज आदि के लगाये गये।
1984-85	2.63 लाख	
1985-86	4.05 लाख	
1986-87	11.20 लाख	
1987-88	20.27 लाख	
1988-89	30.77 लाख	
1989-90	5.76 लाख	

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 479 की सूची

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर में विभिन्न श्रेणियों के कुल 247 पदों का पदवार विवरण।

क्र.	नाम पद श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5
1.	प्रबन्ध संचालक	1	प्रतिनियुक्ति का पद है।	
2.	प्रधान व्यवस्थापक	1	प्रतिनियुक्ति का पद है।	
3.	प्रबन्धक	9	केवल दो पद भरे हुए हैं जिन पर प्रतिनियुक्ति के अधिकारी कार्यरत हैं।	
4.	क्षेत्रीय प्रबन्धक	8	—	—
5.	क्रेडिट एक्सपर्ट	8	—	—
6.	उप प्रबन्धक	37	2	1
7.	सहायक प्रबन्धक	59	1	—
8.	स्टेनों	4	—	—
9.	लिपिक कम टाइपिस्ट	64	6	4
10.	ड्राफ्ट मैन	1	—	—
11.	ड्राईवर	13	1	—
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	41	5	2
13.	फर्राश	1	1	—
	योग	247	16	7

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 484 का विवरण

सीकर जिले में गत पांच वर्षों में वृक्षारोपण कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण

वर्ष	व्यय (लाखों में)
1985-86	7-91
1986-87	58-39
1987-88	46-58
1988-89	45-44
1989-90	38-76

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 485 की सूची
राजगढ़ क्षेत्र में सिंचाई बांधों की सूची

क्र. सं.	बांधों का नाम	
1.	धमरेड	पेटाकाश्त बन्ध
2.	डूगडगा	,,
3.	डेरा	,,
4.	घड़ीसवाई राम	,,
5.	वाघेला	,,
6.	झालाटाला	,,
7.	खो	,,
8.	लखनाका	,,
9.	माचाडी	,,
10.	निमला	,,
11.	निम्बोला	,,
12.	पानी नास नांगल	,,
13.	पिनान	,,
14.	तालाब	,,
15.	रामवास	,,
16.	सुरेर अपर	,,
17.	सुरेर लोअर	,,
18.	ठेकडी	,,
19.	ओडपुर	,,
20.	पटवारी का नाका	,,
21.	देवती	नहर वाले बांध
22,	मानसरोवर	,,
23.	मंगल सर	,,
24.	रेणी ओल्ड	,,
25.	रेणी न्यू	,,

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 486 की सूची

विगत पांच वर्षों में छबड़ा व छीपाबडौद क्षेत्र में कराये गयें पौधारोपण कार्यों का विवरण

वर्ष	लगाये गये पौधों की संख्या	पौधारोपण पर व्यय (लाख रु.)	वर्षवार संधारण पर किया गया व्यय (लाख रु.)				कुल योग (3 से 7)	जीवित पौधों की संख्या
			1986-87	1987-88	1988-89	1989-90		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1985	79952	2-26	0-25	0-21	0-19	0-07	2-98	66775
1986	245066	8-95	—	1-23	0-59	0-78	11-55	156425
1987	—	—	—	—	—	—	—	—
1988	154519	5-63	—	—	—	1-03	6-66	100437
1989	—	—	—	—	—	—	—	—
योग :—	479537	16-84	0-25	1-44	0-78	1-88	21-19	323636 (67 प्रति)

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 488 की सूची

5.04 CONCLUSION

1. The Committee agrees with the findings in para 5.03 above that piping in Chirpatia Dam has occurred at several locations on account of :

   (i) Use of soils in the construction of the dam falling within the dangerous zone of gradation indicated by sherard which have characteristics of giving rise to the formation of minute internal cracks in the body of the dam due to which there is no resistance to the seepage flow and which has consequently resulted in the formation of the pipes and breaches.

   (ii) Anrupt rise in water level in the reservoir. Had the water level risen gradually, the soil would have swelled, refiling the cracks caused due to internal shrinkage.

2. The Committee is of the opinion that no officer/offical connected with the construction of the earthen dam be held responsible for piping and the breaches in the dam.

3. The Committee is of the opinion that the departmental staff at site had taken adequate steps to face the exigencies.

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 493 की सूची

सपोटरा तहसील में विभिन्न मदों के तहत कराये गये कार्यों का विवरण

1. अकाल राहत कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय की गयी राशि (लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	सम्वत 2042 वर्ष 1985–86		
1.	कालिसील	5.24	अधूरा है।
2.	कुडावदा	1.35	,,
3.	मण्डावरा	0.76	,,
4.	रेंजिग भूपेन्द्र सागर	0.74	,,
5.	वेरूण्डा बन्ध व नहर	0.04	,,
		8.13	
	सम्वत 2043 वर्ष 1986-87		
1.	मण्डावरा	0.18	अधूरा है।
2.	कालीसिल बांध व नहर	3.46	,,
3.	कूडावदा	0.83	,,
4.	भूपेन्द्र सागर बांध	1.02	,,
5.	वेरूण्डा बांध व नहर	1.64	,,
6.	नेनिया की गवारी	1.77	,,
		8.90	

सम्वत 2044 वर्ष 1987–88

1.	लीवर डाबरा	0.60	अधूरा है।
2.	कल्याणपुरा	0.30	,,
		0.90	

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत

1.	राहिर बनेजरा	2.371	अधूरा है।
2.	मरम्मदा	2.686	,,
		5.057	

3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत (आर. एल. ई. जी. पी.)

1.	राहिरा बनेजरा	6.35	अधूरा है।
2.	मरम्मदा	5.605	,,
		11.955	

4. जवाहर रोजगार योजना के तहत

1.	मरम्मदा	2.53	कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 497 की सूची

सूची

चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में सिंचाई विभाग के बांध

क्र. सं.	योजना का नाम	कृषि योग्य क्षेत्र	(एकड़ में) निर्धारित सिंचाई
1.	गादोला	2713	1760
2.	बरडिया	1000	512
3.	बोरिया	1818	1440
4.	धारियां खेड़ी	236	118
5.	तेजड़	125	100
6.	तलैया	481	351
	योग :	6373	4281 एकड़

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 499 की सूची

उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के बकाया प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	नाम प्रयोगशाला सहायक	प्रकार का प्रकार	विचाराधीन रहने की ति.	विचाराधीन रहने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	रासीउमावि, जगदीश चौक उदयपुर	श्री तेजसिंह पोखरना	अवकाश वेतन	31.12.83	बिल टाईम बार्ड होने पर बाण्ड भरने हेतु कहा गया है। प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	रासीउमावि बड़ोदिया बांसवाड़ा	श्री पारसमल जैन	अध्ययन अवकाश	30.3.88	प्रकरण अपूर्ण था
3.	रासीउमावि आपेट उदयपुर	श्री नारायण सिंह	वेतनमान 89 स्थरीकरण	23.9.89	अनियमित वेतन वृद्धि की राशि की वसूली बकाया होने से
4,	रासीउमावि सराड़ा	श्री अम्बा लाल जैन	,,	,,	स्थायीकरण न होने से

Page No. 366

366

1	2	3	4	4	6
5.	रासीउमावि कल्याणपुर उदयपुर	श्री सुधीर मार्तण्ड	वेतनमाने 89 स्थरीकरण	23.9.89	परिवीक्षाकाल अवधि/सेवा अवधि नहीं बढ़ाने के आदेश नहीं होने से आक्षेप में ।
6.	रासीउमावि झाड़ोल	श्री पारस कुमार	अध्ययन अवकाश	2.7.89	विद्यालय स्तर पर कमी पूर्ति न होने के कारण अतिपामित
7.	सीउमावि भीम	श्री उदयराम	वेतन मान 89 का स्थरीकरण	23.9·89	वेतन वृद्धि की वसूली
8·	सीउमावि बीड़ी	श्री अमरसिंह	वेतनमान 86 व 89	2.2.89	बार-बार लम्बे समय तक अवैतनिक अवकाश पर रहने के कारण
9.	रासीउमावि गांगड़तलाई	श्री सजय टहलानी	स्थरीकरण	22.9.89	निस्तारण की कार्यवाही

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 505 की सूची

राजस्थान सरकार

रिक्त क्षेत्रों पर प्राप्त क्वेरी लाईसेन्स आवेदन पत्रों का विवरण

क्र. सं.	आवेदक का नाम	खनिज	क्षेत्र का विवरण	आवेदन की तिथि	विशेष विवरण
1.	श्री सत्यनारायण कुमार पुत्र श्री गणेशराम निवासी मकराना	मारबल	361/1 बोरावड़ कुमारी	12.4.90	विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत विचाराधीन
2.	मन्जूर अली पुत्र श्री मईनुद्दीन निवासी मकराना	मारबल	3/डी माताभर	4.1.90	,, ,, ,,
3.	श्री दुलाराम पुत्र श्री मकताराम निवासी जाटो का वास बोरावड	मारबल	256 कोला डूंगरी	11.4.90	,, ,, ,,

सहायक खनि अभियन्ता, मकराना

राजस्थान सरकार

क्र. स.	नाम जिले स्वीकृत की गई	खान संख्या	रेन्ज	खनिज	आवेदन तिथि	स्वीकृत तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाट निवासी जयपुर ।	6	मकराना कुमारी	मारबल	6-5-87	25-5-87	केन्द्रीय सरकार ने रिवीजन के अन्तर्गत स्थगन आदेश
2.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री पीरदानसिंह राजपूत निवासी कीसनउ ।	229/5	पहाडकुआ	मारबल	6-5-87	26-5-87	,, ,, ,,
3.	श्री मोहनलाल पुत्र लादुराम कुमावत निवासी मकाराना	196/3	गुंणावती	मारबल	6-5-87	27-5-87	,, ,, ,,
4.	श्री बुद्धसिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत निवासी चरड़ास	193/2	,,	,,	6-5-87	3-6-87	शासन स्तर पर निर्णय हेतु विचाराधीन
5.	श्री चतुर्भुज पुत्र पोखरराम माली निवासी विदिगाद	196/1	,,	,,	6-5-87	27-5-87	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	श्री रामस्वरूप पुत्र नाथूराम विश्नोई नि. अलाय	80	उल्लोड़ी	,,	6-5-87	27-5-87	शासन स्तर निर्णय हेड विचाराधीन
7.	ओम मिश्रा पुत्र कमल मिश्रा निवासी नई दिल्ली	235/1	पहाड़कुआ		6-5-87	26-5-87	,, ,, ,,
8.	श्रीमती मधुबाला मिश्रा पत्नि श्री चन्द्र प्रकाश नि. नई दिल्ली	235/2	,,	,,	6-5-87	26-5-87	,, ,, ,,
9.	मुख्तार अहमद पुत्र गुलाम सुलेमान निवासी मकराना	229/4	,,	,,	6-5-87	26-5-87	,, ,, ,,

सहायक खनि अभियन्ता, मकराना

370

शुद्धि पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	134	13	गुजंर	गुर्जर
2.	252	फोलियो	समति	समिति
3.	253	फोलियो	याचिकाग्र	याचिकाओं
4.	274	12	(केशरायपाटन)	(केशोरायपाटन)
5.	306	फोलियो	प्रस्साव	प्रस्ताव
6.	306	5	बंशीवाला	बंशीवाल
7.	328	1	बन्शीवल	बंशीवाल
8.	360	4	श्री प्रद्यम्नसिह	श्री प्रद्युम्नसिह
9.	470	5	श्री दिग्विजयसिह	श्री दिग्विजयसिह
10.	554	31	श्री प्रकाशचन्द वैरवा	श्री रामप्रसाद बैरवा
11.	565	फोलियो	17	27
12.	676	फोलियो	16	12